षोडश माला, खंड 9, अंक 25 **सोमवार, 27 अप्रैल, 2015**
7 वैशाख, 1937(शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संपादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

इंदु बक्शी
संयुक्त निदेशक

राजेश सिंह
उप-निदेशक

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 25, सोमवार, 27 अप्रैल, 2015 / 7 वैशाख, 1937(शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	15-16
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	19-48
*तारांकित प्रश्न संख्या 461 से 464	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	49
तारांकित प्रश्न संख्या 465 से 480	
अतारांकित प्रश्न संख्या 5291 से 5520	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 50-58

लोक लेखा समिति 59
14वें से 16वां प्रतिवेदन

कृषि संबंधी स्थायी समिति 60
10 वां और 11वां प्रतिवेदन

रक्षा संबंधी स्थायी समिति 61
छठे से नौवां प्रतिवेदन

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 62
पांचवां और छठा प्रतिवेदन

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति 63
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति 64
तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति 65
चौथे से छठा प्रतिवेदन

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति 66
(एक) तीसरा प्रतिवेदन
(दो) विवरण

उद्योग संबंधी स्थायी समिति 67
264वें से 266वां प्रतिवेदन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति 68

254वां प्रतिवेदन

मंत्री द्वारा वक्तव्य 69-70

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 97वें, 159वें और 212वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

डॉ. महेश शर्मा

सदस्यों द्वारा निवेदन 71-102

नेपाल तथा भारत के कई भागों में आए भूकंप के कारण लोगो की मृत्यु होने और भूकंप से हुई क्षति को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में

नियम 377 के अधीन मामले 103-116

(एक) झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे 104-105

(दो) मध्य प्रदेश के मंदसौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर रेल संपर्क सुविधा प्रदान करते हुए रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर गुप्ता 106

(तीन) एम्बुलेंसों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और कुशल चिकित्सा कर्मियों की तैनाती को सुनिश्चित करने वाला एक कानून अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 107

(चार) राजस्थान के अजमेर में भिनाय कोठी स्थान पर स्वामी दयानंद

सरस्वती का स्मारक बनाये जाने की आवश्यकता

श्री सी. आर. चौधरी 108

(पाँच) गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम को आयकर अधिनियम, 1961 से छूट दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 109

(छह) अतिवृष्टि, ओलावृष्टि तथा कीटों के हमले के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बोध सिंह भगत 110

(सात) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवाओं के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 111

(आठ) कावेरी, वैगई और गुंडर नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना और तमिलनाडु में नहर आधुनिकीकरण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर सेनथिलनाथन 112

(नौ) देश में बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने और उनके लिए ऋण माफी योजना की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय 113

(दस) ओडिशा में ढेंकानाल से जोडा को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण हेतु केंद्रीय सड़क निधि से निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सकुंतला लागुरी 114

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश में निवेश और सुद्रढ आर्थिक विकास के लिए एक विस्तृत नीतिगत ढांचा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु 115

(बारह) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से अराकु तक एक अतिरिक्त ट्रेन चलाये जाने की आवश्यकता

श्रीमती कोथापल्ली गीता 116

अनुदानों की मांगें (सामान्य), वर्ष 2015-16 117-517

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय) 117-299

श्री लक्ष्मी नारायण यादव 117-121

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन 122-126

श्री रतन लाल कटारिया 127-129

श्री एस.आर. विजय कुमार 130-132

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 133-135

श्री भर्तृहरि महताब 136-139

कुमारी शोभा कारान्दलाजे 140-144

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 145-149

श्रीमती संतोष अहलावत 150

श्री सी. आर. चौधरी 151-154

श्री गौरव गोगोई 155-156

श्री जय प्रकाश नारायण यादव 157-159

श्री वीरेन्द्र कश्यप 160-164

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	165-168
श्रीमती अंजू बाला	169-171
श्रीमती रेखा वर्मा	172
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	173-174
श्री असादुद्दीन ओवैसी	175-177
श्री तेज प्रताप सिंह यादव	178-181
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	182-186
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	187-189
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	191-192
एडवोकेट जोएस जॉर्ज	193-194
श्री डी.के. सुरेश	195-199
डॉ. रत्ना डे (नाग)	200-204
डॉ. अरुण कुमार	205-206
श्री शिवकुमार उदासी	207-210
श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन	211-214
श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान	215
डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	216-220
श्री कौशलेन्द्र कुमार	221-222
श्री पी. करूणाकरन	223-225
श्री जोस के. मणि	226-227

साध्वी सावित्री बाई फुले	228-229
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	230-231
डॉ. उदित राज	232
डॉ. शशि थरूर	233-237
श्री प्रह्लाद जोशी	238-245
प्रो. चिंतामणि मालवीय	246-248
श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	249-250
श्री सुनील कुमार सिंह	251-262
श्रीमती रमा देवी	263-265
श्री शरद त्रिपाठी	266-269
श्री दद्दन मिश्रा	270-274
श्री अश्विनी कुमार चौबे	275
श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी	276-287
कटौती प्रस्ताव - अस्वीकृत हुए	297
मांग- स्वीकृत	299
(दो) गृह मंत्रालय	300-517
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	302-315
कटौती प्रस्ताव	316
श्री हुकुम सिंह	317-323
श्री निशिकांत दुबे	324-329

श्री रतन लाल कटारिया	330-332
डॉ. किरिट पी. सोलंकी	333-334
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	335-337
श्री रवीन्द्र कुमार जेना	338-346
श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी	347-350
श्रीमती सुप्रिया सुले	351-356
डॉ. जे. जयवर्धन	357-364
श्री अजय मिश्रा टेनी	365-366
श्री तथागत सत्पथी	367-371
श्रीमती संतोष अहलावत	372-373
प्रो. सौगत राय	374-380
श्री बैजयंत जय पांडा	381-387
श्री जुगल किशोर	388
कुमारी शोभा कारान्दलाजे	389-394
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	395-399
श्री विनायक भाऊराव राऊत	400-402
श्री भैरों प्रसाद मिश्र	403-404
श्री गणेश सिंह	405-407
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	408-418
श्रीमती रीती पाठक	419

श्री थोटा नरसिम्हम	420-422
श्री पी.आर. सुन्दरम	423-425
श्रीमती रंजनबेन भट्ट	426
श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह	427-428
श्री राम प्रसाद शर्मा	429
श्री मोहम्मद सलीम	430-434
श्री पी.पी. चौधरी	435-441
डॉ. कुलमणि सामल	442-444
श्री के. परसुरमन	445-447
श्री शरद त्रिपाठी	448
श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी	449-452
श्री पी. करूणाकरन	453-455
श्री शैलेश कुमार	456-458
श्री बदरुद्दीन अजमल	459-462
श्री नारणभाई काछड़िया	463-464
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	465
श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	466-468
श्री आर.के. सिंह	469-478
श्री डी.के. सुरेश	479-481
श्री एम.आई. शनवास	482-484

श्री कौशलेन्द्र कुमार	485-486
श्री आर. राधाकृष्णन	487-489
श्री ई. अहमद	490-494
श्री निनोंग इरिंग	495
श्री असादुद्दीन ओवैसी	496-498
एडवोकेट जोएस जॉर्ज	499-500
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	501-506
श्री सत्यपाल सिंह	507-511
श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान	512
श्री मोहम्मद फैजल	513-515
श्री विष्णु पद राय	516-517

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

सोमवार, 27 अप्रैल, 2015 / 7 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप जानते हैं, 25 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आया एक शक्तिशाली भूकम्प जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.9 आंकी गई है, हाल ही में आई सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है जिसके झटके भारत, बांग्लादेश, तिब्बत और म्यांमार में भी महसूस किए गए। इस भूकम्प का केन्द्र काठमांडू के उत्तर-पश्चिम में 77 किलोमीटर दूर था, जिसने दक्षिण एशिया प्रायद्वीप के उत्तरी भाग और माउंट एवरेस्ट को भी एक प्रकार से हिलाकर रख दिया जिसके परिणामस्वरूप एवरेस्ट की चोटी पर हिम स्खलन हुए। यह बड़ा भूकम्प 26 अप्रैल को दोबारा आया और इसके झटके इस क्षेत्र में अभी भी महसूस किए जा रहे हैं।

यह विनाशकारी हिमालयी त्रासदी जिसके कारण नेपाल में 3200 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई और कई मकान गिर गए, धरहरा टावर ध्वस्त हो गया, दरबार स्क्वायर में अधिकांश प्राचीन मंदिर और सदियों पुराने निर्माण नष्ट हो गए जिसके कारण नेपाल में व्यापक विनाश हुआ है। भूकम्प के कारण हुए हिम स्खलनों से एवरेस्ट बेस कैम्प में भी 25 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है।

इन भूकम्पों के कारण भारत में भी बर्बादी हुई जिसके कारण लगभग 67 लोगों की मृत्यु हुई और सबसे अधिक बिहार में हुई जहाँ लगभग 50 से अधिक लोगों (शुद्धि के अध्यधीन) की मृत्यु हुई, जिसके पश्चात उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश तक उत्तरी भारत के बड़े भाग, पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। इसका असर दिल्ली में भी रहा।

यह सभा नेपाल की सरकार और जनता और हमारे अपने देश के विभिन्न भागों तथा हमारे पड़ोसी देशों में सभी प्रभावित लोगों को इस दुख की घड़ी में अपनी सहानुभूति और पूर्ण समर्थन व्यक्त करती है। यह सभा बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु और व्यापक विनाश पर अपना गहरा शोक व्यक्त करती

है और शोक-संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती है तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

यह सभा अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.04 बजे</u>

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

———————

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदया, क्या हम भी पाँच-पाँच मिनट बोल सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष: हाँ, मैं आपको अनुमति दूंगी।

मुझे प्रो. सौगत राय से स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मिला है। [हिन्दी] इसी विषय पर शून्यकाल में भी बोलने के लिए आपका नाम है। श्री जय प्रकाश नारायण यादव और श्री पी.वेणुगोपाल जी के विषय अलग हैं, लेकिन मेरा कहना है कि अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। 12 बजे मैं आप सभी को समय दूंगी कि जो नेचुरल कैलामिटी आई है, इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। अगर सरकार भी कुछ कहना चाहे तो उसके लिए भी आप सभी को मौका दूंगी। इसलिए अभी एडजर्नमेंट मोशन नहीं लेते हुए, 12 बजे अपनी-अपनी संवेदनाएं हम इस विषय पर प्रकट करेंगे। मैं आप सभी को मौका दूंगी। यही मेरा निवेदन है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : मैडम, भूकम्प से जो परिस्थिति पैदा हुई है, उससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि सारे काम रोककर देश के सामने आज जो सबसे बड़ा संकट है, जो मौतें हुई हैं, देश हिल गया है, उस पर चर्चा करे।

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप मेरी बात समझिए। प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह विषय ऐसा है कि अभी कदाचित भूकम्प के झटके आ रहे हैं, अभी कुछ न कुछ हो रहा है। मुझे लगता है कि स्थिति का पूरा आकलन भी अभी सरकार के सामने नहीं आया होगा, मुझे पता नहीं है, अगर आया हो तो बताएंगे। पूरा आकलन भी अभी चल रहा है, चाहे बिहार में हो या अपने देश में अन्य कहीं हो, आकलन अभी हो रहा है। इतना ही नहीं, अभी भी कहीं न कहीं एक दहशत का माहौल है। कल दिन में कई बार, तीन बार-चार बार फिर झटके आए, जो दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं। एक प्रकार से यह अभी चल ही रहा है, फिर भी हमारी जो संवेदना है और अगर हम सरकार को कोई

सुझाव देना चाहे तो 12 बजे मैं आप सभी को बोलने की अनुमति दे दूंगी। तब तक सरकार भी और जानकारी हासिल करे।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, यह कोई विवाद का विषय नहीं है। हम ऐसे ही शान्तिपूर्ण वातावरण में आराम से चर्चा करेंगे।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब हम प्रश्नकाल लेंगे, श्रीमती आर. वनरोजा।

(प्रश्न संख्या 461)

प्रो. सौगत राय: महोदया, यह प्रश्न पेट्रोलियम मंत्रालय से संबंधित है। ऊर्जा मंत्री जवाब क्यों दे रहे हैं?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास है, उनका पत्र है, ऐसे एलाऊ नहीं किया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पीयूष गोयल: उन्होंने सूचित किया है कि वह शहर में नहीं हैं, क्योंकि वहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण सरकारी कार्य था, जिसके कारण हमने माननीय अध्यक्ष की अनुमति मांगी है।

माननीय अध्यक्ष: हाँ।

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम, पेट्रोलियम मिनिस्टर को भूकम्प में क्या करना है। हाउस में रहना ज्यादा जरूरी है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पीयूष गोयल: मुझे आश्चर्य है कि एक वरिष्ठ सदस्य इस तरह की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपको उत्तर मिलना चाहिए। मुझे भी मालूम है। मेरी ओर से अनुमति दी गयी है। ऐसी बातें मत कीजिए। थोड़ा विश्वास मुझ पर भी रखिए। मैं भी 25 साल से सभा देख रही हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती आर. वनरोजा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री जी ने माना है कि तेल विपणन कंपनियों को खुदरा दुकान आवंटन चयन से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उक्त शिकायतों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराएं।

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने अनियमितताओं के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये सभी महारत्न कंपनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से चलती हैं। सरकार सीधे तौर पर शिकायतों से निपटती नहीं है, शिकायतें प्राप्त नहीं करती है, या उन पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन माननीय सदस्यों को सूचित करने के लिए, सरकार ने इन तीनों कंपनियों से जानकारी ले ली है। हमारे

पास जो जानकारी है, उसके अनुसार पिछले तीन वर्षों में हमें आई.ओ.सी.एल., बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. में आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें मिली हैं।

दो प्रकार की कार्रवाई की गई है। कई मामलों में, जहां भी यह पाया गया कि अनियमितता की शिकायत में कुछ सच्चाई है, मेरिट पैनल को ही समाप्त कर दिया गया। कुछ मामलों में, यदि मेरिट पैनल का काम पहले ही आगे बढ़ चुका था तो हमें डीलरशिप समाप्त करनी पड़ी। मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले एक वर्ष में, जब से नई सरकार आई है, शिकायतों की संख्या में भारी कमी आई है। आई.ओ.सी.एल. द्वारा वर्ष 2012-13 में प्राप्त 220 शिकायतों की तुलना में, पिछले एक वर्ष में केवल तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसी प्रकार, बी.पी.सी.एल.में 29 शिकायतों की तुलना में हमें पिछले वर्ष केवल एक शिकायत मिली थी। एच.पी.सी.एल. में, वर्ष 2012-13 में, 79 शिकायतों की तुलना में, हमें पिछले एक वर्ष में कोई शिकायत नहीं मिली। यहां तक कि पिछले एक साल में जो चार शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उनमें से सभी चार मेरिट पैनल रद्द कर दिए गए हैं। पिछले वर्षों में कई मेरिट पैनल रद्द कर दिए गए थे। कुछ मामलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और कुछ मामलों में डीलरशिप समाप्त कर दी गयी।

श्रीमती आर. वनरोजा : अध्यक्ष महोदया, आज हम देख रहे हैं कि एक स्थान पर कई पेट्रोल पंप हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर लोगों को ईंधन लेने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए, इस पर एक समान नीति होनी चाहिए। तेल खुदरा दुकानों के चयन में जनता के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ खुदरा दुकानों के आवंटन के लिए एक समान नीति शुरू करने पर विचार कर रही है।

श्री पीयूष गोयल: पहले के दिनों में चयन बहुत ही व्यक्तिपरक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता था, जहां आर.ओ. डीलरशिप के लिए चयन दिशानिर्देश थे और अंक दिए जाते थे। इसमें कुछ मापदंड थे

जैसे भूमि और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की क्षमता, वित्त उपलब्ध कराने की क्षमता, शैक्षिक पृष्ठभूमि, व्यवसाय उत्पन्न करने की क्षमता। ये सभी व्यक्तिपरक मुद्दे हैं। व्यक्तिपरक प्रकृति के कारण बहुत सारी अनियमितताएं देखी जा रही थीं। ऐसी व्यक्तिपरक योजना में संभवतः जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का माननीय सदस्य का सुझाव एक अच्छा विचार हो सकता है। लेकिन मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्यों और सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष, 2014-15 में, हमने व्यक्तिपरक प्रक्रिया के माध्यम से चयन की प्रणाली को समाप्त कर दिया है और अब हमारे पास पूरी तरह से पारदर्शी प्रणाली है, जिसके लिए कुछ निश्चित मानदंड निर्धारित हैं। लोग आर.ओ. आउटलेट के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं और मानदंडों के आधार पर, निष्पक्ष रूप से यह निर्णय लिया जाता है कि कोई व्यक्ति विचार किए जाने के योग्य है या नहीं। इसके बाद, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यह लॉटरी के माध्यम से होता है और ए श्रेणी के शहरों के अन्य सभी लोगों के लिए यह ऑनलाइन प्रक्रिया, बोली के माध्यम से होता है और इसलिए किसी सांसद द्वारा भी चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है और अब किसी सांसद की कोई भूमिका नहीं है। हमने एक पारदर्शी और ईमानदार प्रक्रिया अपनाई है और इसका प्रमाण यह है कि शिकायतों में भारी कमी आई है।

[हिन्दी]

श्री नारणभाई काछड़िया: अध्यक्ष महोदया, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो कच्चा तेल है, पेट्रोल या डीजल, उसकी तस्करी होती है तो उसे रोकने की जवाबदेही भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय पर आती है। गुजरात में मेरे संसदीय क्षेत्र में पीपावाओ पोर्ट और पीपाओ सीपीआर, दोनों जगह पर पिछले साल पहले 22-10-2014 को बड़ी मात्रा में डीजल चोरी हुआ, जो आयात किया गया था और कालाबाजार में बेच दिया गया। इसी तरह 5-6-2014 को ऐसी घटना हुई थी और उसकी पुलिस कम्प्लेंट कराई और एफआईआर भी दर्ज कराई। मैं दो बार विभाग को इस बारे में चिट्ठी भी लिख चुका हूं, लेकिन

आज तक कोई जवाब नहीं मिला और न ही कोई कार्रवाई हुई है। पीपावाओ पोर्ट और पीपाओ सीपीआर में आज भी दो नंबर के डीजल और कच्चे तेल की तस्करी हो रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई होगी या नहीं?

श्री पीयूष गोयल: मुझे खुशी है यह बताते हुए कि इस प्रकार के जो कारनामे हो रहे थे, उन पर बड़ी सख्ती से सरकार पेश आई है और हमने इस प्रकार की मिलावट रोकने के लिए कई टेक्नोलॉजीकल और रेग्युलेटरी मैज़र्स इंट्रोड्याूस किए हैं। रेगुलेटरी मैज़र्स में सरकार बहुत सख्त पेनल्टी लगाती है। रिटेल आउटलेट्स पर ऑटोमेशन किया जा रहा है। इस ऑटोमेशन से हम जांच कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कैसा है? अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से पूरे देश में कैरोसिन एडल्ट्रेशन बहुत कम हुई है। आज की तारीख में लगभग 25927 रिटेल आउटलेट्स सौ किलोलीटर्स से ज्यादा पेट्रोल या डीजल हर महीने देते हैं, उनमें से 14286 के ऊपर ऑटोमेशन कर दिया गया है और बाकी 11213 में नैनो स्कीम इंट्रोड्याूस कर दी गयी है, जिससे केरोसिन एडल्ट्रेशन को लगभग कंट्रोल में ले लिया गया है। साथ ही साथ टेम्परप्रूफ लॉकिंग सिस्टम्स, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, रिटेल आउटलेट्स, पेट्रोल-डीजल ले जाने वाले ट्रक्स में जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम, जिससे मिसयूज़ न हो सके, इस तरह की चीजें हमने इंट्रोड्याूस की हैं। माननीय सदस्य की जो स्पैसिफिक कम्पलेंट है, इस पर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो कम्पनी है, वह उसकी जांच कर रही होगी। मैं संबंधित माननीय मंत्री जी से उस बारे में लेटेस्ट इनफोर्मेशन प्राप्त करके अवगत करवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदया, प्रश्न पेट्रोल पंपों के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित है। मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन आज के माहौल में, केवल पेट्रोल पंपों के आवंटन में ही अनियमितता नहीं दिखती, बल्कि तेल टैंकरों के आवंटन में भी अनियमितता दिखती है। विशेष रूप से, जब तेल रिफाइनरियों की बात आती है, जैसे कि मेरे राज्य असम में, जहां कई रिफाइनरियां हैं, विशेष

रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र कलियाबोर में, हम देखते हैं कि तेल टैंकरों को बहुत ही मनमाने आधार पर, बहुत ही अस्पष्ट आधार पर आवंटित किया जा रहा है। ऐसे कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं जिनके आधार पर तेल टैंकर जनता को दिए जा रहे हैं। तो क्या मंत्रालय तेल टैंकरों के आवंटन पर भी विचार करेगा?

पिछले सप्ताह नुमालीगढ़ रिफाइनरी की बात करें तो माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी ने कहा था कि उन्होंने कई मुद्दों और परियोजनाओं को देखने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी का दौरा किया था। नुमालीगढ़ रिफाइनरी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। यद्यपि हम मंत्री जी के दौरे की सराहना करते हैं, परन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है कि जब मंत्री जी पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों से सत्तारूढ़ पार्टी के दो सांसदों के साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित रिफाइनरी के दौरे पर आए थे, तो मुझे वहां आमंत्रित नहीं किया गया।

अतः यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। मैं तेल, प्राकृतिक गैस और नुमालीगढ़ रिफाइनरी से संबंधित कई अन्य मुद्दे भी उठा सकता था, लेकिन मैं ऐसा करने में असफल रहा। मंत्री महोदय ने पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों के अन्य सांसदों के साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया। मुझे आशा है कि भविष्य में अन्य मंत्रालयों के साथ भी ऐसा नहीं होगा।

हम आशा करते हैं कि तेल टैंकरों के वितरण के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी मानदंड होंगे।

श्री पीयूष गोयल: माननीय सदस्य महोदय ने तेल टैंकरों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। महोदया मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि कोई भी टैंकर कभी भी मनमाने ढंग से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एक उचित प्रक्रिया है; प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इस प्रक्रिया में आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में कुछ मानदंड हैं। यदि कहीं कोई अनियमितता का मामला है तो मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि कृपया हमें लिख कर दें ताकि सरकार उस पर उपयुक्त, सर्वाधिक उचित और कठोर कार्रवाई कर सके।

जहां तक माननीय मंत्री जी की असम यात्रा का प्रश्न है, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री , जिनका मैं आज यहां प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, ने सम्पूर्ण असम राज्य की समस्याओं के समाधान में बहुत गंभीर रुचि ली है। उन्होंने असम के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दो घंटे से अधिक समय बिताया और असम तथा विभिन्न रिफाइनरियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में स्थित रिफाइनरी भी शामिल है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : यह केवल आपकी समस्या नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से यह कहना चाहूंगी कि वह इस बात को नोट करें और उस दिन शायद आपके सीनियर ने भी इस बात को नोट किया था। केवल यही बात नहीं और भी लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था। ये कमियां कुछ रह गयी हैं कि संबंधित माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में जब कोई मंत्री जी जाते हैं तो माननीय सदस्य तक इनफोर्मेशन पहुंचने में लेकुना रह जाता है। उस दिन माननीय पार्लियामैन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने खुद भी कहा था कि वह इसका संदर्भ ले लेंगे, लेकिन आज फिर एक बार यह बात उठी है तो मैं चाहूंगी कि केवल आप इसे नोट कर लें।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, आपने उस दिन बैठक में यह कहा था और इसकी चर्चा संसदीय कार्य मंत्री ने की थी कि संवाद नहीं जाता है और जो महत्व सांसदों को मिलना चाहिए, कई बार ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपके इस आग्रह को हम लोगों ने सरकार में दोहराया और हम इसका समन्वय स्थापित करेंगे, लेकिन यहां जो उत्तर था, यह विषय कुछ भिन्न है, जो अभी माननीय मंत्री जी ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, वह बात नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अगर आपस में घर में बातचीत न हो तो ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट मेरी बात सुनिये, सदस्य चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं एक बात कहना चाहूगी कि मुझे इतना याद है कि उस दिन प्रश्न का उत्तर देते समय मिनिस्टर ने कहा था कि मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूं। मुझे यह याद है, गौरव जी, मैं खुद भी थोड़ा याद रखती हूं और यह कहा गया था कि मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूं। इतनी बात यहां हुई थी, लेकिन बाद में शायद इंफोर्म करना रह गया, मैं केवल वही आपसे कह रही हूं। आप इसे नोट कर लें।

(प्रश्न संख्या 462)

श्री कीर्ति आज़ाद : अध्यक्ष महोदया, अभी जो त्रासदी आई है, उसमें दस जिले 1816 में सुगौली पैक में अंग्रेजों ने नेपाल को दिये थे और उनमें से एक जनकपुर है, जहां राम, जानकी रामायण सर्किट बन रहा है। उन दस जगहों में त्रेताकाल से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे अवशेष हैं, जिन्हें नहीं देखा गया है, जो पर्यटन की दृष्टि से बढ़ाये जा सकते हैं। वैसे काफी कुछ हमारे क्षेत्र दरभंगा जिले में भी है, जिसे आहिल्या स्थान कहते हैं, जहां भगवान राम ने पत्थर को पांव लगाया था और आहिल्या वापस जीवित रूप में आई थी। वहां गौतम कुंड है, महर्षि बाल्मीकि जी का वह आश्रम है, जहां लव और कुश बड़े हुए थे और उन्होंने दीक्षा पाई थी। मंडन मिश्र जी की जगह है, जहां आदिशंकराचार्य उनसे शास्त्रार्थ में हारे थे और उन्हें गुरू माना था। कोकिल कवि विद्यापति का स्थान है। यहां सौगत राय और अन्य माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, मैथिली लिपि पूरे नेपाल में, बंगाल में, आसाम में, यहां तक कि बंगलादेश में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम उससे वंचित हैं। ऐसे बहुत सारे पर्य़टन स्थल हैं, जो रामायणकाल से हैं, जिनकी राज्य सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इन विषयों को लेंगे और रामायण सर्किट में इन्हें जोड़ेंगे। क्या आपकी ऐसी कोई व्यवस्था है कि आप जो राम,जानकी सर्किट बना रहे हैं और जनकपुर में, जहां भगवान राम और सीता मां का विवाह हुआ था, क्या आप उसके अंदर इन सभी क्षेत्रों को जोड़ेंगे?

डॉ. महेश शर्मा : अध्यक्ष महोदया, बिहार की आध्यात्मिक और धार्मिक धरोहर पर किसी तरह का प्रश्न चिह्न नहीं है और यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आदरणीय सांसद ने जो विषय उठाया है, वह वास्तव में हमारे राष्ट्रीय गर्व और आध्यात्मिक केन्द्र का बिन्दु रहा है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय जब से नई सरकार आई है, उसके माध्यम से स्वदेश दर्शन योजना घोषित हुई है और इसके प्रथम चरण में जो छः सौ करोड़ रुपये की राशि घोषित की गई है, इस बार उसमें पांच सर्किट घोषित किये गये हैं,

जिनमें बुद्धिस्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, कोस्टल सर्किट, हिमालयन सर्किट और नार्थ-ईस्ट सर्किट घोषित किये गये हैं। अगली योजना में प्रस्तावित रामायण सर्किट है, जिसमें रामरेखा घाट, सीताकुंड, सीतामढ़ी, आहिल्या स्थान, बाल्मीकि नगर, प्रेतशिला घाट को कंसीडर किया जा रहा है और इसमें प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से भी एक प्रपोजल जो हमारे इंडियन फाइनेन्स डिवीजन के पास एक मेगा सर्किट नालंदा, तिलेरा, बरबरा के लिए 37.56 करोड़ रुपये राशि से, राम, जानकी माघ रामायण सर्किट 579.38 लाख रुपये की लागत से, हैरिटेज टूरिज्म दरभंगा, राजनगर और मधुबनी पर 460.35 लाख रुपये की लागत से, सूफी सर्किट हसनपुरा, सीवान, सती 220.00 लाख रुपये की लागत से और बेकुली धाम, सुकेश्वर स्थान 681.21 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित है। मैं सांसद महोदय की चिंता को समझता हूं और अगर उनके पास कोई और सुझाव राम, जानकी कुंड या भगवान राम की मर्यादाओं से जुड़े हुए हों तो हमारे संज्ञान में लायें, मंत्रालय उन्हें लेने का प्रयास करेगा।

श्री कीर्ति आज़ाद : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कहा है कि यदि और भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वह करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कम से कम वहां वे सुविधाएं हों कि सैलानी वहां आ सकें। दरभंगा में एक बड़ा एयरपोर्ट होने के बावजूद वहां पर हवाई यातायात सेवा नहीं है और सौभाग्य से हमारे मंत्री जी सिविल एविएशन के मंत्री भी यहां बैठे हैं। इसके साथ ही साथ दरभंगा में चंद्रधारी संग्रहालय को अपग्रेड करने की बात हुई थी। उसको ले कर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है, जिससे कम से कम एक टूरिज्म स्पॉट जो वहां पर बनने वाला था, उसका क्या हुआ है और कब तक वह काम पूरा होगा, उसके लिए कितना पैसा दिया गया है? साथ ही साथ हवाई यातायात भी शुरू करें तो लोग त्रेताकाल के रामायण सर्किट की जानकारी प्राप्त कर सकें और पर्यटन स्थल को देख सकें।

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, माननीय सदस्य ने दरभंगा हवाई अड्डे के विकास के बारे में कहा है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी यहां पर बैठे हुए हैं। अपनी बैठक के अंदर चिंतन कर के मैं इस विषय में आदरणीय सदस्य को अवगत कराऊंगा कि किस तरह से वहां पर विकास किया जा सकता है। लेकिन हमारी

सरकार कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए चाह रही है कि टायर-2 और टायर-3 सिटीज़ तक भी एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं। यह उसकी इकॉनमिक्स वायबिलिटी देखने के बाद ही हो सकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की कद्र करते हुए इसे आदरणीय वरिष्ठ मंत्री जी के साथ विचार करूंगा। चंद्रधारी म्युजियम के बारे अभी कोई प्रस्ताव वर्तमान में इस योजना के अंदर प्रस्तावित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव पर अगली बैठक के अंदर इस प्रस्ताव पर विचार करूंगा।

श्रीमती कमला पाटले : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार देश में पर्यटन के बहुआयामी क्षेत्र, विशेषकर छत्तीसगढ़ स्थित एकमात्र एवं दुर्लभ क्रोकोडायल पार्क कोटमी सोनार के लिए, पर्यटन और संरचना विकास में निवेश हेतु कोई विशेष योजना है एवं देश-विदेश के भीतर प्रदर्शित करने के किसी उपाय पर विचार करेगी?

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, आदरणीय सदस्या ने छत्तीसगढ़ के विषय में जो विचार मेरे संज्ञान में लाया है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रोजेक्ट हमारे सामने है, गिरौधपुरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, छत्तीसगढ़ डेस्टिनेशन सर्किट है और एक कनवेंशन सेंटर रायपुर में बनाने की योजना है जो क्रमशः लगभग 4 करोड़ 40 लाख रूपये और पांच करोड़ रूपये की योजनाएं हैं। मैं माननीय सदस्या के प्रस्ताव पर विचार करूंगा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, पर्यटन देश के विकास और प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वयं जब मंत्री जी ने कहा है कि 6-7 करोड़ लोगों को रोज़गार के अवसर इस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, तो मुझे आश्चर्य और खेद है कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि पर्यटन का प्रमोशन प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। यह बड़े खेद का विषय है। उसी के साथ उन्होंने उत्तर में यह कहा है कि सन् 2013-14 और 2014-15 के हमारे पास रोजगार के आंकड़े ही नहीं हैं। सरकार के सूचना तंत्र का क्या हाल है कि दो साल पहले के आंकड़े भी सभा में हम पेश नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ मैं प्रश्न में पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने जो टूरिस्ट

वीज़ा ऑन अराइवल की स्कीम की घोषणा की थी, उसके आधार पर बड़ी असमंजस्य की स्थिति है क्योंकि पर्यटक विदेश से देश में आते हैं तो वे समझते हैं कि उनको वीज़ा मिल चुका है। एयरपोर्ट में दो-तीन दिन उनको रहना पड़ता है और किसी को तो वहीं से वापस भेजा जाता है। इस स्कीम में या तो आप पहले ही वीज़ा दिलवाइए या फिर इस स्कीम का नामंत्रण बदल दीजिए और कह दीजिए ई-वीज़ा, यह नहीं कि टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल तो लोगों को मिलता नहीं है। इसी के साथ वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो देश में आती हैं, वे केवल दो-तीन शहरों में आती हैं। पर्यटकों को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बैंगलोर में रात बितानी पड़ती है तथा बेकार में पैसा खर्च करना पड़ता है। हम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स को डायरेक्ट टूरिस्ट स्पॉट्स में कनेक्टिविटी क्यों नहीं दे पाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी हम चाहते हैं, ताकि पूरे देश में पर्यटन की वृद्धि भी हो। क्या इसका मूल्यांकन सरकार करने वाली है? पर्यटन के क्षेत्र को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए और यह ई-वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल की असमंजस की स्थिति से पूरी तरह से निजात देने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाने वाली है?

डॉ. महेश शर्मा : महोदया, आदरणीय सदस्य ने एक प्रश्न किया है सन् 2012-13 तक के आंकड़े हमारे पास हैं, जिसमें लगभग 66.96 मिलियन का रोज़गार टूरिज्म के द्वारा था। मैं इसका तरीका बता दूं कि टूरिस्ट सैटेलाईट अकाउंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। इन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सन् 2010-11, 2011-12, और 2012-13 के आंकड़े हमारे सामने हैं कि क्रमशः 57.94 मिलियन, 62.04 और 66.96 मिलियन का रोज़गार टूरिज्म के द्वारा था। अन्य आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। मैं सभा को बता दूं कि जैसे ही वे आंकड़े हमें प्राप्त हो जाएंगे, उनकी घोषणा उनके सामने करेंगे।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या सरकार के पास कोई सूचना तंत्र नहीं है कि पब्लिकली कितने पर्यटक आते हैं?...(व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा : यह सरकार का सूचना माध्यम ही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इधर उत्तर दीजिए।

... (व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा : दूसरा, मैं बता दूँ कि विपक्ष की सूचना के अनुसार जो विसंगति वीजा ऑन अराइवल की पाई गई थी, आज से सात दिन पहले, उस योजना का नाम ई-टूरिस्ट वीजा घोषित कर दिया गया है। अब वह वीजा ऑन अराइवल नहीं है, उसमें कुछ विसंगतियां थीं।

तीसरा विषय जो आदरणीय सदस्य ने उठाया है, [अनुवाद] अंतिम गंतव्य स्थल पर टियर 2 या टियर 2 शहर में कनेक्टिविटी के बारे में, मुझे लगता है, वह समझेंगे कि यह संभव नहीं है, लेकिन हमने ई2ई पर्यटन (एंड टू एंड टूरिज्म) की एक योजना प्रदान की है, जिसने बौद्ध सर्किट में प्रगति शुरू कर दी है। हम सभी पर्यटकों को गंतव्य स्थान पर ले जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि - [हिन्दी] कि वह वहाँ से अपने गंतव्य स्थान तक चाहे रेल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जाएं और जिसके विषय में पर्यटन मंत्रालय ने एक विशेष योजना, हमारी जो तीन स्ट्रेंग्थ टूरिज्म की हैं, स्वच्छता, सुरक्षा और हॉस्पिटैलिटी। स्वच्छता को हमने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता आभियान से जोड़ा है। सुरक्षा के लिए एक इन्ग्रेडिबल इंडिया हेल्प लाइन 1363 है, जो अभी दो भाषाओं में है और इसके बाद वह 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी, यह चालू हो गई है। इमीग्रेशन काउंटर पर अगर आप जाएंगे तो आपको एक ''वेलकम टू इंडिया टिप्स फॉर टूरिस्ट'' शीर्षक वाला बुकलेट मिलेगा, जिसमें डूज एंड डोन्ट्स होंगे और एक स्वागत कार्ड भी आपको मिलेगा। आदरणीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, इसमें हमारी चिंता है, लेकिन मैंने विषय की सूचना देते हुए कि यह विषय हमारे स्ट्रक्चर के अनुसार राज्यों का है, लेकिन फिर भी भारत सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी से, संजीदगी से इसे कर रही है। मैं कहूँगा कि अगर सबसे बड़ा एंबेसडर इस वक्त पर्यटन के लिए, देश के लिए कोई एक व्यक्ति है, तो वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीयता का पर्यटन की दृष्टि से जो परसेप्शन है, वह बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुल्तान अहमद जी, क्या आप प्रश्न पूछना चाहेंगे?

... (व्यवधान)

श्री सुल्तान अहमद : मैडम, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : रिकार्ड में बाकी कुछ नहीं जा रहा है, केवल सुल्तान अहमद जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

(व्यवधान) ... *

माननीय अध्यक्ष : जितनी भी क्रॉस टाकिंग होती हैं, वे रिकार्ड में नहीं जाएंगी।

*(व्यवधान) ... **

श्री सुल्तान अहमद : मैडम, माननीय मंत्री ने आँकड़े दिए हैं, वर्ष 2012-13 और 2013-14 में विभिन्न राज्यों को उन्होंने ग्रांट इन ऐड दिया है, लेकिन वर्ष 2012-13, 2013-14 इन दोनों वर्षों में वेस्ट बंगाल को एक रूपए का भी ग्रांट नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2015-16 में उन्होंने कोई बजटरी ग्रांट रखा है, इसलिए कि बंगाल हमारे देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक स्थान रखता है। वहाँ दार्जिलिंग है, द्वार्स है, बीच है, सुन्दर वन है, सेवन वंडर्स ऑफ दी वर्ल्ड में इसका शुमार हो गया है। बंगाल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि लास्ट ईयर भी आपने कुछ नहीं दिया, इससे पहले यूपीए-टू में भी कुछ नहीं मिला। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस साल कुछ बंगाल को देने का विचार है?

माननीय अध्यक्ष : आप सिर्फ प्रश्न पूछिए। मंत्री जी, बंगाल को कुछ दिया है तो बताइए।

डॉ. महेश शर्मा : मंत्रालय के लिए सभी राज्य बराबर हैं। इसकी एक प्रक्रिया है कि सभी राज्यों से विभिन्न पर्यटक सर्किटों के लिए, पर्यटक योजनाओं के लिए डीपीआर आमंत्रित की जाती हैं और जब वे

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डीपीआर प्राप्त होती हैं, कई बार कुछ राज्यों से डीपीआर प्राप्त नहीं होती हैं। वर्ष 2012-13 में वेस्ट बंगाल को एक सर्किट और दो उत्सवों के माध्यम से 46.94 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई थी। वर्ष 2013-14 में कोई भी डीपीआर हमारे पास प्रस्तावित नहीं है या उचित नहीं समझी गई। अगर माननीय सांसद के पास कोई ऐसी योजना प्रदेश सरकार की तरफ से हो तो उसे वे हमारे संज्ञान में लाएं।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल मीणा : महोदया, मैं सबसे पहले तो मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, वह टूरिज्म का हब है और जो देश में पर्यटक आते हैं, वे राजस्थान जरूर आते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहता हूँ कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित जो मानगढ़ धाम है, जहाँ 17 नवंबर, 1913 को गोविन्द गुरू के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई हुई, जहाँ जलियाँवाला बाग से भी ज्यादा जघन्य हत्याकांड हुआ था जिसमें 1500 आदिवासी शहीद हुए थे, जहाँ गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से बागीचा और गार्डन का निर्माण कराया और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्य मंत्री जी वसुंधरा राजे जी ने भी इस बजट में प्रावधान किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस स्मारक मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक में जोड़ने का विचार सरकार रखती है?

डॉ. महेश शर्मा : जो प्रश्नगत सवाल है, इसमें जो विषय सांसद जी द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं प्रदेश सरकार के माध्यम से इसको अपनी बैठक में निश्चित करूँगा। वैसे पर्यटन मंत्रालय डैज़र्ट सर्किट के नाम से एक योजना शुरू करने जा रही है जो राजस्थान के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वैस्ट बंगाल के साथियों के लिए भी मैं बता दूँ कि कोस्टल सर्किट और हिमालयन सर्किट के माध्यम से भारत सरकार की 200 करोड़ रुपये की जो योजनाएँ हैं, उनका फायदा वैस्ट बंगाल को भी मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन: माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक पर्यटन का सवाल है, केरल को भगवान का अपना देश माना जाता है। कई माननीय सदस्यों और मंत्रियों ने भी केरल का दौरा किया है, विशेषकर केरल के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का। लेकिन साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में पर्यटन विकास के लिए स्वीकृत परियोजनाओं और आवंटित राशि का ब्यौरा दिया गया है।

जहां तक केरल राज्य का प्रश्न है, वहां वर्ष 2012-13 और 2013-14 में परियोजनाएं स्वीकृत की गयी थीं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि वर्ष 2014-15 में केरल के लिए कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। केरल में पर्यटन के विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं और जहां तक पर्यटन का सवाल है, केरल न केवल राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसे दुनिया के सर्वोत्तम पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि केरल को कोई भी परियोजना स्वीकृत न करने का क्या कारण है।

[हिन्दी]

डॉ. महेश शर्मा : केरल राज्य के पर्यटन महत्व को मंत्रालय अहमियत देता है। 2013 में केरल के लिए 10 प्रोजैक्ट्स के माध्यम से 40 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि से अवमुक्त किए थे। 2014-15 में जो सर्किट हमारे सामने लाए गए थे, उसके बावजूद भी जैसा मैंने बताया, भारत सरकार द्वारा कोस्टल सर्किट का सौ करोड़ रुपये किया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इधर देखिये। ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये जाते।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: वह उत्तर दे रहे हैं। उन्हें अपनी बात पूर्ण करने दीजिए। कृपया उन्हें परेशान न करें।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. महेश शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह विषय है कि जब प्रोजैक्ट्स हमारे पास आते हैं, डीपीआर आती हैं, हमारी प्रायारिटाइज़ेशन मीटिंग्ज़ में बैठकर यह तय किया जाता है कि जो धनराशि हमारे पास

होती है, उसको हम किस तरह किन-किन प्रदेशों में दे सकें, यह प्रायारिटाइज़ेशन मीटिंग्ज़ में तय किया जाता है। कई बार समय पर डीपीआर नहीं आ पाती हैं, कई बार वह डीपीआर या प्रोजैक्ट्स वायेबल नहीं होते हैं या उनकी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर पाते हैं। उनके आधिकारी भी आते हैं, उनके मंत्री भी आते हैं और उनके साथ बैठकर ही ये प्रायारिटाइज़ेशन मीटिंग्ज़ तय होती हैं। इस विषय पर पूरा देश हमारे सामने है, मंत्रालय के सामने है और विभिन्न राज्यों को इसकी उपलब्धता, डीपीआर और उनकी उपयोगिता के अनुसार राशि अवमुक्त की जाती है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया इस तरह परेशान न करें। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी राज्यों को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही हूँ।

श्री के.परसुरमन।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बाद में मिल लीजिए केरल के संदर्भ में।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. परसुरमन: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जहां तक तमिलनाडु में मेरे निर्वाचन क्षेत्र तंजावूर का प्रश्न है, इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहां प्रथम शताब्दी के दौरान निर्मित अनेक धार्मिक स्थल और मंदिर हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना

चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार के पास तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित नौ दिव्य मंदिरों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई योजना है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्या तंजावूर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ है, वह बताएँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तो सभी जानना चाहेंगे। उस पर डिसकशन मांग लेना।

... (व्यवधान)

डॉ. महेश शर्मा : मैं बता दूँ कि वर्तमान में तंजावूर डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रपोज़ल हमारे सामने नहीं है। एक सूचना मैं अपने केरल के दोस्तों को और दे दूं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : वेणुगोपाल जी, यह तरीका ठीक नहीं है। इस तरह से जवाब मत दीजिये।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. महेश शर्मा: माननीया, तंजावूर डिस्ट्रिक्ट का प्रपोजल अभी आया है। केरल के लिए मैं बता दूं कि यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें दिसम्बर में प्राप्त हुआ है। वे अपनी प्रदेश सरकारों से पूछें कि यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट वे समय पर क्यों नहीं दे पाये।

[अनुवाद]

श्री कीर्ति वर्धन सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, जुलाई 2014 में, सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध क्षेत्र के समग्र पर्यटन विकास के लिए एक कार्यनीति शुरू की थी। मैं आपका ध्यान श्रावस्ती की

ओर आकर्षित करना चाहूंगा जो इस सर्किट का एक अभिन्न अंग है। यह बलरामपुर जिले में और उत्तर प्रदेश के एक बहुत पिछड़े क्षेत्र में भी स्थित है। श्रावस्ती वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्ष उपदेश देते हुए बिताए थे। डाकू अंगुलिमाल की प्रसिद्ध घटना भी यहां हुई थी। हर साल दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, जापान, श्रीलंका से हजारों पर्यटक श्रावस्ती आते हैं। लेकिन उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि वाराणसी और लखनऊ के निकटतम हवाई अड्डे आठ से दस घंटे की दूरी पर हैं और उन्हें इन बहुत खराब सड़कों पर बस से यात्रा करनी पड़ती है। श्रावस्ती में पहले से ही एक हवाई पट्टी स्थित है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बौद्ध सर्किट के समग्र पर्यटन विकास की रणनीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार में इस क्षेत्र के लिए बजट आवंटन क्या है। विशेष रूप से, क्या श्रावस्ती में हवाई पट्टी को हवाई अड्डे में उन्नत करने की कोई योजना है? बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. महेश शर्मा: माननीय सांसद ने बुद्धिस्ट सर्किट पर जो चिन्ता जाहिर की है, भारत सरकार ने इस बार स्वदेश दर्शन योजना में बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से 120 करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त की है और जो आठ में से सात स्थान हमारे पास हैं, उनमें से तीन बिहार में और चार उत्तर प्रदेश में हैं। उसमें श्रावस्ती भी है और मैं माननीय सांसद को अवगत कराना चाहूंगा कि सातों विषयों पर बिहार और उत्तर प्रदेश को खास तौर पर बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने की जो भारत सरकार की योजना है, मिनिस्ट्री इनीशिएटिव में इंटरनेशनल फाइनेंस डिवीजन के साथ भी उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के साथ एक समझौता हुआ है, जिसका प्रथम चरण पूरा हो गया है। लेकिन एयरपोर्ट का विषय अभी हमारे पास विचाराधीन नहीं है, यह मैं माननीय सांसद को अवगत करा रहा हूं। बुद्धिस्ट सर्किट के माध्यम से श्रावस्ती के विकास के लिए भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय प्रतिबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 463

श्री धर्मेन्द्र यादव - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद] श्री आनंदराव अडसुल।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आप पहले क्वश्चन नम्बर बताइये, क्योंकि, धर्मेन्द्र जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री आनंदराव अडसुल: प्रश्न 463**माननीय अध्यक्ष:** अब प्रश्न पूछिये। आपको दो प्रश्न पूछने का आधिकार मिल गया।

(प्रश्न संख्या 463)

[अनुवाद]

श्री आनंदराव अडसुल : महोदया, आजकल जम्मू और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोलकाता तक भारतीय रेलवे का एक अच्छा नेटवर्क है। भारतीय रेलवे भारतीय लोगों की जीवन रेखा और हेल्पलाइन है। यात्री परिवहन और माल परिवहन सबसे सुरक्षित और सस्ता है। लेकिन आजकल इसमें बेमेल स्थिति है।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा, भारतीय रेल भारतीय लोगों के लिए नेटवर्क है, जब तक कि किराया आम लोगों के लिए वहनीय न हो। लेकिन आजकल यात्री शुल्क और माल शुल्क में इस बेमेल के लिए एक नया नियामक प्राधिकरण होना आवश्यक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने वर्ष 2015-16 के बजट में इसके लिए विनियामक तंत्र की घोषणा की

है। लेकिन, क्या यह सड़क परिवहन और जल परिवहन के मामले में प्रतिस्पर्धी होगा? इससे रेलवे को अच्छी आमदनी होगी। यह आम लोगों के लिए भी सस्ता होगा।

श्री सुरेश प्रभु: महोदया, यह बिल्कुल सच है कि रेलवे का किराया और मालभाड़ा का ढांचा मूलतः यात्रियों के पक्ष में है। हम मालभाड़े में थोड़ा अधिक शुल्क लेते हैं। यह अधिक भाड़ा यात्रियों को कम दर पर यात्रा करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। इसलिए, ऐसा करने के लिए, जो लोग वास्तव में अपना सामान रेलगाड़ी से भेजते हैं, उन्हें थोड़ा अधिक भुगतान करना होगा। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि किराये कमोबेश एक जैसे ही रहे हैं तथा माल ढुलाई शुल्क में काफी वृद्धि हुई है। यह हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास यह निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही तर्कसंगत ढांचा हो कि किसे कितना भुगतान करना चाहिए। इसी कारण से, जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था, हमने पहले ही एक उचित संरचना और लागत संरचना तैयार करने के लिए एक नियामक ढांचा नियुक्त करने का निर्णय लिया है। जब हम यह तय करना चाहते हैं कि माल ढुलाई और किराया कितना होना चाहिए, तो हमारे पास यह तय करने के लिए एक उचित ढांचा होना चाहिए कि इन दोनों में से प्रत्येक पर कितना खर्च आएगा। इसलिए, हमने पहले ही ऐसा करने का निर्णय ले लिया है। हम पहले से ही इस बात पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में हैं कि हमें इस पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगढ़िया जी ही हैं जो हमें इसके लिए रूपरेखा सुझा रहे हैं और हम इसे क्रियान्वित करेंगे।

आपने जो बात कही है कि क्या इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह क्रॉस-सब्सिडी इस दुनिया में असामान्य नहीं है। चीन, रूस, अमेरिका और जापान जैसे देशों ने यात्रियों से थोड़ा अधिक किराया वसूला है तथा मालभाड़े पर भी सब्सिडी दी है। भारत में, स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हम वास्तव में माल ढुलाई पर थोड़ा अधिक शुल्क लगाते हैं और यात्रियों के किराए

पर अतिरिक्त सब्सिडी देते हैं। यह क्रॉस सब्सिडी असामान्य नहीं है। भारत में यह एक अनोखी बात है कि हम यात्रियों से जितना किराया लेते हैं, उससे थोड़ा अधिक मालभाड़ा लेते हैं।

वस्तुतः, बिजली क्षेत्र में भी यही स्थिति है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। वह जानते हैं कि इस क्षेत्र में भी क्रॉस सब्सिडी दी गई है। मैं सोचता हूं कि हमें इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सभा मुझ से सहमत होगी कि ऐसा करने के लिए हमारे पास अत्यंत पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए। यह हमारे अतीत की विरासत है। हम कई वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसी प्रणाली अपनाएं जो यात्रियों के साथ-साथ मालवाहक ऑपरेटरों, दोनों के लिए उचित हो। लेकिन माल ढुलाई पर बहुत अधिक धन खर्च करने से अधिक निवेश हतोत्साहित होता है और व्यवसाय की लागत बढ़ जाती है। यह अधिक रोज़गार पैदा करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, हमारे पास एक पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए।

श्री आनंदराव अडसुल: महोदया, मैं किसी न किसी रूप में माननीय मंत्री जी से सहमत हूं, लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है। भारतीय रेलवे लंबे समय से घाटे में चल रही संस्था रही है। आजकल, सड़क परिवहन और शिपिंग जैसे अन्य परिवहन साधन भी सामने आ रहे हैं। इसलिए रेलवे को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए। हमें अपने प्राधिकारियों को इस प्रकार विनियमित करना होगा कि वे माल ढुलाई का वहन करने योग्य शुल्क वसूलें जो आम लोगों के लिए वहनीय हो।

श्री सुरेश प्रभु: महोदया, आज पूरी कवायद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को लाभ मिले। वे परिवहन की वास्तविक लागत से कहीं कम भुगतान कर रहे हैं। वास्तव में, जो लोग सबसे कम किराया देते हैं, वे वे लोग हैं जो इकॉनमी क्लास में यात्रा करते हैं, न कि उच्च श्रेणी के यात्री। प्रथम श्रेणी के यात्रियों के लिए बहुत कम सब्सिडी है। तो, यह पहले ही किया जा चुका है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह घटित हो, संबंधित प्राधिकारी निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्य ने परिवहन क्षेत्र के बारे में बताया है, यह वास्तव में चिंताजनक है कि परिवहन क्षेत्र के संदर्भ में देश में किए गए निवेश में रेलवे का कुल हिस्सा पिछले कुछ वर्षों में नाटकीय रूप से कम हो गया है। वर्ष 1950 में, माल ढुलाई का हिस्सा 89 प्रतिशत था। यह कुल परिवहन में 36 प्रतिशत तक आ गया है क्योंकि अधिक माल ढुलाई को संभालने का कोई तरीका नहीं है। इसका टैरिफ से कोई संबंध नहीं है। रेलवे में इसे संभालने की क्षमता है। वर्ष 1950 में, माल ढुलाई में 15 गुना वृद्धि हुई थी। यात्रियों की संख्या में 15.7 गुना की वृद्धि हुई जबकि रूट किलोमीटर को केवल 1.23 गुना बढ़ाया गया। बस कल्पना करें, रेलवे में निवेश केवल 1.23 गुना अधिक था, जबकि यात्रियों की संख्या और माल की मात्रा जो हम संभालते हैं, वह 15 से 16 गुना हो गई थी। हम इसका प्रबंधन कैसे करेंगे? इसलिए, जैसा कि आपने कहा, इसका समाधान निवेश करने में निहित है। इस बजट में अगले पांच वर्षों में रु. 8.5 लाख करोड़ के निवेश की बात कही गई है। इसका मुख्य कारण वहां उत्पन्न भीड़भाड़ को कम करना है। वास्तव में, कुल मार्ग किलोमीटर का 16 प्रतिशत हिस्सा 60 प्रतिशत यातायात को संभालता है। इसलिए, यह ऐसा कार्य है जो अव्यवहारिक और असाध्य है। यही कारण है कि आप जो कह रहे हैं वह सही है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सड़क और समुद्री परिवहन जैसे अन्य परिवहन साधन भी उपलब्ध हों। हम भी प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। वास्तव में, रेलवे को आगे आना चाहिए। इसका एकमात्र समाधान रेलवे में अधिक निवेश में निहित है।

[हिन्दी]

श्री सुधीर गुप्ता: महोदया, रेलवे ने माल भाड़े और माल ढोने के लिए अनेक सुविधायें बढ़ाई हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र मंदसौर है। यहां माल भाड़े के लिए बहुत ट्रेनों का विकास हुआ, मगर यात्री ट्रेनों में कमी आई है। उदयपुर से उज्जैन टूरिस्ट सर्किल भी है। मेरा प्रश्न है कि माल भाड़े की वृद्धि में कहीं यात्री गाड़ियों की कमी तो नहीं हो रही है?

श्री सुरेश प्रभु : मैडम, मालगाड़ी चलती हैं, तो दो-तिहाई आमदनी मालगाड़ी से आती है। इतनी मालगाड़ी चलती हैं, तो हम पैसेंजर ट्रेंस भी चलाते हैं। पैसेंजर ट्रेंस चलाने के लिए, उनको क्रॉस सब्सिडाइज करने के लिए यदि यहां वृद्धि नहीं होगी, तो हम पैसेंजर ट्रेंस चलाने में इतने सफल नहीं हो पाएंगे। आपने कहा कि उदयपुर में दिक्कत है, उसके बारे में हम जरूर देखेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रार्शन हो गया है फ्रेट और फेयर में, इसे भी ठीक करने की आवश्यकता है। सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी है, उसे भी जीवित रखना आवश्यक है, जैसे कि हमारी फ्रेट सर्विस है।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे को अन्य सरकारी विभागों के विपरीत अपने परिचालन व्यय को अपने राजस्व से पूरा करना पड़ता है। इसलिए, क्रॉस सब्सिडी दशकों से बढ़ रही है। माननीय मंत्री जी कई नवाचारों पर काम कर रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या वे सरकार को यह प्रस्ताव दे रहे हैं कि सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए - क्योंकि यह सामाजिक सेवाएं भी प्रदान करता है - केन्द्रीय खजाने से भारी मात्रा में क्रॉस सब्सिडी दी जाए ताकि रेलवे अपना राजस्व बचा सके?

श्री सुरेश प्रभु: महोदया, पुनः यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं माननीय सदस्य की बात को पूरी तरह से समझता हूं। माननीय सदस्य स्वयं रेल मंत्री रह चुके हैं। इसलिए, वह इसे किसी और से बेहतर जानते हैं। इसलिए, हमें रेलवे के लिए गैर-टैरिफ, गैर-किराया आधारित राजस्व का भी पता लगाना होगा। हम विज्ञापन के बारे में सोच रहे हैं। वास्तव में, इस बार, लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम संसाधन जुटाने के अपरंपरागत तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि हमें रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन, इसके साथ ही, हमें समय के साथ माल ढुलाई और किराये के बीच अंतर तय करने के लिए लागत आधारित संरचना भी बनानी होगी और इसके लिए हमारे पास एक प्रणाली भी होनी चाहिए। इस मामले में किसी भी प्रकार की मनमानी से बचने के लिए, हमारे

पास लागत पर आधारित एक स्वतंत्र नियामक प्रणाली होनी चाहिए। तो, यह पुनः मनमाना नहीं होगा, व्यक्तित्व-उन्मुख नहीं होगा। यह एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण प्रणाली होगी। हमें व्यक्तिपरकता से बचना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि यह लागत और निश्चित प्रणाली पर आधारित हो। तभी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।

(प्रश्न संख्या 464)

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने हमें मूल प्रश्न का उत्तर दिया है, जो श्रम विभाग एवं उत्पादन हानि से संबंधित है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने हमें उपलब्ध कराया है, उससे मैं सहमत हूं। जो आंकड़े हैं, वे देश के लिए बड़े चौंकाने वाले हैं। श्रम विवादों एवं हड़तालों की जो स्थिति थी, वर्ष 2013 में विवादों की संख्या 200 थी, जबकि श्रम दिवसों के हानि की संख्या 37,02,094 थी, मजदूरी हानि की संख्या 1,77,84,91,363 थी और उत्पादन में 4,31,35,13,582 की हानि हुई। यह वर्ष 2013 में हानि हुयी है, उसके बाद संख्या में कमी आनी शुरू हो गयी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। हम लोगों की सरकार वर्ष 2014 में बनी है। श्रम विवादों की संख्या 146 हुयी है, शामिल कामगारों की संख्या 10,50,000 है, मजदूरी हानि की संख्या घट कर 1,88,49,61,389 हुयी है, उत्पादन में 2,00,39,71,899 की हानि हुयी है और वर्ष 2015 में विवादों की संख्या घट कर 20 हो गयी है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंजी जो को विशेषरूप से बधाई देना चाहूंगा कि हमें जो विवादों की संख्या 200 विरासत में मिली थी, वह घटकर 20 हो गयी है। जैसा जापान इत्यादि देशों में यह है कि जब वहां पर मजदूर हड़ताल करते हैं तो वे काम बंद नहीं करते हैं बल्कि वे उत्पादन बढ़ा देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह कोई ऐसा प्रावधान लायेंगे जिससे हमारे भी देश में प्रेरणा देकर या किसी कठोर कानून के माध्यम से कि जब वे हड़ताल करें तो उत्पादन की संख्या बढ़ा दें और उनके हड़ताल के समय पारिश्रमिक का जो मूल्य हो, जब वे उत्पादन की संख्या बढ़ा देते हैं, हम उनका कोई विशेष मूल्य निर्धारण करें, क्या ऐसी कोई योजना माननीय मंत्री जी बनायेंगे?

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। मैं उनकी सराहना करता हूं। जो भी उत्तर अपेक्षित था, वह मैंने अपने लिखित उत्तर में दे दिया है।

लेकिन मुद्दा यह है कि भारत में विवादों और निपटान के लिए हमारे पास शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। साथ ही, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि इस अधिनियम में अनेक प्रक्रियाएं शामिल हैं। समिति के अनुसार, कारखानों में ही एक ऐसी व्यवस्था है कि श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों के लिए एक समिति होगी, जहां निवारण प्रणाली होगी।

दूसरा भाग समझौतावादी पद्धति है। किसी भी मोड़ पर, यदि यह असफल हो जाता है, तो यह न्यायाधिकरण, अदालतों या समाधान के लिए जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के अनुसार, हम आगे बढ़ रहे हैं।

महोदया, मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं में परिपक्वता बढ़ी है। अब, ट्रेड यूनियनें भी सही भावना के साथ आगे आ रही हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यह प्रणाली अच्छा काम कर रही है।

उन्होंने जापान के बारे में जो मुद्दा उठाया था, वहां हड़ताल के बावजूद वे उत्पादन जारी रखेंगे। जहां तक किसी संशोधन का सवाल है, किसी कानून को हमारी प्रणाली के दायरे में लाने का सवाल है, मैं यह देखूंगा। हमारा एक त्रिपक्षीय तंत्र है। यदि वहां इस पर सहमति बन जाती है तो हम आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी: माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं संतुष्ट हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक विवाद आधिनियम की संशोधित धारा-20 से कितने औद्योगिक प्रतिष्ठानों

को शिकायत तंत्र का लाभ मिला है और उसको लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जिससे आधिक-से-आधिक कर्मचारी इसका लाभ भी उठा सकें और क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना लायेंगे कि जितने भी श्रमिक विवाद हैं, उनके लिए कोई विशेष अदालत बनाकर उनका आविलंब निस्तारण कर दिया जाये?

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय: यह भी एक नई पहल है, जिसे हमने आगे बढ़ाया है। श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में मैंने पहले ही बताया है।

तो, इसके बारे में भी हम जांच करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री के.एन. रामचन्द्रन - उपस्थित नहीं

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, श्रमिक एवं प्रबंधन के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निपटारे और समाधान के संबंध में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि श्रमिक का काम श्रम करना होता है और प्रबंधन की जिम्मेदारी श्रमिकों के कल्याण के हित में काम करना होती है। जहां इसमें गतिरोध होता है, वहीं टकराव होते हैं और विवाद जन्म लेते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि औद्योगिक विवाद आधिनियम, 1947 बना। उसमें आपने तमाम प्रबंधन किए, लेकिन क्या कोई ऐसा तंत्र बनाएंगे जो श्रमिकों और प्रबंधन के बीच पुल का काम करे ताकि इस तरह की स्थिति निर्मित न होने पाए?

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय: महोदया, मैंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है। इसके बावजूद, मैं उनसे कहता हूं कि एक तंत्र पहले से ही मौजूद है। कई स्तरों पर, इनकी जांच की जाती है। और, यदि कोई कमी है तो वह यह कि कुछ नियम और मानदंड लागू हो गए हैं। फिर हम इसे इसी तंत्र के अंतर्गत ले लेंगे।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

———————

[2]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 465 से 480

अतारांकित प्रश्न संख्या 5291 से 5520)

[2] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.0 ½ बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (श्री कलराज मिश्र) : अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 2334/16/15]

(ख)(एक) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एण्ड दीव एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड, नानी दमन का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 2335/16/15]

(3) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष

(एक) 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 2336/16/15]

(5)(एक) महात्मा गाँधी इंस्टिट्यूट फॉर रूरल इंड्रस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गाँधी इंस्टिट्यूट फॉर रूरल इंड्रस्ट्रियलाइजेशन, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 2337/16/15]

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) : अध्यक्ष महोदया, मैं नेशनल शिड्यूंल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए सं. एल.टी. 2338/16/15]

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) वी. वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी.गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2339/16/15]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वित्तीय प्राक्कलन और कार्यनिष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 2340/16/15]

(4) (एक) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 2341/16/15]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2342/16/15]

(दो) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2343/16/15]

(तीन) बीको कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2344/16/15]

(चार) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2345/16/15]

(पांच) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2346/16/15]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2013-2014 की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक -महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 2347/16/15]

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केरोसीन (उपभोग पर प्रतिबंध तथा अधिकतम मूल्य का नियतन) संशोधन आदेश, 2015, जो 19 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 41(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (केवल हिन्दी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र, जो 13 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 89(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 2348/16/15]

(5) (एक) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 2349/16/15]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2350/16/15]

(2) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए सं. एल.टी. 2351/16/15]

[हिन्दी]

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदया, मैं अपने सहयोगी, श्री विष्णु देव साय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2352/16/15]

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2353/16/15]

(तीन) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2354/16/15]

(चार) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2355/16/15]

(पाँच) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2356/16/15]

(छह) केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2357/16/15]

(सात) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2358/16/15]

(आठ) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2359/16/15]

(नौ) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2360/16/15]

(दस) मेकॉन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2361/16/15]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 423(अ) जो 10 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 31 खनिजों को लघु खनिजों के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए सं. एल.टी. 2362/16/15]

अपराह्न 12.01 बजे

लोक लेखा समिति

14वें से 16वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 2012-13 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 22 पर आधारित "एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम'' विषय पर 14वां प्रतिवेदन।

(2) 2013 के सी एण्ड एजी प्रतिवेदन संख्यांक 12 पर आधारित "रेल वित्त'' विषय पर 15वां प्रतिवेदन।

(3) 'कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008' के बारे में 95वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 12.01 ½ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

10वां तथा 11वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति (सोलहवीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का 10वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का 11वां प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 12.01 ¾ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

छठे से नौवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (सेवानिवृत्त) : महोदया, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'रक्षा मंत्रालय के सिविल व्यय तथा रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (मांग संख्या 21, 22 और 28) पर वर्ष 2015-2016 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(2) 'थल सेना (मांग संख्या 23) पर वर्ष 2015-2016 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

(3) 'नौसेना और वायुसेना (मांग संख्या 24 और 25) पर वर्ष 2015-2016 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

(4) 'आयुध निणियों तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (मांग संख्या 26 और 27) पर वर्ष 2015-2016 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों' के बारे में नौवां प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 12.02 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वर्ष 2015-2016 के लिए विद्युत मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) वर्ष 2015-2016 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में छठा प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 12.03 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी (अनन्तपुर): महोदया, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।
2. उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 12.03 ½ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): महोदया, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) 'गैस के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के 19वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2015-16)' के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 12.04 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

चौथे से छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): महोदया, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।
2. शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।
3. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में छठा प्रतिवेदन।

———————

<u>अपराह्न 12.04 ½ बजे</u>

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति

(एक) तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदया, मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2015-2016)' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) विवरण

श्री हुकुम सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं 'गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की समीक्षा' के बारे में 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा में) अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

अपराह्न 12.05 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

264वें से 266वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 264वां प्रतिवेदन।

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 265वां प्रतिवेदन।

(3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में 266वां प्रतिवेदन।

———————

अपराह्न 12.06 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

254 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का दो सौ चौवनवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 97वें, 159वें और 212वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा में रखता हूं:

(1) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'नए आधुनिक विमानपत्तनों पर विशेष बल देते हुए विमानपत्तन क्षेत्र का विकास' के बारे में समिति के 90वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 97वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित 'बंगलौर और हैदराबाद विमानपत्तनों के बंद किए जाने' के बारे में समिति के 131वें प्रतिवेदन; 'विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण' के बारे में समिति के 141वें प्रतिवेदन और 'निजी विमानपत्तनों का कार्यकरण' के बारे में समिति के 142वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 159 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः संख्या एल.टी(1). 2363/16/15, (2) 2364/16/15 और (3) 236/16/15

(3) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'दार्जिलिंग और सिक्किम में पर्यटन का विकास' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 212 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

———————

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, हम 'शून्यकाल' लेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदया, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

माननीय अध्यक्ष : क्या यह स्टेटमैंट पर है?

श्री मोहम्मद सलीम : यह स्टेटमैंट पर नहीं है। हम यहाँ विभिन्न डिपार्टमैंट्स के बजट कम ग्रांट्स पर डिसकशन करते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज उस पर डिटेल्स में बात करती हैं। लेकिन जब हम चर्चा समाप्त कर रहे हैं, तब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो एक्साइज फ्यूटाइल हो रही है। आप कृपया सब चेयरमन्स को निर्देश दें कि बजट के दूसरे सत्र से पहले ही सब रिपोर्ट्स आ जायें, ताकि सभा और जनता को उसका पता लग जाये।

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन</u>

नेपाल तथा भारत के कई भागों में आए भूकंप के कारण लोगो की मृत्यु होने और भूकंप से हुई क्षति को रोकने के लिए किए गए उपायों के बारे में

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मैं 25 अप्रैल, 2015 को हमारे पड़ोसी देश नेपाल में हुई भयानक मानवीय त्रासदी की ओर सभा का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

मैंने स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल दोनों पर नोटिस दिया है और मुझे इसे पढ़ने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हिमालय में टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण नेपाल में पोखरा के निकट आए भूकंप से उस देश में भारी क्षति हुई है, जिसमें मरने वालों की संख्या 2400 से अधिक हो गई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। इस देश में बड़ी मात्रा में संपत्ति नष्ट हो गई है। यह अच्छा है कि भारत सरकार ने मानवीय सद्भावना के रूप में भारतीय वायु सेना के माध्यम से नेपाल को राहत सामग्री के साथ राहत और बचाव दल भेजे हैं। भूकंप ने भारत को भी प्रभावित किया है जिसमें कम से कम 63 लोगों की मौत हुई है - बिहार में 46, उत्तर प्रदेश में 13 और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में दो-दो और बिहार में 156, उत्तर प्रदेश में 43, पश्चिम बंगाल में 52 और सिक्किम में भी कुछ लोगों की मौत हुई है।

भारत सरकार राहत के लिए राज्यों के संपर्क में है। आपदा राहत के रूप में और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी के लिए उत्तर बंगाल गई हैं, जहां सिलीगुड़ी के पास भूकंप आया था। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेपाल और भारत में राहत कार्यों की निगरानी कर रहा है, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से कितनी धनराशि जारी की गई है।

महोदया, भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक विकास से उनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि भारत में आए भूकंप के बारे में पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, जिसने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके अलावा, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों में बड़ी संख्या में ऊंची इमारतों के साथ-साथ अवैध निर्माण भी हैं। इसलिए, सरकार को यह जांच करनी चाहिए कि क्या ये इमारतें भूकंपरोधी हैं और क्या बड़े शहरों जो भूकंप से अधिक प्रभावित होंगे, में उचित आपदा प्रबंधन दल मौजूद हैं, । नेपाल में गांवों की अपेक्षा काठमांडू और अन्य शहरों में ही अधिकतर लोगों की जान गई है।

मैं एवरेस्ट बेस कैंप में मारे गए लोगों और अभियानकर्ताओं सहित सभी की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूँ कि सभा इस पर विचार करे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री पी.के. बिजू, डॉ. ए. सम्पत, शंकर प्रसाद दत्ता, एम.बी. राजेश और श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदया, एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर पूरा सभा चिंतित है और मैं उस विषय को आपके सामने रखना चाहता हूं। शनिवार को नेपाल में आए विनाशकारी भूकम्प, जिसकी तीव्रता 7.9 बताई जा रही है, इस भूकम्प के कारण मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी करीब 2600 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की और 7000 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल के 80 साल के इतिहास में यह सर्वाधिक भयानक प्राकृतिक आपदा बताई जा रही है। हिमालय में करीब पिछले पचास सालों में आठ ऐसे भूकम्प आए हैं, जिनकी तीव्रता 8 से भी ऊपर थी। यह भूकम्प शनिवार 11.56 बजे आया जिसका केंद्र काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम में स्थित लामजुंग में था। भूकम्प का प्रभाव बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पड़ा तथा राजस्थान के भी कई शहरों में इसका प्रभाव हुआ है। पूर्वी तथा उत्तर भारत में भूकम्प के झटके महसूस किए गए हैं। रविवार सुबह भी भूकम्प के झटके महसूस किए गए। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में 70 से भी आधिक लोगों के मारे जाने की खबर है और इसमें नए आंकड़े सामने नहीं आए हैं, शायद गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी सभा में बताएंगे।

नेपाल में तबाही की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जान-माल को भारी नुकसान हुआ है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि नेपाल और भारत में इस आपदा से प्रभावित लोगों पर क्या बीत रही होगी। हमें गर्व है कि हम इस विपदा की घड़ी में नेपाल के साथ खड़े हैं और सारा देश नेपाल के साथ

खड़ा है क्योंकि वह हमारा पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि हमारी रक्षा के लिए भी नेपाल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्रालय बचाव कार्य में पूरी जी-जान से कोशिश करेगा। भारतीय सेना ने नेपाल में बचाव कार्य के लिए ओपरेशन मैत्री शुरू करने का वायदा किया है, मैं समझता हूं कि शायद वे इस दिशा में काम कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर्स रिस्पोंस फोर्स के हमारे वीर जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस विपदा की घड़ी में हम सब अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और पार्टियों से ऊपर उठकर एकसाथ अपने पड़ोसी देश की तथा भारत में जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनकी मदद करेंगे। किसी एक व्यक्ति द्वारा ही प्रभावित लोगों की मदद नहीं हो सकती है, इसलिए सभी लोगों को अपना-अपना योगदान देना होगा। भारत के वीर जवानों को हौंसला देना होगा और हमें यह भी सोचना होगा कि क्या इस विकास की दौड़ में हमने प्रकृति को ठेस पहुंचाई है, जिसका जवाब हमें इस विनाश द्वारा मिला है। क्या टेक्नोलोजी की दौड़ में हम गलत दिशा में भाग रहे हैं? क्या हम भी मार्डन अर्ली वार्निंग सिस्टम की दिशा में जा रहे हैं। क्या हम पहले से वार्निंग जारी नहीं कर सकते हैं, क्या हम जान-माल की हानि को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते हैं?

[अनुवाद] भारत के मामले में, आपदाओं से मानवीय और आर्थिक नुकसान कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में अधिक हैं। विश्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार, प्राकृतिक आपदाओं से प्रत्यक्ष नुकसान भारत के जी.डी.पी. का 2 प्रतिशत तक है। [हिन्दी] इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, गरीब बच्चे, डिसेबल व्यक्ति और महिलाएँ। [अनुवाद] अक्सर यह कहा जाता है कि भूकम्प नहीं मारते हैं, लेकिन इमारतें मारती हैं। [हिन्दी] मतलब भूकम्प से इतना खतरा नहीं है, जितना हमारे इमारतों से है। इस विषय में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। [अनुवाद] राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा तैयार और वर्ष 2009 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति एक सुरक्षित और आपदा-रोधी भारत के निर्माण के दृष्टिकोण के साथ बनाई गई थी। [हिन्दी] इसमें हमारा विज़न था कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन से बढ़कर भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों, उस पर कार्य किया

जाए। आज हमारे देश को डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की सख्त जरूरत है। राज्य के स्तर पर अभी भी डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथारिटीज का गठन नहीं हो पाया है। बहुत से राज्य अभी तक इस कमेटी को कंस्टिच्यूट नहीं किये हैं। इसकी वजह से इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। कम से कम अब तो सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए और केन्द्र सरकार भी उनको कहे कि इसका गठन जल्द से जल्द करके ऐसी आपदा या इंसीडेंट को रोकने के लिए काम करें।

आखिर में, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भारत नेपाल के साथ खड़ा है। हम सब को एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करना होगा। आपको यह भी मालूम है कि वर्ष 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसमें कम से कम 30,000 लोग मारे गए थे, उसी प्रकार वर्ष 2001 में गुजरात में 30,000 लोग अर्थक्वेक में मारे गए थे और उत्तराखण्ड भी उसी का शिकार हुआ। ऐसे बड़े-बड़े हादसे हमारे यहां हुए हैं, उनका सामना हमने ताकत के साथ करने कोशिश की और भारत की जनता ने भी पूरी ताकत से इसका मुकाबला करने की कोशिश की है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्रालय इस बचाव कार्य में जुटा रहे, किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े और इसमें पैसे की कमी भी महसूस न होने दी जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट भी इसके लिए आगे आए। मुझे सुनने को मिला कि मदद की बहुत सी सामग्री नेपाल को भेजी गयी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में क्या स्थिति है, उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है क्योंकि पेपर में और टीवी चैनल्स पर ज्यादा से ज्यादा न्यूज नेपाल के बारे में आ रही है। यह बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसलिए हम सभी लोग इस विषय पर और इस घटना से निपटने के लिए एक हैं, साथ में हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर रिस्पांड करे कि क्या कदम उठाए गए हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं और राज्यों में कमेटीज अभी तक क्यों फॉर्म नहीं हुई हैं? इनके बारे में बताएं। मैं पूरी तरह से सभा के साथ हूं। हम सभी लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग मर चुके हैं, उनको हम श्रद्धांजलि आर्पित करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: कुमारी सुष्मिता देव, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री निशिकान्त दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री शरद त्रिपाठी, श्री गणेश सिंह, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रामचरण बोहरा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राहुल कस्वां, श्री अरविंद सावंत, श्रीमती रीती पाठक, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, श्रीमती संतोष अहलावत एवं डॉ. वीरेन्द्र कुमार को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, मुझे एक मिनट बोलने का समय दीजिए। एक मिनट से ज्यादा हो तो मुझे रोक दें।

अध्यक्ष जी, हम सभी लोग दुखी हैं। जब ऐसी आपदा आई तो हम लोगों ने भी सहयोग किया। आज हम लोग भी तय करें, जो आप बताएं या सरकार बताए, हम जितने लोक सभा सदस्य हैं, वे अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दें, जिससे पूरे हिन्दुस्तान की जनता इस मामले में एक साथ खड़ी हो जाए। मेरा प्रस्ताव है, नेपाल की जनता के लिए मैं अपनी एक महीने की तनख्वाह भेज ही दूंगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, देश के विभिन्न भागों में खासकर, बिहार, उत्तर प्रदेश में एवं पड़ोसी देश नेपाल में भयानक त्रासदी आई है। विनाशकारी भूकम्प ने दुखदायी कहर ढाने का काम किया। माननीय गृह मंत्री जी ने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के साथ मौका का दौरा किया और स्थिति का स्वयं मूल्यांकन भी किया। सबसे पहले मैं बिहार, उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों और नेपाल के हमारे जो भाई भूकम्प में मारे गए हैं, उनके प्रति संवेदन व्यक्त करता हूं। वर्ष 1934 के बाद यह सबसे बड़ा भूकम्प आया और आंसुओं का सैलाब छोड़ गया। बिहार का कोई भी इलाका नहीं छूटा, चाहे सीमांचल हो, पूर्वांचल हो, मिथिलांचल हो या कोसी का इलाका हो, चारों तरफ कई मौतें हुई, जानें गईं,

लोग घायल हुए। 25 और 26 तारीख को लोग रात-रात भर घरों से बाहर पड़े रहे। गांधी मैदान में हजारों लोग अपने बाल-बच्चे लेकर पड़े रहे, चारों तरफ दुखदायी स्थिति बनी रही।

अध्यक्ष महोदया, इसके साथ-साथ, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, एवं दिल्ली में भारी तबाही, बर्बादी एवं जान-माल की हानि हुई और सबके आशियाने उजड़ गए। प्रकृति का भयानक खेल हुआ। इस संकट की घड़ी में पूरा राष्ट्र एक है। हम सभी लोग दल और पार्टी से ऊपर उठकर ऐसे विनाशकारी भूकम्प से जो तबाही देश में हुई है, खासकर बिहार और नेपाल में हुई है, उसका सामना करने के लिए साथ हैं और पड़ोसी राज्य को मदद भी कर रहे हैं। हमारे कितने ही पर्वतारोही और विदेशी पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। आज की तारीख में मानवता यही कहती है कि ऐसे मौके पर हमें एक होकर पूरी मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें किसी भी प्रकार की कोई अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल मोबाइल से लोगों को ऐसा संदेश मिला कि रात को 12 बजे या एक बजे फिर से भूकम्प आएगा। इसलिए ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भूकम्प से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए बिहार के मुख्य मंत्री ने राशि दी है और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी सात-सात लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। हम गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। बिहार में इस त्रासदी से भयंकर संकट पैदा हुआ है, लोग परेशान हुए हैं इसलिए उसे विशेष पैकेज दिया जाए। कई हजार लोग बिहार के आज भी नेपाल में फंसे हुए हैं। हम मांग करेंगे कि पीड़ितों को 25-25 लाख रुपए की मदद दी जाए और जिनके घर तबाह हो गए हैं, उन्हें पुनर्निर्माण के लिए बिना ब्याज के ऋण की सुविधा मुहैया कराई जाए। ऐसे समय में सब मिलकर तत्परता से राहत कार्य चलाएं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को भी सलाह दें कि पहले से ही भूकम्प आने की जानकारी मिल सके, इसके लिए वे प्रयास करें। ऐसे वक्त में जहां हम पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, वहीं इस विनाशकारी आपदा से नेपाल, बिहार और देश के अन्य भागों में जो बर्बादी हुई है, उससे लोगों को बचाने के लिए एक होकर राहत कार्य चलाएं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए, क्योंकि मेरा संसदीय क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगता है।

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्षा जी, मैं आसन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख को जो तबाही, बर्बादी और विनाश का मंजर नेपाल में तथा भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भूकम्प से उपस्थित हुआ, वह काफी वेदना से, दहशत से और आतंक से भरा हुआ है। उस समय सर्वत्र अंधेरा छाया हुआ था, उस अंधेरे में प्रकृति की चुनौती ने इस क्षेत्र को दहशत और आतंक में डुबो दिया और मानव सम्पदा को भीषण नुकसान पहुंचाया। ऐसे समय में विश्वास का, आस्था का और सहायता का दीप जिसने जलाया, जिस व्यक्तित्व ने इस दहशत में खड़े होकर इस पीड़ा का शमन करने के लिए कदम उठाया, वह हमारे देश में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में निश्चित रूप से प्रशंसा से भरा हुआ है। वह व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हैं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति सीमा नहीं जानती, जाति नहीं जानती, रंगभेद नहीं जानती, मानव-मानव में कोई रागद्वेष नहीं करती। आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने जिस ढंग से नेपाल में, यमन में, बिहार में और देश के दूसरे राज्यों में प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने का कदम उठाया है, निश्चित रूप से यह एक नई संस्कृति पैदा हुई है, एक नया दर्शन पैदा हुआ है, एक नई राजनीति की रूपरेखा निधाररित हुई है, मैं इस बात को कह सकता हूं। न जाने कितनी बार हमारी आलोचनाएं हुई हैं। न जाने कितनी बार हम पर अंगुलियां उठी हैं। हमने खुदा को नहीं देखा, लेकिन प्रकृति की तासीर में हमने खुदा को जरूर देखा है। अगर खुदा प्रकृति की लीला है, अगर खुदा प्रकृति की प्रतिभा है और प्रकृति अगर स्वयं तबाही करना चाहती है तो उस लीला में, उस तबाही में एक व्यक्ति उसका मुकाबला करने के लिए पूरे प्रशासनिक यंत्र और सम्पूर्ण जनमानस को उठा करके वह इस पीड़ा की घड़ी में उपस्थित है।

अध्यक्षा जी, वर्तमान बड़ा दहशत भरा है। हम आतंक में हैं। आज स्वयं प्राकृतिक संरचना ध्वस्त होने की स्थिति में है। वर्तमान जब दहशत से भरा है तो भविष्य भी कोई सुनहरा नहीं दिखता है। भविष्य

भी हमें दुखदायी लगता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से और सम्पूर्ण सभा से आग्रह करना चाहते हैं कि दहशतभरे वर्तमान को मिलजुलकर समाप्त करें, लोगों में विश्वास लाएं कि सम्पूर्ण मानव जाति एक है, सम्पूर्ण मानव जाति एक सामाजिक संस्कृति का अंग है और हम उसमें विश्वास करते हुए वर्तमान की पीड़ा को सहलाएं। भविष्य में यह दहशत न हो, भविष्य में यह आतंक न हो, भविष्य में यह वेदना न हो, इसके लिए जो भी तकनीक हैं, जो भी वैज्ञानिक उपादान हैं, जो भी विज्ञान है, उसे लाकर के हम भविष्य को सुरक्षित करें, भविष्य की सम्पदा को सुरक्षित करें और सम्पूर्ण मानव जाति की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, देश की सीमाओं को तोड़ा है, जाति को तोड़ा है, देश की सीमाओं को छोड़ा-तोड़ा है, हम ऐसी संस्कृति का समादर करें। उसके माध्यम से प्रधानमंत्री के कीर्तिमान को और उनके द्वारा उठाए गए कदम को और सम्पूर्ण सभा को एक स्वर से और एक साथ होकर उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी ए.आई.डी.एम.के. की ओर से तथा अपनी ओर से भी सभा के साथ मिलकर नेपाल में आए भीषण भूकंप से हुई दुखद मृत्यु तथा विनाश पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। यह त्रासदी भूकंप के बाद आए झटकों तथा नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण और भी जटिल हो गई है, जिससे वहां चल रहे बचाव कार्य में बाधा आ रही है। इस त्रासदी ने पहले ही नेपाल में 3,200, एवरेस्ट बेस कैंप में 25 लाख और बिहार और भारत के अन्य राज्यों में 20 से अधिक लोगों की जान ले ली है। हम जन हानि पर शोक व्यक्त करते हैं। यह शांतिप्रिय देश नेपाल पर बहुत बड़ा कहर है।। संकट की इस घड़ी में, हम सभी नेपाल के फंसे हुए लोगों को समर्थन देने में हाथ मिलाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार राष्ट्र को पूर्ण सहयोग प्रदान करे। भारत सरकार को राहत और बचाव के प्रयास करने चाहिए और नेपाल के लोगों को भोजन और दवाएं भी भेजनी चाहिए।

अपनी ओर से, तमिलनाडु की सरकार भी नेपाल और भारत के दुःखी-पीड़ित लोगों के साथ है। यह हर संभव मदद और सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में, इसने पहले ही इस उद्देश्य के लिए नई दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। मैं एक बार फिर नेपाल की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा इस भीषण आपदा के कारण हुई जान-माल की हानि पर शोक व्यक्त करता हूँ।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, हम सभी जानते हैं कि भूकंप की न तो भविष्यवाणी की जा सकती है और न ही उसे रोका जा सकता है। काठमांडू और पोखरा के बीच आए भूकंप का असर अभी भी न केवल नेपाल में बल्कि हमारे देश की उत्तरी सीमाओं में भी महसूस किया जा रहा है। टेक्टोनिक प्लेटें जो समय-समय पर शिफ्ट होती हैं, हिमालयन पठार के तहत बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनती हैं। मैं कहूंगा कि यह न केवल नेपाल की त्रासदी है बल्कि यह भारत का भी दुख है। पिछले शनिवार को दोपहर में जब भूकंप आया, तो इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसकी शुरुआती तीव्रता 7.5 थी और बाद में इसे संशोधित करके 7.9 कर दिया गया, जो बहुत ज़्यादा है। अधिक चिंताजनक बात यह है कि भूकंप 9.5 मील की उथली गहराई पर आया था, नेपाल और हमारे देश के कुछ उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में अभी भी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। उत्तर से पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्य भी इसे महसूस कर रहे हैं। लोग संकट में हैं। उन्हें सहायता की जरूरत है। भोजन और दवा दोनों की जरूरत है। मानवीय सहायता की आवश्यकता है।

मैं नेपाल में भारत सरकार की त्वरित और पूर्ण भागीदारी के लिए उसे बधाई देता हूं, और यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ऑपरेशन मैत्री कार्रवाई में है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत सराहनीय कार्य कर रहा है और उसे नेपाली सेना के सहयोग से कार्य करना होगा। पहले ही 72 घंटे बीत चुके हैं।

काठमांडू और पोखरा में जो विनाश हुआ है, उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। ये स्थान सुगम्य हैं। मीडिया वहां मौजूद है। हालाँकि, ग्रामीण नेपाल के बड़े भूभाग प्रभावित हैं, विशेषकर तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्र। मेरा सुझाव है कि भारत को समग्र आपदा प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। हमारी विशेषज्ञता नेपाल को पुनर्निर्माण में मदद करेगी। पहले बचाव, फिर राहत और फिर पुनर्निर्माण होगा।

ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा बीजू जनता दल के अध्यक्ष महोदय ने उस दिन ही दुख व्यक्त किया था तथा केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया था कि ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओ.डी.आर.ए.एफ.) तैयार है, बशर्ते आप उसे नेपाल तथा प्रभावित क्षेत्रों में जाने की अनुमति दें। ओ.डी.आर.ए.एफ. एक प्रशिक्षित बल है। जब चक्रवात ने आंध्र और ओडिशा के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया, तो ओ.डी.आर.ए.एफ. ने सराहनीय कार्य किया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसकी सराहना की।

जैसा कि मैंने कहा, नेपाल की त्रासदी हमारा दुःख है। हम नेपाल के विनाश के बारे में जानते हैं, लेकिन तिब्बत की स्थिति के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसमें कुछ भी सार्वजनिक डोमेन में नहीं है। भारत को ल्हासा और हिमालय के पठार के अन्य भागों में हुए नुकसान को प्रकाश में लाना चाहिए।

मैं भूकंप के समय काठमांडू में अंडर-14 लड़कियों की फुटबॉल टीम को घर वापस लाने के लिए सरकार, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इनमें से पांच लड़कियां ओडिशा की हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि वे इसलिए बच गए क्योंकि वे मैदान में थे न कि उस होटल के अंदर जहां उन्हें ठहराया गया था। वे प्रशिक्षण में थे। उनके कोच श्रद्धांजलि सामंतरे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था, ओडिशा के रहने वाले हैं। जानकी मुर्मु, इवा पन्ना, बान्या कबीराज, शांति मुर्मु सभी ओडिशा से थे। उस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी लड़कियां 14 वर्ष से कम आयु की थीं। उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किया गया था। हमें यह जानकारी मुंबई से मिली क्योंकि टेलीफोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैं अपना दुख व्यक्त करता हूं और कहना चाहूंगा कि यह वह समय है जब भारत नेपाल के साथ खड़ा है। हमें उन लोगों के साथ भी खड़ा होना चाहिए जो तिब्बत के

ल्हासा में प्रभावित हुए हैं। बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और उत्तर प्रदेश के प्रभावित लोगों सहित अन्य प्रभावित लोगों को आश्रय, दवा और भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। मैं शोक संतप्त लोगों के प्रति अपना दुख और शोक व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदया, नेपाल और भारत के कई अन्य प्रदेशों मे जिस तरह से भूकंप का संकट आया और उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई हैं, ऐसे मृतकों के प्रति श्रंद्धांजलि आर्पित करने के लिए शिव सेना पार्टी की तरफ से मैं खड़ा हूँ और साथ-साथ जो गंभीर जख्मी हैं, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना मैं भगवान से करता हूँ। महोदया, नेपाल में जैसी प्राकृतिक आपदा आई है, वही ही आपदा इसके पहले महाराष्ट्र के लातूर में आई थी, गुजरात के भुज में आई थी ऐसी भयंकर आपदा के परिणाम से कई हजार लोगों की जान इस प्राकृतिक आपदा में जाती है। महोदया, यह स्पष्ट हो चुका है कि निसर्ग ने अपना रूप बदल दिया है। कई संशोधनों के बावजूद आज ही वर्तमान पत्र में प्रसिद्ध हुआ है कि मानव जाति ने कई ऐसे संशोधन किए हैं, कई ऐसे प्रयोग किए हैं कि जिनका दुष्परिणाम निसर्ग के ऊपर हो चुका है। उसी वजह से प्राकृतिक तबाही दिन ब दिन आती रहती हैं। लातूर जैसे इलाके में भूकंप आने से कम से 35 हजार से भी ज्यादा लोग एक रात में जमीन में गढ़ चुके हैं, भुज में भी ऐसा ही हुआ था। ऐसी स्थिति में आज नेपाल के लिए आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नेपाल को आधार देने के लिए, उनको मदद करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक प्रयत्न किया, कोशिश की और नेपाल को एक बड़ा आधार दिया है, उसके लिए मैं पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ-साथ भारत के कई पर्यटक वहां फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने का काम तो हो रहा है, लेकिन आज भी ऐसे मालूम हो रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे, यवतमाल, नासिक और अन्य जिलों के कई पर्यटक आज भी नेपाल में फंसे हुए हैं, उनको हिंदुस्तान में लाने की कोशिश सरकार को गंभीरता से करनी चाहिए और करेंगे। नेपाल और हिंदुस्तान का रिश्ता गहरा है।

नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और हमारी संस्कृति भी एक है, इसी वजह से हिंदुस्तान का परम कर्त्तव्य है कि नेपाल को आज ही नहीं लेकिन भविष्य के लिए भी, जब तक नेपाल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, तब तक भारत का कर्त्तव्य हो सकता है कि भारत को मजबूती के साथ नेपाल के साथ रहना चाहिए। इसीलिए हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय उद्धव ठाकरे जी ने तुरंत ही कहा कि भारत के पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई और नेपाल को एक संरक्षण और आधार देने का काम किया, वह बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए पंत प्रधान जी की सहायता के लिए शिवशेना के सांसदों ने अपने एक माह का वेतन तुरंत पंत प्रधान रिलीफ फंड में जमा कर पंत प्रधान जो काम कर रहे हैं, उसमें सहयोग करें।

अध्यक्ष महोदया, इसी के साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि शिवसेना ने अपना कर्त्तव्य इसके पहले भी निभाया था, जब भुज में भूकंप आया था, तब भी वहां के एक गांव को दत्तक ले कर उसका पूरा निर्माण करने का काम शिवसेना ने किया था। लातूर में भी एक गांव का निर्माण करने का काम शिवसेना ने किया है। ऐसे ही नेपाल में भी मुंबई से और महाराष्ट्र की सरकार ने भी अपनी रेसक्यु टीम तैयार रखी है। मैं इस ओर सभा का और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे कि निसर्ग ने अपना रूप बदल किया है, मुझे डर यह है कि जैसे हमारे रत्नागिरी में जैतापुर में अणुऊर्जा प्रकल्प लाने की कोशिश हो रही है। जैतापुर और रत्नागिरी, ये भी भूकम्प का ग्रेड फोर का एक शहर माना जाता है। इसके पहले भी वहाँ कई भूकम्प आ चुके हैं। रिएक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता तक के भूकम्प वहाँ आए हैं। भविष्य में मुझे यह डर है कि अणुऊर्जा जैसा प्रकल्प अगर जैतापुर में आता है और वहाँ दुर्घटना हुई तो क्या हो सकता है, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में इस भूमि का रक्षण करने के लिए, भूमि के ऊपर रहने वाले सारे लोगों का रक्षण करने के लिए शासन को उसकी रक्षा की भी गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। मैं यह प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : डॉ. रविन्द्र बाबू। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें; हमें दो मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करनी होगी। [हिन्दी] हर एक केवल संवेदना प्रकट कीजिए।

[अनुवाद]

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम): महोदया, आपने यह मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

तेलुगु देशम पार्टी की ओर से हम अचानक हुई मौतों पर सहानुभूति और दुख व्यक्त करते हैं। इस भूकंप में एक मजबूत संदेश छिपा है। हम भूगोल की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं जो भूकंप प्रवण हैं और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण भूकंप आते हैं। ये दो चीजें हैं जो असामान्य रूप से भूकंप उत्पन्न करती हैं, लेकिन हाल की घटना प्रकृति की शक्ति पर मानवीय सीमाओं की एक गंभीर याद दिलाती है। यह हर जगह हो रहा है; शायद मानव गतिविधि के अंधाधुंध विकास के कारण, शायद शहरी विकास के अंधाधुंध विकास के कारण, शायद बहुमंजिला इमारतों के अंधाधुंध विकास के कारण, या ड्रिलिंग कार्यों या खनन कार्यों या जलाशयों के निर्माण के कारण। ऐसी कई गतिविधियाँ हैं जो प्रकृति के विरुद्ध हो सकती हैं। इसलिए, हमें इस भूकंप से बहुत कुछ सीखना होगा।

हमें धरती माता के साथ छेड़छाड़ करते समय बहुत सावधान रहना होगा। हमें धरती माता के साथ बहुत ही सौम्यता से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से व्यवहार करना होगा, विकास के बारे में भावुक हुए बिना और पश्चिमी देशों की नकल करने की पागल दौड़ में शामिल हुए बिना। भारत इस प्रकार के कृत्रिम रूप से प्रेरित भूकंप और कृत्रिम रूप से प्रेरित वैश्विक तापमान वृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें इस तरह के विकास का कड़ा विरोध करना चाहिए। हमें हमेशा धरती माता के साथ सद्भावनापूर्वक रहना चाहिए ताकि धरती माता दयालु हो जाए और आगे कोई भूकंप न आए। हमारा क्षेत्र जहां भूकंप आ

रहे हैं, वह कभी भी भूकंप प्रवण या भूकंपीयता प्रवण नहीं माना जाता है। फिर भी यह असामान्य क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए, यह मेरी सभी माननीय सदस्यों से और सरकार से पुरजोर अपील है।

निःसंदेह, सरकार आपदा प्रबंधन को बहुत तेज, त्वरित और प्रभावी बना रही है। हम आपदाओं का बहुत प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे नेता श्री चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में हुडहुड चक्रवात का प्रबंधन किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। यह वास्तव में अद्भुत था। मुझे लगता है, नेपाल सरकार भी हमारी सरकार की मदद से ऐसा ही कर रही होगी। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। वहीं, तेलुगु देशम पार्टी अचानक हुई मौतों पर एकजुटता और दुख व्यक्त करती है।

आइए हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम शक्तिशाली धरती माता के सामने बहुत छोटे हैं। हमें इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : मैडम, इस तरह की जो आपदा होती है, खासकर जिस तरह से भूचाल आए। आपने जब यहाँ से शोक व्यक्त किया, तो हम सब उससे सम्बद्ध हुए। भूचाल से दरो-दीवार में दरार पड़ती हैं, लेकिन दिलों को जोड़ने का एक मौका होता है। नेपाल परंपरागत रूप से सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं है, वह हमारा मैत्री देश है। इसके साथ-साथ हमारे भारत के भी, जैसे सबने कहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित इसका असर कई और जगहों पर भी देखने को मिला। जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई मुआवजे से नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो 8.1 या 7.9 मैगनीट्यूड का जो कहा जा रहा है कि भूचाल आए हैं, आप देखेंगे कि पिछले 48 घंटों में हर घंटे मौतों की संख्या बढ़ रही है। होम मिनिस्टर जी का ट्वीट भी एक घंटे के अंदर हुआ कि हमारे देश में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उस समय मैंने भी ट्वीट किया कि थोड़ा वक्त देना चाहिए, यह प्री-मैच्योर हो

जाएगा, क्योंकि खबर देर से आती है। अगर देखा जाए तो अभी भी जो अंदरूनी इलाका है, जो पिछड़ा हुआ इलाका है, हमारे दक्षिण एशिया में जैसी स्थिति है, संग-संग खबर नहीं आती है। हालाँकि शहरों में ज्यादा होता है।

अभी सौगत राय जी बोल रहे थे कि गाँवों में कम और शहरों में नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए कि परंपरागत रूप से हमारी जो निर्माण शैली है, वह लोगों को बचा देती है, लेकिन आधुनिक नगरों का हम जो निर्माण कर रहे हैं, वे अर्थक्वेक प्रूफ भी नहीं होते हैं। हम अर्थक्वेक को प्रिवैन्ट भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौत को हम प्रिवैंट कर सकते हैं। हमें इससे सीख लेनी चाहिए। खासकर पूरे हिमालय की गोद में जिस तरह के निर्माण हो रहे हैं, सरकार की तरफ से, राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, हमें यह एहतियात करना चाहिए कि परंपरागत रूप से हमारी जो निर्माण शैली होती थी, उसमें जो इलाकाई सामग्री होती थी, उसके बजाय हम जो आरसीसी वगैरह लगा रहे हैं, उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने इस पर क्विक रिस्पान्स किया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। हमारे लिए मौका है कि हमारे एम. ई.ए. से इसको जोड़ा जाए। दक्षिण एशिया में इतनी बड़ी आपदा के राहत में भारत नेतृत्व दे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों के साथ हम जो जुड़ रहे हैं, उसमें किस तरह से आधुनिक प्रौद्योगिकी और इनफॉर्मेशन टैक्नोलाजी का इस्तेमाल करके हम इसका रीहैबिलिटेशन कर सकें, यह देखना चाहिए। खासकर रेस्क्यू आपरेशन तो चल रहा है लेकिन रिलीफ और रीहैबिलटेशन में हम सहयोग दे सकें तो अच्छा होगा। सभा से भी अगर आप यह निर्देश दें तो हम एक महीने की तनख्वाह इस रिलीफ फंड में भेज सकते हैं। एक बड़ी आपदा नेपाल में होने की वजह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में या उत्तरी बंगाल में जो हुआ, मौत के लिए मुआवज़ा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे जो ब्रिज हैं और दूसरे निर्माण हैं, उसमें क्या नुकसान हुआ है और उनकी भरपाई करने के लिए भारत सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, इतना कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।

श्री चिराग पासवान (जमुई) : मैडम स्पीकर, मैं इस दुखद विषय पर अपनी चिन्ताओं को अपने दल की तरफ से रखना चाहता हूँ। जिस वक्त यह भूकंप आया था, उस वक्त मैं खुद अपने पैतृक गाँव शहरबन्नी, जो कि बिहार के खगड़िया ज़िले में आता है, मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। मैंने बहुत ही करीबी रूप से इसका जो प्रभाव है, इसके जो विनाशकारी इफैक्ट्स हैं, बहुत ही करीबी रूप से मैंने इसका अनुभव किया है। उसके बाद मैं खुद गया भी था। मैं पूर्णिया में जाकर जितने भी घायल हैं, उनसे मिला और जितने भी प्रभावित जिले हैं, वहाँ का मैंने दौरा किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम विलास पासवान जी ने भी कटिहार, अररिया, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर आदि विभिन्न इलाकों का दौरा किया।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें पुनर्वास के कार्यों में थोड़ी और गति लाने की ज़रूरत है। जितने वहाँ पर पुनर्वास के कार्य हैं और जितना वहाँ इनफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और जब हम पुनर्वास की बात करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं जिन जिन अस्पतालों में गया, मैंने देखा कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। जितनी तत्परता से स्वास्थ्य सेवाओं में तत्परता दिखानी चाहिए, कहीं न कहीं उसका अभाव है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री जी ने तत्परता दिखाते हुए हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल में राहत पहुँचाई। मैं विशेष तौर पर हमारे गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वे हमारे राज्य बिहार में आए और उन्होंने खुद वहाँ प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा लिया। पर मैं दोबारा दोहराऊँगा कि हमारे प्रदेश में सीमांचल का जो इलाका है जहाँ विभिन्न जिले आते हैं, लगातार एक के बाद एक प्राकृतिक विपदा का ये प्रतीक रहे हैं। कुछ समय पहले वहाँ पर बाढ़ आई थी। उसके बाद जिस तरह से ओलावृष्टि हुई, उसके बाद जिस तरीके से हम लोग अभी तूफान से उबर ही रहे थे, उसके बाद जिस तरह से वहाँ पर भूकंप आया है, इस प्रकार नैचुरल कैलैमिटी से हमारे प्रदेश का यह हिस्सा बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। मैं चाहूँगा कि अगर संभव हो तो हमारे प्रदेश को इसके लिए कोई विशेष पैकेज दिया जाए क्योंकि हमारे प्रदेश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएँ घट रही हैं। इसको राष्ट्रीय आपदा

भी घोषित किया जाए। इसी के साथ मैं चिराग पासवान मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी तरफ से, अपने दल लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ और घायलों की शीघ्र रिकवरी की आशा करता हूँ।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय मैडम स्पीकर, नेपाल, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जो भूकंप की स्थिति के कारण जान-माल का नुकसान हुआ है, मैं अपनी पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर से उन दुखी परिवारों में शामिल होता हूँ और अपनी संवेदना जाहिर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारी संस्कृति में हमें हमारे ऋषियों, मुनियों, गुरुओं और पैगम्बरों ने शिक्षा दी है कि दुख के समय में, विपदा के समय में न कोई जात देखनी है, न रंग देखना है, न सरहदें देखनी हैं, सबको मानवता के तौर पर इकट्ठा होना चाहिए।

मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे देश की उस संस्कृति को पहचानते हुए इस दुखद घड़ी में दुनिया में सबसे पहले किसी देश के प्रधानमंत्री ने सहानुभूति अमली रूप में जतलाई, नेपाल के लिए तो वे माननीय नरेन्द्र मोदी जी हैं। मैं समझता हूं कि हमारी बहुत सारी ऐसी एन.जी.ओ. हैं, जो ऐसे दुखद समय में आकर काम करती हैं।

अभी-अभी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, जो हमारी सिखों की सबसे बड़ी संस्था अमृतसर में है, उसने 25000 लोगों के लिए रोजाना राशन देने के लिए ट्रक भिजवाये हैं। अभी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के डायरैक्शन पर हमारे प्रेसीडेंट शिरोमणि अकाली दल के मा. डिप्टी सी.एम. सरदार सुखबीर सिंह बादल यहां नजदीक में रकाबगंज साहेब से दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की ओर से 25000 लोगों का राशन रोजाना यहां दिल्ली से जाया करेगा और दो ट्रक दवाइयों के जाएंगे। ऐसे में मैं माननीय गृह मंत्री जी को एक निवेदन करना चाहता हूं, पहले जम्मू-कश्मीर में जब ऐसी विपदा आई तो वहां भी शिरोमणि कमेटी ने वहां भी मदद की और अब तक भी वहां दवाइयां भेजी जी रही हैं। वहां भी राशन भेजा गया। ऐसे ही उत्तरांचल में हुआ। जैसा माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने कहा, ठीक है, मैं भी

अपनी पार्टी की ओर से सहमत हूं कि एक-एक महीने की तनख्वाह सांसदों की ओर से दी जाये तो अच्छी बात है, किन्तु अकेली सरकार ऐसे समय में काम नहीं कर सकती, प्रशासन अकेला काम नहीं कर सकता, जितनी देर तक समाज इकट्ठा नहीं होता, सब लोग मानवता के तौर पर इकट्ठे नहीं होते तो इस समय जो एन.जी.ओज़. हैं, माननीय गृह मंत्री जी, कभी-कभी ऐसी संस्थाओं को इकट्ठा करके उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उत्साहित करने के लिए जरूर कभी-कभी सम्मानित करें, ताकि हमारी ऐसी विपदा के समय जो हमारी संस्कृति है, उसमें हम देश के लोग इकट्ठे होकर उनके दुख को भुला सकें। धन्यवाद।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस विपदा के मौके पर आपने मुझे अपनी पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी की ओर से दुख प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। निश्चित तौर से हमारी परम्परा रही है, हमारे पुरखों की परम्परा रही है, हमने वसुधैव कुटुम्बकम के विचार में आस्था व्यक्त की है और उसी के तहत आज देश और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल की इस दुख की घड़ी में बिल्कुल एक क्षण बिताये बिना जिस तत्परता से अपना सहयोग प्रकट किया है, निश्चित तौर से वह हमारी परम्परा के अनुकूल है और हम उस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं।

आज हम अपनी पार्टी की ओर से सभी सांसदों की तरफ से मैं अपनी एक महीने की तनख्वाह देने की घोषणा करता हूं। बिहार में और उत्तर पूर्वी राज्यों में जो संकट है, इसे भी प्राथमिकता पर हमें लेना पड़ेंगा, चूंकि खास कर बिहार में तूफान के बाद, अभी ओलावृष्टि के बाद यह घटना हुई है और उत्तर बिहार में काफी क्षति हुई है, ऐसे तो पूरे उत्तर भारत में और पूर्व की दिशा में यह प्रकोप रहा है। एक बात कई माननीय सांसदों ने कही कि निश्चित तौर से हम प्रकृति का जो एक विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर के अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, यह भी हमारे इस दुख का कारण बन रहा है। इस पर सरकार को भी और सभी जनप्रतिनिधियों को भी चिन्ता व्यक्त करनी चाहिए।

इसी के साथ मैं पुनः तमाम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी पार्टी की ओर से दुख प्रकट करता हूं और जल्दी जो घायल लोग हैं, वे स्वस्थ हों, इसकी कामना करता हूं।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने इस दुख की घड़ी में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

खास कर मैं बिहार से आता हूं, बिहार की बगल में नेपाल देश में जो घटना घटी है और बिहार में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, इन तमाम जगहों पर जो घटना घटी है, उसके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूं और भारत की सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने नेपाल की सरकार को दुख की घड़ी में खड़ा रहने का मौका दिया और गृह मंत्री जी ने बिहार जाकर अपने साथियों के साथ जो दौरा किया और लोगों के प्रति जो सहानुभूति दी, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

बिहार में लगभग 51 लोगों की मौत हुई और करीब 180 लोग घायल हुए हैं। वहां काफी नुकसान हुआ है। वहां जो पिछली बार घटना घटी थी, उसके एक दिन बाद मैंने उसको उठाया था।

ऐसी परिस्थिति में मैं भारत सरकार से दो बातें जरूर कहूंगा। माननीय गृह मंत्री जी ने वहां का दौरा किया है। वे हर चीज़ से अवगत हैं। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि बिहार में जो घटना घटी है, उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। इस दुःख की घड़ी में जो आप नेपाल सरकार की मदद कर रहे हैं, उसमें मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। हमारी पार्टी भी आपके साथ खड़ी है। जो भी मदद हो, वह भारत सरकार करे। हम अपनी पार्टी की तरफ से यह घोषणा करते हैं कि हम सब लोग एक-एक महीने की तनख्वाह देंगे। सरकार इस पर निर्णय ले और अगर इस पर सभा निर्णय ले तो ऐसी परिस्थिति में सभी सांसदों को एक-एक महीने की तनख्वाह देकर इसमें मदद करने की जरूरत है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: महोदय, हम माननीय सदस्य की बात का सपोर्ट करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : जी, ठीक है।

[अनुवाद]

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी (नेल्लोर): महोदया, हमारे पड़ोसी देश नेपाल तथा हमारे अपने राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और राजस्थान में आए भीषण भूकंप से बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है तथा बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह बताया गया है कि मानव जीवन, संपत्ति और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षति बहुत अधिक हुई है। नेपाल अपंग हो गया है।

प्राकृतिक आपदाएं एक सार्वभौमिक वास्तविकता हैं। तात्कालिक चुनौती यह है कि पुनर्निर्माण का वास्तविक विशाल कार्य शुरू होने से पहले प्रभावित लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

मैं नेपाल को राहत सामग्री भेजकर भारत सरकार द्वारा समय पर की गई कार्रवाई की सराहना करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुख की घड़ी में हर संभव मदद का वादा किया है।

हमारे अपने देश में भूकंप, सुनामी, बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम बात है। यद्यपि प्रकृति का प्रकोप किसी को नहीं बख्शता, फिर भी एक संगठित आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से क्षति को कम किया जा सकता है तथा पुनर्वास कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है।

हमारी पार्टी, वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस त्रासदी में अपने परिजनों को खो दिया है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं नेपाल के उन लोगों के प्रति भी गहरा दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं जो 7.9 रिक्टर पैमाने पर आए भूकंप से प्रभावित हुए हैं।

मुझे भी परसों खान मार्केट में ऐसा ही अनुभव हुआ जब मैं एक सैलून में कुर्सी पर बैठा था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरी कुर्सी हिल रही हो और लाइटें आपस में टकरा रही हों। अतः, इस भूकंप के समय मुझे जो भय का अनुभव हुआ था, उसे महसूस करते हुए हम नेपाल के लोगों की दयनीय स्थिति की अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं।

मैं इस अवसर पर नेपाल देश, विशेषकर काठमांडू और अन्य निकटवर्ती स्थानों के पुनर्निर्माण, पुनर्संरचना और पुनर्वास में नेपाल के लोगों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं नेपाल के लोगों की सहायता के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करता हूं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह नेपाल में बचाव कार्यों, राहत कार्यों, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए मूल स्थिति में संपूर्ण सहयोग प्रदान करे।

मैं टी.डी.पी. के माननीय सदस्य के विचार का समर्थन करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण को नजरअंदाज करके, यदि हम जी.डी.पी. वृद्धि के रास्ते विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। कोयना बांध आपदा से लेकर लातूर और कच्छ आपदा और अब नेपाल आपदा तक, हमें जो सबक सीखना है वह यह है कि जब हम अपने विकास लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो हमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चिंतित होना होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर नेपाल राज्य के पुनर्निर्माण में अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूँ।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष जी, 25 अप्रैल को नेपाल और उत्तर भारत में भूकम्प के साथ जो त्रासदी आई है, वह एक आधिदैविक त्रासदी है। हम मान सकते हैं कि आधिदैविक त्रासदियों पर मानव

का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन बचाव और राहत से उसको कम अवश्य किया जा सकता है। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने तत्काल राहत और बचाव के कार्य प्रारम्भ करके दुनिया को एक बार फिर भारत की ताकत का अहसास कराया है। नेपाल के एकदम पड़ोस में हम लोग रहते हैं। भूकम्प के झटकों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तो थर्राया ही था, लेकिन नेपाल के अन्दर की उन संवेदनाओं को हम लोगों ने महसूस किया, जो भारत सरकार ने तत्काल वहाँ पर राहत कार्यो को प्रारम्भ करके अपनी संवेदनाएं वहाँ के नागरिकों के प्रति व्यक्त की हैं।

महोदया, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने उमड़ते हैं, जब इस प्रकार की त्रासदियाँ आती हैं। हिमालय के बारे में कहा जाता है कि भूकम्प जैसी त्रासदियों के बारे में यह काफी सेन्सेटिव है और उस जोन में पूरी बेल्ट आती है और बार-बार इस प्रकार की चेतावनी के बावजूद उस ओर जब ध्यान नहीं दिया जाता है और इस प्रकार की त्रासदियों को हम आमंत्रित करते हैं तो यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है। ल्हासा, तिब्बत जो पूरी दुनिया की छत है, उसको पूरी तरह जंगल विहीन कर दिया गया है और इस तरीके से खिलवाड़ करके उसको नष्ट किया जा रहा है। अब एक नई योजना चल रही है कि ऐवरेस्ट पर टनल बनाकर चीन को नेपाल के माध्यम से जोड़ने का यह सीधे-सीधे इस प्रकार की त्रासदियों को और भी आमंत्रित करने का प्रयास हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार पुनः इस पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए कि हिमालय के साथ छेड़छाड़ जब भी होगी, यह सबसे आधुनिक पर्वत है, पहाड़ है तो पर्यावरण और प्रकृति के साथ जब इस प्रकार की छेड़छाड़ होगी तो इस प्रकार की दैवीय आपदाओं को हम आने से रोक नहीं पाएंगे। यह एक त्रासदी है। इसमें सबसे अच्छी बात भारत सरकार की पहल रही है। एनडीआरएफ के त्वरित कार्रवाई दल ने नेपाल के अंदर सहायता की। नेपाल के साथ हमारे भावनात्मक संबंध है। एक सहोदर भाई जैसे नेपाल और भारत के संबंध हैं। इन संबंधों पर बीच के कुछ कालखंड में धुंध छाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की नेपाल की लगातार यात्राओं ने उन संबंधों को एक विश्वास में जोड़ा और इस

बार जो प्रयास हुए हैं, वह वहां के लोगों को केवल दिल से ही नहीं, वहां के लोगों के दिमाग में यह बात आई है कि सचमुच भारत हमारा हितैषी है और भारत ही हमारा सच्चा मार्गदर्शन कर सकता है। काठमांडू वैली तक, पोखरा तक राहत कार्य हो रहे हैं। जो मुख्य केन्द्र लामचुंग था और उसके आसपास का गोरखा आदि, आधुनिक नेपाल की नींव जिस गोरखा में पड़ी थी, वह क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। वहां कुछ भी नहीं बचा है। वहां तक अभी कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां जाने के साधन नहीं हैं।

जिस प्रकार से यहां पर सभी लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, नेपाल सांस्कृतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हमारा एक सहोदर भाई के रूप में वहां पर जिस रूप में आज भी हिमालय में हम सबकी सुरक्षा की दृष्टि से अभेद्य, सुदृढ़ दुर्ग के रूप में खड़ा है। हम सबको दुख की इस घड़ी में उनका साथ और अधिक से अधिक मदद देनी चाहिए। उन्हें इस बात का आभास कराना चाहिए कि एक बड़े भाई के रूप में भारत अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। एक बार पुनः मैं अपने दल की ओर से उन सबके प्रति जो इस त्रासदी के शिकार हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। जो भी सहयोग हम लोगों के स्तर पर होगा, हम लोग भरपूर मदद करेंगे। यह अच्छा होगा कि यहां का एक संसदीय दल भी उन क्षेत्रों में जाकर के राहत कार्यों में मदद करे। हम लोग इसमें भरपूर सहयोग करेंगे।

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : अध्यक्ष महोदया, आपने इस दुखद त्रासदी के ऊपर अपनी संवेदना व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। शनिवार 25 अप्रैल को जो विनाशकारी भूकंप आया। इसका केन्द्र बिंदु नेपाल था। हमारा संसदीय क्षेत्र चूंकि नेपाल सीमा से पूरी तरह से लगा हुआ है। हमारे क्षेत्र में उसका व्यापक असर देखने को मिला। हमारे क्षेत्र के अंतर्गत इकौना तहसील के मझौआ सुमाल गांव में निशा पुत्री ननके कश्यप उम्र 15 वर्ष जो कक्षा 9 की छात्रा थी, अपने कच्चे मकान के बगल में बैठकर बर्तन धुल रही थी। भूकंप के झटके में कच्चे मकान की दीवार भरभरा के गिर गई। उसी के बगल में उसका चचेरा भाई विनय कुमार सन आफ सोहन लाल उम्र 25 वर्ष भी खड़ा था। दोनों मिट्टी की ढेर

के नीचे दब गए। दोनों को आनन-फानन निकालकर सीएचसी इकौना पहुंचाया गया, जहां पर निशा को मृत घोषित कर दिया गया और उसके भाई को भर्ती कर लिया गया।

अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहना चाहूंगा कि जिस द्रुत गति से यह भूकंप आया था, उसी द्रुत गति से उन्होंने राहत पहुंचाने का काम किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार और प्रदेश सरकारों द्वारा बहुत से आवास योजनायें चलयी जा रही हैं लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी गरीब पात्र लोगों को पक्का मकान हम मुहैया नहीं करा पाये हैं। आज भी लोग कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश हैं। हमारे क्षेत्र में एक और त्रासदी शुरू हो गयी है जो मार्च-अप्रैल के महीने से लेकर जब तक मानसून नहीं आ जाता है, आगजनी की घटनायें, चूकिं वहां कच्चे मकान हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): महोदया, मुझे आज बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

मैं सबसे पहले नेपाल की सहायता के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। यह बहुत बड़ी त्रासदी रही है। इन दो वर्षों के भीतर - लगभग एक वर्ष पहले या उसके बाद - उत्तराखंड में एक बड़ी त्रासदी घटित हुई, जहां से मैं भी आती हूं। अभी दो दिन पहले ही नेपाल के काठमांडू और भारत में भी भयानक त्रासदी हुई। मैं नेपाल और भारत के उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने सगे-संबंधियों को खो दिया है। मुझे बहुत खुशी है - और मैं सोचती हूं - कि भारत नेपाल के लोगों की मदद करने वाला पहला देश है।

महोदया, मेरा जन्म नेपाल में हुआ था। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। इसका भारत से गहरा नाता है। मैं आभारी हूं और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मदद की है। यहां तक कि

उत्तराखंड त्रासदी के मामले में, वह मदद करने वाले पहले व्यक्ति थे। जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि वह आएंगे और उन्होंने उत्तराखंड के लोगों की मदद की है। मैं एक बार फिर सेना और वायुसेना के जवानों को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं सभी की बहुत आभारी हूं। जैसा कि बाकी ने कहा है, हम सभी एक महीने का वेतन देंगे। उत्तराखंड त्रासदी के मामले में हमने जो किया, हम अब भी वही करना चाहेंगे। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अभी भी अपने भाई को नहीं ढूंढ पायी हूं जो काठमांडू में है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे पता है। इसके कारण, मैंने आपको अनुमति दी।

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह: अभी भी, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बाकी सभी सदस्य अपना नाम लिखवा कर अपनी संवेदना प्रकट कर सकते हैं और यहां पर एसोसिएट भी कर सकते हैं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : इस संबंध में गृह मंत्री जी जवाब देने वाले हैं। पार्लियामेन्ट्री मिनिस्ट्री के नाते मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है, जैसा मुलायम सिंह जी और अन्य सदस्यों ने कहा है, पूरे पार्लियामेन्ट की ओर से हर एक सदस्य अपने एक महीने का वेतन, हम लोग ऑफिशियली इंडॉर्स करके, सभी पॉलिटिकल पार्टीज घोषणा करें तो अच्छा होगा।

[अनुवाद] मैं संसद के सभी पक्षों से अपील करता हूं कि हम सभी एम.पी.एल.ए.डी. फंड से एक महीने के वेतन का योगदान करें। इसके बाद, एम.पी.एल.ए.डी. फंड और अन्य चीजों के संबंध में क्या किया जाना है, इस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। मुझे आशा है कि पूरी सभा इस अपील पर सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है, वही हमारे दिल में था। पहले ही जे.डी.यू. और आर.जे.डी. के नेताओं ने कहा है और हमारे पार्टी के नेताओं का भी यही कहना है कि सारे लोग अपने एक-एक महीने की तनख्वाह रिलीफ फंड में दी जाये, हम इससे सहमत हैं।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, जो कुछ भी 25.04.2015 की दोपहर में भारत और नेपाल में घटित हुआ है उसे मैं एक साधारण संकट नहीं मानता हूं बल्कि मैं इसे एक बहुत बड़ा हादसा मानता हूं। इस सभा के कई सम्मानित सदस्यों ने, जिनमें कांग्रेस लोक सभा के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री जयप्रकाश यादव, श्री विनायक राऊत, श्री रविन्द्र बाबू, श्री मोहम्मद सलीम, श्री चिराग पासवान, श्री चन्दूमाजरा, श्री अरूण कुमार, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री राजमोहन रेड्डी, श्री प्रेमचन्द्रन, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री ददन मिश्र और श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। सभी ने हताहत परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मैं भी आप इस सभा में ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सरकार की तरफ से और देश की ओर से भी हताहत परिवार के सभी सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुये, मैं इसका उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं कि जिस समय यह घटना घटित हुई उसके पांच मिनट पहले ही नैशनल इंटैलिजेन्स एकेडमी की एक नयी बिल्डिंग परिसर का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर मौजूद थे और मैं भी वहां पर मौजूद था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ज्यों ही प्रधान मंत्री जी गए, उसके बाद मैं निकला। ज्यों ही मैं घर पर पहुंचा, तुरंत प्रधान मंत्री जी का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, मैंने तीन बजे बैठक बुलाई है। एक बहुत बड़ा हादसा

हुआ है जिसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। मुझे इस हकीकत को सभा के सामने स्वीकार करने में रंच मात्र गुरेज नहीं है कि जब तक मैं घर पहुंचा था, मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली थी। लेकिन प्रधान मंत्री जी को पहले ही इसकी जानकारी मिल गई थी। मैंने टेलीविजन खोलकर देखा तब विस्तृत जानकारी मिली। सचमुच जो तत्परता गृह मंत्री होने के नाते मुझे दिखानी चाहिए, जो जानकारी मेरे पास पहले होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने तत्परता दिखाई और तुरंत फैसला किया कि इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए हमें बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने बैठक बुलाई। मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत में इस भूकम्प के हादसे के परिणामस्वरूप जो लोग हताहत हुए हैं और पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी हम अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं। जो लोग भी हताहत हुए हैं, उनके प्रति यहां संवेदना व्यक्त करते हैं, वहीं यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में भारत सरकार भारतवासियों के साथ खड़ी है और अपने नेपाल वासियों के साथ भी खड़ी है।

आज मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि ज्यों ही यह घटना घटित हुई, 11 या 13 मुख्य मंत्रियों से तुरंत प्रधान मंत्री जी ने टेलीफोन से बातचीत की। दूसरे दिन मैंने भी तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों - उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री आखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उत्तराखंड के मुख्य मंत्री श्री हरीश रावत से बातचीत की। मैंने उनसे सहयोग की अपील की। मैंने कहा कि एरोप्लेन के माध्यम से सभी लोगों को रैसक्यू किया जाना मुझे संभव नहीं दिखाई देता। तीनों राज्य नेपाल बार्डर से लगे हुए हैं। यदि तीनों राज्य अपनी बस वहां भेज सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। नेपाल से बहुत सारे लोग जो भारत आना चाहते हैं, भले ही वे विदेशी हों, वहां से निकाल कर उन्हें भारत लाया जा सकता है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने ग्रेटिस वीज़ा का प्रावधान भी कर दिया है। दूसरे देशों के लोग भी यदि भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उन्हें ग्रेटिस वीज़ा दिया जाना चाहिए और भारत लाया जाना चाहिए। इमीग्रेशन सैंटर्स भी कुछ स्थानों पर स्थापित किए जा चुके हैं। यह सारा फैसला उस समय हुआ। इसलिए

तीनों मुख्य मंत्रियों - उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार ने जितनी त्वरित गति से वहां से बसें भेजीं और साथ ही नेपाल के लिए राहत की सामग्री भेजी, मैं सभा के माध्यम से उन तीनों राज्य सरकारों के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनके इस सहयोग और प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूं कि यह सभा चाहता होगा कि इस घटना के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी अब तक प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर मिल जाए। इसलिए मैं यहां स्टेटमैंट प्रस्तुत करना चाहूंगा।

नेपाल के पोखरा क्षेत्र में 25.04.15 को 11.45 पर भारतीय समयानुसार 7.9 रिक्टर स्केल का भयानक भूकम्प आया। इस भूकम्प ने न केवल बहुत बड़े पैमाने पर नेपाल में विनाश किया बल्कि भारत में भी कई राज्यों को प्रभावित किया। भारत में अब तक 72 मौतों की जानकारी है। बिहार में 56, उत्तर प्रदेश में 12, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में एक और 280 से आधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। यह संख्या 300 से भी आधिक हो सकती है। भवनों और अन्य निर्माणों को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी क्षति पहुंची है। संबंधित राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं। वैसे भारत सरकार द्वारा पांच एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं जिनमें से चार बिहार में और एक उत्तर प्रदेश में तैनात हैं। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जहां टीम भेजी गई है, वह गोरखपुर और बिहार में गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सुपौल में भेजी गई है। हम भी राज्य सरकारों से लगातार संपर्क में हैं और हमने हर संभव मदद का वायदा भी किया है। नैशनल डिजास्टर मैनेजमैंट अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति इस पूरी परिस्थिति का निरंतर आकलन कर रही है। सभी भारतीय अपने नेपाली भाई और बहनों के साथ दुख और आपदा की घड़ी में साथ हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इस परिस्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि हर संभव सहायता हम अपने नेपाली भाई-बहनों को देंगे।

जहां तक हमारे बचाव और राहत प्रयासों का संबंध है, भारत के दस एनडीआरएफ के दल काठमांडू पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ टीमों ने अब तक दस व्यक्तियों को जिंदा निकाला है और 46 शव निकाले हैं। मैं समझता हूं कि यह संख्या और आधिक बढ़ गयी होगी। अन्य छः एनडीआरएफ की टीमें नेपाल के लिए भेजी जा रही हैं। भारतीय सेना ने एक इंजीनियरिंग टॉस्क फोर्स और 18 चिकित्सा दल काठमांडू में नियुक्त कर दिये हैं। 22 टन खाद्य सामग्री और राशन पैकेट, 50 टन मिनरल पानी, 02 टन दवाइयां और चिकित्सा उपकरण, 1400 कम्बल और 40 तंबू नेपाल भेजे जा चुके हैं। थल सेना, वायु सेना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कई दल भी चिकित्सीय सहायता के लिए नेपाल भेजे गये हैं। ये सभी दल दवाइयों, स्टेचर, बिस्तर आदि से लैस हैं। एक मानव रहित यान यूएवी, जिसे अनमैंड एयर व्हीकल बोलते हैं, वह भी बचाव के लिए नेपाल के रास्ते में है। एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल टीम में एडिशनल सैक्रेट्री होम के नेतृत्व में, जिसमें विदेश मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ आधिकारी शामिल हैं और संचार विशेषज्ञों के साथ बचाव एवं राहत कार्य में समन्वय के लिए नेपाल भेज दिए गए हैं। ये दल अपने साथ 250 वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वायरलैस सैट और 15 हाई फ्रिक्वेंसी वायरलैस सैट लेकर गये हैं।

जहां तक नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का सवाल है, हमने अब तक ढाई हजार से आधिक भारतीयों को निकालने में कामयाबी हासिल की है। अब तक यह संख्या काफी बढ़ गयी होगी। हम उन्हें हवाई एवं सड़क मार्ग से भी निकालने का प्रबंध कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड की सरकारों से बसों एवं एम्बुलैंसों द्वारा सड़क मार्ग से काठमांडू ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : क्या आपने बंगाल सरकार से कोई कान्टैक्ट किया है? ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी से प्रधान मंत्री जी की बात हुई थी, लेकिन हमारी बात नहीं हो पायी। जो हकीकत है, उसे मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार

एवं उत्तराखंड की सरकारों से बसों एवं एम्बुलैंसों द्वारा सड़क मार्ग से काठमांडू एवं अन्य क्षेत्रों से भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को, जो नेपाल में फंसे हुए हैं, को निकालने के लिए कहा है। हमने विदेशियों को नेपाल से भारत आने के लिए मुफ्त वीजा देने की भी व्यवस्था कर दी है। इसी तरह की अन्य सुविधाएं उन विदेशियों को, जो सड़क मार्ग से भारत नेपाल की सीमा के रास्ते आ रहे हैं, को भी प्रदान कर दी गयी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर सड़क से आने वाले लोगों के लिए राहत शिविर लगाने की सलाह दी गयी है और मुझे सभा को यह बतलाते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इन राज्य सरकारों ने वहां पर राहत शिविरों की व्यवस्था कर दी है। सशस्त्र सीमा बल से लोगों के आने-जाने को आसान बनाने का कहा गया है और सीमावर्ती इलाकों में भूकम्प पीड़ितों के लिए चिकित्सीय राहत शिविर सीमा क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री ने भूकम्प से मरने वाले हर व्यक्ति के निकट संबंधी को एनडीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार चार लाख रुपये तथा अन्य को दो लाख रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की घोषणा की है। मैं माननीय सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार मरने वालों के परिवारों को हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी। मरने वाले परिवारों को ही नहीं, बल्कि जिनके मकानों को क्षति पहुंची है, उनको भी सहायता पहुंचाएगी। मैं हृदय से प्रभावित राज्यों के दुखी परिवारों को तथा अपने मित्र पड़ोसी देश नेपाल के दुखी परिवारों को दुख की इस घड़ी में अपनी सांत्वना देता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तीन ट्रक पानी की बोतलें और बिस्किट्स नेपाल में पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की भूकम्प से मौत हुई है, उनको सात-सात लाख रुपये दे दिए गए हैं।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी ने सभी को धन्यवाद दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : भारत सरकार का खजाना भरा हुआ है। आप पीड़ितों को दस-दस लाख रुपये दीजिए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज मध्याह्न भोजन का समय नहीं होगा।

———————

अपराह्न 1.25 बजे

नियम 377 के अधीन मामले *

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के तहत मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा के पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे व्यक्तिगत रूप से बीस मिनट के भीतर मामले का पाठ सभा के पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

केवल उन मामलों को ही पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनका पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया हो। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

* सभा पटल पर रखा माना गया।

(एक) झारखंड के जसीडीह रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : दिल्ली-हावड़ा पर पटना मुख्य लाइन के माध्यम से जसीडीह रेलवे स्टेशन कई कारणों से सर्वोपरि और रणनीतिक महत्व का है। यहां पांच रेल लाइनों को पूरा करने का प्रस्ताव है। जो इस प्रकार हैं:

1. दूगड़-दुमका
2. पीरपैंती-जसीडीह
3. भागलपुर-जसीडीह वाया बांका
4. सुल्तानगंज-जसीडीह वाया बांका
5. सुल्तानगंज-जसीडीह वाया असरगंज

दर्शन के लिए हर साल 50 मिलियन से अधिक लोग देवगढ़ ज्योतिर्लिंग जाते हैं। इस प्रकार, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जसीडीह स्टेशन संभवतः जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों जितना ही महत्वपूर्ण है। जब तक इस स्टेशन पर भारी संख्या में यात्रियों के प्रवाह के प्रबंधन के लिए उपाय नहीं किए जाते, तब तक इन श्रद्धालुओं की यात्रा बाधित रहेगी। कल्पना कीजिए, जब पांच नई रेलवे लाइनें चालू हो जाएंगी और आने वाले वर्षों में यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी, तो क्या स्थिति होगी।

इतना ही नहीं, इस स्टेशन का अन्य रणनीतिक महत्व भी है, जिसमें सुरक्षा बलों की आवाजाही और कोयले के परिवहन के लिए भी इसका उपयोग शामिल है, जो बिजली उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईस्टर्न कोलफील्ड कंपनी पहले ही कह चुकी है कि वह पांच वर्षों में 30 मिलियन टन कोयले का उत्पादन और परिवहन करना चाहती है, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा करने के लिए उसके पास रेलवे की अवसंरचना नहीं है। मैं रेल मंत्री को उद्धृत करना चाहूंगा, "दूसरा, हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ

साझेदारी करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोयला, लोहा, अयस्क और सीमेंट आदि जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को, जहां से उन्हें निकाला या आयात किया जाता है, वहां से लेकर जहां उनका उपभोग या प्रसंस्करण किया जाता है, वहां तक परिवहन के लिए पर्याप्त क्षमता का निर्माण किया जा सके।" बुनियादी ढांचे के अभाव में गोड्डा-पाकुड़ (सर्वेक्षण अभी होना बाकी है) और पीरपैंती से बटेश्वरस्थान होते हुए नवगछिया तक रेलवे लाइन संभव नहीं है।

तदनुसार, मैं आपका ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं तथा संबंधित प्राधिकारी को उपरोक्त रेलवे लाइन बिछाने के लिए निर्देश दिया जाए।

खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड राज्य भारतीय रेलवे को राजस्व देने वाला सबसे बड़ा राज्य है, फिर भी इसे लंबे समय से सौतेला व्यवहार झेलना पड़ रहा है। राज्य नक्सलवाद से ग्रस्त है। इसके विपरीत, निकटवर्ती राज्यों के अपेक्षाकृत अधिक विकसित क्षेत्रों ने बिना किसी लागत साझेदारी के परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा ले लिया है।

(दो) मध्य प्रदेश के मंदसौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर रेल संपर्क सुविधा प्रदान करते हुए रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) : रेलवे आज देश में यात्री व माल आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। देशभर में इसमें विस्तार भी हो रहा है, सुधार भी हो रहा है, मगर मेरा संसदीय क्षेत्र मंदसौर (मध्य प्रदेश) जो डब्ल्यू.आर. व डब्ल्यू.सी.आर. पर स्थित है, इसमें माल आवागमन में तो वृद्धि हो रही है, यात्री आवागमन डब्ल्यू.आर. में बढ़ रहा है मगर यात्री ट्रेन की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। मैं कारण जानना चाह रहा हूँ व पूछना चाहता हूँ कि क्या देश के बड़े संसदीय क्षेत्रों में से एक मंदसौर संसदीय क्षेत्र के जिला केन्द्र मंदसौर, जिला केन्द्र नीमच व प्रमुख केन्द्र जखरा से दिल्ली जाने वाले यात्री क्या एक अच्छी यात्री ट्रेन की इच्छा रख सकते हैं, क्या आपने नीमच से चित्तौड़गढ़ मार्ग दोहरीकरण की हमारी माँग स्वीकार की? मगर यह दोहरीकण सर्वे रतलाम से चित्तौड़गढ़ है। निर्माण आदेश में रतलाम से नीमच शेष रहे हिस्से पर भी शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए। मेरी ओर से कुछ यात्री गाड़ियों के संचालन हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत हैः-

1. अजमेर से तिरूपति नवीन ट्रेन
2. कोटा-नीमच पैसेंजर व उदयपुर-नीमच पैसंजर को मंदसौर स्टेशन तक संचालन
3. ट्रेन क्रमांक 19327 व ट्रेन क्रमांक 12964 की समय सारणी सुधार कर चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर मिलान निश्चित करना।

(तीन) एम्बुलेंसों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और कुशल चिकित्सा कर्मियों की तैनाती को सुनिश्चित करने वाला एक कानून अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : एम्बुलेंस सेवा स्वास्थ्य सेवाओं से परोक्ष रूप से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। एम्बुलेंस में आई.सी.यू. से संबंधित सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय रोगी की प्राण रक्षा हो सके। परन्तु इसके लिए कोई ऐसा नियम कानून नहीं है, जिसमें एम्बुलेंस में जरूरी उपकरण व व्यवस्थाओं की आनिवार्यताओं का उल्लेख हो। कोई भी वाहन परिवहन विभाग से वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र लेकर एम्बुलेंस के रूप मे चलने लगता है, चाहे उसके अंदर आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण व दक्ष स्टाफ हो या न हो। परिणामस्वरूप इन सबसे अनभिज्ञ व मजबूरीवश इनकी सेवाएं लेने को मजबूर मरीज की जान खतरे में पड़ी रहती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सरकार इस संबंध में अवैध रूप से तथा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण व दक्ष स्वास्थ्य स्टाफ के बिना चल रही एम्बुलेंस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कानून बनाने का कष्ट किया जाए।

(चार) राजस्थान के अजमेर में भिनाय कोठी स्थान पर स्वामी दयानंद सरस्वती का स्मारक बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : मैं सरकार के ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि आज़ादी के प्रथम स्वप्नदृष्टा, समग्र क्रांति के अग्रदूत, नवजागरण के पुरोधा महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी का निर्वाण 1883 में अजमेर (राजस्थान) स्थित भिनाय कोठी में हुआ। स्वामी जी का सम्पूर्ण जीवन मानव जाति के उत्थान में लगा। स्वामी जी ने समग्र क्रांति का मंत्र फूंका तथा जाति-पाति व छुआछूत को त्याज्य ही नहीं माना अपितु छुआछूत व जाति-पाति के खिलाफ समाज में अलख जगाया। सामाजिक क्रांति के साथ ही शिक्षा के प्रचार-प्रसार का स्वामी जी का इतिहास आज भी देश में सर्वोपरि है। ऐसा संत जिसने आध्यात्म सामाजिक क्रांति की अलख एक साथ जगाई, भारत के इतिहास में दूसरा नहीं है। इतना ही नहीं आज़ादी के आंदोलन में स्वामी दयानन्द सरस्वती व इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। श्री बाल गंगाधर तिलक का नारा ''स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध आधिकार है'' में स्वराज्य शब्द स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा रचित ''सत्यार्थ प्रकाश'' में सबसे पहले उपयोग हुआ। महर्षि दयानन्द जी की यह निर्वाण स्थली आर्यों के लिए आस्था का केंद्र है। आर्य इसे अपने प्यारे ऋषि की निर्वाण स्थली ही नहीं आपितु एक प्रेरणा स्थली के रूप में मानते हैं और चाहते हैं कि इस स्थान पर प्यारे ऋषि का वृहद स्मारक बने जो विश्व के लिए एक प्रेरणा स्थली हो तथा समाज के नव निर्माण का जीवन्त स्मारक। भिनाय कोठी का आधिकांश भाग वर्तमान में आर्यों के पास नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पूरे क्षेत्र को सरकार आधिगृहीत कर आर्य जगत को दिया जाए ताकि आज़ादी के प्रथम स्वप्नदृष्टा, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महर्षि दयानन्द जी का एक विशाल स्मारक बनाया जा सके।

(पाँच) गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम को आयकर अधिनियम, 1961 से छूट दिए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : गुजरात सरकार के द्वारा किये गये अथक प्रयासों के बावजूद भी गुजरात के सफाई कर्मचारियों को धारा 10(26बी) आई. टी. एक्ट-1961 के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट का मामला अभी तक विवाद में फंसा हुआ है। उपरोक्त अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए वचनवद्ध है, लेकिन आयकर विभाग, गुजरात सरकार ने उपरोक्त अनुच्छेद को पूर्णतः अनदेखा करते हुए सफाई कर्मचारियों पर पूरा आयकर टैक्स लगा दिया जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग आते हैं।

गुजरात सरकार ने इस संदर्भ में अनेक पत्र भारत सरकार को लिखे हैं ताकि इन सफाई कर्मचारियों को आयकर में छूट मिले। गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम को विशेष तौर पर मैला ढोने वाले, कूड़ा बीनने वाले और मलिन कार्यों में लगे लोगों के उत्थान और उनके विकास के लिए ही बनाया गया था। गुजरात सफाई कामगारों की नियुक्ति में गरीब तबके के लोगों को आयकर से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार से कई अनुशंसाएं केंद्र सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं, जो अभी तक लंबित हैं।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि गुजरात सफाई कर्मचारी विकास निगम को बिना किसी शर्त के आयकर मुक्त किया जाए।

(छह) अतिवृष्टि, ओलावृष्टि तथा कीटों के हमले के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट) : देश में अनेक प्रदेशों के अनेक जिलों के ग्रामों में फरवरी-मार्च 2015 में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं खराब मौसम से कीट प्रकोप के कारण रबी मौसम की गेहूं, चना, मटर, सरसो, तुअर, अलसी एवं फल व सब्जी इत्यादि फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। कृषकों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। कृषकों के सामने जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं होने के कारण संकट उत्पन्न हो गया है। कृषक काफी चिंतित एवं परेशान है। कृषकों में तीव्र रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। किसान आत्महत्या कर रहा है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा ओला प्रभावित कृषकों को ही मुआवजा दिया जा रहा है जो पर्याप्त नहीं है। अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से प्रभावित कृषकों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि राजस्व परिपत्र में प्रावधान नहीं है।

अत मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अतिवृष्टि एवं कीट प्रकोप से प्रभावित कृषकों को मुआवजा दिये जाने हेतु राजस्व परिपत्र में संशोधन कर डॉ. स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं ताकि खेती लाभ का व्यवसाय बन सकें तथा किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े।

(सात) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवाओं के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुंमार (टीकमगढ़): यह सर्व विदित है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के बावजूद इस समुदाय के बेरोज़गार युवाओं की बढ़ती संख्या की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। किसी वैकल्पिक आय के अभाव में युवा लड़के और लड़कियाँ जिन्हें अर्हता प्राप्त है, रोजगार पाने की आशा रखते हैं। हमारे देश में बेरोज़गारी की यह स्थिति अनेक सामाजिक समस्याओं की जड़ है। सरकारी क्षेत्र में एक वरीयता देने का प्रस्ताव है जो उनमें उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है और उन्हें जीविका के वैकल्पिक साधन दे सकता है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोज़गार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से स्वरोजगार अथवा व्यापार में आजीविका प्रदान करने हेतु उचित प्रबंध करे।

(आठ) कावेरी, वायगी और गोंदार नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना और तमिलनाडु में नहर आधुनिकीकरण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेनथिलनाथन (शिवगंगा): चूंकि जल एक बहुमूल्य वस्तु बनता जा रहा है, इसलिए किसी भी सरकार के लिए यह विवेकपूर्ण है कि वह अपने जल संसाधनों की क्षमता का इष्टतम स्तर तक उपयोग करे। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी दूरदर्शी नेता मक्कालिन मुथालवर अम्मा ने तमिलनाडु में नदियों को जोड़ने की अनुमति और वित्त पोषण से संबंधित मामले को केंद्र के साथ उठाया है, यह भारत की प्रमुख नदियों को जोड़ने के लिए अग्रणी मॉडल परियोजना के रूप में काम कर सकती है। कावेरी नदी के बाढ़ के पानी को वायगी और गोंदार नदियों के साथ जोड़कर तमिलनाडु के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की ओर मोड़ा जाना चाहिए। इससे तिरुचि, पुदुकोट्टई, मदुरै, शिवगंगई, रामनाथपुरम और विरुधुनगर जिलों में वर्षा आधारित कृषि भूमि को बहुत लाभ होगा। रु. 5,166 करोड़ की लागत अनुमान के साथ एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा गया है। इसी प्रकार, रु. 11,421 करोड़ की लागत से नहरों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भी शीघ्र स्वीकृति के लिए केन्द्र को भेजा गया है। पेन्नैयार और पालार लिंक योजना तथा अथिकादावु-अविनाशी बाढ़ नहर योजना का भी यही मामला है। मैं केंद्र से आग्रह करता हूं कि वह इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए मंजूरी प्रदान करे तथा धनराशि उपलब्ध कराए।

(नौ) देश में बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने और उनके लिए ऋण माफी योजना की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय (दमदम): हाल ही में राजस्थान के एक किसान द्वारा की गई आत्महत्या ने फरवरी-मार्च में उत्तर भारत के 13 राज्यों में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान को उजागर किया है। गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य आपदा से प्रभावित हैं। अब जरूरत सिर्फ मुआवजे की नहीं बल्कि कर्ज माफी की भी है। सचिव (ए एण्ड सी) ने 30.03.2015 को सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋणों के पुनर्भुगतान में आ रही प्रमुख कठिनाइयों को उजागर किया है तथा इस संबंध में बैंकों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है, साथ ही इस बात पर भी विचार करने का अनुरोध किया है कि क्या पुनर्गठित ऋणों के लिए लाभ पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने 09.04.2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री जी को पत्र लिखकर किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया है, जिसमें आलू की बंपर फसल के कारण किसानों को हुए नुकसान और उन्हें राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने की भी मांग की है। केंद्र को किसानों को मुआवजा देने और बैंक ऋण माफी के संबंध में तुरंत निर्णय की घोषणा करनी चाहिए।

(दस) ओडिशा में ढेंकानाल से जोडा को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण हेतु केंद्रीय सड़क निधि से निधियों का आवंटन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सकुंतला लागुरी (क्योंझर): ओडिशा राज्य के आदिवासियों के क्षेत्रों के विकास करने के लिए ढेनकानाल, जोडा वाया कंकराहाड, तेलकुई, बासपाल, बामेबारी में सड़कों को केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से बनाना अति आवश्यक है, परन्तु केन्द्र सरकार ने अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। इस लंबित कार्य के कारण ओडिशा के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास रूका हुआ है। इस क्षेत्र में कई मूल्यवान खनिज के अपार भंडार हैं परन्तु समुचित सड़क नहीं होने के कारण यहाँ पर कोई उद्योग लगने की बजाय यहाँ से खनिज पदार्थों को ढोकर ले जाया जाता है। इन उपरोत्त आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि के माध्यम से सड़क बनाने से ही इन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की सड़कों का विकास हो सकेगा। उससे इस क्षेत्र का औद्योगीकरण करने में सहायता मिलेगी, जो देश के संतुलित विकास को दिशा प्रदान करेगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि उत्त सड़कों को केंद्रीय सड़क निधि के माध्यम से बनाने की मंजूरी प्रदान की जाए।

(ग्यारह) आंध्र प्रदेश में निवेश और सुद्रढ आर्थिक विकास के लिए एक विस्तृत नीतिगत ढांचा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम) : मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 ने शेष आंध्र प्रदेश के साथ घोर अन्याय किया है। इसमें परिसंपत्तियों का वितरण स्थान के आधार पर किया गया, जबकि देयता का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया। यह देखते हुए कि वस्तुतः सभी प्रमुख परिसंपत्तियां हैदराबाद शहर के आसपास स्थित हैं, जो अब तेलंगाना का अभिन्न अंग बन गया है। साझा राजधानी होने के बावजूद, आंध्र प्रदेश सभी प्रमुख आर्थिक परिसंपत्तियों से हाथ धो बैठा है और ऋण चुकाने के साधन के बिना ही भारी देनदारी विरासत में ले ली है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश अपनी स्थिति के कारण गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। इसलिए, केंद्र सरकार को निवेश और सतत आर्थिक विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अलावा, एक सक्रिय नीतिगत ढांचे और पर्याप्त वित्तीय पैकेज के माध्यम से एक समान अवसर तैयार करने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश के गहरे वित्तीय संकट में फंसने की आशंका है, जिसके प्रतिकूल परिणाम उसके नागरिकों, विशेषकर गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ेंगे। इसलिए कृपया आंध्र प्रदेश के साथ न्याय करें।

(बारह) आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से अराकु तक एक अतिरिक्त ट्रेन चलाये जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता कोथापल्ली (अराकु) : मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशाखापत्तनम से अराकु और अराकु से विशाखापत्तनम तक एक अतिरिक्त रेलगाड़ी स्वीकृत करने की अत्यंत आवश्यकता है।

इस संबंध में मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आंध्र प्रदेश में स्थित अराकु एक तेजी से बढ़ता पर्यटन स्थल है। वर्तमान में, विशाखापत्तनम और अराकु के बीच केवल एक रेलगाड़ी (प्रति दिन एक यात्रा) चल रही है और यह पूरी यात्री क्षमता के साथ चलती है। यह रेलगाड़ी खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों, प्राकृतिक झरनों और हरियाली के बीच से गुजरती है और कई पर्यटक खूबसूरत प्रकृति का आनंद लेने के लिए रेलगाड़ी से यात्रा करना पसंद करते हैं। अराकु के लोगों का सपना है कि एक दिन सरकार ग्लास ट्रेन को बढ़ावा देगी जो बहुत सफल होगी और आंध्र प्रदेश का गौरव बनेगी। कई निजी संगठन भी पी.पी.पी. मोड में रेलगाड़ी के लिए निवेश करने के लिए तैयार हैं और यह प्रस्ताव पिछले 3 दशकों से रेल मंत्रालय के पास लंबित है। हालांकि कई वादे किए गए हैं, लेकिन सब व्यर्थ।

बुकिंग काफी पहले ही समाप्त हो जाती है और कई पर्यटक यात्रा का मौका न मिलने के कारण निराश हो जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस मार्ग की व्यवहार्यता की तुरंत जांच की जाए तथा इस मार्ग पर दूसरी रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की जाए। मैं कृपया पी.पी.पी. मोड में ग्लास ट्रेन शुरू करने की संभावना की भी जांच करने का अनुरोध करती हूँ, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कृपया इस पर विचार करें और तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें।

———————

अपराह्न 1.26 बजे

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2015-16

(एक) मानव संसाधन विकास मंत्रालय - जारी

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब हम एचआरडी की डिमान्ड्स फोर ग्रान्टस टेकअप कर रहे हैं। करीब दस माननीय सदस्य बोल चुके हैं और बीस से भी ज्यादा माननीय सदस्य स्पीच ले कर चुके हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि हम इसे ढाई-तीन बजे से पहले खत्म करके, दूसरे मंत्रालय की डिमान्ड टेकअप करेंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एचआरडी मंत्रालय की ग्रांट्स के संबंध में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्रालय की अनुदान की मांगों का तहेदिल से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

अपराह्न 1.27 बजे (उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

उपाध्यक्ष जी, चूंकि समय बहुत सीमित है इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में, जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर प्राथमिक शिक्षा से लेकर मिडिल, हाई और यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन विस्तार की दृष्टि से और अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल सके, इसके लिए किए हैं। इसके लिए मैं सरकार का साधुवाद करता हूं। चूंकि लिस्ट बहुत लम्बी है और समय सीमित है, इसलिए मैं संक्षिप्त में अपनी बात सभा के सामने रखूंगा।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें जरूर लाना चाहूंगा जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि वे जरूर ध्यान दें। महोदय, कल जब निशंक साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब तक हम मानव

मूल्य आधारित शिक्षा नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। महोदय, मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और माननीय मंत्री जी से एक ही मांग करता हूं और सलाह देना चाहता हूं कि वे हर स्कूल में प्राथमिक स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक जब असेम्बली में सभी बच्चे प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं तब महात्मा गांधी जी का 'वैश्नव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे', इस भजन को इंट्रोड्यूज करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार का भजन है जो सर्वोत्म मानवता के निर्माण में सहायक हो सकता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि वे इस बात पर विचार करें। इससे एक फायदा और हो सकता है कि जब महात्मा गांधी जी के इतने अच्छे भजन को आप इंट्रोड्यूज करेंगी, लोगों को प्रार्थना करने के लिए आदेशित करेंगी तो आप पर जो सेफरोनाइजेशन का आरोप लगता है, वह भी नहीं लग पाएगा क्योंकि हिंदुस्तान में धमरनिर्पेक्षता का अगर कोई प्रतीक है, तो वह महात्मा गांधी जी हैं और उनका यह भजन है। मैं माननीय मंत्री महोदया से गुजारिश करूंगा कि वे इस बारे में जरूर ध्यान दें। उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें मैं कुछ अपनी व्यथा तथा कुछ विभाग की कमजोरियों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वैसे मुझे इस बात का बड़ा खेद है और मैं तो चाहूंगा कि भारत सरकार, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कटौतियाँ की हैं, वे नहीं होनी चाहिए। मानव संसाधन विभाग या शिक्षा विभाग की कटौतियों का अर्थ होता है कि हम अपने सुन्दर भविष्य, एक सुसभ्य भविष्य में कटौती करते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पेपर सर्कुलेट किये हैं, उसमें एक अनुबंध 9(ञ) है, मुझे समझ में नहीं आया कि एक ओर तो सरकार के पास पैसे की कमी है और जन शिक्षण संस्थानों के नाम से कौन सा काम हो रहा है? आज हमारी आजादी के 65-66 साल हो गये। उसके बाद शिक्षा का इतना विस्तार हो गया, उसके बाद भी प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर, 114 करोड़ रुपये की राशि सरकार जन शिक्षण संस्थानों को देने के नाम पर व्यय करती है। मैंने कई क्षेत्रों में देखा है, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के आसपास के कई सांसद मित्रों से पूछा है, जो जानते हैं कि

इस प्रकार के जन शिक्षण संस्थान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ यहाँ से ग्रांट लेकर जाते हैं और उसे खा जाते हैं। मेरा कहना है कि आप इसकी जांच करा लें। यदि कोई बहुत अच्छा संस्थान हो, तो उसे राशि निश्चित रूप से जारी करें। मुझे तो अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता है। वहाँ भी एक जन शिक्षण संस्थान है और उसके अगल-बगल में भी कई संस्थान हैं, उनका कोई काम नहीं है। अतः माननीय मंत्री महोदया इस बारे में विचार करें और इस पर ध्यान दें। जो कटौतियाँ हुई हैं, वे डिवोल्यूशन के नाम पर हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डिवोल्यूशन के नाम पर यह नहीं होना चाहिए। जो विभिन्न योजनाएँ चल रही हैं, उनमें किसी प्रकार धन की कमी नहीं होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम देख रहे हैं, यह ईमानदारी की बात है, सच्चाई है, इसे स्वीकार करना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर शिक्षा देने का काम प्रदेश सरकारों का है, उनकी इस स्तर की शिक्षा में बहुत खराबियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। ग्रामीण स्तर पर जो स्कूल्स हैं, उनमें बच्चों का हम अच्छा रिजल्ट नहीं देखते हैं। ऐसे स्कूल्स के बच्चे अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाते हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें । माननीय मंत्री जी अपराह्न 02.30 बजे जवाब देंगे, अभी भी 20 सदस्य बोलने के लिए मौजूद हैं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मी नारायण यादव: इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि ग्रामीणों के लिए नये प्रकार अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर ब्लॉक में एक नवोदय विद्यालय आरंभ करे। उससे यह होगा कि उस ब्लॉक के स्तर पर जो विद्यार्थी अच्छे होंगे, प्रतिभावान होंगे, उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिल जाएगी और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जब से आर.टी.ई. लागू हुआ है तब से ऐसे निर्देश हो गये हैं कि आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को न रोका जाए। इसका परिणाम हुआ है, मैंने पच्चीसों स्कूल्स में जाकर देखा है, आठवीं कक्षा तक के बच्चों को ठीक से अपना नाम भी नहीं लिखना आता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पहली-दूसरी-तीसरी कक्षा तक तो विद्यार्थियों को न रोका जाए, लेकिन उसके बाद की कक्षा के बच्चों की परीक्षा ली जानी चाहिए और उन्हें इस योग्य बनाये जाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए ताकि वे पढ़ने-लिखने वाले बच्चे बन सकें।

मैं एक बात यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर भी कहना चाहता हूँ। हालांकि कहने के लिए तो बहुत था, लेकिन आपने मेरा समय बहुत कम कर दिया है, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा।

वर्ष 2009 में भारत सरकार ने 30 नये विश्वविद्यालयों को अपने हाथ में लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। उनमें से तीन-चार विश्वविद्यालयों को तो मैं जानता हूँ। कुछ जगहों पर तो इतनी बुरी हालत है, हमारे यहाँ सागर के वाइस चांसलर तो जेल में हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका एकमात्र कारण यही है कि उन विश्वविद्यालयों पर आपने किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसे वहां पर नियंत्रण रखना चाहिए, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का निर्माण वाइस-चांसलर की मर्जी से होता है। ये संस्थान राजनीति से दूर रहें, इसलिए लोकल पॉलिटिशियन्स को उनको नहीं रखा जाता है। वाइस-चांसलर जिनको नॉमिनेट करते हैं, वे लोग आधिकांशतः उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं और वे उन सबॉर्डिनेट्स से कुछ भी कराते हैं। हमारे यहां कई प्रोफेसर्स, चूंकि वाइस-चांसलर ने दस्तखत करा लिए हैं, सीबीआई की जांच के दायरे में आ गए हैं, जबकि मैं जानता हूं कि उनका कोई दोष नहीं है, उनको वाइस-चांसलर ने कहा कि दस्तखत कर दो और उन्होंने दस्तखत कर दिए। इसलिए मैं मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपको इस एक्ट में परिवर्तन करना चाहिए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्थानीय सांसद एवं अन्य अच्छे लोगों को

भी रखना चाहिए, सिर्फ प्रोफेसर्स से काम नहीं चलेगा और आपके अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता है कि बहुत गंभीरतापूर्वक उसे देख सकें। इस देश में आज निजी विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा खुल गए हैं, जैसा कहा जाता है मशरूम ग्रोथ, इनकी ग्रोथ उससे भी ज्यादा हो गयी है। इसे रोका जाना चाहिए। इसके लिए कोई अच्छी रेगुलेटरी अॅथारिटी बननी चाहिए, जो इन पर नियंत्रण कर सके वरना कल इनमें से पढ़े हुए बच्चे डिग्री लेकर घूमेंगे और अच्छे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी डिग्री लिए घूमेंगे। उनकी डिग्री कौन देखेगा। उनमें से पहला भी कहेगा कि मैं एमए, एलएलबी उत्तीर्ण हूं और दूसरा भी कहेगा कि मैं एमए, एलएलबी उत्तीर्ण हूं या पीएचडी हूं, उस स्थिति में शिक्षा का डिवैल्यूएशन हो जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बारे में विचार करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में एक स्ट्रांग रेगुलेटरी अॅथारिटी बननी चाहिए ताकि वे वाकई में शिक्षा के संस्थान बन सकें। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन बातों पर ध्यान दें और मैं इस विभाग की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*__श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडकरा):__ सामाजिक परिवर्तन, विकास और वृद्धि लाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए किसी भी परिवर्तन का समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ही हम एक ऐसे पुनरुत्थानशील राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं जो कल की चुनौतियों का सामना कर सके।[3]

जनसांख्यिकीय लाभांश हमारे देश का एक बड़ा लाभ है। और हमारी नवोदित पीढ़ी की महान क्षमता और प्रतिभा का समुचित उपयोग केवल गुणात्मक शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है।

अनुदानों की मांगों-2015 में भाग लेते हुए मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने से पहले पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है। हमें यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि हम एक बहुलवादी समाज में रहते हैं और हमारी संस्कृति मिश्रित है। इसलिए, नई शिक्षा नीति को हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकाचार और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखना होगा। इससे बच्चों के मन में वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा मिलेगा।

हमारे दिवंगत प्रधान मंत्री, राजीव गांधी जी ने वर्ष 1986 में यही किया था। तत्कालीन नई शिक्षा नीति की परिकल्पना और उसे अंतिम रूप देते समय उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक विचार-विमर्श किया था और इन व्यापक परामर्शों और बातचीत के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली में बड़ी छलांग ने गति पकड़ी।

सम्पूर्ण साहित्यिक कार्यक्रम और ग्रामीण बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों की स्थापना राजीव जी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ऐतिहासिक उपलब्धियां थीं।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया। ।

शिक्षा का अधिकार इस नीति का एक उप-उत्पाद है और हम इस तथ्य पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे देश जैसा विशाल लोकतांत्रिक देश, जिसकी जनसंख्या दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, वर्ष 6 से 14 के बीच के सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित कर सकता है। सरकार द्वारा पौष्टिक भोजन, पुस्तकें, गणवेश आदि भी निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।

मेरी समझ से शिक्षा का अधिकार अधिनियम, स्वतंत्र भारत द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे महान कानून है। और भारत का भाग्य कक्षाओं में तय होने जा रहा है।

यह राजीव गांधी जी ही थे जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया। इसका उद्देश्य मानव संसाधन विकास के माध्यम से एक जीवंत एवं सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना था।

भारत के समृद्ध जनसांख्यिकीय लाभांश को ध्यान में रखते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है और यह हमारे देश की प्रगति की कुंजी है।

हालाँकि, अगर शिक्षा के लिए किए गए आवंटन पर नजर डालें तो यह जानकर आश्चर्य होगा कि बजटीय आवंटन में भारी कटौती की गई है।

पिछले वर्ष की तुलना में एस.एस.ए. के लिए आवंटन में 22.14% की कमी आई है। इतनी बड़ी कटौती के साथ, हमारे बच्चों के खराब सीखने के स्तर को दूर करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना कैसे संभव है?

पिछली सरकार के प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए आवंटित राशि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 29% कम है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) के लिए यह कमी चौंका देने वाली 48% है। यह जानकर आश्चर्य होता है कि मध्याह्न भोजन के लिए आवंटन में भी भारी कटौती की गई है।

सरकार का तर्क है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य को उसका उचित हिस्सा मिलेगा। हकीकत में ऐसा होने वाला नहीं है।

यूनेस्को के अनुमान के अनुसार, विश्व में सबसे अधिक विश्वविद्यालय भारत में हैं। लेकिन यह जानना चिंताजनक है कि इनमें से एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के 200 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे पास आई.आई.टी., आई.आई.एम. आदि जैसे उत्कृष्ट संस्थान हैं। लेकिन जब बात विश्वविद्यालयों की आती है तो हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है।

यदि आप विश्व के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इनमें से कई विश्वविद्यालयों में भारत के प्रोफेसर और शिक्षाविद हैं। यह मस्तिष्क पलायन क्यों? गंभीर आत्मनिरीक्षण किया जाना चाहिए और इन प्रतिभाओं को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

शिक्षा का अधिकार समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों में 25% आरक्षण का आश्वासन देता है। यह देखना एक विरोधाभास है कि कई निजी संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और वे इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए भारी कैपिटेशन शुल्क वसूलते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो कमजोर वर्ग के बच्चों को इस ऐतिहासिक अधिनियम का लाभ कैसे मिलेगा। सरकार को इस बिंदु पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसे अक्षरशः लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने चाहिए। यदि शिक्षा को व्यावसायिक आधार पर चलाया जाएगा तो समानता, उत्कृष्टता और विस्तार के प्रमुख सिद्धांत केवल कागजों पर ही रह जाएंगे।

शैक्षिक समुदाय और बौद्धिक वर्ग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की काफी आलोचना की गई है कि सरकार कई शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता में दखल दे रही है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष, प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक श्री अनिल काकोडकर के साथ किए गए व्यवहार से संबंधित विवाद इसका एक उदाहरण है।

एन.सी.ई.आर.टी. की निदेशक प्रो. परवीन सिंक्लेयर जी को उनका कार्यकाल समाप्त होने से दो वर्ष पूर्व ही पद से हटा दिया गया। उन्हें बर्खास्त करने के फैसले से पहले खुद का बचाव करने की अनुमति नहीं थी।

आई.आई.टी., दिल्ली के निदेशक श्री शेवगांवकर जी के कार्यकाल से दो वर्ष पहले इस्तीफा देने से एक और विवाद खड़ा हो गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम ने काफी विवाद पैदा किया और अंततः सरकार ने इसे वापस ले लिया, जिससे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मामलों के प्रति उसकी अयोग्यता उजागर हो गई।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन एक अन्य प्रमुख मुद्दा था, जिस पर यह सरकार विभिन्न क्षेत्रों के इतिहासकारों के निशाने पर थी। आई.सी.एच.आर. के अध्यक्ष के रूप में श्री वाई. सुदर्शन राव जी की नियुक्ति ने काफी विवाद उत्पन्न किया, क्योंकि उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड से पता चला कि वे एक प्रतिष्ठित इतिहासकार नहीं थे। कोई भी देख सकता है कि यह सरकार किस तरह से गुप्त रूप से आई.सी.एच.आर. जैसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक निकाय का भगवाकरण करने का प्रयास कर रही है।

मुंबई में अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस में हुई चर्चा से यह भी पता चलता है कि यह सरकार ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन को भी लापरवाही से ले रही है। वैज्ञानिक समुदाय इस वर्ष की विज्ञान कांग्रेस से पूरी तरह निराश था। मैं इस बिंदु पर जोर दे रहा हूं क्योंकि विज्ञान और शिक्षा एकीकृत हैं।

मेरे पास ऐसे कई अन्य उदाहरण हैं जहां यह मंत्रालय तीव्र गति से शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा के किसी भी पुनर्निर्देशन की शुरुआत राजीव गांधी द्वारा निर्धारित वर्ष 1986 की नई शिक्षा नीति से होनी चाहिए, जो मानव संसाधन विकास के माध्यम से हमारे देश के समग्र विकास के लिए एक रोड मैप थी।

[हिन्दी]

*__श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला):__ मैं एचआरडी मंत्रालय की ग्रांट्स पर समर्थन करता हूँ। भारत जैसे विविधताओं वाले एवं भिन्न-भिन्न भाषाओं वाले विशाल देश में शिक्षा एक चुनौती है, देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को गुणवत्ता एवं रोजगार दिलाने वाली कौशल विकास शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया है। इसीलिए देश में 80,000 स्कूलों को अपग्रेड करने का निर्णय हुआ है। एवं 6 हजार मॉडल स्कूल, हर राज्य में आईआईएम, आईआईटी, ट्रिपल आईटी जैसे विश्वस्थरीय संस्थान खड़े करने के निर्णय लिए गए हैं। हम प्रधानमंत्री के विजन का इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी उन्हें भारत रत्न दिया। राष्ट्रपति महोदय ने भी संसद के दोनों सदनों में सरकार के विजन को प्रदर्शित करते हुए उच्च शिक्षा एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा पर बल दिया है। इसी प्रकार से हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि शिक्षा वो होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। बजट में शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है ताकि जमीनी हालात को बदला जाए और एजुकेशन और स्किल डेवलेपमेंट को शिक्षा का आधार बनाया जाए।

सर्वशिक्षा आभियान शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है इसलिए बजट में 22 हजार करोड़ रुपए इस मद में रखा गया है। मिड डे मील के लिए 9 हजार करोड़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में 3565 करोड़ तकनीकी शिक्षा में 2200 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा में 1155 करोड़, सूचना प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेरा मानना है कि गुणवत्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली एक शक्ति संवर्द्धक है, जो विश्व के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत की कालाकल्प कर देगी। जिस प्रकार से आज दुनिया में डिजिटल क्रांति आई है, भारत भी उस डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। यह तकनीक हमारे छात्रों को अच्छी शिक्षा और अच्छे मूल्यों को प्रदान कराएगी और उनका

* भाषण सभा पटल पर रखा गया। ।

भविष्य संवारने में सार्थक साबित होगी। हमारी शिक्षा नीति में इनपुट की बजाट आउटपुट पर जोर दिया गया है, इसलिए पढ़ने लिखने और गणीतीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए (पढ़े भारत, बढ़े भारत) एक उत्तम कदम है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के लिए हरियाणा को चिन्हित किया और सारे विश्व को भारत के इस संकल्प के बारे में अवगत कराया।

जहाँ पर सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है, वहीं पर आजादी के बाद जो तस्वीर दिखायी पड़ती है उसमें धुंधलापन है। ताजा रिपोर्ट ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई-लिखाई के गिरते स्तर के बारे में सचेत किया है। बुनियादी शिक्षा के स्तर को हमें गंभीर चुनौती के रूप में बनाना होगा। आज मन को बड़ा दुख होता है जब रिपोर्ट में यह प्रदर्शित किया जाता है कि हमारे पांचवीं के बच्चे दूसरे क्लास की पुस्तक नहीं पढ़ सकते। हमारे बच्चों की गणित व अंग्रेजी की नींव बहुत कमजोर होती है। इसमें अध्यापकों का ट्रेंड न होना भी आग में घी का काम कर रहा है। ये भी सर्वे में आया है कि 20 प्रतिशत अध्यापक अपने योग्यता टेस्ट को पास ही नहीं कर पाते। यह देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में और बड़े बदलाव की जरूरत है। बाजारीकरण के इस दौर में आभिभावक शिक्षा को बच्चे के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन भी मानते हैं। यद्यपि इसे गलत प्रवृत्ति भी कहा गया है क्योंकि बाजारीकरण की शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास में बाधा खड़ी कर सकती है।

यह सच है कि शिक्षा केन्द्र और राज्यों की मिलीजुली जिम्मेवारी है। यद्यपि 14वें फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के वित्तीय अधिकार 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिए हैं। इससे राज्यों की शिक्षा पर खर्च करने की जिम्मेवारी आधिक बढ़ गयी है। यद्यपि हमारे आलोचक सर्व शिक्षा आभियान, मिड डे मिल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान, टीचर ट्रैनिंग जैसी मदों में बजट में कमी की बात कहकर हमारे ऊपर निशाना साध रहे हैं। हमें राज्यों के साथ ठोस ढंग से बात करके इस भ्रांति को मिटाना होगा और चाहे हमें कोई भी तकनीक अपनानी पड़े, हमें इस क्षेत्र में धन की उपलब्धि बढ़ानी पड़ेगी। हमें सर्वशिक्षा अभियान में ट्रांसपेरेंसी भी लानी होगी और अध्यापकों की भर्ती करते वक्त क्वालीफाइड अध्यापकों की

भर्ती पर भी जोर देना होगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 68 साल की आजादी के बाद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि अव्वल में तो गाँवों में स्कूल नहीं है, स्कूल हैं तो सिंगल अध्यापक है, आधारभूत ढाँचे की कमी है। हमें इस ओर ध्यान देना होगा। मैं मंत्री महोदय को बधाई भी देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए स्वच्छता आभियान के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए टॉयलेट बनाने का क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया है। मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार इस अवधाराणा को समाप्त करे कि प्राइवेट स्कूलों में ही गुणवत्ता की शिक्षा मिलती है। हमें आरटीई एक्ट के अनुसार क्लास में अध्यापक व बच्चों का 1.30 के रेशियों को भी बनाकर रखना होगा और शिक्षा के लिए हमने जो भी योजना बनाई है उस योजना को हमें एक निश्चित समय में लागू करना होगा ताकि कोई योजना पिछड़ न जाए।

मैं अंबाला लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूँ जो एक आरक्षित क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र का विकास पिछले कई दशकों से रुका पड़ा है। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब अंबाला गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता था। यह प्रदेश का हर क्षेत्र में उन्नत लोक सभा क्षेत्र था, परंतु आज वहाँ न कोई आईआईएम है न कोई आईआईटी है, न कोई स्किल डेवलेपमेंट के लिए कोई संस्थान है। छात्राओं के लिए भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। मेरी लोक सभा का पंचकूला जिला हरियाणा की मिनी राजधानी कहा जाता है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में वहां पर कोई बड़ा संस्थान आज तक क्यों नहीं आया। आज भारत सरकार बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाने जा रही है। भारत सरकार ने इस दिशा में बहुत सकारात्मक कदम उठाएं हैं। मैं इस जयंती वर्ष में माननीय मंत्री महोदय से ये अनुरोध करूँगा कि मेरे क्षेत्र में बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अंबेडकर के नाम से एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। महिला विश्वविद्यालय बनाया जाए, आईआईएम, आईआईटी जैसी संस्था लायी जाए। मैं यह भी मांग करूँगा कि दलित छात्रों के स्कॉलरशिप में वृद्धि की जाए एवं उनके लिए आधुनिक छात्रावास बनाए जाए। ताकि उनको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई तकलीफ न आए। अतः मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

*__श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय):__मैं हमारी प्रिय नेता माननीय मक्कलिन मुदालवर इधाया देवम पुरात्ची थलाइवी डॉ. अम्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित सभा में सेंट्रल चेन्नई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया तथा वर्ष 2015-16 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग जैसे दो विभाग शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए बजट अनुमान 42,219.50 करोड़ रुपये है, जिसमें से 39,038.50 करोड़ रुपये योजना परिव्यय के लिए और 3,181.00 करोड़ रुपये गैर-योजना परिव्यय के लिए हैं। इस विभाग के लिए कुल बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु. 55,115.10 करोड़ से घटाकर वर्तमान में रु. 42,219.50 करोड़ कर दिया गया है। सरकार का इरादा 80,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों को अपग्रेड करना और 75,000 जूनियर / मिडिल को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर जोड़ना या अपग्रेड करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चे की 5 किमी पहुंच के भीतर एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने तथा इस विभाग के अंतर्गत चल रही अनेक योजनाओं को जारी रखने के लिए वर्ष 2015-16 के लिए बजट आवंटन में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वृद्धि की गई है। आइए हम इस मामले पर पुनर्विचार करने और वर्ष 2015-16 के लिए परिव्यय में वृद्धि की उम्मीद करें।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मध्याह्न भोजन सहित स्कूली शिक्षा से संबंधित मुद्दों को पूरा करने के लिए इस विभाग के लिए परिव्यय बढ़ाना आवश्यक है। तमिलनाडु राज्य का चमकदार उदाहरण है कि राज्य में स्कूली बच्चों को संतुलित पोषण के साथ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है तथा सभी स्कूली बच्चों को साइकिल, पुस्तकें, गणितीय उपकरण, एटलस, यूनिफॉर्म, बैग, जूते आदि जैसी सभी आवश्यक चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, तथा उच्चतर माध्यमिक, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक और कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप, कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका सार्वभौमिक कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए।

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए बजट अनुमान रु. 26,855.26 करोड़ है, जिसमें से रु. 15,855.26 करोड़ योजना परिव्यय के लिए और रु. 11,000.00 करोड़ गैर-योजना परिव्यय के लिए हैं। इस विभाग के लिए कुल बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रु. 27,656.00 करोड़ से घटाकर वर्तमान में रु. 26,855.26 करोड़ कर दिया गया है।

इसमें अनेक प्रस्ताव हैं, जैसे कर्नाटक में नया आई.आई.टी. स्थापित करना, धनबाद स्थित भारतीय खनन विद्यालय को पूर्ण आई.आई.टी. में उन्नत करना, नागालैंड और ओडिशा में विज्ञान और शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित करना, अरुणाचल प्रदेश में फिल्म निर्माण, एनीमेशन और गेमिंग केंद्र तथा हरियाणा और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करना। मैं तमिलनाडु राज्य के लिए एक और आई.आई.टी. की मंजूरी तथा प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना इसी वित्तीय वर्ष में करने की जोरदार अपील करता हूं।

यह देखा गया है कि वित्त वर्ष 2014-15 में संशोधित आवंटन की तुलना में शिक्षा क्षेत्र में कुल कटौती 2.02% है। कुल मिलाकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग को

लगभग रु. 69.074 करोड़ मिले हैं। 2014-15 के लिए परिशोधित प्राक्कलन लगभग 70,505 करोड़ रुपये था। हालांकि, वित्त वर्ष 2014-15 के वास्तविक व्यय से तुलना करें तो यह कटौती लगभग 16.54% है।

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए व्यय में भारी कटौती से बेहतर स्कूल शिक्षा तथा अत्याधुनिक उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के हमारे प्रयासों में देरी होगी।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह आवंटन मामले पर पुनर्विचार करे और इसे उचित उच्च स्तर तक बढ़ाए ताकि महत्वपूर्ण शिक्षा क्षेत्र को मदद मिल सके।

मैं एक बार फिर हमारी आदरणीय नेता डॉ. अम्मा और अध्यक्ष महोदया को इस अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

*__श्री श्रीरंग अप्पा बारणे (मावल):__ शिक्षा केवल कार्यक्षमता को बढ़ाने का मात्र साधन नहीं है यह जन साधारण की सहभागिता को व्यापक बनाने और व्यक्ति समाज की समग्र गुणवत्ता को प्रभावी बनाने का उपकरण भी है शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी समाज को सभ्य और सुविकसित बनाया जा सकता है। इसी सोच को ध्यान में रख कर वर्तमान सरकार कार्य कर रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन दो विभाग शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा विभाग है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का उद्देश्य है राष्ट्र की मानव क्षमता का भरपूर उपयोग के लिए सभी को एक समान शिक्षा मिले और उच्चतर शिक्षा विभाग का उद्देश्य समानता और उत्कृष्टता[4] के साथ भारत की मानव क्षमता का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो, और आज के एक इस अत्यंत प्रतिस्पर्धा के वातावरण में अच्छे गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन आधार बहुत ही आवश्यक है इसी दिशा में पिछले कई दशकों से विकास की अवधारणा विकसित हुई है।

जहाँ एक ओर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु नई नई योजनाएं बनाई जा रही है, वहीं शिक्षा के प्रति हमें जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत हैं। देश के सरकारी शिक्षण संस्थान में हमें बेहतर शिक्षा मिलेगी या नहीं, यह बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वर्तमान में कोई स्कूल भवन नहीं है। बच्चे खुले मैदानों या पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं और अगर कहीं पर कोई स्कूल भवन है तो बहुत ही जर्जर हालत में है। स्कूल में बैठने के लिए फर्नीचर तक उपलब्ध नहीं है। छात्र-छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं अतः सरकार को इस हकीकत पर विचार करना होगा और इस स्थिति से निपटने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाने होंगे। तभी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सफल साबित होंगी।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया। ।

शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तो किया जाता रहा है लेकिन मैं सरकार का ध्यान स्कूलों में शिक्षकों की कमी की ओर दिलाना चाहता हूँ। आज देश में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ लगभग 500 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2 या 3 ही शिक्षक हैं। एक ही शिक्षक इतने छात्रों को कई विषयों की पढ़ाई कराते हैं। इस गंभीर स्थिति को भी समझने की जरूरत हैं अगर एक ही शिक्षक कई विषयों की पढ़ाई कराएगा तो शिक्षा का स्तर क्या होगा। यह अपने आप समझ में आता है अतः सरकार को सबसे पहले स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना होगा ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके।

पिछले कुछ सालों से शिक्षा का व्यावसायीकरण बढ़ गया है। हर जगह कई निजी स्कूल खुल चुके हैं और इन निजी स्कूलों ने पूर्ण रूप से शिक्षा का व्यवसाय शुरू कर दिया है। आज के समय में निजी स्कूल वह सब शिक्षा देती हैं जिस प्रकार की शिक्षा मानव उत्थान के लिए जरूरी है। परंतु इस शिक्षा के बदले निजी स्कूल एनुअल चार्ज, एवं अन्य तरह तरह के चार्ज लगाकर आभिभावकों से मोटी रकम वसूलते हैं और हर साल 20 से 30 प्रतिशत तक फीस बढ़ा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सरकार इस प्रकार निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने से रोकने हेतु उचित कार्यवाही करे और शिक्षा के व्यवसायीकरण कारण को रोकें तथा निजी स्कूल पर सरकार का नियंत्रण और बढ़ाया जाए।

इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति अभी भी दयनीय है और हम उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की बात करते हैं। आज भी देश के सभी सरकारी स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं की कमी नजर आती है। देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहां पर शौचालय, पीने का पानी, उचित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलने की सामग्री और खेल मैदान तथा खेल प्रशिक्षक की बेहद कमी है और करीब 700-800 बच्चों पर मात्र 35-40 कंप्यूटर उपलब्ध हैं और इसी के चलते लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक इन सब तरह की सुविधाओं की पूर्ति नहीं की जाएगी तब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पाएगा और देश के नागरिक विशेषकर शहरों में रहने वाले लोगों को सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं होगा। यदि हमें लोगों का भरोसा इन

सरकारी स्कूलों पर बढ़ाना है तो हमें सभी सरकारी स्कूलों में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षकों की संख्या भी बढ़ानी होगी।

केन्द्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा का स्तर बाकी सरकारी स्कूलों से बेहतर है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रत्येक सांसद के लिए उनके क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु प्रतिवर्ष 6 सीट का कोटा निर्धारित किया हुआ है। इन मात्र 6 सीट के लिए हमारे पास प्रतिवर्ष 400-500 लोगों का आवेदन आता है और यह हमारे लिए कठिन स्थिति बन जाती है। अतः मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि केन्द्रीय विद्यालय में प्रत्येक सांसद को उसके क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय के लिए 10-10 सीट का कोटा बनाया जाए जिससे कि क्षेत्र वासियों की कोई नाराजगी न हो और बच्चों को भी एक बेहतर शिक्षा मिले सके।

[अनुवाद]

*__श्री भर्तृहरि महताब (कटक):__ दुनिया भर की सभी सरकारें शिक्षा के महत्व को पहचानती हैं। केवल वे समाज ही आज वैश्विक बाजार में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जिन्होंने प्रासंगिक ज्ञान और कौशल हासिल कर लिया है और यह बच्चों और युवाओं को प्राप्त शिक्षा की गुणवत्ता और मानक पर निर्भर करता है। इसलिए शिक्षा पर निवेश, राष्ट्र की वृद्धि और विकास को तीव्र करने के लिए एक शक्ति तंत्र के रूप में उभरा है। शिक्षा न केवल कार्यकुशलता बढ़ाने का एक साधन है, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने और व्यापक बनाने तथा व्यक्ति और समाज की समग्र गुणवत्ता को उन्नत करने का एक कुशल साधन भी है। भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और तीव्र क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए [5]संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश को प्राप्त करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि तेजी से बदलते घरेलू और वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए मात्र मात्रात्मक विस्तार से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

जबकि प्राथमिक शिक्षा राष्ट्र के लिए मौलिक आवश्यकता है, उच्च शिक्षा वैश्वीकृत युग में इसकी आर्थिक और तकनीकी प्रगति को निर्धारित करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दो विभाग हैं, अर्थात्, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग। मैं इन दोनों विभागों पर अलग-अलग तथा विशेष रूप से इस वर्ष के बजटीय आबंटन पर चर्चा करना चाहूंगा। यूनियन बजट 2015-16 मिश्रित प्रतिक्रियाएं लेकर आया है। जबकि उच्च शिक्षा, कौशल विकास और नौकरियों को अधिक महत्व दिया गया है, मुझे लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी मुद्दों की उपेक्षा की गई है या उन्हें बहुत कम महत्वपूर्ण माना गया है। शिक्षा क्षेत्र को कुल रु. 68,968 करोड़ आवंटित किए गए हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग को वर्ष 2015-16 में रु. 26,855 करोड़ मिले हैं, जो पिछले वर्ष 2014-15 में मिले रु. 23,700 करोड़ से 13.31

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।।

प्रतिशत अधिक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान 80,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों को उन्नत करने और 75,000 जूनियर/मिडिल को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में जोड़ने या उन्नत करने की योजना द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) को पिछले वर्ष के रु. 93.14करोड़ की तुलना में रु. 100 करोड़ आवंटित किए गए हैं। फिर भी, मैं कहूंगा कि शिक्षा के लिए समग्र आवंटन में मामूली कमी आई है। उच्च शिक्षा हेतु लगभग 22% की वृद्धि हुई है और यह दर्शाता है कि स्कूल से उच्च शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। सरकार ने स्कूल विभाग के लिए रु. 42,219.5 करोड़ निर्धारित किए हैं। वर्ष 2015-16 के लिए शिक्षा बजट पिछले वर्ष की तुलना में रु. 46.805 करोड़ अधिक है। स्कूल क्षेत्र में आबंटन को योजनागत परिव्यय में लगभग 10% की कटौती करके पिछले बजट में रु. 43,517.9 करोड़ से घटाकर रु. 39,038 करोड़ कर दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना की निधि में भारी कटौती की गई है, जो पिछले वर्ष रु. 1296.5 करोड़ से घटकर इस वर्ष रु. 133 करोड़ रह गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन इस बात का बहुत कम उल्लेख है कि जमीनी स्तर पर सभी को शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जाए।

सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गिरती गुणवत्ता वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक चर्चा वाले मुद्दों में से एक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में भी इस मुद्दे को उठाया गया है कि कैसे एक करोड़ से अधिक बच्चे आर.टी.ई. अधिनियम जैसे कानून के लाभों से वंचित रह रहे हैं। यद्यपि साक्षरता दर और स्कूल नामांकन में सुधार हुआ है, फिर भी अंतरराष्ट्रीय तुलना में भारत में शिक्षा की स्थिति निराशाजनक है। एन.सी.ई.आर.टी. ने यह भी बताया है कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र में सीखना एक बड़ी चुनौती है। सीखने का स्तर राज्यों, लिंग, सामाजिक भूमि और क्षेत्रों में भिन्न होता है। शिक्षा के उच्च स्तर पर स्थिति अधिक गंभीर है। सी.बी.एस.ई. द्वारा कक्षा 9 के 2 लाख विद्यार्थियों के लिए किए गए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) में से केवल 90 हजार विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो सके। शिक्षा के प्रारंभिक चरणों में खराब शिक्षण को इस असफलता का प्रमुख कारण माना गया।

प्रारंभिक शिक्षा 6-14 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। इस आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या लगभग 237 मिलियन है। 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या 442 मिलियन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 से लागू है। यद्यपि अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कई परिपत्र जारी किए गए हैं, फिर भी बहुत कम प्रगति हुई है। यद्यपि शिक्षा की मांग बढ़ रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में नामांकन समय के साथ घट रहा है। वार्षिक शिक्षा स्थिति प्रतिवेदन (ए.एस.ई.आर.) के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण भारत में निजी स्कूलों में नामांकन 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में ग्रामीण क्षेत्रों में 30 प्रतिशत से अधिक बच्चे निजी स्कूलों में नामांकित थे। सीखने के परिणामों के रूप में आउटपुट की खराब गुणवत्ता इस वरीयता परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए, पूरे देश में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए पर्याप्त आवंटन किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के लिए जी.एन.पी. के 6 प्रतिशत के लिए वर्ष 1966 में कोठारी आयोग की सिफारिश अभी भी पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हुई है। वर्तमान में, केंद्र सरकार शिक्षा पर कुल सरकारी व्यय का केवल एक-चौथाई हिस्सा वहन करती है, जबकि शेष तीन-चौथाई व्यय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्र सरकार को शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की दिशा में बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। वे भारत की जनसंख्या का 39 प्रतिशत हैं, जिससे देश में विश्व की 20 प्रतिशत बाल जनसंख्या निवास करती है, लेकिन इस बार बजट में बच्चों को सबसे कम हिस्सा मिला। इस बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 2% की कटौती की गई है, जबकि सरकार कुछ राज्यों में नए आई.आई.टी. और आई.आई.एम. स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है। इस वर्ष के बजट में शिक्षा के लिए समग्र आवंटन में मामूली कमी की गई है, लेकिन नियोजित उच्च शिक्षा बजट में लगभग 22% की वृद्धि की गई है। इससे पता चलता है कि स्कूल से उच्च शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, लेकिन संशोधित अनुमान रु. 23,400 करोड़ से बढ़कर रु. 26,855 करोड़ होने से लगभग रु. 3000

करोड़ की वृद्धि, नए आई.आई.टी. और पांच नए आई.आई.एम. को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। औसतन एक आई.आई.टी. की लागत रु. 1750 करोड़ और एक आई.आई.एम. की लागत लगभग रु. 1000 करोड़ होती है। भुवनेश्वर और नागालैंड में नए भारतीय विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का मामला भी ऐसा ही है। इस पर बड़ा खर्च आएगा। धन कहां है? उच्च शिक्षा को प्रभावित करने वाली बड़ी समस्या राज्य विश्वविद्यालयों की दयनीय स्थिति है। अपने अंतिम चरण में यू.पी.ए.-2 ने राज्य विश्वविद्यालयों के लिए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) की शुरुआत की थी। कई राज्य इसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन यह सरकार आर.यू.एस.ए. के प्रति कम उत्साहित दिखती है।

मानव संसाधन विकास पर अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हुए, मैं कहूंगा कि बजट में शिक्षा के लिए समग्र प्रावधान उतना उत्साहजनक नहीं है। यद्यपि उच्च शिक्षा पर ध्यान देना सराहनीय है, लेकिन राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने की बात - जो समय की सख्त जरूरत है - बजट में नहीं दिखती। अब राज्यों को प्रमुख स्कूल योजनाओं पर अधिक खर्च करना होगा। यू.जी.सी. को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने इसकी लागत के लिए बजट नहीं बनाया है।

ऐसा नहीं है कि केवल उच्च शिक्षा ही कठिनाई में है, तकनीकी शिक्षा भी खस्ताहाल है। भारतीय शिक्षा, चाहे वह स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो, इसके लिए मानसिकता में गंभीर बदलाव की आवश्यकता है। शिक्षा समाज, उसके मूल्यों, संस्कृति और प्रगति की नींव है। अब समय आ गया है कि हम आदर्श स्कूल शिक्षक को वापस लाएँ। यह समझने का भी समय आ गया है कि शिक्षा भी एक गंभीर व्यवसाय है जिसे निजी क्षेत्र पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए।

[*]**कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर):** भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता काफी समय से चिंता का कारण रही है। यद्यपि वर्तमान नीति, जिसमें सार्वभौमिक शिक्षा के लिए एक नया कानून भी शामिल है, बच्चों की शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने का एक बड़ा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, परन्तु यह उनके सीखने के कौशल को विकसित करने पर बहुत कम जोर देती है।

ऐसे देश में जहां शिक्षा संवैधानिक रूप से गारंटीशुदा मौलिक अधिकार है, शिक्षा की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आ रही है। ग्रामीण भारत में गरीब परिवार अपने बच्चों को आधी-अधूरी शिक्षा दिलाने के लिए बहुत अधिक नकदी खर्च कर रहे हैं। सरकार शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम के अंतर्गत अपने सभी बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा रही है, लेकिन ग्रामीण भारत में निजी स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले साल की तुलना में हर साल 10% अधिक छात्र इन स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं।

ऐसा महसूस किया जा रहा है कि शिक्षा के अधिकार (आर.टी.ई.) के कारण कक्षा में पढ़ाई में ढील आ गई है, क्योंकि सभी परीक्षाएं और मूल्यांकन समाप्त कर दिए गए हैं और किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा। भारत में प्राथमिक शिक्षा के लिए बुनियादी आधारभूत कौशलों का शिक्षण-अधिगम मुख्य एजेंडा होना चाहिए। सीखने में एक राष्ट्रीय संकट है। सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाना होगा तथा सरकार को इस क्षेत्र में निजी पूंजी के आक्रमण को रोकना होगा। आर.टी.ई. के साथ या उसके बिना, यहां तक कि प्राथमिक स्कूल शिक्षा भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है।

वर्ष 2013 में जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति प्रतिवेदन (ए.एस.ई.आर.) में सभी भारतीय राज्यों में पढ़ने और गणित के स्तर पर कुछ चौंकाने वाली टिप्पणियां की गई थीं। वर्ष 2010 में, राष्ट्रीय स्तर पर,

[*] भाषण सभा पटल पर रखा गया। ।

कक्षा 5 के सभी बच्चों में से 46.3 प्रतिशत कक्षा-2 स्तर का पाठ नहीं पढ़ सके। यह अनुपात वर्ष 2011 में बढ़कर 51.8 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2012 में 53.2 प्रतिशत हो गया। पढ़ने के स्तर में यह गिरावट मुख्य रूप से हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में है, जो देश में सबसे अधिक साक्षर राज्य हैं। गणित में स्थिति बहुत गंभीर है, विशेषकर सरकारी स्कूलों में।

स्पष्टतः, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र शिक्षण कौशल को बढ़ावा देने के लिए मजबूत संस्थागत तंत्र बनाने में विफल रहा है। नई नीतिगत पहल भी भरोसा पैदा नहीं करतीं। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी स्कूल में गतिविधियों के समन्वय के लिए स्कूल प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) गठित करने की आवश्यकता होती है। एस.एम.सी. स्कूलों के संचालन की देखरेख करती है और राज्य और केंद्र सरकार से धन प्राप्त करती है। तीन-चौथाई एस.एम.सी. में माता-पिता और बाकी स्थानीय अधिकारी, शिक्षक और शिक्षाविद् शामिल होने चाहिए। इसका उद्देश्य स्कूल के संचालन में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना था। दिल्ली स्थित सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के एक कार्य पत्र में कहा गया है कि स्कूल विकास योजनाएं एस.एम.सी. में बमुश्किल ही क्रियाशील हैं और सदस्य अपनी जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ हैं।

शिक्षण प्रणाली को विशिष्ट कौशल वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करना होगा तथा इन कौशलों को प्राथमिक स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए। ऐसा होने के लिए, शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली में व्यापक बदलाव करना होगा। शिक्षक पात्रता के लिए मानक माने जाने वाले केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी.ए.टी.) में वर्ष 2012 में शामिल हुए 7.95 लाख शिक्षकों में से 99 प्रतिशत से अधिक शिक्षक परीक्षा पास करने में असफल रहे। इसका मुख्य कारण पुरानी हो चुकी बी.एड. डिग्री प्रणाली है। एन.सी.ई.आर.टी. के एक पेपर में कहा गया है कि बी.एड. कार्यक्रम बहुत छोटा है और यह 'समझने के लिए पढ़ाने' के बजाय 'रटने' पर केंद्रित है।

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 में अध्यापकों के लिए लंबी तैयारी की सिफारिश की गई थी, लेकिन बी.एड. पाठ्यक्रम संरचना एक वर्ष के लिए ही जारी रही। छात्रों को पढ़ाने के लिए कौशल, योग्यता और दृष्टिकोण विकसित करने हेतु पर्याप्त कुशल प्रशिक्षकों और तैयारी का भी अभाव है।

स्पष्ट रूप से, देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली खंडित हो गई है और इसे ठीक करने का प्रयास कमजोर है। यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो ये युवा देश में शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या में शामिल हो जाएंगे।

चार कदम जो भारत की शिक्षा प्रणाली को एक साधारण शिक्षा प्रणाली से विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तित कर सकते हैं:-

सबसे पहले, शिक्षा में न केवल अधिक निवेश करना महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐसा अधिक रणनीतिक ढंग से करना भी आवश्यक है। सरकार को शिक्षक शिक्षा एवं विकास, प्रधानाचार्य प्रशिक्षण, शिक्षा में आई.सी.टी. एवं मूल्यांकन में अधिक संसाधन निवेश करना चाहिए। इसके अलावा, राज्यों को बजट आवंटन का एक हिस्सा प्रगतिशील शिक्षा नीतियों को अपनाने और परिणामों में सुधार पर निर्भर होना चाहिए।

दूसरा, राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन के माध्यम से गुणवत्ता मानकों में सुधार। भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किसी भी योजना अभ्यास के मूल में मूल्यांकन होना चाहिए। सरकार को राज्यव्यापी शिक्षण मूल्यांकन शुरू करना चाहिए, जो बच्चों की स्कूली यात्रा के दौरान नियमित अंतराल पर किया जाए, जिससे शिक्षण में खामियां दूर करने और सुधार में भी योगदान मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, स्कूल स्तर पर सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करने हेतु स्कूल रेटिंग प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

गुजरात सरकार ने गुणोत्सव कार्यक्रम के साथ इस संबंध में पहले ही पहल कर दी है। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जवाबदेही ढांचा है, जिसमें बच्चों के सीखने के परिणामों के साथ-साथ सह-शैक्षणिक गतिविधियां, वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी दोहराया जा सकता है।

तीसरा, स्कूल प्रधानाचार्यों को कुशल स्कूल नेता बनने के लिए तैयार करना। महान नेता हर क्षेत्र में महान संस्थाएं बनाते हैं। स्कूलों में प्रधानाचार्य सर्वोच्च अधिकार क्षेत्र में होते हैं, फिर भी उनकी भूमिका प्रायः प्रशासनिक कार्यों तक ही सीमित होती है। प्रधानाचार्य की भूमिका को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है - एक प्रशासक के बजाय एक अनुदेशात्मक नेता के रूप में। इसके अलावा, हमें स्कूल नेताओं की भर्ती के लिए सख्त दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत है, जिसमें वरिष्ठता की अपेक्षा योग्यता को प्राथमिकता दी जाए। गुजरात ने अपने प्रधानाचार्यों के चयन के लिए हेडमास्टर पात्रता परीक्षा की स्थापना करके एक बार फिर अग्रणी भूमिका निभाई है। सरकार को प्रत्येक राज्य में स्कूल नेतृत्व के लिए केन्द्र स्थापित करने चाहिए तथा सभी प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ निरंतर प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाना चाहिए।

चौथा, बेहतर सीखने के परिणामों के लिए शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज शिक्षण सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित नहीं करता है। हमें भारत में जन जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है जो शिक्षण को एक पुरस्कृत और सार्थक पेशे के रूप में प्रभावी ढंग से पेश करने में सक्षम हो। भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शिक्षक शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाने की आवश्यकता है। हमारे अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टी.ई.आई.) की क्षमता अत्यंत विखंडित है, 14,000 टी.ई.आई. में 11 लाख से अधिक सीटें हैं। इनमें से अधिकांश क्षमता निम्न गुणवत्ता की है, जो अपारदर्शी, खराब ढंग से तैयार की गई टी.ई.आई. मान्यता प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाई गई है। सरकार को शीर्ष 10 केंद्रीय

विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों का निर्माण और विस्तार करना चाहिए तथा एस.सी.ई.आर.टी. और डी.आई.एस.ई. (जिला शिक्षा सूचना प्रणाली) को मजबूत करना चाहिए।

मेरा मानना है कि भारत में हर बच्चा उत्कृष्ट शिक्षा का हकदार है। मैं यह भी मानती हूं कि हमारे देश की विशालता और विविधता को देखते हुए हम केवल प्रयोग और विश्लेषण के माध्यम से ही सफल हो सकते हैं, न कि केवल पूर्वनिर्धारित नियमों को अपनाकर। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे देश को साहसिक सुधारों और स्पष्ट लक्ष्य के साथ केंद्रित कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

हमारे उभरते बाजार समकक्षों - चीन, ब्राजील और पोलैंड आदि - ने शिक्षा सुधार को प्राथमिकता दी है, क्योंकि वे इसे सतत आर्थिक विकास का सबसे सुनिश्चित मार्ग मानते हैं। 240 मिलियन बच्चों का भविष्य दांव पर है और एक जागरूक नागरिक के रूप में मैं सरकार से इन साहसिक कदमों पर ध्यान देने का आग्रह करती हूं, जो वास्तव में उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

*__श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर):__ भारत अभी भी विकासशील देश क्यों है और उसे विकसित देश बनने में क्या रूकावट आ रही है? जब भी मैं भारत की शिक्षा प्रणाली के बारे में कुछ पढ़ता हूं तो यह प्रश्न मेरे मन में आता है। मैं भारत की शिक्षा प्रणाली को समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा के रूप में देखता हूं।

मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हम सभी कुछ चौंकाने वाले तथ्यों से परिचित हैं। डी.एन.ए. के एक प्रतिवेदन के अनुसार भारत में लगभग 90 मिलियन लोग कार्यबल में शामिल होंगे, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास अपेक्षित कौशल और उत्पादक रोजगार के लिए मानसिकता का अभाव होगा। भारत में 25 वर्ष से कम आयु के लगभग 550 मिलियन लोग हैं, जिनमें से 23% के विश्व औसत की तुलना में केवल 11% तृतीयक संस्थानों में नामांकित हैं।

मैं भारत की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की कमियों और इसके इतिहास या इसकी उत्पत्ति पर बहुत अधिक जोर नहीं दूंगा, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर अतीत में अच्छी तरह से बहस हो चुकी है और इसके मुख्य पहलुओं को पहले ही इंगित किया जा चुका है। मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि कैसे शिक्षा प्रणाली की विफलता आय असमानता के एक अन्य सामाजिक मुद्दे को जन्म दे रही है और इसलिए, [6]भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार और असमानता को कम करने के लिए कुछ नीतियों का सुझाव दूंगा।

भारतीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी निम्न गुणवत्ता है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली वास्तविक स्कूली शिक्षा की मात्रा और उन्हें मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता अत्यंत अपर्याप्त है। सभी सरकारी स्कूलों में आम तौर पर शिक्षा की खराब गुणवत्ता, कमजोर बुनियादी ढांचा और अपर्याप्त शैक्षणिक प्रतिबद्धता पाई जाती है। हम अभी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

शिक्षा, जो मानव पूंजी को समृद्ध करने का स्रोत है, व्यापक आय असमानताएं पैदा कर सकती है। यह देखकर आश्चर्य होगा कि शिक्षित लोगों के एक ही समूह के भीतर आय असमानताएं कैसे पैदा हो जाती हैं।

सरकार को कुछ नीतिगत उपाय करने होंगे। आज शिक्षा पर सरकारी व्यय की मुख्य प्राथमिकता निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों की सरकारी स्कूलों तक पहुंच हो तथा उन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े।

शिक्षा की खराब गुणवत्ता का एक अन्य कारण सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की खराब गुणवत्ता है। हमारे सरकारी स्कूल अपर्याप्त शिक्षण सुविधाओं और कम वेतन के कारण अच्छे गुणवत्ता वाले शिक्षकों को आकर्षित करने में असमर्थ हैं। सरकार वर्तमान में शिक्षा पर अपने जी.डी.पी. का केवल 3% खर्च करती है जो अपर्याप्त और कम है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार को अपने बजट से शिक्षा पर अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता है।

अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सार्वजनिक स्कूली शिक्षा प्रणाली की समस्याओं का एकमात्र रामबाण इलाज वाउचर योजना है। वाउचर प्रणाली के अंतर्गत, अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए स्कूल चुनने की अनुमति होती है और उन्हें सरकार से उनके खर्च की पूरी या आंशिक प्रतिपूर्ति मिलती है। भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने एक लंबा सफर तय किया है और सदियों पुरानी परंपराओं में बदलाव आया है, जिससे एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार हुआ है जो हर दिन विकसित हो रहा है।

'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' जैसी पहल ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष जोर देकर विकास और प्रगति के लिए अवसर प्रदान किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। भारतीय जनसंख्या का 25% निरक्षर है। स्कूल जाने वाली आबादी का केवल 7% स्नातक करने में कामयाब रहा और नामांकित

होने वालों में से केवल 15% ही हाई स्कूल तक पहुँच पाते हैं और उच्च शिक्षा प्रणाली में अपना स्थान बना पाते हैं।

कुछ कारण हैं कि भारत में शिक्षा को कुछ क्षेत्रों में कम महत्व दिया जाता है: 80% स्कूल सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। निजी स्कूल महंगे हैं और गरीबों की पहुंच से बाहर हैं। कई परिवारों में यह मानसिकता बनी हुई है कि कमाने वालों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए और इसलिए बच्चे, सही अर्थों में पर्याप्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने के बजाय, परिवार का भरण-पोषण करने लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और मलिन बस्तियों के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के कारण शिक्षा की गुणवत्ता बहुत खराब है। शिक्षक पर्याप्त रूप से योग्य नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें वेतन नहीं मिलता और इसलिए वे पर्याप्त मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह एक घोर विडंबना रही है, जिससे लड़ने के लिए सरकार कड़ी मेहनत कर रही है।

भारत में शिक्षा प्रणाली के प्रकार को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: (1) भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा; (2) भारत में प्राथमिक शिक्षा; (3) प्रारंभिक शिक्षा (4) भारत में माध्यमिक शिक्षा; और (5) भारत में उच्च शिक्षा

भारतीय शिक्षा प्रणाली में हमें क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है: - कौशल आधारित शिक्षा पर बल देना; सृजनात्मकता, मौलिक चिंतन, अनुसंधान और नवाचार को पुरस्कृत करना; सेमेस्टर के लोगों को पढ़ाने के लिए नियुक्त करना; विशाल प्रौद्योगिकी अवसंरचना को लागू करना; शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य को पुनः परिभाषित करना; प्रभावी विनियमन; प्रणाली से औसत स्तरीय उपलब्धि को हटाना; और शिक्षा में निजी पूंजी की अनुमति देना।

भारत में शिक्षा प्रणाली दुनिया के अन्य देशों में अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम से काफी अलग है। भारत में शिक्षा प्रणाली अन्य गतिविधियों की तुलना में सिद्धांत पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है, जबकि

संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों ने अपने पाठ्यक्रमों को विषय-वस्तु, व्यावहारिक के साथ-साथ खेल और अन्य पाठ्यचर्या गतिविधियों जैसे संगीत, नृत्य, नाटक आदि में विभाजित किया है। अन्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली कई अन्य प्रणालियां हैं। तो आइए हम भारतीय शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए कुछ देशों द्वारा अपनाई गई प्रणाली पर चर्चा करें।

यूनाइटेड स्टेटस अपने अध्ययन के वर्षों को तीन चरणों में विभाजित करता हैः 1) प्राथमिक विद्यालय

2) मिडिल स्कूल; और 3) हाई स्कूल

यह अवधारणा काफी कम उम्र से बच्चों में प्रगति की भावना पैदा करती है।

ऑस्ट्रेलिया - अपनी शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में काफी अलग पद्धति का पालन करता है। ऑस्ट्रेलिया अपनी शिक्षा पद्धति के लिए बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है: 1) प्राथमिक विद्यालय; 2) माध्यमिक विद्यालय; और 3) कॉलेज

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, हॉकी, मुक्केबाजी जैसे खेलों को बहुत महत्व देता है और छात्रों को ओलंपिक जैसे आयोजनों के लिए तैयार करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिससे वह विश्व में खेले जाने वाले कई खेलों में अग्रणी बन गया है।

भारत में अपनाई जाने वाली शिक्षा प्रणाली की बात करें तो यह ज्यादातर सिद्धांत पर केंद्रित है और विभिन्न क्षेत्रों में डिग्री प्रदान करती है जो बच्चों को भविष्य में प्रासंगिक नौकरियां पाने की आकांक्षा रखने में मदद करती है। भारत में शैक्षिक वर्षों को किंडरगार्टन, प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर और अंत में स्नातकोत्तर स्तर में विभाजित किया गया है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली मुख्यतः अवधारणा पर नहीं बल्कि रटने पर केंद्रित है। यहां परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने पर अधिक जोर दिया जाता है। बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान का इतना बोझ दिया

जाता है कि व्यावहारिक ज्ञान का नामोनिशान ही नहीं रह जाता। परिणामस्वरूप, जब उन्हें ऐसी फर्मों में नियुक्त किया जाता है जहां व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता होती है तो वे दौड़ से बाहर हो जाते हैं।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश में परिवर्तन के इस दौर में, हमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए तथा राष्ट्र के भविष्य के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली के भविष्य के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

*__श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू):__ हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मा0 वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के लिए शुभकामना देते हुए मैं माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहरना करती हूँ। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न आभियानों जैसे मिड डे मील, सर्व शिक्षा आभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान आदि को सुचारू ढंग से चलवाने के लिए बधाई देती हूँ।

मेरा संसदीय क्षेत्र झुन्झुनू शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश के कोने-कोने में मेरे यहां से शिक्षित लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मंत्री महोदया से अपने संसदीय झुंझुनू में एक केन्द्रीय विद्यालय बुहाना में खोलने का आग्रह करती हूँ जिससे शिक्षा के क्षेत्र में और विकास कर सके तथा देश को शिक्षित नागरिक दे सकें।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एचआरडी मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स पर बोलने के लिए अवसर दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

बजट की कटौती को लेकर हमारे कुछ साथी ज्यादा चिन्तित नजर आए, वास्तविकता यह है कि बजट में पहले वाले वर्ष में जितना पैसा खर्च किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार किया जाता है। वर्ष 2014-15 में बजट पूरा एग्जास्ट नहीं हो पाया, इस कारण से संभवतः फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कुछ कटौती की होगी। दूसरे, बजट की चिन्ता किसी को करने की जरूरत नहीं है, जब हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी एवं एचआरडी मंत्री महोदया ने लागू किया है, बहुत उत्साहनजक और अच्छी योजनाएं हैं। तब निश्चित रूप से हमारी सरकार कटिबद्ध है, किसी प्रकार से बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, बशर्ते वह सही जगह पर खर्च हो, तभी बजट दुबारा दिया जा सकता है। [अनुवाद] तीसरा, राज्य के हिस्से को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया जा रहा है, जिसकी घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और 14 वें वित्त आयोग द्वारा की गई थी। [हिन्दी] इस कारण राज्यों के पास दस प्रतिशत पैसा ज्यादा जा रहा है। यदि राज्यों को कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो उससे उसे पूर्ण कर सकते हैं। लिहाजा, बजट के बारे में हमारे जिन साथियों ने चिन्ता जाहिर की है, मेरा उनसे यही अनुरोध है।

आज मेरा मेन इम्फेसिस क्वाण्टिंटिव एंड क्वालिटेटिव एजुकेशन पर रहेगा, आज मैं इसी के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। देश में वास्तव में आजादी के पश्चात शिक्षा में काफी प्रगति हुई है, बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जहां पहले बीस-बीस किलोमीटर तक सेकेण्डरी स्कूल नहीं थे, मिडिल स्कूल नहीं थे, वहां आज ऐसा कोई ढाणी या मजरा नहीं है, जहां पर स्कूल नहीं है। प्राथमिक पाठशालाएं खोली गयी हैं। चाहे सरकार कोई भी रही हो, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र को अहमियत दी गयी है। आज हमारी सरकार ने यह तय किया है कि पांच किलोमीटर के दायरे के अंदर हर जगह सीनियर सेकेण्डरी स्कूल होना चाहिए और उसी के तहत 80

हजार सीनियर सेकेण्डरी स्कूल एवं 75 हजार सेकेण्डरी स्कूल खोलने का विचार है। मैं अपने राज्य के बारे में बताता हूं, जहां राजस्थान सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने यह घोषणा की है कि कोई भी पंचायत हेडक्वार्टर ऐसा नहीं होगा, जहां सीनियर सेकेण्डरी स्कूल नहीं हो। यह बहुत अच्छा, सराहनीय कदम है, जो राजस्थान सरकार द्वारा एनाउंस किया गया है।

इसी प्रकार से प्राइमरी स्कूल्स की बात है, कहा गया है कि इनकी कोई कमी नहीं होगी। जहां-जहां ये स्कूल्स नहीं हैं, वहां पर हमारी राज्य सरकार ने इनकी व्यवस्था कराई है। जहां तक बच्चों की बात है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब अप्रैल 2010 में लागू हुआ, तब से [अनुवाद] प्राथमिक स्तर पर जी.ई.आर. (सकल नामांकन अनुपात) लगभग 100 प्रतिशत है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 87-90 प्रतिशत है; तथा माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर यह थोड़ा कम, लगभग 50 प्रतिशत है। [हिन्दी] जो थोड़ा चिंता का विषय है। हम कहते हैं कि क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की ओर ध्यान देना चाहिए। [अनुवाद] आज भी उच्च शिक्षा में 15 प्रतिशत छात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जा रहे हैं या नामांकन कर रहे हैं। [हिन्दी] हमारी सरकार ने तय किया है कि [अनुवाद] वर्ष 2020 तक, इसे 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। माननीय मंत्री यहाँ हैं। [हिन्दी] 30 प्रतिशत तक युनिवर्सिटी और कालेज में नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। उसकी सराहना की जानी चाहिए और [अनुवाद] हम निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। [हिन्दी] यह 2020 तक करने की बात कही है। क्वांटिटी देखते हैं तो काफी हद तक देश में शिक्षा का प्रचार हो रहा है, जहां तक क्वालिटी की बात है, इसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसका कारण यह है कि पिछले एक साल में जो आपने ट्रिपल आईटीज़, आईआईए या आईटीआई या आईआईटी डिजाइन सम्बन्धी जो बिल पास किए, चम्पारण में सेंट्रल युनिवर्सिटी खोलने सम्बन्धी बिल पास किया, ग्लोबल स्तर की संस्थान कायम करने का जो आपका इरादा है और उसकी ओर आप अग्रसर हैं, उसके लिए हम माननीय मंत्री महोदया को बधाई देते हैं। मेरा यह भी कहना है कि शिक्षा ज्यादा से ज्यादा रोजगारपरक होनी चाहिए जबकि अभी [अनुवाद]

इंजीनियरिंग स्नातकों में से केवल 20 प्रतिशत ही रोजगार योग्य हैं। हमें उनका भी ध्यान रखना होगा। [हिन्दी] अच्छी पढ़ाई कराएं, उनकी ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और बेस्ट एजुकेशन तीनों जब साथ चलेंगे तो हम एजुकेशन की फील्ड में आगे जाएंगे।

सन् 2007 में हमारा ड्रापआउट रेशो 9.4 प्रतिशत था। [अनुवाद] यह 4.7 प्रतिशत पर आया। मंत्रालय को इस पर भी ध्यान देना होगा। [हिन्दी] ड्रापआउट कम से कम हो। [अनुवाद] हमें ड्रॉप-आउट दर को शून्य प्रतिशत पर लाना चाहिए। [हिन्दी] इसी प्रकार से प्राइमरी के छोटे बच्चे हैं।

[अनुवाद] वे स्कूलों में नहीं आते हैं। [हिन्दी] उन्हें स्कूल लाने का प्रयास करेंगे, [अनुवाद] पांच प्रतिशत स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। 17 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं हैं। [हिन्दी] जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वस्थ भारत - स्वस्थ विद्यालय की बात कही है, उसके तहत करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। [अनुवाद] यहां तक कि संसद के सदस्यों के रूप में, सभी को ऐसा करना होगा लेकिन मैंने ऐसा किया। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने की योजना के लिए रु. 1 करोड़ दिए हैं। [हिन्दी] हर सांसद इस काम को कर रहा है। [अनुवाद] 42 प्रतिशत स्कूलों में चारदीवारी नहीं हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है। [अनुवाद] लेकिन यह सभी की समस्या है। [हिन्दी] आपका जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान है, उसके तहत आप स्कूल्स के कमरे बनाने की स्वीकृति देते हैं।[अनुवाद] पुराने के बारे में क्या? [हिन्दी] जो जर्जर हो रहे हैं। [अनुवाद] एमपीलैड फंड के अंतर्गत भी हम इसकी मरम्मत नहीं करा सकते हैं। हम उन्हें अपने फंड से ठीक नहीं करा सकते। [हिन्दी] इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है ताकि बच्चों के बैठने के लिए स्कूल्स में जो कमरे जर्जर हो रहे हैं, वे ठीक हो सकें। अभी तक आठवीं क्लास की परीक्षा तक हर विद्यार्थी को पास होना जरूरी है, यह ठीक बात है। मेरा तो मानना है कि आठवीं की परीक्षा बोर्ड की होनी चाहिए। [अनुवाद] यह एक समान निर्णय होना चाहिए। यह केंद्र सरकार का निर्णय होना चाहिए, और सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारें इसका पालन करेंगी। [हिन्दी] इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। जहां तक

टीचर्स की रिक्रूटमेंट का सवाल है, [अनुवाद] शिक्षकों की कमी है। [हिन्दी] उसके लिए मंत्री जी चिंता कर रही हैं। [अनुवाद] कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 30 प्रतिशत शिक्षकों की कमी है। [हिन्दी] कई जगह पर जैसे राज्यों में छोटे-छोटे मामलों को लेकर लोग लिटीगेशन में चले गए हैं। राजस्थान में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो हमारी मुख्य मंत्री जी ने एफिडेविट दिलाकर 12,000 टीचर्स की भर्ती कर दी, जो पाइपलाइन में थे। बिहार और यूपी ऐसे दो राज्य हैं, जहां यह कम है।

मैं अंत में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्यालय बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक केन्द्रीय विद्यालय होना चाहिए। आज के बच्चों और पैरन्ट्स की जो मांग है, उनके अनुसार हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

*__श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर):__ भारत जैसे विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे बच्चों और युवाओं की शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता की हकदार है। हमारे इतिहास में जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तब हमारे शिक्षा क्षेत्र को निराशाजनक साक्षरता, कम नामांकन, छात्राओं की कम भागीदारी और सरकारी स्कूलों की सीमित पहुंच जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। पिछले 60 वर्षों में लगातार सरकारों के दौरान स्थिति में काफी सुधार हुआ है। छात्राओं की संख्या अधिक है, छात्रों का लगभग 90% नामांकन, लगभग 73% साक्षरता दर और विशेष रूप से गरीब और दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूल के बुनियादी ढांचे में भारी वृद्धि हुई है। निस्संदेह, शिक्षा का अधिकार, मध्याह्न भोजन जैसी सरकारी नीतियां। सर्व शिक्षा अभियान ने यह सुनिश्चित किया कि सीमित संसाधनों वाले परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, जहां वे स्वच्छ वातावरण और पोषण सहायता के साथ अध्ययन कर सकें। नतीजतन, 60 साल पहले जब समकालीन भारत में बच्चे और युवा आबादी के बड़े हिस्सों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, तो यह एक अधिकार बन गया है।

अब वर्तमान सरकार द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी प्राथमिकता को दोहराए जाने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश इसकी शुरुआत गलत दिशा से हुई है। एस.एस.ए., आर.एम.एस.ए. जैसी प्रमुख सरकारी नीतियों के लिए बजट में कटौती सही नहीं है। पौराणिक कथाओं और विज्ञान के मिश्रण, कुलपति के रिक्त पदों की बड़ी संख्या तथा शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के निदेशकों के बीच जनता के असंतोष को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी स्कूलों में निवेश से बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त हों। शोध से पता चलता है कि निजी स्कूल अपने शिक्षकों को कम वेतन देते हैं, लेकिन सरकारी

* भाषण सभा पटल पर रखा गया। ।

स्कूलों के समान शैक्षणिक परिणाम देते हैं। इसका मतलब है कि सरकारी स्कूलों के संचालन में सुधार होना चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजट में वृद्धि के बिना यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा और मानव संसाधन मंत्रालय की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मानव संसाधन विभाग ज्ञान की रोशनी देने वाला, देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला है। भारत एक अखण्ड देश है। ज्ञान तपस्या है, डैडिकेशन है। ज्ञान से मानसिक हीनता दूर की जा सकती है। इंसान पेट की भूख को 24 घण्टे तक सहन कर सकता है। लेकिन दिमाग से यदि कोई गुलाम बनाना चाहे तो इंसान को नहीं बनना चाहिए। ज्ञानहीन समाज से मानसिक हीनता पैदा होती है और जहां मानसिक हीनता पैदा होगी, वहां समाज की संरचना में उथल-पुथल पैदा होगी। जिससे समाज में कमियां आएंगी। इसलिए हमें ज्ञानवान समाज बनाना है। ज्ञान के मंदिर को बेहतर बनाना है।

<u>अपराह्न 1.46 बजे</u> (श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए*)

एक कहावत है कि हमारे हाथ की घड़ी को कोई छीन सकता है, हमारे हाथ की अंगूठी को कोई छीन सकता है, धन-दौलत को लूटा जा सकता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है, जिसे दुनिया में लूटा नहीं जा सकता है, केवल बांटा जा सकता है। इसलिए हमें शिक्षा पर विशेष जोर देना है और ज्ञानवान समाज बनाना है। ज्ञान उजाला है, पूर्णमासी है। पूर्णमासी में उजाला होता है। अज्ञान अमावस्या की काली रात है, अंधेरा है। ज्ञान के बिना जीवन में अंधेरा होता है। निरक्षरता मैली चादर है, जिसे उठा कर फेंकना भारत सरकार का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना चाहिए, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को आगे आना चाहिए। ज्ञान की हमारी धरोहर है विक्रमशिला। इतिहास में उसको ज्ञान की रोशनी फैलाने के लिए जाना जाता था। पूरी दुनिया में उसके ज्ञान का डंका बजता था। आज भी हमारे पास ज्ञान और कुशाग्रता है, क्षमता है, बुद्धि है। देश और दुनिया में हमारा नाम है। हमें शिक्षा पर विशेष जोर देना है। सरकारी स्कूल यदि कमजोर होगा तो भारत की शिक्षा कमजोर हो

जाएगी। प्राइवेट स्कूल्स हमारा उद्धार नहीं कर सकते हैं। आज भी 70 परसेंट लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसीलिए सरकारी स्कूल को सभी साज-सज्जा से सुसज्जित करना, उनको हर तरह से बेहतर बनाना, हमारा कर्तव्य है। प्राइवेट स्कूल्स को इसलिए खोला गया था कि उनसे शिक्षा की रोशनी सभी तरफ पहुंचे, लेकिन हमें प्राइवेट स्कूल्स नहीं, सरकारी स्कूल्स यानी गांव के स्कूल्स, जो ज्ञान के मंदिर हैं। जहां समाज के सभी जाति, धर्म और मज़हब के छात्र, चाहे वह रिमोट इलाके के हों, आदिवासी हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, ज्ञान में बंटवारा नहीं होता है। नामांकन सही होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। एससी और एसटी की शिक्षा पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए। ग्रामीण शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। मिड-डे मील को बेहतर बनाना चाहिए। सर्व शिक्षा आभियान को बेहतर ढंग से गांव-गांव पहुंचाया जाना चाहिए। मिडिल क्लास में बोर्ड परीक्षा की शुरूआत फिर से की जानी चाहिए। नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। हम भाई की शिक्षा पर जोर देते हैं, छात्रों की शिक्षा पर जोर देते हैं, लेकिन ये दोनों जीवन के पहिए हैं। जितना हम छात्रों की शिक्षा पर जोर देते हैं, उससे भी बढ़-चढ़ कर जब हम नारी शिक्षा पर जोर देंगे तभी शिक्षा के क्षेत्र में भारत देश समृद्ध होगा, ज्ञानवान होगा। इसलिए हमें शिक्षा में समता लानी है। गुणवत्ता को बेहतर करना है। मैं बांका संसदीय क्षेत्र से आता हूं। वहां एक केन्द्रीय विद्यालय है, जो कि एक छोटे भवन में चल रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से इस बारे में आग्रह किया। इन्होंने उस पर ध्यान भी दिया। पत्राचार भी हुआ, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि बांका के केन्द्रीय विद्यालय की पहली और दूसरी कक्षा बंद हो चुकी है। अब जमीन भी मिल चुकी है, इसलिए जल्दी से जल्दी राशि आवंटित करके बांका के केन्द्रीय विद्यालय को बेहतर बनाया जाए। नवोदय विद्यालय को बेहतर बनाया जाए। छात्रों को किताबों का बोझ नहीं दिया जाए, किताबों के बोझ से ज्ञान नहीं बढ़ता है। इसीलिए हमें आज मानव विकास के लिए शिक्षा पर जोर देना है, शौचालयों की व्यवस्था करनी है, पुस्तकालयों की व्यवस्था करनी है। हमें मीडिया का भी सहयोग लेना है और आज बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ के नारे को मूर्तरूप देना है। उन्हें हमें शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवान

बनाना है। हम लोग नारे लगाते थे, हम भी बिहार में शिक्षा मंत्री रहे हैं। हम कहते थे कि जन्म दिया तो शिक्षा दो, आधी रोटी खायेंगे, फिर भी स्कूल जायेंगे। यह हमारे नेता लालू जी ने हमें कहा कि नारा लगाओ - आधी रोटी खायेंगे, फिर भी स्कूल जायेंगे। जन्म दिया तो शिक्षा दो। इसीलिए यह हमारा कर्तव्य और फर्ज है कि आज हमें लोगों को शिक्षा देनी है। आज कक्षाओं की कमी है, लेकिन छात्रों की संख्या बढ़ी है। सारे देश में और बिहार में एक -एक कक्षा में तीन-तीन क्लास चलती हैं। आज शिक्षकों की देश में भारी कमी है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। इस बात पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज बहुत सारे रिमोट इलाके हैं, गरीब इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनोरिटीज हैं, हमें उनका हित भी देखना है। आज हमें चतुर्दिक ज्ञान देना है। छात्रों के अनुपात में हमें शिक्षक देने हैं। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम स्वदेशी भाषा, भारतीय भाषा का आधिक प्रयोग करें। इसीलिए आज हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा सामाजिक दायित्व है, जो हमारा राजनीतिक दायित्व है, जो सरकार का दायित्व है कि शिक्षा को हमें बेहतर बनाना है। हमें सर्व शिक्षा आभियान के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर करना है। जब तक हम मानव का विकास नहीं करेंगे, शिक्षा का विकास नहीं करेंगे, बुनियादी शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। वही हमारी फाउंडेशन है, वही हमारी बुनियाद है, वही हमारी इमारत है। इसलिए चंदन की तरह उसकी सुवास आनी चाहिए। आज हमें समाज के सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहबों में जो हमारे अखंड भारत की ज्ञान की ज्योति है, उसे बेहतर तरीके से फैलाना है और ज्ञान की रोशनी को गांव-गांव तक पहुंचाना यही हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता के साथ शिक्षा को बेहतर बनाना हमारा फर्ज है। जब हमारा ज्ञान ही खत्म हो जायेगा तो अंधकार हो जायेगा। इसीलिए भारत हमेशा से ज्ञान का संदेश बांटता आ रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं सर्वप्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति इरानी जी को अपने ओर से बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वह इस विभाग को आगे बढ़ा रही हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गनिर्देशन में संचालित करने में अपना योगदान दे रही हैं, वह सराहनीय है। वर्ष 2015-2016 के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट का प्रावधान सभी मदों को सामने रखकर किया है, वह 69074 करोड़ रुपये का है। एक बात कही जा रही है कि इस बार का बजट पिछले वर्षों से कम है। यह बात सही है, परंतु हमें इस बजट के आंकड़ों में नहीं देखना होगा। हमें यह भी देखना है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा सीधे तौर से केन्द्र से दस प्रतिशत सीधी बढ़ौतरी हुई है और यदि पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज का जोड़ें तो केन्द्र से सीधा-सीधा लगभग 65 प्रतिशत से आधिक बजट का प्रावधान है।

इसी के साथ-साथ उच्च शिक्षा के बजट में 22 प्रतिशत की बढौतरी भी की गई है। यानी उसे 13 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15855.26 करोड़ रुपये किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़े, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म्स की बात कही थी। जिसमें लड़कियों की शिक्षा पर बल देना, ई-लर्निंग तथा नेशनल मल्टी स्किल मिशन की स्थापना पर बल दिया गया था। इस तरह से हमारा शिक्षा मंत्रालय आगे की ओर बढ़ रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि जो सर्व शिक्षा अभियान माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एनडीए सरकार ने शुरू किया था, उससे ग्रामीण क्षेत्र में मैं बहुत से लाभ देखता हूं, जहां स्कूल के लिए कमरा नहीं होता था, टीचर नहीं होते थे, वहां पर आज बेहतरीन प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल के कमरे हैं, टीचर्स हैं और सारी व्यवस्थाएं वहां उपलब्ध हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज देश में जहां 68 प्रतिशत के करीब औरतें अनपढ़ हैं, उन्हें आगे ले जाने के लिए अच्छे कार्यक्रम बनाए गए हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम बनाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चियां स्कूल जाएं तो वहां पर लड़कियों के लिए अलग से शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए मैं अपने मानव संसाधान

मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। देश में लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, अच्छाई आगे बढ़ रही है और मैं देख रहा हूँ कि यह हमारा जेंडर पैरिटी का जो रेश्यो है, सन् 1999 में 0.84 था, आज वह बढ़ कर सन् 2012 में 1.02 हो गया है। हम देख रहे हैं कि लड़कियां आज गांवों में ट्रिपल एम.ए. तक जा रही हैं, क्योंकि आज उनको वह एक्सपोज़र मिला है। वे लड़कियां, जब उनको पढ़ाया नहीं जाता था, घर से माँ-बाप उनको स्कूल नहीं भेजते थे तो वे अनपढ़ रहती थीं, परंतु आज जब उनको इस एजुकेशन में एक्सपोजर दिया गया है तो हमारी बच्चियां एम.ए. नहीं, डबल एम.ए. नहीं, बल्कि ट्रिपल एम.ए. घर में बैठ कर रही हैं। इसी तरह से आपने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन दिया है और माननीय प्रधान मंत्री जी एक अलग से कौशल विकास का मंत्रालय बनाया है, उसके लिए 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है, जिससे बैनिफिट होने वाला है।

महोदय, इससे पहले जो शिक्षा नीति थी, उसमें हम क्लर्क्स प्रोड्यूज़ करते थे, क्लास 4 एंप्लाइज़ प्रोड्यूज कर रहे थे, परंतु आज जो कौशल की जरूरत है, हमारा जो पढ़ा-लिखा नौजवान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, जब तक स्किल डिवेल्पमेंट नहीं होगा, तब तक नौजवानों का फ्युचर अंधकारमय है, इसलिए आपकी ये योजनाएं इसमें आई हैं, इसलिए भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने पढ़े भारत, बढ़े भारत की शुरूआत की है। इसके अंतर्गत जो छोटी श्रेणी में, क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे जो पढ़ते हैं, परंतु उनको अक्षर का ज्ञान नहीं है, डिजिट का ज्ञान नहीं है, इसके माध्यम से उनको ज्ञान होगा और हिसाब में, मैथ्स में उनका स्टैंडर्ड अच्छा बढ़े तो उसके लिए भी पढ़े भारत बढ़े भारत में लाभ होगा और यह बड़े खेद का विषय है कि आज अगर हम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2014 को अगर ठीक तरह से एनालाइज़ करें तो उसमें यह सब कुछ पता चल जाएगा कि हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं और मंत्री जी यहां पर बैठी हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो सिस्टम पिछली सरकार ने शुरू किया कि हम पहली से ले कर आठवीं तक बिना ब्रेक के बच्चों को आगे बढ़ा रहे

हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि यह तो इस प्रकार से हो गया कि आप बच्चे को पहाड़ी पर ले जाओ और उसको साइकल दे दो, साइकल पर बिठा दो और फिर उसको धक्का दे कर कहें कि बेटा चल। यानि बिना किसी ब्रेक के आप उस बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं। उसको कुछ पढ़ना-लिखना नहीं आ रहा है, हिसाब के वह दो जमा दो नहीं कर सकता है, घटा नहीं सकता है। इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शाला दर्पण नामक एक अच्छा कार्यक्रम आपने शुरू किया है। पंडित मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने शुरू किया है। मॉर्डनाइजेशन ऑफ मदरसाज़ के लिए सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, जिसमें 10 लाख मुस्लिम बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए उसमें व्यवस्था की है। कैंपस कनेक्ट के लिए आपने उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ी अच्छी शुरूआत की है, जिसमें 21 हजार कॉलेजों के 20 हजार क्लासरूम्स यानि 4.2 लाख क्लासरूम्स वाईफाई होंगे, क्योंकि डिजीटल इंडिया बनाना है तो इसकी तरफ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। लगभग डेढ़ करोड़ विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। 600 यूनिवर्सिटियां इससे वाई-फाई कर दी जाएंगी, ई-लाइब्रेरी हों, मूक प्लेटफार्म आदि की जितनी योजनाएं आपने दी हैं, वे बहुत अच्छी हैं। आपने बहुत से आईआईएम, ट्रिपल आईटीज़ और आईआईटी, एनआईटी खोले हैं। आईआईएम और आईआईटीज़ के लिए 1 हज़ार करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान किया है। इसके लिए भी मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक बात जो प्रधान मंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आपने जो शुरूआत की है, उच्च शिक्षा के लिए, वह बहुत अच्छी है और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट में कहा है कि हम सैकेंड्री एजुकेशन के लिए बच्चों को पांच किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलने देंगे। [हिन्दी] इसलिए 80 हज़ार सैकेंड्री स्कूल को अपग्रेड करना, उसको खोलना और 75 हजार जूनियर स्कूलों को अपग्रेड करना और खोलना, यह बहुत अच्छा काम आपने किया है। मैं दो-तीन बिंदु माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ। हम आज गांवों में देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और वहां पर जो प्राइवेट स्कूल शुरू हो रहे हैं, परंतु खेद तब

होता है, जब हमारे बड़े-बड़े अधिकारी, चाहे वे एजुकेशन में अच्छे अधिकारी हैं, डिविजनल लेवल के अधिकारी हैं, आईएएस अफसर हैं, वे टीचर हैं, हैड टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

वे अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं, वे उन प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं और जहाँ पर वे पढ़ा रहे हैं, जहाँ पर वे 50-60 हजार रूपया वेतन ले रहे हैं, वहाँ पर वे अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं यानी शिक्षा का स्तर नीचे आ रहा है। मैं तो हिमांचल प्रदेश से आता हूँ, मेरे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय हो गए हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा ही रह गया है।...(व्यवधान)

महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत इस बात की है कि हम मंथन करें कि एक नई हमारी शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा नीति आयोग जो है, वह उसको बनाएं ताकि हम इस पर पूरा विचार कर सकें, इसके ऊपर मंथन कर सकें।

मंत्री महोदया, हम आपसे चाहते हैं, पिछली बार कपिल सिब्बल जी यहाँ पर थे, सेन्ट्रल स्कूल में दो का कोटा मिलता था, वह उन्होंने बन्द कर दिया, यहीं पर उन्होंने कहा, सारे सांसद उनके खिलाफ हो गए, एक-दो सांसद ने ऐसे ही हाउस में कह दिया कि सिर्फ दो नहीं, या तो फिर उसे बंद कर दीजिए। उनकी पीड़ा है, 6 का कोटा फिर बाद में बढ़ा है, महोदय, आपको पता है। परन्तु आज उस 6 के कोटे को अगर आप 10 कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमारी पीड़ा यह है कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं। उसको बन्द नहीं किया जाना चाहिए, बन्द करने की कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं, गरीब लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मैडम महोदया, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप इसे अवश्य बढ़ाएं।

अंत में, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आप एजुकेशन लोन इसलिए दे रहे हैं कि कोई विद्यार्थी बी.टेक. करना चाहता है, कोई एमबीबीएस की एजुकेशन लेना चाहता है, परन्तु वह

एजुकेशन लोन 13-14 प्रतिशत ब्याज पर माँ-बाप से वापिस लिया जाता है। इसमें मैं चाहूँगा, हमारी मंत्री महोदया यहाँ पर बैठी हैं, कि वह लोन इंट्रेस्ट फ्री हो या अगर लेना ही हो तो दो परसेंट उससे तब लिया जाए जब वह बच्चा, जिसने एजुकेशन लोन लिया है जब वह कहीं नौकरी पर लग जाए। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता था, लेकिन आपने कह दिया है तो मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सुझाव दिए हैं, मंत्री जी उन पर विचार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*__श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :__ मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुपूरक माँगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ।

हमारे राष्ट्रीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कहते थे कि शिक्षा चेतना की खेती है। शिक्षा केवल रोजगार कमाने का और कार्य क्षमता को बढ़ाने का एकमात्र साधन नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने वाला और आज के बच्चे जो कल के देश का भविष्य है वह अच्छा नागरिक बने, इसके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है।

1996 में डॉ. कोठारी पंच ने लिखा था कि हमारा भविष्य वर्ग खंडों में पल रहा है। महानायक डॉ0 अंबेडकर ने कहा था कि कोई भी राष्ट्र के विकास का मापदंड उनकी महिलाभाषण सभापटल पर रखा गयाओं की शिक्षा प्रगति पर निर्भर है।

2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में 73 प्रतिशत साक्षरता का दर है। जिसमें महिला साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1.9 प्रतिशत की पुरूष साक्षरता की तुलना में 64.6 प्रतिशत पर महिला साक्षरता अभी भी कमतर बनी हुई, लेकिन पुरूष साक्षरता की 5.6 प्रतिशतांक की वृद्धि दर की तुलना में महिला साक्षरता में 10.9 प्रतिशतांक वृद्धि हुई है,जो सराहनीय है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देती हूँ।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी एक सराहनीय कार्यक्रम है। पढ़ने लिखने और गणितीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए पढ़े भारत बढ़े भारत नामक पहल एक उत्तम कदम है। विश्व के 300 विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार इस ओर ठोस कदम बढ़ा रही है। सर्वोदय नेता विनोबाभावे जी ने कहा था कि शिक्षा एच धन (एच$^{3)}$की होनी चाहिए। एच का मतलब हार्ट, हेड, हैंड।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया। ।

शिक्षा, जनसाधारण की सहभागिता को व्यापक बनाने तथा व्यक्ति एवं समाज की समग्र गुणवत्ता के उन्ननयन का एक प्रभावी उपकरण भी है। इसलिए 'सभी को शिक्षा', इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हमारी सरकार क्षेत्रीय, सामाजिक तथा लैंगिक असमानताओं को दूर करने हेतु शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए वचनबद्ध है। यह खुशी की बात है।

राष्ट्र की मानव क्षमता के भरपूर उपयोग के लिए सभी को एक समान शिक्षा मिले और उच्चतर शिक्षा विभाग का उद्देश्य समानता और उत्कृष्टता के साथ भारत की मानव क्षमता का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐसा क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। वह अच्छी बात है।

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना जो केन्द्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है उसमें बदलाव लाया जा रहा है वह भी सराहनीय है। मध्याह्न भोजन योजना, एसएसए, आरएमएसए के लिए सांसदों के चेयरमैनशिप वाली जो मॉनीटरिंग कमेटी बनाई है उसके लिए मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। मध्याह्न भोजन योजना सहित शिक्षा के लिए 2015-16 के बजट में 68 हजार 968 करोड़ रूपयों का प्रावधान किया गया है। उसके लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देती हूँ।

एससीएससटी तथा ओबीसी परिवार के बच्चों को सब्सिडी और स्कालरशिप के लाभ सीधे बैंक खातों में जमा करने की बात सराहनीय हैं। इससे शिक्षा का स्तर जरूर सुधरेगा। राष्ट्रीय स्किल मिशन का निर्णय भी शिक्षा के स्तर को सुधारने में सराहनीय है। केन्द्र सरकार ने हर राज्य में आईआईटी और आईआईएम खोलने का निर्णय किया है। वह भी शिक्षा के भविष्य में उचित कदम है।

गुणवत्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली एक शक्ति संवर्धक है जो विश्व के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत का कायाकल्प कर देगी। गुणवत्ता के माध्यम से ही किसी भी समाज को सभ्य और सुविकसित बनाया जा सकता है। मिशेल फुको ने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के सभी तरीके शक्ति प्राप्त करने के ही तरीके है।

शिक्षा को परीक्षा के मकड़ जाल से छुटकारा दिलाना चाहिए क्योंकि शिक्षा केवल परीक्षा के लिए ही नहीं होती। कुछ ऐसे उपाय ढूँढने चाहिए जिसके कारण 10वीं कक्षा तक परीक्षा मुक्त शिक्षा दी जा सके।

मेरी मांग है कि यूजीसी के वर्तमान नियमों के मुताबिक नई कॉलेज का प्रारंभ करने के लिए शहरी (नगर इकाई / कॉरपोरेशन) क्षेत्र में 2 एकड़ भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि संपादन करना आनिवार्य है। आज भी म्युनिसिपल - नगर इकाई क्षेत्रों को भी ग्रामीण क्षेत्र में गिना जाता है। इसलिए नगर इकाई / म्यूनिसिपल क्षेत्र में जमीन बहुत महंगी हो गई है तथा उन क्षेत्रों में शहर के मध्य में आयी हुई प्रतिष्ठित और पुरानी शिक्षा संस्थाओं को अब उनका विस्तार करने तक रहती नहीं है, जिससे नई कॉलेज शुरू करने में सुगमता हो, जिससे समाज को अच्छी शिक्षा संस्थाओं का लाभ मिल सके। मेरी यह मांग भी है कि नगर इकाई / म्युनिसिपल क्षेत्र में भी जमीन संपादित करने की नीति रखी जाए।

समूचे देश में पीपीपी मॉडल पर कुल 20 आईआईटी की स्थापना करने का लक्ष्य निधाररित किया गया है। इसके तहत डायमंड सिटी सूरत को नई आईआईटी की मंजूरी दी जाए। केन्द्र पुरस्कृत योजना-एसएसए जो गुजरात में 2001 से प्रारंभ की गई है, इसमें केन्द्र की वित्तीय सहायता मिले। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान (आरएमएसए) के तहत वित्तीय सहायता की असमान प्रक्रिया है। इसको हटाया जाए और 2009 से समानता के तौर पर वित्तीय सहायता समान रूप से दी जानी चाहिए।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में एक गंभीर संक्रमण के दौर से गुजर रही है। निजी शिक्षा और सार्वजनिक शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है क्योंकि कांग्रेंस -यूपीए सरकार द्वारा हमें केवल बाजारीकरण वाली शिक्षा ही मिली हैं। इसमें बदलाव लाने के लिए वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति के अच्छे परिणाम मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है।

देश के जिन जिलों में केन्द्रीय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय का प्रावधान नहीं है, उनमें मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा उचित निर्णय लिया जाए।

शिक्षा रोजगार के अवसरों के अनुरूप होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा नीति में उचित परिवर्तन लाने की जरूरत है। प्रौढ़ शिक्षा की साक्षरता को एक संपूर्ण साक्षर की स्थापना करने वाला कार्यक्रम है। वह स्त्री, पुरूष समानता प्राप्त करने वाली बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने वाला है उस पर और जोर देने की जरूरत है।

माननीय मंत्री जी जो अनुपूरक मांगें लेकर आए हैं उसकी मैं सराहना करती हूँ तथा उनका समर्थन करती हूँ।

*__श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख):__ शिक्षा वह माध्यम है जिसके बिना जीना दुश्वार है क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन चिन्ता का विषय है, शिक्षा के प्रति हो रहे खिलवाड़ जो अच्छे नहीं हैं। जैसे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाते हैं। इन स्कूलों ने अपना एक धंधा सा बना लिया है जहाँ पर पढ़ने वला जो बच्चा है वो अपने आप को ठगा सा महूसस करता है। क्योंकि उसके वो अंक नहीं आते जो बिना पढ़े वालों के आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो नकल का धंधा है वह बंद होना चाहिए। ऐसे स्कूलों पर पाबंदी लगनी चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो अन्य कोई राज्य। अभी जो परीक्षाएं हुई हैं कहीं भी स्कूलों / कालेजों में ईमानदारी से परीक्षाएं नहीं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि माता-पिता अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही क्यों भेज रहे हैं। क्यों कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। सरकार द्वारा सभी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं तब भी वो व्यवस्थाएं हम क्यों नहीं दे पाते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। यह चिन्ता का विषय है। इसलिए दुखी मन से कहना पड़ता है कि हम लोगों की सरकार की तरफ से एक ऐसी समिति गठित हो, जो इन स्कूलों की जांच कराए क्योंकि जो सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए यूनीफार्म, किताबें आती हैं वो भी बच्चों को सही से नहीं मिल पाती है। अगर मैं खाने की बात करूँ, जैसे मिड डे मील जो बच्चों को पहुँचाया जाता हैं, उस खाने की जाँच मैं खुद ही अपने क्षेत्र में करके आयी हूँ जिसमें मेरे साथ मिडिया भी था जिसमें दलिया, दूध की जगह पानी मिलाया था जो मेरे सामने ही बच्चों ने फेंक दिया और खाने लायक नहीं था। मेरे पूछने पर बच्चों ने बताया कि हमें तो हर रोज ऐसा ही मिलता है। पहले खाना विद्यालयों में बनता था, परंतु अब यह किसी एनजीओ को दे दिया गया है। जिसमें यह स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप टीम बनाकर उसकी जाँच कराएं तथा जो इसमें दोषी पाया जाता है उसे दंड जरूर दें। माननीय मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जो केन्द्रीय विद्यालय में हम सांसदों

* भाषण सभा पटल पर रखा गया। ।

का छः बच्चों का प्रवेश कोटा है,उस कोटे को बढ़ाया जाए। क्योंकि जब हम लोग गाँव में जाते हैं उन लोगों की माँग को देखते हुए हमें लगता है यह कोटा बढ़ना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहती हूँ मेरी लोक सभा मिश्रिख में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर स्कूल तो हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं और अध्यापक पूरी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन स्कूलों में नहीं आते उपस्थिति तो दर्ज होती है रजिस्टर में, परंतु स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं दिखता है। मैंने खुद स्कूलों में जाँच की, ज्यादातर स्कूल मुझे बंद दिखे। कुछ बच्चों से जब मैंने पूछा, उन्होंने यह बताया हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अध्यापक जी नहीं आते। इसकी भी मंत्री जी जाँच कराएं। जाँच में जो दोषी पाया जाता है उनको तुरंत दंडित किया जाए।

शिक्षा की गुणवत्ता में आज गिरावट की पराकाष्ठा है। उच्च शिक्षा की दशा में तो बहुत खराब है उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ से मैं सांसद हूँ, स्नातक एवं परास्नातक के बच्चों का स्तर यह हो गया है मार्कशीट पर 80 प्रतिशत नम्बर लिखे हैं परंतु अगर मार्कशीट की कॉपी स्वयं लिखकर देने को कह दिया जाए, तो शायद 80 प्रतिशत नम्बर वाला छात्र नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, जिसकी चिन्ता शायद पिछली सरकार को नहीं हुई। आज प्रवेश के समय महाविद्यालयों में प्रवेश अधिक उन्हीं महाविद्यालयों में होते हैं जहां नकल की अच्छी व्यवस्था होती है। परीक्षा के समय परीक्षार्थी को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। विद्यालय प्रबंधक नकल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था स्वयं करता है। प्रश्न पत्र का उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर हल कराया जाता है। प्रश्न पत्र शुरू होने के समय से घंटों पहले खोल लिए जाते हैं, जिसको किराए के अध्यापकों द्वारा पहले ही पहले हल करा लिया जाता है। फिर उसकी फोटो कापी करके प्रत्येक परीक्षा कक्ष में पहुँचा दी जाती है। विद्यालय केवल प्रवेश के समय खुलते हैं और परीक्षा के समय खुलते हैं शेष पढ़ाई के समय बंद रहते हैं। एक बाबू व एक सफाई कर्मी विद्यालय में रहता है। जो पैसा जमा करने का कार्य करता है।

महाविद्यालयों में आधिकांश के पास पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। शिक्षक महाविद्यालय से नियुक्त तो होते हैं परंतु नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि एक शिक्षक कई विद्यालयों में अपने प्रपत्र की

कापी के साथ नियुक्त रहता है। पढ़ाता एक विद्यालय में है। उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में विद्यालय हैं। एक ही शिक्षक बहुत से विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध विद्यालयों में अपनी नियुक्ति रखता है। विश्वविद्यालय अलग-अलग होने के कारण जांच करने पर भी वह पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि एक विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय से सम्पर्क नहीं रखता। न तो ऐसी सरकार की ही कोई व्यवस्था है कि शिक्षक की नियुक्ति के समय जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में उसकी नियुक्ति हो रही है, शेष विश्वविद्यालयों में एनडीसी मांगी जाए। परीक्षा में नकल तथा शिक्षक नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के कर्मचारी-अधिकारी सभी संलिप्त रहते हैं। पैसे का अच्छा लेन-देन रहता है। नकल रोकने के नाम पर विश्वविद्यालय फ्लाइंग स्कॉड/उड़नदस्ता की व्यवस्था करता है परंतु एक बार महाविद्यालय उसको पच्चीस हजार रूपया देता है। फ्लाइंग स्कॉड पैसा प्राप्त कर नकल रहित परीक्षा का प्रमाण पत्र देकर दूसरे विश्वविद्यालय की तरफ चला जाता है। यही कार्य वह उस दिन जितने महाविद्यालयों पर जाता है हर विद्यालय में करता है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का हाल तो पहले से बहुत खराब है, परंतु अब उच्च शिक्षा का भी स्तर अत्यंत खराब हो चुका है। यह देश के लिए गंभीर समस्या के साथ चिन्ता का विषय है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी / सरकार से मांग करती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था नीति में परिवर्तन कर हमारे देशवासियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दिलाने का कष्ट करें।

[*]**श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा) :** संस्कृत विद्यालय मढ़िया जनपद लखीमपुर खीरी में कुल विद्यालयों की संख्या 7 है। जिनमें 3 विद्यालय पूर्णतः जर्जर की स्थिति में है। इन विद्यालयों में 3 शिक्षक है। उनमें 2 शिक्षक 30 जून 2015 को रिटायर हो रहे हैं। फिर 3 विद्यालयों पर एक शिक्षक रह जाएगा। इन विद्यालयों में विकास बिल्डिंग क्षतिपूर्ण के नाम पर कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। विद्यालय बंद होने की कगार पर है। जैसे सीतापुर में 20 विद्यालयों में 4 टीचर, हरदोई में 14 विद्यालयों में 3 टीचर, शाहजहाँपुर में 14 विद्यालयों में 5 टीचर यह स्थिति है। पूरे प्रदेश के विद्यालयों की है यह स्थिति। इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। बिल्डिंगों की जीर्णोद्धार कराया जाए। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है इस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बंद होने की कगार पर हो जाएंगे।

[*] भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री अधलराव पाटील शिवाजी (शिरूर): माननीय सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

सर्व शिक्षा अभियान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसका प्राथमिक शिक्षा पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और महाराष्ट्र राज्य में, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। हालाँकि, हमें यह देखकर बहुत दुख हो रहा है कि पिछले दो-तीन वर्षों में इस महत्वपूर्ण योजना के लिए बजटीय आवंटन में काफी कमी कर दी गई है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में, विशेषकर पुणे जिले में, जो कि भारत के महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्रों में से एक है, एक भी कक्षा-कक्ष या एक भी अहाते की दीवार का निर्माण नहीं किया गया है।

वर्तमान में, अकेले मेरे पुणे जिले में 800 से 900 कक्षाओं के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान में, मंदिर परिसर और *ग्राम पंचायत* कार्यालयों में कई कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। जब भी हम राज्य सरकार से संपर्क करते हैं तो उनका कहना है कि धन की कमी और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण वे आगे की कक्षाओं का निर्माण नहीं कर सकते। मैंने कुछ महीने पहले माननीय मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षाएं बनाने पर केन्द्र सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं फिर भी उनसे राज्य सरकार को परामर्श भेजने का अनुरोध करूंगा, क्योंकि कक्षाओं की बड़ी आवश्यकता है और महाराष्ट्र राज्य में स्कूलों के चारों ओर अहाते की दीवारों के निर्माण की भी आवश्यकता है। यदि मंत्री महोदय हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी।

इसके अलावा, मैं उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का उल्लेख करना चाहूंगा। महाराष्ट्र राज्य में कई सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, पुणे जिले में, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक शुरू किया है। हमने परिसर के निर्माण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रु. 300 करोड़ से अधिक खर्च किए हैं। तथापि, आवश्यक शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण समस्या है। अब तक केवल 43 रिक्तियां भरी गई हैं। मुझे नहीं मालूम कि यह माननीय मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। यह महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। जब केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार से बात करेगी तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान हो जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): महोदय, हाल के अनुभवजन्य आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2011-12 में छह वर्ष और उससे अधिक आयु की 74 प्रतिशत आबादी साक्षर है। लेकिन जब हम इसकी तुलना मुसलमानों से करते हैं, तो यह हमारे 74 प्रतिशत हिंदू भाइयों और किसी भी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की 83 प्रतिशत की तुलना में 70 प्रतिशत की सबसे कम साक्षरता दर है। सबसे कम साक्षरता स्तर एस.सी. और एस.टी. का है, उसके बाद ओ.बी.सी. मुसलमानों का स्थान है। वास्तव में, ओ.बी.सी. मुसलमानों और ओ.बी.सी. हिंदुओं के बीच, पांच प्रतिशत बिंदु का अंतर है।

जब हम मुस्लिम ओ.बी.सी. की वर्तमान उपस्थिति की बात करते हैं तो यह एस.सी. और एस.टी. से भी कम है। वर्ष 2011-12 में - मैं फिर से डेटा सामने रख रहा हूं - मुस्लिम समुदाय में उन बच्चों का उच्चतम प्रतिशत है जो स्कूल में उपस्थित नहीं हुए हैं। यह 15 प्रतिशत है। यह एस.सी. और एस.टी. की तुलना में भी कम है जो 14 प्रतिशत है। मुस्लिम और एस.सी./एस.टी. के लिए ड्रॉपआउट की दर दस वर्ष की आयु से शुरू होती है, जबकि हिंदू ओ.बी.सी. और हिंदू सामान्य के लिए यह दर 11 वर्ष है। मुसलमानों और एस.सी. में 13 वर्ष की आयु में ड्रॉपआउट की दर में भारी गिरावट आई है। हां, इस ड्रॉपआउट के लिए माता-पिता भी जिम्मेदार हैं। लेकिन 5 और 14 वर्ष की आयु के बीच ड्रॉपआउट दर का मुख्य कारण वित्तीय बाधाएं हैं जो 30 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं। 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच, लगभग 27 प्रतिशत वित्तीय बाधा के कारण है। इसीलिए, स्नातक और उससे ऊपर के स्तर पर, हमारे पास केवल दो प्रतिशत एस.सी./एस.टी. और मुस्लिम हैं जो स्नातक पास कर रहे हैं।

इसीलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह प्रस्ताव देना चाहता हूँ। हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं और मुझे उस राजनीतिक मतभेदों पर गर्व है। लेकिन जहां तक भारत के समावेशी सपने और दृष्टिकोण का संबंध है, हम सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए *सबका साथ, सबका विकास* विशेष रूप से शिक्षा में, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार छात्रवृत्ति को मांग आधारित बनाए, विशेष रूप से एस.सी./एस.टी. और अल्पसंख्यकों के लिए। जो भी

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करता है, उसे छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए ताकि हमारी साक्षरता दर में सुधार हो सके और हमारा भारत मजबूत हो सके। सिर्फ संख्याएं रखना अच्छा नहीं है।

जब हम *मदरसा* शिक्षा की बात करते हैं तो पिछले वर्ष हमने रु. 275 करोड़ आवंटित किए थे, उसमें से केवल रु. 144 करोड़ ही जारी किए गए और रु. 131 करोड़ जारी नहीं किए गए। क्या मैं यह राशि नहीं दिए जाने का कारण जान सकता हूँ?

दूसरा, रु. 334 करोड़ एस.सी. / एस.टी. के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए नहीं दिए गए। इसीलिए, मेरी मांग है कि एस.सी./ एस.टी. और मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को भी समान पहुंच मिलनी चाहिए और एस.सी./ एस.टी. की आबादी के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का परिसर खोलने के लिए भूमि उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया राज्य सरकार से बात करें और औरंगाबाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक परिसर खुलवाएं। इसके लिए, 250 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। यह औरंगाबाद में आसानी से उपलब्ध है। इससे वास्तव में पूरे मराठवाड़ा मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और साक्षरता मानकों में सुधार होगा।

जब हम *सर्व शिक्षा अभियान* पर आते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, जब वह जवाब देने के लिए खड़ी होती हैं। *सर्व शिक्षा अभियान* के लिए यह रु. 22,000 करोड़ है और एम.डी.एम. के लिए यह रु. 7,811 करोड़ है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सकल बजटीय सहायता के अंतर्गत यह क्रमश: रु. 2,200 करोड़ और रु. 36 करोड़ है। यदि उपकर संग्रह में गिरावट आती है तो कल क्या होगा? क्या इससे इस प्रमुख कार्यक्रम पर असर नहीं पड़ेगा जो बाल श्रम को नियंत्रित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अधिकाधिक लड़कियां पढ़ाई करें?

यहां तक कि *पढ़े भारत, बढ़े भारत की बात करें तो ,* मैं माननीय मंत्री जी से यह तथ्य जानना चाहता हूं। मैंने बजटीय दस्तावेज को पढ़ा है। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि *पढ़े भारत, बढ़े भारत* के लिए एक भी राशि निर्धारित नहीं की गई है। पिछली बार *सर्व शिक्षा अभियान* के अंतर्गत राज्यों को रु. 760 करोड़ मंजूर किए गए थे।लेकिन अभी, कुछ भी नहीं है। उन्होंने वर्ष 2014-15 के लिए 20 योजनाओं की घोषणा की है। 14वें वित्त आयोग के साथ, मंत्रालय उन सभी 14 योजनाओं को कैसे लागू करेगा?

अंत में, मैं केन्द्रीय विद्यालयों की बात करना चाहता हूँ। सरकार एक सतत संस्था है। पार्टियां आती हैं और जाती हैं। पिछली सरकार के दौरान गठित अशरफ अली फातमी समिति ने विभिन्न कदम उठाने की सिफारिश की थी। सरकार ने भी इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फातमी समिति की सिफारिशों का क्या हुआ। कुंडू समिति की सिफारिशें आपके पास आई हैं। फातमी समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि केंद्रीय विद्यालयों में श्रेणी 7 और 8 के अंतर्गत ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यकों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि अधिक संख्या में ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में प्रवेश मिल सके।

अंत में, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मुस्लिम अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर में सुधार लाने पर विशेष ध्यान देंगे। यह विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने ब्लॉक स्तर पर 6,000 मॉडल स्कूल नहीं खोले हैं। खुदा जाने क्या होने वाला है! मुझे लगता है कि मानव संसाधन विकास के लिए 14वां वित्त आयोग अब अभिशाप बन गया है। मुझे उम्मीद है कि जब मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े होंगे तो साक्षरता दर में सुधार लाने, विशेषकर मुसलमानों के स्कूल छोड़ने की दर को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदमों की घोषणा की जाएगी।

धन्यवाद।

*__श्री तेज प्रताप सिंह यादव (मैनपुरी):__ मैं मानव संसाधन विकास के अंतर्गत अनुदानों की मांग पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए परिव्यय वर्ष 2015-16:- केंद्रीय बजट 2015 में शिक्षा क्षेत्र को कुल रु. 68,968 करोड़ आवंटित किए गए हैं। 280 मिलियन से अधिक निरक्षर लोगों के बावजूद, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा पर खर्च में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 16% की कटौती की गई है। सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए स्कूली शिक्षा विभाग के लिए रु. 42,219.5 करोड़ निर्धारित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष यह राशि रु. 46,805 करोड़ थी।

मिड-डे-मील योजना की निधि में भारी कटौती की गई है, जो पिछले वर्ष 1,296.5 करोड़ रुपये से घटकर इस वर्ष रु. 132 करोड़ रह गई है।

उच्च शिक्षा बजट में वर्ष 2014-15 में रु. 23,700 करोड़ से वर्ष 2015-16 में रु. 26,855.26 करोड़ की वृद्धि हुई, जो संसद में प्रस्तुत राष्ट्रीय बजट में स्कूल से उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि राष्ट्रीय स्तर पर 6-14 आयु वर्ग के बच्चों का स्कूल से बाहर प्रतिशत 3.3 प्रतिशत (वर्ष 2014 के अनुसार) रहता है। भारत में विश्वविद्यालय आयु वर्ग की आबादी में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से आगे की शिक्षा तक पहुँच मात्र 10% है।

स्कूल स्तर पर बुनियादी ढांचे की कमी भी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार 80,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों को उन्नत करने और 75,000 जूनियर/मिडिल विद्यालयों को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में जोड़ने या उन्नत करने का इरादा रखती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चे की पहुंच के 5 कि.मी. के भीतर एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हो, इसके बावजूद स्कूली शिक्षा के लिए वित्त पोषण में कटौती की गई है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कर्नाटक में एक आई.आई.टी. स्थापित की जाएगी तथा भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद को पूर्ण आई.आई.टी. में उन्नत किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए जाएंगे। बिहार में एम्स जैसा एक और संस्थान स्थापित किया जाएगा। सरकार को यह समझना होगा कि उच्च विकास दर हासिल करने के लिए उसे शिक्षित और अत्यधिक प्रेरित युवा आबादी की आवश्यकता है। वह सिर्फ कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके अपने सपने को साकार नहीं कर सकती।

माध्यमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक नामांकन नहीं है और बच्चे माध्यमिक विद्यालयों तक पहुंचने तक पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके परिणामस्वरूप पर्याप्त प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए, प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए हमें प्रशिक्षित श्रम शक्ति की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार को यह समझना चाहिए कि देश की आर्थिक वृद्धि के लिए माध्यमिक विद्यालयों में निवेश बहुत महत्वपूर्ण है।

यदि कोई एशिया के देशों पर नजर डाले तो उसे पता चलेगा कि उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल प्रणालियों में भारी निवेश किया था। चीन भी 30 वर्ष पहले सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब विश्वविद्यालय शिक्षा में भारी निवेश कर रहा है।

सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका निर्विवाद है। यह भी उतना ही निर्विवाद है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बी.जे.पी.) शिक्षा को बहुत गंभीरता से लेती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार शिक्षा के अधिकांश पहलुओं पर पुनर्विचार करने के प्रति गंभीर है, तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वह 'राष्ट्रीय' गौरव को बहाल करने की धारणा से प्रेरित है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सरकार 700 से अधिक केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक जर्मन भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को शामिल करने के निर्णय पर विवाद में फंस गए। इसका आधार यह था कि जर्मन भाषा को पढ़ाना संविधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा फार्मूले का उल्लंघन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जर्मन

भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को लाने के कदम में दो बातें स्वाभाविक रूप से गलत थीं। पहला, समय गलत था, क्योंकि निर्णय कार्यकाल के मध्य में लिया गया, और दूसरा, संविधान में निर्धारित आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में संस्कृत को सूचीबद्ध नहीं किया गया था। संस्कृत को लागू करने से त्रिभाषा फार्मूले का भी उल्लंघन हुआ।

जबकि सरकार का कथित उद्देश्य सुधार है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और श्रेष्ठता की धारणा की भाषा में व्यक्त किया गया है, स्टेम सेल अनुसंधान या प्लास्टिक सर्जरी पर हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा की गई कुछ घोषणाएं परेशान करने वाली हैं। गुजरात के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों में बताया गया है कि एक भारतीय शल्यचिकित्सक, जिसके पास स्टेम सेल अनुसंधान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का पेटेंट है, महाभारत से प्रेरित था। गुजरात राज्य विद्यालय पाठ्य बोर्ड द्वारा प्रकाशित एक पाठ्यपुस्तक *तेजोमय भारत* स्कूलों में पढ़ाई जाती है। यह पुस्तक गुजरात के स्कूलों में पूरक पाठ्य सामग्री के रूप में पढ़ाई जाती है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारतीय शिक्षा नीति आयोग (बी.एस.एन.ए.) के गठन को मंजूरी दे दी है, इस आयोग का गठन आर.एस.एस. से संबद्ध शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा किया गया है, इसका कार्य शिक्षा प्रणाली के भारतीयकरण के लिए 'सुधारात्मक कदम सुझाना' है, आयोग के अध्यक्ष 'तेजोमय भारत' के विवादास्पद लेखक दीनानाथ बत्रा होंगे। श्री बत्रा, जो बी.एस.एन.ए. के अध्यक्ष होंगे, शिक्षा बचाओ आंदोलन के अपने अभियान के साथ पूरी शिक्षा प्रणाली में सुधार के कट्टर समर्थक हैं, जो सभी 'हिंदू विरोधी' पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, कहते हैं, 'एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों को राष्ट्र के उद्देश्य और लक्ष्यों के अनुसार फिर से लिखा जाएगा ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा हो। आधुनिकता पश्चिमीकरण नहीं है। हम देशभक्ति और अध्यात्मवाद पर आधारित भारतीयता वाली आधुनिकता चाहते हैं।

सांप्रदायिकरण हो या न हो, सरकार का ध्यान किताबों से छेड़छाड़ करने के बजाय संस्थागत सुधार पर होना चाहिए था। यह आश्चर्यजनक है कि सरकारी स्कूल क्षेत्र के समक्ष मौजूद असंख्य समस्याओं - बुनियादी सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त योग्यता वाले और उदासीन शिक्षक, कम नामांकन, उच्च ड्रॉपआउट दर - को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सबसे पहले शिक्षा में 'हिंदू परिप्रेक्ष्य' लाने की बात की।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की धुरी होती है, शिक्षा का सम्बन्ध सिर्फ साक्षरता से ही नहीं है, बल्कि शिक्षा चेतना और उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करने वाला औजार भी है। शिक्षा मानव-मानव के मध्य व्याप्त हर विभेद को समाप्त करने का अस्त्र है।

मैं आपके माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का तथा माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी का आभिनन्दन करना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे मित्रों ने कटौती के बार में चर्चा की, लेकिन मैं उनका आभिनन्दन करना चाहता हूं कि उपलब्ध संसाधनो का व्यवस्थित और बेहतर ढंग से किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, एक सांसद होने के साथ-साथ देश की मंत्री होने के साथ-साथ वे एक कुशल गृहिणी भी हैं और कुशल गृहिणी होने के नाते वे जानती हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय की इन जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह से सृजनात्मक रूप से सोचा जा सकता है।

हमारे यहां भारत सरकार ने देश में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाने के लिए और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सर्व शिक्षा आभियान, मध्याह्न भोजन जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किये हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश भर में लड़कियों और वंचित सामाजिक समूहों की शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस करते हुए सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके और सरकार के प्रयासों से प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ देने की बच्चों की दर, जो 2007-08 के बीच 9.4 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 4.7 प्रतिशत रह गई है। मैं माननीय मंत्री महोदया जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस रोशनी को उन जगहों पर भी पहुंचाने की आवश्यकता है, जो 60

लाख बच्चे अभी शिक्षा के माध्यम से सीधे नहीं जुड़े हैं। यह शिक्षा की रोशनी उन अंधेरे क्षेत्रों में भी पहुंचाकर उनको भी और सब को शिक्षित, सब को साक्षर करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उन्हें भी शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़कर देश का सुयोग्य नागरिक बनाया जाये।

मध्याह्न भोजन के उद्देश्य में देश भर के वंचित सामाजिक समूहों, बालिकाओं के स्वास्थ्य को केन्द्र में रखकर इस योजना को विसंगतियों से बचाने की जरूरत है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में एक बिजावर स्थान है। बिजावर में मैं अभी 15 दिन पहले, सत्र शुरू होने से दो दिन पहले दौरा करने के लिए गया तो मैंने देखा, अचानक मैं उस स्कूल में पहुंचा। वहां पर परिक्षाएं चल रही थीं और वहां पर मैंने जो भोजन की गुणवत्ता देखी, वहां बिल्कुल घर जैसा भोजन बना था और परीक्षा में जो विद्यार्थी, बालक-बालिकाएं बैठे थे, 96 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उस विद्यालय में उपस्थित थे। मैंने जब शिक्षकों से बातचीत की तो शिक्षकों के मन में जो दर्द था कि हमारा विद्यालय अगर श्रेष्ठ चलेगा, बच्चों की शिक्षा का स्तर अगर अच्छा होगा तो इससे केवल हमको बड़ाई ही नहीं मिलेगी, बल्कि आसपास के विद्यालयों में भी उसका मैसेज जाता है। मध्याह्न भोजन की विसंगतियों को दूर के लिए जो सरकार ने इस पर नियंत्रण करने के लिए देश भर में 38 स्वतंत्र निगरानी संस्थाएं गठित की हैं, जो कि 101 जिलों में 3985 स्कूलों का निरीक्षण कर चुकी हैं और उन स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का कुशल संचालन हो, इसके लिए उनको स्पष्ट दिशा-निर्देश सरकार द्वारा दिये गये हैं। सरकार के द्वारा यह जो कदम उठाया गया है, यह वास्तव में बहुत सराहनीय कदम है और इससे निश्चित रूप से देश भर में तरह-तरह की जो बातें मध्याह्न भोजन के बारे में आती हैं, उन पर निश्चित रूप से नियंत्रण होगा और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। सरकारें माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में विस्तार करने, उसमें समानता स्थापित करने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान प्रारम्भ किया गया है। इस 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान' की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाएं, जैसे स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, लड़कियों के लिए

छात्रावास, माध्यमिक स्कूल के स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को वर्ष 2013-14 से 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान' में शामिल कर लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ये प्रयास वास्तविक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे।

भारत सरकार ने जो 'सर्व शिक्षा आभियान', 'मध्याह्न भोजन योजना', 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान' शुरू किया है, इससे पूरे देश भर में एक व्यापक परिवर्तन देखने में आ रहा है। 'सर्व शिक्षा आभियान' के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमने अपने क्षेत्र में देखा है कि अब वहां स्कूल भवन पर्याप्त हो गए हैं। आतिरिक्त अध्यापकों की संख्या भी ज्यादा हो गयी है। इसलिए अब 'सर्व शिक्षा आभियान' की राशि का उपयोग स्कूलों की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, अच्छे शौचालयों के निर्माण के लिए, और किचेन सेट के लिए करने की आवश्यकता है। उसमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने आह्वान किया है। इसमें माननीय सांसद भी अग्रणी रूप से आगे आए हैं। हम सभी सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय बनाने के लिए काफी राशि देकर इसके लिए पहल की है। 'सर्व शिक्षा अभियान' के लिए सरकार ने बारहवीं योजना की कुल योजना राशि का 200% आधिक आबंटन दिया है। शिक्षा संबंधी कुछ योजनाओं में जो बजटीय आबंटन है, वह इस प्रकार है-

- 'सर्व शिक्षा आभियान' के लिए 27,785 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 'मध्याह्न भोजन योजना' के लिए 13,125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान' के लिए प्रस्तावित आबंटन 5,000 करोड़ रुपये का है।
- देश भर में जो छः हजार मानक स्कूल खोले जाने हैं, उसके लिए 1,200 करोड़ का योजनागत आबंटन किया गया है।
- अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति को पिछले वर्ष के 980 करोड़ रुपये से बढ़ा कर उसे 1,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

- अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के अनुदान को पिछले वर्ष के 670 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 685 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' - यह माननीय प्रधान मंत्री जी का आह्वान है। जब हम सभी सांसदगण अपने-अपने क्षेत्रों में दौरा करने के लिए जाते हैं तो जब हम गांवों की तरफ जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कहीं 15 बच्चियां, कहीं 20 बच्चियां, कहीं 12 बच्चियां साइरकिलों से एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं। पहले वहां पर मां-बाप अपनी बेटियों को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे और वहां बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम होता था। लेकिन, इस आभियान से बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा। वहीं गांवों में यह विसंगति भी देखने में आती थी कि जब गांवों की बेटियां कम पढ़ी-लिखी होती थीं तो उनकी शादियां गांवों में ही होती थीं और शहरों में उनका शादी का सपना या पढ़े-लिखे नौजवानों से शादी का उनका सपना अधूरा रह जाता था। यह 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' आभियान इस दिशा में मील का एक पत्थर साबित होगा और बेटियां पढ़-लिख कर न केवल नगरों में, बल्कि महानगरों में भी ब्याही जाएंगी। शासन के द्वारा प्रशिक्षण आभियान चलाए जाते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण, बूटिक का प्रशिक्षण, ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण इत्यादि। इनके लिए पहले हमारी बेटियों को कस्बों में, शहरों में जाना पड़ता था, पर आज उनके लिए ग्रामीण स्तरों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होने लगी है। बेटियों के जीविकोपार्जन की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है।

माननीय सभापति : अब अपना भाषण समाप्त करें।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, मैं बस एक मिनट का समय और लूंगा। इससे ज्यादा का समय नहीं लूंगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आज रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, शिक्षा को व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के संबंध में माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश के लिए निश्चित रूप से कुछ स्थान आरक्षित किए जाएं, ताकि हमारा जो वंचित समाज है, जो उपेक्षित समाज है, आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं, उन्हें इन विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर उपलब्ध हो सकें।

इसके साथ ही साथ, जो विश्वविद्यालय अब केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गए हैं, उन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए वहां के स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अन्त में, मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : चेयरमैन साहब, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसकी अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह सच है कि समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, मनुष्य की सोच के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण औज़ार के तौर पर काम करती है। यह सच है कि शिक्षा मनुष्य के तीसरे नेत्र के तौर पर जाना जाता है। यह भी सच है कि शिक्षा के बिना मनुष्य अंधेरे में है, शिक्षा के बिना वह आधा है।

चूंकि यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ ज्यादा समय देना। मेरी पार्टी एक छोटी पार्टी है, मुझे कम समय न देना। महोदय, मुझे दो बातें ही कहनी हैं। जब देश आजाद हुआ, तो लोगों को बहुत अपेक्षायें थीं। पंडित नेहरू जी बहुत सूझमंद थे, लेकिन पता नहीं गलती कैसे कर गए या कैसे दबाव में आकर शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण जो मंत्रालय था कुछ ऐसे लोगों को सौंपा गया, जिन्होंने अपने देश के इतिहास से कम प्यार किया और विदेशी इतिहास से ज्यादा प्यार किया। हमारी पुस्तकों में विदेशी इतिहास को ज्यादा महत्व दिया गया। मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। बाबर को रूलर दिखाया गया, जबकि वह इन्वैडर था।

<u>अपराह्न 2.21 बजे</u> (उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अगर बाबर रूलर था, तो गुरूनानक कैसे सच्चे हो सकते हैं, जो कहते हैं कि पाप की जांज लै काबिलो धाया, जोरी मंगे दान बे लालौ। बाबर को गुरूनानक देव साहब ने जाबर कहा। ऐसे ही औरंगजेब को देश का रूलर बताया गया। गुरू तेगबहादुर साहब, जिन्होंने दिल्ली में देश के धर्म को बचाने के लिए, जनेऊ की रक्षा के लिए शहादत दी। हमारी इतिहास की पुस्तकों में बताया गया कि गुरू तेगबहादुर साहब की औरंगजेब के साथ कन्फ्रंटेशन हो गई थी, इसलिए उनका कत्ल कर दिया। यह कितने दुख की बात है? एक महत्वपूर्ण शहादत को उन्होंने ऐसा बता दिया।

ऐसे ही महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास है। जिस रूलर की वजह से देश 300 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, जबकि पंजाब केवल 100 साल गुलाम रहा, वह था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के राज की सबसे बड़ी महत्ता यह है कि दर्रा खैबर से मुगल आते थे, यहां के हिंदु समाज के मंदिरों को लूटकर ले जाते थे, हमारी बहू-बेटियों की इज्जत लूट लेते थे। अगर दर्रा खैबर का रास्ता किसी ने बंद किया तो महाराजा रणजीत सिंह के जरनैलों ने किया, हरिसिंह नलवा जैसे लोगों ने किया, लेकिन उनका इतिहास ही नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से हमारा इतिहास बचा, हमारी डेमोग्रैफी बची।

मुझे इस बात की खुशी भी है कि आज के जो माननीय मंत्री जी हैं, एचआरडी मंत्रालय जिनको सौंपा गया है। जैसे हमारी वाणी में लिखा गया है, तख्त भये तख्त एकैलेका। आज एचआरडी मंत्रालय जिनको सौंपा गया है, माननीय मंत्री जी का टेस्ट भी है, लिटरेरी टेस्ट है, उनकी दिलचस्पी भी है, मैं समझता हूं कि हमें अपेक्षा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतिहास को रिव्यू किया जाए। इतिहास की पुस्तकें लिखते समय किसी धर्म का, किसी हिस्ट्री का, किसी व्यक्ति का ...(व्यवधान) महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है और आपने बेल बजा दी। उस खिते के लोगों को हिस्ट्री की पुस्तकें लिखते समय लेना चाहिए, ताकि हमारी हिस्ट्री ठीक हो पाए।

दूसरी बात मैं भाषा के बारे में करना चाहता हूं। भाषा और कल्चर से देश बढ़ता है। भाषा और कल्चर से देश की एकता और अखंडता रहती है। यहां भाषा के नाम पर लोग लड़ाए गए। कहीं तमिल और हिन्दी में लड़ाई कराई गई, कभी पंजाबी और हिन्दी मे लड़ाई कराई गई। यहां लोगों को आपस में भाषा के नाम पर लड़ाया गया। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रीजनल लैंगुएजेज को सीबीएसई और आईसीएसई कोर्सेज में जरूर प्राथमिकता दी जाए और कंपल्सरी बनाया जाए। जो रीजनल इतिहास है, उसे भी वहां जोड़ा जाए। पहले देश को साउथ, सेंटर, ईस्ट, नार्थ में बांटा, फिर एक-एक प्रदेश को कई-कई हिस्सों में बांटा जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, क्योंकि भाषा के नाम

पर लड़ाई इस देश में हो तो बुरी बात है। मैं भाषा के नाम पर एक सेर कहना चाहता हूं, " जबां के नाम पर पंक्षी चमन के कब लड़े अख्तर, वो रहें मिलकर चमन में, अपनी-अपनी बोलियां बोलें "। अगर पंक्षी अलग-अलग बोलियां बोलकर चमन में रह सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते हैं? इन लोगों ने शरारत के साथ भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाया, कल्चर को तोड़ा। आज देश को बचाने की जरूरत है।

हमारी स्कूल एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला में पढ़ता था, वहां 70 परसेंट गांवों के लोग आते थे, 30 परसेंट शहरों के लोग आते थे। आज पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में गांव से 8 प्रतिशत लोग आते हैं। गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी में गांवों से 6 प्रतिशत लोग आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में गांवों से केवल 4 प्रतिशत लोग आते हैं। इसलिए स्कूल एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाये और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, आज शिक्षा का प्राइवेटाइजैशन हो गया है, उसका व्यापारीकरण हो गया है, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। वहां पर फीस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वहां किसी तरह के अध्यापक रखने पर कोई कंट्रोल नहीं हैं। समाज को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है, अमीर लोग उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और गरीब लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन है लेकिन उसके पास ग्रांट तो नहीं है, इसलिए उनको भी कुछ पैसा दिया जाये। हमारी यूनिवर्सिटीज फाइनैंशियल क्रन्च में आयी हुयी हैं। यहां से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ऑर्डर्स हो जाते हैं कि यह पे-स्केल हों, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे स्टेट्स गवर्नमेन्ट्स को देने पड़ते हैं। पिछले सात-आठ वर्षों की जो शिक्षा में कमियां हैं, अब उन्हें माननीय मंत्री जी को दूर करना होगा, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, 3 बजे सभा गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने जा रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय पहले ही घोषणा कर चुके हैं। उससे पहले हमें इस चर्चा को समाप्त करना होगा और माननीय मंत्री महोदय को जवाब भी देना होगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने लिखित भाषण सभा के पटल पर रखें। लेकिन अगर कोई सदस्य बोलना चाहता है तो उसे 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी होगी। सभी दलों के लिए आवंटित समय पहले से ही समाप्त हो चुका है। कोई भी सदस्य समय का पालन नहीं कर रहा है और जब मैं घंटी बजाता हूं तो दुख होता है। यही समस्या है। इसलिए, सदस्य केवल मुख्य मुद्दों पर ही बोलें और 3 मिनट में ही अपनी बात पूरी करें।

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): विषय बहुत व्यापक है। हमें बोलना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष: जैसा कि आप जानते हैं, गृह मंत्रालय भी महत्वपूर्ण है और हमें इसे आज पारित करना है। कल के लिए अन्य दो मंत्रालय भी सूचीबद्ध हैं और फिर गिलोटिन है और उसके बाद हम उन पर चर्चा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी बात संक्षिप्त रखें। आप केवल बिन्दुओं पर ही प्रकाश डालें। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले से ही तीन घंटे का आवंटित समय समाप्त हो गया है।

[हिन्दी]

*__श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत) :__ अगर भारत का विकास करके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें बच्चों के स्तर पर ध्यान देना होगा। करीब हर स्कूलों में कक्षा 6 से साइंस फेयर का आयोजन साल में एक बार होता है। कई बच्चे काफी अच्छे विचार लेकर मॉडल्स बनाते हैं। पर उसका राष्ट्र के हित में कोई उपयोग नहीं होता है, मसलन किसी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग किया तो किसी ने कम क्षेत्र में कुदरती मार्ग से ज्यादा ऑक्सीजन कैसे बन सकता है, इस पर शोध । मेरा सुझाव है कि एक ऐसा नेशल पोर्टल बने जिसमें ऐसे हर जिले के पहले 10 विद्यार्थियों को पेटेन्ट जैसे नंबर देकर प्रोत्साहित किया जाए। और अगर कोई कंपनी उसका प्रयोग करना चाहे तो उसे एचआरडी मिनिस्टरी से परमिशन लेकर उस विद्यार्थी के भविष्य का खर्च उठाकर उपयोग कर सके। ताकि गाँवों एवं स्कूलों से राष्ट्र के विकास की गति को तेज करने के साथ प्रभावी विद्यार्थी का भविष्य भी सुनिश्चित होगा। यही प्रयास संशोधन के क्षेत्र एवं पीएचडी के रीसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को भी साथ रखकर कर सकते हैं।

एक और विषय की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अपना परिणाम अच्छा ना आने के कारण अपना जीवन समाप्त करने की वृत्ति एवं संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। मैं सुझाव देना चाहती हूँ कि एक राष्ट्रव्यापी अभ्यास करके ऐसी संभावना के स्तर पर काउन्सिलिंग की व्यवस्था पर जोर दिया जाए और शैक्षिक संस्थानों को प्रेरित किया जाए। सायकोलॉजी के विद्यार्थियों को इस कार्य में साथ लेकर कार्य किया जाए।

आज अपने भविष्य को लेकर कम मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी चिंतित होते हैं। मैं चाहती हूँ कि छात्रालय शिक्षाक्रम में गृह उद्योग को भी तवज्जो दी जाए ताकि वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित न हो। इतना ही नहीं, कई ऐसे उद्योग हैं जिनका कोई शिक्षा संस्थान नहीं होता, पर वे व्यवसाय से अच्छी

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कमाई कर सकता है। डीटर्जेन्ट, मसाले बनाना, बुनाई-कढ़ाई, जरदोशी वर्क, पेपर से भिन्न-भिन्न स्टेशनरी की चीजें बनाना, पापड़ अचार बनाना जैसे गृह उद्योग की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए।

युनिवर्सिटी स्तर पर पूरे देश में समान शैक्षिक कैलेन्डर पर भार दिया जाए ताकि अन्य युनिवर्सिटी में प्रवेश लेना आसान हो, और कई छात्रों का वर्ष बिगड़ें नहीं।

[अनुवाद]

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): महोदय, हम अपनी युवा पीढ़ी की ओर बहुत आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन इस वर्ष के बजट प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के लिए बजट में 29 प्रतिशत की कटौती की गई है। शिक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त आवंटन के बिना हम शिक्षा क्षेत्र में अपने लक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते।

जहां तक एस.एस.ए. का सवाल है, यह छात्रों के लिए हमारा प्रमुख कार्यक्रम है। अकेले इस क्षेत्र में रु. 13000 करोड़ की कटौती हुई है। पिछले साल शिक्षा क्षेत्र के लिए रु. 55115 करोड़ का आवंटन किया गया था, लेकिन अब इसे घटाकर रु. 42210 करोड़ कर दिया गया है। पर्याप्त आवंटन के बिना बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) की कार्यप्रणाली का प्रश्न है, मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इसकी कार्यप्रणाली में कुछ अनियमितताएं हैं। मैं यह संदेश माननीय मंत्री जी तक पहुंचाता हूं। यद्यपि सांसद सतर्कता एवं निगरानी समितियों के अध्यक्ष हैं, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के प्रभारी अधिकारी सांसदों और सतर्कता एवं निगरानी समिति के अन्य सदस्यों को इन बातों का खुलासा करने को तैयार नहीं हैं। जब हमने एस.एस.ए. की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ विशिष्ट विवरण मांगे तो वे इस हद तक चले गए कि वे सतर्कता और निगरानी समिति को भी ये बातें बताने को तैयार नहीं हैं। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं। केरल राज्य के इडुक्की जिले में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के कामकाज में कुछ अनियमितताएं हैं। इसके लिए भी कुछ उपाय किए जाने चाहिए।

जहां तक आर.एम.एस.ए. का सवाल है, सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में छह स्कूलों को अपग्रेड किया है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र सरकार से मंजूरी लेने में असफल रही। स्कूलों को अपग्रेड किया गया और छात्रों को प्रवेश दिया गया, लेकिन छात्रों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। वहाँ कोई

सुविधा नहीं है। कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वे हताश हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और कम से कम गरीब और असहाय लोगों के हितों की रक्षा करे। उन्हें वहां अपनी पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो रहा है।

वहाँ लगभग 400 छात्र हैं। वहाँ कोई शिक्षक नहीं है। ये छात्र अब दसवीं कक्षा में हैं और अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

महोदय, अंत में मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रेरणा और प्रोत्साहन के तत्वों का घोर अभाव है। हमारे पास बच्चों और विद्यार्थियों को प्रेरित करने तथा उन्हें जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु कोई तंत्र अवश्य होना चाहिए, अन्यथा शिक्षा क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करने के बावजूद कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

धन्यवाद।

*__श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण):__ मानव संसाधन विकास विभाग इस देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विकास शिक्षा में मजबूत आधार तैयार करके ही हासिल किया जा सकता है।

भारत में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जी.डी.पी. का लगभग 3.2% है। यदि हम वैश्विक परिदृश्य देखें, तो 192 देशों में से, जिनके लिए शिक्षा के व्यय के बारे में डेटा उपलब्ध हैं, भारत 133 वें स्थान पर है। उन्नत देश वे हैं जिनका शिक्षा आधार मजबूत है। विभिन्न सरकारों के प्रयासों के बावजूद भारत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है। शिक्षा आर्थिक रूप से मजबूत देश की आधारशिला है। इसलिए, देश में बुनियादी ढांचे और शिक्षा सेवाओं के निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की आवश्यकता है।

केंद्र सरकार ने अपने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन कम कर दिया। वर्ष 2015-16 में स्कूली शिक्षा के लिए रु. 42,210 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह वर्ष 2014-15 संशोधित बजट की तुलना में लगभग रु. 13,000 करोड़ कम है। उच्च शिक्षा के लिए आवंटित बजट रु. 26,800 करोड़ है जो पिछले बजट से लगभग रु. 800 करोड़ कम है। यहां तक कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम एस.एस.ए. में भी लगभग रु. 6,635 करोड़ की कटौती की गई। राज्यों को करों का हस्तांतरण कम आवंटन का कारण बताना कोई बहाना नहीं है। राज्यों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे शैक्षिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि पूरी तरह से अपने दम पर जुटाएंगे।

देश का कल्याण लोगों को दी जाने वाली शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा के अधिकार के उद्देश्यों को साकार करने के लिए देश को अधिक धन की आवश्यकता है। वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र की जमीनी

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हकीकत बहुत निराशाजनक है - अपर्याप्त शिक्षक, खराब बुनियादी ढांचा और शिक्षा की खराब गुणवत्ता शिक्षा क्षेत्र को हाशिये पर धकेल रही है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुमान के अनुसार, भारत भर के स्कूलों में लगभग 5 लाख पद रिक्त हैं। यदि सरकार 30:1 छात्र शिक्षक अनुपात का मामूली सा उद्देश्य हासिल करना चाहती है, तो सरकार को देश के सभी सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिए। पूरे देश में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। मौजूदा शिक्षकों को उनके शिक्षण मानकों में सुधार के लिए दूरस्थ शिक्षण विकल्प प्रदान किए जाने चाहिए।

भारत में अच्छे शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था लड़खड़ा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना पर योजना आयोग के एक प्रतिवेदन में कहा गया है कि देश में 8.1 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में ऐसे अयोग्य तदर्थ शिक्षक भी हैं जो देश के कई राज्यों में वस्तुतः प्राथमिक विद्यालय चला रहे हैं।

प्राथमिक स्कूलों में लगभग 40% शिक्षकों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है। उनमें से कई ने केवल उच्चतर माध्यमिक तक ही पढ़ाई की है और उन्हें रु. 5,000 से 7,000 प्रति माह का मामूली वेतन मिलता है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देकर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रभावी और तत्काल कदम उठाए। इसके अलावा, शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा प्रदान करके तथा उन्हें उच्च वेतन देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने कौशल को उन्नत करने के लिए प्रेरित हो सकें, जिससे समग्र रूप से राष्ट्र को लाभ मिल सके।

शिक्षण अभ्यास के संबंध में, मैं यह बताना चाहूंगा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अधिकांश विद्यालयों में आज भी कठोर शिक्षण पद्धति की पारंपरिक प्रणाली का पालन किया जा रहा है।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि वह कठोर शिक्षण पद्धतियों के स्थान पर गुणात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करे। पारंपरिक ढांचे से आगे जाकर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि सरकार शिक्षा में नवाचार और पूछताछ आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, तो इससे प्रतिभा पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और हमारे देश में आने वाले वर्षों में और अधिक समृद्धि आएगी।

चूंकि हमारा देश स्वास्थ्य, पर्यावरण, रक्षा आदि के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए समय की मांग है कि विशेष रूप से ग्रामीण भारत में छात्रों के बीच अनुसंधान और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएं। बेहतर शिक्षा, विशेषकर विज्ञान में, उपलब्ध कराने के लिए सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़े हुए हैं।

विद्यालय में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह पर्याप्त संख्या में विज्ञान शिक्षकों के साथ-साथ अच्छी तरह से सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित करे। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने और उसे बढ़ावा देने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी आवश्यकता है। इससे हमारे प्रतिभाशाली एवं युवा विद्यार्थी अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति आकर्षित होंगे तथा आने वाले दशकों में देश को आर्थिक महाशक्ति बनने में मदद मिलेगी।

इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी आए और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बच्चे बड़े होकर अच्छी आजीविका कमा सकें। सरकारी स्कूलों में शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क है। 18 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और उन बालिकाओं को भी मदद मिलेगी जिनकी अन्यथा कम

उम्र में शादी हो जाती है। 18 वर्ष तक की आयु तक सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने से यह भी सुनिश्चित होगा कि बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है।

शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को साक्षर बनाना है। वर्ष 2011 की जनगणना से पता चलता है कि भारतीय साक्षरता दर 73% है। साक्षरता के स्तर को बढ़ाने के लिए महिला शिक्षा को प्राथमिकता देना तथा साक्षरता कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करना आवश्यक है। सभी सरकारी स्कूलों में पेयजल, कार्यात्मक शौचालय, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि सहित मानक बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

मैं कर्नाटक में आई.आई.टी. स्थापित करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं। यह कर्नाटक राज्य के लिए एक स्वागत योग्य कदम होगा। हालाँकि, केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह संस्थान समयबद्ध तरीके से पूरा हो जाए।

रामनगर जिला जो मेरे बंगलौर ग्रामीण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में है, एक पिछड़ा क्षेत्र है। इसके पिछड़ेपन का एक कारण यह है कि इस क्षेत्र में पर्याप्त गुणवत्तायुक्त शिक्षण संस्थान नहीं हैं। यद्यपि केंद्र सरकार का यह आदेश है कि देश के प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय और एक नवोदय विद्यालय होना चाहिए, फिर भी ये दोनों संस्थान जिले में स्थापित नहीं हैं। सांसद बनने के बाद मैंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि रामनगर जिले में इन संस्थानों की स्थापना शीघ्र की जाए, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है, जबकि जिला प्रशासन ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर इसके लिए भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी कर दी है। मैं केन्द्र सरकार से इसके लिए बजटीय प्रावधान उपलब्ध कराने का आग्रह करता हूं।

कुल मिलाकर, वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में आवंटित बजट देश की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है। देश में शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से मानव संसाधन विभाग के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

[*]**डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली):** मैं अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वर्ष 2015-16 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों पर शायद ही कभी विचार किया जाता है। हमारे देश के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए यह एक स्वागत योग्य संकेत है।

एक तरफ, मंत्रालय जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आई.आई.टी. और आई.आई.एम. की घोषणा कर रहा है, लेकिन जब बजट पेश किया गया तो उसमें 17% की कटौती देखने को मिली। स्कूल शिक्षा विभाग के मामले में लगभग रु. 13,000 करोड़ की कटौती हुई और उच्चतर शिक्षा विभाग के मामले में लगभग रु. 800 करोड़ की कटौती देखने को मिली। मंत्री जी को भारी कटौती पर अधिक प्रकाश डालना चाहिए।

इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्रों की नौकरी की संभावनाएं बहुत खराब होती हैं। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों में सिखाए जाने वाले कौशल और नौकरी बाजार के बीच तालमेल होना चाहिए। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूलों में नामांकित बच्चे स्कूल जाएं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

हमने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, यद्यपि हमने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सके, विशेषकर साक्षरता दर बढ़ाने के क्षेत्र में। हमारी जनसंख्या विस्फोट साक्षरता दर में, विशेषकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में, सराहनीय परिणाम न दिखा पाने का एक कारण हो सकता है। इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

---

[*] भाषण सभा पटल पर रखा गया।

क्या मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक उत्साह से प्रयास करेगा कि आने वाले वर्षों में साक्षरता दर में बड़ी छलांग लगे और भारत अधिक साक्षर हो? क्या यह सच है कि दुनिया में 35% निरक्षर भारत में रहते हैं? यदि हां, तो पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सहायता से निरक्षरता को कम करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

दूसरा मुद्दा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश का है। हम अक्सर उच्च न्यायालयों के हस्तक्षेप को देखते हैं, जिसमें स्कूलों को आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) को लागू करने के निर्देश दिए जाते हैं, जो सरकारी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में ई.डब्ल्यू.एस. बच्चों के कम से कम 25 प्रतिशत प्रवेश को सुनिश्चित करता है। यह निश्चित है कि सरकारी स्कूल और गैर-सहायता प्राप्त स्कूल, कुछ को छोड़कर, सरकार द्वारा किसी भी सख्त दंड के बिना उक्त नियम को लागू करते हैं। मंत्रालय को इस बात का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है कि क्या स्कूल, सरकारी और गैर-सहायता प्राप्त दोनों, उक्त अधिनियम का अक्षरशः पालन करते हुए ई.डब्ल्यू.एस. बच्चों को प्रवेश प्रदान करते हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय सभा को आश्वस्त करेंगे कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से प्रयास करेंगे कि कोई भी स्कूल ई.डब्ल्यू.एस. बच्चों के सरकारी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश लेने के अधिकार को अस्वीकार न करे?

अक्सर यह सुनने में आता है कि डिग्री और पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री वाले छात्र नौकरी पाने के लिए सबसे सरल परीक्षा भी पास करने में असमर्थ होते हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हम जो पढ़ाते हैं उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। एक बदलाव जो विद्यार्थियों को उन कौशलों में निपुणता प्राप्त करने के करीब ले जाता है जो उन्हें जीवन भर नौकरी या कैरियर की तलाश में अपना रास्ता चुनने में मदद करते हैं। यू.जी.सी., एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नियोजित मौजूदा और नए पाठ्यक्रमों में ऐसे कौशल लाने की आवश्यकता है, जिससे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हमारे छात्रों को न केवल शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि बेहतर नौकरियां पाने में भी मदद मिलेगी। क्या माननीय

मंत्री महोदय सभा को आश्वस्त करेंगे कि नई सरकार के आने पर दिखावटी परिवर्तन करने के बजाय, नई सरकार के अंतर्गत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कौशल विकास को प्रमुखता दी जाएगी?

मैं यह नहीं कह रही हूं कि हमारी उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है और आई.आई.टी., आई.आई.एम. जैसे हमारे बेहतरीन संस्थान दुनिया के 200 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में भी जगह नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे सर्वेक्षणों के मानदंड एक-दूसरे से भिन्न हैं। मैं आई.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे संस्थानों और कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि जहां तक उच्च शिक्षा के मानक और गुणवत्ता की बात है तो अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताएंगे कि पिछले 11 महीनों में हमारी उच्च शिक्षा के मानक और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? उच्च शिक्षा के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है? 12वीं योजना अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के बारे में क्या परिवर्तन करने का प्रस्ताव है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, ऐसे में मंत्रालय किस हद तक सफल रहा है?

वार्षिक शिक्षा स्थिति प्रतिवेदन (ए.एस.ई.आर.) 2014 देश में शिक्षा की गिरती गुणवत्ता, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर प्रकाश डालती है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है। मुझे अपने देश में शिक्षा की गुणवत्ता देखकर दुःख होता है। स्वतंत्रता के 67 वर्षों के बाद भी हम अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर मंत्रालय स्तर पर विशेष जोर दिया जाना आवश्यक है। क्या चालू वर्ष में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मंत्रालय स्तर पर कोई कदम उठाया गया है? यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वार्षिक शिक्षा स्थिति प्रतिवेदन (ए.एस.ई.आर.) 2014 के परिणाम मिश्रित रहे हैं- कुछ अच्छे है, कुछ अच्छे नहीं। पिछले कुछ वर्षों में नामांकन अच्छा रहा है। गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। ए.एस.ई.आर. 2014 के बाद मंत्रालय के साक्षरता अभियान के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा क्या बदलाव लाए गए हैं? ए.एस.ई.आर. 2014 के बाद राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में घटा, भाग आदि के बुनियादी कौशल को कैसे सुधारा जाए?

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में लिंग अंतर को 16.25 प्रतिशत से कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? क्या मंत्रालय ने मिशन की सफलता के लिए अधिक आवंटन की मांग की है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो कारण क्या हैं? सरकार सर्वशिक्षा अभियान सहित कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से पूरी तरह सहमत होगी कि सरकारी स्कूलों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर बहुत अच्छा है। इस क्षेत्र में सुधार की बहुत गुंजाइश है तथा बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता आदि पर केंद्रित मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में और अधिक उत्साह के साथ प्रयास करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आने वाले वर्षों में साक्षरता दर में एक बड़ी छलांग लगे और भारत अधिक साक्षर हो।

दुनिया में 35% निरक्षरों को शिक्षा प्रदान करने की तात्कालिकता है जो भारत में रहते हैं। मेक इन इंडिया के बारे में सोचने से पहले हमें मेक इंडिया के बारे में सोचना चाहिए। हम इस बात पर गर्व नहीं कर सकते कि दुनिया के 35% निरक्षर लोग भारत में रहते हैं। मंत्रालय को युद्ध स्तर पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित हर स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि सरकार देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर अधिक जोर देते हुए शिक्षा क्षेत्र को आवश्यक प्रोत्साहन देगी।

[हिन्दी]

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह बहुत गंभीर विषय है, इसमें विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। फिर भी मैं आपके माध्यम से दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों अपने-अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। शिक्षा ही विकास का मूल है। इस देश में शिक्षकों का अभाव हुआ है। पिछले 25-30 वर्षों में शिक्षा में उत्तरोतर गिरावट आई है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो लोगों को एक परिवर्तन की आस लगी है। आज हम खासकर बिहार की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप सब में जो पैसे देते हैं, बिहार में सैकंडरी और प्राइमरी एजुकेशन में साढ़े तीन लाख ऐसे शिक्षक हैं जो वेतनमान में नहीं हैं। साढ़े तीन लाख शिक्षक नियोजित शिक्षक बना दिए गए। आजादी के बाद लोग वेतनमान पर काम करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वेतनमान नहीं मिलने की वजह से एक शिक्षक को समान कार्य के लिए 36 हजार रुपये मिल रहे हैं और दूसरे को 6 हजार रुपये मिल रहे हैं। यह असंतोष, कुंठा कुंठित पीढ़ियों को जन्म देगी। आज शिक्षा की जो अराजक स्थिति बनी है, निश्चित तौर से इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। भारत सरकार जो पैसे दे रही है, वह कुप्रबंधन का शिकार हो रहा है। आज हम मध्याह्न भोजन की चाहे जितनी तारीफ करें, शिक्षालय भोजनालय के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। मैं उस क्वालिटी पर नहीं जाता कि कैसे मिलता है, क्या मिलता है। शिक्षक और छात्रों के बीच अनावश्यक विवाद पैदा हुआ है। जो वातावरण वहां बना है, माननीय मंत्री जी अपने क्षेत्र में गए थे तो रोड जाम थी। छोटे-छोटे बच्चों ने रोड जाम की हुई थी। वहां बीडीओ भी उपस्थित था। मास्टर मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। हम यह किस संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था दे रहे हैं, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आज जो वातावरण बन रहा है, हमारी संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक संरचना शिक्षकों पर आधारित है और गुरु-छात्र संबंध जो टूट रहे हैं, इस पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए। हम एक नए भारत की तस्वीर देख रहे हैं, शिक्षा उसकी बुनियाद है। बिहार में अभी माननीय मंत्री जी ने भी देखा होगा कि

डिग्री बांटी जा रही है। डिग्रियों से कैसे भविष्य का निर्माण होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। जब शिक्षक ही नहीं हैं, एक-एक विद्यालय में संस्कृत या मैथमैटिक्स के टीचर सभी विषय पढ़ा रहे हैं। वे उन छात्रों की कैसे परीक्षा ले सकते हैं, यह एक कठिन प्रश्न हमारे सामने है। हम चाहेंगे कि शिक्षक को भयमुक्त वातावरण और सम्पूर्ण वेतनमान के साथ काम करने की व्यवस्था उत्पन्न करनी चाहिए ताकि स्वाभिमानी वर्ग पैदा हो या नए स्वाभिमानी राष्ट्र का निर्माण कर सकें।...(व्यवधान)

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

मन में बहुत सारी बातें कहने की इच्छा थी। बिहार में हाल में परीक्षा संपन्न हुई है लेकिन उसका मूल्यांकन बंद है। अन्य राज्यों के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों का रिजल्ट घोषित नहीं होगा वे पिछड़ जाएंगे राष्ट्र को समेकित विकास के रास्ते पर ले जाने की जरूरत है। जिस तरह से हायर एडुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन बनाया है उसी तरह से सेंकडरी ग्रांट कमीश्न भी सेंकडरी एडुकेशन के लिए बनाएं, जिससे सेंकडरी लेवल पर जो विद्यालय अच्छा कार्य कर रहे हैं उसे इसका लाभ मिल सके। वर्तमान में विभिन्न कारणों से जो शिक्षा की अधकचरा व्यवस्था शुरू हुई है, उसको दूर किया जाए सके। माननीय शिक्षा मंत्री जी संकल्प की धनी हैं, वह निश्चित रूप से नया परिवर्तन लाने के लिए अपने संकल्प को दुहराएंगी।

[अनुवाद]

*__श्री शिवकुमार उदासी (हावेरी):__ स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन और विकास के लिए जिम्मेदार है। कुल मिलाकर विभाग सभी के लिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जिम्मेदार है।

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.), जो 18-23 वर्ष आयु वर्ग में उच्च शिक्षा में भागीदारी है, कम बना हुआ है और अनुमान है कि यह लगभग 13.5% है। यह विश्व औसत 24% से काफी कम है, जो विकासशील देशों के औसत का दो तिहाई है, अर्थात विकसित देशों (58%) से 18% पीछे है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, युवा लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं, बेहतर स्कूली शिक्षा तथा इस तथ्य के प्रति एक तार्किक प्रतिक्रिया थी कि तीव्र आर्थिक विकास और कौशल आधारित तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से सृजित नौकरियों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती है।

बारहवीं योजना दृष्टिकोण पत्र में उल्लेख किया गया है कि सभी सरकारी शिक्षा खर्च का लगभग 18 प्रतिशत या जी.डी.पी. का 1.12 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इस वित्तपोषण को क्रमशः 25 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। हालाँकि, जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में आबंटन में गिरावट के बारे में चर्चा की गई है, समग्र परिदृश्य एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। यह जी.ई.आर. की कम उपलब्धि में भी परिलक्षित होता है, जिसे देश में उच्च शिक्षा क्षेत्र की वृद्धि और विकास का सूचक माना जाता है। जैसा कि तुलनात्मक आंकड़ों से देखा जा सकता है, भारत उन देशों के बीच जी.ई.आर. के संबंध में सबसे निचले स्थान पर है, इसलिए, यह दोहराया जाता है कि उच्च

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जी.ई.आर. हासिल करने और भारत को वैश्विक स्तर पर एक शैक्षिक केंद्र बनाने के लिए, न केवल अधिक आवंटन की आवश्यकता है, बल्कि आवंटन का उपयोग भी अधिक कुशल होना चाहिए।

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एस.ई.आर.) की परिकल्पना न केवल उच्च शिक्षा के संस्थान के रूप में की गई है, बल्कि वे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान भी करेंगे, जिससे देश का नाम रोशन होगा। किसी भी प्रकार की देरी से अनुसंधान पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए न केवल प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे जैसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके लिए उपयुक्त माहौल की भी आवश्यकता होती है। उच्चतर शिक्षा विभाग और सरकार को इस उद्देश्य के लिए तालमेल के साथ काम करना चाहिए ताकि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकें।

वे ज्ञान, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और प्रशिक्षण के उभरते क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वैश्विक मानकों की जनशक्ति प्रदान करते हैं, जिसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एक पूर्वापेक्षा है। इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आई.टी. क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था और शासन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे समाज के हर पहलू में व्यापक सुधार हुआ है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हों, कृषि नवाचार हों या सेवा क्षेत्र हो। मौजूदा केन्द्र-वित्तपोषित आई.आई.टी., नए आई.आई.टी. की स्थापना की पद्धति, उनकी प्रशासनिक संरचना तथा सभी परिकल्पित हितधारकों पर संभावित प्रभाव का सवाल है।

यह चिंता का विषय है कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी है। सुस्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से लेकर हाल ही में स्थापित विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ निजी विश्वविद्यालयों, आई.आई.टी., एन.आई.टी. और आई.आई.एम. जैसे प्रमुख संस्थानों में, यह समस्या उच्च शिक्षा के विकास और वृद्धि तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा

के रूप में उभरी है। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है तथा निकट भविष्य में इसमें कोई सुधार की संभावना नहीं है।

इसमें केवल दो ही संभावनाएं हो सकती हैं या तो हमारे युवा छात्र शिक्षण पेशे की ओर आकर्षित नहीं होते हैं या फिर भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और इसमें बहुत अधिक प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं होती हैं।

उच्च शिक्षण संस्थानों (एच.ई.आई.) में अनुसंधान फेलोशिप की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए और शिक्षण सहायक के लिए नई योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी(एस ऐंड टी) संस्थानों के साथ उचित संबंध होना चाहिए, शिक्षकों और अनुसंधान की संकाय के रूप में संयुक्त नियुक्ति होनी चाहिए तथा पदोन्नति को प्रदर्शन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। समिति ने आगे कहा कि विभाग को शिक्षण पेशे की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। समिति का यह भी मानना है कि यदि संकाय की नियुक्ति के लिए सख्त मानदंड आड़े आ रहे हैं तो यू.जी.सी. और अन्य नियामक निकायों को नियमित आधार पर उनकी समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यक बदलाव लाने चाहिए ताकि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके।

कौशल घटक के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए, जैसे कौशल आवश्यकता मूल्यांकन, डिप्लोमा शिक्षा, आई.टी.आई. से डिप्लोमा कार्यक्रम में पार्श्व प्रवेश, औद्योगिक फिनिशिंग स्कूल और विशेष जनशक्ति विकास कार्यक्रम। इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह विकास रणनीतियों को प्रभावित करेगा। कौशल विकास, वास्तव में एक मंत्रालय/विभाग तक सीमित नहीं है; राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र सहित कई मंत्रालय/विभाग इसमें शामिल हैं, हालांकि इस संबंध में समन्वय के लिए हमारे पास एक अलग मंत्रालय है।

सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकास, विस्तार एवं वृद्धि पर, विशेष रूप से देश में उपलब्ध युवा जनसंख्या के रूप में जनसांख्यिकीय लाभांश को देखते हुए, जो वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक है, सरकार को सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। देश का युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा वातावरण का हकदार है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बनने के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं, जैसा कि आई.टी. क्षेत्र के विकास में देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनने में धन की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। सभी हितधारकों, चाहे वह यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. जैसी सरकारी नियामक संस्थाएं हों, उच्च शिक्षा और अनुसंधान के संस्थान जैसे आई.आई.टी., आई.आई.एम., आई.आई.एस.ई.आर., एन.आई.टी., आई.आई.टी., निजी क्षेत्र और सबसे महत्वपूर्ण समाज को हमारी युवा आबादी के सपनों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होना चाहिए, जिससे भारत न केवल वैश्विक स्तर पर शिक्षा का केंद्र बन सके, बल्कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की महत्वाकांक्षा भी साकार हो सके।

उच्च शिक्षा में हमारे नियामक निकायों, विशेषकर यू.जी.सी. और ए.आई.सी.टी.ई. के कामकाज के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें हैं, जिन पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का प्रमुख कारक है। मानव संसाधन पूंजी भी हमारे देश की अमूल्य संपदा है। विकासशील देश भारत अपने देश की कार्यशील आयु वाली जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2020-30 तक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा रखता है। लेकिन यह देखना काफी दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है कि इस तरह के दृष्टिकोण को बजट में विशेष रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों में उजागर या व्यक्त नहीं किया जा रहा है।

इसके अलावा, मैं मांग सं. 57 का पुरजोर विरोध करता हूं जो स्कूली बच्चों और साक्षरता के संबंध में है, क्योंकि इसमें बिना किसी वास्तविक उचित औचित्य के भारी कटौती की गई है।

महोदय, जब हम शिक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो शिक्षा हमारे देश की वृद्धि, विकास, समृद्धि और प्रगति को गति देने वाला प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक इंजन है। स्कूली शिक्षा के संबंध में इस सरकार की अवधारणा और दृष्टिकोण क्या है?

यह देखा गया है कि भारतीय स्कूली शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में साक्षरता दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 74 प्रतिशत है। यदि कोई व्यक्ति अपना नाम पढ़ने और लिखने में सक्षम है, तो उसे साक्षर माना जाता है। लेकिन साक्षर बनने के मानदंडों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरी तरह से अलग हैं।

सरकार को मेरा पहला सुझाव यह है कि हमें एक नई रेखा खींचनी होगी। देश में वास्तविक साक्षरता का आकलन करने के लिए एक उचित आधार रेखा स्थापित करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने देश में निरक्षरता को दूर करने के लिए कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। यह पहला बिंदु है जो मैं कहना चाहूँगा।

साक्षरता के संबंध में, मैं एक चिंताजनक बात कहना चाहूंगा। वर्ष 2001-11 से, साक्षरता वृद्धि लगभग 9.2 प्रतिशत है, लेकिन यह पिछले दशक की तुलना में बहुत धीमी और बहुत कम है। हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? ऐसी दयनीय स्थिति में, सरकार इस बजट के संबंध में जो कर रही है, वह बहुत चिंताजनक है।

मैं बी.जे.पी. घोषणापत्र के पृष्ठ 23 को उद्धृत करना चाहूंगा।

"शिक्षा में निवेश से सर्वोत्तम लाभ मिलता है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के छह प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा तथा निजी क्षेत्र को शामिल करने से इसमें और वृद्धि होगी। इसके लिए, 'सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा' योजना के अंतर्गत, बी.जे.पी. निम्नलिखित कदम उठाएगी। निरक्षरता को दूर करने के लक्ष्य के साथ सर्व शिक्षा अभियान को मजबूत और विस्तारित किया जाएगा। मिड डे मील योजना को प्रबंधन और वितरण के संदर्भ में पुनर्जीवित किया जाएगा।

इस तरह के कई अन्य नारे भी दिए जा रहे हैं। क्या इस बजट में स्कूली शिक्षा और साक्षरता के संबंध में किये गए वादे पूरे किये गये हैं? यह पहला प्रश्न है जिसका उत्तर माननीय मंत्री जी को देना है। मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा हूँ। वर्ष 2015-16 में बजट आवंटन पिछले वर्ष 2014-15 की तुलना में -24.68 प्रतिशत है। स्थायी समिति के प्रतिवेदन में यही कहा गया है। भारतीय स्कूली शिक्षा के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। गैर-योजना क्षेत्र में भी -3.23 प्रतिशत की कटौती हुई है। अब सरकार का दृष्टिकोण क्या है? यह केवल वर्ष 2015-16 के बजट में आबंटन के संबंध में ही नहीं है।

मंत्रालय के प्रदर्शन के संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया व्यय पर नजर डालें। वर्ष 2013-14 में कुल योजना व्यय रु. 43,803 करोड़ था, जबकि वर्ष 2014-15 में 31.1.2015

तक यह मात्र रु. 36,594 करोड़ था। प्रमुख योजनाएं क्या हैं? ये हैं सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मॉडल स्कूल कार्यक्रम आदि। इन योजनाओं में आवंटित धनराशि का उपयोग न किए जाने का अर्थ है कि यह एक अकर्मण्य मंत्रालय है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 (क) में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यह 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' है? कटौती क्या है? वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक व्यय वर्ष 2013-14 के वास्तविक व्यय की तुलना में 16.25 प्रतिशत कम था। ... (*व्यवधान*)

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): कृपया मुझे हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: वह बोल रहे हैं। उन्हें अपनी बात पूर्ण करने दीजिए।

… (*व्यवधान*)

श्री ई. अहमद: उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वह गंभीर है। वह कह रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया है। … (*व्यवधान*) सरकार ने धन का उपयोग नहीं किया है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द्रन जी, कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : श्री अहमद जी, धन्यवाद। समय की कमी के कारण मैं जवाब नहीं दे सका।

यह धनराशि के गैर-उपयोग और आवंटन के बारे में है। मैं धन आवंटन के संबंध में एक और आंकड़ा भी बताना चाहूंगा। मेरे पास स्थायी समिति का प्रतिवेदन है, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 2012-13 में बजटीय आवंटन में 17.68 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2013-14 में यह घटकर 8.04 प्रतिशत, वर्ष 2014-15 में 4.58 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में नई सरकार के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का छह प्रतिशत से अधिक खर्च करने का वादा करने के बाद यह घटकर माइनस 23.40 प्रतिशत रह गया है। वादा क्या है और व्यवहार क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्कूली शिक्षा, साक्षरता और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में चिंतित है।

इसलिए, मैं दो बिंदुओं पर बोलना चाहूंगा। एक, बजटीय प्रस्तावों के माध्यम से धन का आवंटन न किए जाने से संबंधित है, तथा दूसरा, धन का कम उपयोग किए जाने से संबंधित है। इसलिए, किसी विभाग या मंत्रालय के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए धन का इष्टतम और विवेकपूर्ण उपयोग ही मानदंड है। अतः, इस मानदंड के अनुसार यह स्पष्ट है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है।

मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूं कि उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं बस एक और बात कहूँगा और फिर समाप्त करूंगा। उच्च शिक्षा में 22 प्रतिशत अधिक और प्रारंभिक शिक्षा में 23.4 प्रतिशत की कमी क्या दर्शाती है? यह दर्शाता है कि आप कमजोर नींव पर संरचना का निर्माण कर रहे हैं। वह निश्चित रूप से ढह जाएगा। अतः माननीय मंत्री जी तथा सरकार से मेरा विनम्र निवेदन और सुझाव है कि कृपया बजटीय प्रस्तावों को संशोधित करें ताकि स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जा सके।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*__श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान (मुर्शिदाबाद):__ मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारे देश के हर कोने के लोग इस विषय से जुड़े हुए हैं। किसी देश का विकास सदैव शिक्षा पर निर्भर करता है। हम हमेशा सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का कम से कम 6% और बजट का 10% निधि आबंटन की मांग करते हैं। लेकिन आजादी के बाद से किसी भी सरकार ने इस मांग को लागू नहीं किया। यह सही है कि सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के कारण बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। अभी तक भारत पूर्ण साक्षर देश नहीं है। अभी तक लोगों को अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए स्कूलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में कई स्कूल शिक्षकों की कमी के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। हम सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं। यह तभी संभव है जब सरकार के.जी. से पी.जी. तक मुफ्त शिक्षा के लिए धन आवंटित करे। अगर निजी क्षेत्र को यह काम करने दिया जाए तो वे लोगों के हित के लिए नहीं बल्कि निजी लाभ के लिए आगे आएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आएगी। अंततः हमारा देश अपनी ताकत खो देगा।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सभी के लिए मुफ्त शिक्षा और गुणवत्ता आधारित शिक्षा के लिए बजट का 10% पैसा आवंटित किया जाए।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*__श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर):__ शिक्षा न केवल कार्यकुशलता बढ़ाने का एक साधन है, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने और व्यापक बनाने तथा व्यक्ति और समाज की समग्र गुणवत्ता को उन्नत करने का एक कुशल साधन भी है। भारत की जनसंख्या बहुत है और संभावित जनसांख्यिकीय लाभ को प्राप्त करने, तीव्र क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि तेजी से बदलते घरेलू और वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए मात्र मात्रात्मक विस्तार से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दो विभाग हैं: स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का दृष्टिकोण, राष्ट्र की मानव क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए सभी के लिए समान गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करना है, तथा उच्चतर शिक्षा विभाग का दृष्टिकोण, समानता और उत्कृष्टता के साथ शिक्षा क्षेत्र में भारत की मानव संसाधन क्षमता का पूर्ण उपयोग करना है। मानव की बौद्धिक और व्यावसायिक क्षमताएं बढ़ने के साथ ही यह बात तेजी से साकार हो रही है। आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में एक अच्छी गुणवत्ता वाला मानव संसाधन आधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले दो दशकों में विकास की अवधारणा इसी दिशा में विकसित हुई है, जो आय और आय वितरण से आगे बढ़कर मानव संसाधन विकास की ओर बढ़ गई है। यही कारण है कि शिक्षा के कल्याणकारी दृष्टिकोण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर उल्लेखनीय बदलाव हुआ है, जो विकास के लिए अपनी परिवर्तनकारी क्षमता के माध्यम से सम्मानजनक जीवन के अधिकार के लिए आधार प्रदान करता है।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मंत्रालय का प्रयास समावेशी दृष्टिकोण के साथ 'सभी के लिए शिक्षा' प्राप्त करना रहा है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा पिरामिड की नींव बनाती है। इसलिए इस आधार को मजबूत करने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच के

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। इसके अलावा नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण को बढ़ाने तथा बच्चों में पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए प्रमुख हस्तक्षेप में स्कूलों में 'राष्ट्रीय कार्यक्रम मिड डे मील (एम.डी.एम.)' शामिल है। साथ ही, सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) को सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण, नामांकन स्तरों में लैंगिक और सामाजिक अंतर को पाटने तथा सभी बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-क और उसके परिणामस्वरूप बने कानून, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 को देश में लागू हुआ। प्रत्येक बच्चे को औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और समान गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो आर.टी.ई. अधिनियम में निर्दिष्ट कुछ आवश्यक मानदंडों और मानकों को पूरा करता हो। इस महत्वपूर्ण विकास के अनुसरण में वर्ष 2010-11 में शुरू की गई सुधार प्रक्रियाएं वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान जारी रहीं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य आर.टी.ई. नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के चार लक्ष्यों में से एक है। परिणामस्वरूप, सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों और बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करता है। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) ने शहरी वंचित बच्चों, आवधिक प्रवास से प्रभावित बच्चों, तथा दूरदराज और बिखरे हुए आवासों में रहने वाले बच्चों पर भी ध्यान दिया है। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) ने बालिकाओं के नामांकन के संकेतकों पर प्रतिकूल प्रदर्शन, साथ ही एस.सी., एस.टी. और अल्पसंख्यक समुदायों के संकेन्द्रण के आधार पर विशेष फोकस जिलों की पहचान की है। आर.टी.ई. सर्व सिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) लड़कियों और वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा पर स्पष्ट

जोर और विशेष ध्यान प्रदान करता है; इसमें आर.टी.ई. नियमों के अंतर्गत निर्धारित बस्तियों के भीतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की उपलब्धता, वर्दी, पाठ्यपुस्तकें आदि सुनिश्चित करना शामिल है। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी मुख्यतः लड़कियों और वंचित समूहों पर केंद्रित हैं।

नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने तथा साथ ही बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से, 15 अगस्त, 1995 को एक केन्द्र प्रायोजित योजना 'प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.-एन.एस.पी.ई.)' शुरू की गई। इस योजना को वर्ष 2008-09 के दौरान उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया था और इस योजना का नाम 'स्कूलों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम' के रूप में बदल दिया गया था। वर्तमान में सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय स्कूल, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन.सी.एल.पी.) स्कूल, शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस.)/वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा के अंतर्गत संचालित केंद्र, मदरसे और एस.एस.ए. के अंतर्गत समर्थित मकतब मिड डे मील योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना की विषय-वस्तु और कवरेज को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। मिड डे मील योजना में देश के 12.12 लाख स्कूलों में 10.68 करोड़ प्राथमिक कक्षा के बच्चों को शामिल किया गया था।

मिड डे मील योजना का उद्देश्य भारत में अधिकांश बच्चों के लिए दो प्रमुख समस्याओं, अर्थात् भूख और शिक्षा से निपटना है;

एक. सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और ई.जी.एस. और ए.आई.ई. केंद्र एन.सी.एल.पी. स्कूलों और एस.एस.ए. के अंतर्गत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों में कक्षा 1-8 के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।

दो. वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना तथा कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करना।

तीन. ग्रीष्मावकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।

यद्यपि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 73 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त हुई है, महिला साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पुरुष साक्षरता 80.9 प्रतिशत है जो अभी भी महिला साक्षरता 64.6 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन महिला साक्षरता में 5.6 प्रतिशत की तुलना में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2010 में केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया था। सर्व शिक्षा अभियान, आर.टी.ई. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निर्दिष्ट योजना है। एस.एस.ए. के ढांचे को संशोधित किया गया है, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2014-15 से निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में वंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों के कम से कम 25 प्रतिशत प्रवेश के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है। डी.आई.एस.ई. (शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली) के अनुसार, वर्ष 2007-08 और वर्ष 2013-14 के बीच प्राथमिक विद्यालयों में कुल नामांकन वर्ष 2011-12 में 134 मिलियन से बढ़कर 137 मिलियन हो गया और फिर वर्ष 2013-14 में घटकर 132 मिलियन हो गया, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन 51 मिलियन से बढ़कर लगभग 67 मिलियन हो गया। यह बदलती जनसांख्यिकीय आयु संरचना के अनुरूप है। भारत ने लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त कर लिया है तथा बुनियादी ढांचे (स्कूल, शिक्षक और शैक्षणिक सहायक कर्मचारी) में वृद्धि कर ली है।/

यहां दोहरी चुनौती है, एक ओर कौशल विकसित करना और दूसरी ओर कौशल का उपयोग करना, क्योंकि जिन कौशलों का उपयोग नहीं किया जाता, वे नष्ट हो जाते हैं। श्रम ब्यूरो प्रतिवेदन 2014 के अनुसार, भारत के औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल का वर्तमान आकार लगभग 2 प्रतिशत है। यह

संख्या दक्षिण कोरिया और जापान जैसे छोटे देशों से काफी अलग है, जहां यह आंकड़ा क्रमशः 96 और 80 प्रतिशत है। अखिल भारतीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6.8 प्रतिशत व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है/प्राप्त हो रहा है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा वर्ष 2013-2022 की अवधि के लिए किए गए अध्ययनों के अनुसार, गैर-कृषि क्षेत्र में 120 मिलियन कुशल लोगों की आवश्यकता है। कौशल विकास की वर्तमान क्षमता अत्यधिक अपर्याप्त है तथा देश की तात्कालिक कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे शीघ्रता से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। भारत के कार्यबल में खराब कौशल स्तर के लिए औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा ढांचे की कमी, गुणवत्ता में व्यापक भिन्नता, उच्च विद्यालय छोड़ने की दर, अपर्याप्त कौशल प्रशिक्षण क्षमता, कौशल के प्रति नकारात्मक धारणा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी उद्योग-तैयार कौशल की कमी को जिम्मेदार ठहराया जाता है (श्रम ब्यूरो प्रतिवेदन 2014)। उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच, समानता, गुणवत्ता, नवाचार आदि को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई कुछ हालिया पहलों में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.), तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टी.ई.क्यू.आई.पी.) और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एन.एस.क्यू.एफ.) शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शिक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों की चर्चा पर भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस बार बजट में सबसे ज्यादा कटौती स्कूली शिक्षा और साक्षरता के खर्च पर की गयी है। पिछले बजट में इसे 55 हजार करोड़ रुपये दिये गये थे, जबकि इस बार महज 42 हजार करोड़ रुपये ही दिये गये हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में भी कटौती की गयी है।

महोदय, सरकार शिक्षा के बजट का उपयोग करने में बहुत ही असफल साबित हुई है। स्कूली शिक्षा के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में कुल 55 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध थे, मगर सरकार ने माना नहीं और 31 मार्च तक उसमें से महज 47 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हो सके। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के लिए दिये गये 28 हजार करोड़ रुपये में से केवल 24 हजार करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं।

महोदय, शिक्षा के स्तर में आज निश्चित रूप से गिरावट आयी है, खासकर सरकारी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में काफी अंतर है। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके लिए राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और केंद्र सरकार द्वारा भी बहुत-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें दोपहर का भोजन दिया जाता है, पोशाक देने की योजना है और भी कई तरह की योजनाएं हैं। इन योजनाओं से बच्चों के पढ़ने का अनुपात बढ़ा है लेकिन गुणवत्ता में कमी आ रही है। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि पढ़ाई की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज बड़े-बड़े शिक्षण संस्थाओं में, खास कर कालेजों में हमारे दलित परिवार के बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। हमें इसका कारण समझने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि निचले तबके के लोग साक्षर हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि निचले तबके के लोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं। कालेज तक पहुंचते-पहुंचते उनका प्रतिशत बहुत कम हो जाता है।

इंजीनियरिंग कालेज या मेडिकल कालेज या उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में इनका कोई प्रतिशत नहीं है। जब तक हम समाज के अंतिम व्यक्ति को पढ़ा नहीं लेते हैं, तब तक हमारे देश की समृद्धि सम्भव नहीं है।

मैं मंत्री जी को विशेषकर अपने संसदीय क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं। हमारे यहां नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित करके चलाया जा रहा है लेकिन हर बार यह यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के विवाद में फंसी रहती है जिसके कारण इसकी छवि खराब हो रही है। इस सरकार ने आते ही अमृत्य सेन जैसे शिक्षाविद और विद्वान व्यक्ति को चांसलर के पद से हटाने का काम किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब विश्व को ज्ञान का प्रकाश देने वाली भूमि नालंदा में फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है तो सरकार सुचारु रूप से वहां प्रबंध मुहैया कराए, ताकि उसकी गरिमा बनी रहे। उसकी जो नई आधारभूत संरचना बन रही है, उसमें तीव्र गति लाने की जरूरत है। बिहार में दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की मंजूरी दी गई है, यह सराहनीय है, किंतु उसे अविलम्ब फंड मुहैया कराया जाए और सुचारु रूप से शुरू कराया जाए।

[अनुवाद]

*__श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड):__ सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मंत्रालय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए आवश्यक नहीं होती, यह समाज को मानव विकास के अलावा अन्य सभी वर्गों के विकास के प्रति जागरूक बनाती है।

पिछले बजट की तुलना में मानव संसाधन विकास के लिए आबंटन कम है। इसलिए इस मंत्रालय की मांगों को पूरा करने के लिए आवंटन बढ़ाना होगा। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सभी क्षेत्रों को पर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं लेकिन आंकड़े बताते हैं कि तथ्य वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए बयान के विरोधाभासी हैं।

मैं शिक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। केन्द्रीय विश्वविद्यालय मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हैं। राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसका संचालन संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा होता है। सभा में ही इस बात की गंभीर आलोचना की गई कि कुलपति ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासन में शामिल हैं। यहां कोई सिंडिकेट या सीनेट और अकादमिक परिषद नहीं है। कुछ निकायों को कुलपति द्वारा नामित किया जाता है। कुलपति के हाथों में सत्ता का संकेन्द्रण होता है, जिससे तानाशाही निर्णय होते हैं और कुछ मामलों में कुप्रबंधन की स्थिति पैदा होती है। नियुक्तियां उनकी अपनी इच्छा और निर्णय से की जाती हैं। कासरगोड जिले के केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति के संबंध में सतर्कता जांच की गई थी। यह सच है कि शिक्षण स्टाफ के मामले में योग्यता पर विचार नहीं किया जाता है। जब यू.जी.सी. करोड़ों रुपए खर्च करता है तो उसका दुरुपयोग और बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन पर पुनर्विचार होना चाहिए।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

केन्द्र सरकार ने 'आर.एम.एस. स्कूल' के नाम से नए स्कूल शुरू किए हैं। भवनों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित नहीं की गई है। यह कहना बहुत दुःख की बात है कि मांग को पूरा करने के लिए स्टाफ का स्तर अपर्याप्त है। भारत में केरल जैसे राज्यों में बेहतर शिक्षा प्रणाली है। लेकिन इन नए स्कूलों ने वास्तव में इसे बहुत कठिन बना दिया है क्योंकि स्थानीय लोगों या पी.टी.ए. को कुछ स्कूलों में शिक्षकों के वेतन का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए सरकार को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए, नवोदय विद्यालय भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। इन स्कूलों को पर्याप्त शिक्षकों की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश स्कूलों में अस्थायी शिक्षक नियुक्त हैं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

केन्द्रीय विद्यालय पूरे भारत में कार्यरत हैं। यहां हम योग्य शिक्षकों की आवश्यकता को भी देखते हैं। स्कूल प्रशासन इन स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों को भी नियुक्त करता है। नवोदय और केन्द्रीय विद्यालयों दोनों में मातृभाषा को पढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रम में मातृभाषा को बाहर करना घोर आपत्तिजनक है। अतः, मैं सरकार से केंद्रीय विद्यालय (के.वी.) और नवोदय विद्यालयों के भीतर मातृभाषा को शामिल करने का अनुरोध करता हूँ। केंद्रीय विद्यालयों के प्रवेश के लिए आवंटित कोटे पर कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं । अब यह केवल 6 है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे बढ़ाकर कम से कम 15 किया जाए क्योंकि हमें सैकड़ों आवेदन मिल रहे हैं।

यद्यपि हमने संसद में विभिन्न कानून पारित किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई कैपिटेशन फीस नहीं हो , एस.सी./एस.टी. और अल्पसंख्यक छात्रों को संबद्ध संस्थानों में कम से कम 25% प्रवेश दिया जाना चाहिए, फिर भी ये निर्णय लागू नहीं किए गए हैं।

बेहतर फैकल्टी आजकल हमारे सामने एक प्रमुख मुद्दा है। हमारे छात्रों को राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। आजकल इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। छात्रों के लिए अन्य उत्कृष्ट संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कैसे संभव है? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से

तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय में देरी का कोई औचित्य नहीं है। जब हम अपनी युवा पीढ़ी का सामना करेंगे तो यह एक अपराध होगा।

*__श्री जोस के. मणि (कोट्टायम):__ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने के लिए बुलाने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हम देश के जनसांख्यिकीय लाभ तथा देश के विकास के लिए इसकी क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता से भली-भांति परिचित हैं। इस बजट में सरकार शिक्षा क्षेत्र के लिए नवीनता और संसाधन उपलब्ध कराने में विफल रही है। आवंटन में कटौती के संबंध में मेरे सहयोगियों द्वारा उद्धृत कई उदाहरण हैं। उन्होंने बी.जे.पी. के घोषणापत्र के बारे में बात की जिसमें शिक्षा क्षेत्र पर जोर दिया गया था। लेकिन, वास्तव में, वे इससे पूरी तरह से भटक गए हैं। माननीय मंत्री जी, इससे पता चलता है कि आपका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है और आप देश के भविष्य के प्रति कृतसंकल्प नहीं हैं। समय की कमी के कारण मैं अपना भाषण छोटा कर रहा हूँ।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी 'मेक इन इंडिया' के अपने एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। इस मिशन को सफल बनाने के लिए, युवा कॉलेज छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उन्हें नवाचार के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए तथा उन्हें अपना स्वयं का स्टार्ट-अप शुरू करने में मदद की जानी चाहिए। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्टार्ट-अप के लिए माहौल को बढ़ावा देने के लिए रु. 1000 करोड़ दिए हैं, फिर भी उन्हें सभी विश्वविद्यालयों को इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए अलग से अनुदान भी देना चाहिए था, ताकि व्यवहार्य अनुसंधान और उद्यमिता विचारों को बढ़ावा दिया जा सके। केरल में इस बजट के दौरान लगभग सभी 11 विश्वविद्यालयों को अपने इनक्यूबेशन सेंटर शुरू करने के लिए एक-एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। यह राज्य में समग्र स्टार्ट-अप गांवों के लिए आवंटित रु. 300 करोड़ के अतिरिक्त है। पूरे देश के लिए सरकार ने स्टार्ट-अप गांव के लिए केवल रु. 1000 करोड़ दिए हैं, लेकिन अकेले केरल राज्य में रु. 300 करोड़ दिए हैं!

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकार को मेरा सुझाव है कि स्टार्ट-अप गांवों के साथ-साथ सभी व्यावसायिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन केंद्र शुरू करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि दिसंबर तक यह बनकर तैयार हो जाएगी। शिक्षा वस्तुनिष्ठ और किसी भी विचारधारा के प्रति पक्षपात रहित होनी चाहिए। अतीत में कई बार यह देखा गया है कि कुछ वैचारिक समूहों के राजनीतिक दबाव के बाद कुछ विषयों के पाठ्यक्रम बदल दिए गए, निबंध और विषयों को हटा दिया गया। इस प्रयोजन के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि एक स्वतंत्र पाठ्यक्रम रूपरेखा एक बोर्ड द्वारा तैयार की जाए, जिसका गठन संसद द्वारा किया जाए तथा जिसे संवैधानिक समर्थन प्राप्त हो।

केरल राज्य उत्सुकता से अपनी आई.आई.टी. और रबर विश्वविद्यालय की मांग पूरी होने का इंतजार कर रहा था। हालांकि, केरल को दरकिनार कर दिया गया है। मैंने कई बार उल्लेख किया था कि केरल में सहायता प्राप्त स्कूलों ने बहुत योगदान दिया है। अन्य सभी राज्यों के विपरीत, केरल में 7,000 से अधिक सहायता प्राप्त स्कूल हैं; और सरकारी स्कूल लगभग 4,000 हैं। लेकिन *सर्व शिक्षा अभियान* के अंतर्गत, सहायता केवल सरकारी स्कूलों को दी जाती है। हमें सहायता प्राप्त स्कूलों को भी सहायता देने की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। *सर्व शिक्षा अभियान* के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्कूलों को भी सहायता दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

*__साध्वी सावित्री बाई फूले (बहराइच):__ हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के युवा वर्ग को ही सच्ची ताकत बताते हुए उनकी शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय मानव संसाधन के योगदान हेतु महत्वाकांक्षी योजनाओं पर बल दिया है। इस बात में कोई शंका नहीं है कि विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं ने धूम मचा रखी है और इनकी मांग भी जोरों पर है। परंतु देश में प्राथमिक शिक्षा के हालात अत्यंत चिन्ताजनक है। शिक्षा का अधिकार कानून एवं सर्वशिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन के जरिए सरकारी स्कूलों में नामांकन तो सुनिश्चित किया जा सका, परंतु छात्रों में अक्षर बोध एवं आंकिक एवं तार्किक स्तर पर बौद्धिक क्षमता हासिए पर है।

मेरा संसदीय क्षेत्र बहराइच उत्तर प्रदेश में नेपाल की सीमा से सटा हुआ तराई क्षेत्र है जो कि शिक्षा के मानकों में देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए विशेष पैकेज के तहत केन्द्रीय सीबीएससी बोर्ड के अंतर्गत आवासीय एवं केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की नितांत आवश्यकता है। जनपद बहराइच के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय स्थानीय प्रशासन के असहयोग एवं अकर्मण्यता की वजह से पिछले कई वर्षों से लटका हुआ है। इसके लिए जमीन मुहैया करने की जिम्मेदारी उ. प्र. राज्य सरकार की है जो शायद केन्द्र की योजना में कोई रूचि नहीं लेती। मैंने व्यक्तिगत रूप से केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त से मिलकर इस मामले को उठाया तो वहां से जवाब मिला कि आवश्यक पत्रक जिले के आधिकारियों द्वारा भेजे जाने के बाद ही हम इस योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं। इस स्थिति में क्षेत्रीय जनता राज्य और केन्द्र की खींचतान और परस्पर असहयोग के चलते उच्च गुणवत्ता के केन्द्रीय विद्यालय से आज भी महरूम है। मेरी प्रार्थना है कि ऐसे मामले में कोई भी ढीलढाल नहीं बरतते हुए तत्काल जमीन आधिग्रहण कर नए विद्यालय खोलने पर ध्यान देना चाहिए। छात्रों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की बढ़ती भूमिका होती है। इसीलिए उनके चयन को लेकर राजनीति

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

न करते हुए शिक्षक भर्ती के मानक पूरे देश में एक समान रहें तो छात्रों की पढ़ाई का स्तर भी सुधरने में मदद मिलेगी, जिससे हम आज के प्रतियोगी युग में सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर सकें और हमारे शिक्षक होनहार नवयुवक निर्माण में अपनी प्रतिभानुसार सहयोग कर सकें।

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है, यह भारत का स्वर्ण युग है, इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, 21वीं शताब्दी ज्ञान-संचालित है; इस सदी में अर्थव्यवस्था की नींव ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। यह शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का युग है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या भारत इस अनुकूल स्थिति का लाभ उठाने तथा विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होने में सक्षम है। मैं निराश नहीं हूं। इस क्षेत्र में भागीदारी और बुनियादी ढांचा बहुत अधिक है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा एस.एस.ए./आर.एम.एस.ए./आर.यू.एस.ए. जैसी योजनाओं के लागू होने से हमारी शिक्षा पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को रोकने में भी काफी प्रगति हुई है।

जहां तक उच्च शिक्षा का प्रश्न है, महाविद्यालयों, व्यावसायिक महाविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि की मात्रात्मक वृद्धि दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। मात्रात्मक वृद्धि के संबंध में, यह ठीक है। जहां तक गुणात्मक वृद्धि का सवाल है, हमारा ग्राफ काफी नीचे है।

भारत से छात्र विदेश जा रहे हैं - अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि। इसके पीछे कारण क्या हैं? इसके कारण हैं - शिक्षा की गुणवत्ता, बढ़ती समृद्धि और आकांक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अनुभव।

हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि हम अन्य देशों के छात्रों को भारत आने के लिए क्यों आकर्षित नहीं कर सकते। यह सरल है। हम कर सकते हैं ; बेशक, हमारे पास कुछ अनुकूल स्थितियां हैं - शिक्षा की लागत; शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, इसी प्रकार युवा पीढ़ी भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की लागत और मूल्य के बारे में विश्वास करती है। पहले यह केवल शिक्षा तक ही सीमित था। अब इसका शीर्षक है 'मानव संसाधन विकास'

ऐसा क्यों हो रहा है? इसका उद्देश्य केवल नाम को सुशोभित करना नहीं है, इसके महत्वपूर्ण लक्ष्य और उद्देश्य हैं – मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व; व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ पाठ्यक्रम में संशोधन। पाठ्यक्रम संशोधन एक ऐसा काम है जो बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या हम संतोषजनक स्तर पर हैं। मैं यहां कहना चाहता हूं कि मेरा उत्तर 'नहीं' है। दुर्भाग्यवश हम हर चीज़ में राजनीति को ले आते हैं। युवा पीढ़ी को बौद्धिक जानकारी से समृद्ध करने के बजाय, हम उन्हें अधूरे सत्य, गलत तथ्य और विकृत इतिहास परोस रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय बात है। सरकार एन.सी.ई.आर.टी. स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की तैयारी में भी हस्तक्षेप कर रही है। सरकार ने एन.सी.ई.आर.टी., भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद आदि सभी शैक्षिक निकायों का पुनर्गठन किया है। वेद, प्राचीन हिंदू पाठ, उपनिषद, *ज्योतिष,* वैदिक गणित, संस्कृत, योग, *इतिहास,* आदि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। केरल में मेरे कार्यकाल के दौरान ही हमने संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू किया था, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमें इन बातों पर ज़ोर क्यों देना चाहिए?

मैं यह अपील करना चाहूंगा कि शिक्षा के माध्यम से युवा पीढ़ी के मन में सांप्रदायिक सद्भाव, सहिष्णुता, दया और करुणा जैसी सभी प्रकार की पवित्रताएं विकसित की जानी चाहिए।

शिक्षा को युवा पीढ़ी में सभी प्रकार के सांप्रदायिक सद्भाव, सहिष्णुता, दया और करुणा का विकास करना चाहिए। हमें विद्यार्थियों के हृदय में दयालुता का भाव विकसित करना चाहिए। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरा सुन सकता है और अंधा पढ़ सकता है। यही हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

आज सभा में डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स अंडर दि कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री एचआरडी पर चर्चा हो रही है। जो पैसा दिया जा रहा है, उसका मिसयूटिलाइजेशन, अंडरयूटिलाइजेशन भी बहुत है। माननीय मंत्री जी कोशिश कर रही हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के लिए जो पैसा दिया, उसे वहां के वाइस-चांसलर ने डायवर्ट कर दिया, उसी तरीके से शिड्यूल्ड कास्ट्स कंपोनेंट प्लान में जो पैसा शेड्यूल्ड कास्ट्स स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए दिया गया था, वर्ष 2013-14 में उसमें से केवल तीन प्रतिशत पैसा खर्च किया गया और 97 प्रतिशत पैसा खर्च नहीं हो सका। इस तरह की चीजें हो रही हैं। केन्द्रीय विद्यालय के बारे में भी मंत्री जी चिन्तित हैं। हम लोगों को जिस तरह की विरासत मिली है, उसे दुरूस्त करना है। वहां पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में रूल्स-रेगुलेशन्स की बहुत बेंडिंग की गयी, उनको ट्विस्ट किया गया है। सरकार और मंत्री महोदया से मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि शिक्षा को इस तरह बनाया जाए कि जो स्टूडेंट्स शिक्षित होकर निकल रहे हैं, वे अपनी जिम्मेदारी एवं नैतिकता को समझ सकें। हमारे कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स स्टूडेंट्स को यह भी नहीं बता सके कि सफाई करना चाहिए। हमारे यहां की एजुकेशन का इतना फेल्योर रहा कि प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में कहना पड़ा। इसलिए हमें शिक्षा में बहुत परिवर्तन करने की जरूरत है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि आज हमारे सामने जो मुद्दा है, उससे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा इस सभा के सामने शायद ही कोई और हो। हमने लोगों को जनसांख्यिकीय लाभ के बारे में बोलते सुना है। हमारे देश में 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच लगभग 225 मिलियन युवा हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि वर्ष 2020 में हमारे पास चीन की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक युवा काम करना शुरू करेंगे। लेकिन हमें इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित, शिक्षित और सुसज्जित करने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करने में असफल रहे, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम देख चुके हैं कि माओवादियों और नक्सलवादियों के रूप में हमारे सामने खतरा उत्पन्न हो गया है। शिक्षा केवल एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दा नहीं है। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश के लिए कम शिक्षित, बेरोजगार और रोजगार के अयोग्य युवकों से अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है, जो हमारे समाज में किसी अन्य हित के अभाव में कलाश्निकोव के प्रलोभन में आ जाएंगे।

यही कारण है कि उपाध्यक्ष महोदय, हम इस देश में शिक्षा बजट में कटौती से बहुत निराश हैं। मैं उन सभी संख्याओं को नहीं दोहराऊंगा जो मेरे कई सहयोगियों ने पहले ही बता दी हैं। लेकिन यह बहुत दुखद है। प्रतिशत के हिसाब से, शिक्षा के लिए योजना आवंटन में 24 प्रतिशत की कमी की गई है, हालांकि यू.पी.ए. के शासन में इसमें हर साल बढ़ोतरी होती रही थी, *सर्व शिक्षा अभियान* के लिए आवंटन में 22 प्रतिशत की कटौती की गई है, मिड-डे मील योजना के लिए आवंटन में 16 प्रतिशत की कटौती की गई है, *माध्यमिक शिक्षा अभियान* के लिए आवंटन में 28 प्रतिशत की कटौती की गई है तथा *उच्चतर शिक्षा अभियान* के लिए आवंटन में 48 प्रतिशत की कटौती की गई है। जब हम धन में कटौती करेंगे तो हम इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर सकेंगे? हमारे संसदीय कार्य मंत्री को यह कहने का बहुत शौक है - [हिन्दी] जितना आटा उतनी रोटी। जब आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री आटा नहीं देती है तो रोटी कैसे बनाएंगे? चूल्हे में अगर आग नहीं है तो आप रोटी कैसे पकाएंगे?

[अनुवाद] इस बजट से हमें यही समस्या है। जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं। किसी ने स्वीकार किया कि उच्च शिक्षा के लिए बजट अधिक है। लेकिन सच तो यह है कि आइये हम इसके सार पर नजर डालें। हमें इस बात का अफसोस है कि वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 200 में से किसी में भी हमारा कोई उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है। आइए हम आई.आई.टी. का मामला लें। सरकार पांच नए आई.आई.टी. बनाने की घोषणा करती है और पूरे उद्देश्य के लिए केवल रु. 1000 करोड़ दे रही है, जबकि सरकार की अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रत्येक नए आई.आई.टी. को काम करने के लिए सात साल तक कम से कम रु. 350 करोड़ प्रति वर्ष की आवश्यकता है। अतः जो होने जा रहा है वह यह है कि हमारे पास अपर्याप्त वित्तपोषण होगा, जिससे नए आई.आई.टी. और नए आई.आई.एम. में शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, सच तो यह है कि हमें अन्य विषयों पर भी बात करनी होगी, क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन आइये हम स्कूल प्रणाली पर भी नजर डालें। जहां तक नामांकन और स्कूल छोड़ने की बात है, तो यह बेहद चिंताजनक है कि हालांकि हमारे यहां प्राथमिक स्तर पर 100 प्रतिशत से अधिक नामांकन है, लेकिन स्कूल छोड़ने की दर इतनी अधिक है कि लगभग 30 प्रतिशत बच्चे कक्षा आठ तक आते-आते स्कूल छोड़ देते हैं। यदि बच्चे स्कूल नहीं जाते तो आप उन्हें शिक्षित नहीं कर सकते। हम उन्हें स्कूल में कैसे रख सकते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट में 60 लाख बच्चों के स्कूल न जाने का चिंताजनक आंकड़ा दिया गया है।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

यह कुछ साल पहले 30 लाख था। अतः यह प्रवृत्ति नकारात्मक रूप से उलट रही है। समस्या यह है, मेरी चिंता यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और वंचित वर्ग के बच्चे ही हैं जो असमान रूप से शिक्षा के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। हमने पाया कि वे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम पाते हैं कि केंद्र सरकार नए बजट में 6,000

मॉडल स्कूल बनाने में राज्यों को सहयोग देने से इनकार कर रही है। हम जानते हैं कि मंत्री महोदय यह जवाब देंगे कि वित्त आयोग के कारण अब दायित्व राज्यों पर आ गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि राज्य उतना भी खर्च नहीं कर पाए जितना उन्हें पहले की व्यवस्था में खर्च करना चाहिए था, जबकि केंद्र इतना अधिक दे रहा था। अब वे कैसे काम चलायेंगे?

आइये, केन्द्रीय विद्यालयों का उदाहरण लें। केन्द्रीय विद्यालयों के संबंध में, सांसद के रूप में हम सभी जानते हैं कि जनता की क्या मांग है। मेरी छह सीटों के लिए मेरे पास 459 अनुरोध हैं। स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि हम सांसदों के लिए सीटों की संख्या बढ़ायें। हम जानते हैं कि यह कोई समाधान नहीं है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि गुणवत्तापूर्ण, किफायती शिक्षा की लोगों की मांग को पूरा करने के लिए देश में शायद 500 नए केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण में गंभीरतापूर्वक केंद्रीय निवेश किया जाए। क्या केन्द्रीय निवेश आ रहा है?

क्या जवाहर नवोदय विद्यालयों का भी निर्माण व विस्तार किया जाएगा? मैंने कुछ समय पहले सुझाव दिया था कि वंचित समुदाय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि आवासीय विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां उन लोगों को रहने की अनुमति दी जानी चाहिए जो घर पर पढ़ाई नहीं कर सकते। हमारे तटीय समुदायों, मछुआरों के संबंध में, हम मछुआरा समुदाय, अन्य अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों के लिए जे.एन.वी. क्यों नहीं बना सकते?

आज शिक्षण के संबंध में हमारी स्थिति पर गौर करें। हमारे केवल 63 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में ही आर.टी.ई. मानदंडों के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? इसकी अंतिम तिथि मार्च, 2015 तय की गई थी। प्रशिक्षण संस्थानों में भी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। अब हमारे पास जो समस्या है वह यह है कि केंद्रीय विद्यालयों में भी, 15 प्रतिशत रिक्ति दर है। महोदय, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में हमारे 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं। आपको महाराष्ट्र राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर स्वर्गीय न्यायमूर्ति वर्मा का अध्ययन याद होगा। उन्होंने 200 कॉलेजों का अध्ययन

किया और उन्होंने कहा कि 193 इतने खराब हैं कि उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। यदि हम शिक्षकों को खराब तरीके से प्रशिक्षित करेंगे, तो वे बच्चों को खराब तरीके से पढ़ाएंगे और परिणामतः सीखने की गुणवत्ता खराब होगी।

बुनियादी ढांचे की बात करें तो, केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए इस बजट में धन कहां है? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक विद्यालय सहित 177 केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण में देरी हो रही है। यहां तक कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरूवनन्तपुरम में भी के.वी. पंगोडे का मामला कुछ समय से लंबित है। जमीनी हकीकत यह है कि हमें निगरानी और केंद्रीय वित्तपोषण में दोगुना प्रयास करना होगा। सरकार अपनी केन्द्रीय वित्तपोषण जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती; अन्यथा शिक्षण परिणाम कमजोर बने रहेंगे। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षणों से यह पता चलता रहेगा कि हमारे देश में कक्षा पांच के आधे बच्चे भी कक्षा दो की पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ सकते। यहां तक कि केरल राज्य में भी - जहां हम सबसे पहले सौ प्रतिशत साक्षरता हासिल करने पर गर्व महसूस करते हैं - नवीनतम सर्व शिक्षा अभियान रिपोर्ट में शुद्ध नामांकन अनुपात में गिरावट और सीखने के परिणामों में गिरावट दिखाई देती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास दो अंतिम बातें हैं; मैं जानता हूं कि आपके पास समय कम है। पहली बात यह है कि सभा में सांसदों के रूप में हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं की घटती स्वायत्तता के बारे में बहुत गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम कई प्रमुख हस्तियों के इस्तीफों से चिंतित हैं, जिनमें आई.आई.टी. बॉम्बे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष, आई.आई.टी. दिल्ली के निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक और यहां तक कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष भी शामिल हैं। हमारे पास एक लेखक था जिसने 17 उपन्यास, 20 लघु कहानियों के संग्रह प्रकाशित किए थे, बुक ट्रस्ट का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसने किताबें लिखी थीं और उसे समय से पहले छोड़ने के लिए कहा गया था और उसकी जगह आर.एस.एस. पत्रिका के संपादक को नियुक्त किया गया था। यह ऐसी बात है जिसके बारे में हमें चिंता करनी होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को

हटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर रोक लगाते हुए और अधिक स्पष्टीकरण तथा विवरण मांगा है। यू.जी.सी. से दिल्ली विश्वविद्यालय के चार वर्षीय पाठ्यक्रम को वापस लेने के निर्देश जारी करने को कहा गया है, वही पाठ्यक्रम जिसे पिछले वर्ष यू.जी.सी. ने मंजूरी दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस विषय पर एक उदाहरण दूंगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ किसी भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे सूचित किया जाना चाहिए। यह इस संसद के अधिनियमों के विपरीत है जो आई.आई.टी. और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों को नियंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी इच्छानुसार किसी के साथ भी अकादमिक सहयोग करने की शक्ति देते हैं। पिछली एन.डी.ए. सरकार ने भी यही किया था, लेकिन जब वर्ष 2004 में यू.पी.ए. सत्ता में आई तो हमने यह कहते हुए इस अनिवार्यता को वापस ले लिया कि यह संस्थाओं की स्वायत्तता में अनावश्यक हस्तक्षेप है। अब यह पुनः सही स्थिति में आ गया है। मेरी चिंता यह है, और मैं यह बात मंत्री जी से पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, कि शिक्षा अत्यधिक विनियमित और अपर्याप्त होती जा रही है। हमें अधिक प्रशासन, अधिक केन्द्रीय निवेश, अधिक केन्द्रीय वित्तपोषण की आवश्यकता है।

मेरा अंतिम बिन्दु उन चिंताओं पर है जो अन्य लोगों ने शिक्षा के भगवाकरण के बारे में पहले ही व्यक्त की हैं। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस सभा को आश्वासन दें कि वे धर्म से परे भारत में शैक्षिक उपलब्धि की अखंडता को बनाए रखेंगे।

धन्यवाद, महोदय।

*__श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़):__ महात्मा गांधीजी ने कहा था, 'बुनियादी शिक्षा बच्चों को, चाहे वे शहर के हों या गांव के, भारत की सर्वोत्तम और स्थायी चीजों से जोड़ती है।' '

सबसे पहले मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष टोक्यो में जारी मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन में भारत 187 देशों में 135वें स्थान पर है। ब्रिक्स देशों में भारत सबसे निचला प्रदर्शन करने वाला देश है। ब्रिक्स देशों में रूस, ब्राजील और चीन उच्च मानव विकास सूचकांक श्रेणी में हैं, जिसमें रूस 57 वें स्थान पर है, उसके बाद ब्राजील 79वें और चीन 91 वें स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका का मानव विकास सूचकांक में 118वां स्थान है। शिक्षा तक खराब पहुंच भारत के मानव विकास में अपनी रैंकिंग सुधारने में विफल रहने का सबसे बड़ा कारण है।

भारत में साक्षरता देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में प्रमुख बाधक है। भारतीय साक्षरता दर वर्तमान में 74% है, जो विश्व की औसत साक्षरता दर 84% से काफी कम है, तथा भारत में वर्तमान में दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक निरक्षर आबादी है।

आजादी के 67 साल बाद भी कोई दूरदृष्टि या दीर्घकालिक नीति नहीं है। इन 67 वर्षों में से 58 वर्ष यू.पी.ए. और कांग्रेस सरकार ने शासन किया है। यही हमें पिछली यू.पी.ए. और कांग्रेस सरकार से विरासत में मिला है।

वर्ष 2014 की शिक्षा प्रतिवेदन के 10वें वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, 58.8% बच्चे जो कक्षा 6 में हैं, केवल कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि ग्रामीण भारत में कक्षा 5 का हर दूसरा छात्र नीचे कक्षा चार स्तरों का पाठ नहीं पढ़ सकता है। अंकगणित की समस्या और भी बदतर है। ग्रामीण भारत में कक्षा 8 के केवल 44.1% छात्र वर्ष 2014 में एक डिवीजन करने में कामयाब रहे। और कक्षा 6 के केवल 25.8% छात्र घटाव कर सकते हैं।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इसके अलावा, केवल 49.3% स्कूल ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षक-छात्र अनुपात को पूरा कर रहे हैं। और केवल 5.7% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध थे।

निजी स्कूलों में नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2006 में 18.76% से बढ़कर वर्ष 2013 में 19% हो गई है। कुछ राज्यों में सरकारी स्कूलों में नामांकन अधिक है, लेकिन छात्रों का एक बड़ा हिस्सा सुधार के लिए निजी ट्यूशन पर निर्भर पाया गया।

भारत के स्कूलों में अभी भी 5.86 लाख प्राथमिक स्तर के शिक्षकों और 3.5 लाख उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की कमी है। कई सरकारी स्कूल संविदा शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं और नियमितीकरण के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वे अपनी रोजगार योग्य आयु संविदा शिक्षक के रूप में बिता रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा में स्थिति बदतर है जहां विशेष रूप से लड़कियों का ड्रॉपआउट दर अधिक है।

लेकिन मुझे लगता है कि हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं। पिछले 10 वर्षों में, भारत में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक हो गई है।

सर्व शिक्षा अभियान एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसे राज्य सरकारों और स्थानीय स्वशासन के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था, एस.एस.ए. का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना था।

वर्ष 2002 में, एस.एस.ए. ने 7वें अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार स्कूलों तक पहुंच को 85.6% बढ़ाने में मदद की थी। इसमें सुधार हुआ है और 98% ग्रामीण आबादी को 1 कि.मी. के भीतर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है।

इसके अलावा, 2.16 लाख स्कूल भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है और प्रारंभिक स्कूलों के लिए लगभग 8.12 लाख अतिरिक्त कक्षाएं स्वीकृत की गई हैं। एस.एस.ए. के अंतर्गत, प्रारंभिक चरण में 11.34 लाख शिक्षक स्वीकृत किए गए थे। सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के कारण ही प्राथमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात 46:1 से घटकर 36:1 रह गया है।

यद्यपि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया, लेकिन ये तथ्य दर्शाते हैं कि यू.पी.ए. सरकार ने परिणामों और प्रभावों के बजाय केवल व्यय और निवेश पर ही ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप निराशाजनक उपलब्धियां प्राप्त हुईं।

किसी भी देश की प्रगति के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करती है। दुर्भाग्यवश, हम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों में पिछड़े हुए हैं। भवन, शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्कूली बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

इस पृष्ठभूमि में श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में यह सरकार इन मुद्दों पर ध्यान दे रही है और मानव संसाधन विकास को इसमें बड़ी भूमिका निभानी है। वर्ष 2015-16 के बजट में इसका उचित ध्यान रखा गया है।

उदाहरण के लिए, माध्यमिक शिक्षा में ड्रॉपआउट की संख्या की व्यवस्थित समस्या को नियंत्रित करने के लिए, वित्त मंत्री जी ने प्रत्येक बच्चे की पहुंच से 5 कि.मी. के भीतर एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है।

सरकार ने अपनी शिक्षा प्रणाली की नीति में आदर्श परिवर्तन किया है। इसमें रु. 1.78 लाख करोड़ की राशि की वृद्धि की गई है, हस्तांतरण के माध्यम से केंद्र ने राज्यों को अधिक धनराशि और इस प्रकार अधिक स्वायत्तता प्रदान की है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी शैक्षिक

आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके बजाय सरकार अब एक बड़ी चिंता की ओर बढ़ गई है और वह है भारत में उच्च शिक्षा।

उच्च शिक्षा में सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत बजटीय आवंटन को संशोधित बजट अनुमान में 397.47 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1155 करोड़ रुपये कर दिया है।

इसके अलावा, वर्ष 2015-16 में रु. 15855.26 करोड़ का योजना आवंटन किया गया है, जबकि वर्ष 2014-15 के संशोधित बजट में यह रु. 13000 करोड़ था। इस प्रकार, इस क्षेत्र के लिए 22% की वृद्धि हुई है। संशोधित बजट की तुलना में उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन में कुल 13.32% की वृद्धि हुई है।

स्थायी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जो 18-23 वर्ष आयु वर्ग में भागीदारी है, कम बना हुआ है और अनुमान है कि यह लगभग 13.5% है।

यह विश्व औसत 24% से काफी कम है। जहां विकसित देशों की जी.ई.आर. दर 58% है, वहीं भारत अन्य विकासशील देशों से पीछे है, जहां जी.ई.आर. औसतन 18% है।

स्वतंत्रता के समय 26 विश्वविद्यालयों और 695 कॉलेजों से बढ़कर आज 700 विश्वविद्यालयों और 35,539 कॉलेजों तक पहुंच गए हैं। यह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या में क्रमशः 20 गुना और 46 गुना वृद्धि है। तथापि, जैसा कि निम्न जी.ई.आर. बहुत सटीक रूप से इंगित करता है, उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संस्थानों की संख्या में वृद्धि अभी भी अपर्याप्त है।

इसी पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री जी ने आई.आई.टी., आई.आई.एम. और एम्स जैसे अधिक से अधिक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की घोषणा की है। मैं एक बार फिर इस अवसर पर अपने राज्य कर्नाटक के लिए आई.आई.टी. स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता से छात्रों को भारत में सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए उच्च शिक्षा पर जोर लंबे समय से दिया जा रहा है। मैं हमेशा जॉन रस्किन के शब्दों को उद्धृत करता हूं, जो कहते हैं कि 'मानव हाथ ईश्वर द्वारा बनाए गए सबसे कुशल, सूक्ष्म और कुशल उपकरण हैं।'

श्रम ब्यूरो के वर्ष 2014 के प्रतिवेदन के अनुसार, औपचारिक रूप से कुशल कार्यबल का वर्तमान आकार भारत में केवल 2% है, जबकि कोरिया और जापान जैसे छोटे देशों में यह क्रमशः 96% और 80% है। इसलिए, सरकार द्वारा शिक्षा पर जोर देने के साथ-साथ विभिन्न कौशल विकास पहलों के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि होगी।

भारत की शिक्षा प्रणाली स्वतंत्रता से पहले से ही विभिन्न नीतिगत मुद्दों से जूझ रही है। लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने देश के सभी स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के उपयोग को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया था, ने वर्ष 1836 में अपने पिता को एक पत्र लिखा था। उनके पत्र में कहा गया था: "हमारे अंग्रेजी स्कूल आश्चर्यजनक रूप से फल-फूल रहे हैं; हम सभी को शिक्षा प्रदान करना कठिन पाते हैं। हिंदुओं पर इस शिक्षा का प्रभाव विलक्षण है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाला कोई भी हिंदू कभी भी अपने धर्म के प्रति ईमानदारी से जुड़ा नहीं रहता। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा योजना का पालन किया गया तो 30 वर्ष बाद सम्मानित वर्गों में एक भी मूर्तिपूजक नहीं बचेगा। और यह कार्य हमारे धर्म परिवर्तन के प्रयासों के बिना ही पूरा हो जाएगा; मैं इस संभावना से हृदय से प्रसन्न हूं।' लॉर्ड मैकाले और ब्रिटिश शासकों ने ही हमारी पारंपरिक और समग्र शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने में प्रमुख भूमिका निभाई, जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी।

महात्मा गांधी ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था, जब वर्ष 1931 में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था, 'शिक्षा के सुंदर वृक्ष को अंग्रेजों ने काट डाला। इसलिए आज भारत 100 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक निरक्षर है। '

इसलिए मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि समस्याओं पर समग्रता से विचार किया जाए और शिक्षा क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन लाया जाए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

वर्ष 2012 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम के अनुसार, इस मूल्यांकन में भाग लेने वाले 74 देशों में भारत 73वें स्थान पर था, जो कि केवल किर्गिस्तान से आगे था। यह मूल्यांकन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के सचिवालय द्वारा किया जाता है तथा इसमें पाठन और अंकगणित कौशल का परीक्षण किया जाता है।

आज अधिकांश स्कूलों में अपनाई जाने वाली शिक्षा प्रणाली 'फैक्ट्री मॉडल' है, जहां शिक्षा का ध्यान केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने पर होता है, न कि विवेचनात्मक चिंतन पर, जो बच्चों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमें केवल रटने की बजाय शिक्षा के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

वर्ष 2014 में जारी ग्लोबल मॉनिटरिंग प्रतिवेदन - सभी के लिए शिक्षा 2014 में कहा गया है कि भारत में शिक्षकों के बीच जवाबदेही का स्तर बहुत कम है; सर्वेक्षण किए गए 3,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में केवल एक प्रधानाध्यापक ने बार-बार अनुपस्थित रहने पर शिक्षक को बर्खास्त करने की सूचना दी। शिक्षकों की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण ने भी गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि भारत सहित 21 देशों में आधे स्कूली बच्चे भी अपनी बुनियादी बातें अच्छी तरह से नहीं सीख पा रहे हैं।

देश में अधिक शोधकर्ताओं और विद्वानों को तैयार करने पर जोर देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) द्वारा गठित काकोडकर समिति ने

कहा कि अमेरिका और चीन लगभग 8,000 से 9,000 इंजीनियरिंग पी.एच.डी. विद्वान तैयार कर रहे हैं। हालाँकि, आई.आई.टी. प्रति वर्ष केवल लगभग 1,000 पी.एच.डी. छात्र ही तैयार कर रहे हैं। समिति के अनुसार, प्रति वर्ष तैयार किए जा रहे इंजीनियरिंग पी.एच.डी. विद्वानों को अगले दशक के दौरान 10,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार युवा वैज्ञानिकों को भारत में अपना शोध कार्य जारी रखने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए इसने विभिन्न श्रेणियों के अनुसंधान वैज्ञानिकों के लिए फेलोशिप राशि में 50% से अधिक की वृद्धि की है। यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन अब हमें देश में शोधार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत है।

आजादी के बाद पिछले 67 वर्षों में हम विकलांग बच्चों को सुरक्षित शैक्षिक वातावरण देने में सफल नहीं हो पाए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में किए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार, 6-13 वर्ष आयु वर्ग के विशेष आवश्यकता वाले 6 लाख से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसलिए, हमें एक समग्र शिक्षा प्रणाली बनाने की आवश्यकता है, जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा पाने के उनके अधिकार से वंचित न किया जाए।

देश को छात्र शिक्षक अनुपात के मामले में विश्व औसत प्राप्त करने के लिए वर्ष 2020 तक 6.0 मिलियन और शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह होगा कि प्रति वर्ष 0.75 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान में सभी बी.एड. कॉलेजों की कुल क्षमता केवल 0.25 मिलियन प्रति वर्ष है। अधिक शिक्षकों की भर्ती की सख्त जरूरत है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षण के क्षेत्र में वैश्विक मानक हासिल करें। इसके लिए जरूरी है कि वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हों।

मैं सरकार को शिक्षा क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने तथा बेहतर शिक्षा ऋण सुविधाएं लाने के उसके इरादे के लिए भी बधाई देना चाहता हूं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि धन की कमी के कारण कोई

भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। मैं इस अवसर पर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे बैंकों के लिए शैक्षिक ऋणों के संबंध में ऐसे दिशानिर्देश तैयार करें जो छात्रों के लिए अधिक अनुकूल हों।

मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश भर में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाए तथा प्रत्येक तालुका (ब्लॉक) मुख्यालय में एक-एक विद्यालय खोले ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण छात्र लाभान्वित हो सकें तथा प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। मैं सरकार से अपने निर्वाचन क्षेत्र हुबली-धारवाड़ में दो और केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का भी अनुरोध करता हूं, जहां इन विद्यालयों के लिए मांग और आपूर्ति का कारक असंतुलित है।

मैंने शुरू में ही कहा था कि 10 साल की यू.पी.ए. सरकार की सबसे बड़ी सफलता प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन या सुधार लाने में उसकी भारी विफलता है। लेकिन प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे विश्वास है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकेंगे।

[हिन्दी]

*__प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन):__ शिक्षा के लिए दिया गया अनुदान खर्च नहीं वस्तुतः हमारे देश के और हमारे भविष्य का सुरक्षित निवेश (इन्वेस्टमेंट) है और अगर हमें स्वर्णिम भविष्य बनाना है तो निवेश में कमी नहीं की जा सकती। भारतीय शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार का लक्ष्य भारत को नॉलेज के क्षेत्र में सुपर पावर बनाना है। इसलिए पिछली यू0पी0ए0 सरकार के बजट की तुलना में 65867 करोड़ रुपये के स्थान पर 69794.50 करोड़ रुपये किया गया, यानी 400 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। यह बढ़ोत्तरी शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इतना ही नहीं यू0पी0ए0 सरकार ने अंतिम बजट में मात्र 16198 करोड़ रुपये का प्रावधान उच्च शिक्षा के लिए किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 26198 करोड़ रुपये किया। यह बढ़ोत्तरी आवश्यक है क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है हमारी 60 प्रतिशत आबादी 35 के अंदर है और उसमें भी कुल आबादी का 40 प्रतिशत 18 वर्ष के अंदर है। सन 2020 तक भारत के लोगों की औसत आयु 29 वर्ष होगी जबकि अमेरिका और चीन की 37 वर्ष होगी जापान जैसे देशों की 48 वर्ष औसत आयु होगी। ऐसी स्थिति में हमें भविष्य की तैयारियों के लिए शिक्षा में बड़े अनुदान की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां भी है। 1993 में कक्षा 1 में 270,00,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, लेकिन 2013 में मात्र 1 करोड़ विद्यार्थी ही कक्षा 10 तक पहुँचे। देश में लड़के और उनसे भी बढ़कर लड़कियों का ड्रॉपआउट रेट ज्यादा है क्योंकि शिक्षक नहीं है, स्कूल बहुत दूर है, हाइस्कूलों की कमी है, टॉइलेटों की कमी है। पूर्व की यू.पी.ए. सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को लगातार नजरअंदाज किया और प्रयोग भूमि बना दिया। इसका उदाहरण यह है कि

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यू.पी.ए. सरकार के मंत्रियों ने ए.सी. कमरों में बैठकर 8वीं तक की परीक्षा समाप्त कर दी। उसका परिणाम है कि बच्चों पर बुरा असर जा रहा है। केवल पास हो रहे हैं उनके ज्ञान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है।

गरीबों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने गरीब की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 5वीं और 8वीं की सेमी बोर्ड की परीक्षा पुनः आरंभ की जाएं।

कांग्रेस ने गरीबों के साथ मिड-डे-मिल के नाम पर एक और मजाक किया। मिड-डे-मिल के कारण हमारे बच्चों को खाना तो मिल रहा है लेकिन शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षक का ध्यान पढ़ाने से ज्यादा मिड-डे-मिल पर होता है। मैं निवेदन करता हूँ कि यदि बढ़ाना है तो राशि बढ़ाए लेकिन अच्छा मिड-डे-मिल उपलब्ध कराएं तथा शिक्षकों को मिड-डे-मिल से दूर रखें।

यू.पी.ए. सरकार ने राइट टू एजुकेशन बिल पर अपनी पीठ खूब थपथपाई, कहा कि शिक्षा सबका जन्म सिद्ध अधिकार है और कानून बनाया कि सभी प्रकार के स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, जिसका भुगतान सरकार करेगी। लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। मैं बताना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक संस्थाएं और मिशनरी स्कूल इस कानून को नहीं मानते। वे 25 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे के बच्चों को प्रवेश नहीं देते। इतना ही नहीं, यदि किसी संस्था का संचालक जैन व सिंधी हो तो वह भी ये कहकर प्रवेश नहीं देते कि हम भी भाषायी अल्पसंख्यक हैं।

अमृत्य सेन कहते हैं कि भारत में संसटेनेबल डेवलेपमेंट के लिए गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन देश के अल्पसंख्यकवाद इस कानून को अंगूँठा दिखा रहे हैं। इस देश में पारसी के आतिरिक्त कोई अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यकों की पुनःपरिभाषा होनी चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी प्रकार के शिक्षा संस्थानों को राइट टू एजुकेशन कानून की परिधि में लाया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान स्टेट यूनिवर्सिटीज की ओर भी खींचना चाहता हूँ। स्टेट यूनीवर्सिटीज की स्वायत्तता राज्य सरकारों द्वारा समाप्त की जा रही है। समय-समय पर भेजे गए

अनुदान में कटौती की जा रही है। कई राज्यों में यूनिवर्सिटीज में राज्यपाल की भूमिका सीमित की जाती है, इससे उनके संरक्षण में कमी आई है। यदि स्टेट यूनिवर्सिटीज को नहीं संभाला गया, उनकी स्वायत्तता पर बंदिश लगाई गई, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के दौड़ में स्टेट यूनिवर्सिटीज पिछड़ जाएंगी। मैं मांग करता हूँ कि स्टेट्स यूनिवर्सिटीज ओटोनॉमी प्रोटेक्शन के लिए कड़े नियम बनाए जाएं।

[अनुवाद]

*__श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा (तुमकुर):__ वर्ष 2015-2016 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजटीय आवंटन में कुल कटौती यह दर्शाती है कि वर्तमान सरकार की प्राथमिकता शिक्षा है। सरकार को शिक्षा को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में लेना चाहिए था। किसी भी अल्प-विकासशील देश में सरकार को चाहिए कि वह शिक्षा विभाग को बहुत गंभीरता से ले ।

पूरे देश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में रुझान सबसे अधिक चिंताजनक है। जिन अभिभावकों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके बीच आम धारणा यह बनी हुई है कि उनके बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल निजी शिक्षण संस्थानों में ही मिलेगी। यह प्रवृत्ति सरकार के लिए आंखें खोलने वाली है, कि वह सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा प्रदान करके निजी शिक्षण संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में गंभीरता से विचार करे।

राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान योजना यू.पी.ए. शासन के दौरान स्कूल के कमरों के निर्माण और रखरखाव के उद्देश्य से माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।

ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने पर अधिक गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार को पूरे देश में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने चाहिए। केन्द्रीय विद्यालय के स्कूलों में केवल चयनित विद्यार्थियों को ही प्रवेश मिल पाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं, जिन्हें संविधान के अनुसार अच्छी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

देश में अब आई.आई.टी. के माध्यम से जो तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा रही है, वह भी पर्याप्त नहीं है। पूरे देश में इस तरह के और संस्थान शुरू किए जाने चाहिए। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि कर्नाटक राज्य में आई.आई.टी. शुरू किया जाएगा। यदि उक्त आई.आई.टी. शुरू किया

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जाना है तो इसके लिए आदर्श स्थान कर्नाटक का तुमकुर है, जो किसी भी कोण से देखने पर उपयुक्त स्थान है। यदि भारत सरकार तुमकुर में उक्त आई.आई.टी. शुरू करना चाहेगी तो कर्नाटक सरकार भी अपनी सहमति देगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

*__श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा):__ मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2015-16 अनुदानों की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। शिक्षा का महत्व किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और प्रगति के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सुशासन के बाद इसे दूसरा स्तम्भ कहा जा सकता है। मानव संपदा में असीमित क्षमता है, बशर्ते उन्हें उचित शिक्षा, उपयुक्त कौशल और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो सकें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत दो विभाग क्रमशः विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग है। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग का उद्देश्य है कि सभी को एक समान शिक्षा मिले जिसका भरपूर उपयोग राष्ट्र की मानव क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से हो सकें। उच्चतर शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि समानता और उत्कृष्टता के साथ भारत की मानव क्षमता का उपयोग हो सकें। सारे विश्व में यह महसूस किया जा रहा है कि आर्थिक कल्याण और उचचतर कार्यक्षमता का विकास उच्चतर बौद्धिक एवं व्यवसायिक क्षमताओं से ही प्राप्त हो सकता है। आज के प्रतिस्पर्द्धापूर्ण वैश्विक वातावरण में आगे बढ़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन अत्यंत आवश्यक है।इस दिशा में पिछले दो दशकों में विकास की अवधारणा विकसित हुई है जो आय और आयवितरण से हटकर मानव संसाधन विकास बन गई है, जिससे वह विकास के रूपान्तरण की संभावनाओं के माध्यम से गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के आधिकार की नींव बनी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मंत्रालय का लक्ष्य ''सभी को शिक्षा'' उपलब्ध करवाना है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने दोनों विभागों के लिए 69074.76 करोड़ रुपए की मांग सभा के सामने रखी है। जिसमें से विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 42219.50 करोड़ एवं उच्चतर शिक्षा के लिए 26855.26 करोड़ रुपया है। मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता की मांगों के

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि विभाग को आवंटित बजट का लगभग 93 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं यथा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), मिड-डे-मील (एमडीएम), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मदरसों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने (एसपीक्यूएम), अल्पसंख्यक संस्थानों के अवसंरचना विकास करने (आईडीएमआई) और शिक्षा प्रशिक्षण व प्रौढ़ शिक्षा सहित शिक्षा के विकास जैसी योजनाओं पर व्यय होगा। जबकि बाकी 7 प्रतिशत केन्द्रीय सेक्टर की परियोजनाओं क्रमशः केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) राष्ट्रीय, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकार (एनएलएमए), विद्यालय आंकलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल भवन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन सहित गैर-सरकारी संगठनों के सहायतार्थ खर्च होगा।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'सर्व शिक्षा अभियान' को 22000 करोड़ रूपये, मिड-डे-मील को 9236.40 करोड़ रूपये, आरएमएसए को 3566 करोड़, एसपीक्यूईएम और आईडीीएमआई को 375.50 करोड़, अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास के लिए 1257.60 करोड़ रूपये सहित कुल 36434.50 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान है। वहीं एनवीएस में 1550 करोड़ रूपये, केवीएस में 875 करोड़, विद्यालय आंकलन योजना के तहत 50 करोड़, एनसीईआरटी पर 25 करोड़, प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास सहित एनजीओ, राज्य सरकार के संस्थानों सहित अन्य को 76 करोड़, एनएलएमए, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन और राष्ट्रीय बाल भवन पर 28 करोड़ रूपए सहित केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर मात्र 2604 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रथम दृष्टि से यह प्रावधान 2014-15 के बजट प्राक्कलन और संशोधित बजट के आवंटनों क्रमशः 51828 करोड़ और 435.90 करोड़ की जगह 39038.50 करोड़ रूपये है जो तुलना में कम है। परन्तु यह स्पष्ट है कि 2014-15 के बजट प्राक्कलन से संशोधित बजट की राशि कम तो है परन्तु इसका अर्थ है कि विभाग द्वारा बजट प्राक्कलन से 8310.10 करोड़ कम खर्च किया गया था।

2013-14 और 2014-15 में विभाग द्वारा प्लान और नान-प्लान खर्च का ब्यौरा क्रमशः देखें तो यह ज्ञात होता है कि जहां 2013-14 में बजट प्राक्कलन में प्लान मद में 49659 करोड़ रूपये और नान-प्लान में 3042 करोड़ रूपये समेत कुल 52701 करोड़ थे, जो संशोधित प्राक्कलन में प्लान और नान-प्लान मद में क्रमशः 47159 करोड़ रूपये और 3022.30 करोड़ रूपये सहित कुल 50181.30 ही रह गया, अर्थात् एक ओर जहां प्लान मद में 2500 करोड़, वही नान-प्लान में 20 करोड़ रूपये घट गए। [हिन्दी] इस प्रकार 2013-14 के बजट प्राक्कलन से संशोधित बजट का प्राक्कलन में 2519.7 करोड़ रूपये घट गए, किन्तु सच्चाई यह है वास्तविक खर्च इससे भी कम रहा है। विभाग द्वारा 31.03.2014 तक मात्र 46975.74 करोड़ रूपये ही खर्च किए गए, अर्थात् 2013-14 के बजट प्राक्कलन (बीई) से 5725.26 करोड़ रूपये ही खर्च हुए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नान-प्लान मद में 149.46 करोड़ आधिक खर्च किया गया। उसी प्रकार 2014-15 में कुल बीई 55115.10 करोड़ रुपये की तुलना में आरई में 46805 करोड़ रूपये ही है। अर्थात् बीई से आरई में 8310.10 करोड़ रूपये घट गए, जबकि 31.01.2015 तक का वास्तविक खर्च का आंकलन करें तो और कम खर्च हुआ है। 2014-15 में वास्तविक खर्च विभाग द्वारा प्लान और नान-प्लान मद में क्रमशः 36954.01 और 2752.05 करोड़ रूपये सहित कुल 39346.06 करोड़ रूपये ही है। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक ओर जहां 2014-15 में विभाग का वास्तविक खर्च 2013-14 की तुलना में 16.25 प्रतिशत कम रहा, वहीं बजट के प्राक्कलन, संशोधित बजट और वास्तविक खर्च में भारी अन्तर है। अर्थात् पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ लोकलुभावन कार्यक्रमों की घोषणा मात्र की, उन्हें अमलीजामा पहनाने पर उनका ध्यान नहीं रहा। इसी प्रकार, अनेक योजनाएं जो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती थी उनकी घोषणा मात्र राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई।

2015-16 में विभाग द्वारा योजना मद में आवंटित राशि की तुलना 2014-15 के संशोधित प्राक्कलन से करने पर कुछ प्रमुख स्कीमों की जो तस्वीर उभरती है उसके अनुसार हम पाते हैं कि सर्व

शिक्षा अभियान में और मिड-डे-मील कार्यक्रम में क्रमशः 9.76 प्रतिशत और 16.41 प्रतिशत की कमी हुई है। वहीं आरएमएसए (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, अल्पसंख्यकों से संबंधित योजनाओं क्रमशः एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई में 161.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि प्राध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा, केवीएस और एनवीएस में क्रमशः 12.15 प्रतिशत, 6.41 प्रतिशत और 17.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार हम पाते हैं कि सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एक ओर जहां शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए वहीं दूसरी ओर शिक्षा के आधुनिकीकरण से वंचित समुदायों को भी विशेष लाभ दिया जाए। साथ ही, एनवीएस और केवीएस में वृद्धि का अर्थ है कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से सभी को समान अवसर मिल सके। इन संस्थानों की संख्या और क्षमता में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि की जा सके। उसी प्रकार विभाग के दो फलेक्सीक कार्यक्रमों, सर्व शिक्षा अभियान/आरटीई और मिड-डे-मील के लिए कुल बजटीय प्रावधान 31236.40 करोड़ रूपये का हुआ है, जो विभाग के लिए 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में किए गए कुल बजटीय आवंटनों की समीक्षा करते हैं तो यह पाते हैं कि बजट आवंटन निरन्तर घटते क्रम में है। 2012-13 में जहां विभाग का कुल बजटीय आवंटन प्लान मद में 45969 करोड़ रूपये था। वहीं 2013-14 और 2014-15 में क्रमशः 49659 करोड़ और 51828 करोड़ रूपये था इस प्रकार जहां 2012-13 में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं यह वृद्धि घटकर 2013-14 में 8.03 प्रतिशत और 2014-15 में 4.37 प्रतिशत ही रह गई। इस प्रकार हम पाते हैं कि विभाग के बजट आवंटन में वृद्धि की दर निरन्तर घटते क्रम में रही है। परन्तु 2015-16 में सर्वाधिक 24.68 प्रतिशत बजट आवंटन में कमी आई है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विभाग के बजट प्राक्कलन, संशोधित बजट प्राक्कलन और वास्तविक खर्च में लगातार कमी आती रही है। इसका अर्थ यह है कि आवंटन बढ़ा-चढ़ाकर गैर आवश्यक मदों और योजनाओं में किया जाता रहा है। वर्तमान सरकार ने वित्तीय अनुशासन लागू करने और शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप, शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और गुणवत्ता पर जोर देते हुए सामाजिक न्याय के प्रति

अपने दायित्वों के अनुरूप आवंटन करते हुए एक ठोस दिशा में कदम बढ़ाते हुए शिक्षा के बजट को निर्धारित किया है।

सर्व शिक्षा अभियान/आरटीई और मिड-डे-मील में बजट राशि के आवंटन की कमी की बात लेकर जो चर्चा हो रही है वो पूरी तरह से बेमानी है। सच्चाई इन दोनों योजनाओं में की गई पिछले तीन वर्षों के आवंटनों के समीक्षा से स्पष्ट हो जाती है। सर्व शिक्षा अभियान में 2012-13 के प्रस्तावित बजट में 25555 करोड़ रूपये, 2013-14 के प्रस्तावित बजट में 27258 करोड़ रूपये और 2014-15 में 28258 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था वहीं इसके संशोधित प्राक्कलन में इन्हीं वर्षों में क्रमशः 23875.83 करोड़ रूपये, 26608.01 करोड़ रूपये और 24380 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए, जबकि खर्च और कम हुआ जो क्रमशः इस प्रकार हैः 2012-13 में 23858.01 करोड़, 2013-14 में 24820.93 करोड़ रूपये और वर्ष 2014-15 में 22641.13 करोड़ रूपये हुआ। उसी प्रकार मिड-डे-मील में बजट प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2012-13 में 11937 करोड़ रूपये, 2013-14 में 13215 करोड़ रूपये और 2014-15 में 13215 करोड़ रूपये था। जबकि इन्हीं वर्षों में संशोधित बजट प्राक्कलन 11500 करोड़ रूपये, 12189.16 करोड़ रूपये और 11050.90 करोड़ रूपये था। जबकि वास्तविक खर्च इससे कम 2012-13 में 10867.90 करोड़ रूपये, 2013-14 में 10927.21 करोड़ रूपये और 2014-15 में 10400.57 करोड़ रूपये ही था।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सर्व शिक्षा अभियान और मिड-डे-मील जैसे योजनाओं का लाभ पिछड़े क्षेत्रों सहित एस.टी., एस.सी., ओबीसी और वंचित समुदाय को अधिक से अधिक मिले। इस दृष्टि से विभाग द्वारा समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 2013-14 में जीईआर जहां 101.36 प्रतिशत था वहीं एनईआर 88.08 प्रतिशत था जबकि उच्च प्राइमरी शिक्षा क्षेत्र में जीईआर 89.33 प्रतिशत एनईआर 70.20 प्रतिशत था। पिछले वर्षों की तुलना में यह उल्लेखनीय है, परन्तु एशिया सहित विश्व के अन्य देशों की तुलना में इस

दिशा में अभी बहुत काम किये जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान की दृष्टि से आवासीय/पड़ोसी क्षेत्र के निकट स्कूल की उपलब्धता, स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना शौचालय (बालक व बालिकाओं के लिए भिन्न) और पीने के पानी की सुविधा और आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता की जरूरतों को तत्काल ध्यान देकर एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत पूरा करना चाहिए। साथ ही स्कूल बीच में छोड़ने वाले की संख्या में कमी आई है परन्तु अभी भी एस.सी., एस.टी. में बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 2013-14 में 6.1 और 8.4 प्रतिशत है। स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को 0 प्रतिशत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। उसी प्रकार स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या आज भी लगभग 60 लाख है। इस दृष्टि से खासकर उत्तर प्रदेश 26 प्रतिशत, बिहार 19 प्रतिशत, राजस्थान 10 प्रतिशत, उड़ीसा व मध्य प्रदेश 7 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल 6 प्रतिशत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सर्व शिक्षा आभियान के माध्यम से विभाग ने 2014 तक 3.58 लाख नये प्राईमरी और अपर प्राईमरी स्कूल खोले हैं। 1,77,432 नए प्राईमरी स्कूल भवन और 1,02,628 नये अपर प्राईमरी स्कूल के भवन बनाये हैं। 16,29,990 आतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण किया है। जबकि 2,25,440 पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ 8,17,036 शौचालयों का निर्माण किया है। 15.6 लाख शिक्षकों की नई बहाली हुई है। 8.02 करोड़ बच्चों के बीच निःशुल्क टैक्स्ट बुक वितरित किए गए हैं। फिर भी, एसएसए के अन्तर्गत अभी भी पीने के पानी और शौचालयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस दृष्टि से हमें तेजी से काम करना होगा। खासकर सर्व शिक्षा अभियान के तहत उसके द्वारा तय किए गए मानक अनुरूप अभी भी अवसंरचना निर्माण की दृष्टि से क्षेत्रीय स्तर पर बहुत विषमता दृष्टिगत होती है। खासकर के जब हम शौचालय, बिजली, पानी और खेल के मैदानों की उपलब्धता स्कूलों में हो, इस स्तर पर जब तुलना करते हैं तो भारी विषमता पाते हैं। झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल में इन सुविधाओं की भारी कमी है। इसको ठीक किए जाने की जरूरत है। नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय

और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर अधिक से अधिक होना चाहिए,जिससे शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी एक समान रूप में पूरे देश को उपलब्ध हो।

मिड-डे-मील के अन्तर्गत 2014-15 में 11.74 लाख स्कूलों के कुल 10.33 करोड़ छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ। इस योजना में शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के उद्देश्य से कार्य करते हुए जहां नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि की उल्लेखनीय दर दर्शायी है, वहीं स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी हुई है। इस योजना ने भूख से छुटकारा दिलाते हुए कुपोषण की समस्या से बच्चों को मुक्ति दिलाई है। फिर भी, फण्ड की उपयोगिता की दृष्टि से यह योजना अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पा रही है। अनेकों गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। जैसे घटिया किस्म के अनाज का उपयोग, अनाज के उठाव में आनियमितता, भोजन बनाने की दृष्टि से आवश्यक संरचना और मानव शक्ति की भारी कमी, खाने की गुणवत्ता में कमी। इस दृष्टि से आवश्यक है कि मिड-डे-मील स्कीम के सही संचालन के लिए एक प्रभावी और ठोस निगरानी का तंत्र खड़ा किया जाए। अगर संभव हो तो मिड-डे-मील से संबंधित राशि को छात्रों के या उनके अभिभावकों के खाते में सीधे स्थानान्तरित कर दिया जाए अथवा ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे स्कूलों में उपस्थिति का आंकलन प्रतिदिन किया जा सके और उसी आधार पर मिड-डे-मील में ही लगा रहता है, जिसके कारण शिक्षण और पाठन का काम काफी प्रभावित हो रहा है। इस दृष्टि से प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए।

इस बजट में शिक्षकों के प्रशिक्षण की दृष्टि से बजट आवंटन में वृद्धि की गई है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस पहल है। साथ ही विद्यालय आंकलन कार्यक्रम में भी बजटीय प्रावधान में वृद्धि हुई है, परन्तु यह वृद्धि कम है क्योंकि ग्रामीण बच्चों के बीच कराये गये सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि मूल पठन-पाठन और गणित के मामले में हमारा स्तर विश्व के अन्य देशों की तुलना में अत्यन्त कम है। इस दृष्टि से विद्यालय आंकलन अत्यन्त जरूरी है। निजी स्कूलों में बढ़ती दाखिला के

वृद्धि दर का संकेत भी बहुत अच्छा नहीं है। 2005 में निजी स्कूलों जहां 16 प्रतिशत बच्चों ने दाखिला लिया था, वहीं यह प्रतिशत 2014 में 30.8 प्रतिशत हो गया है। मौजूदा रूझान दर्शाते हैं कि इस दशक के अन्त तक यह प्रतिशत बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा। 2007-08 और 2013-14 के दौरान सरकारी स्कूलों, प्राईमरी तथा अपर प्राईमरी सहित में दाखिला 133.7 मिलियन में 11.7 मिलियन की गिरावट के साथ मात्र 121 मिलियन रह गया है। जबकि निजी स्कूलों में यह दाखिला 27 मिलियन बढ़ा और 51 मिलियन से बढ़कर 78 मिलियन जा पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में भी यही स्थिति देखी जा रही है, जबकि वहां सर्व शिक्षा अभियान एवं अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यमों से भारी निधियां दी जाती रही हैं। इससे एक प्रश्न उठता है कि क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर ही तो इसका कारण नहीं है। इसलिए हमें स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना, प्रशिक्षित शिक्षक और कक्षा अध्यापक का अनुपात सुधारना होगा। तभी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ने लिखने और गणितीय दक्षता का एक माहौल बनाने के लिए सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम ''पढ़े भारत-बढ़े भारत'' एक उत्तम कदम है। इस प्रयास की सफलता के लिए यह जरूरी होगा कि इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को इस प्रक्रिया में ज्यादा शामिल किया जाए और संवेदनशील बनाया जाए।

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए मंत्रालय ने कुल 26,855.26 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा है, जिसमें योजना मद में 15855.26 करोड़ रूपये और गैर योजना मद में 11000 करोड़ रूपये है। यह राशि 2013-14 के वास्तविक बजट और 2014-15 के संशोधित बजट में क्रमशः 24465.17 करोड़ रूपये और 23700 करोड़ रूपये की तुलना में अधिक है। योजना मद की दृष्टि से भी उच्चतर शिक्षा में 2012-13 में 15855.26 करोड़ रूपये 2013-14 के 14182.83 करोड़ रूपये और 2014-15 के संशोधित बजट में 13000 करोड़ रूपये की तुलना में अधिक है। उच्चतर शिक्षा के कार्यों में शिक्षा नीति को सभी पहलुओं के साथ तैयार करना तथा अनुसंधान सहित उच्चतर शिक्षा के मानकों का निर्धारण करना तथा समन्वय करना शामिल है। इस विभाग को तकनीकी शिक्षा के विकास एवं विस्तार,

छात्रवृत्तियों का प्रबंध करना, संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं में अनुसंधान तथा अध्ययन के लिए प्रेरित करना तथा इसे आगे बढ़ाने एवं यूनेस्को के साथ अपने कार्यकलापों का समन्वय करने की जिम्मेदारी है।

महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। 2005-06 में 350 विश्वविद्यालय और 16982 महाविद्यालय थे जो बढ़कर वर्ष 2013-14 में 713 विश्वविद्यालय और 36739 महाविद्यालय हो गये हैं और डिप्लोमा के स्तर की 11343 संस्थाएं हो गईं। आज आवश्यक है कि मांग के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में आपूर्ति हो सके और रोजगार के अवसरों के अनुरूप शिक्षा नीति में सम्यक परिवर्तन लाया जाए। इसलिए उच्चतर शिक्षा को भविष्य की दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जो भविष्य में ज्यादा रोजगार जुटा सकें और उसी के अनुरूप छात्रों को यथोचित पाठ्यक्रम मुहैया करा सकें। उच्चतर शिक्षा में जीईआर 2005-06 के 11.6 प्रतिशत से लगभग 2 गुना होते हुए 2012-13 में 21.1 प्रतिशत हो गया है। अर्थात 2005-06 के 14.3 मिलियन की तुलना में 2012-13 में 29.6 मिलियन छात्रों ने उच्च शिक्षा में नामांकन करवाया। लेकिन चूंकि उच्चतर शिक्षा तक पहुंच की कमी और संसाधन के अभाव के कारण कम लोग ही होते हैं इस कारण उच्चतर शिक्षा में विशेषतः महाविद्यालयी शिक्षा में ड्रॉप आउट की प्रगति को बढ़ावा मिलता है। जिसके कारण रोजगार के अवसर की खोज में लगे युवाओं में कम शिक्षित और कम कुशल युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए हमें उच्चतर शिक्षा को भी सर्वसुलभ बनाने के साथ साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), उच्चतर शिक्षा विभाग के अग्रणी कार्यक्रमों में से एक है। इससे राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए खोला गया है, ताकि उसकी समग्र अवसंरचना को बेहतर बनाया जा सके। इस दृष्टि से स्वायत्त कॉलेज उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त करने की संभावना हेतु स्तरोन्नयन और एनएएसी विश्वविद्यालय स्तर के संस्थान प्राप्त कर सकेंगे।

2014-15 में रूसा के अन्तर्गत 14 मॉडल डिग्री कॉलेज और 16 नए व्यवसायिक कॉलेजों की स्वीकृति दी गई। रूसा द्वारा विश्वविद्यालयों कॉलेजों के स्तरोन्नयन के लिए किया जा रहा कार्य सराहनीय है। रूसा के अन्तर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता पुर्नजागरण पहल (एलक्यूआरआई) एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन की शुरूआत की गई है। यह मिशन कई समस्याओं जैसे शिक्षक/संकाय की कमी और रिक्तियां, भर्ती नीतियां, योग्यता, शैक्षणिक कौशलों में सुधार हेतु शिक्षकों का क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा, सतत प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, सेवापूर्व और अर्न्तसेवा प्रशिक्षण, शिक्षकों की अनुपस्थिति और जवाबदेही, एकेडमी, स्टॉफ कॉलेजों का पुर्नरुद्धार, विश्वविद्यालय शिक्षकों और अभियांत्रिकी तथा तकनीकी शिक्षकों की वृद्धि और विकास इत्यादि का समाधान करेगा। 8 नए आईआईटी की स्थापना की मंजूरी दी गई है। मंत्रालय द्वारा जहां आईएसएम धनबाद को आईआईटी का दर्जा दिया गया, वहीं पूर्व में घोषित आईआईटी हैदराबाद, पटना, रोपड़, इन्दौर, गांधीनगर, मण्डी, भुवनेश्वर और जयपुर को अवसंरचना संबंधित सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक राशि मुहैया कराई गई है। इसके आतिरिक्त जम्मू, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश, गोवा और केरल में एक-एक आईआईटी और स्थापित करने की योजना पर कार्य चल रहा है। पूर्व में घोषित 7 नए आई आई एम, शिलांग, रोहतक, रायपुर, त्रिची, रांची, काशीपुर, उदयपुर के लिए उनके स्थायी परिसरों में स्थानान्तरण हेतु कार्यक्रम चल रहे हैं। नए आई आई एम में बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में भूमि और स्थान चयन की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा समन्वय का कार्य चल रहा है।

मंत्रालय के सामने एक बड़ी समस्या है कि संबंधित क्षेत्रों से विभाग को अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र और खर्च नहीं होने वाली राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है। 31 जनवरी, 2015 तक 1191 उपयोगिता प्रमाण-पत्र जो 15479.12 करोड़ की है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। 31.12.2014 तक खर्च नहीं किया गया। बकाया राज्यों/यूटी की सरकारों के पास है। इसकी छान-बीन कर समाधान होना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान अपने राज्य झारखंड और अपने लोक सभा क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। चतरा लोक सभा क्षेत्र में तीन जिले चतरा, लातेहार और पलामू आते हैं। मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र में स्थित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यह विद्यालय किसी समय देश के शीर्ष विद्यालयों में आता था। इस विद्यालय के छात्र आज देश दुनिया के अन्दर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थानों पर पदस्थापित है। इस एक विद्यालय से हजारों की संख्या में निकले आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.आर.एस. तथा अन्य भारतीय सरकारी सेवा सहित डॉ. और अभियंता देश की सेवा करने के साथ-साथ विदेश में भी देश का मान बढ़ा रहे हैं। आपसे अनुरोध होगा कि इस विद्यालय पर विशेष ध्यान देते हुए इसकी प्रतिष्ठा की पुर्नस्थापना के साथ साथ इसके उन्नयन और संवर्द्धन हेतु उचित कदम उठायें।

मेरा क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) के अंतर्गत आता है। पूरे क्षेत्र में स्कूली शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। विद्यालयों में भवन, शौचालय, पीने के पानी, खेल के मैदान सहित शिक्षकों की भारी कमी है। मध्याह्न भोजन योजना में भारी आनियमितता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में आवश्यक अवसंरचना की अत्यंत कमी है। बालिका विद्यालयों में यह आवश्यक है कि बाउण्डरी वॉल मजबूत और ऊंची हो। साथ ही पीने के पानी और शौचालयों की अच्छी सुविधा उपलब्ध करानी होगी। मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहूँगा कि मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र में मात्र एक अंगीभूत महाविद्यालय है, जो विनोबाभावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के अन्तर्गत आता है। उसमें भी शिक्षकों की भारी कमी है। 9000 छात्रों पर मात्र 11 शिक्षक ही उपलब्ध हैं। पूरे लोक सभा क्षेत्र में एक भी महिला महाविद्यालय नहीं हैं। कुछ महाविद्यालय जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारी बाग और निलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय डाल्टनगंज से सम्बद्ध है उनमें भी आधारभूत अवसंरचना की भारी कमी है। मेरे पूरे लोक सभा क्षेत्र में मात्र लातेहर जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय उपलब्ध है। उसमें भी आधारभूत अवसंरचना की भारी कमी है। जबकि मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा में कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत

सरकार की कोल कंपनियां कार्यरत है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चतरा जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करें। राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण की दृष्टि से उच्चतर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संस्थान केन्द्रीय योजना के तहत खोला जाए। साथ ही, संबंधित विश्वविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाए कि मेरे क्षेत्र के कम से कम सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक महिला महाविद्यालय और एक सामान्य महाविद्यालयों की स्थापना की जाए।

अन्त में, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात कह थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस संबंध में वह देश भर, खासकर दूर दराज के तमाम गांवों के छात्रों उनके अभिभावकों के भी विचार व सुझाव शामिल करेगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम का सीधा असर इन्हीं पर होता है। भारत ने अपनी पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तैयार की थी। आज शिक्षा का परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। अब समय आ गया है कि शैक्षणिक जगत से जुड़े समस्त व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखने के साथ ही रोजगार की संभावनाओं और वैश्विक चुनौतियों को और समाधानों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की जाए। विकल्प आधारित व्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अपनाया जाए ताकि विद्यार्थी अपने पसंद के विषयों का चुनाव कर सकें। अन्तरविषयक शिक्षा प्रणाली का विकास हो। जहां विज्ञान का विद्यार्थी साहित्य और दर्शन भी अपनी रूचि के अनुसार पढ़ सकें। अंक आधारित शिक्षा प्रणाली को बदल कर ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जाए। हमारे विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में जाना जाए, यह कार्य किया जाना चाहिए।

*__श्रीमती रमा देवी:__ शिक्षा के माध्यम से ही किसी भी समाज को सभ्य और सुविकसित बनाया जा सकता है। आजादी के 68 साल बीतने के बाद भी यह विडम्बना है कि आज भी हमारे समाज में शिक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब समाज में तोता रटंत ज्ञान, और ढेर सारे अंक बटोर लेने को ही असली शिक्षा समझा जाने लगे, तो हम एक रचनात्मक और मौलिक समाज की कल्पना नहीं कर सकते। चाहे स्कूली शिक्षा हो या विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, वह एक बने-बनाए ढांचे पर और कुछ परीक्षाओं के आधार पर ही योग्यता निर्धारित कर देने वाला माध्यम बन कर रह गयी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी समुचित संख्या में विद्यालयों का अभाव है और कुछ राज्यों के प्राईमरी विद्यालयों का हाल यह है कि बच्चे वहां सिर्फ मिड-डे-मील का भोजन करने जाते हैं उनके हाथ में किताबें नहीं बल्कि थालियां होती है। गांव में जगह-जगह खुलते निजी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के सपने दिखा कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं! ये प्राईवेट स्कूल गुणवत्ता के किसी भी मापदंड को पूरा नहीं करते! न तो उनके पास अच्छे शिक्षक हैं, और न ही शैक्षणिक माहौल जो खाई शहरी और ग्रामीण जीवन स्तर में है वही दोनों जगहों के छात्रों में भी है। शिक्षा का अधिकार भले ही मौलिक आधिकार हो गया है, लेकिन इसमें आज भी तमाम विरोधाभास है। आगे चलकर तमाम बड़े विश्वविद्यालयों में ग्रामीण छात्रों का शहरी छात्रों से पिछड़ना लाजिमी है।

11 महीने पूर्व केन्द्र में एन.डी.ए. की सरकार आई है और सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश को आगे बढ़ाना शुरू किया है। अभी हाल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे निश्चय ही प्रोत्साहित किया जाए और प्रश्नों को हतोत्साहित न किया जाए।

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम ने अपने पुस्तक में यह लिखा है कि हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी जो हर चेहरे पर मुस्कान ला सके। आज हमें शिक्षा व्यवस्था को एक कमरे की चाहरदीवारी

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से बाहर निकालकर खुले आसमान में लाना होगा, ताकि हमारे छात्र पुस्तक के साथ-साथ व्यवहारिक दुनिया का ज्ञान भी प्राप्त कर सकें।

आज उच्च शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। नित नए उच्च शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, परन्तु वे केवल डिग्री बांट रहे हैं ज्ञान नहीं। छात्रों में मौलिक प्रतिभा का विकास नहीं हो रहा है। मौलिक शोध के मामलों में हमारा देश पीछे है।

यह गौरतलब है कि देश में 13.62 लाख प्राथमिक स्कूलों में 41 लाख शिक्षक हैं, परन्तु वहां 12 लाख से ज्यादा शिक्षकों का पद रिक्त पड़ा हुआ है। जो शिक्षक है उनमें भी 8.5 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित है। ऐसे हालात में देश में प्राथमिक शिक्षक की ढांचागत गुणवत्ता तथा शिक्षा गारंटी जैसे लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस, साइकिल और पुस्तकों जैसी सुविधाओं के कारण सरकारी विद्यालयों में 96 प्रतिशत तक प्रवेश बढ़े हैं। परन्तु क्या बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ छात्र की संख्या बढ़ाने तक ही होना चाहिए। इसके आतिरिक्त बाजारीकरण के इस दौर में अभिभावकगण भी शिक्षा को बच्चे के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। यह एक गलत प्रवृत्ति है जिसे रोके जाने की आवश्यकता है। खोखली बुनियाद पर आकाश छूने का सपना देखा नहीं जा सकता।

इन सब परिस्थितियों के बीच गुणवत्ता उन्मुख शिक्षा प्रणाली एक शक्ति संवर्धक है जो विश्व के एक प्रमुख राष्ट्र के रूप में भारत का कायाकल्प कर देगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में 2 नए आई.आई.टी. एवं आई.आई.एम. खोलने का ऐलान किया है और प्रत्येक बच्चे को 5 कि.मी. के दायरे में माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए 80 हजार माध्यमिक विद्यालयों को उन्नत करके वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाए जाएंगे एवं 75 हजार मिडिल स्कूलों को सीधे वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तब्दील करने का ऐलान हुआ है। ऐसे में मुझे आशा है कि माध्यमिक शिक्षा में बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। केन्द्र एवं राज्यों की हिस्सेदारी से चलने वाली यह योजना राज्यों को भी काफी राहत प्रदान करेगी। शिक्षा के

बजट में करीब 69 हजार करोड़ रूपए दिए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव होगा।

अंत में, मैं यह कहना चाहती हूँ कि शिक्षा ही मानव और हमारी प्रकृति से संबंधित सभी कठिनाइयों का समाधान देने में सक्षम है। मोदी जी की स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी कार्यक्रम हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे छात्रों का जीवन निश्चय ही बेहतर होगा।

[*]**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):** हमारे देश के स्कूल हमारे बच्चों को बुद्धिमान नहीं बोझ बना रहे हैं। स्कूलों में छात्रों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन पढ़ाई में बच्चे पिछड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को न तो तरीके से भाषा सिखाई जा रही है, न गणित और न ही विज्ञान। कुल मिलाकर स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

हमारे देश में निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली क्लास के 57 फीसदी से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते। अंग्रेजी जानना तो दूर वो अंग्रेजी का एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकते। पहली क्लास के 50 फीसदी से ज्यादा बच्चों को किसी भी भाषा की जानकारी नहीं। पहली क्लास के ये बच्चे ना तो अक्षरों को पहचानते हैं और ना ही शब्दों को। मैं अंग्रेजी का पक्षधर नहीं, लेकिन विभिन्न भाषा के ज्ञान का पक्षधर हूँ।

ये हमारे स्कूलों की हकीकत है। हमारे स्कूलों में शिक्षा के स्तर की पोल खोल रहे हैं ये आंकड़ें। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार एक तरफ शिक्षा के आधिकार पर अमल की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शिक्षा अगर ज्ञान और काबिलियत का पैमाना है तो उस पर हमारे स्कूली छात्र कतई खरे नहीं उतरते।

शिक्षा की स्थिति पर मशहूर एनजीओ 'प्रथम' की ओर से कराए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि देश भर के स्कूलों में शिक्षा का स्तर कितनी तेजी से गिरता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा के स्तर के मामले में निजी स्कूलों का भी बुरा हाल है। हालांकि निजी स्कूलों में छात्रों की तादाद बढ़ी है, लेकिन पढ़ाई का स्तर गिरा है। रिपोर्ट के मुताबिक निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवी क्लास के करीब 53.2 फीसदी छात्र दूसरी क्लास की किताबें नहीं पढ़ सकते। सरकारी स्कूलों में ये आंकड़ा 58.3 फीसदी

[*] भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा भी किया गया है कि पांचवी क्लास के करीब 46.5 फीसदी बच्चे गणित में घटाना नहीं जानते। पांचवी क्लास के 75.2 फीसदी बच्चों को भाग देना नहीं आता।

यह साफ है कि वो चाहे गणित हो या साहित्य, स्कूली छात्र ज्ञान के मामले में खोखले साबित हो रहे हैं। हमारा स्कूली सिस्टम उनकी बुनियाद को इतना कमजोर बना रहा है कि उसके आधार पर न तो खुद बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकता है और न ही देश का। रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि हमारे स्कूल हमारे बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आलम ये है कि तीसरी क्लास के बच्चे पहली क्लास की किताबें नहीं पढ़ सकते। तीसरी क्लास के सिर्फ 30 फीसदी बच्चे पहली क्लास की किताबें पढ़ना जानते हैं। एनजीओ की इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू यह भी है। रिपोर्ट बता रही है कि ग्रामीण इलाकों में स्कूली छात्रों की तादाद बढ़ी है। खासकर निजी स्कूलों की तरफ अभिभावकों का रूझान बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में दाखिले की फीसदी करीब 96 फीसदी रही। ग्रामीण इलाके के निजी स्कूलों में भी दाखिले में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी रही। यही हाल रहा तो 2018 तक देश के आधे से ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में होंगे। जाहिर है, अभिभावक निजी स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें निजी स्कूलों में मौजूद सुविधाएं दाखिले के लिए खींच रही हैं। लेकिन एनजीओ प्रथम की रपट बताती है कि चमक-दमक, मोटी फीस और सुविधाओं के नाम पर आभिभावकों को अपनी ओर खींचने वाले निजी स्कूलों में भी पढ़ाई खस्ताहाल है। हमारे स्कूल हमारे बच्चों को बुद्धिमान नहीं बल्कि बोझ तैयार कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर यही हाल रहा तो शिक्षा के आधिकार का क्या मायने रह जाएगा? शिक्षा का ही क्या मतलब रह जाएगा? सवाल ये भी है कि शिक्षा के स्तर में गिरावट की वजह क्या है।

हमारे सरकारी स्कूल प्रायः जर्जर भवनों वाले और कहीं-कही खंडहरनुमा हालत में हैं। कहीं जरा अच्छे भवन हैं भी तो उनका प्रायः अन्य कामों में उपयोग किया जाता है। मतदान केन्द्रों के रूप में तो हम उनका उपयोग देखते ही हैं, कई सरकारी आयोजन भी इनमें होते हैं। इसके अलावा रावण दहन,

पटाखे की दुकानें, नेताओं की भाषणबाजी, कथा-वाचन, प्रवचन-पंडाल, पुरानी कारों के बाजार, बिल्डिंग मैटेरियल के ढेर, मेले, प्रदर्शन-रैली, त्योहार मनाने, नाच-गाने आदि सबके लिए सरकारी स्कूल सुलभ होता है। आंधी-बारीश के समय ये स्कूल लोगों की शरणस्थली के काम भी आते हैं। पहुँच वालों की शादी-ब्याह के आयोजन के लिए यही श्रेष्ठ स्थल होते हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल शिक्षा के लिए पवित्र स्थान कैसे बने रह सकते हैं।

योग्य शिक्षकों और साधनों का अभाव दूसरा बड़ी समस्या है जिससे सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों से पिछड़ते हैं। इसे केवल बजट का मामला नहीं मानना चाहिए। सरकारी स्कूल के शिक्षकों से तमाम गैर शैक्षिक कार्य लिए जाते हैं। यह समझना होगा कि शिक्षक बेकार करने वाला तबका नहीं है। कहीं-कहीं पचास-साठ बच्चों के स्कूल में आवश्यकता से बहुत अधिक शिक्षक होते हैं तो कहीं-कहीं इनकी संख्या न्यूनतम से भी कम होती है। कहा जाता है कि वेतन का बोझ सरकारी स्कूलों की हालत सुधरने नहीं देता है। दरअसल हमारा शिक्षा का बजट ठीक नहीं है। धन की कमी तो प्रइवेट स्कूलों में भी होती है किंतु वहां की कार्य-संस्कृति और मैनेजमेंट बेहतर है।

सरकारी स्कूलों की बुरी दशा के पीछे इसका सरकारीपन और दोषपूर्ण प्रबंधन भी है। कई जगह स्थानीय विकास-समितियां बनाई गई हैं किन्तु इसके जरिए राजनीति घुसने लगी है और स्कूल छुटभैये नेताओं के उपकरण बनते जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को इनके प्रभाव से मुत्त करने की जरूरत है। अनेक गांवों में तो शिक्षकों को वेतन के लिए सरपंच या प्रभावी नेताओं की चिरौरी करना पड़ती है।

अगर प्राइवेट स्कूलों के साथ दो-दो सरकारी स्कूलों को नत्थी कर दिया जाए तो उनके चुस्त मैनेजमेंट का लाभ इन्हें भी मिलेगा। इसके अलावा समाज में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त शिक्षाविद मौजूद हैं जिन्हें पेंशन के रूप में पंद्रह-बीस हजार रूपए तक मिल रहे हैं। यदि उन्हें दो-तीन स्कूलों का प्रभारी बनाकर उनकी प्रतिभा का उपयोग किया जाए, तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और उन्हें भी लगेगा कि वे अभी भी सक्रिय, उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं।

देश भर में बड़े उद्योग और व्यावसायिक संगठन सरकारी योजनाओं, बैंकों आदि से सुविधा प्राप्त करते हैं। उन्हें सब्सिडी, टैक्स रिबेट, लोन वगैरह का लाभ मिलता है। इन बड़े-बड़ों में कई पर करोड़ों का टैक्स बकाया है, लेकिन वे समाज में शिव-नंदी की तरह बेफिक्र घूमते हैं। यदि इन डिफाल्टरों का दो-तीन स्कूल गोद लेने के लिए प्रेरित या विवश किया जाए तो कुछ अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे।

*__श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती):__ हम सब जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने देश के युवा वर्ग को ही सच्ची ताकत बताते हुए उनकी शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय मानव संसाधन के योगदान हेतु महत्वाकांक्षी योजनाओं पर बल दिया है। इस बात में कोई शंका नहीं है कि विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं ने धूम मचा रखी है और इनकी मांग भी जोरों पर है। परन्तु देश में प्राथमिक शिक्षा की हालत अत्यंत चिंताजनक है। शिक्षा आधिकार कानून एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत मध्याह्न भोजन के जरिए सरकारी स्कूलों में नामांकन तो सुनिश्चित किया जा सका, परंतु छात्रों में अक्षर बोध एवं आंकिक एवं तार्किक स्तर पर बौद्धिक क्षमता हाशिए पर है। इसके मूल में कई राजनैतिक एवं सामाजिक कारण हैं, पर मैं सिर्फ इसके व्यवहारिक पक्ष पर कुछ बात रखूंगा। आजादी के 70 साल बाद भी देश में शिक्षा की अनेकों पद्धतियां और पाठ्यक्रम प्रचलन में हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश एवं राष्टीय स्तर पर अलग अलग पाठ्यक्रम पढ़ाये जाते रहे हैं। साथ ही शिक्षकों के चयन के आधार भी भिन्न हैं। ये बात इसलिए बताना जरूरी है कि एस सांसद होने के नाते हम सबको अपने संसदीय क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालय में 6 बच्चों के प्रवेश हेतु संस्तुति करने का प्रावधान है, परन्तु केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु अभिभावकों और बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में जिन लकी सिक्स को संस्तुति पत्र से प्रवेश मिल गया उनको छोड़कर बाकी जनता में अपने सांसद से निराशा हाथ लगी है। ऐसा इसलिए भी है कि हमने एक भेदभाव पूर्ण शिक्षा व्यवस्था बना रखी है।

अगर रैंकिंग की बात करें तो शायद सभी जागरुक/मध्यम वर्गीय अभिभावक सरकारी विद्यालय के चुनाव में केंद्रीय विद्यालय और आवासीय जवाहर नवोदय विद्यालय को पहली तरजीह देते हैं क्योंकि इन विद्यालयों में अध्यापकों का चयन एक उच्चस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होता है और इनमें केन्द्रीय सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है जिसका पाठ्याक्रम छात्रों को उज्जवल भविष्य हेतु इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए भी काफी कुछ कवर कर लेता है। इन मानकों पर राज्य

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरकारों की शिक्षण संस्थाएं, उनके पाठ्यक्रम और शिक्षक सभी गुणवत्ता के मामले में पिछड़ जाते हैं। देखा जाए तो ये विद्यालय एक ब्राण्ड बन चुके हैं और समानता के मौलिक आधिकार के हिसाब से सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिलना चाहिए।

जरूरत इस बात की है कि शिक्षा को लेकर सभी राज्यों के सहयोग से एक केंद्रीय नीति बनाई जानी चाहिए जहां एक यूनिवर्सल पाठ्यक्रम हो, शिक्षक एवं आधारभूत ढांचा समान हो। तभी हम देश के नौनिहालों को गला काट प्रतियोगी युग में कम से कम एक समान प्लेटफार्म दे सकेंगे। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि देश में अधिकाधिक केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया जाए। अभी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के कूपन अपने ही संसदीय क्षेत्र में दिया जा सकता है। कई जगह ऐसी भी हैं जहां केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं, तो पड़ोसी जिले में ही दिया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि ये बाध्यता समाप्त कर कूपन की संख्या काफी बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छोटे शहरों से अधिकांश लोग रोजगार और शिक्षा के अच्छे अवसर की तलाश में देश के बड़े शहरों में रहने चले जाते हैं। ऐसे में उनकी उपेक्षा होती है कि क्षेत्रीय सांसद उनकी पैरवी कर सकें पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं ऐसा कोई नहीं मानता। आज हम मेक इन इंडिया की अवधारणा को लेकर संकल्पित हैं जिसके लिए कौशल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर समान शिक्षा के अवसर न होने के कारण अभी भी छोटे शहर/ग्रामीण इलाके के बच्चे मानसिक योग्यता प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तार्किक शिक्षा, बुद्धि परीक्षण एवं वैदिक गणित को आनिवार्य रूप से शिक्षण पाठ्याक्रम में शामिल किया जाए जिससे बच्चों को स्कूल से ही प्रतियोगी माहौल के लिए तैयार किया जा सके।

शुक्रवार को हुई चर्चा में श्री तथागत सत्पथी (बीजू जनता दल) ने हमारी शिक्षा प्रणाली के मूल यानि प्राथमिक शिक्षा के कमजोर होने की बात कही थी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा के मूल ही नहीं, उसके मूलाधार को मजबूत करने की जरूरत है। इस मूलाधार की कमजोरी का एक प्रमुख कारण है कि शिक्षा के किसी भी स्तर पर लॉजिक यानि तर्कशास्त्र

नहीं पढ़ाया जाता। लॉजिक ऐसा विषय है जो कि तर्कसंगत बात और कुतर्क में फर्क करना सिखाता है और कलियुग में कुतर्क बहुत होगा ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और सच भी है।

आपने और मंत्री जी ने ऐसा भी जरूर देखा होगा कि जहां हमारी सरकार शास्त्रों, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की बात करती है, वहीं हमारी सरकार या ऐसी बात करने वालों की आलोचना ही नहीं उनका मजाक बनना भी शुरू हो जाता है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वो पहली सभ्यता जिसने लॉजिक का आविष्कार किया वो भारतवर्ष की ही सभ्यता थी। यही नहीं, हमारे बाद हमारे आतिरिक्त मात्र एक ग्रीक सभ्यता हुई जिसके मशहूर दार्शनिक एरिसटॉटल ने भी तर्कशास्त्र ईजाद किया और पश्चिम के देशों का सारा भौतिक ज्ञान-विज्ञान तरक्की एरिसटॉटल के इसी तर्कशास्त्र पर आधारित है।

एक समय था कि हमारे गुरुकुलों का मूल पाठ्याक्रम था- भाषा ज्ञान, व्याकरण, लॉजिक और गणित। ऐसा माना जाता था कि इन चार विषयों का ज्ञान आनिवार्य है अन्य किसी विषय को पढ़ पाने के लिए।

फिर आज क्या बदल गया? आज भी इंटर के बाद होने वाली लगभग हर परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग का पेपर होता है - कैट, सीएलएटी, सीएसएटी, जीएमएटी, बैंक पीओ, एनडीए - सब में। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाई केवल कोचिंग में जाती है।

''लॉजिक'' शब्द का प्रयोग हर टीवी चैनल के डिबेट पर हर दिन लगभग सौ बार होता है। हाल में मंत्री जी ने एक पत्रकार को इंडरव्यू दिया जिसमें 5-10 बार लॉजिकल होने की बात दोनों ने कही। आए दिन जनता में और जनता के प्रतिनिधी वर्ग में वाद-विवाद होता है कि तुम लॉजिकल कि हम लॉजिकल। वाद-विवाद पहले भी होता था, शास्त्रार्थ पहले भी होता था पर पहले तर्क के नियमों के अनुसार होता था और आजकल मनमर्जी से होता है। सबको लगता है कि वही लॉजिकल हैं, बाकी मूर्ख। पर जैसे गणित में सही गलत निधाररित और निश्चित है ठीक वैसे ही क्या लॉजिकल है और क्या नहीं, ये भी सदियों से

निर्धारित और निश्चित है। लोगों के तर्क अलग हो सकते हैं पर उनका मूल्यांकन तर्कशास्त्र के ही आधार पर होगा और तर्कशास्त्र सबके लिए एक ही है।

फिर ऐसा क्यों कि आज की तारीख में लॉजिक केवल बंगाल स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और वो भी ओप्शनल? ऐसा क्यों कि यूनिवर्सिटी में भी केवल फिलॉस्फी के छात्रों को लॉजिक पढ़ाई जाती है? क्या जीवन में या परीक्षा में या प्रोफेशनल जीवन में लॉजिक का उपयोग नहीं?

भारत के आखिरी विश्वविख्यात तर्कशास्त्री डॉ. बिमल कृष्ण मतिलाल हुए थे जो कि सन 1977 से 1991 तक ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे। ये खुद संस्कृत कॉलेज में पढ़े थे। पं. तारनाथ तर्कतीर्थ और कालीपद तर्कचार्या के निर्देशन में जितना काम भारतीय लॉजिक पर डॉ. मतिलाल ने किया उतना उनके बाद किसी ने नहीं किया और इनकी सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। नागार्जुना और गौतम से लेकर एरिसटॉटल, एरिसटॉटल से लेकर मतिलाल और मतिलाल से लेकर कोपी और कोहेन तक सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। क्या हम उनसे प्रेरित होकर हाई स्कूल और इंटर के पाठ्याक्रम के लिए पुस्तकें नहीं बना सकते? क्या हम लॉजिक के टीचर तैयार नहीं कर सकते? क्या हम हर स्कूल में लॉजिक का एक ट्रेंड टीचर नहीं रख सकते? हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। ये धर्म का काम है, इसमें स्टूडेंट्स का हित है, देश का हित है, सभ्यता का हित है। कुछ दिन पूर्व पायोनियर अखबार में एक तर्कशास्त्री (अधीर सोम) ने भी ये दलील दी थी और सरकार से यही इल्तजा की थी। मुझे आश्वासित किया गया है कि देश के बहुत से तार्किक, दर्शनविद, यहां तक कि मशहूर सैंट स्टेफन्स कॉलेज का फिलोस्फी डिपार्टमेंट भी लॉजिक को स्कूल पाठ्याक्रम का हिस्सा बनाने के कार्य में सरकार की मदद करने को तत्पर है और वो भी धर्मार्थ, यानि मुफ्त में क्योंकि उनका भी ये मानना है कि ये धर्म का काम है, हिंदू धर्म का नहीं, मानव धर्म का काम है। मुझे नहीं लगता कि संकीर्ण राजनीतिक दृष्टि से भी किसी को इस बात पर आपत्ति होगी या कोई इसका मजाक बनाएगा कि भारत में लॉजिक की पुरातनकालीन परंपरा दोबारा प्रबल हो और भारत का तार्किक, वैज्ञानिक विकास और तेज हो।

जून 9-12, 2015 को फ्रांस में लॉजिक पढ़ाने के विषय पर चौथी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं मंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि हो सके तो एक डेलीगेशन इस कॉन्फ्रेंस में जरूर भेजें और स्कूल में लॉजिक पढ़ाने के मेरे सुझाव पर विचार करें।

[*]**श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) :** अन्य वक्ताओं के साथ मुझे भी भूकम्प त्रासदी हेतु संबद्ध किया जाए।

मैं देश एवं पड़ोसी देश नेपाल सहित बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विगत दो-तीन दिनों से हुए भूकम्प त्रासदी में मृतकों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं एवं उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे संसदीय क्षेत्र बक्सर के ब्रह्मपुर प्र0 में इसके परिणामस्वरूप तीन अल्प संख्यक लोगों के प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं।

इसके आतिरिक्त, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय गृहमंत्री की तत्परता एवं पड़ोसी देश को सहायता प्रदान करने हेतु साधुवाद देते हैं।

[*] भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा विश्वास था कि शिक्षा के विषय पर बिना किसी द्वेष के इस सभा में बातचीत होगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं कि बिना द्वेष की भावना से राष्ट्र हित की भावना से शिक्षा के विषय पर बोले हैं।

मुझसे पहले शिक्षा विभाग का जो दायित्व रखते थे, उनकी आज मैंने हिन्दी में एक टिप्पणी सुनी। उन्होंने आदरणीय वैंकेया नायडु जी का उल्लेख किया और कहा कि जितना आटा होगा, रोटी उतनी ही बनायी जाएगी। शास्त्रों में लिखा है और मैंने महाकाल की धरती पर सुना है-

अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्धयर्थम् भिक्षाम् देहि च पार्वती।

मां अन्नपूर्णा को यह आशीर्वाद है कि रोटी जितनी चाहिए, अन्नपूर्णा रोटी का प्रबन्ध करती है। लेकिन आज एक माननीय सदस्य ने जो केरल से संबंध रखते हैं, उन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया कि खर्च नहीं हो रहा है यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। उनको बड़े सम्मान सहित कहना चाहूंगी कि आप ही की पंक्ति में जो महाशय बैठे हैं, वर्ष 2013-14 के शिक्षा विभाग के यूटिलाइजेशन को अगर आप देखें तो वह रिवाइज़ एस्टीमेट का 92.9 परसेंट रहा है, जबकि हमारी सरकार के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के रिवाइज़ एस्टीमेट का एक्सपैंडिचर 97.69 रहा है। प्रश्न अब उनकी तरफ उठता है कि जब आटा था तो रोटी पर्याप्त क्यों नहीं बनायी गयी? इन्होंने एक आक्षेप किया कि अटॉनमी पर प्रहार हो रहा है। एमएचआरडी ने एक निर्देश दिया है कि सभी सैन्ट्रल यूनिवर्सिटिज या संस्थान पहले एमएचआरडी के माध्यम से पूछें कि किस प्रकार का एमओयू इंटरनेशनल स्तर पर साइन होने वाला है। देश का संविधान यह कहता है कि देश की संसद में जो निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के तहत देश की सरकार को काम करना है। देश की सरकार द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थान इसी संसद का सम्मान करेंगे। आज यह प्रश्न उठता है कि जब केन्द्र में यूपीए की, कांग्रेस की सरकार थी तब इसी संसद द्वारा बनाए गए आईआईटी एक्ट का उल्लंघन क्यों हुआ? क्यों एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय करार किया गया, जिसमें भारत के टेक्सपेयर्स के पैसे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए एक कैम्पस के निर्माण की बात की गयी।

क्यों उस वक्त ये मंत्री मूकदर्शक बन कर तमाशा देख रहे थे? क्या संसद की गरिमा का, संविधान का और कानून का भय अथवा चिंता तब नहीं थी?

एक आरोप मुझ पर लगाया जाता है कि चार साल के दिल्ली युनिवर्सिटी के प्रोग्राम को रोल बैक किया गया। वह प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नहीं चलाया जा रहा था। एमएचआरडी में जब दस्तावेजों को खोजा गया तो यह पाया गया कि 77 हजार छात्रों को 40 से ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों में भागीदार बनाया गया, जिसकी परमिशन स्वयं राष्ट्रपति महोदय ने नहीं दी थी। क्या हम एक ऐसा नजारा देखना चाहते थे, जब चार साल बाद दिल्ली की सड़कों पर, देश की राजधानी में लगभग चार लाख छात्र ऐसे उपस्थित हों, जिनकी डिग्री का कोई मोल नहीं है? अगर उस गैर कानूनी हरकत को रोका गया तो चोट उनको क्यों पहुंचती है? अगर उन छात्रों का संरक्षण किया गया, उनके भविष्य का संरक्षण किया गया तो दुख उनको क्यों होता है? आज मैं पूछना चाहती हूं कि बार-बार हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हमने आईसीएचआर के माध्यम से हमने इतिहास में दखल देने की कोशिश की है। प्रोफेसर साहब यहां बैठे हैं। मैं सांसद के नाते उन्हें संबोधित नहीं करती, प्रोफेसर इसलिए कहती हूं कि उस दिन जब तथागत सत्पथी जी सभा में बोल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि एजुकेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट है। उन वेस्टेड इंटरेस्ट को एजुकेशन से दूर करने की जरूरत है। आज मुझे पूछना है कि आईसीएचआर में कौन है? ...(व्यवधान) मैंने आपके आरोप सुने, अब मेरे जवाब को आने दीजिए। आईसीएचआर में कौन है, मैं आईसीएचआर में कौन से लोगों की बात कर रही हूं। आईसीएचआर में पूर्बी रॉय है। पूर्बी रॉय कौन है, मैं उनके नाम का यहां उल्लेख कर रही हूं। [अनुवाद] पूरबी रॉय अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक अनुभवी विद्वान हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भारतीय रूसी संबंधों के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने एक उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने रूसी अभिलेखागार से संबंधित दस्तावेजों पर भी काम किया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को यह बताना चाहता हूं कि पूरबी रॉय भी सी.पी.आई. से जुड़ी थीं। उनके पति कल्याण राय एक सक्रिय सी.पी.आई. राज्य सभा सदस्य थे। [हिन्दी]

क्या हम पक्षपात कर रहे हैं? अगर पक्षपात करते तो क्या इस प्रकार के हिस्टोरियन आईसीएचआर में रहते? मुझे सुस्मिता देव जी कह रही हैं आप नाराज मत होइए। महोदया, आप ही ने कहा था कि मेरे खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही है। मैं आज उस चार्जशीट का जवाब दे रही हूं और आग्रह करती हूं कि सब जवाब सुनें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से टी.एम.सी. के मैम्बर से पूछना चाहती हूं कि क्या आपकी सरकार में सीपीआई(एम) से कोई भी ताल्लुकात रखते हुए किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष तरीके से आप नौकरी दे सकते हैं? ...(व्यवधान) आईसीएचआर की बॉडी में हमने पूर्बी रॉय को लिया, क्या यह पक्षपात है? वह एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने देश नहीं छोडा, बल्कि देश में रहकर देश की सेवा की है, क्या उनका सम्मान करना अपराध है? आईसीएचआर में सचिन आनन्द साहब जी हैं, उन्हें प्रोफेसर ऑफ एपिग्राफी किसने बनाया, यूपीए की सरकार ने बनाया। क्या उनका सम्मान करना हमारा अपराध है? आज यहां पर सुष्मिता देव जी बैठी हैं, उन्होंने उस दिन कहा कि मैं अपने ऊपर लगे चार्ज का, आरोप का जवाब दूं, मैं उनसे कहना चाहती हूं, विश्व भारती के बारे में बहुत लोगों ने चिंता व्यक्त की। विश्व भारती की जो इंक्वायरी कमेटी है, उस इंक्वायरी कमेटी के मैम्बर कौन हैं - बी.बी.दत्त। बी.बी.दत्त जी नार्थ-ईस्ट कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सैक्रेटरी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के रिजीम में राज्य सभा का मैम्बर बनाया गया। वह आपके पिता संतोष मोहन देव जी के साथ भी काम कर चुके थे। उनका सम्मान करना क्या हमारा अपराध है? ये सब वे लोग हैं, जो इस वक्त भारत सरकार के साथ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मात्र इसलिए क्योंकि वे भारत का नवनिर्माण करना चाहते हैं। जे.के.रे., जयन्त कुमार रे, जिन्हें आपने यूपीए के रूल में मौलाना आजाद इंस्टीट्याूट ऑफ एशियन स्टडीज का चेयरमैन बनाया था, उनको आज हमने नेशनल प्रोफेसर बनाया, क्या हमने उनसे पूछा कि आपके कांग्रेस के साथ क्या ताल्लुकात थे। हमने मात्र यह देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में वह कैसे आगे काम कर सकते हैं।

श्री ध्रुवनारायण जी पीछे बैठे हैं। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर सबसे पहला भाषण उनका था। पहले सत्र में जब मेरा उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि दस साल से मेरे क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय नहीं चल पा रहा है। आप इसे खोलिये और हमने उसे खोला, क्या हमने पक्षपात किया, नहीं किया। सुस्मिता देव जी स्वयं इस बात की गवाह हैं कि उनके अपने क्षेत्र मे हमने केन्द्रीय विद्यालय में जितना सहयोग संभव था, उतना सहयोग किया। यह सहयोग करना क्या पक्षपात है, क्या यह हमारा अपराध है? आज इस सभा में मैं कहना चाहती हूं कि एक वेकेन्सी को लेकर चिंता व्यक्त की गई। वेकेन्सीज पर महामहिम राष्ट्रपति जी को आठ मई को एक पत्र लिखा गया था और कहा गया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगते ही 15 वेकेन्सीज भरने का कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, जो कानून के विरोध में है, इसकी जांच हो, हमने जांच की। यूपीए के कार्यकाल के दौरान चार लोग जो प्रस्तावित थे. उन्हें सैंट्रल यूनिवर्सिटी, गुजरात, उत्तराखंड, सैंट्रल यूनिवर्सिटी केरल और पंजाब में सम्मान सहित कार्य करने का मौका दिया। यह हमने चयनित नहीं किया, यूपीए की सरकार द्वारा चयनित हुआ और हमने उसका सम्मान किया। लेकिन जिन चयन समितियों में हमने कहीं न कहीं कोई चैलेंज देखा उसको हमने रोकने का प्रयास किया, क्योंकि आज जैसे लक्ष्मी नारायण यादव जी कह रहे हैं, उनमे से एक नाम ऐसे व्यक्ति का था, जो आज सीबीआई की गिरफ्त में है। क्या उस व्यक्ति को रोकना हमारा अपराध है? रिवाइज़ एस्टिमेट्स की बात हो रही है। इसी सभा में और दूसरे सभा में भी हमने बार-बार कहा है कि शिक्षा प्रायोरिटी ऑफ प्रायोरिटीज़ है। हमसे पूछा गया कि बीजेपी के मैनिफेस्ट्रो है कि मिडि डे मील को और सशक्त करना है, क्या उसका प्रयास किया, जी हाँ हमने किया है। सेफ्टी और हाईजीन ऑफ फूड्स के लिए फरवरी के महीने में नई गाईडलाइंस बनाई हैं। साथ ही एक सेंट्रलाइज़ वॉइस मॉनिट्रिंग रिकगनिशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं ताकि प्रदेश और केंद्र की सरकार को एक साथ पता चले कि मिड डे मील में कहीं कोई चुनौती तो नहीं है।

हमसे यह कहा गया कि हम शिक्षा के निजीकरण में कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। स्वयं नाम का एक कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, आईआईएमज़, एनआईटीज़, आईसरज़ ये सब मिल कर देश के इतिहास में पहली बार हमारे देश के नागरिकों को मुफ्त शिक्षा देंगे ताकि डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर वह सर्टिफिकेट का कोर्स हो, कम से कम टैक्नोलॉजी के माध्यम से वह शिक्षा प्राप्त हो। देश में लगभग 500 ऐसे केंद्र करेंगे, जिसमें नागरिक जा कर अपने एग्ज़ाम को दें और बहुत ही न्युनतम शुल्क पर सर्टिफिकेट लें। क्या उच्च शिक्षा में इतनी बड़ी क्रांति लाना हमारा अपराध है? तथागति सतपति जी का मैं स्वागत करती हूँ, जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठ कर प्रदेश की कुछ चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। आपने कहा कि मात्र संस्कृत का सम्मान काफी नहीं है, सभी प्रादेशिक और ट्राईबल लैंग्वेजिस का सम्मान होना चाहिए। मैं आपसे बहुत ही सम्मानजनक तरीके से कहना चाहूंगी कि आपने जो भाषण दिया, उसकी मैं सराहना करना चाहती हूँ। आप एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं। मेरी पार्टी से आपका कोई इत्तेफाक नहीं है। आपने और सुप्रीया सूले ने उस दिन जो बातें कहीं, उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, वह चिंता थी, जो आपने व्यक्त की थीं। सुप्रीया सूले जी ने कहा कि लगभग 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दो करोड़ नहीं हैं, तीन करोड़ नहीं हैं, [अनुवाद] 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। [हिन्दी] शशि थरूर जी ने कहा कि पहले कम थे, अब ज्यादा हो गए हैं। इनके आंकड़े गलत हैं। पहले 1 करोड़ 36 लाख थे, अब 60 लाख हैं। [अनुवाद] महोदय, आपका गणित गलत है। [हिन्दी] हम ज्ञान नाम का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। ज्ञान के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी हमारे एकैडेमिशंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, खुद भारत सरकार की ट्रेज़री से पैसा दे कर आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि वह हमारी सेंट्रल यूनिवसिर्टीज़ एनआईटीज़ और आईआईटीज़ और आइसर्ज़ में जा कर हमारे छात्रों को पढ़ा सकें। इस प्रकार की क्रांति लाना क्या अपराध है? ...(व्यवधान)

सर, मैंने सुना था कि विद्या ददाति विनयम्। मुझे यह नहीं पता था कि विद्या से इतना सारा ज़हर भर जाएगा। कोशिश हमारी यह है कि जैसे क्वॉलिटी ऑफ एजुकेशन में इज़ाफा करने की बात की है। पढ़े भारत, बढ़े भारत पर हमने पहले भी सभा में उल्लेख किया है, आज भी करते हैं कि अर्ली रीडिंग राइटिंग ऑन नयूम्रेसी, कक्षा एक, दो, तीन पर हमारा विशेष ध्यान है, जिसके लिए इस बजट में भी 460 करोड़ रूपये का प्रावधान है। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षा के साधनों में तो वृद्धि हुई है, स्कूली शिक्षा में भी फ्लैगशिप्स स्कीम्स का संरक्षण होगा, ऐसा हमारी सरकार का वक्तव्य है और वह वक्तव्य मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। बेटियों की शिक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। मैं कहना चाहती हूँ देश में पहली बार हम एक जेंडर एटलस ले कर आए हैं, जिसके अंतर्गत सभी राज्य, किन जिलों में बेटियों की शिक्षा में वृद्धि की जरूरत है, कहां पर चुनौती है, उसको मैप कर सकते हैं और उस हिसाब से एरिया स्पेसिफिक कार्यक्रम बना सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिसके अंतर्गत हमने सौ ऐसे जिले चिन्हित किए हैं, जिनमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 75 प्रतिशत माता-पिता, उन स्कूलों के होंगे, जिनमें छात्र जाते हैं, उनसे कहा गया है कि अगर आप स्कूली शिक्षा में बेटियों को प्राइमरी से सैकेंड्री और सैकेंड्री से हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ाएं तो हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को पांच लाख रूपये का इनाम देंगे। हमारी कोशिश यह है कि हम स्कूल्स का असेस्मेंट कर सकें। जीआईएस मैपिंग हमने राष्ट्र भर में की है, मात्र तीन प्रदेश रह गए हैं, जिनकी मैपिंग अब तक नहीं हुई है। उन मैपिंग्स के बाद हम जानते हैं कि हैबिटेशनवाइज हमें कहाँ शिक्षा के कौन से साधन देशवासियों को देने हैं। कई लोगों ने और सुष्मिता जी ने एक विशेष चिन्ता नॉर्थ-ईस्ट के छात्रों के लिए व्यक्त की थी।

मैं कहना चाहती हूँ कि यूजीसी के अंतर्गत हमने ईशान उदय, ईशान विकास नाम के कार्यक्रमों की शुरूआत की। पहली बार देश में हम नार्थ-ईस्ट के छात्रों को विशेष रूप से देश भर के कुछ चुनिंदा संस्थानों के दौरे पर ले गए। वहाँ पर हमने उनसे कहा कि अगर आप अपने जीवन में कुछ कैरियर

अपार्चुनिटीज चाहते हैं, अपार्ट फ्राम टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमेनिटी, तो साइंस और टेक्नॉलाजी की दुनिया में आपके लिए क्या-क्या नई ऊंचाइयाँ हैं, जिनको आप छू सकते हैं, उनका हमने उनसे परिचय करवाया। हमने दस हजार अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप में नार्थ-ईस्ट के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। हमने पहली बार एक ऐसा स्किल फ्रेमवर्क नवंबर, 2014 को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसके अंतर्गत जो छात्र परीक्षा कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, मान लीजिए वह बढ़ई का काम करता है, पाँच साल वह वापस स्कूली शिक्षा अथवा शिक्षा के किसी संस्थान में नहीं पहुँच सकता, उनसे हमने कहा है कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपका [अनुवाद] अब आपकी साठ प्रतिशत योग्यता आपको सीधे स्नातक स्तर तक जाने के योग्य बना देगी।

[हिन्दी] महोदय, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बस्ते का बोझ बहुत सारे माता-पिताओं के लिए चिंता का विषय हो गया है। किताबों की कीमत बहुत सारे माता पिताओं के लिए चिंता का विषय हो गई है। एनसीईआरटी के माध्यम से ऑनलाइन हम ओपन रिसोर्सेज उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि कक्षा 1 से 12 तक की सारी किताबें ऑनलाइन मुफ्त उपलब्ध हों। एनसीईआरटी से मैंने स्वयं निवेदन किया है कि इसे एक ऐसे मोबाइल ऐप की तरह तैयार किया जाए ताकि माता-पिता को मोबाइल पर ही चुनिंदा किताबें मुफ्त में उपलब्ध की जाएं। हमने "सारांश" नाम का कार्यक्रम शुरू किया। ये सारे वे कार्यक्रम हैं, जिनके लिए बजटरी प्रावधान है। "सारांश" नाम का कार्यक्रम हमने पिछले वर्ष शुरू किया, जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम सभी सीबीएसई स्कूल्स में सब्जेक्टवाइज, चाइल्डवाइज हर सीबीएसई स्कूल को देने का प्रावधान किया है। हमने यह शुरूआत की है जिसके अन्तर्गत वह स्कूल अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में और नेशनल लेवल पर लर्निंग आउटकम्स को समझें और अपने छात्र की मदद करने के लिए वह स्कूल और अग्रसर हो। अब हमारी कोशिश यह है कि "सारांश" नाम का यह कार्यक्रम माता-पिता तक भी पहुँचे, क्योंकि वह माता-पिता जो मात्र पेरेंट टीचर मीटिंग में ही जान सकते हैं कि छात्र का

लर्निंग आउटकम क्या है, वे रिएल टाइम अपने बच्चे का निरीक्षण कर सकते हैं और बच्चे की मदद कर सकते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, बहुत सारे सांसदों ने यह कहा है कि कला, संस्कृति, खेलकूद से हमारे बच्चे परे हो रहे हैं। कला उत्सव नाम का एक कार्यक्रम है, जो केरल राज्य में चलता है। मैं जब स्वयं केरल राज्य में गई तब मैंने इस कार्यक्रम की सराहना भी की और यह अपील भी की कि इसे हम राष्ट्रीय स्तर पर अपनाएं ताकि प्रादेशिक कला, संस्कृति ये सब हमारे बच्चों तक पहुँचें। मुझे यह कहते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष कला उत्सव की पूरे देश में शुरूआत हो रही है। सभी प्रदेशों के स्कूली विभाग से हमारी चर्चा हो चुकी है कि हम कला उत्सव नाम के देश की विभिन्न परम्पराओं, कला, संस्कृति को उजागर अपने छात्रों के मध्य में करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ेंगे।

मैं एक विशेष निवेदन सभी माननीय सदस्यों से करना चाहती हूँ, शिक्षा की नीति को लेकर कई माननीय सदस्य चिन्तित रहते हैं। जो सदस्य कांग्रेस पार्टी से हैं, उनकी चिन्ता यह रहती है सैफ्रनाइजेशन न हो। मैंने सभा में यह कथन दिया है, एक लिखित जवाब दिया है, आज उसे मौखिक दोहराती हूँ। संविधान की मर्यादा में ही शिक्षा दी जाएगी हमारे छात्रों को यह हमारा वचन है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनका धर्मग्रन्थ बतौर प्रधानमंत्री देश का संविधान है, उनका धर्म भारतीयता है और प्रधानमंत्री के इस कथन को मैं दोबारा इस सभा में दोहराती हूँ। मेरा सभी सम्मानित सांसदों से एक अनुरोध है, शिक्षा की नई नीति कैसी हो, इस पर हमने 33 थीम्स विकसित की हैं। 21 मार्च को सभी प्रदेश की सरकारों के साथ एक बैठक में हमने निर्णय लिया। आज तक देश में मात्र कुछ चुनिन्दा लोग बताते थे कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए।

हमने कहा कि देश में 2 लाख 75 हजार विलेज एजुकेशन काउंसिल हैं। प्रदेश सरकारों से आग्रह किया तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा कि हम उन गाँवों के विलेज एजुकेशन काउंसिल में जाएँ और

पूछें कि कैसी शिक्षा आपको चाहिए। कोई उनसे तो पूछे जिनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। हम 6600 ब्लाक्स में जाकर पूछें कि कैसी शिक्षा आपको चाहिए, उनसे तो पूछें कि अपनी तकदीर वे कैसे लिखना चाहते हैं। हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएँ और सभी जन-प्रतिनिधियों को संग लेकर, जनता के साथ बैठकर बोलें - कैसी शिक्षा चाहिए। प्रदेशों में यह वार्ता करें और मिल-जुलकर एक नई शिक्षा नीति का निर्माण करें। सभी माननीय सांसदों से मेरा निवेदन है कि आप सब इसमें मिल-जुलकर काम करें क्योंकि देश की तकदीर कोई एक नहीं लिखेगा, हम सब मिलकर लिखेंगे, यह प्रण है हमारा।

कुछ लोगों ने कहा, यह बड़ा व्यापक चर्चा का सिलसिला शुरू किया है, क्या यह संभव है? संभावना हम इस देश में देख चुके हैं। चार दिन का समय मिला था कि प्रधान मंत्री जी टीचर्स डे पर देश के बच्चों को संबोधित करेंगे। उनकी क्या जिज्ञासा है, उन्हें कैसे प्रेरित करें कि वे कल के टीचर बनें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चार दिन का समय था कि कैसे जोड़ें सब स्कूलों को, लेकिन हुआ। व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करना है प्रदेश की सरकारों के सहयोग से। साढ़े 9 करोड़ बच्चों से हमने संपर्क किया। इसलिए कहना चाहती हूँ कि यह संभव है अगर यह संसद और यह सभा ठान ले।

टीचर्स के बारे में कई सांसदों ने यहाँ पर उल्लेख किया कि टीचर्स ट्रेनिंग पर थोड़ी बहुत चिन्ता उन्हें है कि किस प्रकार की ट्रेनिंग हो। महोदय, शशि थरूर जी ने कहा कि जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमंडेशंस आई थीं। मैं बड़े गर्व के साथ कहती हूँ कि उन रिकमंडेशंस को इंप्लीमैंट करने का काम एनसीटी में हमने किया है। टीचर्स की ट्रेनिंग में पहली बार यह हुआ है कि टीचर 20 सप्ताह स्कूल में जाकर पढ़ाए, अपनी ट्रेनिंग के अंतर्गत उसका इवैल्युएशन उस स्थल पर हो, इसका प्रावधान भी पहली बार किया गया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर्स ट्रेनिंग की शुरूआत की जिसमें 900 करोड़ का प्रावधान है, यह भी मैं सभा को अवगत कराना चाहती हूँ।

बजट के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ताओं को व्यक्त किया है। मैं दोबारा दोहराती हूँ। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि जो महिला होती है, वह कोशिश करती है कि कम में ही गुज़ारा कर ले। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको ज्यादा चिन्ता है।

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : इनको चिन्ता है, आपको अच्छा लगना चाहिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): स्मृति जी, अब आप अपने असली स्वभाव में आ गई हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि शिक्षा प्रदेश की सरकारों के साथ एक ऐसा विषय है जिसमें समन्वय से हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मेरे कार्यकाल में एक भी ऐसी प्रदेश की सरकार नहीं है जिसने शिक्षा के किसी कार्य में अपनी असमर्थता को दिखाया है। सभी प्रदेश की सरकारें केन्द्र की सरकार के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने में समर्थ हैं, यह विश्वास मैंने पिछले दस महीने में प्राप्त किया है क्योंकि यह विश्वास प्रदेश की सरकारों ने हमें दिलाया है।

शिक्षा में कई चुनौतियाँ हैं, इसको मैं स्वीकार करती हूँ। प्राइवेटाइज़ेशन के संदर्भ में कुछ सांसदों ने चिन्ता व्यक्त की है। उनसे कहना चाहती हूँ कि हमने नो यूअर कॉलेज पोर्टल खोला है, जिसमें वे सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो यूजीसी, ए.आई.सी.टी.ई. से संबंधित हैं, उन सभी की जानकारी हमारे छात्रों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध है कि किस इंस्टीट्यूशन में कौन सी बिल्डिंग है, प्रॉस्पैक्टस में जो विषय दिए गए हैं, अगर वे उससे मेल नहीं खाते तो छात्र और आभिभावक सीधा रेगुलेटर को कंप्लेन्ट

कर सकते हैं और रेगुलेटर उस संस्थान के खिलाफ कार्रवाई लेने करने का आधिकार भी रखता है और वे करते भी हैं।

मैं सभी सांसदों को आपके माध्यम से एक विशेष निवेदन करना चाहती हूँ। 15 अगस्त को हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने लाल किला से एक आह्वान किया। स्वच्छता आभियान का तो आह्वान किया ही, लेकिन विशेष रूप से एक पीड़ा को व्यक्त किया कि क्या हम यह संभावना अपने देश में नहीं देख सकते कि हर स्कूल में टॉयलैट हो? 17 अगस्त को एम.एच.आर.डी. के अंतर्गत वैबसाइट पर हमने देश में सभी जिलों में कहाँ सरकारी स्कूलों में टॉइलैट नहीं हैं, कहाँ डिसफंक्शनल हैं, इसकी जानकारी दे दी थी। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि सभी प्रदेश की सरकारों ने मिलकर प्रोजैक्ट अप्रूवल बोर्ड के अंतर्गत टॉयलैट्स के निर्माण के लिए जो पैसा एलोकेट होना था, वह पैसा एलोकेशन हो चुका है। सभी सांसदों को मैंने स्वयं पत्र लिखा है कि आपके अपने जिले में कितने टॉयलैट्स हैं, इसकी सूचना पहुँचाने का हमने प्रयास किया है। आप क्वार्टरली मीटिंग्ज़ लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर आप अपने डी.एम. से और कलैक्टर से पूछें कि आर्थिक प्रावधान होने के बाद मेरे जिले में, मेरी कांस्टीट्याएंसी में कितने टॉयलैट बने हैं तो बहुत कृपा होगी, क्योंकि इससे इस काम को और शक्ति और स्फूर्ति प्रदान होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, क्योंकि, समय की सीमा है, इसलिए इतना ही कहना चाहती हूं...(व्यवधान) मैं समय की सीमा को देखते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे ही अप्रैल का महीना आता है तो कई सांसद विचलित हो जाते हैं, केन्द्रीय विद्यालय की बहुत सारी कम्प्लेण्ट्स आने लगती हैं। वेणुगोपाल जी हंस रहे हैं, क्योंकि, उनके साथ मैं बैठक कर चुकी हूं। कई सांसद विचलित होते हैं कि पब्लिक से प्रैशर बहुत होता है, हम जनप्रतिनिधि हैं, कूपन की संख्या को कुछ सांसदों ने कहा है, अहमद जी कह रहे हैं, [अनुवाद] कृपया बताएं, ताकि यह आश्वासन बन जाए। [हिन्दी] कुछ सांसदों ने यह कहा है और अहमद जी जैसे प्रतिभाशाली, प्रभावी और बहुत ही

एक्सपीरिएंस्ड लोग, जो मंत्री स्वयं रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। छः से दस कूपन बढ़ाने का प्रयास मैं केन्द्रीय विद्यालय में करूंगी, मैं आज यह कह रही हूं।

इसी के साथ वे सभी सांसद, जिन्होंने आज शिक्षा के क्षेत्र में अपना समर्थन दिया है, उन सांसदों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और तथागत सत्पथी जी को विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की है कि विशेष रूप से शिक्षा में लैंग्वेज का क्या प्रभाव हो सकता है। आप सब को मैं अवगत कराना चाहूंगी कि सैण्ट्रल इण्डियन लैंग्वेज की जो मैसूर में इंस्टीट्यट है, उन्होंने 22 शेडूल्ड लैंग्वेजेज़ में 1080 बुक्स प्रकाशित की हैं, जो प्रादेशिक और ट्राइबल लैंग्वेजेज़ के साथ-साथ अंग्रेजी में भी हैं, अगर कोई भी सांसद इन किताबों का अपने संसदीय क्षेत्र के लिए लाभ उठाना चाहे तो हमसे सम्पर्क करें। हम ये किताबें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अश्विनी कुमार चौबे - उपस्थित नहीं।

अब, प्रो. सौगत राय।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, जो कुछ कहा जाना था और उत्तर दिया जाना था, वह सब कर दिया गया है। मुझे केवल एक छोटा सा स्पष्टीकरण मांगना है और एक छोटी सी अभ्यर्थना करनी है। मैं यह काम दो मिनट के अंदर कर दूंगा।

मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने बताया कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्वभारती के कुलपति के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त समिति के सदस्य कौन हैं। मैंने उनसे पहले बात की थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि

कुलपति पर जांच समिति की प्रतिवेदन 31 मार्च तक प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय उस पर निर्णय लेगा।

चूंकि उन्होंने विश्वभारती का उल्लेख किया है, मैं सिर्फ यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि विश्वभारती के प्रोफेसर और छात्र कुलपति को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए, इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए।

अंत में, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा दिए गए जुझारू और आक्रामक जवाब की सराहना करता हूं। ऐसा शायद उनकी अपनी पार्टी के भीतर से आ रहे दबाव के कारण हुआ होगा। ... (*व्यवधान*) लेकिन जिस तरह से उन्होंने डॉ. सुगाता बोस जैसे प्रख्यात इतिहासकार पर उंगली उठाई, वह लोक सभा में स्वीकार्य नहीं है। एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी मंत्री को किसी सदस्य पर उंगली नहीं उठानी चाहिए और न ही किसी सदस्य, खासकर प्रो. सुगाता बोस जैसे प्रख्यात इतिहासकार को बैठने के लिए कहना चाहिए।... (*व्यवधान*)

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रो. सुगाता बोस जैसे सदस्य के प्रति अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करें।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी. करूणाकरन।

... (*व्यवधान*)

श्री पी.करूणाकरन (कासरगोड): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,... (*व्यवधान*)

श्री कल्याण बनर्जी: महोदय, उन पर व्यक्तिगत रूप से हमला हुआ है। वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ... (*व्यवधान*) वह टीवी से नहीं आ रहे हैं। ... (*व्यवधान*) चाहे वह कोई भी हो, उन पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाना चाहिए। ... (*व्यवधान*) चाहे वह बाहर हों या वह यहाँ हों, (*व्यवधान*) उन्हें व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं करना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि उस दिन जब प्रोफेसर बोस बोल रहे थे तो मैंने काफी धैर्य दिखाया। आक्षेप लगाए गए, संदेह व्यक्त किए गए तथा व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की गईं। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने बैठकर सुना। मुझे उम्मीद थी कि तथ्यात्मक उत्तर पाकर मेरे प्रति भी यही शिष्टाचार दिखाया जाएगा। उनसे माफ़ी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। … (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: जिस तरह से आपने उन पर उंगली उठाई और उन्हें बैठने के लिए कहा, क्या एक मंत्री का व्यवहार ऐसा होना चाहिए? एक मंत्री को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी. करूणाकरन।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, प्रो. बोस।

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: उन्हें इस सभा के सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। … (*व्यवधान*)

श्री कल्याण बनर्जी: उनकी शैक्षिक योग्यता की सराहना की जाती है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: सभी सदस्य प्रतिष्ठित हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। केवल प्रो. बोस जो कहेंगे वही रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)...*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. सुगत बोस (जादवपुर): मुझे बस एक शब्द कहने दीजिए। … (*व्यवधान*)

मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे प्रोफेसर कहा गया था और बहस के दौरान मेरी ओर भी इशारा किया गया था। पिछले शुक्रवार को जब मैंने अपना भाषण दिया था, तो मंत्री महोदया ने हस्तक्षेप करना चाहा था और मैंने विनम्रतापूर्वक बैठकर उनकी बात सुनी थी। जवाब में मैंने बताया कि यह मानव संसाधन विकास की स्थायी समिति थी जिसने कहा था कि 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय असहाय लग रहा था और उन्हें नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जहां उन्हें भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा था।' तो, यही वह संदर्भ था जिसमें मैंने अपनी बात कही।

मैंने अपने देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और शिक्षकों के प्रति भी थोड़ा सम्मान रखने की अपील की। मैं समझता हूं कि आज पूरे देश ने देखा है कि इस सरकार में प्रोफेसरों और विद्वानों के प्रति किस प्रकार का सम्मान दिखाया जाता है।

यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस थी। मंत्री महोदय हमें भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण देने के बजाय पिछली यू.पी.ए. सरकार की निंदा करने में अधिक चिंतित थे। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील योजना जैसे सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में की गई नाटकीय, कठोर और दुखद कटौतियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। यह सबसे क्रूर कट था।

माननीय उपाध्यक्ष: मैं कोई भाषण नहीं चाहता। आप बस वही स्पष्टीकरण दीजिए जो आप देना चाहते हैं।

...(*व्यवधान*)

प्रो. सुगत बोस: मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि प्राथमिक विद्यालय के दिनों से लेकर अब तक किसी ने मुझसे इस तरह आदरपूर्वक खड़े होकर बैठने को नहीं कहा, जैसा कि आज इस देश के मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने किया।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, मैं बहुत विनम्रता और सम्मानपूर्वक यह कहना चाहूंगी कि प्रतिष्ठित पद का मतलब यह नहीं है कि सभा को गुमराह करने का अवसर मिलेगा। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब माननीय सदस्य ने तथाकथित इस्तीफे की बात कही तो उन्होंने सभा को गुमराह किया, क्योंकि जिस वैज्ञानिक की वे बात कर रहे हैं, वह बोर्ड का ही एक हिस्सा है।

महोदय, यह एक तथ्यात्मक मामला है और यह एक गंभीर मामला है क्योंकि संसद सदस्य ने सभा को गुमराह किया है, जाने-अनजाने में इसका जवाब वही दे सकते हैं। यह रिकार्ड में दर्ज है कि जिस आई.आई.टी. निदेशक की वे बात कर रहे हैं, वह आई.आई.टी. के ही कर्मचारी हैं, आई.आई.टी. के ही निदेशक हैं। इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रतिष्ठा *अपने आप में* सभा को गुमराह करने का प्रमाण पत्र नहीं है। प्रतिष्ठा *अपने आप में* कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि आप व्यंग्यात्मक टिप्पणी करें। वास्तव में, प्रतिष्ठा आपको कहानी का दूसरा पक्ष भी सुनने की जिम्मेदारी देती है।

मेरा अनुरोध है - (*व्यवधान*) मेरा अनुरोध यही है। तथ्यात्मक स्थिति, चाहे वह बजटीय हो या अन्य, पर मैंने उत्तर दे दिया है। उस दिन, जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, मैंने, चाहे अनुग्रह हो या न हो, खड़े होकर उनसे अपने शब्द वापस लेने का अनुरोध किया और वे इस बात पर बहुत दृढ़ता से बोले कि अपने शब्द वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि कोई आरोप लगाया जाता है, तो हम सभी को उसका उत्तर सुनने का विनीत भाव अवश्य होना चाहिए। मैं विनम्रतापूर्वक एवं अत्यंत सम्मानपूर्वक आपके माध्यम से इस माननीय सभा के समक्ष यह निवेदन करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री करुणाकरण।

… (*व्यवधान*)

श्री कल्याण बनर्जी: महोदय, आप मंत्री जी के अहंकार को देखिए। यह अहंकार है। ... (*व्यवधान*) यहाँ अहंकार अधिक है, और शासन भी अधिक है। ... (*व्यवधान*) यह आपकी सरकार है। आप यही हैं। ... (*व्यवधान*) यह मोदी सरकार है। आप अपना अहंकार सिद्ध करते हैं .... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: अब, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं किया जाएगा।

... (*व्यवधान*)... *

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय पूरे देश में कार्यरत हैं। बेशक, इसका समग्र शिक्षा प्रणाली में बहुत योगदान है, लेकिन साथ ही, इन स्कूलों में स्थानीय भाषाओं को पढ़ाने की अनुमति नहीं है।

माननीय मंत्री महोदया इस तथ्य से भली-भांति परिचित होंगी कि इस सभा में भी कुछ सदस्य हिन्दी या अंग्रेजी में नहीं, बल्कि अपनी स्थानीय भाषा में बोलना पसंद करते हैं। मैं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन साथ ही, जब छात्र अपना अध्ययन केन्द्रीय विद्यालयों या नवोदय विद्यालयों में पूरा करते हैं, तो वे अपना अध्ययन पूरा करने के बाद समाज के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होते हैं। मुझे इस बारे में पता है क्योंकि मेरी बेटी केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ चुकी है, लेकिन वह मलयालम नहीं लिख सकती। जहां तक कई सदस्यों या छात्रों के अभिभावकों का सवाल है, यह एक तथ्य है। क्या सरकार केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के पाठ्यक्रम में तमिल, मलयालम आदि स्थानीय भाषाओं को शामिल करने का निर्णय लेगी? ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: अब, श्री के.सी. वेणुगोपाल।

... (*व्यवधान*)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, मैं सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं बहस की अनुमति नहीं दे सकता, और एक पार्टी से केवल एक सदस्य को ही अनुमति दे सकता हूं, बस इतना ही।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। गृह मंत्री जी अपनी मांगों पर विचार किये जाने का इंतजार कर रहे हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, धन्यवाद। इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों ने एस.एस.ए., आर.एस.एम.ए. या आर.यू.एस.ए. के संबंध में बजटीय आवंटन के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इसमें भारी कटौती की सूचना दी गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये योजनाएं उसी तरह जारी रहेंगी जैसे हम पहले करते थे। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि केरल में धन की कमी के कारण एस.एस.ए. संसाधन व्यक्तियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ... (*व्यवधान*)

जब हमने राज्य सरकार के समक्ष यह विचार रखा तो राज्य सरकार की राय थी कि आवंटन के संबंध में वित्तीय संकट है। मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री जी को इस तथ्य की जानकारी है। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया, बैठ जाइए। आप पहले ही इस बहस पर बोल चुके हैं। फिर आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं?

... (*व्यवधान*)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, मैं यह केवल स्पष्टीकरण में कहूँगी। सबसे पहले, माननीय सदस्य ने विश्वभारती जांच के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में बात की। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इस तरह के प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता।

... (*व्यवधान*)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: विश्वभारती जांच दल ने जांच के लिए समय विस्तार की मांग की थी। चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस संबंध में अनुरोध किया गया था, इसलिए यह विस्तार दे दिया गया। मुझे बताया गया है कि विश्वभारती जांच समिति संभवतः आज अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकती क्योंकि मेरी अभी जांच अधिकारी से बात होनी बाकी है। लेकिन उन्होंने जांच की अवधि बढ़ाने की मांग की, और यही कारण है कि यह मार्च से आगे बढ़ गई, जैसा कि आपके प्रश्न में उजागर किया गया है।

जहां तक केरल के सदस्य श्री वेणुगोपाल का सवाल है, जो फंड की कमी के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले, 14$^{वें}$ वित्त आयोग के पास अधिक फंड होना चाहिए, जो राज्यों को हस्तांतरित किया गया है। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में, मैं विशेष रूप से यह कहना चाहूंगी कि परियोजना अनुमोदन बोर्ड, किसी भी राज्य को जो भी धनराशि दी जाती है, वह राज्य सरकार की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार ही राज्य सरकार के साथ मिलकर की जाती है। इसलिए, हमें राज्य सरकार द्वारा किसी भी तरह से सूचित नहीं किया गया है कि राज्य में ऐसी कोई चुनौती उत्पन्न हुई है। यदि आपके सामने कोई विशेष चुनौती है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया मुझे उसे लिखित रूप में दें। मैं राज्य से बात करूंगी और उस विशेष मुद्दे पर आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगी।

जहां तक सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.) के संबंध में बजटीय कटौती का प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं, उच्च शिक्षा में आबंटन में वृद्धि हुई है। जहां तक स्कूली शिक्षा के प्रमुख कार्यक्रमों का सवाल है, जैसा कि सरकार बार-बार कहती रही है, उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है।

जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का प्रश्न है, जैसा कि आप जानते हैं, केन्द्रीय विद्यालय भारत सरकार के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हैं। चूंकि ये सभी राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरणीय हैं, इसलिए हम उन्हें बता रहे हैं कि शिक्षा अलग-अलग भाषाओं में दी जानी चाहिए, जैसा कि बच्चा उपयुक्त समझे, ताकि किसी भी तरह से एकरूपता में बाधा न आए। केन्द्रीय विद्यालय दोनों बातों में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं - एक तो यह कि ये बच्चे उन कर्मचारियों के हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण हो सकता है, और दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि त्रि-भाषा नीति का वे पालन करें और उसका सम्मान करें। यह देखते हुए कि, केन्द्रीय विद्यालयों में भाषा नीति की यह एक बाधा है।

महोदय, मैंने संसद सदस्य, कल्याण *दा* के साथ स्थायी समिति में काफी वर्षों तक काम किया है। वह आज काफी उत्तेजित हैं कि मैंने प्रो. बोस से क्या बात की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि मैं मंत्रालय द्वारा किसी भी राज्य के साथ काम करने के तरीके में अपनी व्यक्तिगत आक्रामकता या गुस्से को नहीं लाती हूं। महोदय, एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि पश्चिम बंगाल राज्य में शिक्षकों की भर्ती के संबंध में एक चुनौती थी। वे इस विशेष वर्ष के लिए छूट चाहते थे क्योंकि राज्य में बड़ी चुनौती थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से राज्य के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के साथ मिलकर काम किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य के सामने ऐसी कोई चुनौती न आए और साथ ही शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहे। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहती हूं कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, केन्द्र सरकार, आज मेरी आक्रामकता या आक्रामक स्थिति से परे, राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी, क्योंकि अंततः

हम उन बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं जो इन संस्थानों में जाते हैं। वे भले ही वोट बैंक न हों, लेकिन वे वास्तव में बहुमूल्य अगली पीढ़ी हैं, जिनका पालन-पोषण हम सभी की देखरेख में करते हैं।

श्री कल्याण बनर्जी: इसीलिए मैंने केंद्रीय हॉल में आपका आभार व्यक्त किया है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री कोडिकुन्नील सुरेश और श्री भर्तृहरि महताब ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश, क्या आप अपने कटौती प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं जो आपने पहले ही पेश कर दिया है? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : वहां पर केन्द्रीय विद्यालय को जमीन मिल गया है।...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : मैडम, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : महोदय, मैं अपने सभी कटौती प्रस्तावों के लिए दबाव डाल रहा हूं। ... (*व्यवधान*)

केरल सरकार ने सभी जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आदर्श आवासीय विद्यालय शुरू किए हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इन आदर्श आवासीय विद्यालयों को भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता मिलती है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इन स्कूलों को कोई वित्तीय सहायता दी है। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : आपने पहले ही कटौती प्रस्ताव पेश कर दिया है और आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : महोदय, मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। मैंने एक और कटौती प्रस्ताव भी पेश किया है।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे आपके द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों का निपटारा करना होगा।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : महोदय, मैंने 12 कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। मुझे एक और बात कहने दीजिये। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : आप कटौती प्रस्तावों के अंतर्गत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मामले ला रहे हैं!

श्री कोडिकुन्नील सुरेश : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चेंगन्नूर और कोल्लम में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए दो स्थानों की पहचान की गई है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने पहले ही इन दो स्थानों की पहचान कर ली थी, लेकिन अभी तक मंत्रालय ने इन केन्द्रीय विद्यालयों को ही मंजूरी दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये केन्द्रीय विद्यालय कब शुरू किये जायेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव रखे गए और अस्वीकृत हुए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली दो बैठकों के बाद इतनी भावुक बातचीत और जवाब के बाद, मेरा कटौती प्रस्ताव वास्तव में महत्वहीन हो जाता है। मैंने ओडिशा के कटक जिले में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की मांग की थी। यह आश्वासन उस समय दिया गया था जब स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी जो वर्ष 2004 से वर्ष 2009 के बीच मानव संसाधन विकास मंत्री थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने विशेष रूप से उस स्थान का दौरा किया। ओडिशा

सरकार ने एक बड़े क्षेत्र का सीमांकन भी किया था। ओडिशा सरकार बार-बार इस मामले को आगे बढ़ा रही है। मैंने सोचा था कि कटौती प्रस्ताव लाने से यह मामला मानव संसाधन विकास मंत्रालय तक पहुंच जाएगा।

एक और बिंदु यह है कि हमारे पास 143 साल पुराना उच्च शिक्षा संस्थान है जिसे एकात्मक विश्वविद्यालय में बदल दिया गया है। यदि यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन जाता है तो यह ओडिशा राज्य के लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसे रेवेनशॉ विश्वविद्यालय कहा जाता है। ये दो प्रमुख कटौती प्रस्ताव हैं। मैंने ये दोनों कटौती प्रस्ताव सिर्फ इसलिए पेश किए हैं क्योंकि इस बार बजट में पहली बार उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। खोले जा रहे आई.आई.टी., आई.आई.एम., आई.आई.एस.ई.आर. के अलावा संबंधित विश्वविद्यालयों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं। मैं जानता हूं कि बहुमत की राय से इस बात पर जोर दिया जाएगा। लेकिन मेरी एकमात्र चिंता यह है कि इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पंजीकृत करा दिया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव सं. 32 और 33 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 59 और 60 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31वीं मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेख संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियाँ भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएँ।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2015-16 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	**मांग का नाम**	**सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि**	
		राजस्व (रु.)	पूंजी (रु.)
59	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	19889,42,00,000	--
60	उच्चतर शिक्षा विभाग	4475,88,00,000	--

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें पारित की जाती हैं।

(दो) गृह मंत्रालय

माननीय उपाध्यक्ष : सभा अब गृह मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 53 से 57 और 99 से 103 पर चर्चा और मतदान करेगी।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य जिनके गृह मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2015-2016 के लिए अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के भीतर अपनी कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाते हुए पर्चियां सभा पटल पर भेज सकते हैं। केवल वे कटौती प्रस्ताव, जिनके संबंध में पर्चियां निर्धारित समय के भीतर पटल पर प्राप्त हो जाएंगी, ही प्रस्तुत माने जाएंगे।

प्रस्तुत किए गए रूप में माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची उसके तुरंत बाद सूचना पट्ट पर डाल दी जाएगी। यदि सदस्यों को सूची में कोई विसंगति मिलती है, तो वे कृपया इसे तुरंत अधिकारी के ध्यान में ला सकते हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में गृह मंत्रालय से संबंधित मांग सं. 53 से 57 और 99 से 103 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31वीं मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेख संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियाँ भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएँ।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2015-16 में गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	**मांग का नाम**	**सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि**	
		राजस्व (रु.)	पूंजी (रु.)
53	गृह मंत्रालय	253,68,00,000	26, 40,00,000
54	कैबिनेट	69,50,00,000	-
55	पुलिस	9179,75,00,000	2297,59,00,000
56	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	480,17,00,000	66,43,00,000
57	संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को हस्तांतरण	282,67,00,000	12,00,00,000
99	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	547,79,00,000	95,61,00,000
100	चंडीगढ़	538,88,00,000	95,16,00,000
101	दादरा और नागर हवेली	99,75,00,000	51,49,00,000
102	दमन और दीव	229,59,00,000	67,32,00,000
103	लक्षद्वीप	162,47,00,000	30,00,00,000

<u>अपराह्न 3.54 बजे</u>

(श्री के.एच.मुनियप्पा *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सभा में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। देश में अगर खासकर सरकार का अस्तित्व जानना चाहते हैं तो इसी मंत्रालय के स्रोत से इसका महत्व प्रकट होता है। सरकार होम मिनिस्ट्री और रेवेन्यू मिनिस्ट्री से चलती है। देश में होम मिनिस्ट्री ठीक ढंग से काम करती है तभी सभी लोग महसूस करते हैं कि सरकार अच्छे ढंग से चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर सही है तो इंडस्ट्रीज भी लगते हैं और डेवलपमेंट भी होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो न डेवलपमेंट होगा, न इन्वेस्टमेंट होगा और न ही समाज में शांति रहेगी। मैं होम मिनिस्टर के वैयक्तिक क्षमता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सरकार को होम मिनिस्ट्री को जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व नहीं दिया गया है, ऐसा आप भी महसूस करते होंगे। किस विषय में कितने कट हुए हैं मैं उसका लिस्ट दूंगा, कितने डिमांड्स के पैसे को कम किया गया है और इसकी क्या वजह है, मुझे मालूम नहीं है? बजट में तीन प्रमुख विषय होते हैं। बजट सेशन में पहला डॉक्यूमेंट प्रेसीडेंट का स्पीच होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से सरकार की पॉलिसी का पता चलता है, होम मिनिस्ट्री के कार्यक्रम को भी स्पीच में बताए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति इकोनॉमिक सर्वे से ही मालूम होती है। आम बजट से यह पता चलता है कि कितना पैसा किस-किस डिपार्टमेंट को दिया गया है, चाहे होम डिपार्टमेंट हो, एडुकेशन डिपार्टमेंट हो, डिफेंस

डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो। बजट के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सरकार संबंधित विभाग को कितना महत्व दे रही है। [अनुवाद] लेकिन जब हम आम बजट का आंकड़ा देखते हैं, चाहे आम बजट का आंकड़ा हो, चाहे डिपार्टमेंट का मैनडेट हो, चाहे डिपार्टमेंट का विजन हो, चाहे डिपार्टमेंट गोल हो, चाहे डिपार्टमेंट की पॉलिसी हो, चारों फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसी को दी गई है।

अपराह्न 4.00 बजे

सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अगर किसी डिपार्टमैंट की है, तो वह होम डिपार्टमैंट की है। जब होम डिपार्टमैंट अलर्ट होकर काम करता है, तब लोगों को महसूस होता है कि सरकार जीवित है। आपको मालूम है कि गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के रूल्स 1961 के अनुसार, एलोकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के मुताबिक आपकी मिनिस्ट्री को नैशनल लैवल पर कुछ रिस्पौंसिबिलिटीज दी गयी हैं, जैसे मेनटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, सैंटर-स्टेट रिलेशन्स, सैंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, बॉर्डर मैनेजमैंट, डिजास्टर मैनेजमैंट आदि। इन रिस्पौंसिबिलिटीज को परफार्म करने की जिम्मेदारी आपकी है, यानी ये रिस्पौंसिबिलिटीज आपको दी गयी हैं। देश संविधान के अनुसार चलता है और उसके तहत हमें जो भी फंडामेंटल राइट्स या हकूक दिये गये हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के तहत उनकी रक्षा करने वाले भी आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम एजुकेशन डिपार्टमैंट को नहीं कह सकते कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच यह है, फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऐसा है, मेरे को लॉ एंड आर्डर की प्रॉब्लम है या मेरे व्यक्तित्व को धक्का पहुंचा। हम किसी और डिपार्टमैंट से नहीं पूछ सकते। अगर हमें किसी को पूछना है, तो वह आपको और आपके डिपार्टमैंट को ही पूछना पड़ेगा। इसलिए कांस्टीट्यशन की रक्षा करना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को आप निभायेंगे, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि आज आप जितनी भी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और जो कह रहे हैं, वह प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा। अब वह क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हो सकता है कि आपकी बात आपके लोगों तक पहुंच नहीं रही या वे

आपकी बात को मानना नहीं चाहते। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। मैं इसमें पोलिटिक्स नहीं करना चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने और इस देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने कई बार कहा है कि हम संविधान की रक्षा करते हैं और उसके तहत ही चलेंगे। संविधान में जो हकूक दिये गये हैं, उन्हें मजबूत करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। आपने यह एक बार नहीं सौ बार कहा होगा। आपकी सरकार को आये हुए एक साल भी नहीं हुआ, लेकिन इन 330 दिनों में आपने सौ बार यहां भी बोला है और बाहर भी बोला है। इसके अलावा जहां कहीं भी सभा होती है, उन सभाओं में भी आपने बोला है।

लेकिन क्या आपने इस देश के नागरिकों को वैसा विश्वास दिलाया है? क्या आपके विश्वास से वे नागरिक खुश हैं? अगर आप अपने इंटेलीजैंस, आई.बी., पुलिस के थ्रू पता करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत बड़ा फर्क है। यह डिपार्टमैंट बहुत ही इम्पोर्टैंट है, खासकर सब डिपार्टमैंट्स से ऊपर है। देश में सुव्यवस्था और शांति बनाये रखने की जिम्मेदारी इसी डिपार्टमैंट की है। इसलिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, यानी इतने बड़े देश में लॉ एंड आर्डर को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है।...(व्यवधान) बंगाल, असम और नार्थ-ईस्ट में से आपके आने की वजह से, जब आप ही गृह राज्य मंत्री हैं और आप ही वहां सब कुछ संभाल रहे हैं। जब कभी वहां का विषय आता है तो आपसे ही कहा जाता है क्योंकि आप वहां से हैं। मोदी जी हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग फेस रखते हैं। नार्थ-ईस्ट के लिए किसे भेजना है, उत्तर प्रदेश, बिहार में किसे भेजना है, साउथ में किसे भेजना है, सभी जगहों के लिए अलग फेस है। पालिटिकल मैनेजमेंट रखना ठीक है, लेकिन रिएलिटी अलग है। यह देखने की जरूरत है कि आप किस ढंग से देश को चला रहे हैं।...(व्यवधान) होम मिनिस्टर यहां एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उस समय मैं कर्नाटक का होम मिनिस्टर था। मैं हमेशा उनके पास आ कर फूड फार वर्क एंड अदर्स के लिए, क्योंकि मैं कर्नाटक का होम मिनिस्टर होते हुए भी प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आदि विषयों को देखता था। उस समय आडवाणी जी मार्डेनाइजेशन के लिए और दूसरे कई कामों के लिए एग्रीकल्चर विभाग में मदद करते थे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : आपकी इनसे पुरानी जान-पहचान है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं 35 साल से यहां हूं और स्वाभाविक है कि आपके पिताजी को भी मैं जानता था हालांकि उस समय हम बच्चे थे और मैं लगभग सभी को पहचानता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब : आप साठ साल पुरानी बात के लिए कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं सबको पहचानता हूं क्योंकि वे भी हमारे नेता थे। पहले कांग्रेस पार्टी में थे। अगर आप कांग्रेस के विरोध में हैं तो यह अलग बात है।...(व्यवधान) 'घर वापिसी' होती है तो उसे हम बाद में देखेंगे।...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : इसका मतलब आपने 'घर वापिसी' को स्वीकार किया है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*)...*

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : कांग्रेस में थे और कांग्रेस में आएंगे। इस बारे में जब कभी बात करेंगे तो उस समय कहूंगा।

आपके सामने आज बहुत बड़े सवाल है। एक सवाल लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिस्ट का है। प्रेजीडेंट स्पीच पैरा 45 में राष्ट्रपति जी से आपने कहलवाया कि -

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

"आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती हैं। मेरी सरकार प्रभावित लोगों और प्रभावित राज्यों की सरकारों के साथ समग्र सहयोग से इन चुनौतियों से निपटने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध है। "

[हिन्दी] आपको यह भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में और दूसरी बहुत-सी जगहों पर हादसे हुए। हमारे देश की इस समस्या को हल करने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अप्रैल में 72 घंटों के अंदर चार अटैक्स हुए, जिनमें करीब 13 लोगों की जान गई। बहुत आश्चर्य की बात यह है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में बहुत पीछे है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पैरा-45 में सरकार को इसके बारे में जितना जोर देकर कहना चाहिए था, वह दिखाई नहीं दिया। आपको मालूम है कि 2013 में जो घटना हुई और इसके पहले भी बहुत से हमारे कांग्रेस के नेता सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और अन्य 25 लोगों ने अपनी जान दी थी। तो यह जो मुद्दा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे सुलझाने के लिए सिर्फ भाषण से काम नहीं चलता है। यह कहना कि आपने क्या किया 60 वर्षों तक, उन्होंने 30 वर्षों तक क्या किया, इससे किसी समस्या का हल नहीं निकलने वाला है। आप क्या करने वाले हैं, यह महत्वपूर्ण है। आज बीमार आदमी को कौन-सी औषधि देकर, कौन-सा इंजेक्शन देकर उसके सेहत को ठीक करने वाले हैं। इस देश को ठीक करने की बात आपको कहनी चाहिए। यदि आप हमेशा पिछले 65 वर्षों के बारे में बोलते रहेंगे, तो हमें भी बोलना पड़ेगा। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पिछले 65 वर्षों में हमने क्या किया, यदि कुछ भी नहीं करते, तो आज इस देश में डेमोक्रेसी जिन्दा नहीं रहती। ...(व्यवधान) यदि इसका क्रेडिट जाता है, तो पं. जवाहर लाल नेहरू जी को जाता है, जिन्होंने कोशिश करके डेमोक्रेसी की बुनियाद डाली और उसके ऊपर आज हम लोग चल रहे हैं। ...(व्यवधान) इसलिए वह बिल्डिंग के ऊपर चल रहा है। अभी एक साल में आप उस पर चूना भी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन यह

कह रहे हैं कि 65 वर्षों में क्या हुआ? लोग साल-दो साल देखेंगे, उसके बाद उन्हें मालूम है कि आपकी क्या हालत होने वाली है?

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह नक्सलाइट प्रोब्लम बड़ी है। इसके लिए सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और खासकर जिस इलाके में इकोनोमिकल प्रोब्लम है या सोशल प्रोब्लम है, इन दोनों प्रोब्लम्स को ठीक करने के लिए आपके पास कौन-सा कार्यक्रम है? वहाँ पर आपने सड़कों के लिए थोड़ी राशि रखी थी, उसे भी इसमें कम कर दिया गया है। जो पैसे बॉर्डर एरिया में रोड के लिए थे या डोनर स्टेट, जो नार्थ-ईस्ट का है, आप अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, क्या डोनर स्टेट को जितनी राशि एलॉट हुई थी, वे सभी खर्च हो गयीं, यदि नहीं हुई है, तो खर्च नहीं होने की क्या वजह है? जब डेवलपमेंट होता है, तो बहुत से लोग क्यों इसके आड़े आते हैं, वह कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट के लिए हम आगे नहीं आ रहे हैं। आज आपकी भी हालत वही है। डोनर में जो पैसा एलॉट हुआ है और हमने इसका पूरा बैलेंसशीट निकालकर देखा है, तो इसमें पैसा खर्च नहीं हुआ है। जब पैसा खर्च नहीं होता है, तो कम से कम यह अच्छा है कि वह लैप्स नहीं होता है। वह पैसा वैसे ही रिज़र्व में रहता है, यह एक अच्छी बात है। लेकिन पैसा रिज़र्व में रखकर क्या करेंगे? पेट में खाना नहीं, लेकिन पैसा घर में है। यह बात पूरे नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में डोनर की है।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : डोनर के लिए अलग विभाग है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह अलग विभाग नहीं है, इनके विभाग में ही वह भी आता है। ...(व्यवधान) यह होम मिनिस्ट्री में ही आता है। यदि वे बोलेंगे तो मैं बैठ जाता हूँ। आप पूछिए। आप बहुत पढ़ते हैं, लेकिन यह बात कैसे नहीं पढ़े, यह मुझे मालूम नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री आर.के.सिंह (आरा) : डोनर के लिए अलग विभाग है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह होम मिनिस्ट्री में ही है। आप तो उसके सेक्रेट्री रह चुके हैं। यह होम डिपार्टमेंट में ही है। उसमें रहने की वजह से ही मैं भी मेम्बर के नाते वहाँ गया था। रिव्यू में आया था, उसी वक्त पैसे की भी बात आ गयी, वह पैसा खर्च नहीं हुआ, ये सारी चीजें मुझे मालूम हैं। डोनर का एक विभाग हो सकता है, लेकिन उसका जो आधिपत्य है, उसका जो हेड है, वह होम मिनिस्ट्री है। इसीलिए आप जरा इसे देखिए। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : डोनर के लिए एक अलग विभाग है। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप बहस मत कीजिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात कहिए, उनकी बातों का उत्तर नहीं दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : आज आप मेरी बात मान लीजिए। यह डोनर विभाग एक अलग विभाग है, केवल स्टैंडिंग कमेटी में वह होम मिनिस्ट्री का भाग है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हां, ठीक है भाई, मैं होम मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय, अब आप फण्ड्स को देखिए। नेशनल स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस एंड अदर फोर्सेज, यह इतनी महत्वपूर्ण स्कीम है कि सारे राज्यों की आप इससे मदद कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हर राज्य का काम है, लेकिन उसको मजबूत बनाना आपका भी काम है। अगर कोई राज्य लॉ एंड ऑर्डर में वीक हुआ तो नेचुरली उसका इफेक्ट आप पर भी होता है। जैसे नेपाल में कुछ हुआ, भारत पर उसका परिणाम आता है। इसीलिए उस वक्त तिब्बत के बारे में डाक्टर राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि तिब्बत को आप मजबूत बनाइए, उसको स्वतंत्र बनाए रखिए ताकि कल के दिन चीन डायरेक्टली भारत पर अटैक न करे। इसलिए आप कुछ भी

मुसीबत आने दो, लेकिन तिब्बत को आप मजबूत बनाइए। यह बात उन्होंने कही थी। वैसा आज हर स्टेट में वहां की पुलिस को आपको मजबूत करना है। मॉडर्नाइजेशन के लिए जो पैसे यूपीए सरकार ने दिए थे, आज एनडीए सरकार में वे नहीं हैं। मोर ऑर लेस आपने उसे कम कर दिया है, वह आज माइनस 98 प्रतिशत है यानि 1744 करोड़ रुपये वर्ष 2014-15 में थे, उनमें से अब 1709 करोड़ रुपये माइनस कर दिए गए हैं यानि अब हार्डली 35 करोड़ रुपये मॉडर्नाइजेशन के लिए रखे गए हैं। आज के जमाने में इनफ्लेशन है, प्राइस इंडेक्स बढ़ गया है, हर इक्विपमेंट का रेट बढ़ गया है, हर बिल्डिंग का रेट बढ़ गया है, अगर उसको अपडेट करना है, मॉडर्नाइज करना है तो आपके पास पैसा नहीं है। आप कहेंगे कि हमने स्टेट्स को दिया है। स्टेट के पास पैसे की कमी होती है, इसीलिए सेंटर से यह मॉडर्नाइजेशन स्कीम निकाली गयी। अगर आप हर चीज के लिए स्टेट को बोलेंगे तो कल हो सकता है कोई स्टेट उस पैसे को डायवर्ट करके किसी अन्य काम में लगा सकता है। जिस हेड में आप पैसा भेजते हैं, आपको कई राज्यों में नेचुरल कैलामिटीज के लिए जो पैसा जाता है या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जाता है, इवेन एजुकेशन का पैसा भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में डायवर्ट हो जाता है। यह लॉ एंड ऑर्डर प्राब्लम इतनी इम्पोर्टेंट है, आपने मॉडर्नाइजेशन को पूरी तरह से नेगलेक्ट किया है।

बॉर्डर मैनेजमेंट में 36 प्रतिशत कटौती हुई है। पुलिस के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल एक्मोडेशन में 31 प्रतिशत कमी हुई है। अगर घर नहीं है तो क्या पुलिस शान्ति से काम करेगी? आजकल लोग रेंटेड हाउस पुलिस को नहीं देते, वकीलों को नहीं देते, पॉलिटिशियन्स को नहीं देते क्योंकि उनको मालूम है कि एक बार पॉलिटिशियन ने मकान लिया तो वह किसी का घर छोड़ता नहीं, पुलिस ने लिया तो छोड़ता नहीं, वकील ने घर लिया तो छोड़ता नहीं। इसीलिए, पहले ही कोई पुलिस को घर नहीं देता है। ऐसे में उसकी रक्षा करना, उसको सपोर्ट करना आपका कर्त्तव्य है। इसमें आपने 31 प्रतिशत कटौती की है। उसी के बाद बिल्डिंग में 17 प्रतिशत कटौती की गयी। सेंट्रल प्लान आउटले में 13 प्रतिशत कटौती हुई है। सर्वे करने का काम, सेंशस का काम, जो आपका बहुत बड़ा काम है, जिसके आंकड़ों के

आधार पर ही आपका प्लान बनता है, योजनाएं बनती हैं, उस डिपार्टमेंट के बजट में 42 प्रतिशत कटौती की गयी है।

श्री भर्तृहरि महताब : रिवाइज्ड एस्टीमेट में लेकर आएंगे, यह प्ली कर दें।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : श्री खड़गे, आप कितना समय और लेंगे?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं पाँच से दस मिनट और लूँगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अब अपनी बात समाप्त करूं, तो मैं ऐसा ही करूंगा।

महोदय, मैं ये सभी बातें सभा के ध्यान में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये देश में कानून और व्यवस्था से संबंधित हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। वित्त और रक्षा मंत्रालय के बाद गृह मंत्रालय आता है। [हिन्दी] अगर होम डिपार्टमेंट ठीक रहे तो इसका मतलब यह होता है कि देश में शांति है। अगर होम डिपार्टमेंट में दम न हो तो देश में शांति नहीं रह पाती, कोई कुछ बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, कोई चार बच्चे पैदा करो ऐसा बोलता है तो कोई दस बच्चे पैदा करने की बात कहता है। लेकिन यदि आप मजबूत रहे तो कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा, वरना कोई चर्च जलाएगा, कोई मस्जिद जलाएगा तो कोई मंदिर को धक्का लगाएगा या कोई और इस तरह का स्टेटमेंट देगा।...(व्यवधान) गृह मंत्री जी समर्थ हैं, सीनियर हैं, वह आपकी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें मालूम है कि गली-गली में क्या हो रहा है।

सभापति जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई...(व्यवधान) आप बाद में भी इनसे बाद कर सकते हैं, अभी मेरी बात सुनने दीजिए। मुझे ताज्जुब हुआ आज जब गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे से पहले प्रधान मंत्री को मालूम हुआ और प्रधान मंत्री ने मुझे बताया। सारी इंटेलिजेंस आपके पास है या तो कुछ दिक्कत है होम डिपार्टमेंट में या तालमेल की कमी है जिससे पहले प्रधान मंत्री को पता चला और बाद में आपको पता चला। या कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के यहां से कि पहले मुझे बताओ,

बाद में होम मिनिस्टर को कहो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जब सारी इंटेलिजेंस आपके पास हैं, आई.बी. आपके पास है, आपको पहले रिपोर्ट होनी चाहिए।...(व्यवधान) ठाकुर साहब, आप बैठ जाएं। आपकी भी स्पीच मैं लेकर आया हूं। आपने क्या कहा था और सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा था, मैं पढ़कर बता सकता हूं। आपने कश्मीर के बारे में क्या कहा था, कश्मीरी पंडितों के रिहैब्लिटेशन के बारे में क्या कहा था, वह सब मैं बताऊंगा। इसलिए आप बैठ जाएं।...(व्यवधान) रात आठ बजे आईपीएल शुरू होने वाला है, आप बैठ जाएं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसे लाइटली न लें। यह या तो कम्युनिकेशन में गलती हुई है या जानकारी देने में, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि होम मिनिस्टर को सबसे पहले इत्तिला मिलनी चाहिए और फिर होम मिनिस्टरी से प्राइम मिनिस्टर को जानकारी मिलनी चाहिए। डायरेक्टली आपके सेक्रेटरी या जाइंट सेक्रेटरी को उन्हें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, आप इसे देखें और मेरी बात का बुरा न मानें। पीएमओ के सभी सेक्रेटरीज अगर आफिस चलाते हैं तो मंत्रियों की क्या आवश्यकता है...(व्यवधान) आप ऐसा कीजिए कि एक गुप्त मीटिंग बुलाएं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, जब पूर्व मंत्री बोलते हैं तो वे बहुत सी बातें कल्पना पर छोड़ देते हैं... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: नहीं, यह कल्पना नहीं है। वे आमतौर पर गृह मंत्री जी और फिर प्रधानमंत्री जी को सूचित करते हैं... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: श्री खड़गे, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम आपसे 100 टाइम्स बैटर हैं। निशिकांत जी आप गुप्त रुप से अगर मंत्रियों से पूछेंगे कि क्या हालत है तो वे आपको सही बात बताएंगे। वह तब आपको असलियत बताएंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इमीग्रेशन सर्विसेज में भी -63 परसेंट है। पुलिस मैमोरियल में सौ परसेंट कट है। एजुकेशन और ट्रेनिंग में -21 परसेंट है। अगर आप सभी चीजों को देखें तो सभी जगह माइनस-माइनस है। कम से कम 25 आइटम्स में कट है। अगर ये कट हो गए तो होम मिनिस्ट्री में एक और डिज़ास्टर बन सकती है। कल नेचुरल डिजास्टर हुआ, लेकिन यहां तो मैन मेड क्लामिटी हो जाएगी। मैन मेड क्लामिटी हमेशा सरकार की ओर से होती है। इसलिए इन सभी में ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। इसमें किसी प्रैस्टीज का सवाल नहीं है। यदि मुल्क में शांति रहेगी तभी इनवेस्टमेंट और इंडस्ट्री आएगी, लोगों को इम्पलोयमेंट मिलेगा और डेवलमेंट होगा। ये सभी इम्पोर्टेंट चीजे हैं।

मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैं जब बोल रहा था तो अनुराग ठाकुर साहब कुछ बोल रहे थे। उनका वर्ष 2012 का भाषण मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं- 'आज जो अलगाववाद की बात हम करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि ये किसी की देन है, सब को मालूम है और कांग्रेस पार्टी इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। देश की राजधानी में वहां के लोग आकर बयानबाजी करते हैं।' वे उठ कर चले गए हैं। आपका एक प्लेयर आउट हो गया।

माननीय सभापति : खड़गे जी, आप कनक्लूड कीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, यह महत्वपूर्ण है। 'जब मंत्रालय कुछ नहीं करता है तो किस कानून के तहत इन्हें जेल भेजें। आप उन पर लाठियां चलाते हैं, कौन, बाबा रामदेव जी, अण्णा हजारे जी, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठियां चलाते हैं और अरेस्ट करते हैं। अलगाववादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाते हैं।' ऐसा उन्होंने कहा था। ऐसा ही सुषमा स्वराज जी ने नीचे कहा है, मैं उस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके लोगों ने यह कहा और उस वक्त ओपोजिशन लीडर ने भी यह कहा- 'जो लोग अलगाववादी लोग हैं, जो देश के खिलाफ प्रचार करते हैं, एंटी-नेशनलिस्ट हैं, उनके लिए कांग्रेस का नरम रुख था।' आपका क्या रुख है? उस इलाके में जो लोग पाकिस्तान का झण्डा लेकर घूम रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। उनको जेल से छुड़ाया जा रहा है। देशद्रोही, एंटी-नेशनलिस्ट और सैप्रेटिस्ट की आप मुक्त कण्ठ से सराहना कर रहे हैं और जो लोग उनको मदद कर रहे हैं, उनके साथ आपकी सरकार बनी है। आज वहां सरकार पीडीपी और आपको मिलाकर बनी है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उस वक्त आपकी और नेशनल कांफ्रेंस की सरकार थी। उमर अब्दुल्ला की सरकार थी।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उस वक्त आपने यह सब बोला, इसलिए हम यह बोल रहे हैं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मेरे भाषण का समय समाप्त हो गया है। सभापति जी बार-बार घण्टी बजा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे सकता हूं। लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपने यह सब बातें कही थीं। लेकिन आपने उन्हीं एंटी-नेशनलिस्ट फोर्सिस से जो पाकिस्तान का झण्डा लेकर घूम रहे हैं, जिन्दाबाद कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप हैं। यह भी आप याद रखिए। मैं आपसे एक बार फिर से

विनती करना चाहूंगा कि इस देश में जो लोग इस देश को, इस समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हैं, उन बयानबाजी को बंद कीजिए। चर्च जिसके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, उनको बंद कीजिए। माइनोरिट के लिए घर वापसी के नाम पर जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, उनको बंद करने की कोशिश कीजिए।

आप महात्मा गांधी जी का नाम तो बहुत लेते हैं, उसके साथ-साथ ... * का नाम भी लेते हैं। इधर महात्मा गांधी को हार डालते हैं और ... * को जाकर नमस्ते करते हैं। यह भी चल रहा है...(व्यवधान) इसे होम मिनिस्ट्री ही बंद कर सकती है, डिफैंस मिनिस्ट्री के बंद करने का सवाल ही नहीं है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय, ... * शब्द को हटाइये।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नो, नो, कोई अनपार्लियामैन्ट्री नहीं है। [अनुवाद] आप गांधी जी को हार भी डालते हैं और ... * को नमस्ते भी करते हैं, क्या यह अनपार्लियामैन्ट्री है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: मैं देखूंगा।

... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: यह असंसदीय नहीं है। ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: मैं इसे देखूंगा।

... (*व्यवधान*)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसीलिए मैं आपकी ओर से मैं माननीय गृह मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि ऐसी बयानबाजी को बंद करो, शांति रखो और शांति के साथ इस देश को चलाओ और सभी के मन में जो एक आशंका है, उस आशंका को दूर करो और इसे मजबूत बनाकर हर राज्य के लिए माडर्नाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की कोशिश होनी चाहिए, अन्यथा सिर्फ बयानबाजी में ही हमारा वक्त जायेगा।

इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: जो माननीय सदस्यगण अपना लिखित भाषण सभा के पटल पर रखना चाहते हैं, कृपया उसे सभा के पटल पर रखें।

कटौती प्रस्ताव के पाठ

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो हमारे सम्मानित कांग्रेस दल के नेता ने शुरूआत की थी, मैं उनकी कुछ बातों के समर्थन से ही अपनी बात शुरू करता हूं। उनकी यह बात सही है कि जब तक देश में शांति नहीं होगी, क्षेत्र में शांति नहीं होगी, कोई भी विकास कार्य वहां नहीं हो पायेगा, यह बात सही है। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं। इसके अलावा उन्होंने तिब्बत का जिक्र किया कि तिब्बत को आजाद रहने दिया गया होता, मजबूत किया गया होता और जो डॉ. अम्बेडकर ने राय दी थी, डा.लोहिया ने राय दी थी, यदि उसे माना गया होता तो शायद वह पूरा क्षेत्र शांत रहता। लेकिन मैं नेता कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं कि यह सलाह डॉ. अम्बेडकर ने और डा.लोहिया ने किसको दी थी और जिन्हें दी थी, उन्होंने क्या किया। आप थोड़ा उनका नाम भी ले देते, जिन्होंने डा.लोहिया और डॉ. अम्बेडकर की सलाह नहीं मानी कि तिब्बत को आजाद रहने दिया जाए, उनका भी नाम ले देते, उनके बारे में भी दो शब्द कह देते कि उन्होंने कितना बड़ा पाप इस देश की आजादी के लिए, यहां की शांति के लिए किया है तो आपको अच्छा लगता। आपने जिक्र तो कर दिया, लेकिन उन्होंने सलाह किसको दी थी और वह सलाह कितनी मानी गई।

मान्यवर, मैं एक अपील करना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं और क्योंकि देश को उनसे बहुत उम्मीदें हैं, देश को प्रधान मंत्री जी से भी बहुत उम्मीदें हैं कि कश्मीर में पहली बार एक ऐसी सरकार बनकर आई है, जो पूरे जे.एंड के. का प्रतिनिधित्व करती है और उस सरकार को गिराने के लिए, उस सरकार को फेल करने के लिए हर तरह की ताकत लगी हुई है। कितनी शक्ति आप उस सरकार को प्रदान करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, यह वहां की आंतरिक बात नहीं है, इस काम को कराने के लिए शायद यहां से भी कुछ ताकतें लगी हुई हैं और कुछ ताकतें बाहर की भी लगी हुई है। उस स्थिति को आपको संभालना है और हमें विश्वास है कि आपके

नेतृत्व में अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद में वह सरकार ऐसी सफल सरकार सिद्ध होगी कि कश्मीर जो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, शायद इसके बाद वहां कोई ताकत सिर उठाकर न कह सके कि कश्मीर का कोई विवाद बाकी है, ऐसा मुझे विश्वास है और प्रधान मंत्री जी जैसे मजबूत नेता हमें मिले हैं, गृह मंत्री जी जैसे मजबूत नेता हमें मिले हैं तो ये समस्याएं जो आपने पचास साल से पैदा की हुई हैं, उन समस्याओं का समाधान दस महीने में नहीं निकलता। आप कुछ समय तो दीजिए, दस साल का कुशासन बनाम दस महीने की सरकार की अगर हम तुलना करें तो आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ समय चाहिए कि नहीं चाहिए।

महोदय, इसी के साथ मैं आंतरिक सुरक्षा तक ही अपने आपको सीमित रखूंगा। आंतरिक सुरक्षा को हम थोड़ा आगे ले जाएं और देश के चारों तरफ जो एक वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण की तरफ भी हम ध्यान दें, क्योंकि आज कुछ ऐसी बात हो गई। इस वातावरण को दूषित करने के लिए, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा उस बात से प्रभावित है। हमें समझना पड़ेगा कि इन ताकतों को समर्थन कहां से मिल रहा है। आप गए थे, और आपसे मांग की गई वहां, मैंने पढ़ा कि वहां के सुरक्षा कर्मियों ने आपसे मांग की कि हमको हथियार दीजिए, हमको एके-47 दीजिए। मान्यवर, मेरा विशेष आग्रह आपसे यह है कि अगर आज हमारे आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए जवान इस बात की मांग करते हैं कि हमको एके-47 चाहिए, क्योंकि अब तक किस तरह के हथियार उन लोगों के पास हैं और किन लोगों का वे मुकाबला कर रहे हैं? क्या इन हथियारों के आधार पर मुकाबला हो पाएगा? मैं चाहता हूँ कि सर्वोच्च प्राथमिकता दे कर हमारे अर्धसैनिक बल जो वहां पर लगे हुए हैं, उनको पूर्ण समर्थन भी मिले, हथियार भी मिलें और एक मज़बूत नीति भी मिले, क्योंकि मज़बूत नीति का भी अभाव रहा है। इसलिए अभाव रहा है क्योंकि वहां पर मार्गदर्शन क्लियर नहीं मिला है। आखिर क्या बात है कि जहां भी हमारे अर्धसैनिक बल मूवमेंट करते हैं, वहां माओवादियों को उनसे पहले सूचना मिल जाती है। कैंप में जाते हैं, वहां पर उनको सूचना मिल

जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकल पुलिस में और इनमें समन्वय का अभाव है। इस बात का भी परीक्षण होना चाहिए और अगर अभाव है तो हमें सोचना पड़ेगा कि अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को हम कैसे मज़बूत करें।

मैं केवल सुझाव तक अपनी बात को सीमित करना चाहता हूँ कि यह जो एक बहुत बड़े एक्टिविज्म के पैरोकार बने हुए हैं, जिसमें कहा जाता है, मानव अधिकार का उल्लंघन कर दिया। दो आतंकवादी मारे जाएंगे तो चर्चा हो जाएगी कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया और हमारे जवान शहीद हो जाएंगे तो कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं होगा। एक ही महीने में, अप्रैल के महीने में इतने जवान शहीद हो जाएं, यह दुख की बात तो है । किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हुई होगी, वे सेवा में गए होंगे, अपने घर के लिए और अपने परिवार के लिए वे कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन शहादत तो तब होती मान्यवर जब सामने से मुकाबला होता। धोखा लगा कर के पीछे से उनको मार दिया जाए और वे अपनी डैडबॉडी भी न उठा सकें? चिंता की बात तो यह है ही और इन बातों के बारे में विचार करना पड़ेगा कि हम इस मानवाधिकार के कवच में कब तक खड़े रहेंगे। जो लोग इसका प्रचार कर के हमारे सैनिकों को बदनाम करते हैं, हमारे अर्धसैनिकों को बदनाम करते हैं, अब आज समय वह आ गया कि उसको पूर्णतः इग्नोर किया जाए। हमें अर्धसैनिकों और जवानों को सीधा-सीधा मार्गदर्शन देना होगा कि आपका क्या मिशन है। उनका मिशन घबराने का नहीं है, उनका मिशन पीछे हटने का नहीं है। उनका मिशन उनको चिन्हित कर के जो लोग इस काम पर लगे हुए हैं और नागरिकों को मार रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों के अंदर 20 हज़ार नागरिक हताहत हो जाएं, और कोई सरकार रहे या नहीं तब मुझे तो चिंता का विषय इसी बात के ऊपर है कि उन सरकारों के रहते हुए 20 हज़ार लोग मारे गए जो मासूम लोग थे। न जाने कितने हमारे अर्धसैनिक भी मारे गए। यह गलत नीतियों का ही तो परिणाम रहा होगा। आज उन नीतियों को ठीक करने की आवश्यकता है। नीतियों को ठीक किया जाए।

बंगाल में जाएं, क्योंकि हमारे सामने दो ताकतें ऐसी लगी हुई हैं, इत्तेफाक की बात है कि इतिहास ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय यह किया कि देश की आजादी के लिए संघर्ष तो किया बहुत लंबा, लड़ाई भी लड़ी, शहादत भी दी, लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद में, दोनों कोनों के ऊपर कौन लोग बसे हुए हैं, चाहे पश्चिम में पाकिस्तान में हो, चाहे बंग्लादेश लग गया हो या बंग्लादेश के बाद में जो चारों तरफ हमारे देश लगे हुए हैं, आज वहां पर आंतरिक सुरक्षा को ले कर के इतना खतरा पैदा हो गया है, कहीं इस्लामिक स्टेट के नाम से देश के देश बर्बाद किए जा रहे हैं, समाज के समाज बर्बाद किए जा रहे हैं। हम इस बात से शांति से नहीं बैठ सकते हैं कि वे इस्लामिक स्टेट के लोग केवल वहीं तक सीमित रहेंगे, अगर हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं करेंगे, अपने सैनिक बलों को मज़बूत नहीं करेंगे तो वे हिंदुस्तान में भी आने का दुस्साहस कर सकते हैं। क्योंकि हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ चीन, बंग्लादेश, पाकिस्तान और पाकिस्तान के पार तमाम देश उस आतंक के शिकार हैं, एकमात्र भारतवर्ष बचा है। भारतवर्ष को बचाने की अहम भूमिका आज हमारे गृह मंत्रालय पर है। मतलब मुझे विश्वास है कि आपके सक्षम हाथों में हम लोग इस आंतरिक सुरक्षा से पार पा सकेंगे, इसमे मुझे कोई संदेह नहीं है। परन्तु फिर भी हमें सीधी-सीधी नीति बनाकर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। यह मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं।

मंत्रालय में तो बहुत सी बातें हैं, आंतरिक सुरक्षा तो केवल उसका एक हिस्सा है। अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो आंतरिक सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं होगी। मेरा सौभाग्य रहा कि तीन-साढ़े तीन साल मुझे कश्मीर में रहकर एक सैनिक के रूप में वहाँ पर सेवा करने का अवसर मिला। मैं वहाँ के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हूँ कि वहाँ क्या समस्या है, क्या नहीं है। पाकिस्तान के हमले भी हुए और उस हमले के दौरान भी मेरा सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर रहा। मैंने वहाँ पर देखा है, वहाँ बहुत तरीके से लोगों को भड़काया जाता है। हिंदुस्तान के खिलाफ उनके दिमाग में जहर भरा जाता है। आज जो सरकार बनी है, आपका पूरा समर्थन उस सरकार को मिले और यह कोशिश हो कि हमारी राज्य सरकार ही सामने खड़ी होकर

उन ताकतों का मुकाबला करे तो एक बहुत बड़े इतिहास की रचना होगी और आगे जाकर भी हमें उसका बल मिलेगा। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ।

मैं सामान्य कानून व्यवस्था की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दिल्ली हमारे देश का दिल है। अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो यह पूरे देश के सामने आइना होगा। आखिर क्या कारण है, दिल्ली की हालत क्यों नहीं सुधर पा रही है? जो अभी घटना हुई, उसका दुःख तो सभी को है।...(व्यवधान) मैं किसी का नाम क्यों लूँ? उस घटना की जानकारी सभी को है। मुझे इस बात का दुःख है, लोग इस बात का बुरा न मानें, जो तथ्य आहिस्ता-आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं, एक आदमी के जीवन की चिंता न करके केवल कुछ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए तमाम घटना की रचना करना, इसकी जाँच चल रही है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो जाँच अब तक सामने आई है और मीडिया में भी आनी शुरू हो गई है, हम लोग कहाँ जाएंगे, इस राजनीति को कहाँ तक ले जाएंगे हम लोग? अगर इस प्रकार के हम काम करेंगे, एक-दूसरे को बदनाम करने के लिए इस प्रकार के षडयन्त्र करेंगे, यह चिंता का विषय है और आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए।

दूसरी बात, नारी की सुरक्षा। मैं खास तौर से दिल्ली की बात कह रहा हूँ, क्योंकि बाहर कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, केवल दिल्ली बची है। केन्द्र सरकार का दायित्व है दिल्ली को सुरक्षित करने का और दिल्ली का संदेश पूरे देश में जाता है। अभी तक यहाँ नारी की सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई? आखिर पुलिस की क्या कमी है? साढ़े पांच हजार करोड़ रूपए का आपने केवल दिल्ली को बजट दिया है और इतना बजट देने के बाद में भी, गाड़ियाँ उनके पास हैं, वायरलेस उनके पास हैं, सुरक्षा के सारे उपकरण उनके पास हैं, नई टेक्नॉलाजी उनके पास में हैं, तो इसका भी सुधार करने की आवश्यकता है। क्या समन्वय की कमी है? आसपास के जिले दिल्ली को पुलिस फोर्स से फीड करते हैं। कहीं न कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण हैं। आप उनके बारे में जानते होंगे, उसके अंदर जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक दिल्ली ठीक नहीं होगी, आसपास के प्रदेशों

में भी उसका असर ठीक नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने समन्वय कराने का काम किया, प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से खुद इस काम में रूचि ले रहे हैं, मुझे उम्मीद है, अभी हमें दस महीने हुए हैं, दस महीने में बहुत सी समस्याओं का समाधान भी किया है, आगे चलकर एक अच्छा संदेश पूरे देश को मिलना चाहिए कि दिल्ली में आज एक अलग प्रकार का वातावरण बना है, ऐसा मेरा विश्वास है।

मान्यवर, जहाँ तक बंगाल की बात आई, असम की बात आई, यह जो घुसपैठिया वर्ग है, जो बाहर के देशों से आकर घुसपैठ कर रहा है, क्या वह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? ये कौन लोग हैं? यह भी संदेश जाना चाहिए, यहाँ तो बहुत कह रहे हैं, हमारे नेता जी कहते ही बाहर चले गए कि चर्च पर हमले हो रहे हैं, फलां पर हमले हो रहे हैं, यह पार्टी और यह सरकार तो कभी इस बात को स्वीकार कर ही नहीं सकती और आपने बहुत मजबूती के साथ एक बयान भी दिया कि हम इस प्रकार के तत्व को दबाकर रहेंगे। हर आदमी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन साथ-साथ इस बात पर भी विचार हम करें कि जहाँ कभी एक वर्ग दस प्रतिशत होता था, आज वह एक प्रतिशत भी नहीं रहा। जबर्दस्तीी उनको निकालकर हिंदुस्तान में भेजा जा रहा है, पूर्व वाली सीमा में यही हो रहा है। उनके नाम से बाकी लोग, घुसपैठिए भी आ रहे हैं। असम का आज पूर्णतया नक्शा बदल गया है या नहीं बदल गया है, कौन लोग वहाँ आकर बसे हैं, वे कैसे वहाँ पर शान्ति से रहने देंगे? हमारी सीमाओं पर जो बॉर्डर लगा है, उसके ऊपर सुरक्षा बल मजबूती से तय करें ताकि बाहर से घुसपैठ न हो। किस प्रकार से यूरोप ने अपने आपको सुरक्षित कर लिया, किस प्रकार से अमरीका और मैक्सिको भी मिले हुए हैं, अमरीका और कनाडा भी मिले हुए हैं। आखिर वहाँ यह समस्या क्यों नहीं पैदा नहीं हो रही, यहीं पर समस्या क्यों आकर पैदा होती है, इस बात को हमें जानना चाहिए और इस पर हमें चिन्तन भी करना चाहिए कि कैसे उसको रोका जा सकता है। जब तक इनको नहीं रोका जाएगा, कुछ न कुछ अशांति यहाँ बनी रहेगी। हाँ, कुछ घटनाएँ इस प्रकार की हुई हैं और बहुत से लोगों को उन घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार करने का अवसर भी मिला। मुझे विश्वास है कि वे तत्व भी, जो जान-बूझकर इन घटनाओं को करके, हमारे देश को

और हमारे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, वह खुद भी चिन्तन और मनन करेंगे इस बात के लिए, और साथ-साथ जो जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार भी उस जिम्मेदारी को निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

मान्यवर, प्रशिक्षण की बात है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। आज हमारा ध्यान उस पर जाने की आवश्यकता है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे जो जवान जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग की हमने समुचित व्यवस्था की या नहीं।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह : मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं दोबारा घंटी बजाने का अवसर नहीं दूँगा।

महोदय, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हमने की या नहीं। मान्यवर, मैंने भी जाकर एक-दो संस्थाओं को देखा। उनको इंप्रूव करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरे पास जवान आते हैं। मान्यवर, मन को दुख होता है जब कोई जवान मुझसे कहता है कि मैं छत्तीसगढ़ नहीं जाना चाहता, मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। मैं फलां जगह झारखंड नहीं जाना चाहता, पाँच साल हो गए, मेरी ट्रांसफर करा दीजिए। आज जवानों में हीन भाव नहीं आना चाहिए। मैंने कभी किसी सैनिक को यह कहते नहीं सुना कि मैं कश्मीर नहीं जाऊँगा। यह भावना हमें इसलिए दूर करनी है कि उन जवानों का मनोबल तभी बढ़ पाएगा जब उनको अच्छा इक्विपमैंट मिलेगा, अच्छे हथियार मिलेंगे, और उनको इस बात की गारंटी होगी कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है तो शायद यह नौबत नहीं आएगी। मेरे लिए घंटी बज गई। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

*__श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):__ सोलहवीं लोक सभा के लिए वर्ष 2014 के चुनावों में भारतीय मतदाताओं ने लगभग तीन दशकों के अंतराल के बाद किसी एक पार्टी को सकारात्मक, निर्णायक जनादेश दिया। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर नरेन्द्र मोदी सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना। सुधार के पिछले प्रयासों के बावजूद, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा समन्वय के अभाव, आपसी संघर्ष और मानव संसाधनों की कमी से ग्रस्त है। इनमें से कई समस्याएं प्रणालीगत बीमारियों के लक्षण हैं, इसलिए इन पर समग्र पुनर्विचार की आवश्यकता है।

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। अतीत में, उच्च रक्षा संगठन सहित राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना को प्रभावित करने वाली बुराइयों को दूर करने के लिए टुकड़ों में प्रयास किए गए हैं। समस्याओं की 'व्यवस्थागत' प्रकृति को देखते हुए, टुकड़ों में सुधार के बजाय समग्र सुधार की आवश्यकता है।

देश में नक्सल समस्या, विशेषकर झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में नक्सल समस्या, एक ऐसा मुद्दा है जो सभी को अच्छी तरह ज्ञात है। मैं सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता हूं। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर देते हुए एक व्यापक कार्य योजना के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मैंने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा है।

सरकार ने देश के विभिन्न भागों में नक्सल समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित 78 जिलों की पहचान की है और इस उद्देश्य के लिए रु. 15,000 करोड़ आवंटित करके उनके सर्वांगीण विकास के

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इस संबंध में, मैं सरकार के ध्यान में कुछ तथ्य और आंकड़े लाना चाहूंगा, जो सरकार को इस गंभीर समस्या से अधिक प्रभावी तरीके से निपटने में मदद कर सकते हैं।

मैं झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड देश के सबसे बुरी तरह नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक है और संथाल परगना, जिसमें छह जिले (दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज) शामिल हैं, देश में नक्सली गतिविधियों का केंद्र है।

सरकार के ध्यान में यह लाना उचित होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड जी ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में खुलासा किया था कि उन्होंने संथाल परगना क्षेत्र में पांच साल गुप्त रूप से बिताए थे। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र नक्सली गतिविधियों के लिए आदर्श, उपजाऊ और सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है। इस क्षेत्र की सीमाएं नेपाल और बांग्लादेश से लगती हैं, इसके अलावा पहाड़ी और घने जंगल भी हैं। इसके अलावा, कोई विकास नहीं होने से अत्यधिक गरीबी और पूर्ण अभाव की स्थिति पैदा हो गई है।

इस क्षेत्र के लगभग 75% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। साक्षरता का स्तर बहुत कम है। गरीब आदिवासी लोगों में बाहरी दुनिया के बारे में कोई जागरूकता नहीं है, क्योंकि सड़क या रेल संपर्क की कमी के कारण वे बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। इसलिए स्थानीय लोग पूरी अज्ञानता में नक्सलियों को शरण देते हैं। चूंकि वहां कोई कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी ढांचा नहीं है, इसलिए प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ है। यदि जल्द ही कुछ ठोस नहीं किया गया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है और देश में दंतेवाड़ा जैसी एक और घटना देखने को मिल सकती है। सरकार को खुफिया जानकारी मिल सकती है और मुझे यकीन है कि वे मेरी बातों से सहमत होंगे।

इस पृष्ठभूमि में, मेरा दृढ़तापूर्वक सुझाव है कि संथाल परगना क्षेत्र के छह जिलों (दुमका, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज) को भी गंभीर रूप से नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय ने पहले ही इन छह जिलों में से तीन को एस.आर.ई. सूची में शामिल कर लिया है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि गृह मंत्रालय स्वयं स्वीकार करता है कि यह क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित है। यदि इन जिलों को अब तक पहचाने गए 78 जिलों के समान प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो सरकार की पहल, चाहे कितनी भी अच्छी मंशा और क्रियान्वयन के साथ की गई हो, केवल आंशिक रूप से ही सफल होगी। यहां तक कि 12$^{वीं}$ पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी पिछड़े, सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों में समावेशी विकास में तेजी लाकर सामाजिक और क्षेत्रीय समानता (अध्याय 11 देखें) पर जोर दिया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर गौर करें और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें, क्योंकि वे इस समस्या की गंभीरता को पूरी तरह समझते हैं।

इसके अलावा, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगा हुआ है और इसलिए यह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयात और अंतर्वाह के लिए अतिसंवेदनशील है, जो इस क्षेत्र के नाजुक संतुलन को प्रभावित कर रहा है।

वर्ष 1855 का संथाल विद्रोह एक अच्छी तरह से प्रलेखित ऐतिहासिक घटना है जो उस महत्व को रेखांकित करती है जिसके लिए मैं अनुरोध करने जा रहा हूँ। स्थानीय संस्कृति, भाषाएं और बोली तथा क्षेत्र का समग्र इतिहास, केन्द्र सरकार तथा आप जैसे मंत्रियों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है।

मैं आपका ध्यान विशेष रूप से दो स्थानीय भाषाओं - अंग भाषा और संथाल भाषा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। एक व्यापक कार्य योजना की तत्काल आवश्यकता है जिसमें इन भाषाओं के विकास पर विशेष जोर दिया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मैं आपसे तत्काल कदम उठाने का

अनुरोध करूंगा: देवघर स्थित दूरदर्शन केंद्र ऊपर उल्लिखित दो भाषाओं में स्थानीय कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करे। प्रस्तावित गोड्डा एफ.एम. स्टेशन का उन्नयन।

मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन पहलों के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यवहार्यता होगी, क्योंकि देवघर शहर पूर्वी भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक राजधानी है और हर साल 50 मिलियन से अधिक तीर्थयात्री यहां आते हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र अब भारी नक्सल प्रभावित है, जिसका स्थानीय युवाओं पर प्रभाव पड़ रहा है, तथा बांग्लादेश सीमा के साथ निकटता के कारण, घुसपैठियों के आने से जनसांख्यिकीय चरित्र बदल रहा है, जिसका स्थानीय संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस क्षेत्र में कई लघु उद्योग स्थित हैं और इन्हें बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से अधिक, यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है कि भारत के इस लंबे समय से उपेक्षित क्षेत्र को कुछ महत्व और वरीयता मिले, ताकि इसे पिछड़ेपन से ऊपर उठाकर एक नए युग की ओर ले जाया जा सके। समर्पित दूरदर्शन केंद्र के उपकरण इस दिशा में काफी मददगार साबित होंगे।

वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रीय स्तर पर शासन संरचनाओं की कार्यात्मक अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न शून्यता में काम करते हैं, स्थानीय मांगों का समर्थन करते हैं, तथा वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में व्याप्त असंतोष और कथित उपेक्षा और अन्याय की भावना का फायदा उठाते हैं। वामपंथी उग्रवादियों द्वारा हिंसा और आतंक के माध्यम से रेलवे, सड़क, बिजली और दूरसंचार जैसे बुनियादी ढांचे सहित विकास कार्यों के क्रियान्वयन को रोकने और क्षेत्रीय स्तर पर शासन संरचनाओं को अप्रभावी दिखाने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। भारतीय राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र संघर्ष का सी.पी.आई. (माओवादी) का दर्शन हमारे संसदीय लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है और इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। सरकार ने माओवादियों से हिंसा त्यागने और बातचीत के लिए आने का आह्वान किया है, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया है।

भारत की आर्थिक प्रगति की योजना बनाने, देश के विदेशी संबंधों को आकार देने, रक्षा आधुनिकीकरण की योजना बनाने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं में सुधार लाने, संसाधन नियोजन, आंतरिक सुरक्षा और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रणनीति महत्वपूर्ण है। ऐसी रणनीति भारत की आकांक्षाओं, सुरक्षा चुनौतियों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भारतीय प्राथमिकताओं को निर्धारित करेगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एन.एस.सी.एस.) को विभिन्न क्षेत्रों में समग्र मध्यम से दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने का कार्य सौंपा जा सकता है। एन.एस.सी.एस. एक समन्वय तंत्र के रूप में भी कार्य कर सकता है जो सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को एक साथ लाकर इन रणनीतियों को क्रियान्वित करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एन.एस.ए.) वह आधार है जिसके चारों ओर एन.एस.सी. प्रणाली संचालित होती है। समय के साथ एन.एस.ए. की भूमिका का विस्तार हुआ है। इसलिए एन.एस.ए. की मुख्य समर्थन संरचना का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, एन.एस.ए. और एन.एस.सी. प्रणाली को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होने के लिए, उसे विभिन्न स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने और उसे एक ठोस राष्ट्रीय रणनीति में समाहित करने में सक्षम होना चाहिए।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सी.डी.एस.) के पद पर निर्णय लंबे समय से लंबित है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चाहे हम उसे कोई भी नाम दें, वह ऑपरेशनों के क्रियान्वयन की योजना बनाने तथा बल नियोजन प्रक्रिया में अंतर-सेवा समन्वय को बढ़ावा देगा। यह प्रणाली संकट के दौरान तेजी से निर्णय लेने को सुनिश्चित करेगी तथा अंतर-सेवा विवाद समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगी। प्रणाली के कार्यान्वयन में वर्तमान प्रणाली की कमियों को दूर किया जाना चाहिए तथा भारतीय स्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशुद्ध 'भारतीय' समाधान विकसित किया जाना चाहिए।

"कारगिल समीक्षा समिति के प्रतिवेदन के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार" पर मंत्री समूह की वर्ष 2001 की प्रतिवेदन में हर पांच साल में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की व्यापक समीक्षा की सिफारिश की गई थी। मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को नया स्वरूप देने की प्रक्रिया ऐसी समीक्षा के साथ शुरू की जा सकती है।

सरकार द्वारा बनाई गई रणनीति और नक्सली आंदोलन से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के साथ मिलकर चलाए गए बड़े पैमाने पर समन्वित अभियानों के कारण इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उनके कार्यकर्ताओं को खत्म करने की लड़ाई जीत जाएगी, हालांकि इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में उनके समर्थक माने जाने वाले समुदायों को काफी मानवीय कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन क्या सरकार नक्सलवाद के खिलाफ युद्ध जीतने में सक्षम होगी, जो सामाजिक न्याय, मौजूदा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था के उत्पीड़न और संरचनात्मक हिंसा से मुक्ति और उनके हितों के लिए हानिकारक विकास नीतियों को उलटने की इच्छा रखने वाले लोगों के दृढ़ संघर्ष पर आधारित है, जिसने लोगों को इस स्थिति में ला खड़ा किया है? नक्सलवादी आंदोलन की दिशा और सार्वजनिक नीति प्रतिक्रिया की रूपरेखा को देखते हुए, यह असंभव प्रतीत होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।

[हिन्दी]

*__श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला):__ मैं केन्द्रीय बजट 2015-16 में गृह मंत्रालय की अनुदान माँगों का समर्थन करता हूँ। भारत का गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत काम करने वाले लगभग साढ़े नौ लाख से भी ऊपर जांबाजों के अदम्य साहस एवं बहादुरी का प्रतीक है जो अपनी जान का जोखिम लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। आज हमारे जांबाजों के सामने आंतरिक सुरक्षा को होने वाले सभी खतरों को समाप्त करना, समाज को अपराध मुक्त वातावरण मुहैया कराना, सामाजिक और सामुदायिक सौहार्द का प्रशिक्षण, संरक्षण, उन्नयन करना, कानून का शासन लागू करना और एक प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली उपलब्ध कराना, मानवाधिकारों के सिद्धांतों की मर्यादा बनाये रखना, केन्द्र राज्य संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाना तथा सुशासन को बनाये रखना, आंतरिक सीमाओं और तटीय सीमाओं का प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन करना, प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं के परिणामस्वरूप कष्टों का प्रशमन करना तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को आशा अनुकूल बनाना, केन्द्र राज्य संबंध को सौहार्दपूर्ण बनाये रखने को बढ़ावा देना, संघ राज्य क्षेत्रों का कुशल प्रशासन करने जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। इन सब उपरोक्त कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न करने के लिए बजट में 62,124.52 करोड़ का आवंटन किया गया है जो पिछले बजट से 10.2 प्रतिशत अधिक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वीज़न की झलक इस आवंटन में स्पष्टतया झलकती है जिसको अमलीजामा हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली वित्त मंत्री अरुण जेटली जी प्रमुखता से निभा रहे हैं। इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास, देश की आंतरिक सुरक्षा तथा वंचितों के जान-माल की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाये गये हैं। महिला सुरक्षा के लिए 2 हजार करोड़ रुपया रखा गया है। जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों के पुनर्वास के लिए 580 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। हमारा इस देश का अर्द्धसैनिक बल, सीआरपीएफ विश्व के विशालतम अर्द्धसैनिक बलों में से एक है, जो अक्सर हमारे

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

देश में नक्सल विरोधी अभियान से ही आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। उसके लिए 14.89 करोड़ 38 लाख का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से भारत-पाक और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करने के लिए तैनात किए जाने वाले बीएसएफ को इस बार 12 हजार 517 करोड़ रु. मिले हैं। भारत-चीन सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी को भी 37.36 करोड़ 47 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। हमारे देश का गृह मंत्रालय देश के हवाई अड्डों, औद्योगिक आधारभूत ढांचों, परमाणु केन्द्रों, केन्द्र शासित प्रदेशों, मेट्रों के लिए कई अन्यों की सुरक्षा के लिए तैनात रहता है। उसके लिए भी 5196 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

मैं माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा जम्मू-कश्मीर पूर्वोत्तर राज्यों एवं भारत-बांग्लादेश सीमा व भारत-म्यांमार के बीच सुरक्षा संबंधी मुदें को लेकर जो प्रमुख पहल की गई है, वह रंग ला रही है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे इलाकों में हजार से भी ऊपर उग्रवादियों ने समर्पण किया है और शस्त्र लौटाए हैं। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी गृह मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं। जब से एनडीए सरकार आयी है, तथा देश में एक सकारात्मक सुरक्षा का माहौल खड़ा किया गया है। फिर भी महिलाओं की सुरक्षा एवं दलितों की सुरक्षा हमारे देश के लिए एक चुनौती का मुद्दा है।

यद्यपि हमारे पुलिस बल डिजीटल क्रांति का लाभ उठाते हुए सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, पुलिस थानों में भी सुधार देखने को मिल रहा है। एफआईआर रजिस्टर करने में भी नियमानुसार जल्द कार्य हो रहे हैं। परंतु देश में आज भी जो ड्रग्स माफिया है उस पर काबू पाने की आवश्यकता है। विदेशों से आने वाले मादक पदार्थ हमारे युवाओं के दिलो-दिमाग में कुंठा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। हमें इसे कुचलना होगा। इसी तरह से हमारे परंपरागत पड़ोसी देश पाकिस्तान व चीन हमारे साथ मित्रता व कटुता का मिला-जुला खेल खेलते रहते हैं। वो हमारे क्षेत्रों में घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं। हमारे सशस्त्र बल उनसे यद्यपि निपटने में पूर्णतः सक्षम हैं, परंतु इस क्षेत्र में निगरानी

बढ़ाये जाने की अति आवश्यकता है। आज जम्मू-कश्मीर में फिर से मसर्रत जैसे लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं। हमें उनके नापाक इरादों को भी कुचलना है। यद्यपि गृह विभाग केन्द्र व राज्य की मिली-जुली सूची में आता है, परंतु देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए अगर किसी राज्य में माहौल बिगड़ता है तो संविधान ने केन्द्र को सीधी-सीधी शक्तियां प्रदान की हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। उनकी बहु-बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। उन्हें नंगा करके गांव बीच घुमाया जाता है। ऐसे परिदृश्य एक सभ्य समाज के ऊपर कलंक हैं। भारत के दलित समाज को भी भगवान ने इंसान बनाया है। फिर क्यों ये दबंग लोग गरीबों को अपने पांव के नीचे केचुएं की भांति मसलने में ही अपना गौरव समझते हैं। मैं मांग करता हूँ कि इस प्रवृत्ति के लोगों के प्रति भारत सरकार को कठोर रवैया अपनाना होगा।

हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी साफ तौर पर ये एलान कर चुके हैं कि भारत के हर नागरिक को भय, भूख और भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाया जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे गृह मंत्रालय पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो भारत की विभिन्न जातियों की, विभिन्न धर्मों की जो मोतियों के माला बनी है उस माला में से एक भी मोती को टूटने न दिया जाए। मैं अंत में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

[*]**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद):** सर्वप्रथम मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले करीबन एक साल से यह सरकार कार्यरत है, मगर कुल मिलाकर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति नियंत्रण में रही है। यह सरकार ने जिस तरह से इस विषय को प्राथमिकता दी है, स्थिति पर सरकार का नियंत्रण रहा है और आतंकवाद पर शिकंजा कसा जा रहा है।

26 अप्रैल को भारत के उत्तरी राज्य एवं नेपाल में भयंकर भूकंप की त्रासदी आई और इसकी वजह से कई सारी जानें गयी हैं। संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है और सभी लोग आहत में आ चुके हैं। मगर भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी तथा गृह मंत्री जी ने त्वरित निर्णय लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा नेपाल में एनडीआरएफ के विशेष दलों को भेजकर त्रासदीयुक्त लोगों को मदद मुहैया करवाई है। वहां लोगों को खाद्य सामग्री, दवाइयां तथा पानी उपलब्ध करवाया है।

एनडीआरएफ के विशेष दलों ने मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाला है। इनमें कई जिंदगियां बचा ली गयी हैं। आजकल टूरिस्ट मौसम के तहत भारत के कई प्रदेशों में से लोग नेपाल गए हैं। इनमें से कई लोगों को हवाई तथा रोड के रास्ते से भारत लाया गया है। मोदी की सरकार ने ''ऑपरेशन मैत्री'' के तहत पड़ोसी मुल्क को मदद करके अपना धर्म निभाया है, तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की साख बढ़ायी है।

मैं गुजरात के अहमदाबाद वेस्ट संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूँ। चूंकि गुजरात की सरहद पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और गुजरात के पास करीबन 1600 किमी का समुद्री तट है, वहां सलामती के सख्त उपायों की जरूरत है। भारत सरकार को यहां कई सारे सुरक्षा के इंतजाम करने की जरूरत है। कुछ महीनों पहले पोरबंदर के पास समुद्र में एक संदिग्ध बोट को घेरकर बाद में वोट में ही विस्फोटक की

[*] भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वजह से हमारे सलामती दल तथा कोस्ट गार्ड ने एक बड़ी कामयाबी पायी थी, उसके लिए हमारी सरकार का अभिनंदन करते हैं।

गुजरात का स्थान सुरक्षा की दृष्टि से सेंसिटिव है तब मैंने सभा में पहले भी मांग की है कि गुजरात के अहमदाबाद में एनएसजी का हब बनाना चाहिए। उसकी वजह से हमारी सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा होगा। मैं पुनः अपनी मांग को दोहराता हूँ कि अहमदाबाद में शीघ्र ही एनएसजी का एक विशेष हब बनाया जाए।

*__श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):__ संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इन दायित्वों के अनुसारण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का आतिक्रमण किये बिना स्थिति की निरंतर निगरानी करता है। सुरक्षा, शांति सद्भाव को बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों को मानवशक्ति एवं वित्तीय सहयोग, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र राज्य संबंध, संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन, आपदा प्रबंधन आदि के लिए जिम्मेदार है।

भारत सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय में पुलिस, कानून पुनर्वास से संबंधित आंतरिक सुरक्षा विभाग, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन से संबंधित विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की सूचना, तटीय रक्षा, राजभाषा, जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विभाग आते हैं और व्यक्तियों के विकास, समाज की अपेक्षा को पूरा करने के लिए मजबूत स्थिर एवं खुशहाल राष्ट्र निर्माण के लिए शांति और सद्भावना अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं होती हैं।

जम्मू-कश्मीर राज्य राज्य सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार ने सीमा पार के घुसपैठ पर नियंत्रण लगाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बैटन के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा और घुसपैठ के बदलते रहने वाले मार्गों पर बहु-मॉडल तैनाती, सुरक्षाबलों के लिए बेहतर हथियार और उपकरण आदि की व्यवस्था करना शामिल है/राज्य में लंबे समय तक आतंकवाद के व्याप्त रहने के कारण पड़े प्रभावों से लोगों के समक्ष पैदा हुई सामाजिक-आर्थिक समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को स्थायी बनाए रखने तथा नागरिक प्रशासन की प्रमुखता को बहाल करने को सुनिश्चित करना एक समुचित उपाय है।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वर्ष 2014 में जम्मू-कश्मीर राज्य में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में पिछले वर्ष से सुधार के विशिष्ट संकेत देखने को मिले हैं। तथापि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में आतंकवादी हिंसा तथा नागरिक कैजुअल्टी में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन इसके साथ-साथ जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना कारगर साबित हो रही है और इससे जम्मू में जल आपूर्ति में वृद्धि तथा सुधार से संबंधित परियोजना और बाहरी सहायता से राज्य में स्वास्थ्य केंद्र भवनों के निर्माण से संबंधित परियोजना को बल मिल रहा है। यह एक सराहनीय कदम है।

भारत सरकार ने भारतीय निगमों और गृह मंत्रालय की भागीदारी से जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उद्योग पहल नामक योजना शुरू की है इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही और उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार एक बहुआयामी रणनीति अपना रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन संगठनों से बातचीत करने की इच्छा, बशर्ते कि ये हिंसा का त्याग करे और भारत के संविधान के दायरे में अपनी मांगों का समाधान कराये तथा राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हों। यह कदम सरकार का उचित कदम है।

पिछले कुछ वर्षों से देश के कुछ भागों में अनेक वामपंथी उग्रवादी संगठन सक्रिय बने हुए हैं जो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार और बिहार के पड़ोसी क्षेत्रों में सक्रिय है। माओवादी एक प्रमुख संगठन है जो कि हिंसा की अधिकांश घटनाओं में सम्मिलित हैं और सरकार ने इनको हिंसा त्याग करने और बातचीत के लिए आगे आने का आह्वान किया है यह सरकार की अहिंसा में विश्वास को दर्शाता है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सरकार ने सुरक्षा संबंधी व्यय योजना बनाई है। इसके तहत हिंसा में मारे गए नागरिकों और सुरक्षा बलों के परिवार को अनुग्रह भुगतान बीमा, सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण आदि के लिए चलाया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का गठन 2008 में किया था और यह एजेंसी आतंकवाद संबंधी सूचनाएं एकत्रित करती हैं और उनका मिलान और विश्लेषण करती

हैं। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी द्वारा अब तक कुल 89 मामले दर्ज किये हैं जिनमें से 63 मामलों में आरोपपत्र दायर किए जा चुके हैं और 29 आभियुक्तों को दोषसिद्ध किया गया है।

गृह मंत्रालय के अधीन सभी अर्द्धसैनिक बल आते हैं और देश की विभिन्न सीमाओं पर अलग-अलग बटालियन तैनात किए गए हैं और यह सब बल देश की सीमा की सुरक्षा में दिन रात तत्पर रहते हैं। परंतु अभी तक इन सैनिकों के परिवारों के लिए पर्याप्त आवास मुहैया नहीं किए जा सके हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनके लिए जल्दी से जल्दी सरकारी आवास मुहैया कराये जाने का निर्णय लिया जाए।

[अनुवाद]

*__श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर):__ सबसे पहले, मैं यह बताना चाहूंगा कि संबंधित मंत्रालय, गृह मंत्रालय, देश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेषकर अब, जब देश में विविध प्रकार के संघर्ष और उग्रवाद व्याप्त हैं। जबकि देश को इस मंत्रालय की सहायता से अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है - आंतरिक और तटीय क्षेत्रों सहित सीमाओं पर, साथ ही उसे अपने यहां कार्यरत बलों को भी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संघर्ष को न केवल कम किया जाए, बल्कि उसके बाद शांति स्थापित हो और इसके परिणामस्वरूप देश के सभी भागों में विकास को बढ़ावा मिले। वर्तमान में, जैसा कि आंकड़े हैं, भारत के 640 जिलों में से 205 जिले किसी न किसी तरह की चरम हिंसा से प्रभावित हैं - चाहे वह क्षेत्रीय उग्रवाद हो, वामपंथी उग्रवाद हो या आतंकवाद हो। जम्मू-कश्मीर के 20 जिले इस समय पाकिस्तान से कथित तौर पर आए आतंकवादियों के चरमपंथी खतरों से तबाह हैं। हाल ही में, 72 घंटे के छोटे से अंतराल में, देश में 4 वामपंथी चरमपंथी हमले हुए, जिनमें 13 लोग मारे गए।

जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आई.बी.) पर कुल 164 बार संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं हुई हैं। ऐसे समाचार मिले हैं कि कार्रवाई नियंत्रण रेखा से (एल.ओ.सी.) 197 कि.मी. दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गई है। वर्तमान वर्ष 2015 में जम्मू-कश्मीर में 30 लोग मारे गए हैं, जिनमें दो नागरिक, छह सुरक्षा बल के जवान और 22 आतंकवादी शामिल हैं। अकेले जम्मू संभाग में, वर्ष 2015 में आठ व्यक्ति मारे गए हैं, जिनमें दो नागरिक, तीन एस.एफ. कर्मी और तीन आतंकवादी शामिल हैं।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वर्ष 2014 में वामपंथी उग्रवाद (और सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच हुई हिंसा) में 222 निर्दोष नागरिक मारे गए और 87 सुरक्षा बलों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर से, वर्ष 2015 में, 15.2.15 तक, 28 नागरिक मारे गए हैं और 8 सुरक्षा बलों ने इसके लिए बलिदान दिया है।

इस प्रकार, जैसा कि आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में गृह मंत्रालय का दृष्टिकोण कुछ हद तक बदल गया है - माओवादी विद्रोहों के दमन के लिए पुलिस के इस्तेमाल से लेकर यह स्वीकार करने तक कि वार्ता की आवश्यकता है, गृह मंत्रालय दुर्भाग्यवश इस मुद्दे को हल करने में सक्षम नहीं हो पाया है। वास्तव में, हाल ही में वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के बजाय सुरक्षा तैनाती पर अधिक ध्यान देने का सरकार का रुख, इस मामले में लाभ की बजाय नुकसान पहुंचा रहा है। यह एक ऐसा बिंदु है जिसे भारत में वामपंथी उग्रवाद पर वर्ष 2005 की समिति के प्रतिवेदन में बार-बार दोहराया गया था, साथ ही इसके तुरंत बाद सलवा जुडूम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी दोहराया गया था और ऊपर उल्लिखित प्रतिवेदन को बड़े पैमाने पर उद्धृत किया गया था। इन दोनों विशेषज्ञ प्रतिवेदनों में वामपंथी उग्रवाद के मुद्दे को विकास के मुद्दे के रूप में समझने की सिफारिश की गई है, तथा सरकार को याद दिलाया गया है कि अधिकांश उग्रवाद गरीब आदिवासियों और ग्रामीणों के समर्थन के कारण होता है, जिन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में शुरू की गई एकीकृत कार्य योजना ने इन क्षेत्रों में सुरक्षा ढांचे को विकास के साथ जोड़ने की दिशा में प्रयास किया था, यह दुर्भाग्यपूर्ण और महत्वपूर्ण है कि जबकि आई.पी.ए. पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम हुआ करता था, इस वित्त वर्ष 2015-16 के लिए इसके लिए वित्त पोषण कम कर दिया गया है, और इस कार्यक्रम को उन योजनाओं की सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है जिन्हें केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 अनुपात निधि आवंटन के साथ क्रियान्वित किया जाएगा।

मंत्रालय की अनुदानों की विशिष्ट मांगों की बात करें तो, अनुदानों की दस मांगें हैं जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान वर्ष 2015-16 में गृह मंत्रालय की दस अनुदानों की माँगों के लिए कुल आवंटन 78470.35 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में यह रु. 74884.29 करोड़ था, जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर रु. 70358.34 करोड़ कर दिया गया। इस प्रकार, संशोधित अनुमान वर्ष 2014-15 की तुलना में निधि आवंटन में 11.52% की वृद्धि और बजट अनुमान वर्ष 2014-15 की तुलना में 4.78% की वृद्धि हुई है।

ध्यान देने योग्य है कि बजट अनुमान वर्ष 2015-16 में आवंटित रु.78470.35 करोड़ में से रु. 14586.98 करोड़ योजना आवंटन के अंतर्गत हैं जबकि रु. 63883.37 करोड़ गैर-योजना आवंटन के अंतर्गत रखे गए हैं। गृह मंत्रालय की विभिन्न अनुदानों की माँगों में से, सबसे अधिक माँग पुलिस बल के लिए है, जिसकी राशि रु. 62124.52 करोड़ है, जो मंत्रालय की कुल माँग का 79.2% है। हालांकि, इसके संबंध में, नए बजट वर्ष 2015-16 में एक महत्वपूर्ण मुद्दा याद रखना चाहिए। गृह मंत्रालय की योजना योजनाओं में कुछ चालू और साथ ही नई योजनाएं/केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सी.एस.एस.) शामिल हैं। हालांकि, वर्ष 2014-15 से प्रभावी, योजना आयोग ने भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए योजनाएँ होती थीं, जिन्हें संघ (यानी गृह मंत्रालय में) द्वारा वित्त प्रदान किया जाता था, लेकिन राज्यों की सहायता होती थी। हालांकि, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत राज्यों के लिए वित्त पैटर्न में वर्तमान परिवर्तन के साथ, राज्यों को अधिक अनबनडल्ड धन मिला है, लेकिन कई योजनाएँ पूरी तरह से राज्यों को स्थानांतरित की गई हैं, और संघ के समर्थन से अलग कर दिया गया है। गृह कार्य मंत्रालय के लिए स्थिति समिति ने अपनी अनुरोधों की प्रतिवेदन में दर्ज किया है, कि गृह कार्य मंत्रालय के अधिकारी भी यह कह चुके हैं कि इस योजना को अलग नहीं किया जाना चाहिए था। मैं अपने सहयोगियों और गृह कार्य मंत्रालय के लिए अनुदानों की माँगों

संबंधी समिति के प्रतिवेदन से सहमत हूँ, कि सिद्धांत रूप में, 14वें वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता देना, एक स्वागत योग्य परिवर्तन है। हालाँकि, समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर क्षेत्रीय अखंडता तक के राष्ट्रीय हितों के मामले को केवल राज्य सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार की कोई निगरानी और जवाबदेही नहीं है। इन कार्यक्रमों और योजनाओं में जिम्मेदारी की संरचना को बनाए रखने का निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और शक्ति अब पूरी तरह से राज्य सरकारों के पास होगी।

स्थिति समिति की प्रतिवेदन ने भी खुलासा किया है कि वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान (28.2.2015 को), गृह मंत्रालय के योजना योजनाओं के संबंध में, राजस्व अनुमान चरण में निर्धारित राशि को भी खर्च करने में समर्थ नहीं रहा है। और फिर भी, देश में आंतरिक और सीमा सुरक्षा के खतरे स्थिर रहते हुए, समिति द्वारा मंत्रालय को अधिक धन का आवंटन करने की भी सिफारिश की गई है। समिति ने ध्यान दिया है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए गृह मंत्रालय को वित्त आवंटन में वर्ष 2014-15 के अनुमानित आवंशिक राशि के मुकाबले 11.52% और 2014-15 के बजट अनुमान के मुकाबले 4.78% की वृद्धि का ध्यान रखा है, लेकिन समिति ने अपना असंतोष व्यक्त किया है कि मंत्रालय की पूर्वानुमानित माँग रु. 107790.18 करोड़ के बारे में, केवल रु. 78470.35 करोड़ ही आवंटित किए गए हैं। इसलिए, समिति दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि मंत्रालय को चरणबद्ध तरीके से आवंटन बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठाना चाहिए। समिति का यह दृष्टिकोण है कि पूर्वानुमानित माँग के खिलाफ कम आवंटन चल रही योजनाओं/परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

यह कई स्तरों पर असफलता का प्रदर्शन करता है - वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच स्पष्ट समन्वय की कमी है, जो महत्वपूर्ण योजनाओं को संघ के समर्थन से अलग करने और मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजना बजट माँगों के लिए पर्याप्त आवंटन की कमी का कारण बनता है। इसी दौरान, गृह

मंत्रालय के विभिन्न विभागों की ओर से भी असफलता है, जो उन्हें प्रदान किए गए धन का प्रभावी रूप से उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं। मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियां निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को तेजी से पूरा करें और आपातकालीन स्थिति में धन के कम उपयोग से बचें।

मुख्य चिंता का एक और मामला जिसे धन के कम उपयोग के संबंध में उठाया जाना चाहिए, वह निर्भया फंड और देश में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। निर्भया निधि को तब यू.पी.ए.- 2 सरकार द्वारा 2012 दिसंबर के घटना के बाद, गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। पहले वर्ष में, इस निधि के लिए 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। वर्ष 2014-15 के लिए, जेटली ने फिर इस निधि को और 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था, जिससे कुल राशि 2000 करोड़ रुपये हो गई।

हालांकि, निर्भया निधि का प्रबंधन करने वाले गृह मंत्रालय ने आरंभ से केवल कुल आवंटन का लगभग 1% खर्च किया है - लगभग 20 करोड़ रुपये ही। गृह मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय को इस निधि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करना था, जिनमें से कोई भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। सरकार (गृह मंत्रालय) ने एक प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं के आपत्ति की स्थिति में फोन के जरिए कॉल ट्रैकिंग और जी.पी.एस. आधारित पुलिस वाहन प्रेषण समारोह का समर्थन करना था, जो पुलिस के प्रतिक्रिया की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और आपात स्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करेगा।

इसके अंतर्गत, मेरी निर्वाचन क्षेत्र, बालासोर, को एक टाइप बी शहर के रूप में लाभ प्राप्त होना था, लेकिन वह भी विलंबित हो गया है। बालासोर में, केवल वर्ष 2012-13 में, बलात्कार के 87 मामले, महिलाओं की मर्यादा भंग करने के इरादे से हमले के 242 मामले और महिलाओं की मर्यादा का अपमान करने के 20 मामले दर्ज किए गए थे। सिर्फ वर्ष 2013 में, भारत में बलात्कार के 33,707 मामले दर्ज किए गए थे - 2012 की तुलना में 35% की वृद्धि। इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि वित्तीय वर्ष 2014-

15 की शुरुआत में, सरकार ने देश में 660 वन-स्टॉप ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित करने का वादा किया था। लेकिन इसके बजाय, अब हमारे पास केवल 36 केंद्र होंगे, प्रत्येक राज्य में एक। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर की तत्काल आवश्यकता है, और प्रत्येक राज्य में केवल एक होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

यह एक परेशान करने वाला तथ्य है, न केवल इसलिए कि यह धन का उपयोग करने में मंत्रालय की अक्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह एक तरह से इस देश में महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंत्रालय के दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। इसे एक मामूली मुद्दा मानना एक गलती है, जिसका आरोप सरकार पर नहीं लगना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे निर्भया फंड की मदद से लागू की जाने वाली योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को तुरंत सुनिश्चित करें।

एक और मुद्दा जो न केवल पूरे देश के लिए बल्कि विशेष रूप से ओडिशा जैसे तटीय राज्यों और मेरी निर्वाचन क्षेत्र, बालासोर, जिसके पास 80 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह इस मंत्रालय के प्रशासन के अंतर्गत तटीय सुरक्षा या इसकी कमी का मुद्दा है। वर्ष 2011 के हमलों के बावजूद, महाराष्ट्र के पास भी एक पूरी तरह से सुरक्षित तटीय सुरक्षा तंत्र नहीं है। महाराष्ट्र की तटीय सुरक्षा में गंभीर खामियाँ हाल ही में प्रकाशित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की प्रतिवेदन में उजागर हुईं, जो अप्रैल .2015 में प्रकाशित हुई थी, इस प्रतिवेदन ने अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और तटीय पुलिस थानों के कर्मचारियों के तैरने में असमर्थ होने जैसी समस्याओं की ओर इशारा किया। यह एक खतरनाक तथ्य है, क्योंकि 1992 के बम धमाकों के बाद महाराष्ट्र की 720 कि.मी. लंबी तटरेखा की कमजोरी उजागर हो गई थी, जब रायगढ़ जिले के समुद्र तटों के माध्यम से विस्फोटक राज्य में लाए गए थे, और 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद भी ऐसा हुआ था। सी.ए.जी. ने वर्ष मार्च 2014 को समाप्त सामान्य और सामाजिक क्षेत्र पर अपनी प्रतिवेदन में योजना निर्माण में कमियों, तटीय पुलिस

थानों और चेक पोस्टों के निर्माण में देरी, और बुनियादी ढाँचे और जनशक्ति की कमी की ओर इशारा किया है।

सी.ए.जी. की प्रतिवेदन ने यह भी कहा कि तटीय पुलिस थानों में तैनात 57% गैर-तकनीकी कर्मचारियों के पास तैराकी कौशल नहीं है। यह तब हुआ, जब सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें तटीय सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों के लिए तैराकी कौशल अनिवार्य किया गया था। गश्त के लिए उपयोग की जाने वाली नौकाओं का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया था, रत्नागिरी जैसे जिलों में केवल 8.47% उपयोग की सूचना दी गई थी।

वर्ष 2005 में, केंद्र ने राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु तटीय सुरक्षा योजना का निर्माण किया था। इस योजना के अंतर्गत कुल 19 पुलिस थाने, 42 जहाज, 32 जीप, 71 मोटरसाइकिल, 3 जेटी और 32 चेक पोस्ट को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, सी.ए.जी. की प्रतिवेदन नोट करती है कि महाराष्ट्र के पांच तटीय जिलों में 40.02% पदों की कमी थी, जहां नाव के संचालन के लिए तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति की कमी 51.21% थी। गैर-तकनीकी कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी मुंबई में 65.85% थी। सी.ए.जी. प्रतिवेदन ने नोट किया कि पांच जिलों में तटीय पुलिस के पास उनके खुद के जेटी नहीं हैं। परियोजना के लिए केंद्र द्वारा स्वीकृत धनराशि भी खर्च नहीं की गई। प्रतिवेदन ने भी संयुक्त पैट्रोलिंग के संबंध में चिंताओं को उठाया है, जो कि कोस्ट गार्ड, भारतीय नौसेना, तटीय पुलिस, और कस्टम्स के साथ बंद कर दिया गया है। निरीक्षण में देखा गया कि 69 परिचालित नावों में से 34 में नेविगेशनल चैनल्स और समुद्र में नावों के स्थान को समझने में सहायक जी.पी.एस. प्रणालियों को स्थापित नहीं किया गया था।

ओडिशा राज्य सरकार ने 2015 के फरवरी से तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र से एक विशेष इंडिया रिज़र्व (आई.आर.) बटालियन की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है। खुफिया ब्यूरो (आई.बी.) ने हाल ही में चार राज्यों में, जिनमें ओडिशा भी शामिल है, पाकिस्तानी आधारित संगठनों

द्वारा संभावित आतंकी हमलों के बारे में जानकारी वितरित की है, इससे तटीय सुरक्षा को मजबूत करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

ओडिशा के तट की लंबाई 480 किलोमीटर के बराबर है। ओडिशा ने पहली बार 2014 में आठ महीने पहले एक आई.आर. बटालियन की मांग की थी, और फिर फरवरी में इसे दोहराया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने महासागर पुलिस स्टेशनों के लिए पैट्रोल नावों की जल्द स्वीकृति का अनुरोध किया है। ओडिशा में 18 महासागर पुलिस स्टेशनों में से केवल पहले चरण में खुले पांच स्टेशनों में पैट्रोल नावें हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में खोले गए 13 महासागर पुलिस स्टेशनों के लिए नावें अब तक आवंटित नहीं की गई हैं।

केंद्र से जेटी के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है। अब तक केवल पांच जेटी के लिए केवल रु. 2.5 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। एक जेटी का निर्माण 5 करोड़ रुपये से अधिक कीमत में होगा। यह एक बहुत तत्काल आवश्यकता का मामला है और मंत्रालय द्वारा इसे उत्तम गति से देखा जाना चाहिए।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि मंत्रालय ने कई क्षेत्रों में उपयोगी प्रगति की है। 'उड़ान' कार्यक्रम के अंतर्गत कॉर्पोरेट्स द्वारा कौशल विकास और रोजगारी को बढ़ाने के लिए, 2014 में जम्मू और कश्मीर के शिक्षित युवाओं को 2514 नौकरियां दी गई थीं। इस अवधि के दौरान लगभग 13,000 और युवाओं को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया।

एक बार फिर सरकार ने देश को प्रभावित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए त्वरित राहत प्रदान की है - चाहे यह बाढ़ और बर्फबारी से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा हो, या हाल के भूकंप के पीड़ितों के लिए। इसे पूरे दिल से सराहा जाना चाहिए।

उत्तर पूर्वी राज्यों में नियमित आधार पर उग्रवादी घटनाएं होती रहती हैं, 2014 में 824 घटनाएं हुई 1934 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए और उनमें से 181 मारे गए, जबकि 212 निर्दोष नागरिकों की जानें गई और 20 सुरक्षा बल के जवान भी शहीद हुए ।सरकार ने बेजबरुआ समिति की सिफारिशों को लागू करने में प्रगति की है, जैसा कि स्थायी समिति के प्रतिवेदन से पता चलता है। फिर भी, जैसा कि प्रस्तुत आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं , सरकार को इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि इन राज्यों में संघर्ष को समाप्त किया जा सके, जो अत्यंत आवश्यक है।

इसलिए, अंत में कह सकते हैं कि यह एक ऐसा मंत्रालय है जिसकी कार्यक्षमता पर देश के विकास और अन्य मंत्रालयों की कार्यक्षमता भी निर्भर करती है। यदि राज्यों को संघर्ष और धर्मांतरण मुक्त नहीं रखा जाता, तो सभी प्रयास विकास और समावेशी वृद्धि की दिशा में न केवल व्यर्थ होंगे, बल्कि संघर्ष और धर्मांतरण में वृद्धि के साथ-साथ, पहले ही किए गए विकास के प्रयास भी अनुपयोगी हो जाएंगे। सरकार और मंत्रालय को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बेहतर धन आवंटन और बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

*__श्री प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर):__ गृह मंत्रालय मुख्य रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन ,केंद्र-राज्य संबंध, आपदा प्रबंधन आदि के लिए जिम्मेदार है। संविधान का अनुच्छेद 355 संघ को प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने और यह सुनिश्चित करने का आदेश देता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। इन दायित्वों के पालन में, गृह मंत्रालय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में अतिक्रमण किए बिना नियमित रूप से स्थिति का निरीक्षण करता है, उपयुक्त सलाह देता है, राज्य सरकारों को सुरक्षा, शांति और सामंजस्य के रख-रखाव के लिए मानव संदर्भ और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और विशेषज्ञता प्रदान करता है। हालाँकि, भारतीय संविधान की सातवें अनुसूची में दी गई 'राज्य सूची' के आइटम 1 और 2 के अनुसार, 'जन सुरक्षा' और पुलिस राज्यों की जिम्मेदारी हैं।

कुछ वामपंथी उग्रवादी संगठन देश के कुछ हिस्सों में कुछ दशकों से कार्यरत हैं। 2004 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, आंध्र प्रदेश में सक्रिय 'पीपल्स वार' और बिहार और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में सक्रिय 'माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया' का विलय हुआ और सी.पी.आई. (माओवादी) का गठन हुआ। सी.पी.आई. एक प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है जो अधिकांश हिंसा की घटनाओं और नागरिकों और सुरक्षा बलों के हत्याओं के लिए जिम्मेदार है और इसे इसकी सभी शाखाओं और अग्रिम संगठनों के साथ अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम 1967 के अंतर्गत आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है। सी.पी.आई (माओवादी) का भारतीय राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का दर्शन हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अधीन अस्वीकार्य है। सरकार ने वामपंथी उग्रवादियों से हिंसा छोड़ने और वार्ता के लिए आगे आने का आह्वान किया है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस अनुरोध को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा को एक माध्यम के रूप में मानते हैं। इससे भारत के कई हिस्सों में हिंसा का चक्र बढ़ता गया है। गरीब और हाशिये पर रहने वाले वर्ग, जैसे कि आदिवासी, इस हिंसा का सबसे अधिक खामियाजा भुगत रहे हैं। कई भले उदारवादी बुद्धिजीवी माओवादी विद्रोही सिद्धांत जो हिंसा का महिमामंडन करता है और तथाकथित वर्ग शत्रुओं के विनाश में विश्वास करता है ,की सच्ची प्रकृति को समझे बिना ही माओवादी प्रचार का शिकार हो जाते हैं,। 2004 से, सी.पी.आई. कैडरों द्वारा लगभग 5000 नागरिकों की हत्या की गई है। मारे गए अधिकांश नागरिक आदिवासी हैं, जिन्हें 'पुलिस मुखबिर' के रूप में चिन्हित करके निर्दयता से प्रताड़ित और हत्या की जाती है। वास्तव में, आदिवासी और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग सी.पी.आई. (माओवादी) के तथाकथित दीर्घकालिक जनयुद्ध के सबसे बड़े शिकार रहे हैं।

सरकार का दृष्टिकोण वामपंथी उग्रवाद से समग्र रूप से निपटने का है, जिसमें सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकों को सुनिश्चित करना और जनधारणा प्रबंधन शामिल है। इस दशकों पुरानी समस्या से निपटने में, विभिन्न उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श और संबंधित राज्य सरकारों के साथ बातचीत के बाद यह महसूस किया गया है कि अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करने वाला एक एकीकृत दृष्टिकोण परिणाम देगा। इसे ध्यान में रखते हुए, वामपंथी उग्रवादी हिंसा के प्रसार और रुझानों का विस्तृत विश्लेषण किया गया और आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 106 प्रभावित जिलों को विभिन्न योजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए विशेष प्राथमिकता में रखा गया है। हालाँकि, 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य का विषय होने के कारण, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई मुख्य रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। केंद्र सरकार स्थिति की निकटता से निगरानी करती है और कई तरीकों से उनके प्रयासों को समर्थन देती है। इनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) और कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा); प्रदान करना; इंडिया रिजर्व

(आई.आर) बटालियन की स्वीकृति; काउंटर इंसर्जेंसी और एंटी टेररिज्म (सी.आई.ए.टी.) स्कूलों की स्थापना; राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उन्नयन की योजना (एम.पी.एफ. योजना) के अंतर्गत राज्य पुलिस और उनकी खुफिया तंत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन; सुरक्षा संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति (एस.आर.ई. योजना) के अंतर्गत सुरक्षा संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति; वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष बुनियादी ढांचे की योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना; एंटी-नक्सल ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर प्रदान करना; रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता; खुफिया जानकारी साझा करना; अंतर्राज्यीय समन्वय की सुविधा; सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक कार्यकमों में सहायता आदि शामिल हैं। मूलभूत दर्शन यह है कि राज्य सरकारों की क्षमता को सामूहिक रूप से माओवादी खतरे से निपटने के लिए बढ़ाया जाए। यह प्रभाग वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (अब अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए.) कहलाती है) और भारत सरकार की विभिन्न अन्य विकास और बुनियादी ढांचा पहलों के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है।

भारत सरकार का विश्वास है कि विकास और सुरक्षा से संबंधित हस्तक्षेपों के संयोजन के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद की समस्या को सफलतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि माओवादी ऐसी मूलभूत समस्याओं जैसे कि अल्पविकास को सुलझाना नहीं चाहते, और वे बड़े पैमाने पर स्कूल भवनों, सड़कों, रेलवे, पुलों, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, संचार सुविधाओं आदि को निशाना बनाते हैं। वे अपनी पुरानी विचारधारा को बनाए रखने के लिए अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों की जनसंख्या को हाशिये पर रखना चाहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया को पीछे की ओर धकेल दिया गया है। इसे नागरिक समाज और मीडिया द्वारा पहचाने जाने की जरूरत है ताकि माओवादियों पर हिंसा छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने का दबाव बनाया जा सके और इस तथ्य को पहचाना जा सके कि 21वीं सदी के भारत की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक

गतिशीलता तथा आकांक्षाएं माओवादी विश्व-दृष्टिकोण से बहुत दूर है। सरकार ऊपर व्यक्त की गई रणनीतिक दृष्टि के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद की समस्या को नष्ट करने के प्रति आशावादी है। सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों के कारण, वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में पिछले चार वर्षों, अर्थात 2011, 2012, 2013 और 2014 में, काफी हद तक कमी आई है, यह उल्लेखनीय है। सरकार के बहुमुखी उपाय धीरे-धीरे सकारात्मक प्रभाव और परिणाम दिखा रहे हैं।

*__श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती):__ गृह मंत्रालय (एमएचए) की विविध जिम्मेदारियां हैं। उनमें से महत्वपूर्ण हैं आंतरिक सुरक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंध, संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन, आपदा प्रबंधन, आदि।

आंतरिक सुरक्षा एक संवेदनशील विषय है जो पुलिस, कानून और व्यवस्था और पुनर्वास के साथ संबंधित होता है। गृह मंत्रालय की वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में 2014 में गत वर्ष की तुलना में नागरिकों के मृत्यु की 86.66 प्रतिशत अधिक घटनाएँ और आतंकी घटनाओं में 30.58 प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। वामपंथी हिंसा के संदर्भ में, गृह मंत्रालय ने कहा कि 2013 में 1090 घटनाओं में 309 लोगों की मौत हुई जबकि 2014 में 1136 घटनाओं में 397 मौतें हुईं।

आंतरिक सुरक्षा की उत्पन्न हो रही चुनौतियों का सामना करने के लिए, जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, आदि, पुलिस बलों को आधुनिकीकृत किया जाना चाहिए और उन्हें पर्याप्त शक्तियों से सशक्त किया जाना चाहिए, साथ ही जवानों की पर्याप्त शक्ति, आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता है। हालांकि, केंद्र ने इस जिम्मेदारी को राज्य सरकार को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, राज्य सरकार ने 27 मार्च को केंद्र से उन आठ केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए जारी समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया है जो अब पूरी तरह से उन्हें सौंप दी गई हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने भी पुलिस के आधुनिकीकरण जैसे कार्यक्रमों के लिए केंद्र के पूर्ण समर्थन के जारी रहने की मांग की है। संसदीय स्थायी समिति ने भी कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लक्ष्य से प्रेरित प्रमुख योजनाओं का बोझ राज्यों को सौंप देने के इस कदम पर प्रश्न खड़ा किया है और चेताया कि राज्यों के वित्तीय संकट और ऐसी परियोजनाओं की योजना में दृष्टिकोण की कमी के कारण आतंक जैसी सुरक्षा चुनौतियों के विरुद्ध लड़ाई प्रभावित हो सकती है। भारत में विश्व का सबसे कम नागरिक पुलिस अनुपात है। अनुशंषित औसत हर 200 नागरिक के पीछे एक पुलिस

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अधिकारी होना चाहिए। भारत में यह अनुपात लगभग 700 के करीब है। यदि उन्हें भी शामिल किया जाए जो विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा में तैनात हैं, तो यह अनुपात शायद 1000 नागरिक के लिए 1 पुलिस अधिकारी के करीब होगा। उन्हें इस बड़े कार्य का सामना करने के लिए उपकरण, संचार प्रणालियाँ, हथियार आदि जैसी बुनियादी संरचनाओं के लिए पर्याप्त धन प्रदान करना है। ई-गवर्नेंस प्रणाली सी.सी.टी.एन.एस. के लिए भी कोई आवंटन नहीं है।

मुझे डर है कि केंद्र के शामिल न होने के कारण, राज्य इसे कम प्राथमिकता पर लें। राज्य प्रशासनिक यंत्र अब इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकता।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति से देश की शांति के लिए एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। कुछ ही महीने पहले, समाज सुधारक और सी.पी.आई. के सदस्य गोविंद पंसारे अपनी पत्नी के साथ थे, जब कोल्हापुर में सुबह की सैर के दौरान मोटरसाइकिल पर अज्ञात बंदूकधारियों ने उन्हें गोली मार दी थी। पंसारे एक जननेता थे जो विभिन्न अन्यायों के खिलाफ लड़ाई के मुख्य अगुवा थे। यह घटना विवादास्पद साम्प्रदायिक शक्तियों की बढ़ती हुई असहिष्णुता को उजागर करती है जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के खिलाफ है। राज्य का कर्तव्य है कि वे मानवाधिकार संरक्षकों द्वारा दिए गए मूल्यवान योगदानों को पहचानें और स्वतंत्रता और सुरक्षा के माहौल का सृजन करें जिसमें वे सुरक्षित और स्वतंत्रता से कार्य कर सकें।

हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 35 मामले दर्ज होते हैं। और हर साल इसमें क्रमशः वृद्धि हो रही है। सामान्य अपराध दर की वृद्धि को कुल में 9% के रूप में देखा गया, हालांकि महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में 2013 में 27% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में चौथे स्थान पर आता है। यह भारत में महिलाओं की स्थिति को दर्शाने के लिए काफी है । महिलाओं के खिलाफ होने वाले कुल अपराधों में पति और संबंधियों द्वारा की गई दरिंदगी का हिस्सा 44% है। घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को हल करने के लिए, परिवार अदालतों को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि यह विषय

राज्य के विषय के अंतर्गत आता है, लेकिन केंद्र राज्यों से इस मामले को देखने के लिए पत्र व्यवहार कर सकता है। वर्ष 2014 में देश भर से 309 एसिड हमले की अभूतपूर्व घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई। यह पिछले तीन सालों में देखे गए ऐसे मामलों की औसत संख्या से करीब 300 प्रतिशत अधिक है। मुझे खुशी है कि गृह मंत्री ने एसिड बिक्री को विनियमित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। हमें इसे प्राथमिकता के आधार पर लेने की आवश्यकता है और एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु पूर्ण समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। लोग आमतौर पर एक पुलिस स्टेशन पर जाने से डरते हैं और खासकर महिलाएं पुरुष अधिकारियों के साथ बलात्कार, छेड़खानी, ईव टीज़िंग जैसे मुद्दों को साझा करने में हिचकिचाती हैं। हमें अपने पुलिस स्टेशन को अधिक महिला अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। पुलिस स्टेशन में वातावरण को अधिक स्वागतपूर्ण बनाए जाने की आवश्यकता है।

इस समय, मैं भी महाराष्ट्र में आर.आर. पाटिल द्वारा शुरू की गई एक पहल को उजागर करना चाहूंगी। उन्हें यह पता था कि गाँवों में अक्सर छोटे झगड़े बड़े विवादों में बदल जाते हैं क्योंकि अधिक लोग संलिप्त हो जाते हैं और शांति और समानता को खतरा पैदा करते हैं। इस योजना को महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था, जिसने वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को प्रस्तुत किया जो विवाद के होने की घटना को रोकने का प्रयास करती है और लोगों की भागीदारी के माध्यम से मौजूदा विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है। ग्रामीण नागरिकों की समग्र सोचने की शैली समय के साथ बदल रही है। वे धीरे-धीरे लंबे अदालती मामलों पर ऊर्जा, समय और धन बर्बाद करने के नुकसान को समझते हैं। इससे उन्हें विवाद-मुक्त गाँव की धारणा को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है और यह वास्तव में महाराष्ट्र के विभिन्न ग्रामीण भागों में गति पकड़ रहा है। इससे उन्हें विवाद-मुक्त गाँव की धारणा को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है और यह वास्तव में महाराष्ट्र के विभिन्न ग्रामीण भागों में मोमेंटम को हासिल कर रहा है। महिलाएं ग्रामीण स्तर पर किसी भी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में मुख्य भूमिका

निभाती हैं। महिलाओं को स्थानीय शासन में 50 प्रतिशत आरक्षण के विशेषाधिकार का आनंद लेते हुए ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। पुलिस और ग्रामीणों के संगठित प्रयासों के कारण, महात्मा गांधी विवाद रहित गाँव कार्यक्रम के अंतर्गत 1029 जिलों के 798 गाँवों ने सफलतापूर्वक विवाद-मुक्त उपाधि हासिल की है, विशेष रूप से शोलापुर जिला उसमें सबसे आगे है।

इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र में केवल 14,000 से अधिक गाँवों में सफलतापूर्वक चलाया गया है। देश के बाकी हिस्सों में यह तेजी से अनुकूलित हो रहा है। वर्ष 2010-11 में 3824 गाँव और वर्ष 2011-12 में 2712 गाँव राज्य में विवाद-मुक्त बन गए। इन गाँवों को 70 करोड़ रुपये के मूल्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 में, राज्य सरकार ने इस पुरस्कार राशि का उपयोग सूखे प्रभावित क्षेत्र में जल संकट समस्या का सामना करने के लिए उपयोग करने के लिए निर्देश दिया था। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने इस कदम की सराहना की थी। उन्होंने विकासशील देशों को इस अवधारणा को अपनाने की सलाह दी थी। यह अवधारणा अपनाई जानी चाहिए।

भारत प्राकृतिक और मानव-निर्मित आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन, सुनामी, वन आग आदि के लिए संवेदनशील हो गया है। देश में आवश्यक मौसम की भविष्यवाणी केंद्रों की कमी है। कई बड़े राज्यों में केवल एक पूर्वानुमान केंद्र है। देश में 14 डॉपलर वेदर रडार (डी.डब्ल्यू.आर.) में से, सात शहरों (चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, मछलीपट्टनम, डिब्रूगढ़, पटना और नागपुर) में रडार फरवरी 2014 में कार्यरत नहीं पाए गए। उदाहरण के लिए, नागपुर का डी.डब्ल्यू.आर. फरवरी के अंत से मार्च2014 तक कार्यरत नहीं था, जब विदर्भ में गंभीर आंधी/ओलावृष्टि हुई थी। पर्याप्त मौसम पूर्वानुमान और निगरानी कार्यालयों की कमी के कारण वास्तविक समय में मौसम का सटीक पूर्वानुमान करना मुश्किल हो जाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की प्रभावशीलता प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी और उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और उपकरणों की अनुपस्थिति के कारण बाधित हुई है, और

एन.डी.आर.एफ. की तैनाती के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। एन.डी.आर.एफ. कर्मियों को डी.आर.डी.ओ., बी.ए.आर.सी., एच.आई.एम.आई. और रक्षा प्रतिष्ठानों में भेजा जाता है। हालांकि, इन संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षण स्लॉट अपर्याप्त थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया संस्थान (एन.आई.डी.आर.), जो एन.डी.आर.एफ., एस.डी.आर.एफ. और नागरिक सुरक्षा कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करेगा, अब तक स्थापित नहीं किया गया है, हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में इसके लिए 110 एकड़ भूमि की पेशकश की थी और एन.डी.एम.ए. ने इसे स्वीकार कर लिया था। प्रत्येक बटालियन में मेडिकल अधिकारी, इंजीनियर, तकनीशियन आदि जैसे विशेष पदों सहित 1149 पदों की संख्या होनी थी। वर्ष 2013 में सी.ए.जी. द्वारा किए गए ऑडिट में 27% की कमी दर्ज की गई थी।

सीमा प्रबंधन के संबंध में, पिछले एक वर्ष में चीन द्वारा अनेकों घुसपैठ के मामले सामने आए हैं। इनमें से एक घुसपैठ राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा के दौरान लद्दाख में हुई, जो लगभग पखवाड़े तक चली। चीन ने भी आदिवासी लाहौल और स्पीति जिले की सीमा के साथ-साथ वॉचटावर बनाए हैं और उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरे स्थापित किए हैं। चीन की बढ़ती आक्रामकता और भारत-चीन सीमा की विशालता को शारीरिक रूप से सुरक्षित रखने में कठिनाई के मद्देनजर, भारत को भी उच्च निगरानी कैमरे स्थापित करने की आवश्यकता है।

मुझे यह बताना होगा कि नक्सलवाद एक बड़ा खतरा बना हुआ है। नक्सली समुदायों का उत्थान कर उन्हें मुख्यधारा में लाना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। पुलिस ने कहा कि नक्सलियों ने, जिन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में महाराष्ट्र में अपना आधार स्थापित किया, पिछले तीन दशकों में राज्य के सबसे अधिक प्रभावित गड़चिरोली, चंद्रपुर और गोंदिया जिलों में नागरिकों को मार डाला है। महाराष्ट्र पुलिस के एंटी-नक्सल सेल द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, फरवरी 1985

से जुलाई 2014 के बीच नक्सली हिंसा के शिकार हुए पीड़ितों में से अधिकांश (451) केवल गड़चिरोली जिले से थे।

महाराष्ट्र ने नक्सलियों के गढ़ों में उनसे लड़ने के लिए टास्क फोर्स को प्रशिक्षित करने हेतु जंगल युद्ध स्कूल पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। एक टीम 500 कमांडो को नागपुर में असामान्य ऑपरेशंस प्रशिक्षण केंद्र (यू.ओ.टी.सी.) में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण उन्हें कार्रवाई क्षेत्रों के घने वनस्पति से अवगत कराता है। एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्र में बटालियन और पुलिस बल के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कराने की आवश्यकता है।

अब जब देश की तटरक्षा की बात हो रही है, तो भारत के तटीय क्षेत्र विशाल हैं जो लगभग 7,500 किलोमीटर का है, जिसमें महाराष्ट्र के अकेले की तटरेखा 750 किलोमीटर है। तटीय सुरक्षा पर चूकें बहुत बार सामने आती हैं और हमें तटीय खतरों से अपने देश की रक्षा करनी होगी। राज्य गृह मंत्रालय के स्रोतों के अनुसार, महाराष्ट्र की 70% तटरेखा अब भी असंरक्षित है और इसे किसी भी समय प्रवेशकर्ताओं द्वारा लैंडिंग प्वाइंट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तटीय सुरक्षा को मजबूत किया जाना चाहिए और तटीय पुलिस स्टेशनों और तटीय पेट्रोलिंग नावों की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए। तटीय पुलिस को आधुनिक हथियार और तटीय क्षेत्र की पेट्रोलिंग के लिए जेटीज़ प्रदान की जानी चाहिए। नाविकों के आई.डी. कार्ड जारी करने के अलावा, नावों का पंजीकरण, नावों के रंग कोडिंग, ट्रांसपॉन्डर की स्थापना, तटीय गांवों के निवासियों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम.एन.आई.सी.) जारी करने की गति को तेज किया जाना चाहिए और तटीय पेट्रोलिंग को तेज किया जाना चाहिए।

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय सभापति, महोदय, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस ऐसे विषय हैं जो संविधान की राज्य सूची में विषयों की सूची में अग्रणी हैं। हमारे राष्ट्र के संस्थापक नेताओं ने स्पष्ट रूप से केंद्रीय और राज्य सरकारों के कार्य को परिभाषित किया और इसी अनुसार संसद और राज्य विधानसभाएँ इन कार्यों को सुचारु रूप से निष्पादित करने के लिए विधान निर्माण संस्थान बनाए।

गृह मंत्रालय द्वारा 10 अनुदानों की मांगों का प्रशासन किया जाता है। वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों के लिए गृह मंत्रालय की 10 मांगों के लिए कुल आवंटन रु. 78,470.35 करोड़ है। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों में यह रु. 74,884.29 करोड़ था, जिसे संशोधित अनुमान चरण में रु. 70,358.34 करोड़ में कम किया गया था। इस प्रकार, 2014-15 के संशोधित अनुमानों के समान कोष आवंटन में 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 2014-15 के बजट अनुमानों के 4.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अब मैं स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में की गई कुछ टिप्पणियों और सिफारिशों का उल्लेख करना चाहूंगा और आशा करता हूं कि मंत्री उत्तर देंगे। स्थायी समिति ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि उसे यह जानकर काफी दुख हुआ है कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, कई योजनाओं में, मंत्रालय संशोधित अनुमान स्तर पर घटी हुई आवंटित राशि भी खर्च नहीं कर पाया है और उसने दृढ़ता से सिफारिश की थी कि मंत्रालय संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और धन के कम उपयोग से बचने के लिए दबाव बनाए। समिति ने अपने प्रतिवेदनों में कहा था कि समिति इस बात पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने को बाध्य है कि मंत्रालय की 1,07,790.18 करोड़ रुपये की परियोजित मांग में से केवल 78,470.35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। समिति का मानना है कि प्रक्षेपित मांग से कम आवंटन किया जाना चल रही योजनाओं और परियोजनाओं पर असर डाल सकता है। मैं इस संबंध में मंत्री जी का उत्तर जानना चाहता हूं।

<u>अपराह्न 4.49 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

सार्वजनिक का व्यवस्था का रखरखाव आंतरिक सुरक्षा का प्राथमिक परीक्षण है। जहां लोगों को सार्वजनिक शांति का वातावरण प्रदान किया जाता है, जैसे हमारे राज्य में, वास्तव में यह एक शांत स्थान है। साम्प्रदायिक दंगे और टकराव जिनका हमारे देश के कई राज्यों को खतरा रहता है, वे हमारे माननीय *मक्कल मुख्यमंत्री पुरैची थलाइवी अम्मा* के मार्गदर्शन में तमिलनाडु में अनुपस्थित हैं सरकार द्वारा उदारता और सेवा भावना के साथ गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचने के कारण, वामपंथी उग्रवादी तत्व हमारे राज्य में पैर जमाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। आवश्यक वस्तुओं की तस्करी को कठोरतापूर्वक रोका गया है और कानून की प्रक्रिया में किसी भी हस्तक्षेप को सहन नहीं किया जाता। मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे नेता ने भारत में पहली बार एक समग्र देश में, वर्ष 1992 में, अधिकतम 23 वर्ष पहले, विशेष महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की। आज तमिलनाडु में, तमिलनाडु के प्रत्येक पुलिस उप डिवीजन में 200 विशेष महिला पुलिस स्टेशन हैं।पुलिस बल में महिलाओं का अनुपात 16.5 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक है। हमारी नेता, अम्मा, ने भारत में पहली बार देश में महिला कमांडो फोर्स का प्रारंभ किया था।

महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, यौन उत्पीड़न के मामले में सजा को और अधिक कठोर बना दिया गया और तमिलनाडु निषेध अधिनियम में संशोधन के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप मृत्यु या आत्महत्या के मामले में बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत का भार आरोपी पर स्थानांतरित कर दिया गया, वर्ष 2002 में हमारी नेता द्वारा तमिलनाडु विधानमंडल में महिला उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया।

महिलाओं को यौन हिंसा से सुरक्षित रखने के लिए और मजबूत विधानात्मक आधार की आवश्यकता की प्रेरणा से, मेरी नेता पुरैची थलाइवी अम्मा ने पहली बार महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए एक तेरह-सूत्री कार्रवाई योजना प्रस्तुत की थी। तमिलनाडु शायद देश में एकमात्र राज्य है जिसने राज्य के सभी 32 जिलों में 42 महिला न्यायालयों के गठन का आदेश दिया है।

नशे की बुराई के संदर्भ में, हमारे नेता ने 2012 में स्कूल और कॉलेजों में आयोजित किए जाने वाले एक विशेष नशा जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। राज्य की नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो सी.आई.डी. ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है और वर्ष 2014 में वर्ष 2013 के मुकाबले एक बड़ी संख्या में मामलों का पता लगाया है। नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ब्यूरो सी.आई.डी. केंद्रीय सरकारी एजेंसियों जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कोस्ट गार्ड के साथ निकट समन्वय करके कार्रवाई करता है। पुरैची थलाइवी अम्मा ने वर्ष 1994 में तमिलनाडु में पूरे देश में पहली बार कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप का गठन किया, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु में समुद्री मार्ग से तस्करी को रोकना और समाज विरोधी तत्वों के समुद्री मार्ग से तमिलनाडु में घुसपैठ का पता लगाना और रोकना था। यह पूरे देश में पहला राज्य है जिसने समुद्री सुरक्षा योजना के चरण 1 के तहत मारीन पुलिस स्टेशन आउटपोस्ट और चेक-पोस्ट के ठोस बुनियादी ढांचे की स्थापना की है।

गृह सचिव द्वारा स्थायी समिति को ब्रीफिंग के दौरान, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि गृह मंत्रालय के विभागों के संदर्भ में पूरे देश की समुद्री सुरक्षा के मामले में अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मुझे माननीय गृह मंत्री से इस बारे में जानना है कि इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ।

तमिलनाडु के मछुआरों के मुद्दे पर भारत सरकार का असंवेदनशील व्यवहार, हिंद महासागर में अपनी आजीविका चलाने वाले भारतीय मछुआरों की रक्षा करने में असमर्थ होना, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा नियमित रूप से जानलेवा हमले का शिकार होना एक गंभीर समस्या है। मेरी नेता पुरैची थलाइवी अम्मा

ने तमिलनाडु के मछुआरों पर अकारण, जानलेवा हमलों और गिरफ्तारियों के विरोध में बार-बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान कच्चातिवू और उसके आसपास के क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना है, जिसे 1974 में संसद के अपेक्षित आदेश के बिना स्थायी रूप से श्रीलंका को सौंप दिया गया था। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा जारी हमलों का बार-बार होना और भारत सरकार की अप्रभावी प्रतिक्रिया के कारण तमिलनाडु के मछुआरा समुदाय को उकसाया गया है और यह राज्य के आंतरिक सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करता है। आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हमारी नेता पुराच्ची थलाइवी अम्मा ने भी इसका उल्लेख किया था।

भारत सरकार के विभागों और राज्य सरकारों के साथ अधिक समन्वय की आवश्यकता है ताकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सके। आधार लिंकेज के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डेटाबेस का मॉडल वास्तव में बहुत उपयोगी साबित हुआ है। हालांकि, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जनसंख्या डेटाबेस बहुत ही गतिशील है और प्रति मिनट बदल रहा है। इसलिए, एन.पी.आर. का वास्तविक समय पर अपडेशन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। एन.पी.आर. डेटा को गतिशील रूप से लिंक किया जाना चाहिए और हमेशा राज्य निवासी डेटा हब के जनसंख्या डेटाबेस की सभी समय पर परामर्शिक छवि होनी चाहिए। इसी तरह, डेटाबेस में हर जोड़ाव, हटाव और परिवर्तन को ऑनलाइन किया जाना चाहिए। जन्म और मृत्यु, प्रवासन, नाम परिवर्तन आदि से संबंधित डेटा को शामिल करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल विकसित करने और राज्य सरकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। सभी तालुकों और नगर पालिका कार्यालयों में स्थायी रूप से वॉक-इन नामांकन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि किसी भी परिवर्तन को नियमित रूप से शामिल किया जा सके और नागरिक बिना किसी समस्या के डेटा को अपडेट करवा सकें।

गृह मंत्रालय विभाग में आधिकारिक भाषा के संबंध में, मैं इस अवसर पर हमारी नेता पुरैची थलाइवी अम्मा द्वारा तमिलनाडु के लोगों की ओर से लंबे समय से किए गए अनुरोध को दृढ़ता से दोहराना

चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेद 348 (2) के साथ पठित वर्ष 1963 के राजभाषा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय के फैसलों, अधिनियमों और कार्यवाहियों में स्पष्ट रूप से राज्य की राजभाषा का उपयोग किया जाएगा ।यह प्रथा चार राज्यों में पहले से ही अपनाई जा रही है। हालाँकि, मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल के उपयोग को अधिकृत करने के हमारे बार-बार अनुरोध पर अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

अब, वित्तीय भाग की बात करते हुए, तमिलनाडु सरकार हमारे नेता माननीय पुरात्ची थालावी अम्मा के मार्गदर्शन में वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों में तमिलनाडु पुलिस विभाग के लिए रु. 5,568.81 करोड़ अभूतपूर्व आवंटन को क्रमशःबढ़ाया था, जो वर्ष 2010-11 में केवल रु. 3,184.47 करोड़ था।

नीति आयोग ने 11 जुलाई, 2013 के अपने निर्देशों के माध्यम से भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजनाओं को पुनः संरचित किया है और पुलिस के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना नामक एक समावेशी योजना को शुरू किया है और एन.सी.आर.एम.पी. को छोड़कर एम.एच.ए. की आठ केंद्र प्रायोजित योजनाएं, , राज्यों को सौंप दी गई हैं। वित्त मंत्रालय ने 2015-16 के दौरान एन.सी.आर.एम.पी. को छोड़कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया है। यह इसका मतलब है कि संघ सरकार अब राज्यों को पुलिस संरचना को मजबूत करने के लिए न तो गतिशीलता के मामले में और न ही संचार उपकरणों के मामले में और न ही पुलिस स्टेशनों को मजबूत करने के मामले में वित्त प्रदान करेगी। यह कार्रवाई 14$^{वें}$ वित्त आयोग के माध्यम से की गई है। राज्यों को घरेलू पूल से केंद्र द्वारा करों में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी में एक बड़ी वृद्धि की गई है जिसे 32 प्रतिशत से बढ़ा कर 42 प्रतिशत तक कर दिया गया है । इसी कारण से यह राज्य सरकारों को स्थानांतरित किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि केंद्र की कुल आय के प्रतिशत के रूप में राज्यों को समग्र ग्रस्तांतरण में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह 49 प्रतिशत पर जारी रहने की उम्मीद है, और यह वर्ष

2011-12 में 53 प्रतिशत की तुलना में एक बड़ी गिरावट है। केंद्रीय बजट के माध्यम से साफ तौर पर सुनिश्चित किया गया है कि राज्यों को ग्रस्तांतरण का ग्रस्तांतरण प्रायः 49 प्रतिशत स्तर तक केवल दो सेट के उपायों द्वारा पहुंचा है। सबसे पहले, केंद्र सरकार ने संपत्ति कर जैसे कुछ करों को उपकर और अधिभार में बदल दिया है, जो साझा करने योग्य पूल का हिस्सा नहीं हैं। दूसरे, केंद्रीय बजट ने राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किए गए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को समर्थन को बड़े पैमाने पर कम कर दिया है।

भविष्य में सामान्य केंद्रीय सहायता और राज्य योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं होंगी। इन योजनाओं का राज्य पर राजस्वीय प्रभाव वर्ष 2014-15 के आवंटन के अनुसार प्रति वर्ष लगभग रु. 1,137 करोड़ है। कमीशन ने भी प्रस्तावित किया है कि राज्य-विशेष अनुदानों को समाप्त किया जाए, जिसके अंतर्गत हम पिछले वित्त आयोग के अनुसार रु. 4,669 करोड़ प्राप्त कर रहे थे।

तमिलनाडु के साथ 14$^{वें}$ वित्त आयोग द्वारा भेदभाव किया गया है, जिसमें सामान्य बांटने योग्य कर पूल के क्षैतिजिक विभाजन में बड़ी कटौती करके इसे 4.969 प्रतिशत से 4.023 प्रतिशत और सेवा कर पूल को 5.047 प्रतिशत से 4.104 प्रतिशत कर दिया है ।

स्थायी समिति ने दृढ़तापूर्वक सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण जैसी योजनाओं में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता जारी रखनी चाहिए। तभी गृह मंत्रालय विभिन्न सुरक्षा स्थितियों को प्रबंधित करने में राज्य सरकार के साथ लाभ उठाने और साधन के रूप में इसका उपयोग करने की स्थिति में होगा। समिति ने भी मजबूती से सिफारिश की थी कि विभिन्न हितधारकों के साथ प्रदेश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय को इस मामले को सावधानी से और योग्यता से पुनः जांचने की सिफारिश करनी चाहिए। गृह मंत्रालय देश भर में आंतरिक सुरक्षा के रखरखाव के अपने मुख्य कार्य का निर्वहन करने में असफल हो सकता है। यह स्थायी समिति का प्रतिवेदन है। एक तमिल कहावत है, "जो किसान हल चलाता है, वही युद्धक सैन्य

बलों के लिए जवान उपलब्ध कराता है।" इसी तरह, मजबूत राज्य सरकारों (आर्थिक और प्रशासनिक रूप से) के समर्थन के बिना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कभी जीत नहीं मिल सकती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु स्वयं को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए अगले कुछ वर्षों में और रु. 10,000 करोड़ की आवश्यकता होगी, जैसे कि, रेंटल बिल्डिंग में संचालित 500 पुलिस स्टेशनों के लिए भवन या पुराने भवन में निर्माण जो पुनर्निर्माण की आवश्यकता है और लगभग रु. 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है, 100 प्रतिशत आवास संतोष की प्राप्ति के लिए पुलिस कर्मियों के लिए और 60,000 घरों का निर्माण, जिसके लिए 9000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और शहरी पुलिस के लिए उपकरणों को अपडेट करना, संचार उपकरणों, डेटा विश्लेषण, प्रणाली और वाहनों की लागत रु. 700 करोड़ रुपये की है।

फोरेंसिक क्षमताओं के क्षेत्र में आते हुए, वैज्ञानिक जांच और अपराध का प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए फोरेंसिक क्षमताओं का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर प्रयोगशालाओं के साथ एक मजबूत फोरेंसिक विज्ञान क्षमता है। भारत सरकार को उंगलियों के निशान का एक राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो जांच अधिकारी के लिए सुलभ हो। यह स्थिति का बहुत ही दुखद मूल्यांकन है कि उंगली के अंगूठों की तकनीक के आधार पर भारत में मात्र 1000 मामले ही पहचाने जाते हैं। इसमें से 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान तमिलनाडु द्वारा किया गया है। हमारे नेता ने अनुरोध किया था कि एक राष्ट्रीय ऑनलाइन उंगली के अंगूठों का डेटाबेस स्थापित किया जाए, जो सभी राज्यों की पुलिस बलों द्वारा साझा किया जाता है, तो अपराधों की पहचान में एक बड़ी उछाल आएगी। कंप्यूटरीकृत फिंगर प्रिंट एप्लिकेशन पर एक राष्ट्रीय परियोजना मिशन मोड में चलाई जानी चाहिए। यह समय की मांग है। भारत सरकार को आवश्यक कानून लाने की आवश्यकता है जिससे डी.एन.ए. डेटाबेस का निर्माण संभव हो। यह केंद्र सरकार की सबसे शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए।

अंत में, मैं मंत्रालय से कुछ और प्रश्न पूछना चाहूंगा। महोदय, 7 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पुलिस ने लाल सैंडर्स एंटी-स्मग्लिंग टास्क फोर्स के नाम पर तमिलनाडु के 20 गरीब श्रमिकों और जनजाति के लोगों पर क्रूर हमला और हत्या की जिस पर मंत्रीजी ने भी सम्मानित सभा को जवाब देने का वायदा किया था। दूसरे, क्या केंद्र सरकार हमारे देश में विभिन्न स्कंधों के केंद्रीय पुलिस अधिकारियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी? इस पर स्थायी समिति द्वारा भी प्रतिवेदन तैयारकिया गया था।

अंत में, मैं पवित्र तिरुक्कुरल से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगा।

अंजमई ईगै अरिवुओकम इन्नारगम

एन्जामई वेंथरकु इयालबु।

"साहस, उदारता, बुद्धिमत्ता और ऊर्जा, ये चार गुण हैं जो एक राजा को हमेशा अलंकृत करते हैं।

दिव्य कवि तिरुवल्लुवर के इन अमिट शब्दों के अनुसार, हमारी परोपकारी नेत्री, पुराची थलैवी अम्मा, अटूट साहस, परोपकार, बुद्धिमत्ता और उत्साह की मूर्ति हैं, जो एक राजा के आवश्यक गुण हैं।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

*__श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी):__ मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ तथा कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। हमारी सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले 11 माह के कार्यकाल में देश की आंतरिक शांति को स्थापित करने व देश तथा पड़ोसी देशों को आपदा व संकट के समय मदद करके व्यवस्थाओं को सामान्य बनाने हेतु सराहनीय कार्य किया है।

मेरा लोक सभा क्षेत्र नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है जहां पर सीमा खुली होने के कारण नेपाल के माओवादियों तथा भारत के अपराधियों का लगातार आवागमन होने के कारण क्षेत्र के लोगों में असुरक्षा की भावना रहती है। उदाहरणस्वरूप हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के 4 बड़े शातिर अपराधी जेल व अदालत से फारार हुए व नेपाल में अड्डा बनाकर क्षेत्र के व्यापारियों व अन्य लोगों को डरा धमकाकर वसूली करते हैं तथा मोटर साइकिल, चौपहिया वाहन व ट्रैक्टर आदि की बड़े पैमाने पर चोरी होती है तथा सीमापार बेच दिया जाता है व पुलिस तथा अन्य स्थानीय एजेंसियों की मदद से बड़े पैमाने पर खाद, सीमेंट व अन्य आवश्यक वस्तुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। परंतु प्रदेश की सरकार द्वारा राजनैतिक कारणों व अपने स्तर से कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने के कारण स्थितियों को ठीक करने में प्रदेश सरकार सक्षम नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मेरे लोक सक्षा क्षेत्र से लगी समी को विशेष जोन बनाकर उक्त क्षेत्र की कानून व्यवस्था को ठीक करने, अपराधियों पर अंकुश लगाने, तस्करी रोकने, वाहन चोरी रोकने तथा शांति स्थापित करने हेतु विशेष कार्यवाही सरकार करेगी।

मैं गृह मंत्रालय से यह भी अनुरोध करता हूँ कि मेरे क्षेत्र सहित पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस राजनैतिक दबाव में काम कर रही है, जिसके कारण पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो गयी है। इसके लिए भी प्रदेश सरकार को एडवाईजरी जारी करने की मांग करता हूँ तथा अभी पुलिस भर्ती में भी

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उत्तर प्रदेश सरकार की अनियमितता उजागर हुई है। इसी तरह, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी मशीनरी व पुलिस उ. प्र. सरकार के दबाव के कारण ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है। परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश की शांति व्यवस्था सहित विकास के काम व योजनाएं ठप्प हो गयी हैं, जिससे पूरे प्रदेश में हताशा व निराश का माहौल है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उ. प्र. में कानून व्यवस्था बहाल करने व विकास योजनाओं को गति देने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप करें।

मैं पुनः कटौती प्रस्ताव का विरोध व गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

*__श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल):__ मैं पुलिस के व्यवहार और पुलिस को अधिक जन-हितैषी बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। वर्तमान में, शिकायत निवारण के लिए पुलिस स्टेशन जाना एक कठिन कार्य है जिसे हर कोई टालने की कोशिश करता है। विशेषकर शिक्षित और मध्यम वर्ग पुलिस थानों पर जाने के विचार को पसंद नहीं करते हैं। इस रवैये को बदलने की जरूरत है और यह केवल केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से ही हो सकता है।

सोशल मीडिया और अन्य आउटरीच तरीकों का उपयोग करके पुलिस को अधिक जन-हितैषी बनाना हाल के दिनों में ट्विटर पर कुछ दिलचस्प हो रहा है। उत्तर दिल्ली के डी.सी.पी., मधुर वर्मा, इस माध्यम का उपयोग करके लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। वह व्यक्तिगत स्तर पर लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि उनके काम और विभाग को युवा वर्ग के लिए अधिक प्रासंगिक बनाया जाए। वह अपने मामलों के काम के बोझ, बढ़ते अपराध के स्तर के बारे में बात करते हैं और कभी-कभी पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी नौकरी के बारे में कविता भी लिखते हैं। हाल ही में, वह 2 साल की नंदिनी के एक मामले के बारे में बात कर रहे थे, जिसका अपहरण कर लिया गया था और अंततः दिल्ली में क्लॉक टावर के पास बचा लिया गया। ऐसे उत्कृष्ट काम के बाद उन्हें ऑनलाइन लोगों से जो प्रोत्साहन मिलता है, वह अपार सुखदाई होता है। यह उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

एक और उदाहरण बेंगलुरू पुलिस का है। वे फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से लोगों से संपर्क कर रहे हैं और शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। वे लोगों को पुलिस की बदसलूकी की सूचना देने और इसे सार्वजनिक रूप से उनके साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सार्वजनिक भर्त्सना और शर्मिंदा करने की इस तरह की कार्रवाई से पुलिस अपने

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अच्छे व्यवहार का उच्चतम स्तर बनाए रखती है। ये प्रयास बदलते समय की ओर संकेत करते हैं। यह आपको यह देखने का अवसर भी देता है कि कैसे एक पुलिस विभाग ब्रांड प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करके खुद को जनता के लिए अधिक सुलभ बना सकता है।

पुलिस में भर्ती होने वाले व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यह आंका जाना चाहिए कि जो जनता का संरक्षक बनेगा उसकी मानसिकता कैसी है । मनोविश्लेषण तकनीक इतनी विकसित हो चुकी हैं कि ये परीक्षण कुछ घंटों में किए जा सकते हैं और एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है, जिसे फिर प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि लोग किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार हों जिस पर वे भरोसा करते हैं। जनता के साथ संवाद करने के लिए पुलिस अधिकारी की इच्छा को इन परीक्षणों का उपयोग करके आंका जा सकता है।

पुलिस अवसंरचना में सुधार तक सीमित न रहें, बल्कि क्षमता निर्माण और सार्वजनिक संवाद तकनीकों में भी निवेश करें। प्रौद्योगिकी का उपयोग करें और पुलिसिंग में नवीनता लाएं। हमारी पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण भयानक रूप से पुराने हैं। हम सभी को स्पष्ट रूप से याद है कि 26/11 मुंबई हमले के दौरान हेमंत करकरे और अशोक कामटे की जान खराब बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण चली गई थी। यह सात साल पहले की बात है, लेकिन पिछली सरकार द्वारा उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं किया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह सरकार उस दिशा में तेजी से प्रगति करेगी। हमें अपनी पुलिस को नवीनतम संचार उपकरणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है।

अब समय है कि पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर पुलिसिंग में स्मार्टफोन तकनीक का उपयोग करें। दिल्ली में ऑटो रिक्शा बुक करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जा रहा है। एक स्वाइप के साथ, एक ऑटो आपकी लोकेशन प्राप्त कर लेता है और दस मिनट के अंदर आपके पास पहुँच जाता है। क्या हम इस तकनीक का उपयोग पुलिसिंग में कर सकते हैं?

पुलिस को बुलाने के लिए '100' डायल करने के दिन गए। अब आपके पास एक बहुत प्रभावी मोबाइल एप्लिकेशन हो सकता है जो संकट कॉल के जाने पर व्यक्ति की लोकेशन को ज़ूम इन कर सके। जो व्यक्ति आपातकालीन कॉल भेज रहा है, वो देख सकता है कि पुलिस वाहन उसकी/उसके स्थान से कितनी दूर है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह कार्यवाही को अधिक प्रभावी बनाने का एक सस्ता तरीका होगा और यदि सरकार चाहे तो इसे 15 दिनों में किया जा सकता है। इस परियोजना के लिए केवल सही लोगों (और तकनीकी विशेषज्ञों) को शामिल करना होगा। बेंगलुरु पुलिस भी इस दिशा में प्रगति कर रही है। वे हैकर्स को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे स्वयंसेवा करें और उन्हें साइबर अपराधों को सुलझाने में मदद करें। शायद दिल्ली और अन्य राज्यों की पुलिस ऐप डेवलपर्स को स्वयंसेवा करने और उनके लिए यह प्रणाली बनाने के लिए कह सकती है।

यदि गृह मंत्रालय हमारी पुलिस को सुधारने के लिए गंभीर है, तो जल्द ही दिल्ली में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें। कोशिश करके देखो। यदि यह सफल होता है, तो इसे विभिन्न राज्यों में दोहराया जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पर विचार करें।

वर्दी पहचान का संकेत है। देशभर में वर्दी की एकरूपता पर विचार किया जाना चाहिए। पुलिस एक राज्य विषय है, लेकिन बदलते समय को ध्यान में रखते हुए इसे बदला जा सकता है। केंद्र जी.एस.टी. बिल को आगे बढ़ा रहा है, उसी तरह एक केंद्रीय पुलिस बल के लिए एक नया कानून लाना आवश्यक है। मुझे पूरा यकीन है कि सभी राज्यों के गृह मंत्री केंद्रीय सरकार के उचित समर्थन से आधुनिकीकरण को अपनाने के लिए तैयार होंगे। यदि विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच उचित समन्वय होता है, और यदि वे महसूस करते हैं कि वे एक राष्ट्रीय पुलिस बल का हिस्सा हैं, तो उनके न्यायप्रिय और कानून का पालन करने की प्रेरणा बढ़ जाएगी।

पुलिस-हितैषी पुलिस की दिशा को आगे बढ़ाते हुए, हमें आंतरिक सुरक्षा के मामलों में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं एक राष्ट्रीय नागरिक पुलिस बल का प्रस्ताव

करता हूँ, जहाँ युवा नागरिक उन क्षेत्रों में निगरानी रख सकते हैं जहाँ वे अक्सर जाते हैं और पुलिस के संपर्क में रहते हैं, उन्हें अनियमित गतिविधियों की सूचना देते हैं।

ये स्वयंसेवक पुलिस विभाग के कान और आँखें साबित हो सकते हैं, और वे अपराधों की पहचान करने में मदद करेंगे, यहाँ तक कि वे होने से पहले। उन्हें एक स्वयंसेवी बैज दें और उन्हें गर्व महसूस करने दें कि वे इस देश के नागरिकों की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समय आ गया है कि विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों को नागरिकों के लिए अपने दरवाजे खोलने चाहिए। अब केवल युवा लोग ही नहीं, बल्कि मध्य आयु वर्ग की महिलाएं जो अपने पति के काम पर जाने के दौरान घर पर रहती हैं, उन्हें भी अपने क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। पुलिस को उनके प्रसिद्ध गपशप चैनल का उपयोग करना चाहिए और इसका उपयोग अपराध को रोकने के लिए करना चाहिए।

मैं मानता हूँ कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बहुत अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है, लेकिन इसे सफल बनाना असंभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि यदि इस कार्यक्रम को सही तरीके से प्रचारित किया जाए, जिसे यह सरकार काफी अच्छी तरह से कर सकती है, तो यह अपराधों की कमी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस बार देश को छोटे अपराधों से मुक्त करने के लिए एक और स्वच्छ भारत अभियान शुरू करें।

आजकल न्यायपालिका की आलोचना हो रही है क्योंकि जनता का मानना है कि वे आलोचना से परे नहीं हैं। गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए कि बढ़ते अपराधों जैसे महिलाओं का उत्पीड़न, बच्चों का अपहरण और छेड़छाड़ के लिए सजा प्रभावी, कुशल और त्वरित हो। इन अपराधों के लिए दण्ड समयबद्ध और आदर्श होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम शरिया कानून लागू करें, लेकिन जब कानून को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाता है, तो संबंधित अपराधों में कमी देखी जाती है।

पुलिस की संख्या न्यायपालिका की तुलना में अधिक है, लेकिन मानसिकताओं को बदलने के प्रयास की शुरुआत होनी चाहिए। मुझे याद है कि अधीनस्थ न्यायपालिका ने दिल्ली में एक दहेज हत्या के मामले में डेढ़ दशक पहले मृत्युदंड सुनाया था। उससे पहले, हम हर दिन दहेज हत्या के मामलों को मुख्य पृष्ठों पर देख रहे थे। इसके बाद, हरियाणा और राजस्थान में कुछ अन्य निर्णय हुए। संयोगवश, एक महीने या उससे अधिक समय बाद, जब मुद्दे पर ध्यान दिया गया, तो घटनाएँ कम हो गईं और इतनी बार-बार नहीं हुईं।

इसी प्रकार, यदि बलात्कार और अपहरण के मामलों में सजा त्वरित और कुशल तरीके से दी जाए, तो इसका अपराध स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। एक ओर पुलिस बल को मानवीकरण और दूसरी ओर सामाजिक अपराधों के लिए कठोर कानूनों को लागू करने से स्पष्ट बदलाव दिख सकते हैं, जो शायद वर्ष 2019 से पहले इस सभा में प्रतिध्वनित होंगे।

[हिन्दी]

*__श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू):__ मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को एवं गृहमंत्री जी को कि 11 महीनों से सरकार ने ना केवल कानून व्यवस्था को दुरूस्त किया है वरन् देश की सीमाओं को भी मजबूती से रक्षित किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार देश की कानून व्यवस्था को छिन्न-भिन्न किया है, साथ-ही-साथ पड़ोसी देशों के हौंसले भी बहुत बढ़ गए थे चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन।

देश में आंतरिक सुरक्षा तथा शांति बहाल रहे, सीमाओं पर चौकसी व सुरक्षा का ढांचा मजबूत हो। हमारी पुलिस चौक-चौबंद हो, संवेदनशील हो तथा नागरिक सुरक्षा का जिम्मा बखूबी निभाएं। पुलिस तथा सेनाएं आधुनिक उपकरणों से लैस हो। नई गाड़ियां, नई तकनीक हो। अपडेट होते रहे।

धार्मिक सहिष्णुता का ध्यान रखा जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा सब का सम्मान हो। मैं मेरे विपक्ष में बैठे लोगों से जानना चाहती हूं कि कश्मीर समस्या के मूल में किसके विचार रहे हैं? आज वो 11 महीनों में सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। वो शायद जल्दी भूलने के रोग से ग्रसित है।

मैं मेरे सहित समस्त भारत की महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी व गृहमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि महिलाओं पर अत्याचार पर जीरो टेलरेन्स रखा है। निर्भया फंड में पैसा देना, महिला हैल्प लाईन जारी करना इस दिशा में सराहनीय कदम है। उदहारण के लिए 'उबर' टैक्सी कांड को तुंरत सुलझा लिया गया। बस स्टेंड, रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना। महिला थानों को प्रभावी बनाना काफी प्रभावी कदम है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

समय-समय पर पुलिस तथा सेना में प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण होना चाहिए। राज्यों को भी समय-समय पर आवश्यक सहायता व निर्देश देते रहना चाहिए। भारत की छवि एक सशक्त अखण्ड और सार्वभौमिक राष्ट्र की बने। इसका काफी दायित्व गृह विभाग का होता है।

अंत में, मैं कहना चाहूंगी कि मौजूदा केन्द्र सरकार देश की अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु काफी संवेदनशील है।

[अनुवाद]

अपराह्न 5.00 बजे

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, अपनी पार्टी की ओर से, मैं गृह मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं और मेरे द्वारा लाए गए कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

हालांकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, गृह मंत्रालय भारत सरकार के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक है और मेरे विचार में, यह सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इसके 18 विभाग हैं, और असम पुलिस, बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ, सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी., एन.एस.एफ. और सशस्त्र सीमा बल जैसी सात बल हैं। इस मंत्रालय के अंतर्गत 27 संगठन हैं। जैसा कि पहले एच.आर.डी. मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान टिप्पणी की गई थी, गृह मंत्रालय के बजट में कटौती नहीं की गई है; बल्कि उनके बजट आवंटन में 16% की वृद्धि हुई है, जो उचित है। आई.बी.के बजट में वृद्धि हुई है। अर्धसैनिक बलों को औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि मिली है। निर्भया फंड के लिए रु. 1,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। जम्मू और कश्मीर के प्रवासियों की सहायता के लिए रु. 580 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सी.आर.पी.एफ., आई.टी.बी.पी. और अन्य बलों सहित सी.बी.आई. को भी उनके आवंटन में वृद्धि मिली है।

मैं माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ जी से, आपके माध्यम से, यह उल्लेख करना चाहूंगा कि कृपया पश्चिम बंगाल सरकार की सफलताओं पर ध्यान दें और आपकी कुछ विफलताओं की तुलना करें। बाद में मैं वर्तमान गृह मंत्रालय की एक प्रमुख विफलता के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जो कि वामपंथी उग्रवाद के मोर्चे पर है। सिर्फ अप्रैल महीने में ही, हमारे सुरक्षा बलों पर माओवादी हमलों की चार प्रमुख घटनाएँ हुईं। एक घटना में, सात बी.एस.एफ. जवानों की मौत हो गई और एक माइंसविपिंग वाहन को उग्रवादियों ने उड़ा दिया। अब, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसकी पश्चिम बंगाल सरकार के कामकाज

से तुलना करें। माओवादियों को मारे बिना, राज्य सरकार ने आदिवासियों को माओवादियों के प्रभाव से दूर करने में सफलता प्राप्त की है। किशनजी जो माओवादी नेता गणपति के बाद दूसरे नंबर के नेता थे ,की मुठभेड़ में मौत के बाद, कोई भी तात्कालिक माओवादी हिंसा नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के तीन जिले, जो पहले माओवादी हिंसा से प्रभावित थे – पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा और पुरूलिया – आज मुक्त हैं। ऐसा क्यों? वहाँ विकास हुए हैं। सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाये जा रहे हैं। हमने यह भी देखा है कि आदिवासियों को पुलिस बलों, एन.वी.एफ. और अन्य सरकारी नौकरियों में शामिल किया जा रहा है।

मुझे लगता है कि श्री राजनाथ जी को माओवादियों पर नियंत्रण रखने के लिए पश्चिम बंगाल के उदाहरण का अनुसरण करना अच्छा रहेगा। इस समय, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं एक सौम्य दृष्टिकोण के पक्ष में हूँ। माओवादियों को आत्मसमर्पण करना चाहिए; उन्हें आदिवासियों को अधिक अधिकार देने चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में सक्रिय माओवादियों के वर्तमान समूह के विरुद्ध तो केवल सख्त से सख्त कदम उठाने ही होंगे । मुझे लगता है कि सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं अपने ही लोगों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखता। लेकिन अगर माओवादी सोचते हैं कि वे हिंसा से भारतीय राज्य को उखाड़ फेंक सकते हैं, तो भारतीय राज्य को यह दिखाना होगा कि वह माओवादी हिंसा का मुकाबला कर सकता है। भारतीय लोकतंत्र में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो बलपूर्वक तख्तापलट में विश्वास रखते हैं। ये मामले- जिस तरह पहले कांग्रेस नेताओं की हत्या की गई; इससे पहले, 76 सी.आर.पी.एफ. जवानों की हत्या कर दी गई थी - इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ से “नरम और गरम” दृष्टिकोण का पालन करने का आग्रह करूंगा। आपको छत्तीसगढ़ के विशेषकर बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा आदि जिलों में माओवादियों को नियंत्रित करने में जमीन पर परिणाम दिखाने होंगे। वे आपके खदान सफाई वाहनों को उड़ाने में कैसे सक्षम हैं? उन्हें बैरल लॉन्चर कैसे मिले और उन हथियारों की तस्करी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में

कैसे की जाती है? यह एक ऐसा मामला है जो भारत सरकार से संबंधित है; और उसे इस समस्या का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्प और राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होगी।

पश्चिम बंगाल सरकार की एक और सफलता जिसे मैं उल्लेखित करना चाहता हूँ, वह दार्जिलिंग में शांति स्थापित करना है। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर दार्जिलिंग हिल्स में हिंसक आंदोलन हुआ था। हमारे बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन पहाड़ी लोगों को दे दिया। हिल्स में विकास हो रहा है। दार्जिलिंग में लंबे समय से अलग राज्य की मांग नहीं हो रही है। कोई हिंसक आंदोलन नहीं हुआ है, ना *बंद,* ना हड़ताल। यह मुख्यमंत्री के निश्छल रवैये के कारण हासिल हुआ है। सरकार को इसका अनुकरण करना चाहिए। जब बोडोलैंड में ऐसी ही मांगें होती हैं; जब इसी तरह की मांग उत्तरी कछार और मिकिर हिल्स या उत्तर-पूर्व के अन्य हिस्सों में होती है, तो दुर्भाग्य से हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं। दिसंबर में ही, सोंगबिजित के नेतृत्व में एक एन.डी.एफ.बी. समूह ने गरीब आदिवासियों का नरसंहार किया। भारत सरकार उसे रोकने में सक्षम नहीं थी। मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण असफलता है।

नागा उग्रवादियों के साथ लोधी एस्टेट के एक घर में कई सालों से बातचीत चल रही है। आप एन.एस.सी.एन.(आई.एन.) के साथ किसी समझौते पर पहुँचने में असमर्थ रहे हैं। समय आ गया है कि सरकार एक रेखा खींचे और कहे कि 'इस समय तक, हमें एक परिणाम प्राप्त करना है, जिसमें नागा शस्त्रधारियों के साथ बातचीत में एक अग्रगति हो, जो सरकार के वश का अभी तक नहीं हैं।'

पिछली सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में से एक यू.एल.एफ.ए. के अध्यक्ष अरबिंद राजखोवा का आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश, म्यांमार और इसके आसपास में अब भी यू.एल.एफ.ए. का एक छोटा सा सेक्शन है। अगर वे बातचीत के मेज़ पर लाए जा सकें, तो यह अच्छा होगा। लेकिन अन्यथा, बाकी यू.एल.एफ.ए. से फिर से सख्ती से निपटना होगा। सरकार को पूर्व सरकार की सफलता को असम के यूनाइटेड लिबरेशन फोर्सेज़ के खिलाफ काउंटरिंग में दोहराना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर में बिना किसी संदेह के स्थिति में सुधार हुआ है; चुनाव हुए हैं; और एक नई सरकार बनाई गई है, जिसमें भाजपा भागीदार है। यह सत्य है कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सीमा पार के लोग, हुर्रियत भी शांतिपूर्ण चुनाव में मदद की, देशभर में स्वागत नहीं मिला। यह सत्य है कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सीमा पार के लोग, हुर्रियत भी शांतिपूर्ण चुनाव में मदद की, देशभर में स्वागत नहीं मिला।

महोदय, कल मैंने प्लेन में एक चैनल पर पहली बार 'हैदर' फिल्म देखी। जिस तरह से कश्मीरी युवा लड़कों पर अत्याचार किया गया, मैं उसकी सराहना नहीं करता। इसने मुझे बीमार कर दिया। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहता। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यदि लोग बंदूक उठाते हैं, तो उनका सामना भी बंदूक से होगा; लाल आतंक का सामना सफेद आतंक से होता है; और उग्रवादी हिंसा का सामना राज्य की हिंसा से होता है, लेकिन राज्य की हिंसा प्रभावी होनी चाहिए। इससे मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

मुझे याद है, किसी युवा गृह राज्य मंत्री के बयान में देखा था, जिसमें कहा गया था 'अरुणाचल में ए.एफ.एस.पी.ए. की वापसी नहीं होगी'। मुझे भी नहीं पता कि अरुणाचल में कहाँ समस्या है जिसके लिए आप आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को बनाए रखना चाहते हैं। उसके खिलाफ बहुत सारी प्रतिक्रिया है। लेकिन आपने अचानक बयान दे दिया। मुझे लगता है कि सरकार को ए.एफ.एस.पी.ए. पर एक निर्णय लेना चाहिए कि क्या सुरक्षा बलों को उग्रवादी को मारने के लिए असीमित शक्तियाँ मिलनी चाहिए या नहीं। पश्चिम बंगाल में, हम इन सभी कठोर शक्तियों के बिना भी शांति को हासिल करने में सक्षम हैं। आपको क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट पढ़ी। यू.पी.ए. सरकार ने दिलीप पाडगांवकर की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ दल की टीम नियुक्त की थी। मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में काफी मेहनत की थी ताकि एक प्रतिवेदन तैयार की जा सके। मैं वार्ताकारों की रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया

चाहूंगा। इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं? इस्लामिक उग्रवाद भी एक समस्या है। हाल ही में, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में हुए खग्रगढ़ हादसे के बारे में राजनीतिक तौर पर काफी हंगामा पैदा किया। वे उस घटना को पश्चिम बंगाल में टी.एम.सी. के सत्ता में होने से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब एन.आई.ए. ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। टी.एम.सी. से कोई संबंध नहीं है और बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफलता केंद्र सरकार की है.। मैंने नहीं कहा, लेकिन यह विधानसभा निर्वाचन में एक स्थानीय नेता द्वारा कहा गया। सरकार उसे हमारे साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसे सिद्ध किया गया है। भारत में रह रहे लोग जो बांग्लादेश में हिंसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ कठोरता से निपटना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल क्या कर रहा है?

महोदय, यदि आप पश्चिम बंगाल के किसी सीमावर्ती क्षेत्र में जाएं, तो सीमा सुरक्षा बल के बारे में मुख्य शिकायत यह है कि वे भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मवेशी के झुंड के लिए पैसे लेते हैं। हम नियंत्रण नहीं कर पाये हैं। अगर वहां अवैध अप्रवासी या घुसपैठिये हैं तो सीमा सुरक्षा बल वहां क्यों है जिस पर इतना बड़ा खर्च किया जा रहा है? बी.एस.एफ. का बजट रु. 12,517 करोड़ है। उन पर खर्च की गई सभी धनराशि के बावजूद, वे घुसपैठ को रोक नहीं सकते। इसलिए, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर ध्यान दें।

जैसा कि मैंने देखा, गृह मंत्रालय के अधिदेशों में से एक राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों और भारत के विभिन्न हिस्सों में चर्चों पर किए गए अनावश्यक हमलों के कारण यह कुछ खतरे में प्रतीत होता है। गृह मंत्री को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संविधान के खिलाफ ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह एक *धर्मग्रंथ* में विश्वास करते हैं, जो भारतीय संविधान है। चर्चों पर हमले या किसी खास समुदाय को गालियाँ देने की गुंजाइश

संविधान में कहां है? गृह मंत्रालय को साम्प्रदायिक सद्भाव को संरक्षित रखने के पक्ष में मीडिया को अधिक से अधिक उत्साहित करना चाहिए।

महोदय, आख़िरकार, हमने कई संगठन बनाए हैं। एन.आई.ए. वहां है, नेटग्रिड वहां है, आई.बी. भी वहां पहले से थी लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस में कितना सुधार हुआ है? हमें देश विरोधी तत्वों के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त हो रही है? क्या आई.बी. वही कर रही है जो वह पहले कर रही थी जो राजनीतिक परिणाम दे रही है? अमुक विपक्षी दल ऐसे हो रहे हैं। यह काम आई.बी. का नहीं है। हमें उस जगह को दिखाना चाहिए जहां राष्ट्र को खतरा है।

आखिरकार, महिला सुरक्षा पर, एक निर्भया फंड था जो मुख्य रूप से चिदम्बरम सरकार के काल में शुरू किया गया था। इस वर्ष,रु. 1,000 करोड़ दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हम युवा महिलाओं पर अत्याचार के बारे में पढ़ रहे हैं, विशेष रूप से दिल्ली और उसके आस-पास। समस्या क्या है कि दिल्ली, मुंबई और अन्य जगहों पर महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी के हर जिले में एक रेप क्राइसिस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने क्यों स्वीकार नहीं किया? यह एक मामला है जिसे ध्यान से देखना चाहिए और हम चाहते हैं कि गृह मंत्री स्पष्ट करें कि गृह मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्या काम किया है। (*व्यवधान*)

निर्भया योजना के अंतर्गत, एक साल तक कुछ नहीं किया गया था। अब वे कह रहे हैं कि वे कुछ करेंगे। श्रीमती मेनका गांधी का प्रस्ताव उनकी ही सरकार द्वारा खारिज किया गया था।

अंततः, संघ राज्यक्षेत्र भी गृह मंत्रालय के अधीन हैं। हाल ही में, लक्षद्वीप से एक सांसद ने हमसे एक आपत्तिपूर्ण याचिका पर हस्ताक्षर करवाया जिसमें एक विधानसभा की मांग थी। वह सदस्य यहाँ हैं। अंदमान और लक्षद्वीप में विधानसभा क्यों नहीं होनी चाहिए? विधानसभा न होने का कोई मतलब नहीं

है। राजनाथ सिंह जी, जो एक वरिष्ठ मंत्री हैं, एक साहसिक कदम उठाएंगे कि हम सभी जगह विधानसभा बनाएंगे।

फिर से मैं कहता हूँ कि गृह मंत्री का काम आसान नहीं है। यह एक बड़े विविधता वाले देश में शांति बनाए रखना है, जिसमें कई पड़ोसी और सीमाएं हैं। हमारे यहां तटीय समस्या भी है। वर्ष 2008, 26/11 की घटना समुद्र से हुई थी। हाल ही में, गुजरात के किनारे पर एक नाव को बड़ी मात्रा में नारकोटिक्स के साथ रोका गया था। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि सरकार कमर कस ले और अपने काम को व्यवस्थित कर ले ताकि देश अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित स्थान बन सके, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से गृह मंत्री के कंधों पर है। धन्यवाद, महोदय।

श्री बैजयंत जय पांडा (केन्द्रपाड़ा): महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए, मैं चीजों को संदर्भ में रखना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से हम एक के बाद एक मंत्रालयों पर चर्चा कर रहे हैं और एक बात बार-बार सामने आ रही है कि संघवाद के सिद्धांतों के अनुरूप, राष्ट्रीय खजाने से बहुत सारी धनराशि अब सीधे राज्यों को हस्तांतरित की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को कम आवंटन मिल रहा है और इस पर काफी चर्चा हुई है।

मैं उस पर क्षण बिताना चाहता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब वह संघीय वित्तीय परिणाम की बात आती है, तो स्वर्गीय श्री बीजु पटनायक उन पहले राष्ट्रीय नेताओं में से एक थे जिन्होंने इसे मांगा था। महोदय, 25 साल पहले उन्होंने उस वाक्य का प्रयोग करके एक तूफान खड़ा किया था कि जैसे ओडिशा जैसे राज्यों को वित्तीय स्वतंत्रता मिलने का समय आ गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक का भी इस तरह के हस्तांतरण की माँग करने का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और स्वयं प्रधान मंत्री, जब वह मुख्यमंत्री थे और फिर प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद भी, उन्होंने इस मुद्दे का समर्थन किया है।

जब गृह मंत्रालय की बात आती है, तो यह शायद एक क्षेत्र है जहां हमें स्वीकार करना चाहिए कि केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय को एक विशेष जिम्मेदारी है जो कई मामलों में राज्यों को स्थानांतरित नहीं की जा सकती, हालांकि कानून और व्यवस्था एक राज्य की जिम्मेदारी रहती है।

मुझे इसे संदर्भ में रखने दीजिए। यदि हम इस साल के आवंटित धन की ओर देखें, चाहे आप इसे पिछले साल के बजट अनुमान के साथ तुलना करें या पिछले साल के संशोधित अनुमान के साथ, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, और इसकी प्रशंसा किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं राज्यों और विभिन्न कार्यक्रमों के आवंटन के मुद्दे पर आने का उल्लेख करूँगा, जहां केंद्र को जिम्मेदारी है और इसे अपनी जिम्मेदारी को निरंतर निभाने की आवश्यकता है। अगर आप पिछले वर्ष, 2014-15, के बजट अनुमान की संगत राशियों को देखें, तो उसमें लगभग 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो रु. 74,884

करोड़ से बढ़ गई है। अब, बजट अनुमान बढ़कर रु. 74,884 करोड़ से रु. 78,470 करोड़ हो गया है। उसी तरह, यदि आप पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान को देखें, जो रु. 70,358 करोड़ है, तो इस वर्ष में इसमें काफी अधिक वृद्धि हुई है, जो लगभग 11.5 % से अधिक है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृद्धि है। लेकिन यहाँ केंद्रीय जिम्मेदारी और राज्यों की जिम्मेदारी का मुद्दा सामने आता है।

यदि आप गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति में चर्चा को देखें, तो कुछ बहुत रोचक बातें सामने आती हैं। गृह मंत्रालय स्वयं कुछ प्रस्तावों से असहमत है जो वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए हैं, जैसे कुछ कार्यक्रम, जो अब तक केंद्र सरकार द्वारा संभाले गए थे, या तो समाप्त किए जाएंगे या फिर राज्यों को स्वयं संभालने के लिए सौंपे जाएंगे।

सबसे रोचक बात यह है कि हम जो लोग स्थायी समिति में हैं, हमने इस विचार को बहुत समर्थन दिया है कि केंद्र सरकार को ऐसे कुछ मुख्य क्षेत्रों के लिए जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। मैं कुछ ही समय में विशेष क्षेत्रों पर आऊँगा।

समय की कमी के कारण, महोदय, मैं संपूर्ण अनुदानों की मांगों पर व्यापक रूप से नहीं बोल सकता। मैं तीन व्यापक क्षेत्रों पर बोलना चाहूंगा। व्यापक क्षेत्र वामपंथी उग्रवाद है, जो हमारे देश के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है, जिनमें मेरे जैसे राज्य भी शामिल हैं; पुलिस आधुनिकीकरण एवं आपदा प्रबंधन। ये तीन व्यापक क्षेत्र हैं जिन्हें मैं उजागर करना चाहता हूँ।

यदि आप वामपंथी उग्रवाद जो अपने आप को माओवादी कहते हैं, की ओर देखें, तो केवल पिछले वर्ष 2014 में ही हमारे यहां 1090 घटनाएं हुई और 309 मौतें हुई, । यह एक बहुत बड़ी संख्या है। इससे पिछले साल की तुलना में सुधार दिखता है। पिछले साल के साथ तुलना करते हुए, अर्थात, वर्ष 2013 में 1136 घटनाएं हुई और 397 मौतें हुई जो अब 1090 घटनाएं और 309 मौतें हो गई हैं। बेशक, यह प्रशंसनीय है कि यह दिशा में सुधार हो रहा है। लेकिन ये आंकड़े चिंता का विषय हैं। अगर

हमारे देश में साल भर में 1000 से अधिक घटनाएं होती हैं, तो यह एक ऐसी बात है जिसे हम सभी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।

महोदय, चार राज्य जो मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं और हमलों का खामियाजा भुगतते हैं, वे हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के सरकार के अपने लक्ष्य में 10 राज्य और 106 जिले शामिल हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है और यह गृह मंत्रालय पर निर्भर है कि वह समस्यामूलक इन मुख्य क्षेत्रों से न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से निपटे - यह केवल अकेले छड़ी के साथ नहीं हो सकता है – इसके साथ साथ विकास भी होना चाहिए, जो ऐसे कारणों में से एक है जिन कारणों से समग्र घटनाओं में कमी आ रही है। उड़ीसा में भी, हमने इन घटनाओं में कमी का अनुभव किया है। यह दिखाता है कि विकास हो रहा है; सड़कें बन रही हैं; अस्पताल बन रहे हैं; स्कूल बन रहे हैं; अधिक आदिवासी बच्चे हॉस्टलों में रहने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं और पहली बार सही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं - ये पहले पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। तो, लालच अर्थात विकास का दृष्टिकोण भी काम कर रहा है।

जहां तक सुरक्षा के दृष्टिकोण का सवाल है, चिंता यह है कि जब तक केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद पर देशव्यापी फोकस नहीं रखेगा, हमारे सामने यह समस्या बनी रहेगी। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, उदाहरण के लिए, मनरेगा, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि। लेकिन जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उसका मूल बिंदु यह है कि यदि सहकारी संघवाद में आप राज्यों को थोक में धन हस्तांतरित कर रहे हैं, तो राज्यों की अपनी प्राथमिकताएँ होती हैं। उदाहरण के लिए, केरल में प्राथमिक शिक्षा का संकेतक ओडिशा की तुलना में बहुत ऊँचा है। इसलिए, ओडिशा प्राथमिक शिक्षा में अपने पल्ले से अधिक धन लगाने को वरीयता दे सकता है और केरल अपने पल्ले से अधिक धन के माध्यम से किसी और चीज़ को वरीयता दे सकता है। यहीं पर केंद्रीय जिम्मेदारी आती है, खासकर 10 राज्यों और चार राज्यों के 106 जिलों में, जो वामपंथी उग्रवाद से अधिक प्रभावित हैं

और विकासात्मक व्यय और सुरक्षा कार्रवाई दोनों पहलुओं को एक साथ चलने की आवश्यकता है। यहाँ पर गृह मंत्रालय के हाथ बंधे नहीं होने चाहिए और उन्हें अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

अवसंरचना के अभाव को दूर करने के लिए, सरकार वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एकीकृत कार्रवाई योजना (आई.ए.पी.) और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए.सी.ए.) पर काम कर रही है। राज्य सरकारें भी इन लाभों का फ़ायदा उठा रही हैं, लेकिन इसे बेहतर ढंग से समन्वित किया जाना चाहिए। सफलताओं में से एक सफलता सरकार की समग्र समर्पण-सह-पुनर्वास नीतियाँ हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी राज्यों के सहयोग से कार्यान्वित हो रही हैं। महोदय, आप लगभग हर हफ्ते ओडिशा जैसे राज्यों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित अन्य चार या पांच राज्यों में पूर्व चरमपंथियों के आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा में आने के नियमित रूप से उदाहरण देखेंगे, जो मुझे लगता है, सफलता की कहानियों में से एक है।

महोदय, मैं अनुदान से संबंधित एक विशेष पहलू उठाना चाहता हूं। सुरक्षा संबंधित व्यय योजना है जिसमें केंद्र राज्यों को सहायता प्रदान करता है, खासकर जब सुरक्षा बलों या नागरिकों के घातक हमले होते हैं, जो वामपंथ उग्रवाद द्वारा किए जाते हैं और उन्हें मुआवजा देना होता है और बहुत सा खर्च भी होता है। पिछले वर्ष संशोधित अनुमान 737.37 करोड़ रुपए था। इस वर्ष यह बढ़कर मात्र 840 करोड़ रुपए हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी और इस सभा का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अपनी जान जोखिम में डालने वाले सुरक्षाकर्मियों को जिस प्रकार का मुआवजा दिया जा रहा है, उसके कारण यह राशि पर्याप्त नहीं हो सकती। पिछले सप्ताह ही हमारे यहां चार घटनाएं घटी हैं जिसमें सुरक्षाकर्मी मारे गये। यह राशि वामपंथी उग्रवाद पर राष्ट्रव्यापी हमले के लिए और हमारे उन नागरिकों को मुआवजा देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसलिए इस राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है।

दूसरा प्रमुख पहलू जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, वह है पुलिस बलों का आधुनिकीकरण। भारत की पुलिस को ब्रिटिश राज काल की संरचना से आधुनिक बनाने की समग्र योजना 1969-70 से चल रही है। इसलिए, 45 साल हो गए हैं जब हम पुलिस को आधुनिक बनाने की बात कर रहे हैं और हम टुकड़ों में कुछ कदम उठा रहे हैं। अब समय आ गया है कि कुछ बहुत व्यापक कार्रवाई की जाए और यहीं मैं यह कहना चाहूंगा कि हालांकि कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

जो अच्छा काम चल रहा है वह यह है कि गृह मंत्रालय पुलिस प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे, पुलिस स्टेशनों की संख्या, आवास, हथियारों और संचार के उन्नयन पर जोर दे रहा है, लेकिन मैं सभा का ध्यान एक प्रमुख मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा वो मुद्दा, जो मुझे लगता है वह एक कमी है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष 2014-15 के दौरान पुलिस आधुनिकीकरण, वामपंथी उग्रवाद के लिए विशेष अवसंरचना, आतंकवाद निरोधी और आतंकवाद निरोधी स्कूल, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली तथा सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित आठ योजनाओं को एक योजना में मिला दिया गया है।

महोदय, मुझे कई योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक योजना में विलय करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि चक्रवात के लिए आपदा प्रबंधन को छोड़कर इनमें से किसी भी योजना को कोई धन नहीं दिया गया है। इसलिए, इसका कोई मतलब नहीं है कि हम आठ योजनाओं को एक योजना में विलय करके सुव्यवस्थित करें, लेकिन हम उन्हें कोई पैसा नहीं दें। जहां तक राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रबंधन परियोजना की बात है तो इसका अनुमान 783 करोड़ रुपये था और केवल 416 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए हैं। यह भी हममें से उन सदस्यों को स्वीकार्य नहीं लगा है, जो चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों से हैं। मैं न केवल ओडिशा से हूं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र केंद्रपाड़ा है जो महानदी बेसिन के अंतिम छोर पर है। हम हर साल नहीं तो हर दूसरे साल चक्रवात और बाढ़ से प्रभावित होते हैं। ओडिशा

और आंध्र प्रदेश जैसे आसपास के राज्यों के मेरे अधिकांश सहयोगियों का अनुभव भी यही है। कम से कम, मंत्रालय का अपना अनुमान रु. 783 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिए। वास्तव में, इसमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

यदि आप आपदा प्रबंधन पर नजर डालें तो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 576.28 करोड़ रुपए की तुलना में चालू बजट में 919.29 करोड़ रुपए का आवंटन एक बड़ी वृद्धि प्रतीत होती है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि यह पूंजीगत व्यय में जाएगा, लेकिन तथ्य यह है कि 900 करोड़ रुपए की राशि समग्र संदर्भ में कुछ भी नहीं है, जो हम देख रहे हैं, यहां तक कि पिछले दो दिनों में बिहार और नेपाल में जो कुछ हुआ है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं।

गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी वित्त प्रदान के अलावा समन्वय करना भी है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब जम्मू-कश्मीर को बाढ़ का सामना करना पड़ा, तो हममें से कुछ लोगों से यह जानने के लिए संपर्क किया गया कि क्या ओडिशा कुछ सहायता प्रदान कर सकता है। हम कर सकते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री ने परसों और पिछले साल भी पेशकश की थी, हमारे पास कुछ विशेषज्ञता है क्योंकि हर कोई जानता है कि ओडिशा ने चक्रवातों और बाढ़ से निपटने में, विशेष रूप से जल-आधारित राहत में अच्छा काम किया है। ओडिशा के पास नावों, लाइफगार्डों की विशेषज्ञता है, जो शायद अन्य राज्यों के पास नहीं है। समानांतर सुविधाएं बनाने के बजाय, ओडिशा इसे प्रदान कर सकता है। लेकिन केंद्र सरकार को समन्वयकारी भूमिका निभानी होगी। विभिन्न राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र और समुद्र तटीय क्षेत्र के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञता हो सकती है। (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: अगले वक्ता श्री विनायक बी. राउत हैं।

... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: महोदय, कृपया उन्हें कुछ और समय दें। वह अच्छा बोल रहे हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष: समय नहीं है। हमें कल एक और माँग लेनी होगी। अनुदानों की अन्य मांगों का क्या होगा?

... (*व्यवधान*)

श्री बैजयंत जय पांडा: महोदय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) के संबंध में एक आखिरी बात। एयरपोर्ट की सुरक्षा सी.आई.एस.एफ. कर रही है। वे इसके लिए प्रशिक्षित नहीं हैं और हमें इसके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बल की आवश्यकता है। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

*__श्री जुगल किशोर (जम्मू) :__ गृह मंत्रालय की अनुदान माँगों की चर्चा में भाग लेते हुए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सुरक्षा का भाव पैदा करना हमारा कर्त्वय बन जाता है और खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा हमारे लिए चुनौती होती जा रही है मैं विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करूँ हमारे सुरक्षा बल अपने प्राणों की प्रवाह न करते हुऐ पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर तैनात रहते हैं। महोदय, धन्य है यह सैनिक जो पाकिस्तान के साथ भी लड़ते हैं और दूसरी ओर आतंकवादियों के साथ भी लड़ते हैं और शहीद भी हो जाते हैं। मेरा यह कहना है कि इनका जितना सम्मान हो कम है और इन का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। इनको समय पर छुट्टी भी मिले यह भी तय करना है।

मैं मांग करता हूँ कि जम्मू के साथ लगी सीमा पर रहने वाले भारतीय जो सीमा पर डटे रहते हैं और पाकिस्तान की गोलियों का सामना करते हैं, जख्मी होते हैं शहीद भी हो जाते हैं पर बार्डर से भागते नहीं। जम्मू क्षेत्र में सीमा के गाँवों में एक विशेष भर्ती आभियान चलायें ताकि सीमा पर रहने वाले नौजवान अर्ध सैनिक बलों में भर्ती हो जाएं और रोजगार के लिये इन लोगों को पलायन न करना पड़े। महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हँ कि जम्मू सीमा पर रहने वाले लोगों की जमीन सीमा पर लगी काँटेदार तार के उस पार है। ये किसान वहाँ पर फसल नहीं लगा सकते। खेद इस बात पर है कि इन लोगों को इस जमीन की कीमत भी नहीं मिली और न ही जमीन का मुआवजा मिला। इन लोगों को कीमत या मुआवजा जल्दी मिलना चाहिये। 2002 से ये लोग परेशान हैं

अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करना होगा ताकि देश एवं जवान दोनों सुरक्षित रहें।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

* **कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उडुपी चिकमगलुर):** भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर की 7516.60 किलोमीटर लम्बी तटरेखा है जो मुख्य भूभाग और द्वीपों के साथ सीमा रेखा बनाती है । ये नौ राज्य अर्थात ,गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात , दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तट पर स्थित हैं। तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र ने राज्य समुद्री बोर्ड (एस.एम.बी.) का गठन किया है। पुडुचेरी ने समुद्री सुरक्षा समिति की स्थापना की है और दमन और दीव ने समुद्री सलाहकार समिति की स्थापना की है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के सरकारों को मंत्रालय ने जल्दी से जल्दी एसएमबी की स्थापना करने की सलाह दी है। मैं भी गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि वह कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा सरकार के समुद्री बोर्ड विधेयकों/अध्यादेश की जल्दी से जांच करें ताकि बोर्ड जल्द से जल्द स्थापित किए जा सकें।

कर्नाटक की कोस्टल सिक्योरिटी पुलिस तीन जिलों को कवर करती है, जो हैं दक्षिण कन्नड़, उडुपी, और उत्तर कन्नड़ जिले। कर्नाटक की तटरेखा लगभग 320 किलोमीटर लंबी है, जो दक्षिण कन्नड़ जिले के तालापाड़ी से केरल राज्य की ओर बढ़ती है, और उत्तर कन्नड़ जिले के मजाली से गोवा राज्य की ओर जाती है। यह तट समुद्र में 5 एन.एम. तक की क्षेत्रीय जल और तट पर 500 मीटर तक की राज्यीय जल सीमा को कवर करती है। कर्नाटक में तटीय सुरक्षा पुलिस के तीन जिलों में 5 पुलिस स्टेशन हैं। मंत्रालय ने चरण-2 के तहत कर्नाटक के लिए चार तटीय पुलिस स्टेशन को मंजूरी दी है। 3 सी.पी.एस. के लिए भूमि का अधिग्रहण हो चुका है, जबकि 4 तटीय पुलिस स्टेशन के लिए भूमि

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

का अधिग्रहण किया जा रहा है। आगे, 1 सी.पी.एस के संबंध में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मैं भी सुझाव देती हूँ कि तटीय पुलिस सुरक्षा के लिए कर्मचारियों की भर्ती के लिए आकर्षक प्रोत्साहन संरचना पर विचार किया जाए।

कर्नाटक सरकार ने गृह मंत्रालय को सूचित किया है कि राज्य सरकार कोस्टल सिक्योरिटी पुलिसिंग के लिए अलग स्टाफ भर्ती करने की योजना बना रही है और उन्हें समुद्र में यात्रा के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करना चाहती है। कर्नाटक सरकार द्वारा उठाए गए कदम की प्रशंसा की जानी चाहिए और सरकार को अन्य राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी समुद्री पुलिसिंग के लिए विशेष कैडर को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसा कि कर्नाटक सरकार ने योजना बनाई है ।

मंत्रालय ने चेतावनी दी थी कि पश्चिमी घाट और तमिलनाडु-केरल-कर्नाटक के त्रिसंघ क्षेत्र में सशस्त्र कैडर तीन राज्यों को गंभीर सुरक्षा खतरे का सामना करा रहे हैं। एंटी नक्सल फोर्स (ए.एन.एफ.) को आधुनिक बनाने और उसे बेहतर हथियारों से लैस करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, इसके अलावा गहन खोजबीन और निगरानी को बढ़ाया जाना चाहिए। पुलिस और पैरामिलिटरी बलों को इस उभरते खतरे का सामना करने के लिए रणनीतियों को सुधारने में मदद की जानी चाहिए। जबकि नक्सलियों की उपस्थिति तटीय और **मलनाड** कर्नाटक क्षेत्र में अधिक है, उनकी गतिविधियाँ चिंता का विषय हैं और यहीं पर बलों के बीच समन्वय से मदद मिलती है। नक्सलियों का नए सिरे से गठजोड़ चिंता का विषय है, इसे एक सुनियोजित कार्य योजना के माध्यम से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कर्नाटक में उडुपी, चिकमगलुर, शिवमोगा, कोड़ागु और मैसूर जिलों में कई अवसरों पर सशस्त्र नक्सल समूहों की उपस्थिति और गतिविधियों का पता लगा है। मंत्रालय को कर्नाटक में पुलिस बलों को निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए निर्देश जारी करने और केरल-तमिलनाडु-कर्नाटक के त्रि-संघ क्षेत्र में प्रशासन की प्रमुखता को बनाए रखने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में छिपाई या संगठन के प्रयासों को नष्ट करने के लिए संयुक्त कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए। सरकार को नक्सल प्रभावित तालुकों को सामाजिक

विकास के हिस्से के रूप में सड़कें, पुल, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पर्याप्त धन प्रदान करना चाहिए। मुझे लगता है कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कार्यों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक बुनियादी संरचना और सेवाओं का विकास, जैसे कि स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, पुल, आदि, का कार्य चलते रहना चाहिए। मेरा विचार है कि इन क्षेत्रों में अवसंरचना और अन्य सुविधाएं प्रदान करके वामपंथी उग्रवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने में मदद मिल सकती है।

उदुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में पश्चिमी घाटों के क्षेत्र से काम करने वाली कुछ एन.जी.ओ. बताती हैं कि आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं के नक्सलवादी बनने के पीछे आजीविका का सवाल एक कारण है। आदिवासियों को छोटे वन अपशिष्ट (एम.एफ.डब्ल्यू.) को इकट्ठा करने से रोका जा रहा है और कुछ किसानों को कुद्रेमुख नेशनल पार्क (के.एन.पी.) क्षेत्र में उनके छोटे कृषि या बागवानी के खेतों से भी बेदखल किया जा रहा है। कई आदिवासी संगठनों और एन.जी.ओ. की ओर से एक मांग है कि या तो के.एन.पी. के एक भाग के रूप में आदिवासियों को जैव विविधता कारक के रूप में शामिल किया जाए, या आदिवासी बस्तियों को प्रभावित किए बिना क्षेत्र को अलग किया जाए। के.एन.पी. का क्षेत्रफल 66,000 हेक्टेयर है, जो दक्षिण कन्नड़, कोडगू, चिकमंगलूर, शिवमोगा और उडुपी के पांच जिलों को कवर करता है। इस मुद्दे के संभावित समाधानों में से एक समाधान हो सकता है: पंचायती राज - वन निवासी कानून के कार्यान्वयन से उन क्षेत्रों के लोग हितधारक बनेंगे। यहां औद्योगीकरण और स्थानीय लोगों को हितधारक बनाने के बीच अंतर किया जा सकता है। विकास में स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी के बिना इस तरह की उद्योगीकरण प्रक्रिया ने वर्षों से उनमें वंचितता और निराशा की भावना को बढ़ा दिया है, जिससे उनका झुकाव नक्सल विचारधारा की ओर अधिक हो गया है। हमें कठोर भ्रष्टाचार नियंत्रण कानून लागू करने चाहिए ताकि पी.डी.एस. और महिलाओं के विकासात्मक कार्यों में कोई कमी न हो।

भारत तीन दशकों से मादक पदार्थों की तस्करी का संकट झेल रहा है। विश्व के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों से निकटता और विभिन्न बाह्य और आंतरिक कारकों ने इसे एक मादक द्रव्यों का अड्डा , स्रोत और गंतव्य बनाने में योगदान किया है। देश में नशीली दवाओं की तस्करी के रुझान और पैटर्न दर्शाते हैं कि पारंपरिक/प्राकृतिक दवाओं से हट कर सिंथेटिक दवाओं की ओर धीरे-धीरे रूझान बढ़ रहा है, जिनकी देश में तस्करी और खपत हो रही है। विभिन्न अध्ययनों और समाचार पत्रों की ख़बरों से संकेत मिलता है कि नशीली दवाओं की खपत और तस्करी की प्रवृत्ति वास्तव में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए, कुछ सुझाव दिए गए हैं:

- बाहरी देशों से नशे के व्यापार को रोकने के लिए विशेष उपाय तैयार किए जाने चाहिए।
- विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को सुधारने की आवश्यकता है।
- नशे के व्यापार के संबंध में सूचना/खुफिया जानकारी जुटाने, इसका विश्लेषण करने और प्रसार क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- समस्त द्रव्यों के उत्पादन, व्यापार और सेवन पर एक डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि समस्या का आंकलन किया जा सके।
- नशे के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए विभिन्न घरेलू कानूनों को कडाई से लागू किया जाना चाहिए और द्रव्यों की जमाखोरी करने वालों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए।
- किसानों को अवैध रूप से पोस्त और भांग की खेती से दूर करने के लिए सरकार को व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना चाहिए।

मंत्रालय को केंद्रीय पैरा मिलिटरी फोर्सेज (सी.पी.एम.एफ.) की क्षमता बुनियादी संरचना को सुधारने और देश की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों को अपग्रेड करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रशिक्षण और शोध के लिए देश के हर प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्र में कम से कम चार अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान होने चाहिए । एन.डी.आर.एफ. के लिए एक अलग प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी दी जानी चाहिए और शुरू की गई परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना का बड़ा भारी महत्व है। राज्यों के पास धन की उपलब्धता अपर्याप्त रही है और एक इस प्रकार की महत्वपूर्ण योजना को राज्य सरकारों के धन की उपलब्धता पर ही छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि इस योजना के सुरक्षा और रणनीति की दृष्टि से व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं । राज्य अकेले ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रबंधन नहीं कर सकते, जिसका उद्देश्य हथियारों, उपकरणों के आधुनिकीकरण और देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हो । अब तक प्रस्तावित 12 पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए बजट का आवंटन रु. 3750.87 करोड़ था और इसमें से अब तक रु. 1951.39 करोड़ खर्च किया गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए, मंत्रालय ने रु. 1980.00 करोड़ का प्रस्ताव किया था।

संकटग्रस्त व्यक्ति मदद के लिए केवल पुलिस स्टेशन आता है या पुलिस कर्मियों से संपर्क करता है। ऐसे परिस्थितियों में अगर पुलिस कर्मचारी पुलिस स्टेशन पर कानून और शांति के संरक्षक के रूप में व्यवहार नहीं करते हैं, तो इस से परेशान व्यक्ति के लिए और भी समस्या उत्पन्न होती है। मेरा यह भी सुझाव है कि पुलिस कर्मियों के लिए नैतिक और नैतिक मूल्यों और लोगों के प्रति अनुकूल रवैया अपनाने से जुड़ा लंबी अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, अपितु उन्हें आम जनता के

साथ अच्छे संचार कौशल, व्यवहार, दृष्टिकोण और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

*__श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा):__ गृह मंत्रालय की अनुपूरक माँगों पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ।

संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करें और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।

गृह मंत्रालय के तहत केन्द्र-राज्य संबंध, आपदा प्रबंधन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, सीमा प्रबंधन महत्वपूर्ण कार्य है।

हाल ही में, नेपाल, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल में जो भूकंप आया इसमें एनडीआरएफ के तहत त्वरित राहत के कदम उठाकर अत्यंत मानवीय अभिगम वाला कार्य गृह मंत्रालय ने किया है। ऐसा कार्य कश्मीर की दो बार की बाढ़ में भी किया गया था। यह सराहनीय है।

वर्ष 2014 के दौरान वर्ष 2013 की तुलना में 6.18 प्रतिशत अधिक आतंकवादियों का खातमा किया गया है तथा वर्ष 2014 में 2013 की तुलना में घुसपैठ में 24.54 प्रतिशत कमी आयी है। वह दर्शाता है कि आतंकवादियों की हर हरकत पर मोदी जी की निगाहें जमी हैं।

वर्ष 2013-14 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के 1605 कॉडरों ने हथियारों/शस्त्रों के साथ आत्म समर्पण कर दिया है। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के प्रभावित क्षेत्रों में सड़क आवश्यकता योजना का क्रियान्वयन करके वहां की जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया ।

भारत की तट सीमा 7516.6 किमी लंबी है जो 9 राज्यों तथा 4 संघ शासित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तट पर आपराधिक तथा देशद्रोही तत्वों की सीमा पार से होने वाली किसी भी अवैध गतिविधि से तटीय रक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए तटीय राज्यों की सरकारों के साथ तटीय सुरक्षा योजना के चरण-।। के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा की जाती है। वह भी सराहनीय है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के लाभ हेतु गृह मंत्रालय द्वारा पहल की गई है। सीआरपीएफ में पहली बार 17000 महिला सुरक्षा कर्मियों की भर्ती का जो बजटीय प्रावधान किया गया है वह भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ता कदम है। मैं इसकी सराहना करती हूँ।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना-।। के तहत मुख्य बिंदु जवान रहे और पुनः सर्वोत्तम संभव प्रशिक्षण और उपकरण प्राप्त हो, उसके लिए सरकार ने अच्छे उद्देश्यों के साथ जो कदम उठाए हैं वह सराहनीय है।

जेल सुधार के लिए भी गृह मंत्रालय का कार्य विजनरी है इसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट में गृह मंत्रालय को 62,124.25 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 5752.07 करोड़ रु. अधिक है, जो आवंटन में 10.2 की प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। वह दर्शाता है कि मोदी सरकार सुरक्षा के प्रति कितनी जागरूक है।

इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास और अतिरिक्त सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए किया गया है।

निर्भया फंड के लिए 1 हजार करोड़ रु. देने का फैसला सराहनीय है क्योंकि देश की आर्धिआलम की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा का अहम मुद्दा है। जम्मू-कश्मीर के पंडितों के लिए राहत और पुनर्वास के लिए

580 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है और इस दिशा में क्रियान्वयन शुरू भी हो गया है। यह एनडीए सरकार की इच्छाशक्ति का अच्छा परिणाम है।

विश्व के विशालतम अर्द्धसैनिक बल सीआरपीएफ जिन्हें अक्सर नक्सलियों के साथ लोहा लेना पड़ता है- नक्सली विरोधी अभियान सहित आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए उनको हमेशा तैनात रहना पड़ता है। उनको 14089.38 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। उनके लिए भी मैं मोदी सरकार की आंतरिक सुरक्षा के तहत की गई चिंता के लिए धन्यवाद देती हूँ।

वैसे ही जवान भारत-पाक और भारत-बांग्ला देश सीमा सुरक्षा करने के लिए हर रोज तैनात रहते हैं उनके लिए 12517.82 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। वह भी सुरक्षा के तहत एक उचित कदम है।

भारत-चीन सीमा सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात आईटीबीपी को 3404.93 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। वह भी भारत-चीन सीमा विवाद के तहत अत्यंत सराहनीय कदम है।

देश के ज्यादातर हवाई अड्डों, औद्योगिक आधारभूत ढांचों, परमाणु केन्द्रों, दिल्ली मेट्रो के अलावा कई अन्य की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले सीआरपीएफ के लिए 5196.65 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। वह एनडीए की सीमा सुरक्षा की चिंता को दर्शाता है।

मोदी सरकार महिला सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करना चाहती। सरकार उनकी संरक्षा और सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है। मोदी सरकार ने अपने पिछले बजट में निर्भया कोष को दरिंदगी की शिकार महिलाओं को तत्काल इलाज सुनिश्चित कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की थी। इसमें - निर्भया कोष में 1 हजार करोड़ रु. और दिए गए हैं। रेल मंत्री जी ने भी महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा के तहत दिल्ली पुलिस अत्याधुनिक हथियार खरीदने के लिए 11.70 करोड़ रु. देने का प्रावधान किया गया है। वह भी सराहनीय है।

गृह मंत्रालय की अनुपूरक माँगों के अंतर्गत गुजरात की ओर से मेरी कुछ माँगें हैं, कृपया इन पर गौर किया जाए। गुजरात सरकार की ओर से एयरपोर्ट पर यात्रियों की इमिग्रेशन/एमिग्रेशन की कार्यवाही गुजरात के 8 मरीन पुलिस स्टेशन को शुरू करने की सूचना केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दी है। इसके तहत मरीन इमिग्रेशन चेकपोस्ट गुजरात में निर्माण की जाए।

गुजरात की समुद्री सीमा 1640 किमी है और वह पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ी हुई है। इसके तहत सुरक्षा की दृष्टि से उनका महत्व अधिक है क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया की ओर से गुजरात के पश्चिमी समुद्र में 600 करोड़ का हेरोइन-ड्रग्स पकड़ा गया है। राज्य की समुद्री पट्टी पर सूरत जिले में 9, भरूच 4, भावनगर 3, अमरेली 5, जूनागढ़ 6, पोरबंदर 1, जामनगर 8, कच्छ भुज 5 और सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला के साथ कुल 43 छोटे बड़े बंदरगाह हैं। इसलिए गुजरात को बंदरगाहों का राज्य कहा जाता है। कांडला के सिवा सभी बंदरगाहों की सुरक्षा गुजरात मैरीन टाइम के तहत निजी सुरक्षा दलों द्वारा की जाती है। ऐसे बंदरगाहों पर कायमी तौर पर हथियारधारी गार्ड, वॉच टावर, फ्लड लाइट और वाकी-टाकी सेट के साथ सुरक्षा जवानों की जरूरत रहती है और बार-बार पुलिस पेट्रोलिंग भी करवानी पड़ती है।

मुंबई की आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान के आतंकवादी पोरबंदर के ही समुद्री रास्ते से निकले थे और गुजरात-भारत की समुद्री सीमा अरबी समुद्र से भी जुड़ी हुई है और उनकी समुद्री सीमा पाकिस्तान से भी जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के पश्चिमी बंदरगाह ग्वादर जो चीन को दिया गया है उस वजह से भी आंतरिक और बाह्य देश की सुरक्षा के लिए छोटे-बड़े बंदरगाहों की कड़ी सुरक्षा करना अनिवार्य है। इसके लिए केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा उचित बजट आवंटन के प्रावधान किए जाएं।

भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय जल सीमा के नजदीक जो मछुआरे मच्छी पकड़ते हैं उन भारतीय मछुआरों का पाकिस्तान की मरीन सिक्यूरिटी एजेंसी द्वारा अपहरण किया जाता है और मछुआरों पर गोलीबारी की जाती है और बोटें भी जब्त करके ले जाते हैं और उन बोटों का और मछुआरों

का ब्रेनवाश करके भारत विरोधी आतंकवादी प्रवृत्ति में उपयोग किया जाता है। भारतीय मछुआरों की जागरूकता के लिए गुजरात सरकार ने जो अभियान चलाया है और 21 हजार मछुआरों को जागृत किया है। उनकी तालीम का खर्चा, खाने-पीने के खर्चे के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय गुजरात को शत प्रतिशत धनराशि मुहैया करवाये।

गुजरात राज्य की पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई सीमा पर बार्डर फेंसिंग का कार्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार फ्लड लाइट, जनरेटर सेट और बाकी का 77 किमी का बार्डर फेंसिंग का कार्य पूरा करने के लिए और उसकी मरम्मत करने के लिए उचित धन मुहैया करवाये।

कोस्टल सिक्युरिटी स्कीम के तहत कोस्टल सिक्युरिटी फेज-2 जो शुरू किया गया है, गुजरात सरकार द्वारा इसमें राज्य में 5 जेटी बनाने के लिए 50 लाख का खर्चा कम पड़ता है। इसमें 5 करोड़ रुपए तक खर्च होता है तो केन्द्र सरकार द्वारा इसमें सहायता राशि बढ़ाई जाए।

गृह मंत्रालय की सक्रियता देश में कानून, शांति, सलामती, संरक्षा की धरोहर है। जिसके कारण देश में निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने से रोजगार बढ़ता है। रोजगार बढ़ने से गरीबी दूर होती है और गरीबी दूर होने से विकास गति पकड़ता है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि यह सब मोदी सरकार ने कर दिखाया है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस देश के 125 करोड़ आबादी की रक्षा करने की जिम्मेदारी सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने स्वीकार की है। मुझे गर्व है, पूरे हिन्दुस्तान को संरक्षित करने और उसे आधार देने का काम गृह मंत्री जी के माध्यम से पूरे हिन्दुस्तान में हो रहा है।

गृह मंत्रालय की जो भी मांगें हैं, उसकी कार्य-कक्षा निश्चित हो चुकी है। वर्ष 1961 के कानून के अंतर्गत गृह मंत्रालय की जो भी कार्य-कक्षा है, उसके लिए जो भी बजट में प्रोविज़न किया गया है, उसका पूरा इस्तेमाल करके इस देश के सुरक्षा बलों और अन्य राज्यों के पुलिस बलों की सुरक्षा के बारे में देश के गृह मंत्री जी को सुनना चाहिए ऐसा मैं आपके माध्यम से उनसे विनती करता हूँ।

गृह मंत्री जी के सामने सबसे बड़ी कठिनाई देश की आंतरिक सुरक्षा है। आज देश की आंतरिक सुरक्षा की परिस्थिति गंभीर है। खासकर बंगलादेश से आने वाले जितने भी घुसपैठिए हैं, आज उनको रोकने के लिए जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल होना चाहिए, वह दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है। इसके पहले जैसा कि सम्माननीय श्री हुकुम सिंह जी ने कहा, उस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। एक बाजू में बंगलादेश और दूसरे बाजू में पाकिस्तान तथा तीसरे बाजू में चीन है। इसी प्रकार से हिन्दुस्तान के चारो ओर से आने वाले जो घुसपैठिए हैं, उनकी तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र के, खासकर मुम्बई के बाजू में, जैसे भयंदर है, एक नवी मुम्बई है, इसके कई क्षेत्रों में लाखों की संख्या में बंगलादेशी घुसपैठिए घुसे हैं और उनके कारण वहाँ सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ है और भी कई बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

आज महाराष्ट्र में काम करने वालों में बंगलादेशी वर्कर्स में, बंगलादेशी चाइल्ड लेबरर्स की संख्या ज्यादा है। उनको रोकने के लिए सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। मुझे भरोसा है कि इस देश के गृह मंत्री जैसे जम्मू-कश्मीर के बारे में देख रहे हैं, वहाँ के विकास के लिए इस बजट में 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जम्मू-कश्मीर का सुधार करते वक्त, उसका पुनर्वासन करते वक्त, जो वहाँ के

पंडित थे, उनकी घर वापसी का एलान केन्द्र सरकार के माध्यम से हुआ है, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पंडितों को वहाँ घर बनाकर देने से उनका पुनर्वासन नहीं होने वाला है। कश्मीरी पंडितों की जो जमीनें थीं, जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों का घर-बार लूटा है, वे लुटेरे हैं, उनसे कश्मीरी पंडितों की प्रोपर्टी को सरकार वापस ले और उनका पुनर्वासन सरकार सही तरीके से करे, यह मेरी प्रार्थना है।

मुझे भरोसा है कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने जिस तरीके से इस देश में रहकर पाकिस्तान जिन्दाबाद का एलान करने वाले मसरत को 24 घण्टे के अंदर पकड़कर जेल की हवा खाने के लिए भेजा, वैसे ही कश्मीर में लगी हुई अनुच्छेद 370 हटाइए और कश्मीर से कन्या कुमारी तक पूरे हिन्दुस्तान को एक करें, समान नागरिक संहित का अमल करें और अगर हिन्दुस्तान में रहना है तो वन्दे मातरम कहना ही होगा, यह बात उनको कड़ी भाषा में आप समझाइए। हिन्दुस्तान की सुरक्षा से मजबूत होगी और गर्व है हमें कि आप जैसे गृहमंत्री यह कर सकते हैं। आज हिन्दुस्तान में रहने के बाद भी समस्या निर्माण करने वाले लोग कई जातियों में, कई धर्मों में भड़काऊ भाषण करने वाले हिन्दुस्तान में आज भी हैं। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वे ऐसे काम करते हैं, दुर्भाग्य से उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। मेरी विनती है कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

मादक पदार्थों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। हमारे यहां खासकर इंटर-स्टेट ड्रग्स की सप्लाई में दुर्भाग्य से महाराष्ट्र और मुंबई की पुलिस इनवाल्व्ड है। दो दिन पहले जब एक ड्रग माफिया औरत को पकड़ा गया तो मालूम हुआ कि उसमें महाराष्ट्र और मुंबई के दस पुलिस वाले उसका साथ देते थे। कोलाबा के मरीन ड्राइव की एक पुलिस चौकी में जब रेड डाली गयी तो पुलिस सब-इंसपेक्टर के लॉकर में कम से कम 100 किलोग्राम अफीम और गांजा मिला। कहीं-कहीं पुलिस बलों की जो ऐसी स्थिति हो रही है, पुलिस का इनवाल्वमेंट तस्करी में हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण हैं, उन पर सोचना चाहिए। आज पुलिस बल की स्थिति सही नहीं हैं, उन पर प्रेशर है, छुट्टी नहीं मिलती है, उनके ड्यूटी ऑवर्स सही नहीं हैं, ड्यूटी का प्रेशर ज्यादा रहता है और उनके निवास स्थान सही नहीं हैं। आप कहीं भी देखें,

पूरे देश में पुलिस क्वार्टर्स की हालत दयनीय है। पुलिस बलों का वर्किंग ऑवर्स भी केन्द्र सरकार के माध्यम से निश्चित होना चाहिए, उनको भी बाकी फेसिलिटीज मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, तटवर्ती रेखा का एक बहुत गंभीर प्रश्न निर्माण हो चुका है। हिन्दुस्तान में कई मील दूर तक तटवर्ती सीमा रेखा है, सिर्फ महाराष्ट्र में कम से कम 720 किलोमीटर लम्बी तटवर्ती सीमा रेखा है, लेकिन आज तटवर्ती मार्ग से तस्करी करने वालों की संख्या बढ़ी है। आज इस पर निगरानी रखने के लिए जिस तरीके से नौकाएं होनी चाहिए, कंट्रोलिंग के लिए अन्य प्रबंध होने चाहिए, वे प्रावधान केन्द्र शासन द्वारा किए जाने चाहिए। ...(व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जेल्स आज गुनाहगारों के घर बन चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नागपुर की एक जेल में जब विजिट की तो वहां पर आरोपियों के पास कम से कम 50 मोबाइल फोन और 100 सिम कार्ड मिले। ऐसी असुरक्षित जेल्स को सुरक्षित बनाया जाए। ...(व्यवधान)

*__श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा):__ माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो माननीय गृह मंत्री जी ने इस बार बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 10.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है, उससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया है और निर्भया फण्ड के लिए एक हजार करोड़ रुपए की आतिरिक्त व्यवस्था की गई है। इससे महिलाओं की सुरक्षा में कारगर कदम उठाया जा सकेगा। कश्मीरी विस्थापितों के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर, उनके पुनर्वासन की योजना बनाने का विशेष प्रबंध किया गया है। इससे उनकी घर वापसी आसान होगी।

मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इस समय जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी ताकतें फिर से सक्रिय हुई हैं, उनको कड़ाई से रोकना होगा, जिससे वे घाटी के अमन चैन को फिर से न बिगाड़ सकें। कश्मीरी पंडितों की वापसी शीघ्र सुनिश्चित कर उन्हें शीघ्र सुरक्षित स्थानों पर बसाने की योजना को शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिए और ऐसी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे कि उनको फिर से अपनी मातृभूमि को न छोड़ना पड़े। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित दस राज्य हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ प्रांत की हालत इधर काफी चिंताजनक है। वहाँ पर उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने की योजना बनाकर पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में भी मिर्जापुर जनपद से वामपंथी उग्रवादी आकर जंगलों में कब्जा कर रहे हैं और वनवासियों तथा आदिवासियों को धमका कर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वहाँ भी उग्रवाद प्रभावी क्षेत्र मान कर सुरक्षा की एवं उनकी गतिविधियों को रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। किसी भी गंभीर मामले में सीबीआई इंक्वायरी कराने का केन्द्र को सीधे आधिकार होना चाहिए। अभी यह देखने में आता है कि देश की संघीय ढांचे की आड़ में राज्यों में हो रहे गंभीर मामलों में भी सीबीआई इंक्वायरी बिना राज्यों के मांग के नहीं हो सकती है, जिससे तमाम

* भाषण सभा पटल पर रखा गया ।

गंभीर अपराधों का खुलासा नहीं हो पाता है। अतः ऐसे नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए, जिससे केन्द्र सरकार ऐसे गंभीर मामलों पर तुरंत निर्णय लेकर सीबीआई इंक्वायरी करवा सके।

पुलिस बल की नियुक्ति का आधिकार राज्य की सूची में आता है। लेकिन विशेष कर हमारे उत्तर प्रदेश में यह देखने में आ रहा है कि राज्य सरकार मनमाने तरीके से पुलिस में नियुक्तियां कर रही है और केवल एक या दो जातियों के लोग आधिकतर पदों में, कहीं-कहीं तो 75 प्रतिशत तक एक ही जाति के लोग बैठे हैं। इसमें गृह मंत्रालय को ऐसा निर्देश राज्यों को देना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व पुलिस बल में दिखाई पड़े और कोई विशेष परिस्थिति आने पर भी कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। पुलिस बल का राजनीतिकरण भी राज्यों द्वारा किया जाना, विशेषकर उत्तर प्रदेश में चिंताजनक है। इसलिए ऐसी कारगर व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे राज्य पुलिस बल का अपने हित में राजनीतिक दुरुपयोग न कर सके। देश में समान रूप से सभी को सुरक्षित रहने की सुविधा मिल सके। होमगार्डों का उपयोग ठीक से प्रांतों में नहीं हो पा रहा है। उसके लिए बजट बढ़ाकर उनको और प्रशिक्षित कर, उनके ड्यूटी के दिनों को बढ़ाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। अस्तु वहाँ पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों के प्रशिक्षणि केन्द्र खोलने का मैं इस बजट में प्रावधान करने की माननीय गृह मंत्री जी से माँग करता हूँ।

*__श्री गणेश सिंह (सतना) :__ मैं वर्ष 2015-16 के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रख रहा हूँ। केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय को पिछली बार की तुलना में 56372.45 करोड़ की जगह 62124.54 करोड़ का आवंटन दिया गया है, जो 10.2 प्रतिशत की वृद्धि है।

यह आवंटन महिलाओं की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और आतिरिक्त सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए दिया गया है। अकेले निर्भया फंड के लिए 100 करोड़ रूपये दिए गए हैं। सीआरपीएफ, जो सबसे बड़ा जोखिम का काम करती है, उसके लिए 14089.38 करोड़ रूपये का आवंटन दिया गया है। बीएसएफ को 12517.82 करोड़ रूपये दिए गए हैं। आईटीबीपी के लिए 32376.44 करोड़ रूपये दिए गए हैं। इन तीनों को विगत वर्ष की तुलना में अधिक आवंटन दिया गया है। इसी तरह सीआईएसएफ को 5196.65 करोड़ रूपये हवाई अड्डों, परमाणु केंद्रों, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करने हेतु दिए गए हैं।

गृह मंत्रालय का जो उत्तरदायित्व है, उसमें प्रमुख रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, केंद्र एवं राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण बनाए रखना, राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुता, सद्भाव बनाए रखना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का गठन एवं तैनाती, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटवर्ती सीमा का प्रभावी रूप से प्रबंधन, आपदाओं से पैदा होने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा राहत प्रदान करना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याण के लिए कार्य करना, जनगणना करना, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार एवं दुरूपयोग की रोकथाम, आईपीसी के लिए नियमों का निर्माण जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य हैं।

आज देश की सीमा में विदेशी घुसपैठ, आतंकवादी हमले, नक्सलवाद, कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की घुसपैठ अत्यंत चिंता का विषय है। असम से बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या, देश के विभिन्न राज्यों में हो रही है। उनकी पहचान होनी चाहिए और देश से बाहर किया जाना चाहिए।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

छत्तीसगढ़ मे बढ़ा हुआ नक्सवाद लगातार खून की होली खेल रहा है। इसके कारगर उपाय ढूंढने की जरूरत है। राज्यों की पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त मदद की जरूरत है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस को अत्यधिक सहायता की जरूरत है। विशेष रूप से जो क्षेत्र डकैत प्रभावित हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह क्षेत्र जंगली क्षेत्र है और कई थाना क्षेत्र एडी घोषित हैं। लंबे समय से जिला सतना में किसी अर्ध-सैनिक बल का प्रशिक्षण क्षेत्र खोलने की मांग है, जिसके लिए जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराने को तैयार है।

मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में नए थाना क्षेत्र, विशेष पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा संख्या बल बढ़ाने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाए।

प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश में लगातार आने से किसान अत्यंत दुखी है। अभी हाल ही में ओला तथा तेज बारिश से फसलों का भारी नुकसान हुआ है। केंद्रीय अध्ययन दल ने खुद जा कर देखा है। माननीय गृह मंत्री जी आपने भी ग्वालियर में जाकर किसानों की तबाही देखी है। लेकिन अभी तक सहायता राशि नहीं पहुंची है।

मध्य प्रदेश में बड़ी तेज गति से औघोगीकरण हो रहा है। जिसमें पुलिस बल की जरूरत है। अतः सीआईएसएफ की एक बटालियन विशेष रूप से मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना के लिए देने की मांग है।

मैं मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूँ कि जो गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस फोर्स है, सिपाहियों की अपनी कुछ निजी परेशानियों के बारे में समय-समय पर जानकारी आती रहती है। जब समाधान नहीं होता तो उनके मन में हताशा आती है। उनकी लीगल समस्याओं के समाधान हेतु किसी कानूनी फोरम का गठन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

फिलहाल देश मे 88 जिलों की 31,400 ग्राम पंचातें नक्सल प्रभावित हैं। झारखंड में 17 जिले, उडीसा में 18 जिले, छत्तीसगढ़ में 14 जिले, विदर्भ में 11 जिले, मध्य प्रदेश में 11 जिले पश्चिम बंगाल में 3 जिले, तेलंगाना में 4 जिले तथा उत्तर प्रदश में 3 जिले प्रभावित हैं।

इन जिलों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्यों के साथ साझा आभियान चला कर मूल कारणों की खोज कर उसका समाधान ढूंढने की जरूरत है।

अंत में, मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

*__श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर):__ भारत की आंतरिक सुरक्षा को बाहरी ताकतों से भी खतरा है। विदेशी धरती से भारत पर आतंकवाद और उग्रवाद थोपा जा रहा है। भारत दक्षिण एशिया के केंद्र में है, जो पश्चिम एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अस्थिर क्षेत्र है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ भारत को उच्च जोखिम श्रेणी में रखती हैं। नवीनतम यू.एस. रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह भारत को लक्ष्य बना रहे हैं। इसलिए यदि इन आंतरिक और बाह्य ताक़तों से आने वाली धमकियों के खिलाफ प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो भारत के रूप में एक देश को क्षीण होने का खतरा हो सकता है।

जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने सही रूप से दर्शाया है, भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती वामपंथी उग्रवाद है। इसके अलावा, जेहादी आतंकवाद, ड्रग तस्करी, अवैध प्रवास, नकली मुद्रा की आपूर्ति, मानव तस्करी, छोटे हथियारों का प्रसार, साइबर युद्ध, नारकोटिक्स और ड्रग्स की तस्करी अन्य खतरे हैं।

अन्य खतरों के विपरीत वामपंथी उग्रवाद विचारधारा उन्मुख है। इसकी जड़ें आदिवासियों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में हैं, जिन्हें सरकारों ने बार-बार अनदेखा किया और उनको वंचित किया है। लालची निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा उनकी वन भूमि की खुल्लमखुला और लापरवाहीपूर्ण लूट, सरकारों और अधिकारियों के साथ सांठगांठ ने उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की सबसे खराब स्थिति ने जंगलों को वामपंथी उग्रवाद के प्रजनन स्थल में बदल दिया है। इस सरकार को आदिवासियों तक पहुंचना होगा और उनकी समस्याओं को शीघ्रता से

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कम करना होगा। वामपंथी उग्रवाद एक असफल विचारधारा है, लेकिन इसे केवल कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं समझा जा सकता।

15 मिलियन बांग्लादेशी अवैध रूप से हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं, बसे हुए हैं, जिसके कारण असम, त्रिपुरा आदि राज्यों में जनसांख्यिकीय उथलपुथल हो रही है। निचले असम में, स्थानीय लोग अल्पसंख्यक बन गए हैं और घुसपैठीये बांग्लादेशी मुस्लिम बड़े संख्यात्मक समूह बन गए हैं। इसलिए, यह आशंका है कि निचला असम या तो एक स्वतंत्र राज्य या बांग्लादेश के साथ विलय का विकल्प चुन सकता है। बांग्लादेशी प्रवासियों की घुसपैठ से स्थानीय लोगों में अशांति और परिणामस्वरूप उग्रवाद पैदा होता है। ये प्रवासी हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा हैं, क्योंकि इनमें से कुछ सीमा पार आतंकवाद को आईएसआई द्वारा प्रायोजित करते हैं।

साइबर युद्ध अगली पीढ़ी का खतरा है। साल दर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। अगर इसे पहले ही नही रोका गया, तो यह खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है।

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. द्वारा प्रायोजित और क्रियान्वित जिहादी आतंकवाद एक सीमा पार का आतंकवाद है जिसमें घातक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ करायी जाती है। हाल ही में आई.एस.आई. ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इंडियन मुजाहिदीन, अल-उम्मा, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (एस.आई.एम.आई.) जैसे भारत में जन्मे आतंकवादी समूहों का इस्तेमाल किया। आतंकवादियों के लिए निधि नकली मुद्रा से प्राप्त की जाती है, जो भारत में अनुमानित रूप से रु. 16,000 करोड़ हैं।

मानव तस्करी एक और चिंताजनक बात है। अनुमानित 2.5 मिलियन लोग हर साल भारत से तस्करी के शिकार होते हैं, जिनमें से 1.2 मिलियन बच्चे होते हैं। भारत मानव तस्करी के लिए एक

पारगमन बिंदु के रूप में भी कार्य करता है। एक और गंभीर समस्या है हथियारों का व्यापार। दुनिया भर में हर साल लगभग रु. 600 करोड़ के छोटे हथियारों का व्यापार होता है, जिसके माध्यम से लगभग 3 लाख लोग प्रतिवर्ष मरते हैं। यह हथियारों का व्यापार आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि भारत को 7516 कि.मी. लंबी तटरेखा की रक्षा करनी पड़ती है, जो दुनिया में सबसे लंबी है। हमारी क्षमता इस विशाल समस्या से निपटने के लिए बहुत ही कम है।

आंतरिक सुरक्षा के तेजी से नियंत्रण से बाहर होने की स्थिति में, उत्तरोत्तर केंद्र सरकारें इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए राज्यों को मजबूत करने के बजाय, राज्यों पर हावी होने का प्रयास करती रही हैं। आंतरिक सुरक्षा को या तो केंद्रीय सूची (सूची - 1) के तहत या समवर्ती सूची (सूची- 2) के तहत शामिल करने के लिए भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची को संशोधित करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि केंद्र को कार्य करने के लिए स्पष्ट भूमिका मिल सके। केंद्र के लिए प्रस्तावित यह सर्वोपरि शक्ति राज्यों के अधिकारों को खत्म कर देगी जो संघवाद की भावना के खिलाफ होगी।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली केंद्रीय सरकार द्वारा कई कानून लाने के प्रयास हुए हैं, जिनमें बिना संबंधित राज्य सरकारों की सहमति के और इस दावे के आधार पर केंद्रीय बलों को आतंकवादियों और विद्रोह से निपटने में उनकी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया है कि यह केवल एक कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। वर्तमान कानून स्वयं प्रावधान करता है। ऐसी स्थितियों में भी, केंद्रीय बलों को केवल राज्यों के आदेश के तहत ही कार्रवाई करनी होती है। चूंकि राज्यों को समस्या के करीब रखा गया है, इसलिए उन समस्याओं से निपटने में भी उनकी बड़ी भूमिका है।

किसी को भी कभी नहीं भूला जाना चाहिए कि भारत राज्यों द्वारा शासित होता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। राज्य पुलिस बलों को खतरों का सामना करने के लिए प्रभावी रूप से सशक्त और मजबूत किया जाना चाहिए।

राज्यों में संघर्ष वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों की तैनाती से मन में जलन होती है और केंद्रीय बल स्थानीय लोगों से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। सेना की लंबी मौजूदगी से हमेशा अतिवाद पनपता है। वो भी , जब उन्हें विशेष शक्तियां दी जाती हैं, तो वे आसानी से कानून और न्याय की प्रक्रिया का उल्लंघन कर सकते हैं। जब जरुरत से अधिक शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी, तो वे संविधानेत्तर शक्तियाँ बनेंगी और नागरिकों के अधिकारों को कुचला जाएगा।

साम्प्रदायिकता और आतंकवाद को नियंत्रित करने के दावे के तहत, केंद्र सरकारें राज्यों की शक्तियों को क्षीण करने के लिए प्रयासरत हैं, जो न तो उचित लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा और न ही संघीय भावना का सम्मान होगा , जो इस देश को एकता के सूत्र में बांधती है। श्री मोदी के अधीन भारतीय जनता पार्टी कई बार संघवाद के पक्ष में दृष्टिकोण व्यक्त करती रही है। उन्हें अपनी विश्वशनीयता सिद्ध करने के लिए इस पर कार्रवाई करने दो। खाने के बाद ही स्वाद का बोध होता है।

अंत में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की मुख्य समस्या मुकदमों का भारी बैकलॉग है, जिसके परिणामस्वरूप भारी देरी होती है। परिणामस्वरूप, विचाराधीन कैदियों को कई वर्षों तक जेल में रखना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही भरी हुई जेलों में भीड़ बढ़ जाती है। कुल कैदियों में 24.2 प्रतिशत विचाराधीन कैदियों का है।

उपरोक्त समस्याओं पर बार-बार चर्चा की गई है और इसके बारे में कई बार लिखा और बोला गया है। मुद्दा यह है कि इन बकाया समस्याओं पर कब ध्यान दिया जाएगा?

हमारी बाह्य सुरक्षा की स्थिति हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार है। हमारे प्रमुख पड़ोसी देशों के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी इतनी अच्छी नहीं है। जम्मू और कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान के हठधर्मी रवैये के कारण हमारे उसके साथ संबंध अब भी बिगड़े हुए हैं। भारतीय सरकारें कश्मीर की चुनी हुई सरकार को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष शक्तियाँ प्रदान करके और राज्य के

विकास और संचालन के लिए विशाल निधियों देकर बड़ी छूटें दे रही हैं, और आंतकवाद और सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए वहां बलों को तैनात करके बड़ा भारी नुकसान उठा रही है। हालाँकि हम कश्मीर के लोगों को अपनी ओर खींचने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज, पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र और निकृष्टतम श्रेणी की सांप्रदायिकता का गढ़ बन गया है। सेना और आई.एस.आई. भारत के साथ संबंध निर्धारित करने में चुनी हुई सरकारों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता केंद्र बने हुए हैं। वे अपराधियों को आश्रय देते हैं, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं और नियमित अंतराल पर भारत पर आतंकवादी हमले को बढ़ावा देते हैं। वे अपनी सरजमीं पर संचालित आतंकवादी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में भारत के साथ सहयोग नहीं करते हैं, जिनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त दस्तावेज़ हैं। फिर भी पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से सहायता मिलती है।

सोवियत संघ के बिखराव के बाद वर्ष 1991 में भारत की विदेश नीति में एक प्रत्यक्ष गिरावट आई। उसके साथ ही, भारत की आर्थिक नीति भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, हम लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवाद के रणनीतिक साथी बन गए हैं। हम वित्तीय और बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण, डॉलर को आरक्षित मुद्रा बनाए रखने और मुख्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपना प्रभुत्व बनाए रखने के संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों से बच कर निकलना चाह रहे हैं।

भारत की विदेश नीति में राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे की पूर्व संध्या पर अमेरिका के प्रति स्पष्ट बदलाव और नरमी देखी गई। भारत और संयुक्त राज्य डिफेंस फ्रेमवर्क समझौते की 10 वर्ष की अवधि की वैधता का जनवरी वर्ष 2015 से विस्तार किया जाना और एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर के संयुक्त दृष्टिकोण के संबंध में घोषणा बहुत ही स्पष्ट रूप से इस संदर्भ में एकमात्र प्रमाण है कि भारत ने एशिया में चीन को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व वाले गठजोड के साथ गठबंधन किया है।

भारत दक्षिण चीन सागर पर अमरिकी स्थिति का समर्थन करने की हद तक चला गया है, जो कुछ क्षेत्रीय विवादों को छोड़कर अपेक्षाकृत शांत है, जिनका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। संयुक्त राज्य, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चतुर्पक्षीय रक्षा समझौते का उद्देश्य एशिया प्रशांत, पूर्व और दक्षिण एशिया को सैन्यकरण करना है और क्षेत्र में शत्रुता को बढ़ावा देना है जिससे हमारे सैन्य बजट में आक्रामक बढ़ोतरी होगी, राजग सरकार के वृद्धि और विकास पर ध्यान केन्द्रित करने की प्रक्रिया बाधित होगी।

हमें यह समझना चाहिए कि अमेरिका के आदेश पर इस गोलार्ध में चीन को सैन्य रूप से चुनौती देना खतरों से भरा है। चीन रक्षा तैयारी में बहुत आगे है। इसलिए चीन को उकसाना हमारे हित में नहीं है। आशियान देश काफी समझदार हैं कि वे चीन का सामना करने के बजाय, क्षेत्रीय आर्थिक विकास को चीन के साथ साझा कर रहे हैं ।

संयुक्त राज्य अमरीका ने अपने परमाणु हथियारों और उच्च तकनीक से लैस नौसेना का 60 प्रतिशत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया है, और इस क्षेत्र में हलके फुल्के संघर्षों को बड़े संघर्षों में तब्दील कर रहा है, जिसके परिणामस्वरुप युद्ध हो सकते हैं और इस अन्यथा शांतिपूर्ण क्षेत्र का सैन्यकरण करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है । यह भारत से सहयोग की तलाश में है ताकि वह चीन को हिंद महासागर में प्रवेश न करने दे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस युद्ध में अपने दुस्साहस के कारण अमेरिका के नियंत्रण में विसैन्यीकृत जापान के पास एक संभावित विकास कारक था। अब संयुक्त राज्य अमरीका ने चीन को चुनौती देने के लिए जापान को सैन्य शक्ति बढाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

संयुक्त राज्य अमरीका कभी भी हमारा स्वाभाविक साथी नहीं हो सकता। शीत युद्ध काल से ही, संयुक्त राज्य अमरीका हमारे विरुद्ध रहा है। यह हमेशा से दोहरे मानदंड अपनाता आ रहा है, जिसमें एक तरफ यह अपनी वैश्विक रणनीति के मुख्य स्तंभ के रूप में अपने आपको आतंकवाद का विरोधी

घोषित करता है, लेकिन दूसरी तरफ, वह पाकिस्तान का समर्थन करता है जो भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित करता है।

चीन भी ठीक नहीं है लेकिन पाकिस्तान के साथ इसके रिश्ते मुख्यतः अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए हैं। यह विभिन्न देशों को आपस में जोड़ रहा है ताकि बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। यह अपने जिंगज़ियांग प्रांत से पाकिस्तान के कुवेदार बंदरगाह और भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र गिलजिथ के माध्यम से यूरोप तक एक सुपर हाईवे का निर्माण कर रहा है। क्वेडार पोर्ट के माध्यम से, इसे अरब सागर तक पहुँच मिलेगी, जिससे इसका लंबा समुद्री मार्ग छोटा हो जाएगा।

अपने विशाल अधिशेष और रिजर्व के साथ, चीन दुसरे देशों में भी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिनसे व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और बहुत से देशों को लाभ होगा । इन परियोजनाओं की प्रकृति को देखते हुए वर्चस्ववादी और विस्तारवादी इरादे पूरी तरह से अनुपस्थित हैं। चीन के चल रहे सिल्क रूट आर्थिक बेल्ट, 21वीं सदी की समुद्री सिल्क रोड, चीन-सेंट्रल एशिया और चीन-रूस के बीच प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाएं। चीन और कज़ाखस्तान के बीच मध्य एशियाई अंतरराष्ट्रीय मालवाहक ट्रेन मार्ग फरवरी, 2015 से संचालन में है। चीन द्वारा शुरू किए गए एशियन इंफ्रा निवेश बैंक ने अब एक थोड़े से समय में 41 सदस्य देशों को शामिल किया है।

इस प्रकार, चीन एक उभरती और शक्तिशाली शक्ति है जिसकी विश्व में सबसे उच्च वृद्धि दर है, जबकि अमेरिका एक पतनशील शक्ति है। एशिया की ओर रुख करना अपने आधिपत्य के इरादे को बरकरार रखने का उसका आखिरी प्रयास है। चीन शांति और सौहार्द के पक्ष में है। अमेरिका आक्रामक है और वैश्विक आतंक के खिलाफ उसकी लड़ाई निरर्थक साबित हो रही है। आतंकवाद को रोकने के नाम पर उसने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप किया। अरब स्प्रिंग के साथ और उसके ख़िलाफ़ जाने की इसकी नीति के परिणामस्वरूप इस्लामी कट्टरवाद बढ़ा और इस्लामी

आतंक मजबूत हुआ। यह बार-बार दोहरे मापदंड अपनाता है, क्योंकि यह हमेशा अपने सर्वोत्तम हित में ही कार्य करता है।

अमेरिका के प्रति उपजे अपने नवोदित प्रेम में एनडीए सरकार ने उभरते हुए क्षेत्रीय और विश्व मंचों, जैसे कि बीआरआईसीएस जिसमें रूस और चीन सक्रिय सहभागी हैं, शांघाई सहयोग, लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन राष्ट्रों का समूह, बोलिवेरियन गठबंधन और दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों के लोगों के संघ इत्यादि को नीचा दिखाया है । ये मंच बहुपक्षीय संस्थानों की स्थापना कर रहे हैं, जैसे बीआरआईसीएस द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक और एक आकस्मिक आरक्षित कोष, और एशिया इंफ्रा इन्वेस्टमेंट बैंक जिसमें भारत समेत 21 एशियाई देश शामिल हैं। इन मंचों और संस्थानों का उद्देश्य एक वैकल्पिक सुरक्षा उपाय के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा नियंत्रित एकध्रुवीय व्यवस्था के विरुद्ध बहु- ध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ते रूझान को मजबूती देना है। न तो एनडीए सरकार ई.यू. और लैटिन अमेरिका में उभरती वामपंथी धारा के प्रति उत्साही है। ऐसा करना हमारे हित में है कि हम विश्वभर में उभरती प्रवृत्तियों के साथ जाएं और पूरे विश्व में शांति और समृद्धि लाएं।

साम्राज्यवादी शक्तियों के पास विश्व के वर्तमान संकट का कोई समाधान नहीं है। इसके बजाय वे अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व संकट को तीव्र कर रहे हैं। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का कनिष्ठ सहयोगी बनने के बावजूद, अमेरिका किसी भी विश्व मंच अर्थात परमाणु आपूर्ति समूह, सुरक्षा परिषद आदि में भारत की महत्त्वाकांक्षाओं को व्यक्त नहीं कर रहा है। अमेरिका ने भारत को अपने पाले में करने के स्पष्ट इरादे से हमें असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते में शामिल किया है ताकि भारत एक पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने के अपने कार्यक्रम को छोड़ दे। भारतीय सरकारें दावा कर रही हैं कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौते करने से हमारा परमाणु अलगाव समाप्त हो गया है ।

खोजे गए रक्षा दस्तावेजों से यह उजागर हुआ है कि मैकमोहन रेखा को लागू करने के लिए चीन के प्रति किए गए हमारे आक्रामक प्रयासों के कारण वर्ष 1962 में चीन ने क्यूबा संकट के चरम काल में

हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। जिन साम्राज्यवादी ताकतों ने हमें चीन को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित किया, वे हमारे संकट और युद्ध में अपमानजनक हार के समय कभी भी हमारी मदद के लिए नहीं आईं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध से कोई सबक नहीं सीखा है। चीन के साथ हमारी फेंस को ठीक करने और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) को स्पष्ट करने के बजाय, अमेरिकी साम्राज्यवाद के आदेश पर, हम एक चुनौती के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में होगा और कभी भी हमारे हित में नहीं होगा।

हमारे प्रधानमंत्री बार-बार राज्यों की बढ़ती भूमिका के संबंध में उपदेश दे रहे हैं। लेकिन व्यवहार में राज्यों की स्वायत्तता तेजी से खत्म हो रही है जैसा कि पिछली सरकार ने किया था। किसी भी विदेश नीति में किसी भी परिवर्तन के संदर्भ में राज्यों के विचारों को सुना जाता है, ताकि अधिकांश लोगों की राय को सुना जा सके और सहमति बनाई जा सके, इसके लिए संवैधानिक समर्थन के साथ एक नई उपयुक्त नीति निर्धारित की जानी चाहिए। भारत की विशाल विविधता को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। जब कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका को सौंपा गया, तो तमिलनाडु राज्य की राय और सहमति नहीं ली गई। कच्चातीवु को भारतीय संविधान के विरुद्ध बदले में बिना कुछ लिए और संविधान में किसी भाग को किसी अन्य देश को सौंपने से पहले संसद में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन पारित करने की आवश्यकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के खिलाफ, श्रीलंका को दिया गया था। तत्कालीन विपक्षी नेता और भाजपा के सबसे कद्दावर नेता श्री वाजपेयी ने कच्चातिवु को सौंपने का विरोध किया और इसे अदालत में चुनौती देने का प्राण लिया। लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित संकल्प की आत्मा के विरुद्ध कच्चातीवु को वापस पाने के लिए कोई भी कदम उठाने से स्पष्ट रूप से इनकार कर रही है।

न ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून, जो निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रों के बीच मध्याह्न समुद्री रेखा समान दूरी पर खींची जानी चाहिए, का सम्मान नहीं किया जाता है। अगर उस कानून का पालन किया गया

होता, तो पाक जलडमरूमध्य में स्थित कच्चथीवु, जो हमारी भूमि से 12 किलोमीटर और श्रीलंका से 18 किलोमीटर दूर है, हमारा होता। इससे तमिलनाडु के मछुआरों की आजीविका सुरक्षित होती, जो अब घोर उत्पीड़न और दुर्दशा का सामना कर रहे हैं।

क्योंकि तमिलनाडु के लोगों से परामर्श नहीं किया गया और उनकी सहमति केंद्रीय शक्तियों के लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रही, लाखों भारतीय मूल के पहाड़ी तमिलों को श्रीलंका और भारत के बीच दो धोखाधड़ीपूर्ण समझौतों के तहत भारत में वापस भेजा गया। इससे भी बुरा यह है कि लाखों पहाड़ी तमिलों को अब भी श्रीलंका में नागरिकता अधिकार नहीं दिए गए हैं।

ईलम तमिलों के हितों को बार-बार केंद्रीय सरकारों द्वारा भारतीय सरकार और उसके साथी पूंजीपतियों के बाजार हितों की वेदी पर झुठलाया गया। और भी बुरा यह है कि वर्ष 2009 में पिछली केंद्रीय सरकार ईलम तमिलों पर हुए नरसंहार युद्ध में भागीदार थी। ये सभी तमिल विरोधी नीतियां अभी भी केंद्र सरकार द्वारा अपनाई जा रही हैं क्योंकि तमिलनाडु राज्य के पास इन मामलों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि तमिलनाडु विशिष्ट हैं। यह संघवाद और राष्ट्रीय एकता की भावना के खिलाफ है। श्रीलंका ने हमेशा भारत के साथ असंगत स्वर अलापे हैं; भारत को हमेशा इन संबंधों में हानि हुई है।

तमिल ईलम के संबंध में तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्तावों को, जो ईलम तमिलों के हित में हैं, केंद्र सरकार द्वारा कभी भी ध्यान में नहीं लिया जाता है। इंदिरा गांधी ने ईलम तमिलों के अलग राष्ट्र बनाने के उद्देश्य का समर्थन किया था ताकि तमिल ईलम एक बफर राज्य के रूप में कार्य कर सके और जब भी श्रीलंका हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम करे, तो उसे डराया जा सके। लेकिन अयोग्य राजीव गांधी ने इस नीति को उलट दिया और विश्वासघाती जयवर्धने का शिकार बन गए और तमिलनाडु राज्य और ईलम तमिलों की सहमति के बिना लागू किया गया राजीव-जयवर्धने समझौता विश्व राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही थी।

इसलिए, मैं अपील करता हूं कि यह सभा एक संशोधन पारित करे, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर किसी भी निर्णय में राज्य सरकारों के साथ भी शक्तियों का बंटवारा किया जाए, ताकि हमारे देश के सभी लोग लिए गए निर्णयों के साथ हों।

[हिन्दी]

*__श्रीमती रीती पाठक (सीधी) :__ मैं देश की सुरक्षा व्यवस्था हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करती हूं एवं यह अनुरोध करती हूं कि इस देश की आंतरिक व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु सर्वप्रथम अपने देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों की सुविधा और आधुनिक अस्त्र-शस्त्र को उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना होगा साथ ही यह व्यवस्था और मजबूत करने का प्रयास करना होगा तो हमारे देश में घुसपैठियों का रास्ता सुगम करने में सहायक ना हो।

मैं प्रधानमंत्री जी की रीति और नीति की सराहना करती हूं। साथ ही मैं गर्व महसूस करती हूं कि देश को पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में देश को आधुनिकीकरण और सशक्त बनाने का प्रयास किया है।

परंतु कुछ और कहने से पहले पुनः यही कहूंगी कि यदि घर की स्थिति मजबूत है तभी हम बाहर भी अपने आपको सशक्त रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी बात पर जोर देते हुए कहूंगी कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी की सोच महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, जनधन योजना, गांवों को आदर्श बनाना, देश को नम्बर एक पर पहुंचाने की रही है तो उनकी सोच को और बल देने के लिए मैं यही कहूंगी कि सामाजिक समरसता के साथ, अपनी जान की बाजी लगाने वाले वीरों को मजबूत बनाकर इस देश को और लोगों को और भी मजबूत बनाने का प्रयास करें।

केन्द्र सरकार जो देश के लिए अलग सोच की सरकार है जिसने विश्व में अपने परिवार को सर्वोच्च स्थान दिया है उससे यही अपेक्षा है कि उसमें मंत्रालय के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जो इस देश के लिए और देश की जनता के लिए ऐतिहासिक हो।

देश के सशक्त एवं यशस्वी होने में सोच के साथ।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कुछ शब्द बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

सोशल मीडिया एक दोधारी हथियार है। इसे उत्पादक और अनुत्पादक दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। आजकल, कुछ असामाजिक तत्व सामाजिक मीडिया का उपयोग देश में अशांति पैदा करने के लिए कर रहे हैं। हाल ही में, सामाजिक मीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है उत्तर पूर्व के लोगों, विशेष रूप से बोडो और मुस्लिमों, के खिलाफ एक नफरत के प्रचार को शुरू करने के लिए, जिससे हिंसा भड़की है, जो महाराष्ट्र और बेंगलुरु तक फैल गई है। कर्नाटक की राजधानी में, इंटरनेट और एस.एम.एस. के माध्यम से अभियान के बाद कई उत्तर पूर्व के लोगों को हमले का सामना करना पड़ा। साइबर कानूनों को इस बुराई को रोकने के लिए सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा है। हाल के दिनों में, छत्तीसगढ़ सबसे अधिक पीड़ित राज्य है। आंध्र प्रदेश ने इस समस्या का समाधान किया है। कुछ घटनाओं को छोड़कर, आंध्र प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया गया है। हमारे राज्य ने नक्सलवाद को दो अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों से देखा है। यह न केवल कानून-व्यवस्था की समस्या है, बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक समस्या भी है। जब आप नक्सल प्रभावित गाँवों का विकास शुरू करते हैं, तो नक्सलवाद धीरे-धीरे अपनी पहचान खो देता है। सड़क कनेक्टिविटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमें निराधार लोगों को शिक्षित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना चाहिए। हमें तटस्थ खुफिया परियोजना का प्रभावी रूप से उपयोग करना चाहिए। हम प्रौद्योगिकी द्वारा निर्देशित समय में जी रहे हैं। प्रौद्योगिकी का नक्सल आंदोलनों का पता लगाने के लिए अधिकतम स्तर पर उपयोग किया जाना चाहिए। नक्सली गतिविधियों की पहचान के लिए भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली (जी.पी.एस.) का सटीक इस्तेमाल किया जा सकता है।

हाल ही में, गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, वर्ष 2010 (एफ.सी.आर.ए.) का उल्लंघन करने और देश के सार्वजनिक और आर्थिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए "ग्रीन पीस इंडिया" के सात बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और विदेशी धन प्राप्त करने से रोक दिया है। फोर्ड फाउंडेशन मामले में गृह मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी निर्देश दिया और फोर्ड फाउंडेशन को 'पूर्व अनुमति' निगरानी सूची में डाल दिया है। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से समझौता नहीं करना चाहिए।

महिलाओं पर हमले दिन-ब-दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। निर्भया कांड के बाद, सरकार कानून लेकर आई। यह अधिनियम बन गया और लागू हो गया। अब भी, हम महिलाओं पर बढ़ते हमले देख रहे हैं। इस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। क्या हम इन घटनाओं को घटित होने दे सकते हैं? आइए नागरिक समाज के इस विषय पर बहस करें। इस समस्या का एक समग्र समाधान खोजने के लिए हमें सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला समूहों और स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना चाहिए। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि इस विषय को संसदीय स्थायी समितियों में से एक को सौंपा जाए ताकि इस बुराई पर लगातार नजर रखी जा सके।

मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूँ कि आंध्र प्रदेश को दिए गए राज्य आपदा राहत कोष को बढ़ाया जाए क्योंकि आंध्र प्रदेश पिछले तीन वर्षों में कई चक्रवातों से प्रभावित हुआ है। हाल ही में, आंध्र प्रदेश हुद हुद चक्रवात से प्रभावित हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय गृह मंत्री से धन बढ़ाने का अनुरोध करूंगा।

मेरे पास एक और मुद्दा है। अभी हमारे, ए.आई.ए.डी.एम.के. मित्र ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में हुए एनकाउंटर का मुद्दा उठाया। मैं इस मुद्दे पर कुछ बिंदु उठाना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को घटना की जानकारी दी। हमारे मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू गारु ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री ओ. पन्नीरसेल्वम को एक पत्र लिखा और उन्हें आश्वासन दिया कि एक

पोस्ट मार्टम के अलावा, सरकार ने घटना के तथ्यों की पुष्टि करने के लिए एक मजिस्ट्रियल जांच का भी आदेश दिया है। जांच बिना किसी देरी के पूरी की जाएगी और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

धन्यवाद, महोदय।

*__श्री पी.आर. सुंदरम (नामाक्कल):__ मैं यहां गृह मंत्रालय के वर्ष 2015-16के अनुदानों की मांगों पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गृह मंत्रालय देश का प्रमुख रक्षा घटक है और मैं स्वीकार करता हूँ कि पिछले वर्ष की तुलना में 10.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ संघीय बजट में रु. 62,124,52 करोड़ का बजट आवंटन उचित है।

विशेष रूप से, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आदि जैसे अर्धसैनिक बलों के बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, मैं अर्धसैनिक बलों के कर्मियों की कार्य स्थितियों के बारे में अत्यधिक चिंतित हूँ। आम तौर पर अर्धसैनिक बलों के कर्मी अपने परिवारों से दूर रहने के कारण काफी कष्ट झेलते हैं और अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ होते हैं।

इसके अलावा, 80-89 प्रतिशत बल हर समय तैनाती पर रहता है, "80-85 प्रतिशत" सैनिक लगातार 10 प्रतिशत राज्यों में माओवादियों से लड़ने (37 प्रतिशत), जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद (28 प्रतिशत) और उत्तर-पूर्व में उग्रवाद (16 प्रतिशत) के लिए तैनात रहते हैं।

सी.आर.पी.एफ. कर्मियों के बच्चों की शैक्षिक स्थिति के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि केवल .42 प्रतिशत बच्चे मैट्रिकुलेशन (कक्षा 10वीं) के स्तर से आगे बढ़ पाते हैं। देश के इस प्रमुख बल के केवल 11.33 प्रतिशत बच्चे स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि मात्र 3.54 प्रतिशत ही उच्च या स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए जा पाते हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार, हमारे उन कर्मियों का प्रतिशत 70-80 प्रतिशत तक है जो अपनी पसंद की समय पर स्थिर पोस्टिंग प्राप्त नहीं कर सके। यह स्थिति काफी तनाव पैदा करती है, जिससे शारीरिक और मानसिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वर्ष में केवल दो महीने की छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन संचालन की आवश्यकताओं, चुनावों और अन्य प्रशासनिक कारणों के कारण, कर्मी पूरी छुट्टी का लाभ नहीं उठा पाते।

प्रतिवेदन के अनुसार, एक और कारक जो निम्न रैंक और जवानों के बीच काफी तनाव पैदा करता है, वह है गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों और सामान्य से अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों में अचानक स्थानांतरण। अर्धसैनिक बलों में निचले पदों और जवानों को, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, उचित सुविधाएँ दिए बिना बजट आवंटन बढ़ाने का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे सभी अर्धसैनिक बलों में निचले रैंक के जवानों के लिए लाभ बढ़ाएं। ऐसी सुविधाओं में मनोरंजन सुविधाओं का उन्नयन, अवकाश अवधि का विस्तार, जवानों से परामर्श के बाद ही स्थानांतरण, साथ ही चिकित्सा सुविधाएं भी शामिल होनी चाहिए।

सामान्यतः जंगली क्षेत्रों में विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तैनात जवानों को वेक्टर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उचित चिकित्सा की कमी के कारण वे गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो जवान जंगली क्षेत्रों में तैनात हैं, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं और हर पोस्टिंग स्थल पर एक मोबाइल मेडिकल यूनिट या कारवां भी तैनात किया जाना चाहिए ताकि उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

दूसरी बात, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राज्य सरकारों को प्रदान किए गए आवंटन को बढ़ाने का निर्देश दें, विशेष रूप से उन राज्यों को जो अपने राज्यों में पुलिस बल की आधुनिकीकरण को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहे हैं। इस संबंध में, मैं यहां तमिलनाडु राज्य में माननीय पुरैची थलाइवी अम्मा द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारी अम्मा के स्वर्णिम शासन के तहत, तमिलनाडु पुलिस बलों को नवीनतम तकनीकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विभिन्न स्थानों पर पुलिस परिसर के निर्माण जैसे अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के साथ आधुनिक बनाया गया है। इसलिए, मैं

फिर से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह राज्यों के पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाने का निर्देश दें।

[हिन्दी]

*__श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वड़ोदरा) :__ मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों के समर्थन में विचार व्यक्त करती हूं। मैं माननीय मंत्री जी का आभिनंदन करना चाहती हूं कि सरकार द्वारा देश की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए गए हैं, उसके लिए मंत्री जी आभिनंदन के पात्र हैं। देश में पहली बार जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का प्रयास किया है। वहां के लोग भी अमन और शांति चाहते हैं। हमारी गुजरात सरकार राज्य की सुरक्षा का बहुत ही अच्छा काम करती है। सुरक्षा बल में गुजरात की मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने 33 परसेंट महिलाओं की भर्ती की है और अन्य राज्यों में भी महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसा करने से जो भी पीड़ित महिला है वह अपनी बात मजबूती से सभी के सामने रख सकती है। सीमा सुरक्षा बल को थोड़ा-सा आधिकार भी देना चाहिए जिससे उनका मनोबल मजबूत बनता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। महिलाओं की सुरक्षा हमारे गुजरात में बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है। सुरक्षा के मामले में लोगों में जागृति लाना भी जरूरी है और राज्यों को सुरक्षा के लिए आधिक राशि भी दी जा रही है। पुलिस विभाग में आधुनिकीकरण करना चाहिए। देश की 125 करोड़ की आबादी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी ने ली है जो बजट में व्यवस्था की है उसे देश के सुरक्षा बलों के लिए करना चाहिए। हमारे देश के पास में बंगलादेश और पाकिस्तान से घुसपैठ को रोकने के लिए ठोस निर्णय लेना चाहिए। जम्मू-कश्मीरी पंडितों को पुनः बसाने जा रहे हैं। उन पंडितों की गई हुई जमीन वापस मिले, उस दिशा में काम करना चाहिए। अंत में मैं माननीय मंत्री जी को आभिनंदन करती हूं और समर्थन करती हूं।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

*__श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह (कंधमाल):__ हमारा देश विभिन्न परिदृश्य, जनसांख्यिकी, साथ ही उनकी प्राचीन रीति और रिवाजों के साथ बहुत बड़ा है। मेरी सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र कंधमाल वामपंथी विस्फोटक और नक्सलवादियों के प्रभाव में है। मेरे पास कुछ सुझाव हैं, जिन्हें मैं ओडिशा राज्य के अपने संसदीय क्षेत्र कंधमाल के विकास के लिए माननीय मंत्री को प्रेषित करती हूँ।

संबंधित स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्र के विकास कार्य को पूरा करने में कार्यान्वित संबंधित प्राधिकारियों की सहायता करने और उन्हें समर्थन प्रदान करने के लिए स्थानीय लोगों की एक टीम गठित की जा सकती है। अधिकारी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ खुफिया एजेंसियों को इस प्रकार एक साथ काम करना चाहिए कि ये समाज विरोधी तत्व मुख्यधारा में वापस लौटने और हिंसा के मार्ग को छोड़ने के लिए सुरक्षित महसूस करें।

प्रबल आधारभूत गतिविधियों के प्रसार के साथ साथ युवाओं को नौकरी प्राप्त करने के लिए बेरोजगारी लाभ प्रदान करने से नक्सलवाद के खतरे को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलती है।

आदिवासी महिलाओं के लिए परंपरागत कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि आदिवासी उत्पादों का मूल्य वर्धन किया जा सके। साथ ही, सरकार को उनके उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि उनकी आजीविका में सुधार हो सके।

शिक्षा ही उनके पिछड़ापन और सामाजिक अपमान को हटा सकती है क्योंकि शिक्षित लड़के और लड़कियाँ अपने बुजुर्ग आदिवासी माता-पिता को अधिक सफलता से मना सकते हैं। उनकी सोच और जीने के तरीके में बदलाव केवल उनके बच्चों को शिक्षित करने से हो सकता है।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अच्छी सड़कें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, स्वच्छ पीने का पानी और पक्के घर आदिवासियों और अन्य पिछड़े और गरीब लोगों के लिए राज्य और केंद्र सरकार हमेशा उनके साथ हैं और वे कभी महसूस नहीं करते कि वे अब भी शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से पीछे हैं।

एक अच्छा और स्वस्थ केंद्र-राज्य संबंध समाज से सभी बुराइयों को हटाने और शांति और समृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए नींव का कार्य करता है। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि ओडिशा सरकार राज्य में माओवादी गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रही है (जैसा कि रिकॉर्ड साबित करता है)।

मैं गृह मंत्रालय से आग्रह करूँगी कि वह ओडिशा सरकार को वामपंथी तत्वों को अंतिम परिणति तक नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक सहायता जारी रखे।

*__श्री राम प्रसाद शर्मा (तेजपुर):__ गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए, मैं मान्यवर गृह मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह पूरी तरह से भारत-बांग्लादेश सीमा को सील करे और इस प्रक्रिया से बांग्लादेश से प्रवासी लोगों की घुसपैठ और पशुओं की अवैध तश्करी को रोके, जो वार्षिक अनुमान के अनुसार 17 लाख बैठती है।

आगे, मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे असम के गोरखाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिन पर "विदेशी" होने का ठप्पा लगता है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : उपाध्यक्ष जी, सभा में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही है। स्वाभाविक है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काफी सदस्य कह रहे थे और सरकार भी कह रही है कि इस बार बजट में बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन आप देखें कि जो बढ़ोत्तरी हुई है हर मामले में, वह समान नहीं हुई है। अगर 2014-2015 का बजट इस मंत्रालय का देखें तो उसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट में कटौती हुई और पैसा अनस्पेंड भी रहा। कई ऐसे मामले हैं, स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी उसका आकलन किया गया है। यह एक साल की बात नहीं है, पंचवर्षीय योजना देखें तो बजट एस्टीमेट जो रिवाइज हुआ और जो एक्सपेंडिचर हुआ, उसमें कमी रही है और उसका असर आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ा है। देश के गृह मंत्रालय को जो मेनडेट मिला है जिन कारणों से भी, उसमें भी वह कमी देखने को मिलती है।

मैं यह कह सकता हूं कि जब से यह सरकार बनी है, सुरक्षा के बारे में, खासकर आंतरिक सुरक्षा के बारे में कहती आई है कि वह इस पर गम्भीर रहेगी। सरकार बनने से पहले भी हम इनके भाषण सुनते थे और सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, यह सबको मालूम है। कई सदस्यों ने वहां की घटना का जो ब्यौरा दिया, उसने हम सभी को झिंझोड़ दिया। चाहे प्रदेश सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, इनकी तरफ से हमेशा यह कहा गया कि अगर केन्द्र में जिस दल की सरकार है तो राज्यों में भी उस दल की सरकारें होनी चाहिए और राज्यों में जिनकी सरकार है केन्द्र में भी उनकी सरकार होनी चाहिए, इससे तालमेल ठीक बनता है। आप यहां किस को दोष देंगे? कहीं न कहीं तो खामी रह रही है और वह तर्क भी नहीं चलता है। इसलिए जिस तरीके से, जिस ढंग से और जिस रवैये से इस मामले को निपटा जा रहा है, उसमें फिर से निगरानी होनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां सरकार की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि नागरिकों में सुरक्षा का भाव बना रहे। इसके लिए साम्प्रदायिक तनाव बहुत घातक सिद्ध होते हैं। यह बात सही है

कि इस समय हम साम्प्रदायिक दंगे-फसाद नहीं देख रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर जो विभाजन हो रहा है और उसमें खास कर सरकारी पक्ष से जो बयानबाजी हो रही है, मैं सरकार की बात नहीं कह रहा हूं इसमें मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय की जो इच्छा शक्ति है या सोच है उसमें कहीं न कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां वर्षों से प्रिवेंशन आफ कम्युनल वायलेंस बिल लम्बित है। साम्प्रदायिक तत्वों से आप भी निपटना चाहते हैं और हम भी निपटना चाहते हैं। किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना, साम्प्रदायिक सदभाव रहे इसके लिए साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने वाली शक्तियों से सख्ती से निपटा जाए, इसके लिए कानूनी बंदोबस्त मजबूत करने की बहुत जरूरत है।

दूसरी बात, मैं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी कहना चाहता हूं। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। निर्भया फंड के बारे में हम बात करते हैं। निर्भया फण्ड में इस बार एक हजार करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी की गई है लेकिन हम जानते हैं कि सरकार की घोषणाओं और मंशा के बावजूद हकीकत में बहुत फर्क रहता है। मैं इस सरकार की या उस सरकार की बात नहीं कह रहा हूं। पिछली सरकार ने भी निर्भया के बारे में योजना की घोषणा की और फंड भी रखा था। इस बार के बजट को अगर आप देखेंगे तो वह फंड अनस्पैंड रहा। मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बताना हूं। हमारे यहां मेनका गांधी जी ने सभी सांसदों को खत लिखा कि हमारे साथ इस-इस तरह से चलो, पायलेट प्रोजेक्ट है, 50 जिलों में होगा। बंगाल में जमीन हासिल करना आसान नहीं है, फिर भी वहां की महिला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जमीन देने के लिए तैयार हो गईं। पत्र लिख दिया गया, लेकिन बाद में फाइनेंस मिनिस्टरी से, होम मिनिस्टरी से क्लियरेंस नहीं मिला और वह काम रुक गया। अगर हम सिर्फ योजनाओं की घोषणाएं करेंगे और जमीनी हकीकत में काम नहीं होगा, खास कर पीड़ित महिलाओं के लिए तो कोई फायदा नहीं है। खासकर जहां तक पीड़ित महिलाओं के रिहेब्लिटेशन का मामला है। निर्भया फंड में एक हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन मैं इससे उत्साहित नहीं हूं। अगर आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी कई योजनाएं हैं। वर्ष 2014-15 के बजट में जो घोषणाएं की गई थीं और

उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट में कटौती हो गई। उसके बाद भी आठ स्कीम्स ऐसी हैं जिनको योजना के बाद भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और कट करने के बाद भी अंडर एक्सपैंडिचर रहा।

तीसरी बात, यह है कि हमारे यहां केंद्र सरकार से सम्पर्क का जो सवाल है, वह आपके मंत्रालय के अंतर्गत आता है और सरकार 14वें फाइनेंस कमीशन की बात तो करती है और उसे लागू भी किया गया है जिसके लिए आप वाहवाही भी ले रहे हैं। लेकिन केंद्र पोषित योजनाओं को राज्य सरकार को दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा के बारे में ऐसी बहुत-सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो सीधे-सीधे राज्य सरकारों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन केंद्र-राज्य के सुधार का जो मामला है, वह सिर्फ आर्थिक आवंटन नहीं है, एक स्वस्थ वातावरण बने, इसके लिए मैं समझता हूं कि गृह मंत्रालय को ज्यादा महत्ता देनी चाहिए। मैं इसका एक उदाहरण भी दे सकता हूं। [अनुवाद] महोदय, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं केवल वित्तीय सहायता के लिए मांगों पर ही बात कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: फिर बोलिए। बाकी लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद सलीम: मैं कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं उठा रहा हूँ। [हिन्दी] यह आपसे भी संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है और यह बहुत पुराना सवाल है कि केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं, उन्हें हम बेहतर करें। इसके लिए मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अगर कुछ बुनियादी मुद्दों पर एकमत नहीं होते हैं तो जो संवैधानिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। हमारे यहां 25 दिसम्बर को एचआरडी मिनिस्ट्री ने घोषणा की कि गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा। जो क्रिश्चियन अक्लियत हैं, माइनोरिटीज हैं, उनका मामला भी यही है। हमारे संविधान में हर धर्म को अपना अधिकार दिया हुआ है, चाहे वह अधिकार जितना भी क्यों न हो, चाहे वह घर वापसी के नाम पर हो, चाहे वह धर्मांतरण के मामले में हो, चाहे किसके कितने बच्चे पैदा होंगे, इसके बारे में घोषणाएं हों, चाहे वह लव जेहाद का मामला हो, चाहे चर्च के ऊपर हमले हों। अभी गुड फ्राइडे के दिन जजेज की कांफ्रेंस बुलाई गई। इसमें सरकार की जो संवेदनशीलता है, जो अलग-अलग डिनोमीनेटर्स थे, उनके बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा। चूंकि

आप एक सुलझे हुए, मंजे हुए और अनुभवी नेता हैं, आप सिर्फ गृह मंत्री नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इधर-उधर लोग कुछ थोड़े क्रैकर्स बजा सकते हैं, लेकिन उसे आपको ही संभालना पड़ेगा।

अब मैं बार्डर पर आता हूं। बंगलादेशी घुसपैठियों के बारे में बात हो रही थी। लोग सीमा के बारे में कितनी बात करते हैं। लेकिन चाहे बंगलादेश के साथ बॉर्डर हो, पाकिस्तान के साथ हो या नेपाल के साथ हो, पिछले साल बजट में जो पैसा रखा गया था, आपने एक साल में वह पैसा खर्च नहीं किया। राजनीति के लिए घुसपैठिये बोलना और घुसपैठ को रोकना, दोनों में फर्क है। आप स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखिये, उसमें पिछले साल के बजट में फैंसिंग के बारे में, लाइट का अरेंजमैन्ट करने के बारे में, आउटपोस्ट के स्ट्रैन्थन करने के बारे में जो-जो स्कीम्स थीं, वे लागू नहीं हुईं, पैसा रखा रहा। इसके बारे में मैं यहां सभा में बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा। यह बात बाहर ले जाकर जाकर लम्बे-चौड़े भाषण देकर पोलिटिकल पाइंट स्कोर कर सकते हो। हम यह चाहते हैं कि चाहे वे कैटल हों, चाहे वे लोग हों, चाहे वे नारकोटिक्स हो, चाहे स्माल आर्म्स हों, चाहे वे खतरनाक किस्म के लोग हों, हमारे देश की सीमा पार करके वे खुलेआम आना-जाना करें, यह आपको रोकना पड़ेगा। मैं बंगाल से आता हूं, हमारा एक बहुत लम्बा सीमा का क्षेत्र है, यह बात अहलूवालिया जी भी जानते हैं। वहां बीएसएफ है, बार्डर फैंसिंग हो चुकी है, उसके बाद भी वहां स्मगलिंग एक पैरेलल इकोनोमी की तरह चलती है और उसे बंद करने के लिए आपकी इंटेलिजेंस और जो अलग-अलग एजेन्सीज हैं, मैं सिर्फ बीएसएफ की बात नहीं कर रहा हूं, उन सबको एक साथ जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना सीमा के क्षेत्र में आम जनता का बीएसएफ के साथ तनाव हो जाता है।

अब मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की प्रॉब्लम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो वहां के किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनके ऊपर बीएसएफ बहुत कड़ा रुख अपनाती है और जो स्मगलिंग करते हैं, उस पर रोक नहीं लगती है, स्मगलिंग चलती रहती है। इसलिए सीमा में जो गांवों के लोग हैं, उनके साथ बीएसएफ का जो रवैया है, उसमें मैं समझता हूं कि जनप्रतिनिधि के साथ भी कुछ

आदान-प्रदान होना चाहिए। आप स्मगलर्स के बारे में कड़ा से कड़ा रुख अपनाएं, लेकिन जो गांवों के आम किसान हैं, उनके ऊपर आफत आ जाती है और खाते में दिखाया जाता है कि देखिये इतने लोग पकड़े गये, उतने लोग पकड़े गये, मैं समझता हूं कि इस रैकिट को आपको रोकना पड़ेगा।

अंत में मैं यह कहूंगा कि टैररिज्म के अटैक्स अभी कम हैं, लेकिन नार्थ-ईस्ट से लेकर कश्मीर और उसी तरह से कोस्टल इंडिया में भी सरकार जोर दे रही है। इस बार बजट में भी बढ़ौतरी हुई है, जैसा मैंने सीमा के बारे में कहा, वैसे ही पिछली बार भी कोस्ट के बारे में जो सरकार के पास अमाउंट थी, वह खर्च नहीं हुई, जबकि उसे खर्च करना चाहिए था। खासकर पुलिस माडर्नाइजेशन के बारे में आपने स्टेट्स को स्कीम्स दे दीं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है, जो आपके अधीन है, उनके हाउसिंग की जो माडर्नाइजेशन की बात थी, वह पैसा भी पिछले साल आपने खर्च नहीं किया। पुलिस की हाउसिंग की जो सैंट्रल गवर्नमैन्ट की स्कीम्स हैं, सैंट्रल गवर्नमैन्ट की जो पैरा मिलिट्री फोर्स है, उनके हाउसेस की स्थिति काफी खराब है, कृपया आप उनकी तरफ भी ध्यान दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*__श्री पी.पी.चौधरी (पाली):__ यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इसके अंतर्गत केन्द्र व राज्यों के संबंध, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मानवाधिकार व महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागीय कार्य आते हैं। भारत एक प्रगतिशील, एक बढ़ता हुआ विकासशील राष्ट्र है, जिसकी प्रगति में यह सभी घटक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत जैसे विशाल देश में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियों का दायरा बहुत व्यापक है। देश की प्रगति और खुशहाली के लिए अमन चैन बनाए रखना गृह मंत्रालय के कार्य क्षेत्र का ही हिस्सा है।

केन्द्र-राज्य संबंध मधुर रहने चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार ने संविधान के अंतर्गत अनेकों कदम उठाए हैं, ताकि फेडरेल स्ट्रक्चर सुदृढ़ बना रहे।

हमारे देश में सूचना तंत्र को मजबूत और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, जिससे बाहरी घटनाओं की त्वरित गति से जानकारी मिल सके। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो देश में आंतरिक सुरक्षा का खतरा पैदा हो जाएगा। हमारी आंतरिक सुरक्षा सवालों के घेरे में रहती है। जिसका कारण हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों को जितना धन देना चाहिए, उसकी भरपूर कोशिश करके उन्हें इस बजट में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का फैसला इस बजट के माध्यम से लिया गया है। केन्द्रीय बजट में गृह मंत्रालय को 62,124.52 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 10.2 प्रतिशत आधिक है। विश्व के विशालतम अर्द्धसैनिक बल सी.आर.पी.एफ., जिन्हें अक्सर नक्सल विरोधी अभियान सहित देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, उन्हें 14089.38 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई है।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मेरे योग्य साथियों ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। जम्मू-कश्मीर भारत का आभिन्न अंग है और रहेगा। जम्मू-कश्मीर के हालातों में सुधार दर्ज हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में आतंकवादी हिंसा में 30.58 प्रतिशत वृद्धि तथा नागरिकों की कैज्युलिटी में 86.66 प्रतिशत वृद्धि हुई है, किन्तु सुरक्षा बलों में 11.32 प्रतिशत कम कैज्युलिटी हुई है। मैं सभा को यह भी बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 के दौरान वर्ष 2013 की तुलना में 64.18 प्रतिशत अधिक आतंकवादियो का खात्मा किया गया है तथा घुसपैठ के मामलों में 24.54 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

हमारे देश के सामने आतंकवाद, माओवाद व नक्सलवाद जैसी चुनौतियाँ हैं। हमारे देश को माओवाद और नक्सलवाद खोखला करते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट से साफ तौर पर यह पता चला था कि माओवाद-नक्सलवाद को बढ़ाने, प्रशिक्षण देने, हथियार उपलब्ध कराने में अन्य देशों का भी हाथ है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए। [अनुवाद] ऐसे संगठनों को पनपने से रोकने के लिए उनके फंडिंग सोर्स पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है।

माओवाद-नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कुछ लोगों ने उद्धेलित होकर हथियार उठाए होंगे। मैं उनका समर्थन नहीं करता लेकिन उनके भी कुछ कारण रहे होंगे। ये लोग विकास के खिलाफ हैं, ये नहीं चाहते कि गरीब समाज भी किसी तरीके से बेहतर बन सके। वे स्कूलों पर हमला करते हैं, सड़कें नहीं बनने देते, अस्पताल नहीं बनने देते, नर्सेज और डॉक्टरों को वहाँ काम नहीं करने देते। 200 से अधिक जिले नक्सलवाद/माओवाद से प्रभावित हो चुके हैं। विधायकों, जिला कलेक्टरों व सरकारी अधिकारियों का अपहरण कर अपनी माँगें मनवाने के लिए विवश करने का भी प्रयास किया जा चुका है।

मेरा भारत सरकार से यह भी अनुरोध है कि एन.आई.ए. व सीबीआई आदि संस्थाओं की जाँच निष्पक्ष हो। इसके लिए इन विभागों के आधिकारियों का अलग से कैडर होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति पर इन विभागों में आने वाले अधिकारियों की कमी करने की आवश्यकता है।

देश में मादक पदार्थों की तस्करी के भी मामले बढ़ रहे हैं। खबरें सुनने में आ रही है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से तस्करी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। यह भी सुनने में आया है कि नाइजीरिया के नागरिक भारत में मादक पदार्थों के मामले में पकड़े जा रहे हैं। भारत में भी इसके कई बड़े रैकेट सक्रिय है। हमारी युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों की चपेट में आने से रोकने के लिए इस संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि देश के लगभग सभी शहरों में देखा जा सकता है कि रात में नशे की हालत में युवा वर्ग सड़कों पर बदमाशी करते हैं, नशे की सामग्री हेतु पैसा इकट्ठा करने के लिए लूटपाट के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इससे मेरा लोक सभा क्षेत्र पाली भी अछूता नहीं रहा है। अभी कुछ माह पूर्व रात में एक ज्वेलर के घर जाते वत्त उसे गोली मार कर लूटपाट करने का प्रयास किया गया। वहाँ मौजूद स्थानीय मदद करने वाले दो भाइयों को भी गोली मारी गई, जिन्हें तत्परता से डाक्टरों की टीम ने बचा लिया। इन दोनों भाइयों की वजह से लूट को विफल तो कर दिया गया, लेकिन ज्वेलर को नहीं बचाया जा सका। मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे मदद करने वाले लोगों को आवश्यक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को प्रोत्साहन तथा अपराधियों में पुलिस की तरह आम आदमियों का डर व्याप्त हो सके।

मैं सरकार को यह भी बताना चाहूँगा कि आज हमारे जेलों से कैदियों की भागने की संभावनाएँ तो कम हुई है, लेकिन जेलों की स्थिति बहुत बदत्तर होती जा रही है। हमारे देश के जेलों में नशे, ऐशो आराम के सभी साधन कैदियों को उपलब्ध करावाए जा रहे हैं। नए कैदियों के साथ पुराने कैदियों और पुलिस कर्मियों का व्यवहार भी अत्यंत चिंताजनक है। मेरी जानकारी में आया है कि कैदियों को कई जगह

पुराना व सड़ा खाना भी परोस दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कैदियों में आपस में हाथापाई के कारण कई कैदियों को जान से हाथ धोना पड़ा है, जिस पर भी सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है।

मैं सरकार का ध्यान संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के प्रस्तावों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि संसद के दोनों सदनों के लगभग सभी सदस्यगण किसी ना किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के पक्ष में है। यह पूरे देश के लोगों की माँग है कि उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा को उसी के देश में मान्यता मिले। सभा में कई बार विभिन्न भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर विभिन्न नियमों के तहत चर्चा की जाती रही है। जब संविधान लागू हुआ था, तब 14 भाषाएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित थी। समय-समय पर किए गए संविधान संशोधनों के माध्यम से आज 22 भाषाएं आठवीं अनुसूची में सम्मिलित है। भाषाएं क्षेत्रीय हो सकती है, लेकिन आज इस तेज रफ्तार युग में कौन आदमी कहाँ पहुंच जाता है, इसका कोई पता नहीं, सब कुछ वैश्विक हो चुका है। कहीं रहने वाला न जाने कहाँ नौकरी कर रहा है, कहाँ व्यवसाय कर रहा है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, यहाँ बोली जाने वाली भाषा, संस्कृति पूरे देश की धरोहर रूपी सभ्यता है। भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाओं का अपना इतिहास है। स्वयं की अपनी-अपनी रचनाएँ, कविताएँ, लोकगीत, रागनियाँ, भजन, धारावाहिक, फिल्में, आदि हैं।

समय-समय पर सभा में उठती माँग पर सरकार ने आश्वासन दिया है। 15वीं लोक सभा के दौरान तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी ने प्राइवेट मेम्बर बिल के अंतर्गत जवाब देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार ने भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए श्री सीताकांत महापात्रा की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने वर्ष 2004 में रिपोर्ट तैयार कर संस्तुति के साथ मंत्रालय को भेजी थी, जिस पर कार्यवाही अभी तक भी मंत्रालय में चल रही है। वर्तमान में विभिन्न भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श अपेक्षित है। इस हेतु आयोग ने 17.07.2009 को एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन

किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट न प्राप्त होने के कारण केन्द्र सरकार निर्णय लेने में असफल है।

जहाँ तक मुझे जानकारी है भारत सरकार के पास 38 भाषाओं को सम्मिलित करने के प्रस्ताव लम्बित है, जिसमें राजस्थानी भाषा भी एक है, जिसे देश और विदेश में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाषा का अपना साहित्य, इतिहास, सिनेमा, गायन भी है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था ''बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा में सीखता है''। यह भी विदित है कि भाषाओं को मान्यता देने में सरकार को कोई बजट आवंटित नहीं करना होता। राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव वर्ष 2003 में राजस्थान विधान द्वारा संसद को अपनी सहमति के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद सभा में चर्चा के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री ने 17 दिसम्बर, 2006 को भाषा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तब आश्वासनों की सरकार थी जो 2006 से लेकर अप्रैल 2014 तक आश्वासन ही देती रही।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर के लोगों की भावना, सांसदों एवं राज्य सरकार के प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा दिए जा रहे आश्वासनों पर गंभीरता से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राजस्थानी भाषा सहित सभी प्रस्तावित भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

मैं खोए हुए मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड आदि उपकरणों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि देश भर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में ये उपकरण खो जाते या चोरी हो जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार लगभग 35 प्रतिशत लोग ही पुलिस में इसकी सूचना दर्ज कराते हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल आतंकवादी तत्वों द्वारा गलत तरीके से काम में लिए जाने की आशंका सदैव बनी रहती है। कई बाद खोए हुए उपकरण चोरी, डकैती, आतंकवादी घटना में बरामद किए जाते हैं। अधिकांश लोग पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखाते क्योंकि पुलिस इन उपकरणों को ढूंढ़ने के लिए

कोई प्रयास नहीं करती और यदि किन्हीं कारणों से पुलिस ढूंढ़ भी लेती है तो ऐसा मात्र एक या दो प्रतिशत ही होता है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क उपकरणों की खोने की सूचना देना अनिवार्य कर देना चाहिए तथा खोए हुए उपकरणों को आई.एम.ई.आई. नम्बर के आधार पर जल्द से जल्द ढूंढ़कर मालिक के पास पहुंचाए ताकि ऐसे उपकरणों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

भारत से लगी बंगाल तथा नेपाल की सीमा पर पूर्ण तारबंदी नहीं है, जिसके कारण लोगों का अवैध आवागमन चल रहा है। भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, सैकड़ों की तादाद में मवेशियों को बांग्लादेश ले जाया जा रहा है, जहाँ से उनका माँस अरब देशों को भेजा जा रहा है। बांग्लादेशी नागरिक भारत में आते हैं, नौकरी करते हैं और वापस बांग्लादेश नहीं जाते वे यहीं बस जाते हैं, जिसके कारण भारत में पहले से व्याप्त बेरोजगारी और बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त भारतीयों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ भी छीना जा रहा है। बांग्लादेश में अधिक गरीबी व भुखमरी होने के कारण कुरीतियाँ फैली है, जो भारत की ओर बढ़ रही है जैसे वेश्यावृत्ति आदि। भारत में चल रही आतंकी गतिविधियों को मदद भी इसी बांग्लादेश के रास्ते से मिलने की सूचनाएं मिलती रही है।

मैं सरकार का ध्यान भारत में बसे पाक विस्थापितों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि वे कोई घुसपैठिए नहीं हैं। धार्मिक,सांस्कृतिक व पारिवारिक कारणों से ये लोग भारत में वैध वीजा के साथ आते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, केन्द्र सरकार को भी यह नहीं मालूम कि किन-किन राज्यों के किन-किन जिलों में पाकिस्तान से आए लोग बसे हुए हैं। इस बारे में कभी सरकार ने सर्वे भी नहीं कराया। पाकिस्तान से आए अधिकांश हिन्दू राजस्थान के जोधपुर व जैसलमेर जिले में बसे हुए हैं। वर्तमान में भारत में पाक विस्थापितों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। भारत की सरकार ने भले ही उन्हें नहीं अपनाया हो लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें अपनाते हैं।

पाकिस्तान में हिन्दू अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है, ये सब आज इंटरनेट, फेसबुक आदि उन साधनों से देखा जा सकता है, जिन पर पाकिस्तान सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान सरकार वहाँ अल्पसंख्यक हिन्दुओं को सुरक्षा मुहैया करवाने की तो बात कहती है, लेकिन यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। समय-समय पर अनेक घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। हिन्दू महिलाओं के साथ जबरन शादी की जाती है, बलात्कार किए जाते हैं, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसलिए ये लोग भारत में आने के बाद लौटने की इच्छा नहीं रखते। भारत में ये लोग शरणार्थी की तरह जीवन जीने को मजबूर है। मैं उनसे मिला हूँ, और मिलता रहता हूँ, वे हमेशा एक ही बात कहते हैं *''भारत के विभाजन में हमारी क्या गलती थी। हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारी बहन-बेटियाँ वहाँ सुरक्षित नहीं है।''* अगर वे नहीं जाएंगे, तो क्या उन्हें जीने का आधिकार नहीं मिलेगा? क्या हम जबर्दस्ती उन्हें वहाँ भेजेंगे कि आप मरने के लिए पाकिस्तान जाइए।

यूनाइटेड नेशन्स में रिफ्यूजी की परिभाषा में लिखा है कि [अनुवाद] " शरणार्थी वे लोग होते हैं जो अपने देश से भागने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उनके जीवन को खतरा है, जो उनकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक विचार से जुड़ा होता है।" [हिन्दी] मैं यह नहीं समझ पा रहा कि यह परिभाषा पाकिस्तान से आने वाले हिन्दुओं पर लागू क्यों नहीं होती। क्यों भारत सरकार उन्हें शरणार्थी नहीं मानती आई। अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान विस्थापितों को नागरिकता का हक देना होगा। वे भारत में आकर शरणार्थियों जैसा जीवन जीने को मजबूर है, वरना आज कोई भी व्यत्ति अपना घर, परिवार, खेतीबाड़ी व अन्य संपत्ति छोड़ना नहीं चाहता।

गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले और देश के विभिन्न भागों में बसे व्यत्तियों के समक्ष आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें नागरिकता प्रदान करने के संबंध में तत्काल कदम उठाए ताकि वे अपना जीवन और धर्म का पालन कर सकें।

[अनुवाद]

*__डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर):__ हमारा देश एक विशाल देश है जिसमें कई राज्य, विभिन्न भाषाएं, विविध संस्कृति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। गृह मंत्रालय को इन सभी विभिन्नताओं से उत्पन्न समस्याओं का सामना करना होता है। ऐसी समस्याओं का सामना करना एक बड़ा कार्य होता है। आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, अलगाववादी आंदोलन, प्राकृतिक आपदाएँ,अलग राज्य के लिए संघर्ष जैसी समस्याओं के मद्देनज़र, हमें एक सच्चे नेतृत्व की मजबूत इच्छा शक्ति और एक अच्छे बजट की आवश्यकता है। समय ही बताएगा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास उचित लोग हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस उद्देश्य के लिए योजना का बजट, यानी रु. 705 करोड़ पर्याप्त नहीं है। हालांकि, सबसे पहले, मैं आंतरिक सुरक्षा पर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में देश भर में कई घटनाएं हुई हैं जिनसे हमारी आंतरिक सुरक्षा पर आशंकाएं बढ़ गई हैं। मंदिरों, गिरजाघरों, चर्चों, जनता के पार्कों, होटलों, रेस्तरां आदि पर आतंकवाद के अमानवीय हमलों ने अपना भयानक चेहरा दिखाया है, जिससे आम जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि धार्मिक असहिष्णुता पर आधारित अतिवाद ने देश के हर कोने में अपने पंख फैला दिए हैं। मुंबई में ताज होटल पर हमले का मामला अभी तक अस्पष्ट है हालांकि हमें अपराधियों के बारे में जानकारी है।

हाल ही में, हमने देखा है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई और अन्य बड़े शहरों में हमले का सामना करना पड़ा है। हम तथाकथित आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के संक्रमणकालीन चरण में हैं। हमें अपनी एकता बनाए रखने के लिए विविधताओं को अपनाना होगा। विभिन्न राज्यों के लोगों को सामाजिक रूप से एक साथ लाने के लिए एक विशेष नीति को लागू किया जाना चाहिए, विशेष रूप से विभिन्न राज्यों के छात्रों को विविधताओं के लाभ सिखाने और सीखने के

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लिए, जिससे अंततः राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा मिलेगा। इस संबंध में, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इन मामलों को गंभीरता से देखें और नफरत को समाप्त करें तथा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर अल्पसंख्यकों, के बीच रोजगार, शिक्षा आदि में समान अवसर प्रदान करके विश्वास पैदा करें। यदि हम सभी धर्मों, सभी समुदायों और सभी राज्यों को साथ लेकर एकता बनाए रखने में असफल होते हैं तो विकास का नारा साकार नहीं हो पाएगा।

मेरा राज्य ओडिशा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार आदि जैसे कुछ अन्य राज्यों के साथ-साथ नक्सली, वामपंथी संगठन के खतरे से गंभीर रूप से प्रभावित है। हमने इस मुद्दे पर कभी गहन विचार नहीं किया कि वामपंथी संगठन इतने गरीब राज्यों में, विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में इतना सक्रिय क्यों हैं। इस संबंध में, मेरा दृष्टिकोण है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति जैसे कि छूआछूत, जातिवाद, सामाजिक अन्याय, गरीबी और आदिवासी लोगों की दूरदराज के वन क्षेत्रों में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है। हम उन्हें समाज की मुख्य धारा में कैसे ला सकते हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। हमें उनके विकास और बाहरी दुनिया के साथ परिचय के लिए एक अच्छी राशि का बजट आवंटित करना होगा। दबाव डालने से, समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह मेरा ईमानदार सुझाव है कि दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगारपरक नीतियों के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। और मौजूदा नीतियों को भी उपयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में ऐसा लगता है कि राज्य पृथकतावादियों के हाथों में है। बी.जे.पी. सरकार को ध्यान देना चाहिए कि केंद्रीय बलों के माध्यम से सीमाओं की रक्षा में स्थानीय युवाओं की सहभागिता को जल्दी से लागू किया जाना चाहिए। मैं भी जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के उचित पुनर्वास का समर्थन करता हूं। इसलिए, सरकार को राज्य पर सतर्क नजर बनाए रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर हमेशा देश का हिस्सा रहेगा।

मेरा राज्य, ओडिशा एक आपदाग्रस्त राज्य है। हर साल हम बाढ़, सूखा या तूफान का सामना करते हैं। हाल ही में, हमें फैलिन और हुड हुड जैसे बहुत ही भयानक तूफानों का सामना करना पड़ा है। तूफान से संपत्ति, फसलों और पशुपालन को होने वाला नुकसान अविश्वसनीय है। राज्य सरकार के पूर्वनिर्धारित उपायों के कारण जनजीवन की हानि को रोका जा सका। लेकिन इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थी। इस परिप्रेक्ष्य में, मैं गृह मंत्री और मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जगतसिंहपुर के साथ-साथ केंद्रपाडा, पुरी, गञ्जाम, भद्रक और बालासोर को खासकर तूफान और बाढ़ों की मार का सामना करना पड़ता है, इस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसलिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य, ओडिशा के संदर्भ में आवंटन को बढ़ाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके।

मैं आगे यह कहना चाहता हूँ कि समुद्री सुरक्षा योजना का पहला चरण पूर्ण होने के बाद, दूसरे चरण की शुरुआत अप्रैल 2011 से की गई थी। पहले चरण में, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने ओडिशा के लिए 5 समुद्री पुलिस स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दी थी, जिसमें पारादीप में एक शामिल था। पारादीप को छोड़कर सभी मरीन पुलिस स्टेशन अपने ही राज्य सरकार के भवनों में शुरू किए गए हैं। लेकिन पारादीप मरीन पुलिस स्टेशन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी द्वारा किराए पर उपलब्ध कराए गए आवास में काम कर रहा है। इस संबंध में, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि उचित कदम उठाए जाएं ताकि पारादीप, ओडिशा में समुद्री पुलिस को तटीय क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपना खुद का भवन प्रदान किया जा सके।

*__श्री के. परसुरमन (तंजावुर):__हम सभी खुश हैं कि हमारे गृह मंत्रालय को पिछले बजट से बढ़कर रु. 5752 करोड़ की वृद्धि के साथ रु. 62.124 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

हमारे पुलिस कर्मचारी सभी लोग गंभीरता से और समर्पित भाव से लोगों, समाज और पूरे देश के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनकी सेवा एक अप्रतिफलित काम प्रतीत होती है, लेकिन यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हम उन्हें सभी मदद और सहयोग प्रदान करें ताकि उनके परिवार की स्थिति अच्छी बनी रहे। हालांकि हमारी सरकार पुलिस कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर रही है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अब तक, हमारे माननीय गृह मंत्री को सभी पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए मुफ्त बीमा कवरेज जैसी अधिक कई कल्याण योजनाओं के बारे में सोचने की आवश्यकता है। नि:शुल्क चिकित्सा लाभ, पुलिस कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए विश्वविद्यालयी शिक्षा तक की मुफ्त शिक्षा, और ये सामाजिक कार्य योजनाएँ निश्चित रूप से उन्हें प्रोत्साहित करेंगी। इस समय, मैं अपने आदरणीय वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे यू.के. की तरह पुलिस बलों के लिए अलग से बेहतर देखभाल को बढ़ावा देने के लिए एक अलग धन निधि बनाएं।

तमिलनाडु में, हमारी सरकार आदरणीय मक्कलिन मुथलवर पुरैचीथलैवि अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस कर्मचारियों के लिए कई कल्याण योजनाएं लागू कर रही है, जैसे मुफ्त चिकित्सा सहायता, सब्सिडीज़ के रेट पर आवश्यक वस्त्रों की आपूर्ति, तमिलनाडु पुलिस दयालुता निधि, नई स्वास्थ्य बीमा योजना, विशेष छात्रवृत्ति निधि, अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियाँ, कल्याण सहकारी समितियाँ, पुलिस अस्पताल और मनोरंजन सुविधाएँ। पुलिस कर्मचारियों के लिए इस तरह की लंबी सूची कल्याण योजनाओं का स्वागत करने का मतलब है कि हमारी आदरणीय मक्कलिन मुथलवर पुरैचीथलैवि

* भाषण को सभा पटल पर रखा गया।

अम्मा उनके प्रति वास्तविक और योग्य देखभाल के प्रति सच्चे हृदय से संवेदनशील हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य पूरी तरह समर्पित है।

इसलिए मैं अपने माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे देश के सभी पुलिस कर्मचारियों का इन सभी कल्याण योजनाओं से परिचय कराएं।

और, मैं अपने आदरणीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे पुलिस कर्मचारियों के बच्चों पर उनकी शिक्षा के संबंध में अधिक ध्यान दें, उदाहरण के लिए, चल रही प्रथा के अनुसार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.एफ.) के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए केवल 7 एम.बी.बी.एस. और 2 बी.डी.एस. सेंट्रल पूल के रूप में आवंटित किए गए थे और इस कार्यक्रम में 15 एम.बी.बी.एस. और 10 बी.डी.एस. सीट बढ़ा दी जानी चाहिए क्योंकि अनेक कर्मचारी अपने पुत्र/पुत्रियों को अच्छी चिकित्सा शिक्षा देना चाहते हैं।

अब, मैं हमारे माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री को यह समझाएं कि राज्य पुलिस कर्मियों के लिए एम.बी.बी.एस. और बी.डी.एस. में प्रवेश के लिए अलग केंद्रीय कोटा प्रदान करने के आवश्यक कदम उठाए जाएं। इससे निश्चित रूप से भारत में सभी पुलिस अधिकारियों की सहायता होगी।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हमारी तमिलनाडु पुलिस अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत शानदार काम कर रही है, क्योंकि हमारी सरकार, जिसे हमारी नेता आदरणीय मक्कलिन मुथलवर पुरैचीथलैवि अम्मा की बहु मूल्य सलाह और मार्गदर्शन के द्वारा चलाया जाता है, पुलिस कर्मचारियों की भलाई का समुचित ध्यान रखती है और उन्हें अपराधियों से निपटने में खुली छूट दे रही है। हमारी तमिलनाडु पुलिस अपराधियों और आर्थिक अपराधियों की खोज करने में पूरे एशिया में मशहूर है।

मैं विनम्रता से हमारे आदरणीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे पूरे पुलिस बल और प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए तमिलनाडु पुलिस को और अधिक धन उपलब्ध कराने में सहायता करें। यह समय की आवश्यकता है और हम सभी खुश हैं कि हमारे गृह मंत्री जी ने बजट में निधियों का आवंटन बढ़वाया है और इसलिए प्रणालियों के आधुनिकीकरण हेतु अधिक धन आवंटित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

उसे हमारे माननीय गृह मंत्री से यह भी अनुरोध करना चाहिए कि भारत में एक अलग सेंट्रल पुलिस विश्व विद्यालय की शुरुआत करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएं, जिससे पुलिस कर्मचारियों को बहुत सारे तरीकों में मदद मिलेगी, और अपराधों का पता लगाने, आतंकवाद का मुकाबला करने आदि में अनुसंधान कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

*__श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर):__ मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि आज भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह विभाग इतना संवेदनशीलता का परिचय दे रहा है।

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं जहां पर प्राकृतिक आपदा के रूप में आतिवृष्टि एवं ओला गिरने के बाद स्वयं माननीय गृह मंत्री जी ने जा कर बिना वहां की सरकार के औपचारिक मांग किए हुए ही किसानों की पीड़ा से द्रवित होकर 605 करोड़ रुपये तत्काल आवंटित करने का कार्य किया। इतना ही नहीं अब तक ओला एवं आतिवृष्टि को प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन से बाहर माना जाता था, किन्तु वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ त्वरित निर्णय करते हुए इसे भी औपचारिक रूप से आपदा में सम्मिलित करने का कार्य किया है। मैं उन्हें बधाई देते हुए आग्रह करूंगा कि कश्मीरी पंडितों को सम्मानपूर्वक कश्मीर में बसाने का जो निर्णय हुआ है, उसमें कोई भी यदि बाधा डालता है तो उसके साथ सख्ती करते हुए उन्हें बसाया जाए।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी (कडप्पा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी की ओर से, मुझे गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी और आंतरिक उथल-पुथलों से बचाना है। इस प्रकार, गृह मंत्रालय को स्थिति की निगरानी और आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सलाह जारी करनी होती है । व्यक्ति के विकास के साथ-साथ एक राष्ट्र के विकास के लिए शांति और सद्भावना आवश्यक आधार हैं।

हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद है। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सुधारों को लागू करके और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं को शुरू करके, भारत सरकार पिछले कई वर्षों से न केवल ग्रामीण गरीबों को काम और आय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है बल्कि यहां के ग्रामीण बेरोजगारों को भी अपनी आजीविका के लिए नक्सलवाद की ओर आकर्षित न होने का विकल्प भी प्रदान कर रही है। हमारे देश में अभी भी नक्सलियों की उपस्थिति एक-तिहाई जिलों में है, इसलिए ऐसी और भी सामाजिक-आर्थिक सुधार और कल्याण योजनाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए। सरकार को इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए।

वर्तमान में हमारी पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों को अपग्रेड किया जाना चाहिए। नक्सलियों और आतंकवादियों के पास हमारी पुलिस से कहीं अधिक उन्नत हथियार हैं। हमारी पुलिस को सर्वोत्तम और उन्नत हथियार प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिए, ताकि वे प्रभावी रूप से लड़ाई लड़ सकें और अपने जीवन का नुकसान कम कर सकें। यदि आवश्यक हो, तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे अधिक उन्नत मशीनरी खरीदने के लिए बजटीय आवंटन को संशोधित करें।

आम धारणा यह है कि पिछले कई वर्षों से सरकारों को सीमाओं का प्रबंधन, समुद्री सीमाओं सहित, करने में समस्याएँ आई हैं। सीमा सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल है जो कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक रूप से संचालित है और भारत की भूमि की सीमाओं की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय अपराध को रोकने का काम करता है। इसके अलावा, भारत की सीमाएं एक बड़ी संख्या में सैन्य, पैरामिलिट्री, और पुलिस बलों द्वारा संरक्षित होती हैं, प्रत्येक का अपना धार्मिक भाव और प्रत्येक का अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालय को प्रतिवेदन करना होता है, जिससे सीमाओं के प्रबंधन में कम समन्वय होता है। इसके परिणामस्वरूप, घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी होती है। इस तरह के सीमा प्रबंधन को लेकर गृह मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के बीच कई बार कटु विवाद हो चुका है। सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या का गंभीरता से और जोरदार ढंग से समाधान करे क्योंकि यह हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित है।

हमारा देश अपनी भौगोलिक और अन्य राजनीतिक स्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत प्रवण है। हाल विगत में भारत को कई आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जैसे आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में हुदहुद तूफान, और कल और परसों नेपाल में और बिहार और अन्य उत्तरी राज्यों में गंभीर भूकंप आया। आपदाओं का व्यापक सामाजिक और मानसिक प्रभाव होता है जो केवल आर्थिक गुणों पर ही नहीं प्रकट होता है, बल्कि पूर्व मौजूदा सामाजिक और आर्थिक कमजोरियों पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए, प्रभावी आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि जीवन और संपत्ति का नुकसान कम से कम हो।

कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रसार के साथ, आज हम देख रहे हैं कि साइबर अपराध विधि प्रवर्तन अभिकरणों के लिए एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने आया है। युवा पीढ़ी जो काम और मनोरंजन से जुडे रहने के लिए इंटरनेट और अन्य ऑनलाइन तकनीकों का बहुत ज्यादा उपयोग करती है उसके साइबर अपराध का शिकार बनने की आशंका अधिक होती है। यह साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलींग और

बच्चोंकी अश्लील फ़िल्में बनाने , परेशान करने , ईमेल या सोशल नेटवर्किंग खातों की हैकिंग, और पहचान चोरी के रूप में होता है। यह अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और सरकार को इन मुद्दों का सामना करने की आवश्यकता है। साइबर स्टॉकिंग और महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

सरकार को आतंकवाद रोधी तंत्र को मजबूत और आतंकवाद से संबंधित मामलों के त्वरित और निष्पक्ष विचारण हेतु एन.आई.ए. की भूमिका को सशक्त बनाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों को उनके संबंधित पुलिस बलों का आधुनिकीकारण करने और उन्हें नवीनतम तकनीक से लैस करने के लिए हर प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए। चूंकि हमारा आंध्र प्रदेश राज्य पहले से ही विभाजन के बाद वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, इसलिए केंद्र सरकार को पुलिस बल के आधुनिकीकरण और हमारे बलों को मजबूत करने और खुद को नवीनतम तकनीकों से लैस करने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करने के संबंध में आंध्र प्रदेश को भरपूर मदद करनी चाहिए।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

सेवानिवृत्त सैनिकों की पुनर्वास समस्या...

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया एक मिनट के लिए सुनिए। शाम के 6.00 बज चुके हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम चर्चा समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ा सकते हैं और उसके बाद हम शून्यकाल लेंगे। हम एक घंटे तक अनुदानों की मांगों को जारी रखेंगे और उसके बाद शून्यकाल लेंगे। कृपया सहयोग करें और भाषण को निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास करें। माननीय मंत्री कल बहस का उत्तर देंगे।

अनेक माननीय सदस्य : जी ,महोदय।

श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी: सेवानिवृत्त सैनिकों की पुनर्वास समस्या, चाहे वे पुलिस, सेना या अर्धसैनिक हों, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अपने पूर्व सैनिकों की जितनी अच्छी देखभाल करेंगे, सेवारत अधिकारियों का मनोबल उतना ही ऊंचा होगा क्योंकि आज का सैनिक कल का पूर्व सैनिक है।

*__श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड):__ मैं वर्ष 2015-16 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों संबंधी चर्चा पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। गृह और रक्षा सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिन्होने हमारे देश को बाहरी हमलों से बचाया था और आंतरिक स्थिति में कानून और व्यवस्था भी बनाए रखी थी।

आजकल उभर रहे विभिन्न प्रकार के विद्रोहों की जानकारी हमारे पास है। हमारे सीमा क्षेत्र में हमारे सैनिक भूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और किसी भी तरफ से दुश्मनों के हमले से निपटना है। इसलिए रात को बिना सोए भी वे हमारी जमीन की रक्षा करते हैं। पाकिस्तान की ओर से जम्मू एवं कश्मीर में हमलों की हालिया घटनाओं ने कुछ गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। एक तरफ हमें अपने देश की आजादी के मुद्दे से समझौता नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें किसी युद्ध के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।

आजकल कई राज्य माओवादी हमलों का सामना कर रहे हैं। इसमें न केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा शामिल है, बल्कि सामाजिक और विकास संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं। मैं जानना चाहूंगा कि माओवादी हमले से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। पिछले तीन वर्षों में इस माओवादी हमले के कारण कितने नागरिकों की जान गई है और कितने जवान और पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, खासकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और कुछ अन्य राज्यों में, जहां हम कट्टरपंथी ताकतों के खतरों को देखते हैं। उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर लोगों को संगठित करने की कोशिश की है। हमें इन चुनौतियों का सामना करना चाहिए और एकजुट होकर कार्रवाई करनी चाहिए।

विदेशी धन कुछ कट्टरपंथी ताकतों के हाथों में जा रहा है। वे हमारे देश को कट्टरपंथ के आधार पर बांटने की भी कोशिश करते हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, जातियां, उपजातियां हैं।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हमें राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रस्तुत करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। देश की एकता और राष्ट्रीय अखंडता इस पवित्र, महान उद्देश्य से ही संभव है। दुख की बात है कि हाल के समय में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को स्वार्थपूर्ण हितों से ख़तरा है । सरकार को हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा के लिए पर्याप्त सहायता देनी चाहिए। धर्म के आधार पर ही कई मुद्दे और टकराव सामने आ रहे हैं।

बाबरी मस्जिद का विध्वंस राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद देश के विभिन्न भागों में विद्रोह और टकराव हुए। सत्ता में आई सरकार बाबरी मस्जिद की रक्षा नहीं कर सकी, हालांकि वामपंथी और लोकतांत्रिक दलों ने सरकार को इस खतरे के संबंध में आगाह किया था।

जब नई सरकार सत्ता में आई है, तो भा.ज.पा. के मंत्रियों, सांसदों और नेताओं द्वारा दिए गए कुछ बयान सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले हैं। उनका ताज महल, कुतुब मीनार के संदर्भ में बयान अल्पसंख्यक वर्गों के खिलाफ है। एक अन्य मंत्री राम सद्यना राम सदन द्वारा दिया गया बयान अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला एक और उदाहरण है। जबरन धर्म परिवर्तन भा.ज.पा. का एक और खतरनाक कदम है। यद्यपि सरकार ने इन सभी बयानों का खंडन किया है, इसीलिए, फिर भी सांप्रदायिक संघर्ष की नई स्थिति पैदा हो गई है। बी.जे.पी. एम.पी. द्वारा सभा में गाँधीजी और गोडसे की तुलना करते हुए दिया गया चौंकाने वाला बयान हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को आहत करने वाला एक और घाव है।

हमारे पास महात्मा गांधीजी की हत्या जैसे हृदयस्पर्शी अनुभव हैं। यह सांप्रदायिक कट्टरवाद का परिणाम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी की हत्या एक और चौंकाने वाली घटना थी। यह अल्पसंख्यक वर्ग सांप्रदायिकता का परिणाम है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी एक अन्य कट्टर विचारधारा का परिणाम है। हमें दिल्ली में सिखों पर हुए हमलों को कम करके नहीं आंकना चाहिए। बम्बई, अहमदाबाद, कर्नाटक, दिल्ली, सूरत सहित अनेक सांप्रदायिक दंगे हमारे राष्ट्र के जीवन

की दुखद घटनाएं हैं। इन दंगों और झड़पों के परिणामस्वरूप कई महिलाओं और बच्चों सहित हजारों बहुमूल्य जानें चली जाती हैं। राष्ट्र की संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है।

हम इस तथ्य को समझते हैं कि यह किसी दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं है, यह देश के अंदर, लोगों के बीच का युद्ध है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए कानून और व्यवस्था की स्थिति का स्वरुप यांत्रिक नहीं है, यह हमारे राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक चेतना से संबंधित है। जबकि हम अपनी सेना, नौसेना और वायु सेना को महत्व देते हैं जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि शब्दों, लेखन या भाषण से हमें सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर समाज को विभाजित करने के लिए सांप्रदायिक भावनाएं नहीं भड़कानी चाहिए। नई सरकार को इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लेना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज गृह मंत्रालय की जिन अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं उस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज विभिन्न माननीय सदस्यों के द्वारा विभिन्न तरह की बातें यहां कही गईं, बहुत तरह के सुझाव उनकी तरफ से आए। माननीय मंत्री जी भी सभा में उपस्थित हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो विपक्ष होता है, वह आइना होता है और माननीय मंत्री जी इन सारी बातों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। विभिन्न बातों में सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा की बात आई। आंतरिक सुरक्षा के बारे में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए। हम लोग कैसे सुरक्षित रहें, इसके बारे में बहुत सारी बातें आईं। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हर गांव में, हर समाज में पुलिस का भय एकदम समाप्त हो गया है। जो पुलिसिंग होनी चाहिए, वह आज की डेट में पूरी तरह से समाप्त हो गई है।...(व्यवधान) यह केवल बिहार की बात नहीं है, यह पूरे देश की बात है। आज से दस-बीस वर्ष पहले पुलिस को देखकर मन में जो एक भय उत्पन्न होता था, आज वह भय पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसका कारण क्या है, इस पर यहाँ पर बहुत विस्तृत चर्चायें हुईं। समय की कमी को देखते हुए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। हम लोगों के वरिष्ठ सदस्य माननीय सलीम जी ने भी साम्प्रदायिक सौहार्द के बारे में कहा। आज पूरे देश में हर किसी के मन में यह भय व्याप्त है कि कब क्या हो जाएगा, कब क्या करवा देंगे, जो इस तरह का माहौल है, चाहे लव जेहाद के नाम पर हो, चाहे घर वापसी के नाम पर हो, चाहे अन्य चीजों के नाम पर हो, इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को हम लोग किस तरह से संजोकर रख सकते हैं। यह पूरी तरह से जिम्मेदारी आपकी है। इसे कैसे आप कायम रखने का काम करेंगे, इस पर हम लोगों को एक निर्णय लेने की जरूरत है।

महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत सारी चर्चायें हुईं। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है, खासकर मैं जहाँ से आता हूँ बिहार के भागलपुर लोक सभा क्षेत्र से, जो कि भारत के मानचित्र पर भागलपुर क्षेत्र है, वह नक्सल प्रभावित भी है। आए दिन वहां पर किसी न किसी तरह से नक्सल प्रभावित घटनायें होती

रहती हैं- चाहे वह मुंगेर में हो या बांका में हो। हम लोगों के बड़े भाई माननीय सदस्य जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं, उनका क्षेत्र भी काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और आये दिन काफी बड़ी-बड़ी घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें, जितनी भी बातें यहाँ पर आईं, आपने बहुत गंभीरता से इन्हें सुनने का काम किया है।

मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष की सलाह आती है, उसको आप निश्चय ही गंभीरता से ले रहे हैं और पूरी तरह से उसका पालन करते हुए मैं चाहूँगा कि उसका निदान करने का काम भी आप करेंगे। मैं उस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो नेशनल एवरेज है, जो पॉपुलेशन के आधार पर पुलिस की संख्या रहनी चाहिए थी, आज पूरे देश में यह व्यवस्था नहीं है, सारी जगहों पर कमी है - चाहे वह पुलिस के सिपाही की बात हम करें, चाहे आई.ए.एस. या आई.पी.एस. अफसर की बात करें, चाहे हम सेवा आयोग से संबंधित बात करने का काम करें, निश्चय ही इसमें सब जगह कमियाँ हैं और जब तक उस कमी को हम लोग पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो आंतरिक सुरक्षा की बात यहाँ बैठकर कर रहे हैं, जब तक हम लोगों के पास पर्याप्त पुलिसिंग व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम लोग इसको पूरा नहीं कर सकेंगे। जब हम नेशनल एवरेज को सुधारने का काम करेंगे, तो उससे संबंधित जितने संसाधन आपने उसको देने हैं, चाहे वाहन की बात हो, चाहे हथियार देने की बात हो, चाहे जगह जगह पर पुलिस चैक पोस्ट या थाना बनाने की बात हो, जब तक हम उसको पूरा करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम निश्चय ही इन सारी बातों पर, जिन पर यहाँ चर्चा हुई, चाहे सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की बात हो, क्योंकि हमारा देश धमरनिरपेक्ष देश है। हम लोग हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी एक थाली में खाकर हम लोग इतना पले हैं और इतना बड़े हुए हैं। जब उस पर कहीं कुठाराघात होता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर जाएगी। आप गंभीर हैं तो निश्चय ही हमें लगता है कि जो सुझाव विपक्ष द्वारा दिया गया है, उस पर आप पूरी तरह से अमल करके इसमें सुधार करने का काम करेंगे। ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय दो बार घंटी बजा चुके हैं।

मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि हमारा जो भागलपुर, बांका, मुंगेर का पिछड़ा इलाका है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, मैं खासकर मंत्री जी का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा कि भागलपुर जो हमारा पूरे भारत के मानचित्र पर है, उस पर ध्यान देकर नक्सल प्रभावित एरिया में विशेष ध्यान देकर उसका उन्मूलन करने का काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

*__श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी):__ चूंकि विभिन्न दलों के कई माननीय सदस्यों ने पहले ही गृह मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है, मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही बोलना चाहूँगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और उन्हें आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि जब भी कोई स्थिति आती है तो हमारे पुलिस बल को अपराधियों, नक्सलियों, आतंकवादियों से लड़ना पड़ता है। वे समस्याओं का सामना करते हैं और परिणामस्वरूप अपनी जान गँवा देते हैं। हाल के दिनों में, छत्तीसगढ़ में कई नक्सली हमले हुए हैं जिनमें हमारे कई जवानों ने अपनी जान गंवाई है। इसलिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय को देश के नागरिकों को धर्म, जाति और पंथ के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें जो सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हैं और अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश के लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वह सुब्रमण्यम स्वामी हों जो मुसलमानों और ईसाइयों के विरुद्ध बोलते और लिखते हैं या संजय राउत हों जो मुसलमानों और ईसाइयों या कई अन्य लोगों के विरुद्ध बोलते और लिखते हैं, देश की एकता को बचाने के लिए गृह मंत्रालय को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अत्यंत आवश्यकता है।

मैं असम से आता हूं जहां घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। यह कई लोगों के लिए वास्तविक नागरिकों को परेशान करने और उन पर बांग्लादेशी होने का लेबल लगाने का हथियार बन गया। हमारी पार्टी ए.आई.यू.डी.एफ. का इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख है कि 25 मार्च 1971 से पहले भारत आए सभी लोगों को

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भारतीय माना जाना चाहिए और उन्हें सभी अधिकार दिए जाने चाहिए। दूसरी ओर, जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से भारत आए हैं, उन्हें विदेशी माना जाना चाहिए और उन्हें उनके देशों में वापस भेजा जाना चाहिए।

यह बहुत दुखद बात है कि जब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर [एन.आर.सी.) को अद्यतन करने की प्रक्रिया चल रही है, तो सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह असम में बोल रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी असम में सत्ता में आती है, "कुछ हिन्दू जो धार्मिक अशांति के कारण बांग्लादेश से आए हैं।" भाजपा उन सभी को नागरिकता प्रदान करेगी। अमित शाह ने यह ना ही केवल असम में, बल्कि पूरे देश भर में बांग्लादेशी हिन्दू प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए पार्टी काम करेगी, "शाह ने यह एक रैली में कहा, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया और कई अन्य राष्ट्रीय अखबारों ने उद्धरण दिया। मुझे डर है कि सत्तारूढ़ दल के एक नेता द्वारा इस तरह के बयान से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और असम और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। इससे एन.आर.सी. अपडेशन की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री से कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

मैं असम राज्य में एन.आर.सी. अद्यतन/तैयारी की प्रक्रिया का स्वागत करता हूं। "एन.आर.सी. के अपडेशन/तैयारी कार्यक्रम को समर्थ, एकसमान और पारदर्शी रूप से कार्यान्वित करने के हित में, हम एन.आर.सी. के अपडेशन/तैयारी से संबंधित अधिकारी के साथ पूरा सहयोग करते हैं।" हमने अब तक परिचालित तौर-तरीकों और परिचालन दिशानिर्देशों के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा पहले से की गई तैयारी का अध्ययन किया है और उचित कार्रवाई के लिए निम्नलिखित कुछ बिंदुओं को आपके संज्ञान में लाना आवश्यक महसूस किया गया है।

एन.आर.सी. वर्ष 1951 को आंशीक रूप से एन.एस.के. और वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। प्राधिकरण को नागरिक रजिस्टर वर्ष 1951 का पूरा प्रकाशन सुनिश्चित करना चाहिए।

वर्ष 1970 की मतदाता सूची और वर्ष 1966 की आंशिक मतदाता सूची एन.एस.के. और वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। यदि आपको इन सूचियों को प्राप्त करने में अधिक जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो, तो कृपया मुझे बताएं! प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्ष 1966 की मतदाता सूची को पूर्ण रूप से प्रकाशित किया जाए और साथ ही अन्य सभी मतदाता सूचियों जैसे वर्ष 1952, वर्ष 1954, वर्ष 1959, वर्ष 1962आदि को भी प्रकाशित किया जाए और वर्ष 1971 से पहले सभी एन.एस.के. में उपलब्ध कराया जाए। पहले से प्रकाशित मतदाता सूची में नाम में कुछ गलतियाँ हैं, जो एन.एस.के. में उपलब्ध हैं, उनकी तुलना में जनता के पास उपलब्ध प्रमाणित प्रतियों में अंतर पाया गया है। इन विसंगतियों को तुरंत दूर किया जाना चाहिए और वर्ष 1971 से पहले प्रकाशित सभी मतदाता सूचियों के प्रकाशन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पहले की मतदाता सूचियों में त्रुटियों को सुधारने के लिए संबंधित व्यक्तियों द्वारा शपथ पत्र स्वीकार किए जाने चाहिए।

अनाथ/बेघर लोगों जैसे विशेष मामलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए और उनके नाम एन.आर.सी में शामिल करने के लिए प्रसारित किए जाने चाहिए।

राज्य भर में एन.आर.सी अद्यतन/तैयारी कार्यक्रम के सुचारू, समान और पारदर्शी कार्यान्वयन के हित में, एक हैंडबुक प्रकाशित की जानी चाहिए जिसमें सभी प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों के प्रत्येक पहलू को शामिल किया गया हो और इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से यह प्रथा बन गई है कि कुछ उग्रवादी समूह इन गरीब मजदूरों को परेशान करने और धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं और यहां तक कि उनसे उगाही करने के लिए उन्हें मार भी रहे हैं, जिससे वहां एक बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण बन गया है। 5 अप्रैल को मेघालय में हुई घटना में 14 गरीब मजदूरों की मौत हो गई थी। वर्ष 2013 में मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के नागमापाल क्षेत्र में कम से कम 20 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस साल

मार्च में, नागालैंड के दीमापुर में असम के एक युवक की सामूहिक हत्या की गयी थी। मैं गृह मंत्री जी से असम के लोगों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं जहां भी वे रहते हैं।

असम में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। असम में हत्या, जबरन वसूली, अपहरण, बलात्कार और उत्पीड़न आदि जैसे अपराध प्रचलित हैं। अपराधी क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं, जबकि प्रशासन कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहा है। बी.टी.ए.डी. क्षेत्र में समय-समय पर बोडो उग्रवादियों द्वारा गैर-बोडो को निशाना बनाने की घटनाएं सभी को पता हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति को संरक्षित रखने के लिए मामले की जांच करने का आदेश दिया जाए।

तेलंगाना में पांच विचाराधीन मुस्लिम युवकों की संदिग्ध स्थिति में हत्या कर दी गई थी, जब वे पुलिस हिरासत में थे तो उन्हें गोली मार दी गई थी। इसके अलावा, हजारों मुस्लिम युवा हैं जो बिना किसी उचित सबूत के वर्षों से जेल में हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इनके मामले को त्वरित न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सुलझाएं।

[हिन्दी]

*__श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) :__ गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों को समर्थन करता हूँ। पूर्व सरकार कि तुलना में घटनाओं में कमी आई है इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन फिर आज हमारे देश में नारी सुरक्षा, नक्सल आतंकवाद, साईबर क्राईम, इत्यादि सुरक्षा हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। आज हमारे गुजरात में महिलाएँ बहू-बेटियाँ महंगे गहने पहनकर भी बिना डर पूरे गुजरात में घूम-फिर सकते हैं, लेकिन वहीं बहू-बेटी जब गुजरात से बाहर जाते हैं तो उन्हें भय लगता है, सुरक्षित माहौल नहीं है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो नारी अत्याचार संबंधित न्यूज न हो, हाल ही में गाजियाबाद में बदमाशों द्वारा एक महिला से चैन झपटा और उनके बच्ची के उपर गोली चलाया और भाग निकल, इस प्रकार कि घटनाएं दिल्ली, यू. पी. बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल इत्यादि प्रदेशों में बहुत आम है, और आये दिन होते रहते हैं , यूपी के बदायूं रेप हत्याकांड पूरे देश को हिलाकर रख दिया इसी प्रकार बंगाल में भी एक ओल्ड ऐज महिला के साथ रेप हुई जो पुरे देश को शर्मसार किया। महोदय आज हमारे देश के लिए नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा लगातार हमारे सी0आर0पी0एफ0 के जवानों पर हमला होना एक ताजा उदाहरण है, नक्सलवाद हमारे देश में विकास को भी प्रभावित करता है, सरकारी कार्य को बाधा पहुंचाना एवं लेवी वसूलना नक्सलियों का फंड रेजींग का मुख्य कार्य है, आज-झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु इत्यादि प्रदेशों में नक्सलवाद बहुत मजबूत है, ओर सरकार को नक्सलवाद का अंत कैसे हो इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए।

आज पुलिस मोर्डेनाईजेशन हमारे देश के लिए एक चुनौती है, आज हमारे देश में पुलिस पूर्ण प्रशिक्षित नहीं है, आज हमारे देश के पुलिस स्टेशन में कार्य शैली बहुत ही पारंपरिक तरीके से होते हैं हजारों केश लंबित होते हैं। देश में पुलिस मोर्डेनाईजेशन कैसे हो इस विषय पर जल्द से जल्द गंभीरता

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

से सोचना चाहिए। हिन्दुस्तान के चारो ओर से देश में हो रहे घुसपैठ हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाईना द्वारा हमेशा किसी न किसी रूप में घुसपैठ को अंजाम देते रहते हैं इस विषय को लेकर जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही करे ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरे देश में सबसे बड़ा अगर समुद्री किनारा है तो वह गुजरात में है। 1640 किलोमीटर का समुद्री किनारा है वहां पाकिस्तान , बांग्लादेश, जाफना श्रीलंका जैसे देशों में आपदा सालाना आती है और हमारे देश की अर्थ व्यवस्था को हिला कर रख देती है तो उसपर भी ध्यान देना पड़ेगा।

*__श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका)__ : देश में अमन-भाईचारा बना कर रखना गृह विभाग का मुख्य जिम्मेवारी है। अखंड भारत को सभी जाति धर्म को जोड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। महिलाओं के हिंसा पर और भी मजबूत कानून बनाना। महिला सुरक्षा जरूरी है। गृह विभाग पड़ोसियों से बेहतर रिश्ता बनाने में बेहतर भूमिका निभाये। सीमा पर तैनात जवानों की मुसीबत तकलीफ को सरकार ध्यान देकर विशेष ध्यान दें। हमारी मुलाकात सीमा के जवानों से हुई -जो बर्फ में खड़े रहकर देश की सुरक्षा करते प्राणों की आहूति देते उन्होंने कहा जब मेरे घर गाँव में हमें परेशानी होती हैं तो डी.एम. ध्यान नहीं देते। कृपया जवानों की परेशानी पर डी.एम. ध्यान दे। यही यह मांग था की आधुनिक सुविधा; वाहन आधुनिक अस्त्र-शस्त्र संसाधन मिलना चाहिए। भवन-वाहन मिलना चाहिए।

जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहां गरीबों के लिए आदिवासी दलितों के विशेष विकास पर ध्यान दिया जाए। राशि दिया जाए।

मैं बांका संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जो जंगल-पहाड़ से घिरा है। गरीब पिछड़ा क्षेत्र इसे विशेष नक्सल प्रभावित पिछड़ा क्षेत्र में लिया जाए। बांका, मुंगेर, जमुई लखीसराय में यातायात पेयजल एवं गरीबों को न्याय मिले ऐसी व्यवस्था किया जाय। हमारा क्षेत्र झारखण्ड से जुड़ा-कृपया विशेष ध्यान एवं सुविधा दिया जाए। गरीबों के साथ न्याय हो एवं चतुर्दिक विकास हो ध्यान देना सरकार का दायित्व है।

गृह मंत्री जी से मांग है कि बांका संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। यह सच है कि किसी सरकार की जिंद-जान गृह मंत्रालय को माना जाता है। उस पर हम गंभीरता और संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं।

महोदय, विषय तो बहुत हैं, चर्चाएँ बहुत की जा सकती हैं, क्योंकि 67 वर्षों में इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इलाकों के नाम पर जो लोगों को आपस में लड़ाकर यहाँ के भाई-चारे के रिश्ते को तोड़ा गया, पोलिटिकल मोटिव के लिए, ऐसे बहुत मसले विचारे जा सकते थे, किन्तु मेरे पास समय नहीं है। इसलिए मैं दो-तीन बातें माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ। हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन आज़ाद भारत में हुआ, आज के गृह मंत्री जी से हम अपेक्षा करते हैं कि वे दूर करेंगे। क्योंकि ये जो हमारे राइट में बैठे हैं, इन्होंने हमेशा अपने राजसी मोटिव के लिए, जैसे मैंने कहा कि देश का विधान और कानून सबको छींके पर टांगकर फैसले किये।

महोदय, यहाँ सब प्रदेश भाषा के आधार पर बने। पंजाबी भाषा के आधार पर प्रदेश बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। जब प्रदेश बन गया तो वहाँ की जो राजधानी चंडीगढ़ थी, उसके फार्मूले में तहसील को ईकाई माना गया। वह तहसील जो खरड़ का हिस्सा थी, वह पंजाब का हिस्सा बनती थी, किन्तु कहा गया कि हरियाणा के पास अभी राजधानी के लिए जगह नहीं है, कुछ समय के लिए पंजाब उसको दे दे। फिर सांझी राजधानी बना दी और हाई कोर्ट भी सांझा रख लिया। पर अभी तक वैसे ही चला जा रहा है। दूसरा डिसक्रिमिनेशन हमारे साथ यह हुआ कि 60:40 के रेशियो में वहाँ के मुलाजिम अफसर बांटे गए। अब क्या हो रहा है? पंजाब के 20 परसेंट मुलाजिम भी वहाँ नहीं रहे। पंजाबी को बिल्कुल अनगौले ही कर दिया। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि यह जो डिसक्रिमिनेशन हमारे साथ है, इसको दूर किया जाए। दूसरे, हमारा विधान सैकुलर है, वह सब धर्मों का सम्मान करता है। हमारे सम्प्रदाय के लोगों ने अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ कर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी बनाई और उस समय

महात्मा गांधी जी और पंडित नेहरू जी की ओर से कहा गया कि आपने देश की आजादी की पहली लड़ाई जीती है, हमें बधाई दी गई।

मुझे इस बात का खेद है कि इन लोगों ने हमारे गुरुद्वारा प्रबन्धन को भी तुड़वा दिया। हरियाणा की जो पिछली सरकार थी, उसने अलग कमेटी बनवा दी। हम चाहते हैं कि अब माननीय गृह मंत्री जी हमारे साथ हुए उस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करें। दूसरे हमारे गुरुद्वारा प्रबन्धन को जो सिख देखते हैं, उसमें ये सहजधारियों को लाये और उस मामले में उस समय के माननीय गृह मंत्री आडवाणी साहब ने यहां से नोटिफिकेशन करा दिया कि सहजधारी गुरुद्वारा प्रबन्धन में वोटर नहीं बन सकते, किन्तु माननीय अदालत ने कहा कि इसके लिए पार्लियामेंट एक्ट बनाये। आज वह गृह मंत्रालय के पास पड़ा है, हम चाहते हैं कि उसमें भी एमेंडमेंट करें, क्योंकि, इस देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद जो लोगों ने हिस्सा डाला और इस देश की भुखमरी दूर करने में हिस्सा डाला, हम अपेक्षा करते हैं कि हमें इन्साफ मिलेगा।

पंजाब बोर्डर स्टेट है, बोर्डर स्टेट में पाकिस्तान के साथ फेंसिंग लगी हुई है, उसके बाहर जिन लोगों के खेत हैं, उनको बड़ी मुश्किल आती है। थोड़े समय के लिए वे काम पर जाते हैं, मैं चाहता हूं कि वहां के जो किसान हैं, सरकार उनकी जमीनें या तो कांट्रैक्ट पर ले ले या सरकार ही खरीद ले। उनका क्या कसूर है, उनको तो आधी फसल भी वहां से नहीं मिलती, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। हमारी जो पुलिस है या जो रोड्स हैं, उनको स्ट्रेंदन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाये, ताकि हमारे सरहदी क्षेत्र की वजह से हमारा जो नुकसान होता है, हम उसको बचा पायें।

मैं शिरोमणि अकाली दल की ओर से माननीय गृह मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि हमारे प्रदेश में मिलिटेंसी के समय एक समय ऐसा आया, जब वहां के लोग परदेशों में चले गये, अब वे वापस आना चाहते हैं, उन पर कोई केस नहीं है, जब वहां की हमारी एम्बेसी में जाते हैं तो हमारा जो गृह मंत्रालय का फॉरेन विंग है, उसने एक ब्लैक लिस्ट बनाई हुई है, वे उनको यहां आने नहीं देते। हमारे मुख्यमंत्री

माननीय प्रकाश सिंह जी बादल ने और डिप्टी सी.एम. सुखबीर बादल जी ने भी कई लैटर्स लिखे हैं, लेकिन उस पर हमें कोई इन्साफ नहीं मिल रहा। हमारे लोग हमारे देश में आना चाहते हैं, उनके ऊपर कोई केस भी नहीं है, उनको आने में सुविधा के लिए यह जो ब्लैक लिस्ट है, वह खत्म होनी चाहिए और जो वीजा के लिए उनको फॉरेन इंडियन एम्बेसी में रोका जाता है, उसमें भी मैं समझता हूं कि सुविधा मिलनी चाहिए।

धन्यवाद।

श्री आर.के. सिंह (आरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

यदि कोई एक मंत्रालय है, जिसका कुशल संचालन देश पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह गृह मंत्रालय है। यह मंत्रालय हमारे देश की एकता, अखंडता और आन्तरिक सुरक्षा का कस्टोडियन है। हमारे देश की आन्तरिक सुरक्षा पर कई सारे चेलेंजिंज़ हैं। इसकी यूनिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर कई सारे चेलेंजिज़ हैं, इसलिए इसके संचालन में धैर्य, सूझ-बूझ, समझदारी, विद्वता और निर्भीकता की आवश्यकता है। एक और चीज़ की आवश्यकता है, जो इसमें सबसे अहम है और वह यह है कि यह मंत्रालय और इस मंत्रालय के नेता देशहित को सबसे ऊपर रखें, पोलिटिकल कंसीड्रेशन से ऊपर रखें। मुझे लगता है कि सभी लोग आश्वस्त हैं कि वर्तमान स्थिति यह है कि वर्तमान संचालन में देशहित को सर्वोपरि रखा जाता है। अगर पूर्व में इसमें कभी भी, कहीं भी थोड़ा सा भी विचलन हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि देश का कोई भी व्यक्ति इसे पसंद नहीं करता है, चाहे वह किसी भी पॉलिटीकल परसुएशन का क्यों न हो। अन्दर-अन्दर उसे यह खराब लगता है कि देशहित के साथ समझौता हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो चैलेंजेज हैं, हमारे देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के सामने जो चैलेंजेज हैं, हम लोग इन पर गौर करें। इनमें कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं जो कि हमारे पड़ोसी देशों के कारण हमारे सामने हैं। कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं जो कि हमारी गलतियों के कारण हैं। इतिहास में हमने कोई गलती की, इसके कारण ये चैलेंजेज हमारे सामने हैं। कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं, जो कि किसी भी देश के निर्माण के दौरान उभर कर आते हैं और कुछ चैलेंजेज ऐसे हैं, जो इन तीनों के सम्मिश्रण हैं। अगर हम ऐसे चैलेंजेज की बात करें, जिसमें इन सभी का सम्मिश्रण है, तो उसमें से एक है जम्मू व कश्मीर का चैलेंज। इस चैलेंज में, पूर्व में, इतिहास में जो गलतियां की गयीं, उसका परिणाम हम लोग आज भी भुगत रहे हैं। साथ ही साथ, हमारे जो पड़ोसी हैं, इसमें उनके कार्य-कलापों का भी कुप्रभाव है। यह कुप्रभाव उस समय भी था और अभी भी चला आ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास दोहराना नहीं चाहता। लेकिन, यदि हम लोग इतिहास पर गौर नहीं करेंगे तो हम लोग अपने सामने की समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। इसका समाधान निकालने में हमारी दृष्टि, जो स्पष्ट होनी चाहिए, हमारी सोच, जो स्पष्ट होनी चाहिए, वह नहीं हो पाई।

महोदय, सबसे पहले हम लोग इस समस्या को 'कश्मीर समस्या' कहना बंद करें। कश्मीर मात्र एक क्षेत्र है एक प्रांत का। पूरा प्रांत है - जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। कश्मीर उसका मात्र एक क्षेत्र है। मैं यह किसी विशेष कारण से, किसी विशेष प्रयोजन से कह रहा हूं। बार-बार ऐसा कहे जाने से लोगों को यह लगता है कि कश्मीर ही, वह पूरी घाटी ही जम्मू-कश्मीर है, जबकि ऐसी बात नहीं है। उसके और भी हिस्से हैं, बड़े-बड़े हिस्से हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कश्मीर के एक्सेसन का समय आया, एक तो एक्सेसन के पूर्व जो कार्रवाई की गयी, उस समय वहां के महाराजा के खिलाफ़ शेख अब्दुल्ला कुछ आंदोलन चला रहे थे। कांग्रेस पार्टी में यह मत था कि रजवाड़ों के आंतरिक मामलों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन, पंडित नेहरू जी ने वहां जाकर, शेख अब्दुल्ला के पक्ष में, हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। उन्हें रोका गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन, इससे महाराज सशंकित हो गए और एक्सेसन में जो विलम्ब हुआ, उन्होंने जो विलम्ब किया, उन्होंने इसी संशय के कारण वह किया। मैं यह बता दूं कि सरदार पटेल तथा कांग्रेस के अन्य नेतागण इस मत के थे कि आज़ादी का आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ही चलाया जाए और जो रजवाड़े हैं, उनके मामलों में हम लोग न घुसें। लेकिन, उससे डिपार्चर हुआ, जिसका कुपरिणाम हुआ। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, उसके बाद महाराज ने कश्मीर के भारत में एक्सेसन का पत्र भेजा। एक्सेसन का वह पत्र अन-कंडीशनल था। उसमें कोई शर्त नहीं थी। लॉर्ड माउन्टबैटन ने जो उत्तर दिया, उसमें उन्होंने दो लाइनें लिख दीं कि 'जब स्थिति सामान्य होगी तो हम जनता की राय जानना चाहेंगे।' जबकि इसकी आवश्यकता नहीं थी।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री आर.के.सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने प्रारंभ ही किया है।...(व्यवधान)

महोदय, कंस्टीट्यूशन के निर्माण के दौरान उसमें जो आर्टिकल-370 रखा गया, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। उस समय उसके लिए कोई डिमांड नहीं था। सिर्फ शेख अब्दुल्ला के द्वारा ही वह डिमांड की गयी थी।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी बात गृह मंत्रालय तक सीमित रखें। अन्य मामलों में मत जाइए।

… (*व्यवधान*)

श्री आर.के.सिंह : महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। ...(व्यवधान) गृह मंत्रालय एक बहुत बड़ा मंत्रालय है। यदि आप हमें मौका नहीं देंगे तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा। ...(व्यवधान) वर्तमान में जो समस्या है, उसका एक पहलू यह समस्या है।...(व्यवधान) इस समस्या का दूसरा पहलू है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं दूसरे पहलू पर आता हूँ। दूसरा पहलू पाकिस्तान से हस्तक्षेप है। ...(व्यवधान) यह पाकिस्तान से हस्तक्षेप कई कारणों से है।...(व्यवधान) मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह चर्चा अनुदानों की मांगों के संबंध में है। यदि माननीय सदस्य अपने अनुभव से कुछ सकारात्मक सुझाव देना चाहते हैं, तो उन्हें बताने

दें। वह सारा इतिहास बता रहे हैं जिसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। हम भी बता सकते हैं। हम बहुत सी बातें बता सकते हैं। मैंने जानबूझकर बहुत सी बातें नहीं कहीं, जो मैं कहना चाहता था। (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बस यह बताएं कि आप क्या चाहते हैं। आप स्पष्ट तौर पर बताएं कि आप क्या चाहते हैं।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री आर.के.सिंह : महोदय, वह समस्या का एक पहलू है, जो हमें विरासत में मिली है।...(व्यवधान) यह सुनने में किसी को खराब नहीं लगना चाहिए।...(व्यवधान) यह पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यह इतिहास की बात है।...(व्यवधान) यह समस्या हमें विरासत में मिली और उसको कांप्लिकेट करने के लिए हमारे नेबरिंग कंट्री से इन्टर्फेयरेंस।...(व्यवधान) यह इन्टर्फेयरेंस तीन प्रकार का है।...(व्यवधान) एक तो सेप्रेटिस्ट्स की फंडिंग, यह जाँचने की आवश्यकता है कि जो सेप्रेटिस्ट्स हैं, इसके बारे में सब जानते हैं।...(व्यवधान) वे इतनी लैविश लाइफ स्टाइल कहाँ से लीड करते हैं, राशि कहाँ से आती है, इसकी जाँच की आवश्यकता है। दूसरा स्टैंड है, टेररिस्ट को वहाँ पर ट्रेन्ड करके भेजना। इन दोनों स्टैंड के अतिरिक्त तीसरा स्टैंड उनका यह है कि यहाँ पर जो भी हम लोग कदम उठाते हैं या जो भी कार्रवाई करते हैं, वह एक पूरे सुनियोजित तरीके से एक राँग इन्फॉर्मेशन देना, मिस इन्फॉर्मेशन कैम्पेन करना।

महोदय, हम टेररिस्ट की ट्रेनिंग और उन्हें भेजने की बात कर रहे हैं और सेप्रेटिस्ट्स की कार्रवाई बात कर रहे हैं। सेप्रेटिस्ट्स का कहना है कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहां एक कौम की बहुतायत है। यह आर्ग्यूमेंट नहीं चल सकता है। जो बात वे करते हैं, जितने पाकिस्तान में उस कौम के लोग हैं, उससे ज्यादा लोग हमारे यहां ऑलरेडी हैं। यह बेसिस नहीं हो सकता है। जहां तक टेररिस्ट्स की ट्रेनिंग और उनको भेजने का प्रश्न है, इसके विरोध में हम लोगों ने कार्रवाई की। लाइन ऑफ कंट्रोल

पर फेंसिंग की है। वह फेंसिंग इफेक्टिव हुई। फेंसिंग के बाद हमने आर्मी का डिप्लायमेंट भी किया। मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उस फेंसिंग को स्ट्रेंग्थेन करने की जरूरत है। यह ऐसा फेंस है, जो हर एक विंटर में गिर जाता है, स्नो से दब जाता है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: हमें सात बजे तक समाप्त करना होगा। कई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। आप पहले ही दस मिनट ले चुके हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह : महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि उस फेंस को स्ट्रेंग्थेन किया जाए। यह बात रक्षा मंत्रालय की ओर से उठाई गई थी। आर्मी चीफ को गृह मंत्रालय में बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि एक्सपर्ट ग्रुप को एप्वाइंट करें, जो उसकी स्टडी करे कि कैसे फेंस को स्ट्रेंग्थेन किया जा सकता है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह समीक्षा कर लें कि उस पर क्या कार्रवाई हुई? फेंस अगर स्ट्रेंग्थेन हो जाएगी, तो इनफिल्ट्रेशन बहुत हद तक रूकेगा। फेंसिग के बगल में जो डिप्लायमेंट है, उसे स्ट्रेंग्थेन करने की जरूरत है। बीच में डिप्लायमेंट कहीं पर अगर कमजोर हुआ, जैसा कि एक बार हुआ था, तो उधर से ही इनफिल्ट्रेशन हो गया। इस ओर समीक्षा करने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि गाइड्स के मार्फत इंफिल्ट्रैशन होता है। गाइड्स पर अंकुश लगाने, उनको आइडैन्टीफाई और गिरफ्तार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन कार्यों की और आवश्यकता है। हमने पाया है कि वहां जितने मस्जिद थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमूमन सभी मस्जिदों में मौलवी बाहर के हैं, वे कश्मीर के नहीं हैं। ऐसे मौलवी वहां लाये गये हैं जो कट्टरपंथी हैं। जो कश्मीरियत थी, जो कश्मीरी इस्लाम का लहज़ा

था, उसे जान-बूझ कर लुप्त करने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने वहां के पदाधिकारियों को कहा था कि वहां पर जो बाहरी लोग हैं, जो मौलवी आये हैं उनको लोकल मौलवियों से रिप्लेस करने की जरूरत है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मैं चर्चा को समाप्त करना चाहता हूँ। आप कृपया समाप्त कर दीजिए।

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने पाया है कि जो लोग उस पार मिलिटैन्सी ज्वाइन करने के लिए गये थे, अब वे लोग उससे तंग आ चुके हैं, वे लोग वापस आना चाहते हैं और बहुत लोग वापस आ रहे हैं। अगर वे सीधे नहीं आ सकते हैं तो वे नेपाल होकर आ रहे हैं। इस प्रकार वे इस मिलिटैन्सी और पाकिस्तान के रवैये से डिसैनचान्टेड हो गये हैं। हम लोगों ने प्रयास किया था और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वह प्रयास जारी रहे, उनको वापस आने के लिए फैसिलिटेट किया जाये और उनके रिहैब्लिटैशन की कार्रवाई की जाये। हम लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि इस प्रकार के जो रिटर्नीज हैं, उनके रिहैब्लिटैशन की हम लोगों को प्रस्ताव दे। वह प्रस्ताव आया है या नहीं आया है, हमें यह जानकारी नहीं है। गृह मंत्री महोदय इसकी समीक्षा कर लेना चाहेंगे। मेरा यह निवेदन होगा कि अगर वह प्रस्ताव नहीं आया है तो वह उसे मंगाएं और उस प्रस्ताव को तुरन्त लागू करवाएं। टेररिस्ट्स वापस यहां आये हैं, जो पूर्व में टेररिस्ट्स थे और अब वे मेन-स्ट्रीम में आना चाहते हैं, वे पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीर से वापस आना चाहते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर सकें।

सरकार दो-तीन और कार्यक्रम चला रही है, जो कि बहुत यूजफुल है। एक कार्य है - स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटीव्स, वहां पर जो आम आदमी हैं, वे चाहते हैं कि नॉर्मल जिन्दगी जिएं, उनके बच्चे पढ़-लिख कर नौकरी करें, उनकी मंशा यही है। उसके लिए स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटीव्स प्रारंभ किये गये हैं।

स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटीव्स में यह प्रावधान है कि हमारे जो बड़े-बड़े घराने हैं, इंडस्ट्रीयल हाउसेज हैं, वे वहां पर ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और नौकरी देंगे। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ...(व्यवधान) यह भी प्रावधान है कि हम सी.ए.पी.एस. में स्पेशल रिक्रूटमेंट्स करेंगे। ...(व्यवधान) इसका भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आप किसी अन्य विषय की ओर जा रहे हैं। कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह: मैं दूसरे पहलूओं पर जल्दी-जल्दी बोलता हूं। हमारे देश के सामने दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है, वह नॉर्थ-ईस्ट की समस्या है। नॉर्थ-ईस्ट के मेजर इनसर्जन ग्रुप, एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) से बातचीत चल रही है। बातचीत एक मुकाम पर पहुंची थी। पहले के जो इंटरलोक्यूटर्स थे, वे ऐसी बात को लाये थे, उनमें बहुत-सारे ऐसे बिन्दु थे जो हमारे लिए ऐक्सेप्टेबल नहीं थे। हम कोई भी ऐसे एग्रीमेन्ट को नहीं मान सकते हैं जो देश के लॉंग टर्म इन्टरेस्ट के खिलाफ हों। बाद में उनसे बातचीत हुई, उसमें सुधार हुआ, उस पर भी आम सहमति बन गयी थी, लेकिन मणिपुर सरकार को मनाना आवश्यक है। इसमें हम लोग प्रगति नहीं कर पाये थे, उसको परश्यू करने की बहुत आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि जब तक यह हो रहा है तब तक 'सीज फायर' के रूल्स को स्ट्रीक्टली इम्प्लिमेन्ट किया जाये। वह नहीं हो पा रहा है और एक्सटॉर्सन जारी है। नॉर्थ-ईस्ट की एक मुख्य समस्या यह है कि इनसर्जन ग्रुप्स का सेल्टर म्यांमार में है। अभी माननीय गृह मंत्री के लिए यह प्रॉब्लम क्रिएट हो गयी है। म्यांमार सरकार अपने यहां एथनिक ग्रुप्स के साथ पीस एग्रिमेन्ट कर रही है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आपने लगभग 15 मिनट ले लिए हैं। कृपया समाप्त कीजिए क्योंकि अन्य माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। बोलने की एक सीमा होती है।

श्री आर.के. सिंह: महोदय, मैं बस समाप्त करता हूँ। [हिन्दी] यह आवश्यक है कि हम लोग म्यांमार बॉर्डर का मैनेजमेन्ट सही ढंग से करें। यह नहीं हो पा रहा है क्योंकि असम राइफल्स का डुअल कंट्रोल है। हमने प्रस्ताव दिया था कि डुअल कंट्रोल समाप्त हो और असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अधीन आ जाए क्योंकि गृह मंत्रालय उसका बजट मीट करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। यह मामला लंबित है और बहुत आवश्यक है। नार्थ-ईस्ट की एक और समस्या है और वह इन्फिल्ट्रेशन है और इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडैंटीफाई करके वापिस भेजने की है। उसमें कठिनाई है। आईएमडीटी एक्ट के अंतर्गत...(व्यवधान)

वह हो नहीं रहा है। ...(व्यवधान) लेकिन असम के लिए अलग कानून बन गया है। असम के लोग आपको बता देंगे। बाकी जगह से पकड़कर फारेनर्स को रीपैट्रिएट करते हैं, असम से नहीं कर सकते।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: मैं इसे अनुमति नहीं दे सकता ।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आपको और कितना समय लगेगा? अन्य सदस्यों को भी बोलने दें।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं। तीसरा, वहां बोडो समस्या है और उल्फा से बातचीत करने की जरूरत है।...(व्यवधान) गृह मंत्रालय मेरा सब्जैक्ट रहा है। मेरे पास कहने के लिए मसले हैं।...(व्यवधान) हम माओवादी समस्या और वर्तमान में जो बजट आया है, इसकी बात करें। मैं देखता हूं कि माओवादी समस्या वहां-वहां निपट गई जहां स्पैसीफिक ट्रेंड फोर्सेज हैं। आंध्र प्रदेश से उसका सफाया हो गया। स्पैसीफिक ट्रेंड फोर्सेज के लिए स्पैशल इन्फ्रास्ट्रक्टर इनीशिएटिव या स्पैशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम थी जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को स्पैशल फोर्सेज की ट्रेनिंग के लिए हम राशि देते थे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अन्य दलों के सदस्य भी हैं। अभी उनको अपनी बात कहने दीजिए।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: बस, बहुत हुआ।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री आर.के.सिंह: मैं देख रहा हूं कि बजट में उसे समाप्त कर दिया गया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: आप जम्मू और कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर-पूर्व, दक्षिण, और पूर्व की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। बस, बहुत हुआ।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आपने पहले ही 15 मिनट ले लिए हैं। जो भी आप कहना चाहते हैं, आपको संक्षेप में कहना होगा। आप लंबी बात नहीं कर सकते।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री आर.के. सिंह: यह देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। मैं पाता हूं कि बहुत सारी महत्वपूर्ण स्कीम्स काट दी गई हैं। अगर ऐसे मंत्रालय से जो देश की एकता और अखंडता के लिए जिम्मेदार है इस प्रकार महत्वपूर्ण स्कीम्स को काट दिया जाएगा तो यह सही बात नहीं है। वित्त मंत्रालय को इस बारे में सोचना होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

*__श्री डी.के. सुरेश (बंगलौर ग्रामीण):__ महिला सुरक्षा के संबंध में, मंत्रालय के प्रयास वांछित परिणाम नहीं दे रहे हैं। हर दिन, देश में महिला उत्पीड़न, बलात्कार केस, और यौन हमले की ख़बरें आ रही हैं। दिल्ली जैसा प्रमुख शहर, जो राष्ट्रीय राजधानी है, महिला और लड़कियों की सुरक्षा के मामले में अधिक समाचार शीर्षकों में रहता है। स्कूली लड़कियों सहित छोटे बच्चों से लेकर काम करने वाली महिलाओं तक, देश के हर हिस्से में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा के उपायों को सशक्त बनाने के लिए निर्भया फंड के रूप में रु. 1000 करोड़ की अतिरिक्त राशि आवंटित की है।

बजटीय आवंटन में वृद्धि का स्वागत है, लेकिन आवंटित धन का उपयोग विशेष रूप से महिला सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी और अर्थपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सरकार को एक रोडमैप तैयार करना चाहिए जिसमें रणनीतिक स्थानों पर सीसीटीवी की स्थापना, सीसीटीवी निगरानी के साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की शुरुआत, महिलाओं के पुलिस थानों की संख्या बढ़ाना, महिलाओं और लड़कियों को खतरों से बचने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, महिलाओं और लड़कियों की देखभाल के लिए अधिक हेल्पलाइन नंबरों की शुरुआत, महिलाओं के लिए अस्पतालों की स्थापना आदि शामिल हो, ताकि महिलाओं और लड़कियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन कदमों के अलावा, सरकार को संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए प्राधिकरणों को महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर ढंग से संभालने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

बलात्कार के पीड़ितों के पुनर्वास की सुविधा के लिए, देश में पर्याप्त संख्या में बलात्कार संकट केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। देश के हर जिले में बलात्कार संकट केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

हालांकि, वर्ष 2015-16 के लिए केंद्रीय बजट में इस उद्देश्य के लिए केवल रु. 18 करोड़ का आवंटन किया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि यह राशि बहुत ही अपर्याप्त है और इस सांकेतिक धनराशि से आवश्यक संख्या में बलात्कार संकट केंद्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि देश के हर जिले में बलात्कार संकट केंद्र स्थापित करने के लिए आवंटन बढ़ाया जाए।

मेरा मानना है कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण के संबंध में बजट में किया गया आवंटन बहुत ही अपर्याप्त है। माननीय वित्त मंत्री ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केवल रु. 1500 करोड़ का आवंटन किया। यह समय की आवश्यकता है कि हमारे पुलिसकर्मियों को नक्सलियों, वामपंथी उग्रवादियों, आतंकवाद आदि की चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे अच्छा प्रशिक्षण और उपकरण प्राप्त हों। कई बार, देश की कानून व्यवस्था विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में दैनिक जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। शांतिपूर्ण जीवन में व्यवधान डालने वाली नई घटनाओं के रूप में महिला सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी, सट्टा खेलना आदि समस्याओं को बेहतर तरीके से हल किया जाना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए धन को बढ़ाना चाहिए।

अपनी अद्वितीय भू-जलवायु परिस्थितियो के कारण भारत प्राकृतिक आपदाओ के लिए परंपरागत रूप से चपेट में आता रहा हैं। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन जैसी घटनाएं बार बार घटित होती रहती हैं । लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्रफल विभिन्न तीव्रताओं के भूकंपों के प्रति प्रवणशील है; 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक बाढ़ के लिए और कुल क्षेत्र का लगभग 8 प्रतिशत चक्रवात प्रवण है और क्षेत्र का 68 प्रतिशत सूखे के प्रति अतिसंवेदनशील है।

विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं जान माल की हानि का कारण बनती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के बार-बार आने से वहां के छात्रों की शिक्षा गंभीर रूप से प्रभावित होती है। बाढ़

की आपदाएं विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रों के प्रदर्शन और उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ्यता की क्षमताओं को बुरी तरह प्रभावित करेंगी ।यह शिक्षा के घंटों का नुकसान, योग्य कार्यकर्ताओं का नुकसान, जलजनित बीमारियों का प्रकोप, उच्च अनुपस्थिति दर और कम पाठ्यक्रम कवरेज का कारण बनता है जिससे बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में गिरावट आती है।

तीव्र गति से वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति होने के बावजूद आपदाओं के कारण जीवन और संपत्ति को होने वाली हानि कम नहीं हो रही हैं। वास्तव में, मानव जोखिम और आर्थिक हानियाँ बढ़ गई हैं। लोगों ने अपना जीवन गंवाया है और प्रति वर्ष लगभग 30 मिलियन लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते थे। निजी, सामुदायिक और सार्वजनिक संपत्तियों को बेहिसाब नुक्सान हुआ है।

किसी भी चेतावनी प्रणाली का लक्ष्य जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित और समय पर कार्रवाई करने वाले लोगों की संख्या को अधिकतम करना होता है। सभी चेतावनी प्रणालियाँ घटना का पता लगाने और लोगों को खतरे से बाहर निकालने से शुरू होती हैं। ऐसी चेतावनी प्रणालियाँ तीन बराबर महत्वपूर्ण घटकों को समाविष्ट करती हैं, जैसे; पहचान और चेतावनी; संचार; और प्रतिक्रिया।

अंतिम दो दशकों में, भारत ने बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप और भूस्खलन जैसी कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है और लोगों, पशुओं की मौत, संपत्तियों के नुकसान के कारण भारी नुकसान हुआ है। इससे स्पष्ट है कि भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह तत्काल कदम उठाएं और किसी भी अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करने के लिए उपयुक्त आपदा प्रबंधन रणनीति को कार्यान्वित करें ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके।

श्री एम.आई. शनवास (वायनाड): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा के संबंध में कुछ बिंदुओं को व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। हम भारतीय, अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति भी एकता और मैत्री के संस्कारों से ओतप्रोत हैं। हमें विरासत में एक ऐसी संस्कृति मिली है जो हजारों वर्षों से प्राप्त ज्ञान और आत्मसात किए गए जीवन मूल्यों का फल है।

चूंकि अधिक समय नहीं है, मैं सीधे माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस देश में उभर रहे कुछ मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह 1.2 अरब लोगों का विशाल देश है। विविधताओं के बीच, भारत की एकता धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और भारत के संविधान की नींव पर खड़ी है। हमारा संविधान हमारे अधिकारों की गारंटी देता है; हमारा संविधान करोड़ों लोगों के हितों की सुरक्षा करता है। श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, देश में कई आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं अकेले प्रधानमंत्री पर पूरा दोष मढ़ना नहीं चाहता। हमारे देश में हर मुद्दे को लेकर कई आवाजें सुनाई दे रही हैं। 16 मई, 2014 से एक नया युग आरंभ हुआ, जिसमें भारतीयों का एक बड़ा वर्ग महसूस करता है कि कहीं कुछ गलत है। मेरा सीधा प्रश्न माननीय गृह मंत्री से यह है। देशभर से चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं जो अल्पसंख्यक समुदायों और समाज के अन्य वर्गों के खिलाफ किए गए कुछ अत्याचारों के बारे में हैं। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं और क्या कदम उठाए गए हैं?

महोदय, हमेशा यह कहा जाता है कि एक समुदाय देश में आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। मैं इस सभा का ध्यान एक आँकड़े के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। वर्ष 2014 में भारत में आतंकवाद के कारण 976 मौतें हुई हैं। इनमें से 465 मौतें पूर्वोत्तर और दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा 314 मौतें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रो में हुई हैं। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, वर्ष 2014 में सिर्फ़ चार लोगों की जान गई। इसलिए आतंकवाद समाज के एक वर्ग या धर्म का परिणाम नहीं है।

अपराध अनुपात के संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूँगा कि निर्भया मामला दिल्ली में हुआ तब हम सभी राज्य सभा और लोक सभा में और पूरे भारत में एकता के साथ इसकी निंदा करते हुए और इसके

खिलाफ कदम उठा रहे थे। लेकिन स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि दिल्ली में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यह 100 प्रतिशत तक बढ़ गई है। वर्ष 2014 में ही, बलात्कार के पीड़ितों की संख्या बढ़ गई थी और 1,571 मामले 2013 में सूचित किए गए थे। अब यह 2,069 हैं। समय की कमी के कारण, मैं आँकड़ों पर विस्तार से व्याख्या नहीं करना चाहता। दिल्ली में कई अपराध हो रहे हैं। दिल्ली आपराधिक राजधानी बन चुकी है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है। लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा है। महान दूरदर्शी मदर टेरेसा पर हमला हो रहा है। महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे को सराहा जा रहा है और उन्हें महिमामंडित किया जा रहा है। जब गांधीजी के हत्यारे को भारत के आधुनिक इतिहास में इतनी महिमामय प्रशंसा मिलती है, तो यह देश आगे कैसे बढ़ सकता है?

अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आए थे। भारत से लौटकर, शायद उन्होने भारत की बड़ी बातें कही होंगी, प्रधानमंत्री की तारीफ की होगी। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी कि धार्मिक विविधता और इस देश के आदर्शों को खतरे में डाला गया है। तो, जब साम्प्रदायिकता खतरे में है, जब हमारे मूल्य खतरे में हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब कुछ निहित स्वार्थों द्वारा पूरे देश में कुछ गलत किया जा रहा है, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा और प्रगति करेगा? चर्चों में तोड़फोड़ की जा रही है, पादरियों पर हमले हो रहे हैं, मिशनरी स्कूलों को निर्देश भेजे जा रहे हैं, सन्डे की सर्विस और कैरोल्स में व्यवधान डाला जा रहा है, दलित ईसाइयों की अपनी समस्याएं हैं, जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, पीडीएस के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति कुछ चुनिंदा लोगों को नहीं की जा रही है और इस देश में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। *घर वापसी* इस देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की घटनाएं संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो रही हैं, तो उन्होंने इन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इन्हें नियंत्रित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने एक चर्च सम्मेलन को संबोधित किया। बिशप्स मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सभी को सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन एक ऐसा अनुभव है कि कोई सुरक्षित नहीं रहेगा।

मैं आपको हाल ही की एक घटना बताना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो देखा जिसे मैं माननीय गृह मंत्री को सौंपने के लिए तैयार हूं। एक व्यक्ति को इस आरोप में गर्दन से बांधकर एक बिजली के खंभे से बांध दिया गया है कि वह गाय का वध करने जा रहा है; उसने गाय का वध नहीं किया था। वह पीटा जा रहा था। मैं माननीय गृहमंत्री को यह विडियो सौंप दूंगा। क्या आप कोई कदम उठायेंगे?

तेलंगाना में, पाँच लोगों को हाथ बाँधकर गोली मार दी गई और इसे मुठभेड़ कहा गया। इस प्रकार जबरदस्ती मुठभेड़ की जा रही हैं; नकली मुठभेड़ की जा रही हैं। इस देश में एक वातावरण बनाया जा रहा है; एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। हम शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। हम सब भाई हैं। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम सभी भाई हैं। हम अपने देश के लिए मर जाएंगे लेकिन हमें सुरक्षा चाहिए, हमें संरक्षण चाहिए। यदि वह नहीं दिया जा रहा है, तो इस देश के गृह मंत्री के रूप में आपके बने रहने का कोई मतलब नहीं है।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी जनता दल यू की तरफ से गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान) माननीय गृह मंत्री जी चले गये हैं, लेकिन गृह राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान) गृह मंत्री जी ने आज सुबह सभा में जो बात कही, उसे सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अगर वे सभा में होते, तो मैं उन्हें जरूर उस बारे में कहता। जिस देश का गृह मंत्री यह बात बोले कि नेपाल और बिहार में जो त्रासदी आयी है, उस बारे में मुझे प्रधान मंत्री जी ने बताया है। वे दोबारा कहते हैं कि जब मैंने टी.वी. देखा तब मालूम हुआ। गृह मंत्री जी सभा में यह बात बोलते हैं, तो यह शोभनीय नहीं है। ...(व्यवधान)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): गृह मंत्री जी ने यह कहा कि जब तक मुझे सूचना प्राप्त होती, देश के प्रधान मंत्री जी इतने तत्पर थे कि उन्हें सूचना उनसे पूर्व प्राप्त हो गयी। उनका कहने का यह उद्देश्य था। उनका यह कहने का उद्देश्य नहीं था कि उन्हें जानकारी नहीं थी। यह गलत है।...(व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप इस विषय को उस दिशा में न ले जायें। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत ज्यादा सीधे हैं, इसलिए उन्होंने हाउस में ऐसी बात कही। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि सच्चे दिल से उन्होंने कुछ कह दिया। ...(व्यवधान)

महोदय, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध पर नकेल कसने के लिए पिछली सरकार द्वारा लगभग दो साल पहले निर्भया फंड का गठन हुआ था, जिसमें सौ करोड़ रुपये दिये गये थे। इस साल भी इस फंड को बढ़ाया गया है। मगर चिंता की बात यह है कि निर्भया फंड की राशि खर्च नहीं हो पायी, इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में शांति और अमन-चैन है, तो लोग समझते हैं कि गृह विभाग बढ़िया चल रहा है। आज देश में क्या शांति है, क्या अमन-चैन है, यह हम सब जानते हैं। जम्मू-

कश्मीर में जो घटना घटी, उसे पूरा देश देख रहा है। जहां आपके समर्थन से सरकार चल रही है, वहां पाकिस्तान का झंड़ा लहराया जाये और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये जाएं, तो उस परिस्थिति में आज देश शर्मिंदा है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

महोदय दिल्ली देश की राजधानी है। यहां देश और विदेश से लोग आते हैं। आपका पूरा तंत्र दिल्ली में है और दिल्ली में किसान आते हैं, पेड़ पर लटक कर फांसी लगा लेते हैं। प्रशासन मूक दर्शक है, चूंकि दिल्ली का प्रशासन इनके हाथों में है इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं।

आज पूरे देश में चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो आतंकवाद बढ़ रहा है। भारत सरकार को हर राज्य सरकार के साथ आतंकवाद के विषय पर बात करनी चाहिए। आज हमारी युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर, डाक्टर-इंजीनियर बनकर इसमें शामिल हो रहे हैं। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। चाहे चीन की सीमा हो या पाकिस्तान की सीमा हो, आज हमारी सरहद सुरक्षित नहीं है। हमारे देश के सुरक्षा जवान मारे जा रहे हैं। इस बारे में भी हम सभी लोगों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अभी एक साथी बता रहे थे कि अगर किसी सुरक्षाकर्मी का ट्रांसफर छत्तीसगढ़ में होता है तो वे कहते हैं कि हमारा ट्रांसफर रुकवा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में मेरा अनुरोध है कि यह बहुत चिंता का विषय है और इस पर माननीय मंत्री जी को विचार करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री आर. राधाकृष्णन (पुडुचेरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। हमारे जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश में सुरक्षा प्रदान करना, कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में, मैं माननीय गृह मंत्री और उनकी टीम की सराहना करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है।

जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसीलिए मैं पुडुचेरी से संबंधित कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा। पुडुचेरी का बजट गृह मंत्रालय के तहत प्रदान किया जाता है। हमारा प्रशासनिक अनुमोदनकर्ता विभाग गृह मंत्रालय है। हमारे जैसे महत्वाकांक्षी समाज में, आज लोग चीजों को बहुत जल्दी घटित होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया बहुत लंबी है। सबसे पहले, हमें पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। फिर, इसे गृह मंत्रालय तक पहुंचना होता है और वहां से इसे संबंधित विभागों को भेजा जाता है। कुछ मामलों में, इसे कानूनी विभाग को भी भेजा गया है। इसलिए, किसी भी पहल को पुडुचेरी के लोगों तक पहुंचने में महीनों का समय लगता है।

प्राधिकरण को प्रत्यायोजित एवं विकेन्द्रीकृत करने तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर ही निर्णय लेने के लिए पर्याप्त प्राधिकार प्रदान करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। 10 वर्ष पहले, माननीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की अध्यक्षता वाली एक समिति ने पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने की सिफारिश की थी। कई लंबित मुद्दे संघ सरकार के समक्ष आते हैं। हम उन्हें दिन-प्रतिदिन के आधार पर कारर्वाई नहीं कर सकते। लेकिन हम गृह मंत्रालय पर भी दोष नहीं लगा सकते क्योंकि उन्हें कई मुद्दों पर ध्यान देना होता है। मैं नियमित रूप से विभाग में जाता हूं और उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से जानता हूं। वे देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय तक काम कर रहे हैं। इसलिए, पुडुचेरी के लोगों के हित में, हम गृह मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि वह पुडुचेरी को राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए कदम उठाए।

इस साल की वित्त आयोग ने सभी राज्यों को 10 प्रतिशत की वृद्धि प्रदान की है। हम राज्यों के लिए खुश हैं लेकिन दुर्भाग्य से हमें इसका लाभ नहीं मिला है क्योंकि हम वित्त आयोग का हिस्सा नहीं हैं। गृह मंत्रालय हमें एक राज्य के रूप में मानता है और वित्त मंत्रालय हमें संघ राज्य क्षेत्र के रूप में मानता है। तो, हम किसी की भूमि पर नहीं हैं। हमने इसे माननीय वित्त मंत्री और माननीय गृह मंत्री के संदर्भ में भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने एकीकृत वित्त के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में पुडुचेरी के वित्तीय मुद्दों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया है लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। यह कुछ महीने पहले ही देय था। मुझे लगता है कि इसमें अत्यधिक देरी हो रही है। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि यह प्रतिवेदन प्रकाशित हो और हमारे वित्तीय मुद्दों का समाधान हो।

इस वर्ष के बजट में हमें पिछले वर्ष मिली धनराशि के अतिरिक्त केवल रु.187 करोड़ मिले हैं। देश में किसी भी राज्य को न्यूनतम रु.1,980 करोड़ मिलते हैं। या तो हमें राज्य को मिलने वाला न्यूनतम अनुदान दिया जाए या फिर संघ राज्य क्षेत्र को मिलने वाला अधिकतम अनुदान दिया जाए।

मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह उचित सावधानी बरतें और हमें पर्याप्त अनुदान प्रदान करे। गृह मंत्रालय पर रु.560 करोड़ देय हैं। यह बात उनकी जानकारी में लाई गई है, और वे भी इससे अवगत हैं। गृह मंत्रालय की अनुदानों की अनुपूरक मांगों को पारित करने के चरण में, मैं अनुरोध करूंगा कि यह धनराशि हमारे संघ राज्य क्षेत्र को प्रदान की जाए ताकि हम पुडुच्चेरी के लोगों की बेहतर तरीके से सेवा कर सकें।

मैं, एक बार फिर, दोहराना चाहूंगा कि समिति ने पहले ही पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की सिफारिश कर दी है। मुझे उम्मीद है कि मंत्रालय इस मांग पर विचार करेगा ताकि पुडुचेरी के लोगों को तेजी से सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

माननीय प्रधानमंत्री भी सहकारी संघवाद और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में हैं। उनके शब्दों की भावना के अनुरूप, यदि इसे कार्यान्वित किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से पुडुचेरी के नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में हमारी मदद करेगा।

धन्यवाद।

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा के अंत में तथा समय की कमी के कारण मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहता। लेकिन, साथ ही मुझे लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है कि जब हम बहुत ही महत्वपूर्ण गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हैं, तो देश के लोगों की भावनाओं, विशेषकर इस सरकार के प्रदर्शन के बारे में, इस सभा को सूचित करूं।

शांति, स्थिरता, प्रगति तथा लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु देश के प्रशासन में गृह मंत्रालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में, मुझे लगता है, कि यदि मैं कुछ योगदान दूं, तो यह चर्चा में रुचि पैदा करने के लिए अच्छा होगा।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने पहले ही इस बात का विस्तृत विवरण दे दिया है कि इस देश में क्या चल रहा है तथा गृह मंत्रालय का प्रदर्शन कैसा है। गृह मंत्रालय की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और लोगों के लिए शांतिपूर्ण जीवन की स्थिति बनाए रखी जाए।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सभी कई अन्य अवसरों पर बहुत अधिक तंग आ चुके हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस सभा में एक बयान दिया था कि वे इस देश के विकास के पक्षधर हैं और लोगों के जीवन स्तर को बहुत अधिक संतोषजनक बनाएंगे। एक बहुध्रुवीय समाज में समावेशी विकास उनका उद्देश्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बहुत अच्छा है। लेकिन हम इस देश में अपनी वास्तविक ज़िन्दगी में क्या देख रहे हैं? अब समय आ गया है कि मैं इस देश में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में पूरी सच्चाई बताऊं।

पिछले सप्ताह मैं मुंबई में था। मैंने कुछ लोगों को देखा है—मैं नाम नहीं लेना चाहता ताकि हमारे लोगों के बीच और अधिक दुश्मनी न बढ़े—जो कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों को तुष्ट किया जा रहा है और उन्होंने अन्य लोगों की सारी चीजें, जिसमें उनका आर्थिक जीवन भी शामिल है, छीन ली हैं। मैं यह

देखकर दंग रह गया। इस बयान का हिन्दी में अनुवाद इस प्रकार होगा:"यहां तक कि महाराष्ट्र में, हमारे देश की रक्षा बल में - हर नागरिक को अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है - मुस्लिम समुदाय का केवल दो प्रतिशत प्रतिनिधित्व था। जहाँ तक हमारे शैक्षणिक प्रणाली में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व का सवाल है – मैं शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन हमेशा की तरह कहता हूँ – उनकी स्थिति दयनीय और सहानुभूतिपूर्ण है। मुसलमान इस देश में एक महत्वपूर्ण जनसंख्या हैं।

महोदय, इस देश में 14 % मुसलमान हैं। उन्हें भी संवैधानिक अधिकार मिले हैं। उन्हें भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला है। हर समुदाय को -- मैं केवल मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ - संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। चूंकि मैं एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं और उसी से आता हूं, और यदि उस समुदाय को इस देश में कुछ विभाजनकारी ताकतों द्वारा निशाना बनाया जायेगा , तो उनका बचाव करना मेरा कर्त्तव्य बन जाता है। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। वे एक विशेष समुदाय की निंदा कर रहे हैं। यदि वह समुदाय कहता है: “हमें अपने अधिकार नहीं मिल रहे है”, तो वे कहेंगे: “आप सांप्रदायिक हैं। अगर उसे उसका वैध और संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जाता है, तो क्या यह साम्प्रदायिकता नहीं है? क्या यह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं है? मैं कहता हूं कि संविधान के तहत हर किसी के अपने अधिकार हैं। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो अथवा ईसाई। हम भारतीय हैं। इस देश में हम सभी को अधिकार प्राप्त हैं। इस समय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द सबसे महत्त्वपूर्ण बात है।

महोदय, मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन उसी समय, मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास इस देश की सरकार है, उन्हें यह मानना चाहिए कि हम सभी लोगों के अपने अधिकार हैं। आप सिर्फ एक वर्ग के लोगों को नष्ट करने के लिए स्ट्रीम रोलर नीति नहीं अपना सकते। चाहे वह किसी भी समुदाय, जाति, धर्म का हो, हर किसी के अपने अधिकार हैं। वह दिया जाना चाहिए । आप सिर्फ एक विशेष समुदाय को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? यदि किसी समुदाय ने कुछ गलत किया

है, तो आप उसे सुधारें। उनकी भी शिकायतें हैं। वे कहते हैं कि यह कुछ मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण है। यह तुष्टीकरण क्या है? कितने लोगों को संतुष्ट किया गया है? इस देश के प्रशासन में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व क्या है? सुरक्षा बलों में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कितना है? शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व क्या है? क्या यह कहना सही है कि उन्हें कानूनी रूप से अपेक्षित या पात्रता से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है? नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। मैं कहूंगा, हमें यहीं रहना है। प्रधानमंत्री कहते हैं, 'बहुध्रुवीय समाज में सर्व समावेशी विकास ।' क्यों न हम इसका प्रयास करें? हम सभी यहां भारतीय हैं। मैं इसे बार-बार दोहरा रहा हूँ कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या जैन हो, यह एक तथ्य है कि हम सभी भारतीय हैं। हम सभी के पास अधिकार हैं और हमें सद्भावना से रहना होगा। हम यही चाहते हैं।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं गृहमंत्री को जानता हूं। वह एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं; वह एक बहुत परिपक्व राजनेता हैं। वह हमेशा इस सभा में आते हैं और कहते हैं: "मैंने कदम उठाए हैं।" इसमें कोई संदेह नहीं कि न्याय मिलेगा। लेकिन घटनाएं जारी हैं। मुझे बताया गया है कि सांप्रदायिक अशांति की 200 से अधिक गंभीर घटनाएं घटित हुई हैं; यहां तक कि आपराधिक कृत्यों को भी सांप्रदायिकता का कार्ड दिया गया है, ताकि समाज में फूट पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। इसे इस तरह से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस देश के हर एक नागरिक को अधिकार है। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा विधेयक, जो पिछली सरकार की पहल थी, को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

यदि आप कहें कि सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए किसी विधिनिर्माण की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन पिछली सरकार इस विधेयक को केवल देश में सांप्रदायिक सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए लेकर आई थी। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। हर विधि, कानून संपूर्ण कानून नहीं होगा। हमारी अपनी

प्रक्रियाएं हैं। संवैधानिक और विधायिका उपायों से हम इसे बदल सकते हैं। लेकिन हमें सांप्रदायिक अशांति को रोकना होगा; हमें सांप्रदायिक हिंसा को रोकना होगा; हमें लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में रहना सिखाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक वर्ग के लोगों के विरुद्ध भेदभाव हो रहा है। उनकी नियुक्ति में भेदभाव है; उनके साथ व्यवहार में भेदभाव है। यहाँ तक कि जो लोग सत्ताधारी वर्ग की मदद कर रहे हैं वे भी कहते हैं: "चर्चों को नष्ट करने में कुछ भी ग़लत नहीं है। हम यहां आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं।" … (*व्यवधान*)...*

भारत एक महान देश है। लेकिन लोगों का एक वर्ग कहता है: "तुम जाओ और विनाश करो। हम आपकी सहायता करेंगे।" महोदय, यह भारत है। भारत को राष्ट्र समुदाय में प्रतिष्ठा प्राप्त है। राष्ट्र समुदाय में भारत का स्थान केवल 1.25 अरब लोगों के कारण नहीं है, चाहे हम किसी भी समुदाय में रहते हों। यह केवल सांप्रदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता के कारण है।

<u>सायं 7.00 बजे</u>

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम सत्ताधारी पार्टी को अपने लोगों को नियंत्रित करने में मदद करने का प्रयास करना चाहिए। आप इस देश को शर्मसार कर रहे हैं। आप अंतरराष्ट्रीय मेले में देश को शर्मसार कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत अच्छी स्थिति में है। लेकिन मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। वे यह नहीं सोच रहे हैं कि वे भारत में हैं, इसलिए, वे कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी भारत पर नजर रख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का एक स्थान है। भारत की एक प्रतिष्ठा है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थान पाने का प्रयास कर रहा है। इनमें से एक शर्त इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द है। इनमें से एक शर्त यह है कि किसी भी व्यक्ति के

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप इसे आसानी से नहीं भूल सकते। हम सभी भारतीय हैं। हमें इस बात पर गर्व होगा यदि हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट मिल जाए। हमें मिलकर काम करना होगा। दुर्भाग्यवश, सत्ताधारी दल के लोग सत्ताधारी व्यवस्था के बहुत करीब हैं। मैं लोगों के शासक वर्ग के बारे में नहीं कहूंगा। वे कहते हैं कि हम यहां विनाश करने आये हैं। आप इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग को नष्ट करने के लिए इस प्रकार की नीति नहीं अपना सकते। हमारे पास एक संविधान है। ... (*व्यवधान*) जब तक हमारे पास संविधान है, हम किसी से भी डरेंगे नहीं। मुझे कुछ भी अतिरिक्त नहीं चाहिए। हम संविधान से ऊपर कुछ नहीं चाहते। हम वही चाहते हैं जो संविधान में निहित है। हम संवैधानिक संरक्षण, संवैधानिक अधिकार चाहते हैं और वह चाहते हैं जिस पर हमारी संसद ने अपनी सहमति दी हुई है ।

*__श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व):__ मैं माननीय रक्षा मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश, जिसे 'शांति का द्वीप' माना जाता है, के 12 और जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) लगा दिया गया है। प्रमुख मानवतावादी संगठनों की विभिन्न रिपोर्ट्स और अनुभवजन्य साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अफ्सपा के कारण उन क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है तथा हिंसा का चक्र बढ़ा है, जहां इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश के लोग राज्य में इस क्रूर कानून के कार्यान्वयन के विरुद्ध हैं और मीडिया में पहले से ही सेना द्वारा नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आ रही हैं। सरकार को राज्य के हितधारकों से परामर्श किए बिना ही इस कानून को लागू करने के कारणों को स्पष्ट करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को यह जानने का हक है कि इस कानून को लागू करने का कारण क्या है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): महोदय, मेरे पास पांच या छह बिंदु हैं।

18 मई, 2008 को हुए मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले में दो आरोपियों को 12 मार्च, 2014 को जमानत मिल गई है। नब्बे दिन बीत चुके हैं और इस सरकार ने मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले में दो आरोपियों को दी गई जमानत के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दायर नहीं की है। उनमें से एक अभियुक्त समझौता बम विस्फोट मामले में और दूसरा अजमेर बम विस्फोट मामले में आरोपी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे है कि मीडिया रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी हैं, के आधार पर गृह मंत्रालय कहता है कि हमारे पास उस जमानत आदेश को चुनौती देने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं है। यदि ऐसा है तो, आप मामला छोड़ दीजिए। पुनः जांच का आदेश दें। मक्का मस्जिद बम विस्फोट का मामला किसने किया? नब्बे दिन बीत चुके हैं। एस.एल.पी. के लिए एक भी अपील दायर नहीं की गई है। अब जमानत का मामला अंतिम रूप ले चुका है। क्या वे जानते हैं कि समझौता बम विस्फोट मामला सामने आने पर पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा?

मेरा दूसरा मुद्दा हाशिमपुरा हत्याकांड से संबंधित है। यह स्वतंत्र भारत में हिरासत में हत्या का सबसे बड़ा मामला है। महोदय, 22 और मार्च, 1987 को 42 लोगों की मृत्यु हुई है। 28 साल बाद, अदालत ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है। वे सभी पी.ए.सी. पुलिस के लोग थे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खुद को पक्षकार बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर कर एस.आई.टी. गठित करने की मांग करेगी क्योंकि हिरासत में 42 लोगों की हत्या हुई है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पीएसी के उन हत्यारे लोगों के साथ मिली हुई है, वह फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगी।

मेरा तीसरा बिंदु यह है। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक दिवस पर अपने भाषण में कहा कि हम इस देश की जनसांख्यिकीय रूपरेखा और चरित्र को बदलने की इजाजत नहीं

देंगे। इस देश की जनसांख्यिकीय रूपरेखा और चरित्र क्या है? मैं यह जानना चाहता हूं। आप वर्ष 2011 की धार्मिक जनगणना के आंकड़े क्यों नहीं जारी करते? इसे चुनिंदा रूप से केवल टाइम्स ऑफ इंडिया में ही क्यों लीक किया गया? इसमें कहा गया है कि मुस्लिम जनसंख्या में केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 से वर्ष 2001 तक और वर्ष 2001 से वर्ष 2011 तक मुस्लिम आबादी में 5 प्रतिशत की दशकीय कमी आई है। ये तथ्य सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आप अपने राजनीतिक विचार और धार्मिक विचार के हाशिये पर पड़े तत्वों को इसे मुद्दा बनाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी को हिंदू आबादी के बराबर होने में 200 साल लगेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन आप धार्मिक आंकड़े सामने नहीं ला रहे हैं।

मेरा चौथा बिंदु ये है। आसूचना ब्यूरो पर संसदीय निगरानी क्यों नहीं है? आसूचना ब्यूरो को कोई विधायी समर्थन प्राप्त नहीं है। इसका नियंत्रण न्यायपालिका द्वारा नहीं किया जाता। यह एक पवित्र गाय है। यह जीवन को नष्ट कर सकता है। हम खुफिया ब्यूरो पर संसदीय निगरानी क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि एम.आई.-वी. ब्रिटेन में है, जबकि अमेरिका का सीनेट से संबंध है।

मेरा पांचवां मुद्दा अक्षरधाम बम विस्फोट मामले के बारे में है। मंत्री जी गुजरात से हैं। 11 साल बाद, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम को रिहा कर दिया गया। वह अहमदाबाद में अपनी पुस्तक *'ग्यारह साल सलाखों के पीछे' का विमोचन करना चाहते थे* । उन्हें रोक दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां है? क्या आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं अथवा नहीं? अलियार मुठभेड़ के संबंध में, मानसिकता क्या है? इस सरकार ने उस तरह गंभीरता से ध्यान क्यों नहीं दिया जैसा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मारे गए 20 लोगों के मामले में लिया था? आपने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। यह अलियार में हुई एक स्पष्ट हत्या है लेकिन आपकी सरकार ने इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है।

गृह मंत्रालय से राज्य सरकार को सात योजनाओं के हस्तांतरण के बारे में आपके अपने गृह सचिव कह रहे हैं कि इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा; और इसका हानिकारक प्रभाव होगा।

गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच ऐसा समन्वय क्यों नहीं है कि आपके ही गृह सचिव को बाहर जाकर वित्त सचिव के खिलाफ बोलना पड़ रहा है? इससे पता चलता है कि सरकार के भीतर कोई समन्वय नहीं है।

अफगानिस्तान के संबंध में हमें यह याद रखना होगा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद, चीन क़तर में तालिबान से बातचीत कर रहा है। आप उनसे बात करने के लिए चैनल क्यों नहीं खोल रहे हैं? हमने अफगानिस्तान के विकास के लिए वहां अरबों डॉलर का निवेश किया है। हमने नेशनल असेंबली भवन का निर्माण किया है। हमने वहां सड़कें बनायी हैं। सरकार इस पर चुप क्यों है? इस पर आपकी क्या योजना है?

मैं मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामला, अलियार हत्याकांड और हाशिमपुरा नरसंहार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का जवाब जानना चाहूंगा।

मेरा आखिरी मुद्दा झारखंड के बारे में है। यह एक क्लासिक मामला है जिसमें आदिवासियों का इस्तेमाल किया गया। रु. 1 लाख लेकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए एक राइफल दी गई। उन्हें सी.आर.पी.एफ. में नौकरी दी गई। लाखों रुपए दिए गए। झारखंड सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? या, केंद्र सरकार जांच का आदेश क्यों नहीं दे रही है क्योंकि इसमें सी.आर.पी.एफ. शामिल है? यह सरकार सी.बी.आई. जांच का आदेश क्यों नहीं दे रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आदिवासियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। ये महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुझे आशा है कि जब माननीय गृह मंत्री जवाब देंगे तो वे इनका उत्तर देंगे।

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): महोदय, हमारे देश में राष्ट्रीय अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना गृह विभाग के घोषित उद्देश्यों में से एक है। हम राष्ट्रीय अखंडता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? मैं नहीं मानता कि इसे सैन्य और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करके सुनिश्चित किया जा सकता है, बल्कि इसे सभी समुदायों और अन्य वर्गों के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करके ही संरक्षित किया जा सकता है।

हम जानते हैं कि हमारे संविधान का मूल ढांचा धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का है। इसके अलावा, लोगों के अविभाज्य अधिकारों को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संरक्षित और सुरक्षित किया गया है। हमें समानता का अधिकार है; हमें जीवन का अधिकार है; हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, तथा हमारे संविधान में अन्य सभी अविभाज्य अधिकार संहिताबद्ध एवं संरक्षित हैं।

महोदय, मैं अक्सर खुद से यह सवाल करता हूँ कि ये सभी अधिकार क्यों संरक्षित हैं और हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कैसे सुरक्षित रखा गया है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे संविधान सभा में हुए विचार-विमर्श से मिला, जहां हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि हमारे राष्ट्र की अखंडता की रक्षा हमारे समाज के हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करके ही की जा सकती है, चाहे वह दलित हो या अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक। सभी वर्गों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा करके ही हम अपनी अखंडता को सुरक्षित रख सकते हैं और इसके लिए, ये सभी अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 28 और 30 के तहत संरक्षित हैं। महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ।

अब, अल्पसंख्यकों या दलितों या किसी अन्य समुदाय के विरुद्ध कोई भी आक्षेप चाहे वह गलत उद्धृत किया गया वक्तव्य हो अथवा जानबूझकर दिया गया बयान हो, हमारे देश की अखंडता को प्रभावित

करेगा और यह हमारे संविधान पर भी हमला है। इसलिए, हमारे राष्ट्र के व्यापक हित के लिए हमारे संविधान पर इस प्रकार के हमलों को रोकना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह ऐसी पहल लेकर आए। इस तरह की संविधान विरोधी गतिविधियों में शामिल न हों।

[हिन्दी]

*__डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):__ मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ जिनके कुशल नेतृत्व में जहाँ देश आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर हुआ है वहीं नागरिकों के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक जीवन को सुधारने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

श्री राजनाथ सिंह यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के तहत इस मंत्रालय को वर्ष 2015-16 में 62,124 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 10.2 प्रतिशत आधिक है।

सबसे उल्लेखनीय विषय यह है कि इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और हमारे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं गृह मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहली बार सरकार ने जम्मू कश्मीर में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु 580 करोड़ रु. उपलब्ध कराए हैं जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 240 करोड़ रु. अधिक है। इससे जहाँ घाटी में शांति स्थापना में सफलता मिलेगी वहीं लम्बे समय से घर से उजड़े हुए कश्मीरी पंडितों को अपनी जन्मभूमि में लौटने का मौका मिल पाएगा। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस कदम से राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में कश्मीरी पंडित बंधु अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे।

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि देश की सुरक्षा में लगे हमारे जांबाज अर्द्धसैनिक बलों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की कवायद के रूप में देश में विभिन्न बलों को इस वर्ष बजट में पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह कदम जहाँ एक ओर हमारी सरकार की आंतरिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करती है वहीं दूसरी ओर सरकार देश की सुरक्षा में तैनात जवानों और अधिकारियों के कल्याण के प्रति संकल्पबद्ध होने का प्रमाण है।

दुनिया के सबसे बड़े अर्द्धसैनिक बल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को 14089 करोड़ रु. का आवंटन किया जो कि पिछले वर्ष से 1223 करोड़ अधिक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह बल जहां एक ओर अपनी जान पर खेलकर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में हमारी जानमाल की रक्षा करते हैं वहीं दूसरी ओर यह बल पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सीआरपीएफ के वीर जवान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए सर्वोच्च बलिदान करने में हमेशा आगे रहे हैं।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी भारत-पाकिस्तान की सीमा एवं भारत-बांग्लादेश की सीमा पर मुस्तैदी से प्रथम रक्षा पंत्ति के रूप में देश की सीमाओं के प्रहरी के रूप में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अमूल्य योगदान को देखते हुए इस वर्ष इस बल को 12517 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं जो कि गत वर्ष से 800 करोड़ रु. अधिक है।

भारत, चीन की संवेदनशील सीमा रेखा पर देश की रक्षा के लिए तैनात भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए इस वर्ष उन्हें 333 करोड़ रु. अधिक आवंटित कर 3736 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुर्गम हिमालयीय क्षेत्रों में नियमित रूप से आने वाली भीषण आपदा के दौरान यह बल अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए आति दुर्गम क्षेत्रों में लोगों की जानमाल की रक्षा करता है। इसके तमाम प्रभाव हैं कि हथेली पर जान रखकर आईटीबीपी के जवानों ने भारत की सीमाओं की रक्षा की।

हम सभी इस बात से परिचित हैं कि हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान हमारी आर्थिक प्रगति में मील का पत्थर हैं। इनकी सुरक्षा का समूचा दायित्व केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर है। इसके आतिरिक्त, हम सभी जानते हैं कि मेट्रो रेल सहित संपूर्ण देश में हमारे हवाई अड्डों की सुरक्षा एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु सीआईएसएफ के जवान सदैव तत्पर रहते हैं। राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में उनकी अहमियत के मद्देनजर सरकार ने उनके बजट के लिए 5196 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है जो कि गत वर्ष से 209 करोड़ रु. आधिक है।

जन सुरक्षा एवं सुरक्षा बलों से जुड़ी हुई अनेक अभिनव योजनाएं गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं जिनमें मुख्यतः पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बदलते परिवेश में जबकि दिन प्रतिदिन कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और आतंक के कई नए चेहरे हमारे सामने चुनौती बनकर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक धनराशि का प्रावधान किया जाए।

सीमा क्षेत्रों की संवेदनशीलता एवं सामरिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों के विकास हेतु 990 करोड़ रुपए का आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है। मैं दो-दो सीमाओं से घिरे हुए उत्तराखण्ड प्रदेश से आता हूँ और मुझे सीमा क्षेत्र में रह रहे लोगों की सामाजिक, आर्थिक जीवन की जटिलताओं का पूरा अहसास है। देश के दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे हमारे ये नागरिक द्वितीय रक्षा पंत्ति का काम करते हैं। ऐसे में उनके कल्याण के लिए जितने प्रयास किए जाए उतने कम हैं।

मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सरकार द्वारा देश की सुरक्षा में शहीद हुए पुलिस के वीर जवानों की याद में स्मारकों हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तराखण्ड वीरों की धरती है यहाँ सर्वाधिक लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है जनसंख्या के अनुपात में।

मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आपदा के समय आपदा प्रबंधन संस्थान और उसके पेशेवरों की अनुशासित कोर के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न अभियानों में सफलता पायी है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उपग्रह आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

जैसा कि आपको विदित है वर्ष 2013 में जून महीने में उत्तराखण्ड में भीषण प्राकृतिक त्रासदी आयी जिसके कारण क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस भयानक विनाशलीला में जहाँ 10,000 से अधिक लोग हताहत हुए एसोचेम द्वारा पर्यटन उद्योग को 12000 करोड़ की हानि हुई।

आपको अवगत होगा इससे पहले भी उत्तराखण्ड में चमोली, उत्तरकाशी में भीषण भूकंप आया था जिससे जानमाल की व्यापक क्षति हुई थी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भीषण जल प्रलय में सैकड़ों लोग हताहत हुए, वहीं हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी नियमित रूप से प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। कुल मिलाकर संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। ऐसी गंभीर स्थिति में संभावित परिणामों वाली घटना के संबंध में समय पर चेतावनी दिए जाने से जहाँ हम दुष्परिणामों की तीक्ष्णता को कम कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है और आपने अनुभव भी किया होगा कि आपदा के दौरान हमारा पूर्व चेतावनी सूचना तंत्र पूरी तरह विफल रहता है।

मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अधीन एक उच्च स्तरीय शोध केन्द्र की स्थापना उत्तराखण्ड में की जाए जिसमें कि पूर्व आपदा चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाए। वहीं इसके आधार पर नियोजन की दीर्घकालिक नीतियां सृजित कर सकते हैं।

पूर्व चेतावनी तंत्र को सुदृढ़ रखने हेतु हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि चेतावनी की परिशुद्धता पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाए इसके आतिरिक्त चेतावनी प्रसारित होने और संभावित समय के

मध्य का अंतराल अधिक से अधिक हो। इसके आतिरिक्त आपदा घटित होने से पहले तैयारी व नियोजन का स्तर भी क्षति या विनाश को कम कर सकता है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि आपदा से निपटने हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना की जाए। आपदा चेतावनी व चेतावनी तंत्र को अधिक संसाधन युक्त बनाकर सभी हिमालयी राज्यों एवं आपदा संभावित क्षेत्रों में इसके उपकेन्द्र स्थापित किए जाएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान एवं राज्यों के अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए इसमें उत्कृष्ट भूमिका निभा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी ग्रहण करने की क्षमता का विकास: विभिन्न स्थानों पर चक्रवात चेतावनी केन्द्रों और सुनामी चेतावनी केन्द्र जैसे संगठनों द्वारा प्रसारित चेतावनी को समेकित कर देश में आयी विपदा के लिए प्रभावी प्रतिवादन सुनिश्चित किया जा सके। चेतावनी को राष्ट्र स्तर से अन्य मुख्य स्तरों तक संप्रेषित किए जाने की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए।

आपदा प्रबंधन एवं जन प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से चेतावनी व आपदा समाघात के मध्य के समय का लंबा अंतराल प्रतिवादन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। चेतावनी उपरांत उपलब्ध समय एवं चेतावनी की परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंध स्थापित किया जाए। इसके विपरीत परिस्थितियों को निपटने हेतु तैयारी, आपदा समाधान पूर्व सावधानियां एवं लामबंदी अत्यंत आवश्यक है।

बेहतर नियोजन हेतु योजनाओं में चेतावनी प्रणाली के समन्वित उपयोग हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं में प्रभावी समन्वय बिठाना आवश्यक है। चेतावनी प्रणाली की सर्वश्रेष्ठ संभावित क्रियात्मक स्तर एवं अन्य दूर संचार साधनों का उचित रख रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जन जागरूकता एवं प्रतिभागिता: जन जागरूकता एवं जन सामान्य के मध्य चेतावनी प्रणाली को समझ के साथ ही समाज की तत्संबंधित गतिविधियों में प्रतिभागी की क्षमता और जागरूकता का अपेक्षित स्तर बनाए रखना परम आवश्यक है।

प्रशिक्षण एवं अभ्यास: चेतावनी प्रणाली के समस्त भागों का विशेषज्ञ व व्यवसायिक दृष्टिकोण से क्रियान्वयन किया जाना ही आपदा प्रबंधन का लक्ष्य है। इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं को शीर्ष वरीयता प्रदान किया जाना आवश्यक है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी माँग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मंत्री जी आपदा प्रबंधन शोध संस्थान स्वीकृत करने की कृपा करेंगे।

एक बार पुनः मैं गृह मंत्री जी को उनकी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी उत्कृष्ट एवं मजबूत नीति हेतु एवं सुरक्षा बलों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल): महोदय, अपनी बात कहने से पहले मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। मैं यहां ऐसी कोई बात नहीं कहने जा रहा जो न तो राजनीतिक हो और न ही सैद्धांतिक बल्कि वह अनुभव और जमीनी हकीकत पर आधारित हो। [हिन्दी] इस देश के लिए गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र को बचाए रखना, सुरक्षा देना साथ ही साथ सामाजिक एकता को बनाए रखना। बहुत हद तक गृह मंत्रालय इस बात में सफल हुआ है, लेकिन सुरक्षा के मामले में अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस देश में सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, लेकिन बिना पुलिस किसी को सुरक्षा भी नहीं मिल सकती। पुलिस सबको सुरक्षा भी देती है और सबको प्रतिष्ठा भी देती है। अगर पुलिस न हो तो लगता है कि अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अगर अपने साथ कोई पुलिस वाला न हो तो लगता है कि अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। पुलिस समाज को और लोगों को सुरक्षा भी देती है और प्रतिष्ठा भी देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की अपनी प्रतिष्ठा नहीं है, उसका अपना सम्मान नहीं है। पिछले 68 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर आज भी पुलिस कहीं पर वीआईपी प्रोटैक्शन करती है, कहीं क्राइम इनवेस्टिगेशन करती है, कहीं साइबर क्राइम का इनवेस्टिगेशन करती है, लेकिन आज भी उसे सेमी-स्किल्ड लेबर माना जाता है। आज भी उसे जो सैलरी और एलाउंसेज दिये जाते हैं, हमारे पिछले जो पे कमीशंस रहे हैं, उन्होंने कभी उसके साथ न्याय नहीं किया है। इसलिए मेरी सबसे पहली डिमांड यह है कि अगर हम सब लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, [अनुवाद] यदि आप पुलिस को वह देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं, तो आपको वह देना होगा जिसकी पुलिस हकदार है। [हिन्दी] पुलिस जो डिजर्व करती है, वह पुलिस को देना जरूरी है। उनके साथ न्याय किया जाए और उनके सैलरी और एलाउंसेज को ठीक किया जाए। मेरी सबसे पहले डिमांड यह है कि पे कमीशन के अंदर पुलिस का एक मैम्बर रखा जाए, जो पिछले इतने वर्षों में कभी नहीं रखा गया।

इसके अलावा इस देश का कानून यह कहता है और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश का कानून एविडेंस एक्ट यह कहता है कि पुलिस वाले की बात पर भरोसा नहीं करना। जिस देश का अपना कानून, अपने एक आर्गेनाइजेशन, अपनी एक संस्था के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है, सैक्शन 25 कहता है कि पुलिसवाले का स्टेटमैन्ट कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून बदलने की जरूरत है और उसे अपना सम्मान देने की जरूरत है। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिफोर्म्स इस देश के अंदर लाने चाहिए, अगर इस देश को आंतरिक सुरक्षा देनी है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी आज आठ-नौ वर्ष हो गये, आज तक पुलिस रिफोर्म्स देश के अंदर नहीं लाये गये। इस बारे में हम लोग बहुत बार बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि यह पोलिटिकल इंटरफेरेन्स है, पोलिटिकल इंटरफेरेन्स भी होता है, लेकिन इस देश में अगर पुलिस रिफोर्म्स नहीं आये तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण नौकरशाही का शिकंजा है। आज इस नौकरशाही के शिकंजे को खत्म करने की जरूरत है और इसका कारण यह है, हम बड़े-बड़े शहरों में देखते हैं, यूपी के अंदर किसी भी बड़े शहर के अंदर आज तक पुलिस कमीशन सिस्टम नहीं आया, क्योंकि नौकरशाही यह समझती है कि अगर पुलिस कमीशन सिस्टम आया तो उनकी सारी पावर निकल जायेगी, उनकी सारी सत्ता खत्म हो जायेगी। इसलिए नौकरशाही का शिकंजा खत्म करने की जरूरत है।

इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस क्रिमिनल ज्युडिशियल सिस्टम का एक भाग है। पुलिस इसमें स्वतंत्र नहीं है। अगर पुलिस को अच्छा बनाना चाहते हैं, देश में अपने बच्चों के लिए सुरक्षा चाहते हैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी अच्छा करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि इस देश में कानून बदलने की जरूरत है। हमारे देश में 1860 का कानून अब भी चल रहा है, 1872 का कानून अभी तक चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट अभी भी चल रहा है। मेरा कहना यह है कि अगर पुलिस के ऊपर कुछ प्रावधान हैं कि 60 दिनों के अंदर या 90 दिनों के अंदर अपना इनवेस्टिगेशन खत्म करेंगे तो क्या कोर्ट के ऊपर इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। कोर्ट के लिए हमारा सीआरपीसी कहता

है, सैक्शन 309 कहता है कि एक बार विटनेसिज को बुलाते हैं और जब तक उनकी बात प्रतिदिन सुनकर खत्म नहीं होती है, तब तक उन्हें दूसरी तारीख नहीं दी जा सकती। लेकिन इस बात को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। जस्टिस मलिमत कमेटी की रिपोर्ट 2003 में आई, लेकिन आज तक उसका इम्पलिमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश के अंदर जस्टिस को ठीक करने के लिए हमारे एक्स-प्रेसिडेन्ट ने यह कहा था कि इस देश के अंदरजो न्यायालय हैं, [अनुवाद] न्यायालय कोई गिरजाघर नहीं बल्कि कैसीनो है, जहां न्याय का फैसला होता है; जहां फैसला वकीलों द्वारा फेंके गए पासों के आधार पर नहीं दिया जाता। [हिन्दी] आज इस के अंदर अगर हमें न्याय देना है तो उसके अंदर मलिमत कमेटी की रिपोर्ट को अपने देश के अंदर लगाने की जरूरत है।

इसके साथ मैं आपसे एक निवेदन यह करूंगा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अमरीका आज दुनिया का सबसे धनी देश है। हम लोग कहते थे कि अमरीका में रोड्स सबसे अच्छी है, इसलिए सबसे धनी देश है। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अमरीका दुनिया का सबसे धनी और पावरफुल देश इसलिए है, क्योंकि [अनुवाद] वहां सबसे अधिक वेतन वाली नौकरी पुलिस की है। [हिन्दी] वहां सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी को मिलती है तो पुलिस को मिलती है। सबसे ज्यादा पेंशन अगर किसी डिपार्टमैन्ट को दी जाती है तो वह पुलिस को दी जाती है। मैं उदाहरण के लिए सभा के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि वहां एक पुलिस की एवरेज पेंशन 61685 डालर है। जबकि दूसरे जितने विभाग हैं, यूएस गवर्मेंट के अंदर, उनकी पेंशन 25674 डॉलर है। ऑलमोस्ट 40 पर्सेंट कम है। मैंने आपके सामने कहा कि इस देश के सामने आंतरिक सुरक्षा की कई बड़ी चुनौतियां हैं। नक्सलवाद इस देश में पिछले कई सालों से चल रहा है। मैं गृह मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो पंचायत एक्सटेंशन शेडूल्ड है, उसको लागू करना चाहिए। एक और दूसरा एक्ट है, जो सन् 2006 में बना है, उसको हम बोलते हैं फोरेस्ट राईट्स एक्ट। जब तक फोरेस्ट राईट्स एक्ट ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, जहां पर नक्सलवाद है, जब तक फोरेस्टमें रहने वाले लोगों को उनका अधिकार नहीं

मिलेगा, [अनुवाद] जब तक वे विकास की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनेंगे, [हिन्दी] तब तक केवल यह कहना कि जहां डवल्पमेंट आएगा, जहां विकास आएगा, वहीं पर नक्सलवाद खत्म होगा यह बात सही नहीं है। उसके साथ-साथ टैररिज्म के बारे में और बंग्लादेश के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जो हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने घुसपैठियों की बात कही है। वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि [अनुवाद] यह एक आभासी बाहरी आक्रमण है। [हिन्दी] हम लोगों ने उस पर काम नहीं किया। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है, रोज़ाना इस देश से 20 से 25 हज़ार पशु, जिसमें ज्यादातर गाए हैं, रोज़ाना बंग्लादेश बॉर्डर पर धकेली जाती हैं। थोड़ी बहुत जो पकड़ी जाती हैं तो उनका ऑक्शन होता है, फिर वही कैटल स्मगलर, जिनका संबंध, जो फेक करेंसी लाते हैं, आर्म्स स्मगलिंग करते हैं, उनके साथ है, उन लोगों से उनका संबंध है। बंग्लादेश की इकॉनमी इस देश के जानवरों से चल रही है। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इसके ऊपर बनाई गई। बीएसएफ ने बहुत बड़ी रिपोर्ट भारत सरकार को दी थी कि लगभग 500 मिलियन डॉलर का बिजनस बंग्लादेश हमारे देश के जानवरों से करता है। वह बोन चाइना में इतना ऊपर चला गया, वह लैदर में इतना ऊपर चला गया, वह बीफ के एक्सपोर्ट में इतना ऊपर चला गया। इसको बंद करने की जरूरत है। अगर हम अपने देश के अंदर आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, आतंकवाद केवल गोलियों से खत्म नहीं हो सकता है, आज इस देश को इस प्रकार के माहौल की जरूरत है कि हम अपने बच्चों में ऐसा माइंडसेट बनाए, हरेक चीज़ चाहे कम्युनलिज्म हो, चाहे आतंकवाद हो, वह इस माइंड से शुरू होता है। जहां भेद पैदा किया जाता है, भेदात् भयम्, जहां भेद है, वहां डर पैदा होता है, जहां डर होता है, वहां असहनशीलता होती है, जहां असहनशीलता आती है, वहां हिंसा पैदा होती है, जहां हिंसा पैदा होती है, वहां आतंकवाद पैदा होता है। इसलिए हमें अपने बच्चों के मन से भेद मिटाना होगा। जातियों और धर्मों की दीवारें टूटें, उसके लिए जरूरत है कि स्कूल और कॉलेजों के अंदर इंपैक्ट कर के हम अपने बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, डिसीप्लेन का पाठ पढ़ाएं और जब तक यह नहीं होगा, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि

मैंने बहुत अच्छा अनुभव यह किया था, कई बड़े-बड़े शहरों में एक मिशन मृत्युंजय हम लोगों ने चलाया। एक स्टूडेंट फ्रंट अगेंस्ट क्राईम एण्ड टैररिज्म चलाया। उसकी बहुत बड़ी सफलता हमको मिली। गृह मंत्रालय से मेरा एक निवेदन यह है कि अपने देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो, क्राईम खत्म हो, देश में सुरक्षा हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो तो देश के अंदर ऐसी शिक्षा हो जो संस्कार दे सकती हो। मैंने यह बात पहले कही थी कि केवल पुलिस के भरोसे सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। हमारे देश के अंदर शिक्षा भी इतनी अच्छी हो, हमारे देश की पुलिस भी इतनी अच्छी हो कि सब समस्याएं समाप्त हो सकें।

[अनुवाद]

*__श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान (मुर्शिदाबाद):__ मैं हमारे गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बी.ए.डी.पी. योजना शुरू की गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में छह ब्लॉक हैं जो भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित हैं। बी.ए.डी.पी. के अधीन इन ब्लॉकों को हर वर्ष कुछ धनराशि आवंटित की जाती है। लेकिन अब एक परिपत्र के माध्यम से, आदेश दिया गया है कि बीएडीपी के तहत धनराशि सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर ही खर्च की जाएगी। यह परिपत्र सीमावर्ती ब्लॉकों को विकास के लिए उपयोगी योजनाओं से वंचित कर रहा है। इसलिए, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस परिपत्र को वापस लें। कृपया बी.ए.डी.पी. में अधिक धनराशि आवंटित करें तथा संबंधित सांसदों को कार्यान्वयन से जोड़ें।

माननीय उपाध्यक्ष: मोहम्मद फैजल, आप केवल दो मिनट बोल सकते हैं। आप बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप): महोदय, लक्षद्वीप गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ रहा है; बल्कि गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप का प्रशासनिक मंत्रालय है। मेरे विद्वान मित्रों ने पूरे भारत में फैले अन्य राज्यों के बारे में बात की है। मैं विशेष रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करूंगा क्योंकि मैं एकमात्र सांसद हूँ और कोई और नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष: वहां एक और व्यक्ति भी है।

श्री मोहम्मद फैजल: महोदय, मैं समाप्त करता हूँ।

महोदय, यह कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। यह केवल द्वीप के विकास से संबंधित है। पहला मुद्दा जो मैं सभा के समक्ष उठाना चाहता हूं वह द्वीप में मत्स्य पालन के विकास से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, लक्षद्वीप का भूमि क्षेत्र केवल 32 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन हमारे समुद्र के संदर्भ में, हमारे पास 4.02 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है।

अब तक, लक्षद्वीप के मछुआरे आठ घंटे से अधिक समय तक मछली पकड़ने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि मछलियाँ उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा केवल भूमि आधारित बुनियादी ढांचे, सरकार की ओर से आधुनिकतम शिल्प और उपकरणों की कमी के कारण है। मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रशासक से कई बार बात की है, तथा मैं इसे सरकार के संज्ञान में भी कई बार लाया हूँ।

मैं इसे आंकड़ों से स्पष्ट कर दूंगा। लक्षद्वीप में मछली की उपलब्धता का हमारा वार्षिक संभावित संसाधन 1 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन अभी तक हमारी मछली का दोहन केवल 10,000 मीट्रिक टन है। मैं गृह मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ किया जाए, ताकि यह देश के विकास में योगदान दे सके।

दूसरा, जहां तक कृषि का सवाल है, हमें नारियल के पेड़ों का वरदान प्राप्त है। मुझे लगता है कि आपने द्वीप का दौरा किया होगा। यदि आप हवाई दृश्य देखेंगे तो वहां आपको बहुत सारे नारियल के पेड़ दिखाई देंगे। लक्षद्वीप में नारियल का सबसे आकर्षक हिस्सा यह है कि यह पूरी तरह से जैविक है और इसमें किसी भी प्रकार की खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, तथा शुद्ध नारियल तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार इतना बड़ा है कि यदि इसके विकास के लिए सही दिशा दी जाए तो पूरा लक्षद्वीप इसमें योगदान दे सकता है या अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।

तीसरा, जहां तक लक्षद्वीप का प्रश्न है, पर्यटन सबसे सतत उद्योग है। हमारा पड़ोसी देश मालदीव पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से अपनी आय से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में 75 प्रतिशत योगदान दे रहा है। लक्षद्वीप लगभग मालदीव के समान है। सरकार लक्षद्वीप में पर्यटन क्यों नहीं खोल रही है?

महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चौथा, आप जानते हैं कि लक्षद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एक अलग थलग क्षेत्र है, और दूरसंचार इस द्वीप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। टी.आर.ए.आई. ने दो तरह से सुझाव दिए हैं, अर्थात, मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए बी.एस.एन.एल. को करीब रु. 30 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाए, ताकि मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कैबिलिंग की जा सकती है, जो कनेक्टिविटी का अंतिम समाधान होगा।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो इसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है वह है पुलिसिंग। भारतीय रिजर्व बटालियनें उनके कल्याण के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रही हैं। उन्हें हर दो साल में एक द्वीप से दूसरे संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है जिसके कारण उनके पारिवारिक जीवन और बच्चों की शिक्षा पर बहुत असर पड़ रहा है। इस संबंध में मैंने मंत्रालय को लिखित में निर्देश दिया है कि इनका निपटारा इस प्रकार किया जाए कि इनकी राज्यवार नियुक्ति की जा सके।

इसी प्रकार होमगार्ड की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में कांस्टेबलों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त नियुक्ति के संबंध में उनके पक्ष में आदेश दिया है। दूसरी ओर, लक्षद्वीप ने अभी तक मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजने के लिए प्रस्ताव भी तैयार नहीं किया है। इसके अलावा, यह शर्म की बात है कि होमगार्ड कांस्टेबलों को वर्दी भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जबकि उन्होंने इसे अपने पैसे से खरीदा है। यह बहुत दुख की बात है।

गृह मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह विकासात्मक कार्य करे। [हिन्दी] सबका साथ-सबका विकास का नारा, कृपया आप करके दिखाइए। [अनुवाद] आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, पचास साल में जो काम अंडमान निकोबार की धरती में नहीं हुआ, मोदी सरकार और पूरे गृह मंत्रालय के माध्यम से, खासकर गजपति राजू मंत्री महोदय बैठे हैं, इन्होंने जो काम अंडमान निकोबार में किया, उसके लिए जनता उनको शाबासी दे रही है।

हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की थी। वहाँ पोर्ट ब्लेयर-चेन्नई चार्टेड फ्लाइट शुरू हुई, पोर्ट ब्लेयर-वाइजैग शुरू हुई, आगे आने वाले दिनों में पोर्ट ब्लेयर-कोलकाता शुरू होने वाली है। कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो स्कीम अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में बनी, शायद भारत के किसी प्रांत में ऐसी स्कीम नहीं होगी। वहाँ मेडिकल कॉलेज खोला गया, लेकिन फिर भी बहुत सी कमियाँ रह गई हैं।

मैं अनुरोध करूँगा, गृह मंत्रालय हमारा माई-बाप है, विश्वकर्मा जी भी है, वह हमारे प्लान फंड में थोड़ा ध्यान दे। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा कि वर्ष 2014-15 में हमें प्लान फंड बी.ई. में 1950 करोड़ दिया था। इसमें सितंबर तक पचास प्रतिशत खर्च करना था। आप अंडमान के बारे में जानते हैं, वहाँ अप्रैल से सितंबर तक बारिश रहेगी, मानसून के कारण कोई काम नहीं होगा। कटौती करके 1700 करोड़ रुपये कर दिया। इन 1700 करोड़ रुपये में 50 परसेंट कमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं। वे क्या लाइबिलिटीज़ हैं - मैडिक्लेम का खर्चा, चार्टर्ड फ्लाइट का खर्चा, सैलेरी, गाड़ी का तेल, शिप का तेल आदि का खर्चा 800 करोड़ रुपये। वहाँ विकास नहीं हो रहा है, हम कमिटेड लाइबिलिटी दे रहे हैं। यह 1990 से चल रहा है। मेरा आग्रह है कि जो कमिटेड लाइबिलिटी हमारे प्लान में जोड़ा गया, जो 1990 से पड़ा है, उसको तुरंत हटाकर नॉन प्लांड दिया जाए और उतना रुपया हमारे प्लांड फंड में दिया जाए। खासकर मैं अनुरोध करूँगा क्योंकि मैं गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी में मैम्बर भी हूँ। गृह मंत्रालय ने फर्स्ट रिपोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रांट्स के लिए सबमिट किया यूनियन टैरिटरीज़ के बारे में। उसमें जो सुझाव दिया गया, उस पर तुरंत अमल करें। अंडमान निकोबार का विकास बहुत ज़रूरी है। हम आखिरी

हिस्से पर बैठे हुए हैं, हमारी कमाई का सोर्स है टूरिज़्म और फिशरीज़। शिपिंग सैक्टर में कमाई लक्षद्वीप को है। अंडमान में इनफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सी कमियाँ हैं। उसको स्टडी करते हुए उतने रुपये हमारे द्वीप समूह को दिये जाएँ। खासकर जो फाइनैंस मिनिस्ट्री के सर्कुलर्स हैं कि सितम्बर 30 तक 50 प्रतिशत खर्च करना है, इस क्लाज़ को रिलैक्स करके हमें बचाया जाए और नॉर्थ ईस्ट की तरह नॉन लैप्सेबल फंड हमारे द्वीप समूह को दिया जाए।

महोदय, हमारे अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, उनको 12 महीना काम करने पर एक महीने की कंपनसेटरी पे मिलती है। लेकिन पिछली यूपीए-2 की सरकार ने वह एक महीने की पे काट दी। इस कमेटी ने उसके लिए दोबारा रिकमंड कर दिया। मैं आग्रह करूँगा कि जो बातें गृह मंत्रालय की कमेटी ने रिकमंड की हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार पूरा अमल करे। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आज 60 साल बीत चुके हैं, लोग ज़मीन काट रहे हैं नाले में जिससे बैंक इरोज़न हो रहा है। काफी द्वीपों में ब्रिज नहीं है, रास्तों की कमी है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कृषि क्षेत्र में पैसा बहुत कम मिलता है। एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बैंडरी और फिशरीज़ में रुपया मिलता है 0.18 परसेंट से 0.2 परसेंट। मैं इसलिए दोबारा अनुरोध करूँगा क्योंकि हमारे गृह मंत्रालय के दो मंत्री यहाँ बैठे हैं, ये पूरे द्वीप समूह को जानते हैं। इस होम मिनिस्ट्री की कमेटी ने जो सजैशन दिए और जो रिकमंडेशंस दिए, उन पर अमल करके पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए प्लांड फंड बनाया जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हो गई है। मंत्री जी कल जवाब देंगे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा शून्य काल के मामलों पर विचार करेगा। श्री के. सी. वेणुगोपाल।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, मैं सरकार का ध्यान एर्नाकुलम जंक्शन पर लोको पायलटों द्वारा की गई बिजली की हड़ताल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिससे ट्रेनों की आवृत्ति और यात्रियों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है।

कल, दक्षिणी केरल में रेल सेवाएं आंशिक रूप से बाधित रहीं क्योंकि लोको पायलटों ने ब्रेथ अल्कोहल एनालाइजर टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, जो काम पर आने के दौरान अनिवार्य है। 10 घंटे से अधिक समय तक, यात्री बहुत कठिन स्थिति में रहे। कुछ स्थानीय ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों में देरी हो गई एर्नाकुलम जंक्शन पर जब लोको पायलटों ने ड्यूटी के दौरान नशे में गाड़ी चलाने की सभी संभावनाओं को समाप्त करने के लिए शराब टेस्ट के खिलाफ विरोध किया।

बताया गया है कि इससे कई प्रमुख रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। लोको पायलटों ने आरोप लगाया कि कई दिनों तक पुलिस द्वारा प्रयोग की गई इनडायरेक्ट मशीन का ही परीक्षण के लिए प्रयोग किया गया। लोको पायलटों की चिंता यह है कि इसमें फूंक मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात करने की जरूरत है। हालांकि, कल पर्यवेक्षकों ने रेलवे अधिकारियों के निर्देशानुसार एक पुराने उपकरण का इस्तेमाल किया। लोको पायलटों ने शिकायत की कि चूंकि यह उपकरण व्यक्ति की सांस को 10 सेकंड तक रोक कर रखता है, इसलिए विषाणु फैलने की संभावना है।

ड्राइवरों के अनुसार, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने पुराने और प्रयुक्त उपकरणों का उपयोग करके इस तरह के श्वास विश्लेषण अभ्यास में सहयोग नहीं करने का फैसला किया है, जिसे रेलवे में उनके पर्यवेक्षकों द्वारा उन पर 'थोपा' गया है। जबकि रेलवे ने सेवाओं को बाधित करने के लिए लोको पायलटों को दोषी ठहराया और कहा कि श्वास अल्कोहल विश्लेषक प्रणाली इसलिए शुरू की गई

क्योंकि रेलवे कुशल सेवाओं और अपने यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था।

लोको पायलटों और रेलवे अधिकारियों के बीच इस गलतफहमी और भ्रम की स्थिति के कारण दक्षिणी क्षेत्र में रेलवे प्रचालन आंशिक रूप से ठप्प हो गया। बताया गया है कि लोको पायलटों की हड़ताल के कारण एर्नाकुलम-कोट्टायम, कोट्टायम-एर्नाकुलम, एर्नाकुलम-पालक्काड़ और एर्नाकुलम-कोल्लम *वाया* कोट्टायम सहित कम से कम चार लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हड़ताल से प्रभावित यात्रियों ने रेलवे स्टेशन मास्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले की जांच कराएं और इस तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, क्योंकि बिजली गिरने से हजारों आम यात्री बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी.के. बीजू, श्री पी. करूणाकरन और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि आपने मेरे क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलने का मौका दिया। मैं नागौर राजस्थान से आता हूं। नागौर राजस्थान का हार्टलैंड है। यहां की जो अर्थव्यवस्था है, वहां मुख्य रूप से 80 परसेंट लोग कृषि और पशुपालन पर डिपेंड कर रहे हैं। पशुपालन एक तरह से वहां का मुख्य धन्धा है।

मैं पशुपालन पर ही बात करना चाहता हूं। नागौर की जो देसी गायों की ब्रीड है, वह नागौरी ब्रीड के नाम से जानी जाती है। नागौरी गायों की जो नस्ल है, वह पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नोर्थ इंडिया में विशेष रूप से नागौर के बछड़े और बैल पूरे यू.पी., हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर खेती के लिए इन

बैलों को काम में लिया जाता था और आज भी लिया जा रहा है। नागौरी नस्ल की जो गाय है, वह अपने दूध के लिए ज्यादा नहीं जानी जाती, बल्कि अपने बहुत अच्छे बछड़े, जो हल जोतने और बोझा ढोने के काम में आते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं और बहुत ही स्टाउट होते हैं। अब क्या हुआ है कि फार्मिंग के मकेनाइजेशन के बाद प्लस बछड़ों के जो पहले मेले भरते थे, आसपास के राज्यों के लोग, जो खासकर उन्हें वहां खरीदने आते थे, वह बन्द हो रहा है। इसका कारण है कि बछड़ों के ऊपर तीन साल तक प्रतिबन्ध है कि कोई भी बछड़ा बाहर नहीं जा सकता। जब तीन साल का बछड़ा हो जाता है तो उसके बाद में उसकी कीमत और घट जाती है, क्योंकि, 18 महीने से दो वर्ष के बछड़े की ही अच्छी कीमत है। मकेनाइजेशन के कारण और बछड़ों के विक्रय पर प्रतिबन्ध के कारण वहां गायों की बहुत दुर्दशा हो रही है और इसलिए मैं आपके मार्फत एग्रीकल्चर मिनिस्टर से निवेदन करना चाह रहा हूं कि नागौरी नस्ल की गाय को बचाना आवश्यक है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने देसी नस्ल के संवर्धन के लिए एक प्रोजैक्ट की घोषणा की है, जिसे भारत सरकार लाई है, जिसमें 500 करोड़ रुपये का बजट है। मैं आपके मार्फत माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस क्षेत्र की गायें नागौरी नस्ल की गायें, जो इतनी प्रसिद्ध है, उनके लिए एक कैटल ब्रीडिंग सैण्टर नागौर में स्थापित किया जाये, ताकि नागौरी नस्ल को बचाया जा सके।

साथ ही, मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बछड़ों के ऊपर तीन साल तक विक्रय पर और बाहर ले जाने पर रोक है, उसे दो साल किया जाये। अगर बछड़े बाहर जाएंगे तो गायों को लोग पालना शुरू करेंगे, अच्छे ढंग से पालेंगे और इनका संवर्धन होगा।

आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्री पी.पी. चौधरी को श्री सी.आर. चौधरी द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री राधेश्याम बिश्वास (करीमगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा का ध्यान असम के लोगों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। असम के करीमगंज, कछार और हैलाकांडी जिलों के कई छोटे व्यापारी मिजोरम की राजधानी आइजोल में व्यापार करते रहे हैं। अफसोस की बात है कि पिछले कुछ दिनों से मिजोरम की कुछ संगठनों जैसे एम.जेड.पी. और एम.टी.पी. आदि के सदस्य इन व्यापारियों को अवैध और जबरन परेशान कर रहे हैं। इनमें से कई व्यापारियों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस प्रकार की अवैध गतिविधियां मुख्य रूप से आइजोल शहर के खटला, जरखोट, स्टेप और तुईकुवाल जैसे इलाकों में की जा रही हैं।

इन संगठनों की कार्रवाई दुखद है। वे व्यापारिक दस्तावेजों, लाइसेंसों और आईएलपी की जांच के नाम पर बाहरी व्यापारियों को अपने कार्यालयों में बुला रहे हैं, जहां इन संगठनों के सदस्यों द्वारा व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 17.10 को मिजोरम सरकार और असम सरकार के बीच एक संयुक्त बैठक हुई थी। 1994 यह राय व्यक्त की गई कि गैर-सरकारी संगठन व्यापारिक दस्तावेजों की जांच, आईएलपी और गैर-मिजो व्यापारियों को परेशान करना बंद कर देंगे और मिजोरम सरकार व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन, इसका पालन नहीं किया गया।

अब सबसे बुरी बात यह है कि असम के सीमावर्ती क्षेत्रों के विभिन्न संगठन आंदोलन शुरू कर रहे हैं और सिलचर और हैलाकांडी जैसे स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध करने के लिए हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं, जो मिजोरम की जीवन रेखा हैं। यदि ये सड़कें अवरुद्ध हो गईं तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। इन परिस्थितियों में ये व्यापारी भयंकर भय के साये में जी रहे हैं, जबकि

स्थानीय प्रशासन इन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहा है। इसलिए, इस महिमामय सभा के माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और पिछले संयुक्त निर्णय के आलोक में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्काल आवश्यक निर्देश पारित करें।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री गौरव गोगोई को श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री कारादी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): आदरणीय महोदय, मैं इस अवसर पर उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में कोप्पल, रायचूर, कलबुर्गी, यादगिरी, बीदर और बेल्लारी जिलों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि और भारी बारिश से उत्पन्न कृषि संकट के बारे में बोलना चाहूंगा। बेमौसम भारी बारिश और ओलावृष्टि ने कहर बरपाया है और कृषि एवं बागवानी फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, खासकर धान की फसल को जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और सभी खेत नष्ट हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप रु. 425 करोड़ का नुकसान हुआ है।

आमतौर पर इस क्षेत्र में अप्रैल माह के दौरान छह से सात मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है, जबकि इस वर्ष 8 से 16 अप्रैल के बीच इस क्षेत्र में 50 से 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह लगभग 1000 प्रतिशत की वृद्धि है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 45 से 60 मिनट के भीतर 50 से 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अनुमान है कि इन 8 जिलों में 64,462 हेक्टेयर कृषि और बागवानी फसलें नष्ट हो गईं। भारी बारिश के कारण सैकड़ों मवेशी, हजारों घर और बिजली उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

कर्नाटक सरकार ने प्रति हेक्टेयर रु. 25,000 की राहत राशि देने का निर्णय लिया है, जो लगभग रु. 150 करोड़ है। इसलिए, मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानकर प्रभावित किसानों को अतिरिक्त राहत प्रदान की जाए।

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि दी गई राहत राशि मकान मालिकों को दी जाएगी। कई मामलों में जहां किसान भूमि के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टे पर लेकर विभिन्न गतिविधियों में निवेश किया होता है, वहां किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि राहत राशि किसानों के पास नहीं, बल्कि जमींदारों के पास जाती है।

इन तथ्यों पर विचार करते हुए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कर्नाटक के इन छह पिछड़े जिलों के किसानों को विशेष राहत पैकेज देने पर विचार करे, तथा अधिकारियों को यह निर्देश दे कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल किसान लाभान्वित हों, तथा प्रभावित किसानों की गंभीर स्थिति का आकलन करने तथा निरीक्षण के लिए केन्द्र सरकार से विशेषज्ञों की एक टीम वहां भेजी जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष जी, देश में किसानों की वर्तमान हालत को देखते हुए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम देश में कृषि उपकरणों पर, रासायनिक खादों पर, डीज़ल पर, उद्योगों पर, हर क्षेत्र में सब्सिडी देते हैं। मेरा अनुरोध है कि दूध उत्पादन के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें किसानों को गाय-भैंस, खेती के कार्य के लिए बैलजोड़ी इत्यादि की खरीद पर सब्सिडी देने की आवश्यकता है। इस पर काम करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इसके लिए अनुरोध करना चाहता हूं।

माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। दूध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गाय और भैंस की खरीद पर सब्सिडी या एकमुश्त मदद, बैल जोड़ी पर सब्सिडी या एकमुश्त मदद प्रदान करने की आवश्यकता है। इससे किसानों को तो लाभ होगा ही, बल्कि किसानों की जो हालत है, उसकी उन्नति के लिए भी मौका मिलेगा और साथ ही देश में खेती के लिए हमारे पास जो देशी खाद हैं, जो हरी खाद है, वह भी खेती के लिए उपलब्ध होगा। आज

रासायनिक खादों के कारण ज़मीन बंजर हो रही है, खेती खराब हो रही है। उस ज़मीन को बंजर होने से भी बचाया जा सकता है। साथ ही, बाहर से रासायनिक खाद और केमिकल खरीदने में देश का जो पैसा विदेशों में चला जाता है, उस पैसे को भी हम इसके माध्यम से बचा सकते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में दूध उत्पादन के लिए किसानों के हित में, गायों के ऊपर, भैंसों के ऊपर सीधी मदद करने की आवश्यकता है। सरकार इसमें मदद करेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है।

[अनुवाद]

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत केरल राज्य को धनराशि आवंटित करने में केन्द्र सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है।

पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत केरल राज्य को 3,358 किलोमीटर लंबाई के 1430 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है, जबकि पी.एम.जी.एस.वाई. के भाग-I के तहत पूरे भारत में 5.5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार को आवंटन में वर्ष 2014 में फेज-8 के तहत स्वीकृत 450 सड़क कार्य शामिल हैं। राज्य ने अब तक 980 किलोमीटर लम्बी सड़क के 876 कार्य पूरे कर लिए हैं। केरल में व्यापक सड़क नेटवर्क है जिसे ग्रामीण संयोजकता में सुधार के लिए पक्की सड़कों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अब केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए सांकेतिक वार्षिक आवंटन तैयार किया है, जिसके तहत केरल को केवल रु. 51 करोड़ आवंटित किये गये हैं, जबकि पिछले वर्ष यह आवंटन रु. 152 करोड़ था। बिहार जैसे राज्यों में वर्ष 2014-15 में वार्षिक आवंटन केवल रु. 1050 करोड़ था जबकि इस वर्ष यह रु. 2,281 करोड़ है। चरण-8 के तहत स्वीकृत 415 सड़क कार्यों की कुल अनुमानित लागत रु. 1,582 करोड़ है और जारी की गई राशि केवल रु. 813 करोड़ है। चरण-

8 के अंतर्गत राज्यों को रु. 6,714 करोड़ की राशि देय है। अब राज्य ने सम्पूर्ण कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी हैं और कार्य प्रगति पर है। कम आवंटन के कारण, राज्य को ठेकेदारों को भुगतान करना मुश्किल हो जाएगा और इससे केरल में ग्रामीण सड़क कार्यों का निर्माण और विकास ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने तथा यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी.के. बीजू और श्री पी. करूणाकरन को श्री जोएस जॉर्ज द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री वी. एलुमलाई (अरानी): मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आराणी में सिल्क पार्क स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत लंबे समय से लंबित और बहुप्रतीक्षित परियोजना है। इससे पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और बेंगलुरु के अधिकारियों ने अरानी कस्बे का दौरा किया था और भूमि का सर्वेक्षण किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

अरानी, जिसे रेशमी साड़ियों का शहर कहा जाता है, जो कांचीपुरम के बगल में है, जिसकी जनसंख्या 60,000 से अधिक है, और जिनमें से 35,000 लोग बुनाई के पेशे में हैं।

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में फहराया गया हमारे देश का पहला राष्ट्र-ध्वज रेशम का झंडा था जिसे अरानी में बुना गया था। हमारी अरानी के रेशम बुनकरों का जो हमारी मातृभूमि के लिए ऐतिहासिक योगदान रहा हैं हम सभी उसका मार्गदर्शन करतें है। हम अपनी स्वतंत्रता के 68$^{वें}$ वर्ष में कदम रख रहे हैं।

मैं माननीय वस्त्र मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे अरणी में एक सिल्क पार्क स्थापित करें जिससे अरानी के हजारों परिवारों को लाभ होगा तथा क्षेत्र में और इसके आसपास के रेशम उद्योग को भी संरक्षण मिलेगा।

श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयन (इरोड): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इरोड और त्रिची के बीच रेलवे लाइन हमारे देश की प्राचीन रेलवे प्रणाली का हिस्सा है। अंग्रेजों के समय से ही, यह रेल लाइन दक्षिण को उत्तर से जोड़ती रही है। आज भी दक्षिण में सबसे बड़ा माल यार्ड, त्रिची से स्थानांतरित होकर इरोड में है। यह रेल लाइन अपने रास्ते में कई तीर्थ स्थानों को भी जोड़ती है। इससे बहुत भीड़भाड़ हो गई है। दुर्भाग्यवश, यह इस मार्ग पर अधिक ट्रेनों के चलाने और लोकप्रिय एक्सप्रेस ट्रेनों की गति बढ़ाने में बाधा डालता है। उदाहरण के लिए, एर्नाकुलम एक्सप्रेस, वेस्ट कोस्ट एक्सप्रेस और मैसूर एक्सप्रेस ट्रेनों को इरोड और त्रिची के बीच यात्री ट्रेनों की तरह संचालित किया जाना है, क्योंकि रास्ते में अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रैक नहीं हैं। परिचालन दक्षता बढ़ाने, तथा इस मार्ग पर और अधिक लाभदायक रेलगाड़ियां चलाने के लिए इस खंड पर ट्रैक का दोहरीकरण आवश्यक है। मैं रेलवे मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना को यथाशीघ्र शुरू करने की अविलम्ब आवश्यकता पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्री अजय निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको कोटि-कोटि आभार।

महोदय, सन् 1978 में बिहार मुजफ्फरनगर एवं मोकामा स्थित वैगन निर्माण में लगी निजी कंपनियों के अधिग्रहण एवं राष्ट्रीयकरण के उपरान्त भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया और इसे उद्योग मंत्रालय के अधीन रखा गया। इसका एकमात्र उत्पादन रेलवे वैगन होने के कारण इसे रेल मंत्रालय के अधीन विलय करना था, लेकिन वर्ष 2008 में इसका विलय करने के

बजाय सिर्फ प्रशासनिक नियंत्रण में सौंपा गया, जो कंपनी की दुर्दशा का कारण बना। कंपनी लगभग 10 महीनों से बंद पड़ी है और अप्रैल, 2014 से इसके कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से माँग करना चाहूँगा कि कारखाने को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसका रेलवे में विलय किया जाए अथवा तत्काल इसे वैगन उत्पादन इकाई से जोड़ दिया जाए तथा इन इकाइयों को मिलने वाली सुविधाएं एवं संरक्षण भारत वैगन को दिया जाए। साथ ही कंपनी को आर्थिक संकट से निजात दिलाने के मद्देनजर वर्ष 2014-15 के बजट में आबंटित 18 करोड़ रूपए की राशि तत्काल मुहैया कराई जाए। धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : निषाद जी का विषय ठीक है, हमारा समर्थन है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. उदयकुमार (डिंडीगुल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नमस्कार !

तमिलनाडु में वर्ष 2011 तक की पिछली सरकार के दौरान घर-घर तक चलने वाली बिजली कटौती एक प्रमुख मुद्दा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में 16 घंटे तक बिजली की कटौती हुई। वर्ष 2011 से पहले, तमिलनाडु, जिसे कुल 12,000 मेगावाट की आवश्यकता थी, लेकिन आज उसे 4,000 मेगावाट की कमी का सामना करना पड़ रहा हैं। वर्ष 2011 के पहले छमाही में 4,000 मेगावाट की बिजली की कमी को व्यवस्थित रूप से दूर किया गया था। राज्य को अतिरिक्त 4,991.5 मेगावाट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जो केंद्रीय और राज्य क्षेत्रों में नए पावर स्टेशनों के कमीशनिंग और मध्यम एवं दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों के माध्यम से पूरी की गई है। यह उपलब्धि तमिलनाडु की जनता की माननीय मुख्यमंत्री पुराची थलैवी अम्मा सरकार द्वारा हासिल की गई है। इसने राज्य की दैनिक औसत बिजली आपूर्ति को 200 मिलियन यूनिट्स से बढ़ाकर 260 मिलियन यूनिट्स कर दिया है।

लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने हमारे ए.आई.ए.डी.एम.के. शासन के तीन वर्षों में तमिलनाडु को बिजली कटौती मुक्त बना दिया है।

अनेक परियोजनाओं के साथ, राज्य सरकार बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के कगार पर है और जिससे राज्य को कुछ महीनों में अतिरिक्त 2,163 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। इसके साथ ही, तमिलनाडु सरकार ने एक कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आवेदन किया है और अब केंद्रीय सरकार से एक और कोयला ब्लॉक की मांग की है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि पारेषण प्रणाली में तेजी लाने तथा विश्वसनीयता मार्जिन को घटाकर 500 मेगावाट करने के लिए एक और कोयला ब्लॉक आवंटित किया जाए। इससे राज्य को अन्य क्षेत्रों से भी बिजली प्राप्त करने में मदद मिलेगी। माननीय कोयला मंत्री से अनुरोध है कि महनदी और मच्छाकटा कोयला ब्लॉकों को आवंटित करें क्योंकि गारे पेल्मा सेक्टर I कोयला ब्लॉक पहले ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित किया जा चुका है। यह आवंटन तमिलनाडु में चल रही और आगामी परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मैं तूतीकोरिन में टैनजेडको-एन,एल.सी. संयुक्त उद्यम के संचालन के लिए त्वरित पर्यावरण मंजूरी की भी मांग करता हूँ।

तमिलनाडु 7,300 मेगावाट से अधिक की क्षमता के साथ पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, जिसकी प्रशंसा हमारे भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी और माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्माजी के मंत्री श्री नाथम विश्वनाथन को एक पुरस्कार दिया गया था, जो तमिलनाडु में ऊर्जा मंत्री हैं। इसलिए, मैं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस योजना के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करें और तमिलनाडु को एक अतिरिक्त कोयला ब्लॉक आवंटित करें।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड में वर्ष 2013 में भीषण त्रासदी आयी थी, अभी किसान उससे संभल भी नहीं पाये थे कि गत समय में भारी ओला वृष्टि और अति वृष्टि से बर्बादी हुई है, विशेष रूप से हरिद्वार जनपद के किसान बर्बाद हो गये हैं। गांवों के खेत-खलिहान रेत में तब्दील हो गये हैं और बचे हुए किसान भी इस दैवी आपदा का शिकार हो गये हैं। अभी तक उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार ने उसका सर्वे नहीं करवाया है। बर्बाद हुए किसानों को कोई राहत राशि नहीं मिली है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिनकी 33 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई होगी, उनको डेढ़ गुना राहत राशि दी जायेगी लेकिन अभी तक न तो उसका व्यापक सर्वे हुआ है और न उन्हें कोई राहत राशि दी गयी है। इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड की संवेदनहीन सरकार से परेशान हो कर हरिद्वार के किसानों ने अपनी लहलहाती फसलों के बर्बाद होने पर उन्हें आग के हवाले कर दी। गांव के लोगों ने उन फसलों को आग में जला दिया। इतना ही नहीं, कलियर क्षेत्र में मेवड़ गांव के एक किसान ने दो दिन पहले अपने ही खेत में पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। जिन लोगों का नुकसान हुआ और आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के प्रभावित परिवार को पूरी तरह सहायता दी जाए, तत्काल सर्वे कराया जाए, राहत राशि दी जाए, किसानों के ऋण माफ किए जाएं, तत्काल प्रभाव से वसूली रोकी जाए और जिन किसानों के खेत-खलिहान पूरी तरह से नदी में समाहित हो गए, उनके लिए अलग से राहत पैकेज दिया जाए, उनके परिवार के एक सदस्य को राजकीय सेवा में लिया जाए। किसान के खेत जो रेत में तब्दील हुए हैं, उस रेत को उठाने का काम उसी को दिया जाए। खनन माफियाओं को भी उसके सिर पर बिठा दिया गया है, यह ठीक नहीं है। गन्ना किसानों का दो-दो वर्ष से भुगतान नहीं हुआ है। वे अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जो गन्ने का भुगतान बचा हुआ है, उसे ब्याज राशि सहित तत्काल समय में उत्तराखंड सरकार किसानों को उपलब्ध कराए। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, चेन्नई शहर की सड़कों पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा काफी निवेश और माननीय मक्कल मुधलवार पुराच्ची थलाइवी अम्मा के मार्गदर्शन में चेन्नई, में मास रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम (एम.आर.टी.एस) शुरू किया गया था। एम.आर.टी.एस, जो रेल मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है और इसके द्वारा ही इसका रखरखाव किया जाता है, यात्रियों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है। रेल सेवाओं की अपर्याप्त और अप्रत्याशित आवृत्ति के कारण, लोग एम.आर.टी.एस. को नजरअंदाज कर देते हैं, सिवाय व्यस्ततम घंटों के जब इसमें अत्यधिक भीड़ होती है। अधिकांश स्टेशनों के पास अप्रयुक्त विशाल क्षेत्र हैं, जिनका उपयोग भविष्योन्मुखी तथा व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य कियोस्क के लिए किया जा सकता है, जिससे स्टेशनों का सुनसान तथा वीरानापन समाप्त हो जाएगा। अधिकांश एम.आर.टी.एस. स्टेशनों का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे पर्यावरण खतरनाक हो रहा है। सभी स्टेशनों और चलती रेलगाड़ियों में विशेषकर महिला डिब्बों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। स्टेशनों पर सफाई का अभाव है। कोचों का रखरखाव ठीक प्रकार से नहीं किया गया है तथा वे दिव्यांगों के लिए अनुकूल नहीं हैं। कई स्टेशनों पर एस्केलेटर काम नहीं करते हैं। वेल्लाचेरी और सेंट थोमस माउंट के बीच संपर्क अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है और काम भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। फरवरी, वर्ष 2015 में एम.आर.टी.एस. ट्रेन के पटरी से उतरने की एक हालिया घटना हुई थी। रेल मंत्रालय को चेन्नई में एम.आर.टी.एस. सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिसे पूरी तरह से सुधारने की आवश्यकता है। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना किसानों को उनकी खाद, डीजल व अन्य कृषि जरूरतों पर आवश्यकतानुसार धन कम ब्याज

पर सरलता से उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। उक्त सहकारी समितियों का उद्देश्य यह भी था कि आर्थिक रूप से पिछड़ गए किसान भाइयों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराकर समाज की मुख्य धारा में लाना तथा आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करना। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उक्त प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। शेष ब्याज सब्सिडी के रूप में केन्द्र सरकार 6.7 प्रतिशत का ब्याज उक्त समितियों को उपलब्ध कराती है। परन्तु उक्त समितियों द्वारा कृषि ऋण स्वीकृत करते समय कुल ऋण का 2.5 प्रतिशत बीमा प्रिमियम के रूप में किसानों के खाते से डेबिट कर दिया जाता है जिसके कारण सरकार द्वारा कम ब्याज दर की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के बावजूद किसान को ब्याज और बीमा के प्रिमियम के रूप में 5.5 प्रतिशत कृषि ऋण की सीमा के अनुसार अदा करना पड़ता है। इसके बावजूद किसानों को फसल बीमा का लाभ तभी मिलता है जब वह राजस्व नियमों के अनुसार फसल मुआवजे का हकदार होता है जबकि बीमा प्रिमियम का भुगतान किसान द्वारा व्यक्तिगत खाता धारक के अनुसार किया जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों के फसल बीमा हेतु व्यक्तिगत प्रिमियम लेने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से ही जब फसल का नुकसान हो तो व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी के अनुसार क्षति-पूर्ति की व्यवस्था की जाए अन्यथा प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा फसल बीमा हेतु लिए जाने वाले 2.5 प्रतिशत के प्रिमियम को समाप्त किया जाए क्योंकि यह शासन के उद्देश्यों, शासन की मंशा के विपरीत है। हम ब्याज के रूप में जो सब्सिडी देते हैं, उसका दुरुपयोग है और किसानों को अधिक भार पड़ता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र भागलपुर जो गंगा नदी के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। स्थानीय शोध और निष्कर्ष से यह स्थापित हो गया है कि गंगा छोर के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाला क्षेत्र आसेरनिक प्रभावित क्षेत्र है। इनमें नारायणपुर प्रखंड के अधिकाधिक गांव इससे प्रभावित हैं। बीरबना एक छोटा सा गांव है और उस गांव

में प्रत्येक साल कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु आसेरनिक की वजह से होती है। इस्लामपुर जिसे हमने आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया है, उस प्रखंड के अंदर आने वाले काफी गांव आसेरनिक से प्रभावित हैं। 20 वर्ष की आयु के लोग 80 वर्ष के बूढ़े नजर आते हैं। गर्भवती महिलाओं के बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। आसेरनिक प्रभावित इन क्षेत्रों में आसेरनिक मुक्त पेयजल के लिए बहुग्रामीण पाईप लाइन जलापूर्ति योजना की स्वीकृति दी जाए। पीरपइती और सुल्तानगंज प्रखंड में यह स्कीम पहले से स्वीकृत है लेकिन इस स्कीम को सेंक्शन हुए दो-तीन साल हो गए हैं लेकिन इस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। यह कार्य शीघ्र शुरू हो ताकि भागलपुर की जनता आसेरनिक मुक्त पानी पीकर अपने स्वास्थ्य को अच्छी तरह से देखरेख कर सके।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, देश और दुनिया में दिल्ली एम्स हॉस्पीटल का कोई मुकाबला नहीं है। यह भारत का गौरव है और यह माना जाता है कि जब बीमारी का सभी जगह से इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो रहा है तो कहा जाता है कि एक बार एम्स जाकर देखो। यहां पर काफी अनुभवी डॉ. हैं, अच्छे से अच्छे डॉ. हैं। खासकर बिहार प्रदेश जो गरीब इलाका है वहां से 40 परसेंट मरीज असाध्य रोगों से पीड़ित होकर एम्स आते हैं। वे लोग बहुत ही गरीब हैं, उनका समय पर इलाज नहीं हो पाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना प्रतिष्ठित हॉस्पीटल होने के बावजूद, अच्छे डॉ. होने के बावजूद, यहां एक महीने से लेकर दो साल तक नंबर लगा दिया जाता है। इलाज कराने वाले मरीज को इतना लंबा टाइम दिया जाता है। माननीय ससंद जब इस बाबत पत्र लिखते हैं तो जो इस पत्र को जितना महत्व मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है और उसमें घोर उदासीनता बरती जाती है। यह अत्यंत ही दुखद है, यह नहीं होना चाहिए। मरीजों को साल-दो साल का जो समय देते हैं, उसमें सुधार लाया जाए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री इसमें सुधार लाएं, माननीय सांसदों की अनुशंसा पर ध्यान दिया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. सत्य पाल सिंह, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय और श्री पी.के. बीजू जनता दल के सदस्यों को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी): महोदय, स्वर्गीय एन.टी.आर. को 'भारत रत्न' पुरस्कार प्रदान करने की आवश्यकता है। तेलुगु फिल्म उद्योग के महान अभिनेता श्री नंदमुरी तारक रामा राव, जिन्हें एन.टी.आर. के नाम से जाना जाता है, वह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एन.टी.आर. तेलुगू फिल्मों के दिग्गज थे जिन्होंने आधी सदी तक भारतीय तेलुगू फिल्म उद्योग में अपनी धाक जमाई और बाद में न केवल आंध्र प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में सबसे कद्दावर राजनीतिक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। वह नेशनल फ्रंट के सभापति थे।

<u>सायं 8.00 बजे</u>

स्वर्गीय एन.टी.आर., एक महान हस्ती थे, जिन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने अभूतपूर्व कार्यकाल के दौरान किसानों और श्रमिकों के लिए कल्याणकारी और विकास योजनाएं शुरू करके तेलुगु लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। एन.टी.आर को राष्ट्रीय राजनीति में नेशनल फ्रंट के सभापति के रूप में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाने और वर्ष 1984-89 की अवधि के दौरान संसद में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने का श्रेय भी दिया जाता है।

विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच भौगोलिक विभाजन को पार करते हुए तेलुगु भाषा और संस्कृति को मान्यता दिलाने के लिए एन.टी.आर. सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार "भारत रत्न" के हकदार हैं। समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवाओं के प्रति गहरी संवेदना के रूप में, मैं आपके माध्यम से संघीय सरकार,

से आग्रह करता हूं, कि वह टी.डी.पी. संस्थापक और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेशनल फ्रंट के सभापति *स्वर्गीय* नंदमुरी तारक रामा राव को प्रतिष्ठित "भारत रत्न" से सम्मानित करें।

धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: सूची समाप्त हो गई है। अब मेरे पास एक अतिरिक्त सूची है और इसमें लगभग 30 सदस्य हैं जिन्होंने नोटिस दिया है। हमें रात्रि 8.15 बजे तक अपनी बात समाप्त करनी है, इसलिए मैं प्रत्येक सदस्य को आधा मिनट का समय दूंगा और उसी आधे मिनट के भीतर ही उनकी बात पूरी हो जानी चाहिए, उससे अधिक समय किसी सदस्य को नही दिया जाएगा।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से, सभा का ध्यान, केंद्र सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटन में कमी के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में केरल राज्य के सामने आने वाली गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। केरल को प्रति वर्ष 16,66,644 मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, जबकि केरल अपनी कुल खपत का केवल 15 प्रतिशत ही उत्पादन करता है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015-16 के दौरान केवल 12,26,604 मीट्रिक टन आवंटित किया है। यह बहुत छोटी रकम है. आप जानते हैं कि केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कम आवंटन के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखना बहुत कठिन है। मैं केंद्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह केरल को खाद्यान्न के आवंटन में वृद्धि करें।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री के.एस. सुंदरम -- उपस्थित नहीं।

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई मध्य): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। वर्तमान में, सभी कारों को जो चेन्नई हवाईअड्डे पर यात्रियों को छोड़ती हैं, यदि वे 10 मिनट से अधिक समय तक खड़ी रहती हैं, तो पार्किंग शुल्क लिया जाता है।" लंबी सड़क और स्पीड ब्रेकर के कारण, किसी भी कार

का 10 मिनट के भीतर हवाई अड्डा से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। जब महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सामान के साथ छोड़ा जाता है तो ड्राइवरों को 10 मिनट के भीतर बाहर निकलने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, वाहन चालक भी यातायात के कारण जल्दी से निकलने के लिए तनावग्रस्त हो जाते हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि हवाई अड्डे पर यात्रियों को उतारने वाली कारों का समय 10 मिनट से बढ़ाकर 20 से 25 मिनट किया जाए।

इसके अलावा चेन्नई हवाई अड्डे के निर्माण की गुणवत्ता भी बहुत खराब है। नवनिर्मित हवाई अड्डे के खुलने के बाद से अब तक छत 33 बार गिर चुकी है, जिससे कांच के दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए हैं और यात्रियों के लिए भय और जोखिम पैदा हो गया है। भारत सरकार को इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और बेहतर निर्माण के लिए इस संबंध में कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर केन्द्रित करना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र में दो जिले कच्छ एवं मोरबी का समावेश है। कच्छ जिले में केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय कार्यरत है लेकिन मोरबी जिला, जिसका अभी गठन हुआ है, वहां केन्द्रीय शिक्षण की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी और वहां पर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की मांग है कि वहां पर जल्दी एक नया केन्द्रीय एवं नवोदय विद्यालय शुरू किया जाये। इससे केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने के इच्छुक छात्र-छात्राओं को बड़ी सुविधा प्राप्त होगी। धन्यवाद।

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में आपको बताना चाहूंगी। केवल मिश्रिख लोक सभा क्षेत्र में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हर जगह स्वास्थ्य केन्द्र तो हैं,

लेकिन वहां न तो कभी कोई डॉ. दिखता है और न कोई कर्मचारी दिखता है, जिससे मरीजों को अपनी जान भी कई बार गंवानी पड़ती है, क्योंकि डॉ. न मिलने के कारण और प्राथमिक सुविधा न मिलने के कारण उनकी जान चली जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह एक जांच समिति का गठन करे और इन स्वास्थ्य केन्द्रों की जांच करवाए तथा वहां जो तैनात डॉ. और कर्मचारी अपनी कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, केरल राज्य में, सरकार लॉटरी चला रही है और यह वास्तव में अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श है। लॉटरी की आय का पूरा उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता है। *करुन्नुया* नामक एक स्वास्थ्य योजना है जो गरीब मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आज तक, विभिन्न अस्पतालों में मरीजों को रु. 700 करोड़ दिये जा चुके हैं। हजारों गरीब लोग एजेंट के रूप में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और उनमें से एक बड़ी संख्या शारीरिक रूप से विकलांग है। नए बजट में, इन गरीब एजेंटों के कमीशन पर 14 प्रतिशत सेवा कर लगाया गया है। इससे उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और लॉटरी के लिए काम करने की उनकी पहल पर भी असर पड़ेगा। तो, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकारी लॉटरीज पर सेवा कर को छूट दें।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी.के. बिजू को श्री पी. करूणाकरन द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे देश के समुद्री तट में से सबसे ज्यादा गुजरात में 1640 किलोमीटर समुद्री तट है जिसमें मेरे क्षेत्र के कई तहसील आते हैं। जब मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनको

पता नहीं चलता है कि हमारी अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा कहां तक है, जिसके कारण वे पाकिस्तान या श्रीलंका की समुद्री सीमा में चले जाते हैं और पकड़े जाते हैं। उसके बाद उन पर जो गुजरती है, वह मैंने स्वयं अपने क्षेत्र के लोगों से सुना है कि उनको वहां की जेलों में भूखा-प्यासा रखा जाता है और इतना टॉर्चर किया जाता है कि वे जिन्दा होते हुए भी मृत के समान जीते हैं, बाद में उसे सरकार द्वारा छुड़वाया जाता है। मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार को और गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तार से 172 और श्रीलंका से 86 मछुआरों को छुड़वाया गया है। इसके बावजूद अभी भी बहुत से मछुआरे पाकिस्तान और श्रीलंका की जेल में बंद हैं, उनको तथा उनकी बोट्स को तुरन्त छुड़वाया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेनथिलनाथन (शिवगंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दूरदर्शी नेता अम्मा के मार्गदर्शन में, तमिलनाडु सरकार ने छात्रों की शिक्षा के लिए लगभग रु. 25,000 करोड़ का आवंटन किया है। तमिलनाडु में पिछले दो दशकों में व्यावसायिक कॉलेजों की संख्या में वृद्धि के साथ, शैक्षिक ऋण की भी मांग बढ़ रही है। यद्यपि केंद्र सरकार यह वादा कर रही है कि शैक्षिक ऋण आवेदनों के समय पर निपटान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, फिर भी आज भी कई ऋण आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने सभा में वादा किया है कि सरकारी कर्मचारियों से संपार्श्विक प्रतिभूति और जमानत पर जोर नहीं दिया जाएगा, फिर भी बैंक अभी भी इसकी मांग कर रहे हैं। बैंक आवेदनों की प्रक्रिया जनवरी तक टाल रहे हैं, जबकि आवेदन जून/जुलाई में ही काफी पहले से प्रस्तुत कर दिए जाते हैं।

शैक्षिक ऋण आवेदनों पर कार्रवाई के लिए समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है। इससे पहले, एम.बी.ए, एम.सी.ए, बी.एड. और यहां तक कि पॉलिटेक्निक सहित सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक ऋण दिया जाता था। अब, यह केवल बी.ई. और एम.बी.बी.एस. पर सीमित है। यह भी

ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे देश के कई छात्र, विशेष रूप से मेरे निर्वाचन-क्षेत्र, सिवगंगा से, चाइना, रूस और अन्य देशों में एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रमों में प्रवेश की खोज कर रहे हैं। उन्हें समय पर शैक्षिक ऋण भी नहीं मिल पाता है।

इसलिए, मैं केंद्र से आग्रह करता हूं कि वह ऐसे योग्य छात्रों को सरकारी गारंटी प्रदान करते हुए शैक्षिक ऋण योजनाओं को सुव्यवस्थित करे।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत सीसीएल प्रबंधन ने हाल ही में गोविन्दपुर श्वान परियोजना से चासनाला कोयला भेजने की स्वीकृति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस फैसले का ग्रामीणों-मजदूरों ने विरोध किया है। इसके पश्चात 25 हजार टन कोयला रूट सिल्क के माध्यम से देने की सहमति बनी। इस निर्णय से प्रतीत होता है कि सीसीएल कोयले की दूकान का संचालन कर रही है। गोविन्दपुर से चासनाला की दूरी डेढ़ सौ किलोमीटर है। जबकि गोविन्दपुर के बगल में बीएनके एरिया का करगलीवासरी है। वहाँ तीन शिफ्ट के बजाए दो शिफ्ट ही चल रहा है। वहाँ कोयले की कमी है और वहाँ कोयला न देकर चासनाला भेजा जा रहा है। चासनाला के बगल में भारत कोकिंग कोल, ईसीएल है, वहाँ से कोयला न देकर आज की तारीख में धन की बर्बादी हो रही है और कोल माफियाओं के गठजोड़ का परिणाम है। आपसे आग्रह है कि अविलम्ब करगलीवासरी को कोयला उपलब्ध कराया जाए ताकि वहाँ के मजदूरों को रोजगार मिल सके।

श्री निनोंग इरिंग (अरूणाचल पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या यह जरूरी था कि अरूणाचल प्रदेश में अफस्पा का जो ड्रेकोनियन कानून है, उसे लागू करना पड़ा। अरूणाचल प्रदेश एक शांति का द्वीप माना जाता है। यहाँ वर्ष 2001 में तिराक,

चांगलांग और लांगडिंग जिलों में इसे लागू किया गया था क्योंकि वहाँ पड़ोसी राज्य और विदेशी उग्रवादी संगठन के लोग आए थे। लेकिन अभी पूरे अरूणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो ड्रेकोनियन लॉ है, उसे शीघ्र ही वापस लिया जाए।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय अत्यंत लोक महत्व का है, इसलिए कृपया मेरे बोलने का थोड़ा समय बढ़ा दीजिएगा।

मैं आपके माध्यम से यह विषय उठाना चाहता हूँ कि आजकल दवाओं में केमिस्ट लोगों की बहुत मनमानी है। आज हार्ट अटैक की दवा स्ट्रेप्टोकिनेस 700 रुपये से 900 रुपये की है और इसकी एमआरपी 9000 रुपये हो जाती है। टाइफाइड की दवा मोनो इंजेक्शन का मूल दाम 25 रुपये है, जिसका एमआरपी 53 रुपये हो जाता है। डायलिसिस के लिए इंजेक्शन का मूल दाम 500 रुपये है, इसका एमआरपी 1800 रुपये हो जाता है। इसी प्रकार से यदि डॉक्टर्स कोई एंटिबायोटिक लिखते हैं, तो वह किसी कंपनी में 150 रुपये, किसी कंपनी में 45 रुपये की है, लेकिन डॉ. का कमीशन जुड़ने के बार वही दवा 540 रुपये का हो जाता है। चैरिटेबुल ट्रस्ट 240 रुपये में अल्ट्रासाउंड करता है, वही अल्ट्रासाउंड दूसरी जगहों पर 750 रुपये का हो जाता है। डॉक्टरों और केमिस्टों के बीच में गठबंधन करके यह जो लूट मची हुई है, इस पर सरकार रोक लगाए, जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता किया जाए और सभी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं के लिए औषधि वितरण केन्द्र खोले जाएं, जिन्हें न्यूनतम मूल्य पर गरीब जनता को उपलब्ध कराया जाए। जेनेरिक दवाएं, जिन पर किसी का पेटेंट नहीं है, उन दवाओं को सस्ता करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्रीमती अंजू बाला, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय को डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में सहयोग करने की अनुमति दी जाती है।

श्री जी. हरी (अराकोनम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अराकोन्नम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर रेल संयोजकता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। तिरुत्तानी और उसके आसपास के गाँवों से कई हजार लोग विभिन्न कार्यों के लिए चेन्नई जाते हैं। गंभीर चिंता की बात है कि पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर पूर्वाह्न 9.40 बजे तक, इस मार्ग पर चेन्नई की ओर कोई भी इलेक्ट्रिक ट्रेन, यानी ई.एम.यू. नहीं है।

मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूँ कि उन्हें संबंधित अधिकारियों को तिरुत्तानी से पूर्वाह्न 7 बजे से लेकर पूर्वाह्न 9.40 बजे तक, विशेष रूप से पूर्वाह्न 8 बजे, ई.एम.यू. के परिचालन के निर्देश देने की सलाह दी जाए ताकि यात्रियों को पूर्वाह्न 10 बजे के आसपास चेन्नई पहुँचने की सुविधा हो।

मैं अराकोन्नम जंक्शन पर प्लेटफार्म संख्या 1 और 2 का विस्तार करने का भी अनुरोध करता हूं ताकि महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को चढ़ने और उतरने में कठिनाई न हो, क्योंकि रेलगाड़ियों की अधिकांश बोगियां प्लेटफार्म के बाहर होती हैं। दस दिन पहले एक महिला को ट्रेन से उतरते समय अपने पैर गंवाने पड़े थे।... (*व्यवधान*)

मैं यह भी आग्रह करता हूं कि अराकोन्नम से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें बिना किसी रोक के अराकोन्नम पर रुकें, ताकि हजारों रेल यात्रियों को लाभ हो सके।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: इतने सारे मुद्दों की नहीं, केवल एक मुद्दे की अनुमति है। आपने तिरुत्तनी से चेन्नई तक ई.एम.यू. की मांग की है। यह सब ठीक है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार, 24 तारीख को मेरठ में धमतला गांव का एक किसान, जिसका नाम योगेन्द्र था, वह अपने खेत पर गया और फसल को देखकर निराश होकर एक टावर पर चढ़ गया। वहाँ एस.आई. तथा नायब तहसीलदार आये। प्रशासन की संवेदनहीनता यह है कि एस.आई. ने कहा कि इसे केले दिखाओ, यह नीचे उतर आएगा। नायब तहसीलदार अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा, वह गाड़ी में ही बैठा रहा और चार घंटे के बाद उसने वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली। मेरठ में प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री थे, लेकिन वहाँ कोई अधिकारी नहीं आया, उल्टे एस.आई. और नायब तहसीलदार ने केस कर दिया कि लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली। उसे कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उनके खिलाफ किये गये केस को वापस लिया जाए, उसे मुआवजा दिया जाए और पूरे प्रकरण की ठीक से जांच की जाए क्योंकि यह बहुत ही हृदयविदारक घटना है। चार घंटे तक वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा और उसने आत्महत्या कर ली।

आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र काकीनाडा, में स्थित आकाशवाणी के 100 वाट रिले स्टेशन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। लगभग 30 वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद, 13, जनवरी 2013 को भोगी के शुभ दिन पर इसकी शुरुआत हुई। काकीनाडा ए.आई.आर. की घोषणा वर्ष 1983 में तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक, मंत्री श्री एम.एस. संजीव राव द्वारा की गई थी। इसकी आधारशिला एन.डी.ए. के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अप्रैल, 1998 में तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नक़वी, द्वारा रखी गई थी।

काकीनाडा में वर्तमान ए.आई.आर. 100 वाट पर काम कर रही है, जिसे तुरन्त विस्तारित करने की आवश्यकता है। काकीनाडा में स्थित यह छोटा ए.आई.आर. डिवीजन कार्यक्रम बनाने की कोई सुविधा नहीं रखता है। यह अन्य ए.आई.आर. डिवीजन द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों को चार किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए प्रसारित करता है, जो इसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि 10 वाट का एफ.एम ट्रांसमीटर स्थापित किया जाए ताकि इससे पूर्वी गोदावरी जिले के 50 लाख और पश्चिमी गोदावरी जिले के लगभग 25 लाख लोगों को लाभ मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से काकीनाडा के ए.आई.आर. डिवीजन में एक स्टूडियो स्थापित करने का भी अनुरोध करूंगा ताकि दोनों जिलों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जा सकें। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि आति सूखा क्षेत्र होने के बावजूद राजस्थान राज्य में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारत सरकार से ग्रामीण पेयजल के लिए प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता में अत्यधिक कटौती की गयी है। पूर्व के वर्षों में मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत पेयजल योजनाओं की इस वर्ष 5842 करोड़ रुपये की देनदारियां बकाया हैं। ये सभी देनदारियां भारत सरकार के दिशानिर्देशों के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। इस वर्ष के लिए पेश किए गए बजट के अनुसार राजस्थान राज्य को ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत केवल 300 करोड़ रुपये प्राप्त होना प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले सीधे-सीधे 1000 करोड़ रुपये कम है। गत वर्ष इस मद में भारत सरकार से राजस्थान राज्य को 1304 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में पुनर्विचार करके ग्रामीण पेयजल योजना में इस वर्ष कम से कम 5842 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने चाहिए ताकि पिछली देनदारियों को चुका कर राजस्थान राज्य में पेयजल योजना सुचारू रूप से चलाई जा सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री पी.पी. चौधरी द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री राहुल शेवाले (मुंबई दक्षिण मध्य): महोदय, महाराष्ट्र को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता की मंजूरी और रिलीज में देरी के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत पहले भारत रत्न, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने मुंबई में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। यह सोसायटी वडाला में सिद्धार्थ विहार छात्रावास चला रही है, जिसे धन की अनु-उपलब्धता के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रावास की इमारत खस्ताहाल स्थिति में है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, कि इस छात्रावास के पुनर्निर्माण के लिए छात्रावास प्रबंधन को 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान दिया जाए।

मैं सुझाव दूंगा कि महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देने और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए उक्त योजना के तहत 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र बागपत से बहने वाली हिण्डन नदी के किनारे लगी हुई शुगर मिलों एवं दूसरी इंडस्ट्रीज की वजह से उसका पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि

आस-पास के लगभग एक दर्जन गांवों में हैण्डपम्प से पानी पीने के कारण कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है। इससे गांगनोली, रैथना और दतनगर जैसे गांवों में 100 से आधिक लोग मर चुके हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इस नदी के पानी को साफ किया जाए और वहां पाइप से वाटर सप्लाई दी जाए।

[अनुवाद]

श्री वी. पन्नीरसेल्वम (सलेम): मैं माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे सलेम निर्वाचन-क्षेत्र में एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किया जाए, क्योंकि यह मामला काफी समय से लंबित है। निकटतम पासपोर्ट कार्यालय कोयम्बटूर जिले में है, जो लगभग 130 कि.मी. दूर स्थित है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों के लिए इतनी दूर यात्रा करना और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदन करना कठिन है। सलेम तमिलनाडु का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे अनुरोध पर विचार करें और तमिलनाडु के सलेम में पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करें, जिससे मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : महोदय, मैं देश के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान के में विषय में बात करना चाहता हूं, इसलिए आपका संरक्षण चाहता हूं।

महोदय, आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स के नाम से पूरे देश में सात-आठ इंस्टिट्यूट हैं, उनकी प्रवेश परीक्षा में कुल 672 सीट्स हैं, जिनके लिए लगभग पांच लाख प्रतियोगी हर साल परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। मैंने पिछले साल जुलाई के महीने में माननीय चिकित्सा मंत्री जी को पत्र लिखा था कि इस परीक्षा की पद्धति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि इस परीक्षा का न तो प्रश्न पत्र प्रतियोगी को दिया जाता है, न उसकी आंसर-की दी जाती है, जिससे उसको पता नहीं चलता

है कि मैं किस तरह की परफार्मेंस करके आया हूं। उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा विभाग एवं इसकी गवर्निंग काउंसिल ने जो निर्णय लिया है, उसके बाद परीक्षा की नई पद्धति लागू की गयी है, जिसमें दो स्लॉट्स में परीक्षा होगी, जिसमें न तो उसे परीक्षा पत्र मिलेगा, न उसको आंसर-की मिलेगी और उसका परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड भी वहां जमा हो जाएगा। राजस्थान के पहले अलग-अलग स्लाट्स में इस तरह की परीक्षा 2014 में हुई थी, जो विवाद का विषय बन गई। कई लोग हाई कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उस परीक्षा को खारिज कर दिया और उस कारण दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। क्योंकि एम्स हमारा फ्लैगशिप संस्थान है, यह विवाद में न आए और परीक्षा खारिज न करनी पड़े इसलिए परीक्षा की इस पद्धति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अविलंबनीय राष्ट्रीय महत्व के विषय को उठाने का अवसर दिया। यह मामला एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग से संबंधित है, जो विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। परियोजना का लक्ष्य उत्तर पूर्व भारत को दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से म्याँमार और थाईलैंड, से जोड़ना था। इस परियोजना के लाभ स्पष्ट हैं। इससे देश के बुनियादी ढांचे से वंचित हिस्से में वस्तुओं का प्रवाह बढ़ेगा, नौकरियों का सृजन होगा और बुनियादी ढांचे का उन्नयन होगा। लेकिन परियोजना की वर्तमान स्थिति काफी खराब है। थाईलैंड के अधिकारियों ने थाईलैंड में राजमार्ग के अपने हिस्से का निर्माण पूरा कर लिया है। लेकिन भारतीय अधिकारी भारत और म्याँमार में इस परियोजना को क्रियान्वित करने में बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, इस परियोजना का लाभ मिलने में देरी हो रही है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि कथनी की अपेक्षा करनी अधिक प्रभावशाली होती है। जब हम कहते हैं 'एक्ट ईस्ट', तो हमें 'एक्ट ईस्ट' भी करना चाहिए।

इसलिए मैं विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूँ कि वह इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करें या यदि यह संभव नहीं है, तो उन्हें इस परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंप देना चाहिए

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया। झारखंड राज्य में मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में लौह अयस्क की लगभग 42 खदाने हैं। उनमें से मात्र दस ही चालू हैं और बाकी के बंद रहने के कारण सरकार को भारी राजस्व की हानि हो रही है तथा बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे जिले से लगातार पलायन हो रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और ओडिशा की तर्ज पर झारखंड में भी बंद पड़ी इन खदानों को खोला जाए। इससे सरकार को राजस्व मिलेगा और साथ ही बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा तथा पलायन को रोका जा सकेगा।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री सुनील कुमार सिंह को श्री लक्ष्मण गिलुवा द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री पी.के. बीजू (अलथूर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सभा के समक्ष एक अविलंबनीय राष्ट्रीय महत्व का मामला उठाना चाहता हूँ। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक विदेशों में काम कर रहे हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दीं। उस समय अनुमान लगाया गया था, कि उनकी संख्या लगभग 18 मिलियन है, लेकिन वास्तविक संख्या 30 मिलियन से अधिक है।

अरब देशों में उठापटक और सऊदी अरब में *नीताकत* नीति लागू किए जाने के कारण लाखों भारतीय नागरिकों की नौकरियाँ चली गईं। इस संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावित हमारा राज्य केरल है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे राज्य में प्रवासी श्रमिकों द्वारा बड़ी भारी धन राशि भेजी जाती है। यमन, इराक, और लीबिया में व्याप्त अशांति के कारण बड़ी संख्या में नर्सें, और आई.टी. पेशेवर हमारे राज्य में वापस आ गए हैं। उनका पुनर्वास और पुनर्स्थापन करना बहुत कठिन है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह कल्याण कोष के निर्माण तथा उन लोगों की सहायता के लिए अन्य उपायों के लिए ठोस प्रस्ताव लेकर आए।

श्री के. परसुरमन (तंजावुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान तंजावुर में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में आकर्षित करना चाहूंगा। देश में लगभग 650 विश्वविद्यालय हैं। इनमें से, 45 विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसके अलावा, 321 राज्य विश्वविद्यालय, 129 डीम्ड विश्वविद्यालय और 187 निजी विश्वविद्यालय हैं। कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए देश में केवल 65 विश्वविद्यालय हैं। यहां 30 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी), 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), 19 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.), और 5 विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान हैं। यह बहुत चिंता की बात है कि देश में केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय है। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई तेजी से प्रगति के लाभों को कृषि की दिशा में लागू किया जाए।

दक्षिण भारत के अन्न भंडार तंजावुर में, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। तंजावुर में, चावल उत्पादन के अलावा, बड़े पैमाने पर नारियल, केला, मूंगफली, उड़द, और मूंग की खेती की जाती है। तमिलनाडु के तंजावुर और इसके

आसपास के पांच जिले पूरी तरह से कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर आश्रित हैं। चूंकि इन जिलों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित है, इसलिए कृषि विश्वविद्यालय की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है।

इसलिए, मैं माननीय कृषि मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे तंजावूर में तत्काल एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करें।

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एनबीसीसी, एचएससीएल और ईरकॉन काम कर रही है। लगभग 60 परसेंट काम अधूरा है। पिछले सत्र में मैंने इस बात को उठाया था, जिसके चलते जांच टीम गयी थी। 72 रोड का जांच हुई और उन्होंने इस बात को एक्सैप्ट किया कि भारतवर्ष में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा रोड की खराब गुणवत्ता झारखण्ड राज्य में है। 7,6,4, और 7,8,9 फेज का काम पूरा नहीं हुआ है, फिर भी एनबीसीसी को काम दिया गया है। पिछले दो महीने पेमेन्ट का भुगतान न होने के कारण पीएमजीएसवाई का काम पूरी तरह से बंद है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आह्वान करता हूं कि उसका भुगतान किया जाए अन्यथा राज्य का भारी क्षति होने वाला है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री सुनील कुमार सिंह को श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुंदेलखण्ड के किसानों को बचाने के लिए आपके माध्यम से सरकार से अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार बुंदेलखण्ड के किसानों के साथ अन्याय का काम कर रही है। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की दर कम है और हमारे बुंदेलखण्ड में दोगुना से अधिक बिजली की दर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 जून 2013 से 30 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में सौ रुपये प्रति हॉर्स पावर था, वह हमारे बुंदेलखण्ड में 140 में प्रति हॉर्स पावर था। एक अक्टूबर के बाद से अभी तक पूर उत्तर प्रदेश में जो सौ रुपये रेट है, उसमें वृद्धि नहीं की गयी है, जबकि उसे बढ़ा कर 220 रुपये कर दिया गया है। उसके साथ-साथ लूटने का दोहरा काम जो किया जा रहा है, वह यह किया जा रहा है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सभा 28 अप्रैल, 2015 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.27 बजे

तत्पश्चात लोक सभा 28 अप्रैल, 2015 / 8 वैशाख, 1937 (शक) के

पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित